हंडिया विधानसभा क्षेत्र

में

राजनीतिक दल एवं राजनीतिक समाजीकरण

: एक अध्ययन

(Political Parties & Political Socialization

in

Handia Assembly Constituency

: A Case Study.

:

:

:

कमलाशंकर त्रिपाठी

द्वारा

राजनीतिशास्त्र में डी० फिल० डिग्री हेतु

प्रयाग विश्वविद्यालय

को प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

प्रा क् क थ न

प्रस्तुत विषय (हंडिया विधान सभा क्षेत्र में राजनीतिक दल एवं राजनीतिक समाजीकरण : एक अध्ययन 'POLITICAL PARTIES AND POLITICAL SOCIALIZATION IN HANDIA ASSEMBLY CONSTITUENCY : A CASE STUDY ') पर शोध कार्य राजनीतिशास्त्र की वर्तमान नवीन प्रणालियों एवं अवधारणाओं के अनुरूप एक प्रयास है । परंपरावादी अन्वेषण की पद्धति एवं तदनुरूप विषयों की परिधि से निकलकर व्यवहारवादी क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयत्न किया है । लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों का उद्भव, विकास, संगठन, नेतृत्व एवं कार्य किस प्रकार तथा स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल होता है तथा राजनीतिक समाजीकरण में इनका क्या योगदान है उसका एक विधान सभा क्षेत्र को इकाई के रूप में स्वीकार कर अध्ययन किया गया है । हंडिया विधान सभा क्षेत्र स्वर्गीय प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का पंचमांश है और इस क्षेत्र का स्वाधीनता संग्राम में प्रशंसनीय, चिरस्मरणीय एवं अनुकरणीय योगदान तथा बलिदान रहा है और वर्तमान समय में भी राजनीतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण स्थल है । हंडिया विधान सभा क्षेत्र इलाहाबाद जिले का पूर्वी भाग है जिससे वाराणसी जिले की सीमा मिलती है । (हंडिया विधान सभा क्षेत्र का मानचित्र संलग्न है जिसमें मतदान स्थलों की संख्या एवं नाम अंकित है)

शोध प्रबन्ध की अन्तर्वस्तु को सात अध्यायों में विभक्त करके प्रस्तुत किया गया है । प्रथम अध्याय में विषय परिचय है जिसमें राजनीतिक दलों के आविर्भाव, परिभाषा, उनके मूलभूत तत्वों और उनके राजनीतिक समाजीकरण के संबंधों को स्पष्ट किया गया है । इसके अतिरिक्त इस अध्याय में उन परिकल्पनाओं (**Hypotheses**) का भी समावेश है जिनके परीक्षण का इस शोध प्रबन्ध के अगले अध्यायों में प्रयत्न है । शोध कार्य में प्रयुक्त पद्धति का भी विवरण दिया गया है । सब से अन्त में हंडिया विधान सभा क्षेत्र के चयन के कारणों पर प्रकाश डाला गया है ।

द्वितीय अध्याय में हंडिया विधान सभा क्षेत्र में राजनीतिक

दलों के उद्भव एवं विकास को प्रकाशित करने का यत्न है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसान मज़दूर प्रजा पार्टी, प्रजा समाजवादी दल, समाजवादी दल, संयुक्त समाजवादी दल, भारतीय क्रान्ति दल, भारतीय लोकदल, साम्यवादी दल, राम राज्य परिषद्, रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय जनसंघ, संगठन कांग्रेस, मुस्लिम मजलिस तथा नवोदित जनता पार्टी का संक्षिप्त विवरण है जिन्होंने कालक्रमानुसार राजनीतिक रंगमंच पर अपनी अपनी भूमिकाओं का अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन प्रदर्शन किया है ।

तृतीय अध्याय में संडिला विधान सभा क्षेत्र में तीन राजनीतिक दलों - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (सत्ता) भारतीय जनसंघ एवं भारतीय लोकदल की इकाइयां गठित रही हैं । उनके संगठनात्मक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है । नागरिक, समर्थक, सदस्य , पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता एवं शासक के रूप में जो भूमिकायें राजनीतिक दल में और उसके बाहर निभाता एवं प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसके उत्थानकारी इन सोपानों का, संगठन की इकाइयों का, आनुषांगिक संगठनों का तथा संगठन की विशेषताओं को प्रकट किया गया है । विषय वस्तु की अधिकता एवं विशिष्ट महत्व के कारण नेता के लिए अलग अध्याय प्रदान किया गया है और शासकों पर अध्ययन भविष्य के लिए छोड़ दिया ।

चतुर्थ अध्याय में नेता पद प्राप्त करने के निमित्त जो नेतृत्व किया जाता है उसका विवरण है । अभी तक अध्ययन कहीं नहीं किया है कि नेता का क्रमश: विकास कैसे होता है । इस अध्याय में राजनीतिक नेता के लक्षण, नेतृत्व के चार चरण - अनुस्थितिज्ञान, अन्तर्ग्रस्तता, आदर्शीकरण एवं प्रव्यंजना का विवेचन है (जो कि मेरा मौलिक चिन्तन है) , नेतृत्व की दो प्रवृत्तियां- लोकतांत्रिक एवं प्राधिकारवादी ; ध्येयनिष्ठा, सत्ता, उद्भव, लोकप्रियता एवं पदारूढ़ता के आधारों पर नेताओं का श्रेणी विभाजन एवं राजनीतिक नेताओं के कार्यों की विवेचना भी है जो कि अपने आप में नया अध्ययन ही प्रतीत होता है । राजनीतिक नेता के अन्य कार्यों के साथ "राजनीतिक शैली" का विकास का भी मेरा मौलिक अध्ययन है जिसका अनुभव वार्तालाप, लेखन, आलोचना, अधिमूल्यन, दण्ड,

पुरस्कार, सत्ता हस्तांतरण एवं समस्या-समाधान आदि के अवसरों पर होता है ।

पंचम अध्याय में राजनीतिक दलों की भूमिकाओं एवं कार्यों का वृत्त है जिसमें प्रमुख रूप से निर्वाचन लड़ना है जिसके अधीन प्रत्याशियों का चयन, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव अभियान का संचालन, मतदाताओं का दबाव प्रयोग, राजनीतिक दलों द्वारा मतदान प्रक्रिया में सहयोग एवं मतगणना और इन सब पर होनेवाले व्ययों का चित्रण है । राजनीतिक दलों के द्वारा राजनीतिक-निर्णय-प्रभावन, राजनीति का आधुनिकीकरण, हित संप्रियोजन एवं समूहन (Interest Articulation and Aggregation) तथा राजनीतिक समाजीकरण आदि होनेवाले कार्यों का भी विवरण दिया गया है । राजनीतिक दल के सभी कार्य सत्तासमर्थन के परस्पर जन्मदाता एवं जन्य है जो कि सत्ता प्राप्ति का साधन है ।

षष्टम् अध्याय में राजनीतिक समाजीकरण जिसके विषय में इतना विस्तृत अध्ययन इसके पूर्व किसी भी भारतीय की कृति में उपलब्ध नहीं हुआ है, की विवेचना करते हुए उसके एक पक्ष राजनीतिक भाग ग्रहण (Participation) का विवरण दिया गया है जिसमें नागरिक का राजनीतिक दलों से संपर्क एवं संबंध तथा दलों एवं नेताओं के प्रति धारणा ; नागरिकों की प्रवृत्तियों पर राजनीतिक दलों के संपर्क का प्रभाव ; मतदान को प्रभावित करनेवाले कारकों ; मत निर्णय के आधारों, मतदाता द्वारा उसके मत के विषय में उसके द्वारा निर्णय लेने के कालों ; मतदान में जातिगत भाग ग्रहण तथा मतदान के प्रति उदासीनता के कारणों ; राजनीति में जो लोग बहुत सक्रिय हैं उसके विषय में नागरिकों द्वारा रखी जानेवाली धारणाओं तथा वर्तमान समय में देशभक्ति एवं ईमानदारी जैसे मूल्यों का नागरिक जीवन में महत्वों की खोज करने का प्रयत्न किया गया है ।

सप्तम् अध्याय में राजनीतिक समाजीकरण के अन्तिम पक्ष राजनीतिक संज्ञान (Cognition) की विवेचना की गई है जिसमें नागरिकों की राजनीतिक सूचना प्राप्ति के माध्यमों, राजनीतिक दलों के नामों, नेताओं एवं निर्वाचनों से संबंधित जानकारी ; क्षेत्रीय समस्याओं का ज्ञान तथा विकास खण्ड में भारत संघ तक की राजनीतिक संस्थाओं, अधिकारियों और उनकी शक्तियों

के ज्ञान स्तरों का अन्वेषण किया गया है । ज्ञातव्य है कि राजनीतिक भाग ग्रहण एवं राजनीतिक संज्ञान पर जाति, शिक्षा, आयु, व्यवसाय तथा राजनीतिक दलों की सदस्यता एवं अन्य संगठनों से सम्बद्धता के प्रभावों का परीक्षण किया गया है । इसमें राजनीतिक दल की सदस्यता का वैशिष्ट्य सिद्ध हुआ है ।

ग्रंथसूची एवं लेख सूची में लिखित सामग्रियों का विशेष उपयोग अध्ययन के हेतु हुआ है जहां से आवश्यक लगा वहां से संदर्भ दिए गये हैं ।

प्रस्तुत शोध कार्य को प्रारंभ किए पन्द्रह मास भी पूर्ण नहीं हुए थे कि आपातकालीन घोषणा २६ जून, १९७५ को गई जिसके कारण क्षेत्रीय कार्य (Field Work) में अनेक व्यवधान, जैसे नागरिकों, पदाधिकारियों एवं नेताओं द्वारा साक्षात्कार देने में हिचकिचाहट आदि, आये जो कि शोध प्रबन्ध को प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण बने ।

प्रयाग विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग के अधीन व्यावहारिक क्षेत्र में यह प्रथम शोध कार्य है । इसके विषय चयन तथा अनवरत परामर्श के लिए मैं परम सम्माननीय डाक्टर अम्बादत्त पन्त का आजीवन ऋणी रहूंगा । विषय पर दिशा निर्देशन का गुरुतर, कठिन तथा समय एवं श्रम साध्य दायित्व-निर्वाहन डाक्टर सुरेन्द्र नाथ मित्तल ने किया जिसके परिणाम स्वरूप यह कार्य संभव हो सका मैं उनका आजीवन आभारी रहूंगा । आपातकालीन घोषणा के फलस्वरूप जब डा० मित्तल " मीसा " (MISA) के अधीन बन्दी बनाये गये तब उस काल खण्ड में डा० अम्बादत्त पन्त ने गहन अंधकारपूर्ण एवं निराशागर्भित बेला में अपना दिशा-निर्देशन देकर आशा का संचार किया । श्री मोहन लाल, राजनीति विभाग एवं डा० विद्यासागर मिश्र, शिक्षा विभाग ने शोध की पद्धति पर मार्ग-दर्शन दिया उसका मैं कृतज्ञ हूं । राजनीति विभाग के कार्यालय प्रधान श्री उमाशंकर मिश्र एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिनके सहयोग से समय- समय पर आनेवाली बाधायें दूर होती रही हैं । भाषा सम्बन्धी अवलोकन के लिए डा० रामाश्रय त्रिपाठी को तथा टंकण के लिए श्री ईश्वर शरण श्रीवास्तव को धन्यवाद देता हूं जिससे शोध प्रबन्ध का प्रस्तुतीकरण हो सका । अपने उन समस्त

सहयोगी बन्धुओं को हार्दिक बधाई देता हूँ जिनके क्षण क्षण एवं कण कण के सहयोग बिन्दुओं से शोध प्रबंध का सरोवर भर सका । राजनीतिक दलों की संख्या विधान सभा क्षेत्र में गठित इकाइयों के पदाधिकारियों का मैं आभारी हूँ जिन्होंने वास्तविकताओं को शोध कर्ता के समक्ष स्पष्ट किया । मैं उन नागरिकों एवं नेताओं का भी आभारी हूँ जो अपने अपने व्यस्त क्षणों में समय निकालकर तथा साक्षात्कार देकर अन्वेषण की सफलता को साध्य किया । अन्त में मैं अपने समस्त शुभेच्छुओं के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ जिनके प्रोत्साहनों एवं सद्भावों ने इस कठिन कार्य को करने की शक्ति प्रदान की ।

(कमला शंकर त्रिपाठी)
शोधकर्ता

२६ जून सन् १९७८ ई० ।

(आषाढ़ कृष्ण पक्ष नवमी गुरुवार विक्रमी सम्वत् २०३५)

विषय - सूची

पृष्ठ संख्या

पृष्ठ संख्या

पृष्ठ संख्या

००००००

अध्याय - १

विषय-प्रवेश

आज संसार के अधिकांश राज्यों ने अपने सर्वोत्तम विकास के निमित्त तथा अपने नागरिकों को स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता का रसास्वादन कराने हेतु लोकतंत्र का पथ स्वीकार किया है। शक्ति का विकेन्द्रीकरण, सत्ता में भाग-ग्रहण, निर्वाचन से सरकार में परिवर्तन, जनमत का सम्मान, शासक में सेवा-भाव का संचार, परस्पर वार्ता से समस्याओं का समाधान, लोक हितकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, राष्ट्रीयता का जागरण तथा वसुधैव कुटुम्बकम् का भाव सृजन आदि लोकतंत्र के महत्वपूर्ण, देदीप्यमान एवं लोकरंजक मूल्य हैं परन्तु इन मूल्यों को साकार करने का सर्वोत्तम साधन कौन है ? जब इसका विचार किया जाता है तब राजनीतिक दलों का चित्र आंखों के सामने आ जाता है। राजनीतिक दल विचार, अभिव्यक्ति एवं विश्वास की स्वतंत्रता के परिचायक, सुदृढ़कर्ता तथा समन्वयक हैं और बंधुत्व को व्यापक करने एवं अवसरों की समानता में अधिकाधिक राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का सबल, सफल एवं नवीन साधन हैं। राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र के मूल्यों को साकार करने में जिस तन्मयता का प्रदर्शन किया है उससे यह सहज ही स्वीकार किया जा सकता है कि लोकतंत्र का प्राण इन्हीं में ही है अर्थात् राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतंत्र एक सुखद कल्पना मात्र है।

विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर राजनीतिक दलों का पदार्पण कब, कहां और कैसे हुआ ? यह राजनीतिक इतिहास इनके विकास की भ्रान्तियों से आवृत है। अनवरत राजनीतिक विकासोन्मुख राजदर्शी (Statiologist)[१] जब क्षण भर के लिए अतीत की ओर अपने ध्यान को ले जाता है तब अप्रैल १७८९ ई० के फ्रान्स के वर्साय (Versailles) स्थित ब्रेटन क्लब पर पहुंचकर उसका ध्यान स्थिर हो जाता है जहां पर प्रतिनिधियों (Deputies) ने अपने स्थानीय हितों के संरक्षण के[२] लिए मिलकर विचार करना प्रारम्भ किया था। प्रतिनिधियों की वैचारिक साम्यताओं ने निरंतर मिलकर परस्पर विचार विनिमय को प्रोत्साहित किया जिससे संसदात्मक राजनीतिक समूह का जन्म हुआ। इस

राजनीतिक समूह ने संसद के बाहर निर्वाचकों की समितियां गठित किया और अंत में संसद एवं निर्वाचकों के मध्य स्थायी संयोग की स्थापना हो गई जिसका विकसित रूप राजनीतिक दल है। संसद के बाहर भी राजनीतिक दल का आविर्भाव दार्शनिक समितियों और श्रमिक कक्षों आदि से हुआ जिसका प्रमाण ब्रिटेन का श्रमिक दल (ब्रिटिश लेबर पार्टी) है जो कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस के १८९९ ई० में लिए गये इस निर्णय का परिणाम है कि एक संसदात्मक तथा निर्वाचकीय संगठन का जन्म देना है। इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र ने सचेतोत्सुक नागरिकों में पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता उत्पन्न किया[3] जिससे उद्देश्यों एवं उनको पूर्ण करने की पद्धतियों में एकत्व का अनुभव करनेवाले व्यक्तियों को एक संगठित समूह बनाने की प्रेरणा मिली और शासन में लोकशक्ति का न्यूनाधिक प्रवाह होने लगा। लोक हित की सतत चिन्तनशीलता को राज्य के मानस पटल पर रखने के लिए जो साधन उपलब्ध हुआ वह राजनीतिक दल है।

देश, काल, परिस्थिति, संस्कृति तथा राष्ट्रधुरी के अन्तरों ने राजनीतिक दलों के उदय तथा विकास क्रम को सदैव प्रभावित किया है और भविष्य में भी करता रहेगा जिसके कारण किसी राज्य में तीव्र, तत्कालीन ज्वलन्त समस्यायें जैसे पराधीनता से मुक्ति, स्वतंत्रता की रक्षा, श्रमिकों का शोषण, धर्म का संरक्षण आदि विशिष्ट संस्कृति की रक्षा तथा राष्ट्र नेताओं में मतभेद के आधारों पर नवीन राजनीतिक दलों का उदय हो जाता है। भारतवर्ष में, पराधीनता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु ३० दिसम्बर, १८८५ ई० को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अभ्युदय हुआ; जाति एवं धर्म के आधार पर मुस्लिम लीग का सन् १९०६ ई० तथा हिन्दू महासभा का सन्[4] १९०७ ई० में जन्म हुआ; राष्ट्र नेताओं के पारस्परिक[5] मतभेदों के आधार पर किसान मजदूर प्रजा पार्टी की सन् १९५० ई० में आचार्य जे०बी०कृपलानी द्वारा समाजवादी दल की सन् १९५१ ई० में आचार्य नरेन्द्रदेव एवं श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा और फारवर्ड ब्लाक की सन् १९३९ ई० में श्री सुभाष चन्द्र बोस द्वारा आधारशिलायें रक्खी गई। भारतीय[6] संस्कृति एवं राष्ट्रीयता के आधार पर भारतीय जनसंघ की नींव २१ अक्टूबर १९५१ ई० को डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी के द्वारा रक्खी

गई । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन् १९६९ ई० में राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रश्न पर दो टुकड़े[7] सत्ता कांग्रेस एवं संगठन कांग्रेस में विभाजित होना श्रीमती इंदिरा गांधी एवं श्री मोरार जी देसाई के मध्य उत्पन्न मतभेद का परिणाम रहा । उत्तर प्रदेश में श्री चन्द्रभानु गुप्त तत्कालीन मुख्य मंत्री तथा श्री चौधरी चरण सिंह[8] तत्कालीन उनके मंत्रि मण्डल के सदस्य के सन् १९६७ के मतभेदों ने श्री चौधरी चरण सिंह को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर भारतीय क्रांतिदल तथा भारतीय लोकदल (२९ अगस्त सन् १९७४ ई०) का जनक बना दिया । स्वर्गीय श्री सी०एन०अन्नादुराई की उच्च वर्गों के प्रति घोर घृणा के भाव तथा पृथक स्वतंत्र राज्य की कामना ने द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (१७ सितम्बर, १९४९ ई०) को जन्म दिया । ज्ञातव्य है कि भारतवर्ष में साम्यवादी दल की स्थापना सन् १९२५ ई० तथा समाजवादी दल की स्थापना सन् १९३४ ई० में की गयी थी[9] जो कि राजनीतिक दलों के अभ्युदय के लिए आर्थिक कारणों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । भारतवर्ष में समाजवाद का जन्म कार्ल मार्क्स की पुस्तक से नहीं बल्कि स्वामी विवेकानन्द के दरिद्रनारायण के उत्थान के वेदवाक्य (Gospel) से हुआ ऐसा श्री सुभाष चन्द्र बोस प्राय: कहते थे[10] । भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो आपातकालीन घोषणा[11] २६ जून सन् १९७५ ई० को हुई उसके प्रभावों ने जनता पार्टी को जन्म दिया । आपात काल में हुए दमन चक्रों, अत्याचारों एवं संवैधानिक संशोधनों के कारण मार्च १९७७ के लोक सभा चुनाव में सफलता प्राप्त करने हेतु फरवरी १९७७ ई० में भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (संगठन) तथा समाजवादी दल का एकीकरण हुआ जिसके परिणामस्वरूप जनता पार्टी का संश्लेषणात्मक जन्म हुआ । ये तथ्य स्पष्ट करते हैं कि राजनीतिक दलों का भारतवर्ष में उद्भव राजनीतिक प्रवरों (Elites) के द्वारा क्षेत्रीय, जातीय धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक तथा वैयक्तिक मतभेदों के फलस्वरूप हुआ है किन्तु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय भारत की स्वाधीनता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हुआ था[12] । झाँसी विधान सभा क्षेत्र में राजनीतिक दलों का उद्भव और विकास कैसे हुआ ?[13] इस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है ।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मार्च १९७७ ई० के लोक सभा

चुनावों में गंभीर पराजय मिली और उसका केन्द्र में ३० वर्ष का शासन समाप्त हो गया। केन्द्र में संयोजित जनता पार्टी का शासन स्थापित हुआ जिसने राज्यों में विधान सभाओं के चुनाव जून १९७७ ई० में करा दिया और आठ राज्यों का शासन कांग्रेस के हाथ से निकल गया जिससे कांग्रेस को गहरा आघात पहुंचा। पराजय के दोहरे आघातों ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी के बीच मतभेदों का विस्फोट किया और १ जनवरी, १९७८ ई० को कांग्रेस का ऊर्ध्वाधर विभाजन हो गया। नियुक्त गुट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को अपना अध्यक्ष बनाया तथा अपने को वास्तविक कांग्रेस घोषित किया किन्तु निर्वाचन आयोग ने इसे कांग्रेस (इंदिरा) की मान्यता प्रदान किया है।

इस शोध कार्य को प्रारम्भ करते समय भारतवर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (सत्ता) तथा (संगठन), भारतीय जनसंघ, भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय लोकदल तथा समाजवादी दल मान्यता प्राप्त दलों में से प्रमुख रहे। विश्व के सब से बड़े लोकतांत्रिक देश भारतवर्ष के राजनीतिक दलों पर श्री एम० वाइनर[12], श्री एन० डी० पामर[13], श्रीमती एन्जेला सदरलैण्ड बरबर[14], श्री वेबस्टर[15], श्री हर्स्ट हार्टमैन[16], श्री रजनी कोठारी[17], श्री माइकेल ब्रेकर[18], श्री डंकर चौपड़ा[19] तथा श्री ए० एस० वैदी[20] आदि विद्वानों की कृतियां विशेष उपयोगी हैं किन्तु इनमें सैद्धान्तिक पक्षों को प्रकाशित किया गया है। अतएव मैंने राजनीतिक दलों के व्यावहारिक पक्षों का अध्ययन करना ही अभीष्ट समझा।

भारत के राजनीतिक दलों के व्यावहारिक पक्षों के सन्दर्भ में श्री एस० पी० वर्मा तथा श्री इकबाल नारायण[21] और सहयोगी एवं श्री एस०के०गुप्ता[22] ने प्रकाश डाला है किन्तु ये किरणें मतदान एवं चुनाव पर ही पड़ी हैं।

लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण योगदानों को दृष्टिगत करके इन पर विश्व के अनेक विद्वानों ने प्रकाश डाला है जिनमें श्री राबर्ट-माइकेल्स[23], श्री एम० डुवरजर[24], श्री के० जप[25], श्री एच०ई० रुबीस्टेन[26], श्री एस०पी० हन्टिंगटन[27] तथा श्री एस० जे० इल्डर्सवेल्ड[28] की कृतियां अधिक उपयोगी हैं।

" राजनीतिक समाजीकरण " पर श्री एच० एच० हाइमन[२९]; श्री डब्लू० पाई[३०]; एच० ई० एस० जे० हल्डसवेल्ड तथा जे० कीटिंग्ज[३१]; श्री केन आर० विल्डाव्स,[३२] श्री डेविड इस्टन जैक डेनिस[३३]; जी० ए० आल्मोन्ड[३४] तथा श्री गिरिराज शाह[३५] आदि की कृतियाँ विशेष उपयोगी हैं ।

राजनीतिक दल की परिभाषा

अनेक विद्वानों ने राजनीतिक दल की परिभाषा देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार क्रियाकलापों एवं भूमिकाओं का अवलोकन करके दी है जिसके कारण परिभाषा में अनेकता का दर्शन होता है । परिभाषा किसी भी वस्तु, विषय, गुण, क्रिया या अन्य का सैद्धान्तिक, बौद्धिक तथा भाषाबद्ध स्वरूप प्रस्तुत करती है । यहाँ पर राजनीतिक दल की कुछ परिभाषायें दी जा रही हैं :-

(१) " दल " शब्द पूर्व कल्पना करता है कि दल के प्रत्येक संघटकों में परस्पर एक समान प्राप्य उद्देश्य तथा प्रायोगिक अभिप्रायों के प्रति इच्छाओं की एक समान दिशा होनी चाहिए ।

The term 'Party' presupposes that among the individual components of the party there whould exist a harmonious direction of wills towards identical objective and practical aims, (Quoted by Robert Michels, Political Parties 1958 page 392)

(२) " राजनीतिक " शब्द निम्न पदों में सूचित किया जा सकता है " यह संगठन है जो कि निर्वाचितों की निर्वाचकों के ऊपर, अधिदेशकों की अधिदिष्टकों के ऊपर, प्रत्यायुक्तों की प्रत्यायियों के ऊपर प्रभुता को जन्म देता है । "

The term 'Political' may be farmulated in the following terms. It is organization which gives birth to dominion of the elected over electors of the mandataries over mandators of the delegates over the delegators".
(Robert Michels, Political Parties 1958 page 418).

(३) आधुनिक राजनीतिक दल सामाजिक समूहों तथा वर्गों के अनौपचारिक अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के अभिकरण हैं ।

The modern political party is therefore an agency of informal indirect representation of social groups and classes.(Avery Leiserson -Parties of Politics 1958 page 73 Quoted by S.J.Eldersweld- Political Parties. A Behavioral Analysis 1971 page 74).

(४) राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक ऐसा संगठन है जो किसी सिद्धान्त के आधार जिस पर वह एकमत है पर एकमत होकर अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित का वर्धन करना चाहते हैं ।

A Party is a body of men united for promoting by their joint endeavours, the national interest upon some principle in which they are all agreed.(Edmund Burk - Sabine-A History of Political theory 3rd Indian reprint 1973 page 561).

(५) राजनीतिक दल उन नागरिकों का संगठित समूह है जिनके राजनीतिक विचार एक समान होते हैं और राजनीतिक इकाई की भांति कार्य करके सरकार पर नियंत्रण की चेष्टा करते हैं ।

A political party thus may be defined as an organized group of citizens who profess to share the same political views and who by acting as political unit control the Government.(R.N.Gilchrist-Political Science page 349-50).

(६) व्यक्तियों के किसी समूह को जो कि समान उद्देश्य की प्राप्ति के वास्ते काम कर रहा है एक दल कहा जाता है ---- इस दृष्टि से राजनीतिक दल उन व्यक्तियों समूहों को कहेंगे जिनके समान राजनीतिक उद्देश्य हों, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वे देश में अपने विचारों का प्रचार करते हैं तथा जनता को अपने विचारों का अनुगामी बनाकर देश की सरकार को अपने विचारों के अनुसार चलाना चाहते हैं (डा० अम्बाप्रसाद पन्त, नागरिक शास्त्र के आधार, पृष्ठ ३८८-८९) ।

(७) प्रत्येक राजनीतिक दल विधायी लक्ष्यों के निमित्त कार्य करने के प्रति अभिनत है जो कि दल के संगठन के हितों एवं कल्याण को आगे बढ़ाता है और जो कि राज्य की राजनीति में इसकी सत्ता की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सेवा करता है और अपने हितों की विपरीत क्रियाओं और जो कि उसकी स्थिति को कमजोर करेगा का विरोध करता है।

Each party is inclined to work for legislative goals which advance the interests and welfare of the party ORGANIZATION and which serve to strengthen its power position in state politics and oppose actions adverse to its interests and which would weaken its position. (William J. Keefe-Comparative study of Role of political parties in State Legislature- Quoted in Ed. Political Behavior - 1972 page 313).

(८) एक राजनीतिक दल एक समुदाय नहीं है अपितु समुदायों का संग्रह है, देश भर में फैले हुए और समन्वयकारी संस्थाओं द्वारा श्रृंखलाबद्ध लघु समूहों का संघ है।

A party is not a community but a collection of communities, a union of small groups dispersed throughout the country and linked by co-ordinating institutions. (Maurice Duverger. Political Parties 1965 page 17).

(९) राजनीतिक दल एक मुक्त, ग्राहकोन्मुख संरचना है (जो) अपने आधार तथा अपने शिखर पर भी प्रवेश्य स्थानीय आकस्मिक सामाजिक श्रेणियों की भर्ती के साथ अत्यधिक तल्लीन और इन श्रेणियों की संरचना की प्रमुख संकार्य एवं निर्णयकारी केन्द्रों के अन्तर्गत सफलता तथा पहुंच को प्रदान करने का इच्छुक है।

The party is an open, clientele oriented structure, permeable at its base as well as its apex, highly pre-occupied with the recruitment of 'deviant' social categaries and willing to provide mobility and access far these categories into the major operational and decisional centers of the structures. (S.J.Eldersweld- Political Parties - A Behavioral Analysis- 1971 page 526).

(१०) सामाजिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता में अनुवाद के हेतु अकेला सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन राजनीतिक दल है ।

The single most important instrument for the translation of social power into political power is the political party (Franz Neumann, The Democratic and the Authoritarian State (Glencoe III-Free Press,1957 page 12 - Quoted by S.J.Eldersweld Political Parties. A Behavioral Analysis 1971 page 73).

राजनीतिक दल की उपर्युक्त परिभाषाओं में अनेकता होते हुए भी एकता स्थापित करनेवाले कुछ मूलभूत तत्व पूर्ण या आंशिक रूप में अन्तर्निहित है । ये तत्व हैं सिद्धान्त, संगठन, नेतृत्व, जनसमर्थन तथा शासनेच्छा

सिद्धान्त आधार भूत तथ्य है जो कि नीतियों, विचारों एवं कार्यक्रमों का निर्देशन, नियमन एवं मूल्यांकन करते हैं । सिद्धान्त प्रत्येक व्यक्ति एवं व्यक्ति समूह के लिए अनिवार्य है अन्यथा पारस्परिक व्यवहारों का निर्धारण असम्भव तथा अनिश्चित हो जायगा, आदर्श की स्थापना कठिन हो जायगी और राजनीतिक संस्कृति की धारा अवरुद्ध हो जायगी । राजनीतिक संस्कृति की मान्यता है कि मनोवृत्ति, स्थायीभाव और बोध जो समाज में राजनीतिक व्यवहार को सूचित तथा नियंत्रित करते हैं वे तत्कालीन समसामयिक (Congeries) एकत्रित मात्रा नहीं

अपितु संयुक्त हुए आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक दूसरे के साथ सुप्रयुक्त और पारस्परिक संबलनकारी (Reinforcing) होते हैं ।[३६] एक समाज की राजनीतिक संस्कृति, अनुभवी विश्वासों, वैचारिक प्रतीकों और मूल्यों से निर्मित होती है जो कि उन परिस्थितियों को परिभाषित करती है जिनमें राजनीतिक क्रियायें घटित होती हैं ।[३७] राजनीतिक संस्कृति मनोवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और नैपुण्य (Skills) से बनती है जो सम्पूर्ण जन संख्या में वर्तमान है साथ ही साथ उन तत्व प्रवृत्तियों और आदर्शों से जो जन संख्या के किसी विभक्त भागों में उपलब्ध है ।[३८]

बहुत से राजनीतिक दल अपने सिद्धान्तों को राजनीतिक संस्कृति के विकास के हेतु समन्वित करके किसी न किसी ' वाद ' को जन्म देते हैं जैसे व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, एकात्म मानववाद आदि वादों का जन्म हुआ है । नागरिक राजकोषीय, व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक , पारिवारिक, स्थानीय, जातीय तथा राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय और राजनीतिक तथा सार्वजनिक - कुल नौ प्रकार की स्वतंत्रतायें व्यक्तिवाद का तत्व है ।[३९] व्यक्तिवाद का उदय पूंजीवाद के संघर्ष से फलस्वरूप हुआ । इसके प्रमुख सिद्धान्त हैं कि राज्य एक विकार है किन्तु जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक भी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, राज्य को यदृभाव्यम् (मुक्त व्यापार) नीति का पालन करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में ध्येय है राज्य इसकी पूर्ति का साधन है ।[४०] राजनीतिक दल व्यक्तिवाद को न्यूनाधिक मात्रा में अवश्य अंगीकार करके पोषण करते हैं ।

समाजवाद की अनेक परिभाषायें एवं शाखायें हैं जिनमें विकासवादी समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, अराजकतावादी समाजवाद, स्वप्नलोकीय समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद एवं जनतांत्रिक समाजवाद प्रमुख हैं । सभी शाखायें व्यक्तिगत सम्पत्ति पर नियंत्रण, उज्जवल तथा संतोषप्रद आर्थिक विनियोग तथा आर्थिक अवसर चाहती हैं ।[४१] भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ' जनतांत्रिक समाजवाद ' का विचार दिया है जो कि दल का पवित्र वचन है ।[४२] भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य भारतीय लोगों की प्रगति एवं कल्याण है और शान्तिपूर्ण तथा संवैधानिक उपायों से समाजवादी राज्य की स्थापना संसदात्मक जनतंत्र के आधार पर करना है ।[४३] भारतीय जनसंघ ने एकात्ममानवाद को

अपनाया है ।" व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय है । व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में चारों का ध्यान रखना होगा । चारों की भूख मिटाये बिना व्यक्ति न तो सुख का अनुभव और न अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है । सर्वांगीण विकास की कामना ही व्यक्ति को समाज हित में कार्य की प्रेरणा देती है।[44] यह स्मरण रखना चाहिए कि जहाँ पर व्यक्ति के व्यक्तित्व रूपी विभिन्न पहलू संगठित नहीं हैं, वहाँ समाज संगठित कैसे हो सकता है । इस संगठित आधार पर ही अपनी यहाँ व्यक्ति से परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता और चराचर सृष्टि का विचार किया गया । एकात्म मानववाद इसी का नाम है ।[45]

राजनीतिक दलों का निर्माण ऐसे व्यक्तियों से होता है जिनके सिद्धान्त परस्पर अधिक सन्निकट या समान होते हैं और ये सिद्धान्त दूसरों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होंगे ऐसा विश्वास एक समूह बनाने के लिए प्रेरित करता है । इस शोध में यह उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है कि राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं सदस्य अपने अपने दल के सिद्धान्तों को किस हद तक स्वयं अपनाये हैं और नागरिकों तक पहुँचाये हैं ।

राजनीतिक दल का दूसरा तत्त्व संगठन है । राजनीतिक दल अपने सिद्धान्तों का प्रचार एवं प्रसार करके अपने अनुकूल व्यक्तियों का निरंतर संग्रह करते हैं जो कि राजनीतिक दल की लोक संग्रहकारी प्रवृत्ति का परिचायक है । संपर्क में आये हुए जन समूह में से कुछ नागरिकों को सदस्य, पदाधिकारी, कार्यकर्ता , नेता एवं जन-प्रतिनिधि के रूप में शासन के दायित्वों का निर्वाह करने का प्रशिक्षण राजनीतिक दल अपने संगठन के माध्यम से देते हैं । राजनीतिक दल का संगठन उसकी शक्ति की आधार शिला है । संगठन राजनीतिक सत्ता को जानेवाली सड़क है किन्तु वह राजनीतिक स्थिरता की आधार शिला भी है और इसलिए राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है ।[46] आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आधारों पर निर्मित समुदायों की परिधि से कुछ बाहर उभरे हुए व्यक्तियों के प्रवेश के लिए राजनीतिक दल समय समय पर अपने संगठन का द्वार खोलते हैं । अपने संगठन को सबल, सफल , यशस्वी, विस्तृत और सत्ता प्राप्ति के योग्य बनाने हेतु देश, प्रदेश, जिला, विधान सभा क्षेत्र, विकास खण्ड तथा ग्राम स्तर

की इकाइयों का प्राविधान राजनीतिक दल अपने अपने संविधान के अनुसार करते हैं। राजनीतिक दलों के संगठनात्मक स्वरूप में विधान सभा क्षेत्र एवं विकास खण्ड स्तर की इकाइयों का सर्वाधिक महत्त्व है क्योंकि ये इकाइयां राजनीतिक दल का प्रधान प्रवेश द्वार है, राजनीतिक समाजीकरण की प्रशिक्षिका है, जनाकर्षण की संरक्षिका है, दल के विचारों की अन्तिम प्रकाशिका है तथा जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क-स्थापिका है। किन्तु मेरी यह परिकल्पना है कि राजनीतिक दलों की जनता से निकटतम संपर्क रखनेवाली ये संगठनात्मक इकाइयां शक्तिहीन एवं उपेक्षित हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्लाक कांग्रेस कमेटी, भारतीय जनसंघ की मण्डल समिति तथा भारतीय लोक दल की क्षेत्रीय कौंसिल, इकाइयां अध्ययन के लिए अभीष्ट प्रतीत हुई। ये इकाइयां सीमित कालावधि में सदस्यता अभियान चलाती हैं जिससे अधिक जन संग्रह तथा अल्प धन संग्रह होता है। सदस्यों की दो श्रेणी, साधारण एवं सक्रिय, विभिन्न आधारों पर इन दलों ने बनायी है। इकाइयों के पदाधिकारियों का निर्वाचन सदस्यों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करती है जो कभी कभी ईर्ष्या में परिवर्तित हो जाती है जो विघटन का बीज बनती है। सत्ता में बने रहने या विघटन से बचने के लिए उच्च इकाई के पदाधिकारी तदर्थ समिति के माध्यम से कुछ अंतरंग प्रभावी तथा अनुपेक्षणीय सदस्यों के नामों की घोषणा कर देते हैं। इकाइयों के पदाधिकारियों को दल के क्षेत्र को विस्तृत करने तथा सहयोग प्रदान करनेवाले अपने अपने आनुषंगिक एवं पुरोभाग संगठनों की बहुत कम जानकारी है ऐसा तथ्य प्रकाशित हुआ है। इकाई की बैठकें बहुत कम होती हैं और उच्च इकाइयों के पदाधिकारियों का अनियमित तथा नगण्य आगमन भी इनमें होता है। इन इकाइयों को किसी भी सदस्य के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा सदस्यता से वंचित करने का अधिकार नहीं है। इकाई के पदाधिकारियों के अलग अलग अधिकारों एवं कर्तव्यों को सुनिश्चित करने की संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। पदाधिकारियों की पदोन्नति के लिए आधारभूत तत्वों का कोई भी निरूपण दलीय संविधानों में नहीं किया गया है किन्तु व्यवहार में कौन कौन तत्व हैं इनको खोजने का प्रयास किया गया है। इन इकाइयों की नीति-निर्माण, प्रत्याशी चयन तथा धन के आय-व्यय में दल के द्वारा घोर उपेक्षा की बातें स्पष्ट हुई हैं। इन

इकाईयों की रचना, क्रियाकलाप, पदाधिकारियों की अपने दल के प्रति जानकारी, प्रवेश के उद्देश्य तथा नेतृत्व विकास की क्षमता और प्रयत्न, दल के प्रति निष्ठाजागरण एवं संबद्ध जनों की दल की विचारधारा में आस्था आदि के क्षेत्रों में होनेवाली भूमिकाओं का अध्ययन किया गया है ।

राजनीतिक दल का संगठन देश में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक वर्गों में विभाजित नागरिकों को अपना सदस्य बनाकर "राजनीतिक संगम" प्रदान करता है जिससे नागरिक की अमीरी-गरीबी, ऊँच-नीच, इस्लाम-हिन्दू सनातन तथा भारतीय पाश्चात्य आदि की पृथक शृंखलायें ढीली पड़ जाती हैं या टूट जाती हैं और नागरिक लोक हितकारी, राष्ट्रीय तथा शान्तिदायक विचारधारा में प्रवाहित होता है । राजनीतिक समैक्यता की दिशा में किये जानेवाले प्रयासों का दर्शन संगठनात्मक इकाईयों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के सौहार्दपूर्ण सहयोगात्मक तथा प्रेरक व्यवहारों से होता है किन्तु आपसी मतभेदों को प्रकट करने के लिए परस्पर वाद-विवाद के अतिरिक्त अन्य उपायों का भी सहारा लेते हैं जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है । सक्रिय राजनीति में भाग लेनेवाला नेता या कार्यकर्ता उदासीनता का शिकार क्यों हो जाता है ? कार्यकर्ता को संगठन में जीवित रखने के लिए क्या क्या उपाय किये जाते हैं ? राजनीति में प्रवेश के कौन कौन से अवय नागरिकों द्वारा अनुभव किये जाते हैं ? अपने दल की कौन कौन बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं ? क्या संगठन के पद भी वैतनिक हों ? राष्ट्रीय एकता कैसे स्थापित हो ? दल परिवर्तन के प्रति क्या धारणायें हैं ? आदि प्रश्नों पर इकाईयों के पदाधिकारियों के विचार प्रकाश में आये हैं । संगठन की कौन कौन सी विशेषतायें किस दल की इकाई में कितना विद्यमान है ? इसकी भी खोज करने का प्रयास किया गया है ।

राजनीतिक दल का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व नेतृत्व है । राजनीतिक दल समाज एवं राज्य की समस्याओं को हल करने के लिए संगठित नेतृत्व प्रदान करते हैं । नेतृत्व का प्रादुर्भाव समस्याओं से होता है ऐसी मेरी परिकल्पना है । नेतृत्व की भूमिका "निश्चित स्थिति" में ही संभव है । देश की घटनाओं ने

सिद्ध कर दिया है कि जिस राजनीतिक दल ने स्वतंत्रता के युद्ध में राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान किया वही अपने शासन के ३० वर्षों में ही जनता द्वारा अनुगामियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया गया । राजनीतिक दलों के नेता राष्ट्रीय नेता के रूप में जनता के प्रतिनिधि होकर सरकार को मूर्तरूप देकर प्रशंसकों के सुमनों की मालायें धारण करते हैं । राजनीतिक दल नेतृत्व, विकास का मंच प्रस्तुत करते हैं जिससे व्यक्ति का "स्व" विस्तृत एवं विकसित होता है ।

मेरी यह परिकल्पना है कि नेतृत्व की भूमिका राजनीतिक अनुस्थितिज्ञान (Orientation) राजनीतिक अभिग्रस्तता (Involvement) राजनीतिक आदर्शीकरण (Idealization) तथा राजनीतिक प्रव्यंजना (Manifestation) के क्रमिक चरणों में पूर्ण होती है । प्राय: जन मानस नेतृत्व का अनुभव प्रव्यंजना के समय ही करता है । लोकतांत्रिक प्रणाली में अटूट निष्ठा रखनेवाले राजनीतिक दलों के अन्तर्गत लोकतांत्रिक एवं प्राधिकारवादी दोनों प्रकृति के नेता होते हैं । नेता का "अहं" दल में गुट बन्दी उत्पन्न करने का प्रमुख कारण होता है और इससे ही अनुशासन हीनता पुष्पित एवं पल्लवित होती है । अत: राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे अपने में लोकतांत्रिक नेतृत्व को विकसित करने की विशेष चेष्टा करें ।[४७]

राजनीतिक दल के अन्तर्गत आदर्शवादी तथा अवसरवादी, वास्तविक तथा नाम मात्र ; वंशानुगत तथा परिस्थिति जन्य ; गुटप्रिय, वर्ग प्रिय , जाति प्रिय तथा जनप्रिय, पदारूढ़ तथा अपदारूढ़ आदि प्रकार के नेता न्यूनाधिक मात्रा में अवश्य होते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दल नेताओं की निर्माणशाला एवं प्रयोगशाला है । राजनीतिक दल अपने को शक्तिशाली एवं प्रभुत्व संपन्न करने के लिए अपने अनुगामियों का "सिद्धान्त बोधन" (Indoctrination) करते हैं ; नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा देकर तनाव शिथिलन, दलों में समन्वय, जनता एवं सरकार में संतुलन जनस्वरोच्चारण एवं निदेशन तथा प्रशासन का सेवोन्मुखीकरण करते हैं ; राजनीतिक मूल्यों का विचार एवं प्रचार, राजनीतिक नैतिकता का निर्धारण, प्रतिपालन एवं अभिरक्षण, दल का प्रतीकीकरण , नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन तथा राजनीतिक शैली का विकास करते हैं । मेरी यह परिकल्पना है कि राजनीतिक नेताओं के व्यवहार

लिए गम्भीर चुनौती है । मेरी इस परिकल्पना को भी पर्याप्त बल मिला है कि राजनीतिक नेताओं के लिए संयुक्त परिवार सर्वोत्तम जलवायु प्रदान करता है । राजनीतिक दलों के नेता अपने दल को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या कार्य करते हैं ? क्या नेतृत्व को विकसित करने के लिए एक पाठ्यक्रम की आवश्यकता है ? क्या सभी दलों के नेताओं को परस्पर मिलकर राष्ट्रीय विकास को नई दिशा देनी चाहिए ? आदि प्रश्नों पर नेताओं के विचार लिए गये हैं ।

राजनीतिक दल का चतुर्थ तत्व जन समर्थन है । जन समर्थन राजनीतिक दल के सिद्धान्तों, संगठन तथा नेतृत्व की सफलताओं एवं असफलताओं का माप दण्ड है । जन समर्थन राजनीतिक दल को अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने तथा नवीन दिशाग्रहण करने के लिए प्रकाश देता है । जन समर्थन राजनीतिक दल का प्राणाधार है और शासनेच्छा की पूर्ति का साधन है । जन समर्थन प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल समाज में अपनी भूमिकायें एवं कार्य करते हैं जो परिवेश (Environment) के उद्दीपनों (Stimuli) का प्रत्युत्तर (Response) होता है । किस दल की ओर कितना जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है ? की जानकारी के लिए दल की सदस्य संख्या, दल के जन प्रतिनिधियों की संख्या, आर्थिक सहयोग की मात्रा और निर्वाचनों में प्राप्त मतों की संख्या पर दृष्टि डालनी चाहिए । लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए प्रबुद्ध, जागृत तथा सजग जनमत अनिवार्य है जिसके लिए राजनीतिक दल प्राणपण से कार्य करते हैं । किसी भी दल के पक्ष में जनता द्वारा जो क्रियाकलाप किये जाते हैं वे सभी जन समर्थन के अंग हैं । राजनीतिक दल जन प्रतिनिधियों के निर्वाचन में अपने दल से प्रत्याशी खड़ा करते हैं, चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित करते हैं तथा जन संपर्क माध्यमों से जनता के सब से बड़े हितैषी होने का दावा प्रस्तुत करते हैं जो कि अधिकाधिक जनसमर्थन प्राप्त करने का प्रयास है । मेरी यह परिकल्पना है कि जनसमर्थन प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल क्रमशः जातिवाद, प्रलोभन, आश्वासन, तात्कालिक लाभ तथा सिद्धान्त का सहारा लेते हैं और वैध सीमा से अधिक धन का व्यय निर्वाचनों में करते हैं । जो राजनीतिक दल वांछित जनसमर्थन प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है उसे मान्यता से भी वंचित होना पड़ता है ।

जन समर्थन की कामना से राजनीतिक दल लोक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए हित सम्बन्धि योजन एवं समूहन (Interest Articulation and Aggregation)[४७] तथा राजनीतिक समाजीकरण करते हैं जिसके लिए सभा, जुलूस, सत्याग्रह, सम्मेलन, प्रदर्शन, हड़ताल एवं आन्दोलन आदि के उपाय अपनाये जाते हैं। राजनीतिक दल जन समर्थन की अभिवृद्धि के लिए राजनीति का आधुनिकीकरण (Modernization) करते हैं जिसमें सर्वोत्कृष्ट तथा अभिनव राजनीतिक दृष्टियों का अभिग्रहण होता है। राजनीति के आधुनिकीकरण ने राजनीति में प्रत्येक को भाग ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया है। राजनीति में अधिकाधिक भाग लेने के अवसरों एवं उपायों की अभिवृद्धि ने राजनीतिक दलों को संगठित जनसमर्थन प्राप्त करने की ओर अग्रसर किया है। जन समर्थन के आधार पर निर्वाचनों में दल के प्रत्याशियों की प्रतिभूति (Security) राज्यसात (Farfeit) अथवा सुरक्षित होती है और बहुमत मिलने पर सरकार बनाने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। जन समर्थन के अभाव में राजनीतिक दल मृत्यु के सन्निकट पहुंच जाता है।

राजनीतिक दल का पंचम तत्व शासनेच्छा है। प्रत्येक राजनीतिक दल की शासन करने की अर्थात् अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने का प्राधिकार प्राप्त करने की इच्छा अवश्य होती है, यदि शासन करने का अवसर नहीं मिलता तो शासक दल पर अंकुश रखने की महत्त्वाकांक्षा अन्तःकरण में अवश्य संजोयी रहती है। राजकीय निर्णयों को अपने पक्ष में करने या कराने की जो उत्कट अभिलाषा राजनीतिक दल के प्रत्येक घटक में होती है वह शासनेच्छा है। राजनीतिक दल के घटकों की इकाईयों, समितियों, आनुषंगिक तथा पुरोभाग संगठनों में पदाधिकारी बनने से शासनेच्छा की आंशिक पूर्ति अवश्य होती है। उच्च इकाईयों के पदाधिकारियों अथवा दल के जन प्रतिनिधियों के व्यवहारों को देखने से यह आभास होता है कि ये दल के सदस्यों को अपना अनुगामी समझते हैं सहयोगी नहीं क्योंकि वे व्यक्ति निष्ठा को मूल्यांकन का निर्णायक आधार बनाते हैं। सामान्य नागरिकों द्वारा राजनीतिक दल को सरकार बनाने की इच्छा रखनेवाले व्यक्तियों का समूह अनुभव किया जाना यह स्पष्ट करता है कि शासनेच्छा की पूर्ति राजनीतिक दलों का लक्ष्य है।

अतः उपर्युक्त तत्वों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक

दल समान सिद्धान्तों के आधार पर संगठित नेतृत्व प्रदान करनेवाला गतिशील समुदाय है जो जनसमर्थन के माध्यम से शासनेच्छा की पूर्ति चाहता है ।

राजनीतिक समाजीकरण

समाज ने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक समुदायों एवं संस्थाओं को अपनी प्रगति के साथ जन्म दिया है और उनमें आवश्यक एवं समय के अनुसार परिवर्तन करके उनके स्वरूपों का निर्धारण किया है । राज्य भी समाज की एक देन है । व्यक्ति अपने अन्तर्गत ऐसे मूल्यों एवं विश्वासों का सृजन करे जिससे राज्य शक्तिशाली एवं वैभव संपन्न बन सके तथा अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सके उसके निमित्त व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को नियमित नियंत्रित, प्रशिक्षित, संयोजनशील तथा एक समान बनाना अनिवार्य है । व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार राज्य की आवश्यकताओं परंपराओं, प्रथाओं, कानूनों तथा शासन प्रणाली के अनुकूल हो उसके लिए प्रयास राजनीतिक समुदाय करते हैं यद्यपि अराजनीतिक समुदाय एवं समितियां भी राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयास करती मिली है । राज्य के भूखण्ड पर बिखरे हुए नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार को राज्य एवं समाज के लिए उपयोगी बनाने का कार्य परिवार, विद्यालय, राजनीतिक संस्थायें, प्रशासन एवं राजनीतिक दल करते हैं । नागरिक का राजनीतिक व्यवहार उसकी मानसिक संरचना में उपस्थित राजनीतिक विचारों, मूल्यों एवं विश्वासों का परिणाम है अर्थात् उसकी राजनीतिक संस्कृति की देन है । राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें नागरिकों द्वारा राजनीतिक संस्कृति का धारण एवं परिवर्तन किया जाता है ।[४९] राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया है ।[५०] राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति के द्वारा व्यक्ति, समूह एवं राष्ट्र में राजनीतिक चेतना को विकसित करने की प्रक्रिया है जिससे वर्तमान या भावी राजनीतिक समाज में उनकी भूमिकायें सुनिश्चित एवं धारण या परिवर्तित की जाती हैं ।

मेरी परिकल्पना है कि राजनीतिक दल राजनीतिक समाजीकरण के एक शक्तिशाली अभिकरण हैं । राजनीतिक समाजीकरण पर सब से पहले एल्बर्ट

एच० हाइमन ने सन् १९५९ ई० में प्रकाश डाला जिसमें राजनीतिक व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया और निष्कर्ष दिया गया कि राजनीतिक व्यवहार राजनीतिक समाजीकरण का फल है [५१] राजनीतिक दल नागरिकों का राजनीतिक समाजीकरण तीन स्तरों से करता है प्रथम-राजनीतिक अनुस्थिति ज्ञान, द्वितीय - राजनीतिक भाग ग्रहण एवं तृतीय राजनीतिक संज्ञान (Cognition) । इस शोध में राजनीतिक भाग ग्रहण एवं संज्ञान पर ही प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

नागरिक राजनीतिक दल के संपर्क में सर्व प्रथम उसका समर्थक बनकर आता है फिर क्रमश: सदस्य, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता तथा जन प्रतिनिधि की भूमिकाओं को सीखता है । सभा, आन्दोलन तथा आर्थिक सहयोग में भाग ग्रहण करके नागरिक दल के और निकट आता है जिससे उसकी सुप्त राजनीतिक चेतना जागृत होती है । राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों, गतिविधियों, संगठनात्मक स्वरूपों तथा समस्याओं के प्रति समाधानों का अवलोकन करके नागरिक प्रत्येक दल के विषय में अपनी धारणायें बनाता है, स्वयं को किसी के पक्ष या विपक्ष में होने का आधार ढूंढता है तथा अपने अनुकूल वाले राजनीतिक दल की सत्ता का उत्सुक हो जाता है । राजनीतिक दलों के संपर्क में आने से नागरिकों की प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है । व्यक्तिगत संपत्ति विवाह में वर-कन्या की स्वतंत्रता , सब से सुखी कौन ? सब से प्रिय नेता की बात, वस्तुओं के मूल्य , जातीय भेदभाव, धार्मिक क्रियाओं, धर्म एवं राजनीति, वर्ण व्यवस्था तथा राजनीतिक नेताओं के प्रति, नागरिकों की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया गया है । मेरी यह परिकल्पना है कि राजनीति में अधिक सक्रियता का उद्देश्य स्वार्थ सिद्धि, धनोपार्जन एवं प्रतिष्ठा प्राप्ति है ।

वर्तमान समय में दल परिवर्तन जैसी राजनीतिक व्याधियों पर नागरिकों की निर्विवाद धारणा है कि चुनाव जीत जाने के बाद किसी भी जन प्रतिनिधि को अपना दल नहीं बदलना चाहिए और यदि वह दल परिवर्तन करे तो पुन: जनादेश प्राप्त करना अनिवार्य हो । सरकार की आर्थिक योजनाओं, कानून, सुरक्षा-व्यवस्था के प्रति नागरिक कितना संवेदनशील है? या ये राजनीतिक भाग ग्रहण को कितना प्रभावित करते हैं ? इस पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है । " संघर्ष से विकास

के दर्शन पर नागरिकों की आस्था जानने का प्रयत्न किया गया है ।

राजनीतिक भाग ग्रहण का अंतिम भाग मतदान है । नागरिक मतदान को कितनी वरीयता देते हैं ? कितने दलों के मतयाचकों को झूठा आश्वासन देते हैं । मतदान में किससे परामर्श करते हैं । राजनीतिक दल मतदान को अपने पक्ष में कराने के लिए कितना प्रयास करते हैं ? अराजनीतिक संगठन मतदान पर कितना प्रभाव डालते हैं ? आदि प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है । राजनीतिक दलों के द्वारा मतदाता पर बहुत दबाव अपने पक्ष में मतदान के लिए डाला जाता है किन्तु मतदाता अपने निर्णय का आधार क्या बनाता है ? और अन्तिम निर्णय कब करता है ? को खोजने का प्रयास किया गया है । मतदाता एक चुनाव में जिस दल को मत देता है उसे दूसरे चुनाव में भी मत देगा यह आंशिक सत्य है । मेरी परिकल्पना है कि क्रमश: पिछड़ी, अनुसूचित एवं मुसलमान जाति के मतदाता मतदान के प्रति अधिक सचेष्ट रहते हैं । मतदान के प्रति उदासीनता के कारणों की खोज करने का प्रयास किया गया है । ईमानदारी तथा देश भक्ति के मूल्यों का वर्तमान समाज के नागरिकों में कितना महत्व प्राप्त है ? इसे जानने का प्रयास किया गया है । मेरी यह परिकल्पना है कि सब से कम ईमानदारी के परिचय क्रमश: पुलिस, वकील एवं राजनीतिक नेताओं द्वारा दिये जाते हैं ।

नागरिकों का राजनीतिक संज्ञान एक ओर राजनीतिक अनुस्थिति - ज्ञान तथा राजनीतिक भाग ग्रहण का परिणाम है तो दूसरी ओर इन दोनों को प्रभावित करनेवाला कारक भी है ।

ऊपर के चित्र से स्पष्ट है कि प्रत्येक पक्ष शेष दो पक्षों को प्रभावित करता है तथा उनसे प्रभावित भी होता है अर्थात् इन तीन पक्षों में अंत:क्रिया होती है । नागरिकों का राजनीतिक व्यवहार उनकी मानसिक संरचना (संज्ञान) तथा उपस्थित वातावरण (अनुस्थितिज्ञान) के प्रत्युत्तर में की जानेवाली भूमिका (भागग्रहण) है । राजनीतिक संज्ञान राजनीतिक दलों के अलावा साहित्यों, संचार साधनों एवं घटनाओं के माध्यम से भी पहुँचता है । भारत के राजनीतिक दलों के नाम, अपने विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचन में विभिन्न दलों को प्राप्त स्थान तथा दीक्षित नेताओं के विषय में कितनी जानकारी है ? इसको खोजने का प्रयत्न किया गया है । राजनीतिक दलों के द्वारा निर्वाचन में किये जानेवाला व्यय किन किन रूपों में नागरिक अनुभव करते हैं इसको प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है । मेरी यह परिकल्पना है कि कांग्रेस को चुनावों में विजय प्रदान करने में हरिजनों एवं मुसलमानों का समर्थन, सत्ता, अनेक विरोधी दल, अधिक धन-व्यय तथा गौरवपूर्ण अतीत सहायक है ।

क्या चुनावों से जनता में संघर्ष बढ़ा है ? क्या निर्वाचनों में पूर्ण ईमानदारी की जाती है ? के विषय में भी धारणाओं का अध्ययन हुआ है । विधान सभा क्षेत्र की कौन कौन प्रमुख समस्यायें हैं ? का नागरिकों को कितना ज्ञान है इसकी खोज करने का प्रयास किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक समस्यायें स्वयं राजनीतिक समाजीकरण को गति प्रदान करती हैं ।

नागरिकों को राजनीतिक संस्थाओं, अधिकारियों एवं उनकी शक्तियों का ज्ञान कितना है ? इसको समझने के लिए विकास खण्ड से ऊपर राष्ट्रपति तक के मध्य की प्रमुख संस्थाओं तथा प्राधिकारियों से संबंधित ज्ञान स्तर की खोज की गयी है । मेरी परिकल्पना है कि उच्च जाति एवं मुसलमान नागरिकों का राजनीतिक समाजीकरण अन्य जातियों के नागरिकों की अपेक्षा अधिक हुआ है किन्तु राजनीतिक दलों के सदस्यों का राजनीतिक ज्ञान स्तर सब से अधिक है । मेरी यह परिकल्पना है कि राजनीतिक दल राजनीतिक समाजीकरण के शक्तिशाली अभिकरण हैं ।

राजनीतिक दल तथा राजनीतिक समाजीकरण के अध्ययन के लिए सोरांव विधान सभा क्षेत्र का चयन निम्नलिखित कारणों से किया गया :-

(१) स्वतंत्रता के आन्दोलन में "नमक सत्याग्रह" का उत्तर प्रदेश में सब से पहले आरम्भ हंडिया विधान सभा क्षेत्र से हुआ था ।

(२) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इलाहाबाद जिले में सब से अधिक संख्या हंडिया विधान सभा क्षेत्र में है ।

(३) स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात् में भी स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू का इस क्षेत्र से घनिष्ट संपर्क रहा ।

(४) भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक अंग है ।

(५) सन् १९५२ ई० से लेकर सन् १९६२ ई० तक के सामान्य निर्वाचनों में अ० भा० राष्ट्रीय कांग्रेस का विधायक रहा और इसके पश्चात् अन्य दलों के विधायक हुए जो कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं स्थिरता का संकेत देते हैं ।

(६) हंडिया विधान सभा क्षेत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (सता और संगठन) भारतीय जनसंघ, किसान मजदूर प्रजापार्टी, प्रजा समाजवादी दल, समाजवादी दल, संयुक्त समाजवादी दल, रामराज्य परिषद्, हिन्दू महासभा, शोषित दल, मुसलिम मजलिस, रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय क्रान्तिदल, भारतीय लोक दल तथा नवजात जनता पार्टी का युद्ध क्षेत्र रहा है ।

(७) सन् १९७४ ई० के सामान्य निर्वाचन में प्राय: सभी दलों ने भाग लिया । इस विधान सभा निर्वाचन में कुल १३ प्रत्याशी रहे जिसमें ७ ब्राह्मण, १ क्षत्रिय, १ यादव, १ बिन्द, १ विश्वकर्मा, १ लोनियां तथा १ चमार, जातियों के प्रतिनिधि रहे जो कि राजनीतिक भाग ग्रहण एवं चेतना का अनोखा चित्र प्रस्तुत करता है ।

(८) अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अब तक सम्पन्न हुए सभी विधान सभा चुनावों में इस हंडिया विधान सभा क्षेत्र से ब्राह्मण प्रत्याशी का ही चयन किया जब कि अन्य राजनीतिक दलों ने भिन्न भिन्न जातियों के प्रत्याशी खड़े किये हैं ।

(९) हंडिया विधान सभा क्षेत्र इलाहाबाद नगर से २१ किलो मीटर पूरब से प्रारम्भ होता है जिस पर नगरीकरण का भी प्रभाव पड़ा है ।

(१०) हँडिया विधान सभा क्षेत्र में एक डिग्री कालेज, एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय, एक पालिटेक्निक कालेज, छः इण्टर कालेज, पाँच हाई स्कूल , दस जूनियर हाई स्कूल तथा प्राथमिक विद्यालय राजनीतिक दलों के अलावा राजनीतिक समाजीकरण में योगदान कर रहे हैं ।

(११) हँडिया विधान सभा क्षेत्र में तहसील मुख्यालय, थाना, विद्युत उपकेन्द्रों, विकास खण्ड कार्यालयों, नलकूप प्रखण्डों, दूरभाष केन्द्र, रेलवे स्टेशनों, डाकालयों, अस्पतालों, बैंकों, रोडवेज स्टेशन आदि की उपस्थिति प्रगति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जिससे नागरिकों का अनवरत राजनीतिकरण (Politicization) हो रहा है ।

(१२) हँडिया विधान सभा क्षेत्र में युवक कांग्रेस, भारतीय किसान संघ (परिषद्) विश्व हिन्दू परिषद्, जमायते इस्लाम, यादव सभा, बिन्द सभा, कुशवाहा संघ, हरिजन विद्यार्थी कल्याण संघ, मानस प्रचार समिति, हलवाई संघ, व्यापारी संघ, बीड़ी मजदूर संघ, सहकारी समितियाँ, सहकारी संघ, न्यास समितियाँ (Trust Committee) ग्रामोद्योग संघ, विद्यालय प्रबन्ध समितियाँ आदि अराजनीतिक संगठन एवं समितियाँ राजनीतिक जागरूकता का परिचय देती है ।

(१३) हँडिया विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतें , न्याय पंचायतें, विकास खण्ड समितियाँ, टाउन एरिया कमेटी आदि नागरिकों को सत्ता में भाग ग्रहण करने का अवसर एवं प्रशिक्षण दे रही है ।

(१४) हँडिया विधान सभा क्षेत्र से अब तक केवल ब्राह्मण एवं यादव जातियों के ही विधायक हुए हैं जो कि उच्च वर्ण एवं पिछड़े वर्ग में राजनीतिक सत्ता ग्रहण की क्षमताओं के विकास का परिचय प्रस्तुत करते हैं ।

(१५) हँडिया विधान सभा क्षेत्र से आपातकाल के विरोध में जिले के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से अधिक सत्याग्रही कारागार में बन्दी बनाये गये ।

पद्धति

इँडिया विधान सभा क्षेत्र में राजनीतिक दलों का उद्भव एवं विकास के अन्वेषण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों, उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके ग्राम के सदस्यों से साक्षात्कार किये गये हैं जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में तथ्य मिले हैं। भारतीय जनसंघ, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा समाजवादी दल, समाजवादी दल, संयुक्त समाजवादी दल, भारतीय क्रान्ति दल, भारतीय लोक दल, हिन्दू महासभा , रामराज्य परिषद्, मुस्लिम मजलिस तथा रिपब्लिकन पार्टी आदि के उद्भव एवं विकास का क्रम इन दलों से संबंधित प्रमुख , सक्रिय एवं अन्तरंग व्यक्तियों से साक्षात्कार करके तथ्य प्रकट करने का प्रयास किया गया है। राजनीतिक दल जिनका संगठनात्मक स्वरूप प्रमाणित रहा तथा उनके विषय में गहराई से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इँडिया विधान सभा क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्लाक कांग्रेस कमेटियाँ, भारतीय जनसंघ की मण्डल समितियाँ तथा भारतीय लोकदल की क्षेत्रीय कौंसिल - इकाइयाँ गठित मिलीं जिनके पदाधिकारियों में से कुल १४ पदाधिकारियों का सम संभाविक प्रवरण (Random Selection) करके साक्षात्कार किये गये हैं। पदाधिकारियों से साक्षात्कार में प्रश्नावली का प्रयोग किया गया जिसमें दो प्रकार उत्तर संचित (Structured) तथा मुक्त उत्तर (Open end) के प्रश्न रहे हैं। पदाधिकारियों से साक्षात्कार में प्रयुक्त प्रश्नावली परिशिष्ट 'क' में दी गई है। प्रत्येक पदाधिकारी से साक्षात्कार में दो से तीन घण्टे तक का समय लगा जिसके लिए किसी किसी पदाधिकारी के साथ दो बार बैठना पड़ा है।

नेतृत्व से संबंधित तथ्यों के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं का असंभाविक प्रवरण करके कुल १६ नेताओं से मुक्त उत्तर प्रश्नावली के माध्यम से साक्षात्कार किये गये। नेताओं से प्रत्येक साक्षात्कार में एक से दो घण्टे तक का समय लगा है जिसको निर्धारित एवं प्राप्त करने में अनेक बार भी प्रयास करने पड़े हैं। नेताओं से साक्षात्कार में प्रयुक्त प्रश्नावली परिशिष्ट 'ख' में दी गई है।

राजनीतिक समाजीकरण के अध्ययन के लिए संपूर्ण विधान सभा क्षेत्र

से ७६ नागरिकों का अभ्यंश (Quota) निर्धारित किया गया जिसमें से ३६ उच्च जाति, २० पिछड़ी जाति, १० अनुसूचित जाति तथा १० मुसलमान नागरिकों का अभ्यंश भी निश्चित किया गया और कम से कम ६० मतदान केन्द्रों (Polling Booths) का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का निश्चय हुआ । नागरिकों के न्यादर्श (Sample) जाति, आयु, शिक्षा, व्यवसाय आदि संभव आधारों पर कम संख्यिक प्रवरण से प्राप्त किये गये हैं । उपर्युक्त आधार पर प्रवरण किये हुए नागरिक से साक्षात्कार किया गया जिसमें प्रश्नावली का प्रयोग किया गया । प्रश्नावली में उत्तर सहित तथा मुक्त उत्तर दोनों श्रेणियों के प्रश्न समाविष्ट किये गये हैं जिसे परिशिष्ट " ग " में दिया गया है । प्रत्येक नागरिक से साक्षात्कार में एक से दो घण्टे तक का समय लगा है । आपातकालीन घोषणा २६ जून, १९७५ ई० को हो जाने से नागरिकों में संदेह एवं भय का वातावरण व्याप्त हो गया जिससे अनेक प्रवरण किये हुए नागरिकों ने या तो साक्षात्कार देने में असमर्थता प्रदर्शित की या कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात " अब नहीं बता सकते " कहकर साक्षात्कार को भंग कर दिया । आपातकालीन घोषणा के पूर्व १५ मध्य ४४ तथा पश्चात में १७ नागरिकों से साक्षात्कार किये गये हैं ।

शोध से संबंधित सभी साक्षात्कार शोधकर्ता के द्वारा ही संपन्न किये गये हैं । संगठन के पदाधिकारियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और नागरिकों से साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए उनके परिचित व्यक्तियों के माध्यम से पहुंच हो पायी है । साक्षात्कार के निमित्त उपयुक्त तथा वांछित नागरिकों से भेंट कराने में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के सहयोग प्राप्त हुए हैं । सभी साक्षात्कार नियंत्रित वातावरण (अर्थात् जिसमें शोधकर्ता एवं साक्षात्कार किये जानेवाला व्यक्ति ही उपस्थित रहे हैं) में किये गये हैं और इससे संबंधित सभी सावधानियां अपनायी गई है । प्रश्नावलियों के निर्माण में एस० के० इल्डसवेल्ड की पौलिटिकल पार्टीज़- ए बिहैवोरियल एनालिसिस के परिशिष्ट से कुछ दिशा प्राप्त की गई है । प्रश्नावली में एक तथ्य को वास्तविक रूप से खोजने के लिए उससे संबंधित प्रश्नों को बिखेर दिया गया है । प्रश्नावलियों का प्रमापण (Standardization) करके प्रयोग किया गया है ।

सन्दर्भ-संकेत:-

१- राजनीतिक दलों के विकास-विज्ञान का ज्ञाता ; स्टैसियोलाजी शब्द से निर्मित जिसका प्रयोग स० डुवरजर ने पोलिटिकल पार्टीज़ १९५५, पृष्ठ ४२२ पर किया है ।

२- स० डुवरजर, पोलिटिकल पार्टीज़ , १९५५, परिचय के पृष्ठ २४-२५ ।

३- वही, पृष्ठ ३५ ।

४- रच० हार्टमैन, पोलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, १९७१, पृष्ठ ४८ ।

५- डा० राजेन्द्र प्रसाद , खण्डित भारत, १९४७, पृष्ठ ३१ ।

६- स० वाइनर, पार्टी पालिटिक्स इन इंडिया, १९५७ ।

७- ए० स० जैदी, दी ऐनुवल रजिस्टर आफ़ इंडियन पोलिटिकल पार्टीज़, १९७४, पृष्ठ ३५७ ।

८- ४ पृष्ठ ८०-८१ ।

९- ७ पृष्ठ १९९ व ५९३ ।

१०- शंकर घोष, सोशलिज़्म एण्ड कम्युनिज़्म इन इंडिया १९७१ पृष्ठ २९ ।

११- स० वाइनर, पार्टी बिल्डिंग इन न्यू नेशन, १९६७ पृष्ठ २ ।

१२- स० वाइनर, पार्टी पालिटिक्स इन इंडिया १९५७ ; पार्टी बिल्डिंग इन न्यू नेशन, १९६७ ।

१३- स० डी० पामर, दी इंडियन पोलिटिकल सिस्टम, १९६१ ।

१४- ए० फ्रारलैण्ड बरपर, क्यौलिशन इन ए डामिनेन्ट पार्टी सिस्टम ।

१५- वेबस्टर, दी जनसंघ ।

१६- एच० हार्टमैन, पोलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, १९७१ ।

१७- रजनी कोठारी, पालिटिक्स इन इंडिया, १९७० ।

१८- माइकेल ब्रेचर, पोलिटिकल लीडर शिप इन इंडिया, ऐन एनालिसिस आफ़ इलाइट एटीच्यूड, १९६९ ।

१९- शंकर घोष, सोशलिज़्म एण्ड कम्युनिज़्म इन इंडिया, १९७१ ।

२०- ए० एम० जैदी, दी ऐनुवल रजिस्टर आफ इंडियन पोलिटिकल पार्टीज़, प्रोसीडिंग्स एण्ड फण्डामेण्टल टैक्सट्स, १९७३-७४ ।

२१- एस० पी० वर्मा, इकबाल नारायण एण्ड एसोसिएट्स, वोटिंग बिहेवियर इन ए चेंजिंग सोसायटी (ए केस स्टडी आफ दी फोर्थ जनरल इलेक्शन इन राजस्थान) १९७३ ।

२२- एस० के० मुखर्जी, इलेक्शन्स टू दी हावड़ा पार्लियामेन्ट्री कान्स्टीच्यूवेन्सी, १९७१ विद रिफरेन्स टू थ्री असेम्बली कान्स्टीच्यूऐन्सिज वेयर अण्डर, १९७५ ।

२३- राबर्ट माइकेल्स, पोलिटिकल पार्टीज़, १९५८ ।

२४- एम० डुवरजर, पोलिटिकल पार्टीज़, १९६५ ।

२५- जे० जय० पोलिटिकल पार्टीज़ एन्ड १९६८ ।

२६- आल्विन जैड रुबीस्टीन, कम्युनिस्ट पोलिटिकल सिस्टेम्स, १९६६ ।

२७- एस० पी० हन्टिंगटन, पोलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसायटी, १९७५ ।

२८- एस० जे० इल्डर्सवेल्ड, पोलिटिकल पार्टीज़ : ए बिहेवीरियल एनालिसिस, १९७१ ।

२९- एम० एम० हाउसमन, पोलिटिकल सोसलाइजेशन, १९७२ ।

३०- एल० डब्ल्यू० पाई ; पोलिटिकल कल्चर एण्ड पोलिटिकल डिवलपमेण्ट, १९६५ ; आसपेक्ट्स आफ पोलिटिकल डिवलपमेन्ट्स १९७२ ; कम्युनिकेशन एण्ड पोलिटिकल डिवलपमेन्ट, १९७२ ।

३१- एच० ई० एस० जे० इल्डर्सवेल्ड तथा एम० जेनोविट्ज - पोलिटिकल बिहेवियर ए रीडर इन थ्युरी एण्ड रिसर्च, १९७२ ।

३२- एलेन आर० विलकाक्स, पब्लिक ओपिनियन एण्ड पोलिटिकल एटीट्यूड, १९७४ ।

३३- डेविड ईस्टन जैक डेनिस, चिल्ड्रेन इन पोलिटिकल सिस्टेम, १९६९ ।

३४- जी० ए० आलमोण्ड, कम्पैरेटिव पालिटिक्स - ए डेवलपमेण्टल अप्रोच, १९७५ ।

३५- गिरिराज शाह, इंडिया रीडिसकवर्ड, १९७५ ।

३६- एस० डब्ल्यू० पाई एण्ड सिडनी व र्बा, संकलित पौलिटिकल कल्चर एण्ड पौलिटिकल डिवलपमेण्ट,१९६५, पृष्ठ ७ (भूमिका से)

३७- सिडनी वर्बा, पूर्वोक्त, पृष्ठ ५१३ ।

३८- जी० ए० आल्मोन्ड, कम्पेरेटिव पालिटिक्स, १९७५ पृष्ठ २३ ।

३९- डा० बम्बादत्त पन्त : मदन गोपाल गुप्ता, हरीमोहन जैन, राजनीति शास्त्र के आधार , द्वितीय भाग, पृष्ठ १३२ ।

४०- डा० विमलेश , आधुनिक राजनीतिक विचारधारायें १९६१ , पृष्ठ २, ३६-३७।

४१- एफ० डब्ल्यू० कोकर, रिसेन्ट पौलिटिकल थाट ,१९३४ , पृष्ठ ३७ ।

४२- मोहन धारिया, रिक्वीजीशन्ड मीटिंग आफ ए०आई०सी० सी०, नवम्बर २२-२३, १९६९ , सोविनियर, पृष्ठ ३१ ।

४३- कान्स्टीच्यूशन आफ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस (२१ जुलाई,१९७४ को संशोधित) अनुच्छेद १ पृष्ठ १ ।

४४- भारतीय जनसंघ सिद्धान्त एवं नीति ,पृष्ठ ३-४ ।

४५- दत्तोपन्त ठेंगड़ी, एकात्म मानववाद- एक अध्ययन, पृष्ठ ३४ ।

४६- एस० पी० हन्टिंगटन, पौलिटिकल आर्डर इन चैंजिंग सोसाइटी, १९७५,पृ० २५२ ।

४७- एम० डुवरजर, पौलिटिकल पार्टीज़, १९६५ , पृ० १३४ ।

४८- जी० ए० आल्मोन्ड , कम्पेरेटिव पालिटिक्स, १९७५ पृष्ठ १०२ ।

४९- वही, पृष्ठ ६४ ।

५०- एम० एच० हाफमन, पौलिटिकल सोशलाइजेशन, १९७२ , प्रीफेस

५१- उपर्युक्त,पृष्ठ १३५ ।

अध्याय - २

इँडिया विधान सभा क्षेत्र में राजनीतिक दलों का उद्भव तथा विकास

इँडिया विधान सभा क्षेत्र की रंगभूमि पर समय के साथ दूरगामी अथवा तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक दलों का अभिनय होता रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रयाग जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में सर्वप्रथम इँडिया को ही तपोभूमि बनाया। स्वतंत्रता के पश्चात् कांग्रेस की कर्मभूमि भी इँडिया बनी। किसान मज़दूर प्रजा पार्टी, प्रजा समाजवादी दल, समाजवादी दल, संयुक्त समाजवादी दल, भारतीय क्रान्तिदल, भारतीय लोकदल, मुस्लिम मजलिस, रिपब्लिकन दल, साम्यवादी दल, रामराज्य परिषद्, भारतीय जनसंघ, हिन्दू महा सभा तथा नवोदित जनता पार्टी आदि राजनीतिक दलों के प्रत्याशी निर्वाचन - समरांगण में अपने पौरुष का परिचय देते रहे हैं जिनका विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

भारत की अपार संपदा, प्राकृतिक सुषमा और सर्वोत्कृष्ट संस्कृति की कीर्ति-कौमुदी विश्व भर में विस्तीर्ण हुई जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन, दर्शन एवं अवगाहन के निमित्त शक, हूण, यवन आदि के आगमन एवं आक्रमण हुए। पराजित परकीयों ने अपने अपने देशों में लौटकर भारत के शौर्य का प्रचार किया। भारतीय शासकों के पारस्परिक कलह के फलस्वरूप तथा यवनों के अनेक प्रयासों से पराधीनता का युग प्रारंभ हुआ। यवनों के पाशविक, क्रूर, जघन्य एवं नरसंहारक अत्याचारों से भारतीय आत्मा सिहर उठी और यथासंभव प्रतीकार विभिन्न रूपों में किया। व्यापार की आड़ में अंग्रेज़ों ने शासकों को छलकर अपना शासन स्थापित किया और भारत पराधीनता में पिसने लगा। अंग्रेज़ी शासन से मुक्ति के लिए भारतीयों ने अनेक प्रयास किये जो भारतीय स्वतन्त्रता के इतिहास का कलेवर है। भारतीय पौरुष १८५७ ई० के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप में प्रकट हुआ किन्तु सफलता तो नहीं मिली परन्तु अंग्रेज़ी शासनतंत्र को प्रबल आघात पहुंचा। भारतीय जनता की मनोवृत्ति को समझने, दिशा निर्देशन करने तथा बौद्धिक युद्ध-भूमि

बनाने के लिए ३१ दिसम्बर १८८५ ई० को मिस्टर ए० ओ० ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया । १८८८ ई० में जार्ज यूल ; १८९२ ई० में श्री उमेश चन्द्र बनर्जी और १९१० ई० में विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता[1] में प्रयाग के पावन भू भाग पर तीनों सम्मेलन हुए । १९०५ ई० के बंग-भंग ने भारतीय मानस को विक्षुब्ध कर दिया और समाज का प्रबुद्ध वर्ग राष्ट्रीयता की धारा में कूद पड़ा । महाभारत काल में जो हँडिया महत्वपूर्ण रही वह स्वाधीनता के संघर्ष में पीछे कैसे रह सकती थी । हँडिया तहसील के केवलापुर प्राथमिक पाठशाला के सम्माननीय अध्यापक श्री पं० टीकाराम त्रिपाठी निवासी जमुनीपुर (रामनाथ पुर रेल्वे स्टेशन के दक्षिण) इसी कालक्रम में प्रभावित हुए और उन्होंने सक्रिय कार्य प्रारंभ किया और परिणामस्वरूप विद्यालय से, जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का था, निष्कासित कर दिये गये । राष्ट्रीयता के प्रबल पुजारी पंडित टीकाराम त्रिपाठी जन जन की सुप्त आत्मा को जागृत करने में निशिवासर लग गये । हँडिया विधान सभा क्षेत्र के अकरौरा ग्राम से उनका रक्त संबंध है तथा जीविका के लिए श्री मदन मोहन मालवीय द्वारा संस्थापित भारती भवन में कार्यरत हुए ।

हँडिया विधान सभा क्षेत्र के कृष्णपुर ग्राम से जमींदारों के उत्पीड़न के कारण श्री सुंदर जी के जन्म के पश्चात उनके पिता ने प्रयाग में जाकर शरण ली । श्री सुन्दर जी का परिचय पं० टीकाराम जी त्रिपाठी से सन् १९०६ में भारती भवन पुस्तकालय में हुआ । श्री सुन्दर जी में आर्य समाज संस्था, बंगवासी" तथा वेंकटेश्वर" समाचार पत्रों से तथा पंडित टीकाराम जी त्रिपाठी की संगति से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई । इस राष्ट्रीय चेतना को विकसित होने का अवसर महात्मा गांधी के सानिध्य में सन् १९१६ से १९२२ तक साबरमती आश्रम में मिला । साबरमती आश्रम में ही पंडित जवाहर लाल नेहरू से श्री सुन्दर जी का परिचय हुआ ।

रौलट एक्ट के अनुसार पंजाब के प्रसिद्ध नेतागण अंग्रेजों द्वारा बन्दी बनाये गये जिसके विरोध में विशाल जन सभा १३ अप्रैल, १९१९ को जलियांवाला बाग में हुई और जनरल ओडायर ने भीषण नरमेध किया । इस नृशंस हत्याकाण्ड का समाचार जन जन तक पहुँचे, शासन के प्रति विद्रोह की ज्वाला भड़के और असहयोग की भावना उभरे - ऐसी अन्त:करण में कामना लेकर पंडित टीकाराम जी हँडिया

आये और उनका परिचय श्री महराज किशोर वर्मा स्थानीय लदागृहवासी से हुआ। श्री वर्मा का ननिहाल लदागृह में रहा वे स्थानीय एक जमींदार के मुंशी थे। सन् १६२१ के असहयोग आन्दोलन में "विदेशी बहिष्कार" की ध्वनि गूंज उठी, तहसील के विभिन्न ग्रामों में सभायें हुई। एक सभा जगवां ग्राम में भी हुई जिसमें पंडित टीकाराम जी, पंडित रामअधार वाजपेयी (कोटवा - पंडित टीकाराम जी के सहयोगी) तथा मुंशी महराज किशोर रहे। इन सब के भाषण तथा वाजपेयी जी का लकड़ी पर गीत हुआ। सरकारी अधिकारी पुलिस के साथ उपस्थित थे किन्तु किसी को भी गिरफ़्तार नहीं किया। खेक ग्राम के सम्भ्रान्त जनों ने कांग्रेस को अप्रत्यक्ष समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। पंडित मोतीलाल नेहरू का परिवार इलाहाबाद कांग्रेस की संजीवनी बना।

श्री भुवर जी सन् १६२२ फ़रवरी में साबरमती आश्रम से कृष्णपुर आये और इनके सगे भाई श्री मंझू एवं श्री सत्तू भी साथ साथ आये। इन्होंने 'दुखिया सेवा सदन' नामक संस्था स्थापित की जिसमें स्थानीय जुलाहों ने गाढ़ा बुनना प्रारंभ किया जिसके लिए सूत बुलन्दशहर से आने लगा और उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड का प्रथम केन्द्र यही हुआ। श्री महराज किशोर जी व श्री भुवर जी आपस में मिले और हंडिया विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस का संदेश स्थायी रूप से बिखेरने लगे तथा पं० टीकाराम जी एवं श्री राम अधार वाजपेयी इन लोगों को प्रोत्साहित करते रहे। सन् १६२४ में प्रथम तहसील कांग्रेस कमेटी बनी जिसमें श्री महराज किशोर जी अध्यक्ष एवं श्री भुवर जी प्रधान मंत्री बने। कार्य विस्तार होने लगा। इस क्षेत्र के बाहर से आकर श्री श्याम सुन्दर शुक्ल पट्टी प्रतापगढ़, श्री पुण्यदेव श्रीवास्तव, बिहार, श्री सीताराम निगम, प्रयाग, श्री कृष्ण बिहारी अवस्थी, कानपुर एवं श्री डा० राजेश्वरी प्रसाद, मुजफ़्फरपुर (जो कि सुरियावां वाराणसी में डाक्टर थे और श्री मंझू जी से खद्दर का गनछा मांगकर पहने तथा विदेशी वस्त्र की होली जलाये थे) ने विस्तारक बनकर कार्य किया। स्थानीय व्यक्तियों से संपर्क बढ़ने लगा और सर्व श्री बैजनाथ पाण्डेय, लदागृह; श्री श्रीनाथ पाण्डेय, घटकापुर, श्री पुरुषोत्तम पाण्डेय- बनकट, श्री शिवमूर्ति पाठक रसार, श्री यज्ञ नारायण मिश्र - सैदाबाद; श्री उदित नारायण उपाध्याय-सैदाबाद; श्री गौरीशंकर मिश्र- सैदाबाद; श्री कन्हैया बक्स सिंह - बजहामिश्रानचौकरी; श्री पुरुषोत्तम तिवारी कृष्णपुर; श्री रामबोध दुबे- बौरा; श्री काशी प्रसाद मिश्र-

फैज़ाबाद ; श्री अग्निहोत्री - पंडित का पूरा ; श्री गिरजानन्द- फैज़ाबाद ;
श्री रामसुन्दर मिश्र - अर्जुनपट्टी ; श्री राम सुन्दर मिश्र- लदागृह ; श्री काली चरण
तिवारी- पृथ्वीपुर तथा अन्य कार्यकर्ता बन गये । इन कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने
के लिए हँडिया विधान सभा क्षेत्र में अनेक नेताओं का आगमन होता रहा जिसमें मुख्य
रूप से उल्लेखनीय सरदार वल्लभ भाई पटेल व सेठ यमुनालाल बजाज सन् १९२४ ई०,
श्री भूपेन्द्रनाथ सान्याल सन् १९२८ ई० ; महात्मागांधी , २५ नवम्बर, १९२७ ई० +
(जब श्री मुवर जी ने उन्हें सोने की अंगूठी का दान किया) ; श्री मोतीलाल नेहरू
परिवार ; पंडित मदन मोहन मालवीय परिवार ; श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन ;
श्री लाल बहादुर शास्त्री एवं सरदार नर्वदा प्रसाद हैं ।[२]

१२ मार्च १९३० ई० को महात्मागांधी ने नमक कानून के विरोध में प्रसिद्ध डांडी यात्रा की , उस समय श्री मुवर जी उधर जाकर मड्रौच में मिले और नमक आन्दोलन करने की अनुमति प्राप्त की । वहां से लौटकर पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन से मिलकर रुपरेखा निश्चित की । हँडिया पहुंचकर तैयारियां हुई और कार्यकर्ताओं में उमंग आयी । १४ अप्रैल सन् १९३० को प्रात:काल बैण्डबाजे के साथ जुलूस निकला जिसका नेतृत्व श्री मथुराज किशोर, श्री मुवर जी एवं श्री पुण्यदेव जी कर रहे थे । इसे देखने के लिए प्रयाग नगर एवं अन्य जिलों से भी कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेता आये थे । जब जुलूस हँडिया बाजार के पश्चिमी छोर कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचा तब श्रीमती उमा नेहरू ने मस्तक पर टीका लगाकर नमक कानून भंग करने का निर्णय किया और ये लोग कड़ाही चढ़ाकर नमक बनाने में अग्रसर हुए । यह घटना हँडिया कांग्रेस के इतिहास में ही नहीं अपितु भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है । तीनों नेता गिरफ़्तार हो गये । सत्याग्रह का क्रम चला और १६ अप्रैल सन् १९३० को पंडित रामबोध जी दुबे ; श्री श्रीनाथ पाण्डेय व श्री रुप नारायण त्रिपाठी (आत्मज पं० टीकाराम जी) के नेतृत्व में कार्यकर्ता बंदी बनाये गये अन्य अनेक लोग जेल भेजे गये उस समय श्री भैरराज सिंह थानेदार थे ।

जो कार्यकर्ता जेल नहीं जा सके थे वे सरकारी उपाधियों के बहिष्कार, पद बहिष्कार , विद्यालय और विदेशी वस्त्र बहिष्कार का आन्दोलन चलाने में लग

गये । प्रयाग नगर की कांग्रेस में दो वर्ग बन गये परिणामस्वरूप हंडिया कांग्रेस में भी दो वर्ग बने एक पं० मदन मोहन मालवीय समर्थक जिसके नेता सरदार नर्बदा प्रसाद जी और दूसरा पं० जवाहर लाल नेहरू समर्थक । १९३१ ई० में "लगान देना बन्द" करने की घोषणा के संदर्भ में कटहरा ग्राम में एक सभा निश्चित की गई । अपनी विधवा पुत्री रामजी बीबी की जमींदारी के संरक्षक श्री परमेश्वरी दयाल को जब इस सभा की जानकारी हुई तो बहुत क्रुद्ध हुए और घोषणा करायी कि जो भी सभा में आयेगा या नेताओं का स्वागत करेगा उसे कठोर दण्ड दिया जायगा । सभा के दिन सभा स्थल पर गुण्डों को भेजा और समीप के कुंए में भूसा डलवा दिया । सभा असफल हो गई जिसमें सरदार नर्बदा प्रसाद व ठाकुर शिवमूर्ति सिंह आये थे । स्थानीय श्री लाला प्रसाद पुत्र रामऔतार कुशवाहा ने नेताओं को जलपान कराया जिसके फलस्वरूप श्री रामऔतार जी को ५०।- रु० अर्थ दण्ड देना पड़ा और वे कटहरा छोड़ने के लिए विवश किये गये ।[3]

कटहरा काण्ड से कांग्रेसियों को धक्के लगे । दोनों गुटों ने मिलकर शाहीपुर में जमींदार के आंगन में सभा का निश्चय किया । शाहीपुर में सभा हुई जिसमें श्री जवाहर लाल जी नेहरू, सरोजिनी नायडू, श्री श्रीप्रकाश, डा० सम्पूर्णानन्द तथा कर्मवीर सुन्दर लाल (जो सच: साम्यवादी) आदि आये और सभा सफल ढंग से हुई किसी भी जमींदार का साहस उसे भंग करने का नहीं हुआ । इसके बाद पं० नेहरू ने ग्राम ग्राम का भ्रमण प्रारंभ किया कृष्णपुर को केन्द्र बनाया तथा हंडिया क्षेत्र उनकी कर्मभूमि हो गई । सरकार एवं जमींदार दोनों के विरोध में जनमत जागृत करने के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं ने टोलियां बनाकर तिरंगा झण्डा लेकर "लगान देना पाप है" का उद्घोष किया और औचित्य का प्रतिपादन किया । इस कार्यक्रम ने कृषकों में स्वतन्त्रता की अभिलाषा उत्पन्न की साथ ही साथ बहिष्कृत-ग्रामीणों में पराधीनता के प्रति घृणा भरी जिससे अनेक व्यक्तियों की भूमि सरकार ने हस्तगत कर लिया ।

हंडिया विधान सभा क्षेत्र के सरकार विरोधी वातावरण से तत्कालीन जिलाधीश चिन्तित हुआ और हंडिया मिडिल स्कूल में यहां के जमींदारों एवं कृषकों की एक सभा आयोजित किया । इस सभा की जानकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं

को तत्कालीन तहसीलदार ने किया जो कि कांग्रेस का नैतिक ही नहीं आर्थिक समर्थक भी था । कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और निर्णय हुआ कि जिलाधीश को काला झण्डा दिखाया जाय । परन्तु काल के मुंह में जाये कौन ? श्री मक्खू यादव- कृष्णपुर , श्री भुवर जी के भाई इस पुनीत यज्ञ में आहुति के लिए आरूढ़ हुए । येन केन प्रकारेण पुलिस के कठोर नियंत्रण में भी सभा मंच के सन्निकट पहुंच गये और जिलाधीश के आने पर काला झण्डा दिखाया एवं " गो बैक " का नारा लगाया । जिलाधीश अपनी पत्नी के साथ तत्क्षण अपमानित हुआ और मोटर में बैठकर चला गया तथा सभा भंग हुई । जमींदारों को आत्मिक वेदना हुई और प्रतीकार के रूप में अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेसियों पर कोड़े बरसाये, उनकी भूमि छीन लिया और झूठे अभियोगों में अभियुक्त बनाया । लगान बन्दी आन्दोलन में अनेक सत व्यक्ति जेल गये जिसके विषय में लिखा है " किसान आन्दोलन की नींव इलाहाबाद में असहयोग के दिनों में ही पड़ चुकी थी । बाद में १६३१ के लगान बन्दी आंदोलन में उसी चेतना का विकास हुआ । इस आन्दोलन में इलाहाबाद की हंडिया तहसील ने महत्वपूर्ण कार्य किया ।[४] गांधी इरविन समझौता सन् १६३१ में हो जाने से सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित हो गया और सभी राजनीतिक बन्दियों को छोड़ दिया गया ।

भारत सरकार अधिनियम सन् १६३५ ई० में बना जिसके अनुसार सन् १६३७ में निर्वाचन हुआ । गंगा पार क्षेत्र अर्थात् हंडिया, फूलपुर एवं सोरांव तहसील से प्रांतीय सभा के लिए कांग्रेस की ओर से श्री लालबहादुर जी शास्त्री प्रत्याशी घोषित हुए । इनके विरोध में अंग्रेज समर्थित राजा जगमल निवासी नैनी चुनाव मैदान में आये । प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार राजा ने अपार सम्पत्ति व्यय की और मतदाताओं ने लाभ भी लिया किन्तु राष्ट्रीयता एवं ईमानदारी को महत्व दिया परिणाम स्वरूप राजा जगमल पराजित हुए । ज्ञातव्य है कि ३०।- रु० भूमिकर देनेवाले ही मतदाता रहे । संघीय सभा के लिए कांग्रेस की ओर से श्री मदन मोहन मालवीय प्रत्याशी होनेवाले थे किन्तु सरकार द्वारा उत्पन्न अवरोध के कारण नहीं हो सके जिनके स्थान पर श्री श्रीप्रकाश जी प्रत्याशी हुए इनके विरोध में सरकार समर्थित राजा बांगला चुनाव लड़े और पराजित हुए । इस कालक्रम में श्री शालिगराम

जायसवाल, श्री विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, श्री राधेश्याम पाठक, श्री केशवदेव मालवीय एवं श्री कपिलदेव मालवीय - सभी प्रयाग नगर के इन सब निवासियों के संबंध हंडिया विधान सभा क्षेत्र से हुए ।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी जिसमें श्री लाल बहादुर जी शास्त्री ने " सीन क्यिाती " कानून को समाप्त कर भूमि से संबंधित किसानों की समस्या हल करने में प्रयत्न कर सके । द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परामर्श किये भारत को युद्ध में झोंकने के विरोध में सभी सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया । भारतीय जनता के मनोभावों को देखने तथा समझने के लिए अक्टूबर १९३९ में सर स्टैफर्ड क्रिप्स हंडिया मिडिल स्कूल पर आये साथ में पं० जवाहर लाल नेहरू तथा अन्य बाहरी एवं स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता रहे । [क]

क्रिप्स मिशन की असफलता से कांग्रेस को पुनः अधिक आवेगपूर्ण आन्दोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा । अगस्त १९४२ ई० में " अंग्रेजों भारत छोड़ो " आन्दोलन संपूर्ण देश में प्रारंभ हुआ । हंडिया विधान सभा क्षेत्र तो पहले से ही व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यमों से आन्दोलन के प्रवाह को बढ़ाता रहा जिसमें श्री बैजनाथ पाण्डेय- लक्षागृह के कारावास काल में उनके इकलौते पुत्र श्री सूर्य प्रताप पाण्डेय आयु १५ वर्ष ५ माह की आकस्मिक मृत्यु फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी मंगलवार संवत १९९७ को हो गयी । इस हृदय विदारक घटना स्वयं में एक इतिहास है । हंडिया बाजार से लक्षागृह तक निर्मित सड़क का नामकरण स्वर्गीय सूर्य प्रताप पाण्डेय रोड हुआ है ।

११ अगस्त १९४२ को सैदाबाद बाजार से एक जुलूस विशाल जन समूह के साथ श्री भगौती सिंह - चौकरी के नेतृत्व में " इन्कलाब जिन्दाबाद " के गगनभेदी नारों के साथ चला जी०टी० रोड की ओर । जी० टी० रोड पर पहुंचकर सरकारी डाक बंगले पर आक्रमण किया, बागवानी दरवाजे, खिड़कियां तथा शीशे अपनी दासता से मुक्त हो गये । सैदाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे वहां पर भी मनो-वांछित क्रियायें किये जिसका लूटा गया टिकटों का ढेर श्री बैजनाथ केशरवानी-सैदाबाद के कुएं में डाल दिया गया । [६] उमड़ता जन समूह बाजार वापस आया तब शाणिक

विश्वास के साथ जी० टी० रोड पर अवस्थित पुलिया को तोड़ने का उपक्रम किया । पुलिया तोड़ने की प्रक्रिया में अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम पौलक बताया गया अपने अंग रक्षकों के साथ पहुंच गया । गोलियां चली जिसके अन्तर्गत श्री चन्द्रमा प्रसाद शुक्ल - अवसा निवासन ; श्री विशम्भर पटेल - एकीमपट्टी ; श्री दयाल हरिजन-बरियापुर और श्री सुबोध को प्राणघातक चोटें लगी । श्री विश्वम्भर एवं श्री दयाल तत्काल घटना स्थल पर प्राणोत्सर्ग किये और शेष दो व्यक्ति कुछ घण्टों के बाद भारत माँ की बलि वेदी पर चढ़ चले । तालाब पूर्ण क्षमता तक भरा था उसमें लोग कूद पड़े फिर भी गोलियां चलती रही । श्री लोकमणि मिश्र व श्री रामचन्द्र स्वर्णकार- सैदाबाद डूबते और उतराते रहे जिसमें श्री रामचन्द्र को गोली लगी जो मृत्यु तक नहीं पहुंचा सकी । सैदाबाद से ७२ लोग बन्दी हुए जिसमें श्री सरजू प्रसाद तिवारी व श्री राज नारायण तिवारी - पिता पुत्र साथ साथ रहे ।[७]

१४ अगस्त १९४२ को प्रात:काल ८ बजे भीटी स्टेशन पर श्री बैजनाथ पाण्डेय, श्री ठाकुर प्रसाद मिश्र- वीरापुर अमोघन तथा श्री महानन्द पाठक-ताराचंदपुर (गम्भीरापुर) पहुंचे । पूरब से आनेवाली गाड़ी को सिगनल ऊँचा करके रोक दिए स्टेशन के अन्दर के कागजों एवं टिकटों को इकट्ठा करके तेल गोदाम का ताला श्री सहदेव दुबे मुसवा के सन्धे से तोड़कर मिट्टी का तेल निकालकर, कागजों के ढेर पर छिड़क कर और आग लगा दिया जिसका चिन्ह आज भी स्टेशन की मेज पर मूक प्रमाण है । सिगनल नत करने से गाड़ी स्टेशन पर आयी तब अंग्रेज गार्ड की खोज प्रारम्भ किया किन्तु वह अज्ञात स्थान में छिप गया । फिर यह दल, अन्य लोगों के साथ कार्यालय में आग लगाता हुआ बरौत बाजार पहुंचा वहां दो पटवारियों (लेखपालों) के कागज पत्र छीनकर उसे भी भस्म कर दिया ।[८] १५ अगस्त १९४२ को श्री बैजनाथ पाण्डेय की प्रेरणा से छात्रों ने हंडिया रेलवे स्टेशन को लूटा ।

हंडिया तहसील क्षेत्र की अराजकतापूर्ण स्थिति देखकर जिले के अधिकारी चिंतित तथा उग्र हुए । पुलिस अधिकारी ने तत्कालीन थानाध्यक्ष को तत्काल स्थानान्तरित करके श्री कृष्ण स्वरूप तिवारी उर्फ मटरू को पुन: हंडिया का थानाध्यक्ष नियुक्त किया । अब हंडिया में अत्याचारों की आंधी आ गयी ।

हाकिम परगना श्री अशफाक हुसैन ने रसड़ा विद्यालय के श्री सत्यदेव मुंशी को अपने बेंतों से विद्यालय प्रांगण में ही मारा ।[९] १७ अगस्त, १९४२ को श्री महानन्द पाठक के बड़े भाई को श्री मटरु (थानाध्यक्ष) पकड़कर बरौत बाजार लाये । तीन दिन से परिश्रान्त एवं भूखे श्री महानन्द पाठक जब घर पहुंचे तब समाचार मालूम हुआ । श्री पाठक जी भोजन करके ३ बजे अपराह्न बरौत पहुंच गये और थानेदार को वारंट मिल गया । थानेदार ने संदिग्ध वार्ता करने के बाद श्री पाठक जी के पैरों को बंधवाकर पीपल की डाल से उल्टा लटका दिया, बार बार ऊपर नीचे करवाया, लाठियों से प्रहार कराया जिसके फलस्वरूप संपूर्ण भोजन ने मुख से निकलकर धरती पर सिमट कर दुर्दिन की आहें पैदा कर दिया । दर्शकों की आंखों में आंसू की धारा फूट पड़ी और मन ईश्वर को धिक्कारने लगा कि देश प्रेमियों की यह दयनीय दशा क्यों ? इतनी यातना पर भी जब श्री पाठक ने क्षमा नहीं मांगी तब थानेदार ने गोली से मारने का आदेश दिया जिस पर श्री पाठक जी हंस पड़े । थानेदार को श्री पाठक जी की देश भक्ति पर विश्वास हो गया तब उन्हें बन्धन मुक्त करके अपने सिपाहियों के साथ रसड़ा थाने पर भेज दिया । आज भी वह पीपल का वृक्ष श्री महानन्द पाठक की यातना-स्मृति में खड़ा है ।[१०]

पुलिस अत्याचार की आंधी बढ़ने लगी । युद्ध के लिए चन्दे मांगने का कार्य पुलिस ने प्रारम्भ किया, व्यापारियों के परिवारों पर छापे डालकर उनकी बहू-बेटियों की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचायी और लोग पुलिस देखते पर ग्राम छोड़कर भागने लगे । २४ अगस्त, १९४२ को कनवट ग्राम में पुलिस एवं ग्रामवासियों में जमकर संघर्ष हुआ । थानेदार को श्री ब्यारी प्रसाद पाण्डेय ने दो लाठी मारा तब उसने पिस्तौल की गोली से श्री पाण्डेय के प्राण ले लिया ; कई अन्य व्यक्तियों को भी गोलियां लगीं और तत्काल श्री बोध नारायण पाण्डेय, श्री विन्देश्वरी प्रसाद गुप्त, श्री दे नारायण पाण्डेय, श्री सदानन्द पाण्डेय और श्री उदित नारायण पाण्डेय पांचों व्यक्तियों को जिन्हें चोटें लगी थी पकड़ लिया । पांचों व्यक्तियों को बन्दी बनाकर थाने पर ले जाया गया और उन्हें मार पीटकर कुल १९ व्यक्तियों को अपराधी घोषित कराया । स्वर्गीय श्री ब्यारी

प्रसाद पाण्डेय की अर्थी को ग्रामीण जन २६ अगस्त को ऊँट पर लादकर जिलाधीश के बंगले पर प्रदर्शन की योजना से चल पड़े किन्तु चतुर्दिक आतंक की लपटों के कारण फाफामऊ में ही गंगा की धारा को अविरल प्रशस्ति गान के लिए समर्पित करके घर लौट पड़े। पुलिस को जानकारी हुई उसने रात्रि में बनकट ग्राम पर आक्रमण किया ग्राम जन शून्य हो गया और अनुमानत: लाखों रुपये की सम्पत्ति लूटा। २६ व्यक्तियों में से श्री माता बक्शेर पाण्डेय उम्र ६० वर्ष की मृत्यु मलाका कारागार में ही हो गई।[११] सीटी स्टेशन काण्ड में १२ व्यक्तियों को दण्ड मिला। अगस्त १६४२ की क्रान्ति में जो सभी व्यक्तियों पर अभियोग की सुनवाई सँड़िया में ही होती रही, थानेदार को सभी से प्रतिकार का अवसर मिला और उसने देश भक्तों को बहुत चोट पहुंचाई। यहां तक कि श्री दातादीन साहू - बरायपीथा को उल्टे कुए में लटकाया गया।

सन् १६४५ में सभी बन्दी कारागार से मुक्त किये गये। मुक्त होने के बाद पं० जवाहर लाल नेहरू सँड़िया विधान सभा क्षेत्र के सैदाबाद ग्राम में रेलवे स्टेशन एवं जी०टी० रोड के बीच (केवल सिंगार सदन के ठीक उत्तर) ब्रह्मचारी की बाग में एक सभा किये जिसमें श्री फ़िरोज गांधी भी आये थे। इस सभा में स्थानीय एक सेठ की भर्त्सना वहां के कांग्रेसी नेताओं ने किया। पं० नेहरू ने कहा कि जो कुछ भारत के अन्दर लूट खसोट एवं अत्याचार हुए हैं उन सब का जिम्मेदार मैं हूं। इस सभा के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र स्वयं पं० नेहरू प्रयाग से लेकर आये थे।[१२] सैदाबाद रेलवे स्टेशन पर स्थानीय व्यापारी श्री बैजनाथ केसरवानी ने पं० नेहरू को दो सौ रुपये की थैली भेंट किया।[१३] सन् १६४६ में कांग्रेस ने अंतरिम सरकार का निर्माण किया।

१५ अगस्त शुक्रवार सन् १६४७ को भारत स्वतंत्र घोषित हुआ जो कि भारत का स्वर्णिम दिवस है। सँड़िया तहसील केन्द्र पर सभी विद्यालयों के बच्चों को बुलाकर मिठाइयां दी गयी जिसमें शोधकर्ता भी बरौत विद्यालय से जाकर स्वतंत्रता का प्रथम प्रसाद ग्रहण किया था। सन् १६४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सदस्यता के लिए निर्वाचन हुआ जिसमें श्री भुवर जी के अतिरिक्त सभी कांग्रेसी प्रत्याशी पराजित हो गये। प्रत्याशियों के चयन पर ही कांग्रेस में विवाद उत्पन्न हुआ

जिसने 'शौषित संघ' नामक सामाजिक संस्था को जन्म दिया । २६ जनवरी, १९५०ई० को भारत का नया संविधान क्रियान्वित हुआ जिसके परिप्रेक्ष्य में जनवरी १९५२ का सामान्य निर्वाचन हुआ ।

स्वतंत्रता के पश्चात् जमींदारों तथा अन्य अवसर साधक तत्वों का प्रवेश कांग्रेस में तीव्र हुआ जिससे जातिवाद एवं वर्गवाद के कीटाणु कांग्रेस में लग गये । सन् १९५२ में विधान सभा के लिए श्री महावीर प्रसाद शुक्ल जो कि सन् १९२१ से कांग्रेस से सम्बद्ध रहे किन्तु उनका कार्यक्षेत्र भैजा तहसील रही, दलीय राजनीति के कारण हंडिया विधान सभा क्षेत्र (सैदाबाद क्षेत्र) से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े । श्री शुक्ल अपने सगे संबंधियों , त्याग, व्यवहार, योग्यता, दलीय कार्यकर्ताओं के सहयोग तथा हंडिया के अतीत कालीन कांग्रेसियों की कर्मठता के कारण विजयी हो गये । ज्ञातव्य है कि लोक सभा प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से पं० जवाहर लाल नेहरू रहे । श्री शुक्ल जी सन् १९५७ में भी कांग्रेस प्रत्याशी हुए और पुन: विजयी हुए तथा लोक सभा के लिए पं० नेहरू ही रहे । सन् १९५२-६२ के मध्य कांग्रेस में स्वार्थी तत्वों का प्रवेश द्रुतगति से आर्थिक लाभ , सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हुआ । पुराने, कर्मठ, त्यागी, देश सेवी एवं आधार स्तम्भ कांग्रेसियों का रुक्ता उम्र के साथ ठण्डा होने लगा । श्री शुक्ल जी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री का दायित्व सौंपा गया तथा श्री संपूर्णानन्द मंत्रि मण्डल में राजस्व उपमंत्री के रूप में जन सेवा करने का अवसर मिला । इस काल क्रम में हंडिया विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों एवं सिंचाई साधनों का विकास हुआ ।

सन् १९६२ के सामान्य निर्वाचन के पूर्व 'हंडिया हंडियावालों की' का नारा कांग्रेस के अन्तर्गत चला और विधान सभा प्रत्याशी के इच्छुक श्री बैजनाथ पाण्डेय, श्री श्रीनाथ पाण्डेय एवं श्री यज्ञ नारायण मिश्र आदि प्रयत्नशील हुए । श्री शुक्ल जी महामंत्री के पद पर आरूढ़ होने के कारण अपने लिए विश्वस्त थे कि पुन: तीसरी बार भी उन्हें ही प्रत्याशी घोषित किया जायगा । श्री बैजनाथ पाण्डेय के समर्थकों ने सभापतियों, सरपंचों तथा गणमान्य जनों का हस्ताक्षर अभियान चलाया

जब पंडित जवाहर लाल नेहरू आनन्द भवन आये तब श्री पाण्डेय के सक्रिय समर्थक हस्ताक्षरों की मालिका पं० नेहरू के करों में समर्पित किया जिसकी सुखद गाथा है । श्री शुक्ल जी वहाँ पर मौन द्रष्टा रहे ।

हंडिया विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेसी प्रत्याशी का निश्चय करने के लिए पर्यवेक्षक आये और प्रमुख कार्यकर्ताओं से परामर्श किया, अनेक स्थानों पर सभाओं के आयोजन किये गये । बरौत बीज भण्डार पर भी एक सभा हुई इसमें श्री बैजनाथ पाण्डेय के समर्थकों ने ऊँची आवाज किया जिसमें श्री शुक्ल जी भी उपस्थित थे उन्हें क्रोध भी आया और कष्ट भी हुआ । अन्ततोगत्वा श्री बैजनाथ पाण्डेय के अतीत त्याग, कारावास काल में अकेले पुत्र की मृत्यु, पं० जवाहर लाल नेहरू परिवार से सम्पर्क, लोकप्रियता और विरोधी दलों के बढ़ते प्रभाव के कारण ही कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हो सके । श्री बैजनाथ पाण्डेय भावुक, साहसी, व्यवहार कुशल, ईमानदार तथा पं० नेहरू के अनन्य भक्त थे । स्थानीय प्रभावी, त्यागी एवं एक बार अवसर की याचना करनेवाले श्री पाण्डेय भी पर्याप्त मतों से विजयी हुए । यह हंडिया-कांग्रेस का स्वर्णिम काल था ।

श्री पुरुषोत्तम तिवारी - कृष्णपुर- जो कांग्रेस से सन् १९३० से संबद्ध थे रचनात्मक कार्यों की ओर श्री भुवर जी की प्रेरणा से लगे । श्री भुवर जी सन् १९५२-५७ तक मेंह क्षेत्र से विधायक रहे । आश्रम के निमित्त प्राप्त बाबूपुर की भूमि को बाबा राघवदास से हंडिया औद्योगिक विद्यालय के लिए प्रयुक्त हुई । १३ जुलाई १९५४ ई० को पं० जवाहर लाल नेहरू ने वायुयान से आकर औद्योगिक विद्यालय का शिलान्यास किया । श्री तिवारी जी इस विद्यालय के विकास के लिए इतनी तन्मयता के साथ लगे कि लोग उन्हें " हंडिया के मालवीय " के रूप में सम्बोधित करने लगे । युद्ध काल में संग्रहीत धनराशि का अवशेष भाग स्थानीय इण्टर कालेज के विकास में कांग्रेसियों के प्रयत्न से लगा । पं० नेहरू की मृत्यु के पश्चात प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के कर कमलों द्वारा श्री गांधी आयुर्वेद विश्वविद्यालय का शिलान्यास १३ दिसम्बर, १९६४ ई० को हुआ । श्री शास्त्री जी की आकस्मिक मृत्यु से इस संस्था का विकास अवरुद्ध हो गया है संप्रति नवीन प्रयास प्रारंभ है ।

पंडित जवाहर लाल नेहरू के निधन से रिक्त लोकसभा

की सदस्यता के लिए श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित अभ्यर्थिनी हुई तथा विजयी भी हुई । श्रीमती पंडित ने गाजीपुर में हजारों रुपये लगाकर एक भक्त-कुटी के नाम पर निर्मित कराया । श्रीमती पंडित ने रुबी नेल्सन* हत्या काण्ड के अपराधियों को राष्ट्रपति से क्षमादान दिलाने में सहयोग किया । श्रीमती पंडित ने कालान्तर में लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देकर अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया ।

सामान्य निर्वाचन १९६७ ई० के लिए विधान सभा प्रत्याशी होनेवालों की संख्या में वृद्धि हुई । श्री बैजनाथ पाण्डेय स्थित विधायक, श्री यज्ञ नारायण मिश्र, श्री श्रीनाथ पाण्डेय, श्री रामलखन शुक्ल- हैदाबाद एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद-पंडित सहित कुछ अन्य व्यक्ति अभ्यर्थी हुए किन्तु प्रांतीय कांग्रेस कार्यालय लखनऊ में कार्यरत होने के कारण श्री शुक्ल को प्रत्याशी घोषित किया गया । श्री शुक्ल जी हंडिया विधान सभा क्षेत्र के लिए अपरिचित , नवयुवक एवं सच्चरित्र प्रत्याशी रहे किन्तु पुराने वृद्ध कांग्रेसियों को अच्छा नहीं लगा । श्री शुक्ल को पूर्ण सहयोग भी नहीं मिला अपितु विरोधी प्रत्याशियों के कांग्रेसी समर्थकों के कारण अल्प मतों से पराजित भी होना पड़ा । इसी समय से कांग्रेस का पराभव प्रारंभ हो गया जबकि श्रीमती पंडित पुन: लोक सभा के लिए निर्वाचित हो गयी ।

उत्तर प्रदेश में श्री चन्द्रभानु गुप्त की सन् १९६७ में अल्प दिवसीय सरकार ने त्याग पत्र देकर लोकतंत्र का आदर्श उपस्थित किया । कांग्रेस से निवृत्त श्री चौधरी चरण सिंह ने संविद सरकार बनायी किन्तु एक वर्ष के अन्दर ही वह विघटन के कारण समाप्त हो गई । सन् १९६९ में विधान सभा का पुन: निर्वाचन हुआ । कांग्रेस प्रत्याशी बननेवालों की भीड़ लग गयी किन्तु श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी को दलीय संघर्ष में श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा का वरद हस्त होने के कारण सफलता मिली । श्री त्रिपाठी प्रयागवासी बन चुके थे और उनका परिचय प्रयाग नगर से संबंधित हंडिया क्षेत्र के निवासियों से अधिक रहा । श्री त्रिपाठी ने पद यात्रायें ग्रामों में की और श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने भी हंडिया जाकर सभा को संबोधित किया । श्री त्रिपाठी बच्चों का दरिद्रता की नीति, अलोकप्रियता अन्य असफल अभ्यर्थियों से तनाव तथा वृद्ध त्यागी कांग्रेसियों के असंतोष के कारण पराजित हो गये । लोकसभा

के प्रत्याशी श्री केशवदेव मालवीय भी पराजित हो गये । कांग्रेस के दोनों कदम विरोध की आंधी में उठ गये और उनकी प्रतिष्ठा पर कुठाराघात लगा । बंगला देश अभ्युदय के पश्चात सन् १९७१ के लोक सभा निर्वाचन में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अतीतकालीन राजत्व, निर्मल चारित्र्य एवं निर्गुट राजनीति के कारण सफल हो गये ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विखण्डन-सत्ता एवं संगठन के पश्चात सन् १९७४ के विधान सभा निर्वाचन में स्थित विधायक श्री राजितराम पाण्डेय को जो कि संयुक्त समाजवादी दल से विजयी हुए थे और सत्ता कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे, उन्हें ही कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया गया । श्री पाण्डेय का कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होना नवयुवक एवं गुट सापेक्ष कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगा और उन लोगों ने "क्रान्तिकारी परिषद्" के नाम से अस्थायी संस्था बनाकर खुला विरोध किया और श्री कमलाकान्त तिवारी - चंचल , बहुपार्टी स्वयं प्रत्याशी के रूप में उतर पड़े । इनके अतिरिक्त अन्य अनेक कारणों से श्री पाण्डेय पराजित हो गये यद्यपि स्वयं प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं हंडिया निर्वाचन क्षेत्र में आकर २२-२-७४ को बंजना में महती सभा सम्बोधित की थी । श्री राजितराम पाण्डेय की १३ जून,७४ को हत्या हो गयी ।

हंडिया कांग्रेस का गुरुत्व केन्द्र मेजा तहसील के रायपुर ग्राम से गंगा पार करके लाक्षागृह फिर सैवना और अब पाँडेय का पूरा बन गया है । श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी एवं श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के अनुगामी श्री यमुना प्रसाद पाण्डेय दोनों सक्रिय गुट सापेक्ष कांग्रेसी पाँडेय के पूरा के ही निवासी हैं । श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा के मुख्य मंत्रित्व काल में श्री त्रिपाठी उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के अध्यक्ष मनोनीत हुए और उन्होंने जापान यात्रा भी की । श्री बहुगुणा के त्याग पत्र के पश्चात् श्री त्रिपाठी निष्क्रिय प्रतीत हो रहे हैं । श्री यमुना प्रसाद पाण्डेय भी गुट बन्दी में पड़कर अपने जन संपर्क अधिकारी के पद को भी खो बैठे । हंडिया कांग्रेस की राजनीतिक नेतृत्व शून्यता को समाप्त करने के लिए प्राण प्रण से नवयुवक कांग्रेसी प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु पारस्परिक कलह, कटुता एवं निन्दा के वातावरण में सफलता के लक्षण नहीं दिखाई देते । आपातकालीन घोषणा की "कोरामीन" भी स्पन्दन

उत्पन्न करने में सामर्थ सिद्ध हो गई है । श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी सन् १९७७ के विधान सभा निर्वाचन में विजयी नहीं हो सके यद्यपि ब्राह्मण एवं हरिजन मतदाताओं को विशेष आकर्षित करने का प्रयास किया । श्री यमुना प्रसाद पाण्डेय की पद निवृत्ति से श्री लक्ष्मीशंकर मिश्र-सकरौरा के पक्ष स्वर्गीय श्री राजाराम पाण्डेय के समर्थकों के साथ बढ़ रहे हैं । श्री कामता प्रसाद वैद्य की जनसेवा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । कांग्रेस के दलीय संगठन में भी नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की उपेक्षायें हो रही हैं । आगामी विधान सभा के निर्वाचन में प्रत्याशी बनने की चेष्टा में व्यक्तिगत उपासनायें प्रारंभ हो गयी हैं । कांग्रेस की प्रतिष्ठा को पुन: स्थापित करना टेढ़ी खीर है ।

१५ अगस्त, १९४७ ई० के पूर्व सीधिया किसान सभा क्षेत्र में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा अन्य किसी भी राजनीतिक दल का आविर्भाव नहीं हुआ । भारत स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात् उसकी सर्वांगीण प्रगति की पद्धतियों तथा मूल्यों में मतभेद उत्पन्न हुआ । उच्च पदासीन राजनयिकों में तनाव, अहंभाव तथा पद गौरव के भाव आये जिसके फलस्वरूप नवीन राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ । देश, प्रदेश, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तरों पर राजनीतिक, धार्मिक , आर्थिक एवं जातीय आधारों पर वैयक्तिक एवं सामूहिक ईर्ष्या तथा प्रतिस्पर्द्धा ने सत्ता एवं प्रतिष्ठा के लिए जनकल्याण के आवरण में राजनीतिक दल गठित किया । ये राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों, नीतियों एवं कार्यक्रमों में प्रदेशीय , राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रभाव से परिवर्तन करते रहे और अपने नूतन नामकरण भी करते है ।

किसान मजदूर प्रजा पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्भ में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो संगठन था उसी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात समाजवादी दल के नाम से जन्म लिया । सन् १९४७-४८ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे० बी० कृपलानी तथा संसदीय समिति के प्रधान पं० जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे । संगठन एवं सत्ता में वैषम्य के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ अन्त में सत्ता की विजय हुई । आचार्य कृपलानी जी त्याग पत्र देकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी संगठित किये और

असंतुष्ट गांधीवादी कांग्रेसियों ने इसमें प्रवेश किया । हंडिया विधान सभा क्षेत्र में श्री देवी प्रसाद सिंह (श्री छोटकू सिंह) - घोबहा सन् १९५२ के सामान्य निर्वाचन में प्रत्याशी हुए । श्री सिंह कांग्रेस के प्रबल समर्थक जमींदार थे तथा सन् १९४८ के जिला परिषद् निर्वाचन में बरौत क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुए थे । किसान मज़दूर प्रजा पार्टी को व्यक्तिगत सम्पर्क के आधार पर टिकट मिले और प्रत्याशी पराजित हो गया । प्रत्याशी की पराजय के साथ दल का अन्त हो गया ।

प्रजा समाजवादी दल

सन् १९५२ के भारतवर्ष के सामान्य निर्वाचन समाजवादी दल तथा किसान मज़दूर प्रजा पार्टी के लिए जब वांछित सफलतायें मृग-तृष्णा सिद्ध हुईं तब दोनों दलों ने मिलकर २६-२७ सितम्बर, १९५२ ई० को बम्बई में संयुक्त दल का प्रजा समाजवादी दल नाम रखा । भारत प्रसिद्ध नेतागण - श्री आचार्य नरेन्द्रदेव, श्री आचार्य जे० बी० कृपलानी, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री अशोक मेहता एवं डा० राम मनोहर लोहिया, श्री अच्युत पटवर्धन आदि जनतांत्रिक समाजवाद को लक्ष्य बनाकर एक मंच पर एकत्रित हो गये । प्रजा समाजवादी दल का प्रयाग में सम्मेलन हुआ जिसमें किसान मज़दूर प्रजा पार्टी के प्रमुख नेता श्री शालिगराम जायसवाल के साथ हंडिया विधान सभा क्षेत्र के श्री राजितराम पाण्डेय- सैकवा, श्री रुद्रधर पाण्डेय, हरीपुरबींदा, श्री राधाकान्त पाण्डेय- कृष्णपुर, श्री अब्दुल वाहिद अन्सारी- रसीपुर; श्री रामलखन जायसवाल- दुलापुर; श्री अठईराम यादव- जगदीशपुर, श्री रूपनाथ सिंह यादव वकील- जगदीशपुर; श्री शीतला सहाय मौर्य - बरौत एवं श्री बंशीलाल बिन्द- भूईं आदि ने दल में प्रवेश किया । ज्ञातव्य है कि 'शोषित संघ' नामक सामाजिक संस्था के सदस्य एवं कार्यकर्ता भी इसमें सम्मिलित हुए जो सन् १९५२ के सामान्य निर्वाचन में अपना अलग अस्तित्व रखते थे । हंडिया विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस के विकल्प के रूप में यह दल उभरा ।

सन् १९५७ के सामान्य निर्वाचन में हंडिया विधान सभा क्षेत्र से श्री रामनाथ दुबे - चांदोपारा प्रजा समाजवादी दल के प्रत्याशी घोषित हुए जो कि श्री. दुबर जी के सहयोगी भी रहे । दल के कार्यकर्ताओं एवं श्री शालिगराम जायसवाल

ने अथक परिश्रम किया किन्तु द्वितीय स्थान ही रह सका । दल में ओज, शक्ति एवं क्रियाशीलता को बनाये रखने के लिए जुलाई, ५८ में ताप आन्दोलन प्रारंभ किया गया । जिसमें श्री राजितराम पाण्डेय ; श्री ठठईराम यादव ; श्री रामलखन जायसवाल ; श्री फतेह बहादुर सिंह यादव एवं श्री अब्दुल वाहिद अंसारी के नेतृत्व में कई दर्जन कार्यकर्ता कारागार में गये और कुछ दिन के बाद सभी छूटकर आये । कारागार से मुक्त होने पर सभी सत्याग्रहियों ने सक्रिय कार्य प्रारंभ किया[14] और ६ सहस्त्र सदस्य बनाये । बाद के वर्षों में कभी इतने सदस्य नहीं बने ।[15] दल के बढ़ते प्रभाव से श्री रमाशंकर तिवारी - जसवां, श्री उमापति त्रिपाठी - बरियापुर, श्री बलरामसिंह किराँव ; श्री सत्य नारायण विन्द - मीटी ; श्री मुन्नालाल जायसवाल - बनूपुर ; श्री वाचस्पति त्रिपाठी- मैरकी ; श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र - मैरकी ; श्री ईश्वरदीन विन्द बसवां ; श्री रघुराज सिंह - विठौली आदि अनेक व्यक्तियों ने दल में प्रवेश किया । श्री रुद्रधर पाण्डेय- हरीपुर बीदा-दल के मंत्री रहे ।

उप चुनाव में जब श्री त्रिलोकी सिंह ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लौह पुरुष श्री चन्द्रभानु गुप्त को पराजित किया तब प्रदेश भर में श्री सिंह का स्वागत प्रारंभ हो गया । हंडिया में ५२ फाटक बनाये गये और दस सहस्त्र जनता के बीच उनका स्वागत हुआ । इस सभा की अध्यक्षता श्री मुहम्मद हमीर अन्सारी- कौरूवा ने की ।[16] सन् १९६० के ग्राम पंचायतों के चुनाव में इस दल ने अपने प्रत्याशियों[18] को खड़ा किया और आंशिक सफलतायें भी मिली । बनूपुर विकास खण्ड से श्री मुन्नालाल जायसवाल ब्लाक प्रमुख चुने गये और हंडिया विकास खण्ड से श्री रामलखन जायसवाल जिला परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए । इन पदों को प्राप्त करके दल को सशक्त करने के लिए अनेक कार्य किए गये ।

सन् १९६२ के सामान्य निर्वाचन के लिए दल ने श्री राजित -राम पाण्डेय को प्रत्याशी बनाना चाहा किन्तु कांग्रेस की ओर से श्री बैजनाथ पाण्डेय की घोषणा हो जाने के पश्चात श्री राजित राम पाण्डेय ने प्रत्याशी बनना अस्वीकार कर दिया । डा० राम मनोहर लोहिया ने अपनी समाजवादी पार्टी को अलग कर लिया था अतः इनके भक्त कार्यकर्ता प्रजा समाजवादी दल के समर्थक नहीं रहे । श्री राजितराम पाण्डेय का प्रत्याशीन होना कार्यकर्ताओं को अच्छा न लगा ।[17]

प्रत्याशी न बनने के प्रमुख कारण श्री शालिगराम जायसवाल की श्री बैजनाथ पाण्डेय से स्वतन्त्रता आन्दोलन गैंगुटीय मित्रता तथा अग्रिम चुनाव में समर्थन देने का वचन एवं श्री जायसवाल का श्री राजितराम पाण्डेय पर उपकार ऋण रहा ।[5] अंतिम क्षणों में मनोनीत वकील श्री ब्रह्मदेव पाण्डेय-हंडिया को दल ने अपना प्रत्याशी घोषित किया जिनका संबंध इसके पूर्व दल से नहीं था । श्री ब्रह्मदेव पाण्डेय को कांग्रेस की प्रत्याशिता में असफल सम्मानित व्यक्तियों का परोक्ष समर्थन भी मिला किन्तु चुनाव परिणाम में दल का स्थान तृतीय हो गया जबकि '५७ में द्वितीय था । दल को पर्याप्त आघात पहुंचा क्योंकि घोषित संघ के समर्थक कार्यकर्ता श्री बटेरराम यादव के साथ समाजवादी दल के सहयोगी हो गये थे । प्रजा समाजवादी दल पराजयों से व्याकुल होकर समाजवादी दल से विलय की पुकार करने लगा ।

समाजवादी दल

आचार्य नरेन्द्र देव की मृत्यु, श्री जय प्रकाश नारायण का राजनीतिक सन्यास और आचार्य जे० बी० कृपलानी की दलीय विरक्ति तथा श्री अशोक मेहता के योजना आयोग का उपाध्यक्ष बन जाने से समाजवादियों में निराशा व्याप्त हो गयी।[7] डा० राम मनोहर लोहिया ने प्रजा समाजवादी दल से मतभेद होने के कारण पुनः समाजवादी दल को जीवित किया । सन् १९६२ के सामान्य निर्वाचन में लोकसभा के लिये लिए डा० लोहिया पं० नेहरू के सदा फूलपुर संसदीय क्षेत्र से जिसका एक अंश हंडिया निर्वाचन विधान सभा क्षेत्र है के प्रत्याशी हुए और विधान सभा के लिए श्री रूपनाथ सिंह यादव- वकील जो कि सन् १९४८ में जिला परिषद् का चुनाव जीते थे, प्रत्याशी हुए । श्री रूपनाथ सिंह यादव ५२ और ५७ में भी हंडिया विधान सभा क्षेत्र से प्रत्याशी होना चाहते थे ।[88] श्री रूपनाथ सिंह यादव परिचित, क्षेत्रीय एवं पिछड़ी जाति के लिए संघर्षरत नेता रहे । श्री कुंवर जी विधान परिषद्-सदस्यता से प्रवंचित हो चुके थे इस कारण उनकी कांग्रेस से अप्रसन्नता स्वाभाविक थी और उनका प्रकटन समाजवादी एवं स्वजातीय प्रत्याशी के समर्थन से हुआ । इतनी अनुकूलता होने पर भी समाजवादी प्रत्याशी को पराजित ही होना पड़ा किन्तु द्वितीय स्थान अवश्य प्राप्त हो गया ।

संयुक्त समाजवादी दल

सन् १९६२ के सामान्य निर्वाचन के परिणामों से प्रजा समाजवादी दल तथा डा० लोहिया द्वारा संचालित समाजवादी दल दोनों की पारस्परिक कटुता से भयंकर क्षति हुई और पुन: एकता की प्रतीती हुई। जून सन् १९६४ में श्री एस० एम० जोशी के प्रयास से दोनों दल मिलकर संयुक्त समाजवादी दल नामकरण किया। संयुक्त समाजवादी दल बन जाने पर चाकघाट पर श्री राजित राम पाण्डेय के नेतृत्व में हंडिया के पाँच कार्यकर्ता गुड़ आन्दोलन में अग्रसर हुए और जेल गये पुन: कुछ दिनों के पश्चात छूटकर आये।[19] पुन: हंडिया में खाद्य आन्दोलन का बिगुल बजा और श्री राम नारायण सिंह ने तहसील भवन प्रांगण में जाकर भाषण किया और ६४ व्यक्ति जेल गये। ये सभी आन्दोलनकारी २०-२१ दिन के पश्चात छूटकर आये।[20] दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की परस्पर दूरी मिटने लगी। जेल जानेवालों में से श्री राजितराम पाण्डेय, श्री बरदेराम यादव, श्री रुद्रधर पाण्डेय, श्रीरामलखन जायसवाल, श्री फतेह बहादुर यादव, श्री रघुराजसिंह - गिर्दकोट, श्री बलराम सिंह किरांव, श्री सूबेदार सिंह - एदुलहा एवं श्री उमापति त्रिपाठी बरियापुर प्रमुख रहे।

फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का उप चुनाव नवम्बर ६४ में हुआ जिसमें संयुक्त समाजवादी दल की ओर से श्री शालिकराम जायसवाल प्रत्याशी हुए। दल ने अथक प्रयास त्यागी, कर्मठ एवं संघर्षशील नेता को विजयी बनाने के लिए किया किन्तु पं० नेहरु परिवार की प्रतिष्ठा के कारण पराजित होना पड़ा। नवंबर,६६ में जब प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी का हंडिया पालिटेकनिक में आने का कार्यक्रम बना तब कार्यकर्ता एवं नेता विरोध प्रदर्शन के लिए सचेष्ट हुए। काला भण्डा नहीं दिखा पाये क्योंकि पुलिस ने श्री राजितराम पाण्डेय, श्री रामलखन जायसवाल एवं श्री श्याम नारायण पाण्डेय को पकड़कर सभा स्थल से २० मील दूर भदरोंव वाराणसी ले जाकर छोड़ दिया।

सन् १९६७ के सामान्य निर्वाचन में संयुक्त समाजवादी दल के अन्तर्गत विधान सभा के लिए प्रत्याशी बनने की स्पर्द्धा पैदा हुई क्योंकि भविष्य सफलता का संकेत दे रहा था। संयुक्त समाजवादी दल बनजाने से शिक्षित और अशिक्षित, उच्च वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग, शान्तप्रिय एवं संघर्षप्रिय सभी का संगम हो गया। श्री रूपनाथ सिंह यादव भी प्रत्याशी बनना चाहते थे किन्तु श्री शालिकराम जायसवाल के कारण

सफल नहीं हो सके तब श्री बलईराम यादव अपने भाई को संयुक्त समाजवादी दल से त्याग पत्र दिलवाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव युद्ध में उतार दिया ।[22] स्थानीय कार्यकर्ताओं में दो वर्ग हो गया । श्री राजितराम पाण्डेय संयुक्त समाजवादी दल के प्रत्याशी घोषित हुए । दल ने प्रचार तंत्र प्रबल किया और सभाओं में श्री रघुनाथ सिंह यादव भी दल में होने के कारण श्री राजितराम पाण्डेय के पक्ष में भाषण देने आये ।[23] श्री वैजनाथ पाण्डेय ने भी परोक्ष समर्थन दिया । पिछड़े वर्ग के समर्थन में घटाव, दलीय गुटबन्दी एवं भारतीय जनसंघ की शक्ति वृद्धि जैसे प्रमुख कारणों से श्री राजितराम पाण्डेय अल्प मतों से विधान सभा की सदस्यता से वंचित रह गये ।

उत्तर प्रदेश में संयुक्त विधायक दल की इकाइयों के मध्य सैद्धान्तिक एवं नीति विषयक मत वैषम्य उत्पन्न हुआ । संयुक्त समाजवादी दल की लगान संबंधी मुक्ति नीति से विघटन का निर्गम हुआ । सन् १९६९ में संयुक्त विधायक दल की सरकार की विफलता से सामान्य निर्वाचन हुआ जिसमें पुनः संयुक्त समाजवादी दल ने श्री राजितराम पाण्डेय को अपना प्रत्याशी बनाया । लोक सभा के लिए उप चुनाव भी साथ साथ हुआ जिसकी सदस्यता के लिए श्री जनेश्वर मिश्र दल के प्रत्याशी हुए । सौभाग्य उदय हुआ और श्री जनेश्वर मिश्र एवं श्री राजितराम पाण्डेय अपने अपने लक्ष्य भेद में सफल हुए । श्री पाण्डेय की अनवरत जनसेवा, क्रान्तिकारी अतीत, द्वार द्वार दर्शन, निर्भीकता, श्रेष्ठों का सम्मान, गत निर्वाचन में पराजय से सहानुभूति तथा सोंटा लिए मूंछवाला स्वस्थ ऊंचा शरीर, सफलता के प्रमुख कारण बने । श्री पाण्डेय की निर्भीकता का सब से बड़ा परिचय सन् १९६२ के सामान्य निर्वाचन में पं० नेहरू की सैदाबाद सभा में क्षेत्र के लिए सड़कों की ऊंचे स्वर में मांग से मिला । इसकी प्रतिक्रिया में पं० नेहरू ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के आन्तरिक भागों में भ्रमण किया और सड़कों की आवश्यकता अनुभव करके उनके निर्माण के आदेश भी दिए ।

पंडित कमलापति त्रिपाठी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जब सत्ता कांग्रेस ने प्रयास किया उसी क्रम में श्री शालिकराम जायसवाल के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल के साथियों की संख्या में विधायक श्री राजितराम पाण्डेय सहित सत्ता कांग्रेस की छत्रछाया में चले गये । स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं उनके समर्थकों को हार्दिक कष्ट हुआ और वे लोग निष्क्रिय हो गये किन्तु इन्होंने सत्ता कांग्रेस की सदस्यता

स्वीकार नहीं की । इस दल परिवर्तन ने संयुक्त समाजवादी दल को नेतृ-विहीन कर दिया । जब चौधरी चरण सिंह ने त्रिदलीय मोर्चा - (भारतीय क्रान्ति दल, संयुक्त समाजवादी दल तथा मुस्लिम मजलिस का) बनाया और हँडिया विधान सभा क्षेत्र से श्री बटईराम यादव पुराने संयुक्त समाजवादी दल के व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया तब अनेक कार्यकर्ता भारतीय क्रान्ति दल में समाहित हो गये । पश्चात् में भारतीय लोकदल बन जाने से संयुक्त समाजवादी दल का अस्तित्व समाप्त हो गया । वर्तमान समय में योग्य, निष्ठावान एवं प्रभावशाली कार्यकर्ता हताश होकर राजनीतिक गतिविधियों से विरक्त बैठे हैं ।

भारतीय क्रान्ति दल

भारतीय क्रान्तिदल का प्रादुर्भाव श्री चौधरी चरण सिंह के दल परिवर्तन से हुआ । हँडिया विधान सभा क्षेत्र से सन् १९६७ में निर्दलीय प्रत्याशी श्री बटईराम यादव विजयी हुए और श्री चौधरी के अनुगामी बन गये । सन् १९६९ के निर्वाचन में भारतीय क्रान्ति दल ने स्थित विधायक श्री बटईराम यादव को विधान सभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया । श्री यादव अपने पुराने कार्यकर्ताओं , संबंधों, सम्पर्कों तथा चौधरी चरण सिंह की कीर्ति पताका के साथ निर्वाचन-रण में कूदे । विधायक काल की सेवायें, संयुक्त समाजवादी जीवन का आन्दोलनात्मक इतिहास, मृदुल स्वभाव तथा प्रतिष्ठा आदि को दाँव पर लगाया किन्तु पराजय मिली जिसका प्रमुख कारण सजातीय ,शिक्षित, नवयुवक तथा रिपब्लिकन दल के प्रत्याशी श्री राजाराम यादव वकील द्वारा चुनाव में उनका प्रबल विरोध रहा ।

पराजय के पश्चात श्री बटईराम यादव ने पुन: नये सिरे से कार्य प्रारंभ किया और यहाँ तक कि ग्राम प्रधान का भी चुनाव लड़े । श्री रूपनाथ सिंह यादव ने अपने उप मंत्री एवं मंत्री काल में हँडिया विधान सभा क्षेत्र में आकर विकास खण्ड हँडिया के विकास खण्ड अधिकारी को निलंबित किया और पेय जल योजना को संपूर्ण गंगापार क्षेत्र के लिए कार्यान्वित करने की राजाज्ञा जारी दिलाई इससे श्री ब बटईराम यादव का प्रभाव क्षेत्र विस्तृत एवं सघन हुआ ।[२४] धनूपुर विकास खण्ड में सजातीय श्री रामनाथ यादव - दरोर को ब्लाक प्रमुख पद प्राप्त करने में सक्रिय सहयोग

दिया । चौधरी चरण सिंह, विद्यावती स्मारक हाई स्कूल सँडिया (अब इण्टर कालेज) में सन् १६७३ में आये और सार्वजनिक सभा की । सन् १६७४ के निर्वाचन में श्री यादव सँडिया विधान सभा क्षेत्र से पुनः प्रत्याशी हुए तथा विजयी हुए । जब सात राजनीतिक दलों भारतीय क्रान्ति दल, उत्कल कांग्रेस, संयुक्त समाजवादी दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संघ, स्वतंत्रपार्टी, किसान मजदूर पार्टी तथा पंजाब खेतीवाड़ी जमींदार सभा ने अपने स्वत्व को विलीन करके भारतीय लोक दल नाम रख लिया तब सभी कार्यकर्ता भारतीय लोक दल के पक्षधर हो गये ।

भारतीय लोक दल

२६ अगस्त, १६७४ को कांग्रेस के विकल्प की आशा से प्रथम सप्तदलीय वास्तविक विलीनीकरण की उद्घोषणा हुई और भारत के राजनीतिक रंगमंच पर भारतीय लोकदल का अभिनय प्रारंभ हुआ । चौधरी चरण सिंह अध्यक्ष हुए और उन्होंने २८ सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा किया जिसमें उड़ीसा के संसद सदस्य श्री रविराम को दल का मंत्री बनाया गया[२५] । सँडिया विधान सभा क्षेत्र में तहसील स्तर पर इस समय तदर्थ समिति बनी है किन्तु आश्चर्य है कि इसके कुछ पदाधिकारी दल के सदस्य नहीं बने हैं[२६] । श्री अठईराम यादव- विधायक तैयार है किन्तु दलनिष्ठा का आकलन भविष्य करेगा । आभ्यान्तर अशान्ति की संभावना से २६ जून, १६७५ आपातकालीन घोषणा हुई । श्री जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में लोक संघर्ष समिति गठित हुई जिसमें संगठन कांग्रेस, भारतीय लोकदल, भारतीय जनसंघ एवं समाजवादी दल घटक रहे । २२ नवम्बर, १६७५ से लोक संघर्ष समिति ने सत्याग्रह का आवाहन किया किन्तु सँडिया विधान सभा क्षेत्र से भारतीय लोकदल की ओर एक भी कार्यकर्ता सम्मिलित नहीं हुआ । यह आश्चर्य इसलिए है कि यहां का विधायक भारतीय लोकदल का सदस्य है । भारतीय लोकदल के विधायक श्री हरि प्रताप सिंह यादव प्रतापपुर क्षेत्र ने अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी जो कि श्री मुंवर जी की सुपुत्री रही के नाम से विद्यावती स्मारक महर्षि इण्टर कालेज सँडिया स्थापित करके द्रुतगति से विकास कराया । इस विद्यालय की प्रस्थापना से पिछड़ी जातियों में स्वाभिमान जागृत हुआ है । भारतीय लोकदल का भविष्य पिछड़ी जातियों के संगठन पर आधृत है।

साम्यवादी दल

इंडिया विधान सभा क्षेत्र में साम्यवादी दल ने अपने सूत्रपात का यत्न किया । श्री मस्तू यादव- कृष्णपुर (श्री भुवर जी के भाई) कांग्रेस से असंतुष्ट हुए और स्थानीय जातीय संघर्ष से परित्राण के लिए श्री ननकूराम यादव - जैतापुर को अग्रकर्ता साम्यवादी सभा के लिए बनाया ।[२७] श्री ननकूराम यादव ने श्री ब्रजदेव पाण्डेय वकील इंडिया और डा० अब्दुल सालिक इंडिया से संपर्क किया । श्री कृपाशंकर मिश्र - मंत्री साम्यवादी दल प्रयाग ने श्री मस्तू यादव को प्रभावित करने का प्रयास किया था तथा उपरोक्त व्यक्तियों से भी संपर्क किया था । ३० जनवरी, १९६१ ई० को इंडिया से १ मील उत्तर नटवों पर एक सभा आयोजित हुई जिसमें श्री कारखण्डेराय व श्री रुस्तम सैटिन सहित स्थानीय नेता पधारे और भाषण दिए ।[२८] इस सभा की अध्यक्षता श्री मस्तू जी यादव ने किया । सन् १९६२ के सामान्य निर्वाचन में जब श्री ब्रजदेव पाण्डेय प्रजा समाजवादी दल से विधायक प्रत्याशी हो गये, डा० अब्दुल सालिक कांग्रेस के समर्थक हो गये और श्री मस्तू जी श्री रूपनाथ यादव समाजवादी प्रत्याशी के समर्थक हो गये तब साम्यवादी दल को दारुण दुःख हुआ । इस समय इस दल का प्रयास भी नहीं दृष्टिगोचर है ।

रामराज्य परिषद्

रामराज्य परिषद् का परिचय इंडिया विधान सभा क्षेत्र के निवासियों को सन् १९५२ के सामान्य निर्वाचन में मिला । श्री राज नारायण शुक्ल- जरासी अग्रसेन इण्टर कालेज, प्रयाग में अध्यापक थे स्वामी करपात्री जी से परिचित होने के कारण इन्हें रामराज्य परिषद् का प्रत्याशी बनाया गया । चुनाव अभियान में एक बार स्वामी करपात्री जी जो कि इस दल के जन्मदाता हैं, निर्वाचन क्षेत्र में आये किन्तु पर्याप्त रात्रि व्यतीत हो चुकी थी श्रोता समूह जा चुका था मात्र प्रत्याशी महोदय प्रतीक्षा में उपस्थित रहे अनुमानतः रात्रि के ११ बजे थे ।[२९] श्री शुक्ल जी पराजित हुए और उन्होंने श्री महानारायण शुक्ल-विद्यालय की नींव रखी तथा उसके विकास में लग गये । सन् १९५७-६२-६७ एवं ६९ में इस दल का कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ा । सन् १९७४ एवं १९७७ में श्री हरिनाथ पाण्डेय - जालापुर सामान्य निर्वाचन में प्रत्याशी

हुए किन्तु नाम मात्र का प्रचार हुआ परिणामस्वरूप प्रतिभूति भी सुरक्षित नहीं रह सकी । इस समय रामराज्य परिषद् का कोई संगठन नहीं है ।

रिपब्लिकन दल

इँडिया विधान सभा क्षेत्र में रिपब्लिकन दल ने सन् १९६२ के सामान्य निर्वाचन में श्री जोखईराम हरिजन - चम्पापुर को प्रत्याशी बनाया जिन्हें हरिजनों का ही आंशिक समर्थन मिला । श्री जोखईराम के पराजित हो जाने के पश्चात् सन् १९६६ के सामान्य निर्वाचन में श्री राजाराम सिंह यादव- शंकरपुर कलाउ को प्रत्याशी घोषित किया जिनको मुसलिम मजलिस का भी समर्थन मिला और क्षेत्र में हरिजन मुसलिम भाई भाई का नारा लगाया गया । श्री यादव को पिछड़ी जाति, हरिजन एवं मुसलमानों के मत आंशिक ही मिले किन्तु प्रतिभूति सुरक्षित रही । यद्यपि पराजित हो गये । श्री राजाराम सिंह यादव , श्री बठईराम यादव से मतभेद होने पर संयुक्त समाजवादी दल से विलग हुए थे । सन् १९७४ एवं ७७ के सामान्य निर्वाचन में इस दल ने श्री हरिश्चन्द्र हरिजन को समर्थन किया किन्तु पराजय ही हाथ लगी । इस दल के प्रमुख कार्यकर्ता श्री रामउजागर बौद्ध - इँडिया एवं श्री हरिश्चन्द्र हरिजन इँडिया कार्यरत हैं किन्तु संगठनात्मक इकाई का अभाव है ।[30]

भारतीय जनसंघ

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् भारत के नवनिर्माण हेतु अनेक नीतियाँ भारतीय राजनीतिज्ञों के मानस में उद्भूत हुईं । परिणामस्वरूप अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को त्यागकर प्रभावी व्यक्तित्व एवं अस्तित्वपूर्ण नेताओं ने नवीन राजनीतिक दलों को जन्म दिया । विशुद्ध भारतीय संस्कृति, मर्यादा एवं धर्म के अनुरूप सद् परिवर्तन सापेक्ष एवं गौरवास्पद अतीत से प्रेरित राष्ट्रवाद का आधार लेकर २१ अक्टूबर सन् १९५१ ई० को डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की । डाक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा संस्थापित एवं श्री माधवराव सदाशिव राव गोलवलकर द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक सांस्कृतिक संगठन के कुछ तरुण, तेजस्वी, संगठन कौशल संपन्न एवं राष्ट्रार्पित जीवनवाले कार्यकर्ता जैसे

श्री प्रेमनाथ डोगरा- जम्मू, श्री यज्ञदत्त शर्मा - पंजाब, श्री वसंतराव ओक- दिल्ली, श्री बलराज मधोक- दिल्ली, श्री नाना जी देशमुख - महाराष्ट्र , श्री दीनदयाल उपाध्याय एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी- उत्तर प्रदेश, श्री जगन्नाथ राव जोशी - कर्नाटक, श्री सुन्दर सिंह भंडारी - राजस्थान आदि ने भारतीय जनसंघ के कार्यभार को अपने सबल कंधों पर लिया , इनके द्वारा विद्युत प्रवाह की भांति भारतीय जनसंघ भारत में विस्तीर्ण हुआ । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की वैचारिक आधार भूमि पर राजनीतिक भूमिका का अभिनय भारतीय जनसंघ का प्रमुख कार्य हुआ ।

हंडिया विधान सभा क्षेत्र के श्री राजाराम त्रिपाठी -धौरहरा में राजनीतिक चेतना सन् १९४४ ई० से जागृत हो गयी थी । जब श्री त्रिपाठी प्रयाग में अध्ययन के लिये गये तब सन् १९४६ ई० से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संपर्क में आ गये तथा नियमित स्वयं सेवक हो गये । ८ जुलाई सन् १९४८ ई० में नेशनल हायर सेकेन्ड्री स्कूल हंडिया (वर्तमान सेठरामचरणदास परशराम पुरिया नेशनल इण्टर कालेज, हंडिया) में सहायक अध्यापक के रूप में श्री त्रिपाठी सेवायोजित हुए । वसंत पंचमी सन् १९५० ई० से श्री शारदा प्रसाद त्रिपाठी - छिबैया के प्रचारकत्व में धौरहरा की शाखा प्रारंभ हुई । जब भारतीय राजनीतिक गगन में भारतीय जनसंघ का अभ्युदय हुआ तब श्री राजाराम त्रिपाठी ने इस दल की इस क्षेत्र में स्थापना तथा नवंबर सन् १९५१ ई० में श्री जगन्नाथ पाण्डेय वकील-हंडिया (भूतपूर्व कांग्रेसी) की अध्यक्षता में सरायमीधा विद्यालय पर की ।[३१] इस सभा को श्री श्याम मोहन श्रीवास्तव - अध्यापक कृषि प्रशिक्षण विद्यालय ने सम्बोधित किया जिसमें उन्होंने भारतीय जनसंघ के उद्देश्यों , कार्यक्रमों एवं नीतियों पर प्रकाश डालते हुए वास्तविक स्वतंत्रता के लिए अखण्ड भारत की अनिवार्यता को सिद्ध किया। श्री राजाराम त्रिपाठी ने राजनीति को भारतीय मूल्यों के अनुसार होने पर बल दिया । सराय मीधा की सभा के पश्चात् अर्जुन पट्टी , अढ़िनी, शाहीपुर, मरौं एवं धौरहरा आदि स्थानों पर सभायें आयोजित हुई । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का विस्तार जिन ग्रामों तक हुआ था उसके आस पास के ग्रामों में भी भारतीय जनसंघ का प्रसार हुआ और अनेक कार्यकर्ता चुनाव की होली खेलने के निमित्त विचारों का रंग दलीय निष्ठा की पिचकारी में भरकर निकल पड़े ।

सन् १९५२ ई० के सामान्य निर्वाचन में हँडिया विधान सभा क्षेत्र (तत्कालीन फेवार्ड क्षेत्र) से श्री शारदा प्रसाद त्रिपाठी- हिकैया, फूलपुर तहसील, इलाहाबाद जो कि वहां पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तहसील प्रचारक थे, प्रत्याशी घोषित हुए । लोक सभा के लिए निर्दलीय प्रत्याशी श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी - संकीर्तन भवन झूंसी जो कि हिन्दू कोड बिल और गौ हत्या के प्रश्न पर पं० जवाहर लाल नेहरू का विरोध कर रहे थे, का प्रत्यक्ष समर्थन भारतीय जनसंघ ने किया । श्री ब्रह्मचारी जी की प्रथम सभा इस क्षेत्र में हँडिया बाजार में हुई जिसमें मुसलमान भी सम्मिलित हुए ।[32] श्री ब्रह्मचारी जी की सभा में श्री शारदा प्रसाद त्रिपाठी एवं श्री राजाराम त्रिपाठी प्रमुख वक्ता रहे और श्री ब्रह्मचारी जी ने झाँझ बजाकर " हरे राम हरे कृष्ण " का कीर्तन किया, जनता ने भी कीर्तन किया और अन्त में ब्रह्मचारी जी का लिखित संदेश वक्ता के द्वारा सुनाया गया । हँडिया विधान सभा क्षेत्र के समस्त बाजारों एवं प्रमुख ग्रामों में श्री ब्रह्मचारी जी की सभायें हुई और भारतीय जनसंघ के नेताओं ने भी उसी मंच पर अपना भी प्रचार किया जिससे धार्मिक भावना प्रबलतर रूप में जागृत हुई । जनता ने भारतीय जनसंघ को धार्मिक दल के रूप में मान्यता प्रदान किया ।

सन् १९५२ ई० के चुनाव काल के अन्तिम दिन मतदान के एक दिन पूर्व धौरहरा ग्राम में श्री ब्रह्मचारी जी एवं पं० नेहरू के मतयाचकों एवं समर्थकों के मध्य संघर्ष हो गया जिसमें विधान सभा के कांग्रेस प्रत्याशी श्री महावीर प्रसाद शुक्ल ने अपने दल की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर पं० नेहरू के समर्थकों की भरपूर सहायता किया परिणामस्वरूप श्री राजाराम त्रिपाठी, श्री रामलाल दूबे, श्री राजमणि त्रिपाठी, श्री सत्य नारायण सिंह, श्री बृजराज सिंह, श्री अभयराज सिंह, श्री शीतला बक्स सिंह एवं श्री मूलई सिंह - कुल आठ जनसंघ समर्थकों पर अभियोग चले और निम्न न्यायालय से दो भिन्न धाराओं में कुल मिलाकर चार मास का कारावास दण्ड तथा पन्द्रह पन्द्रह रुपये अर्थ दण्ड का निर्णय हुआ और तत्काल आठों व्यक्तियों को कारागार में प्रेषित कर दिया गया । उच्च न्यायालय से श्री राजाराम त्रिपाठी मुक्त हुए तथा तत्पश्चात १९ अगस्त सन् १९५२ ई० को विद्यालय सेवा से निष्कासित कर दिये गये । यह कुठाराघात भी श्री त्रिपाठी को पथ से विचलित करने में असफल रहा । शेष सात अभियुक्त उच्च

न्यायालय से दोषमुक्त हुए । श्री त्रिपाठी के विद्यालय से निष्कासित होने से उनका परिवार संकट में हो गया तथा सैंठिया निर्वाचन क्षेत्र ने भी जनसंघ की ध्येय निष्ठा का एक प्रमाण प्राप्त किया ।

सन् १९५२ ई० का चुनाव व्यतीत होने पर एवं पराजित दशा में श्री शारदा प्रसाद त्रिपाठी का स्थानान्तरण हो गया । श्री राजाराम त्रिपाठी ने संपूर्ण दायित्व लिया । कांठी, मुरादाबाद जनपद में प्रांतीय सम्मेलन हुआ जिसमें श्री राजाराम त्रिपाठी एवं श्री तीर्थराज ज्योतिषी भाग लेने गये । इसी सम्मेलन में श्री दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश के महामंत्री बने । गौ हत्या के विरोध में अनेक सहस्त्र व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराकर भारत के राष्ट्रपति को प्रेषित किया । जुलाई सन् १९५४ ई० में श्री त्रिपाठी ने श्रीनारायण माध्यमिक विद्यालय (वर्तमान इण्टर कालेज) धनतुलसी, कोनियां वाराणसी का प्रधानाचार्य पद स्वीकार किया । इस विद्यालय में श्री त्रिपाठी ने अपनी विचारधारा के तथा सैंठिया विधान सभा क्षेत्र के निवासी अनेक अध्यापकों की नियुक्तियां की । श्री त्रिपाठी सैंठिया विधान सभा क्षेत्र में भारतीय जनसंघ के संस्थापक, संरक्षक एवं मार्ग द्रष्टा होने के कारण जन जागरण जन संपर्क एवं जन समस्याओं के प्रति सचेष्ट रहे । श्री त्रिपाठी ने अनेक चरित्रवान, आदर्श युक्त एवं कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं का निर्माण तथा संरक्षण किया जिसमें प्रमुख श्री अवधेशवर दुबे- अहिली ; श्री राजपति पाण्डेय, अन्नाव ; श्री राजपति मिश्र-कुकुढ़ा श्री परमानन्द तिवारी - भिदिउरा ; श्री ब्रह्मदीन द्विवेदी - ढेढा ; श्री चिन्तामणि यादव - बाघुपुर ; श्री केदारनाथ केशरवानी सैंठिया ; श्री कुंवर राजेन्द्र प्रताप सिंह- शाहीपुर ; श्री शम्भूनाथ सिंह- डैंटिहा ; श्री पुरुषोत्तम सिंह - रामनगर ; श्री बेनी प्रसाद सिंह- उपरदहा ; श्री बलदेव प्रसाद यादव - बाघुपुर ; श्री चन्द्र किशोर पाण्डेय एवं श्री देवीशंकर पाण्डेय- धरिहा आदि नवयुवक छात्र रहे ।

सन् १९५७ ई० के सामान्य निर्वाचन में श्री गुनराज सिंह वकील जिठौली, विधान सभा के लिए प्रत्याशी घोषित हुए और श्री राजाराम त्रिपाठी डमी (डमी) प्रत्याशी रहे । श्री सिंह का राजनीतिक जीवन महत्वपूर्ण नहीं था किंतु क्षेत्र के प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य तथा गणमान्य व्यक्तियों में एक रहे ।

श्री त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का एक दल अनवरत दस दिनों तक लगा एवं प्रचार कार्य में लगा । इस चुनाव अभियान में सैदाबाद बाजार में सभा की पूर्ण व्यवस्था होने पर भी श्री यश नारायण मिश्र - कांग्रेस कार्यकर्ता के व्यवधान से सभा नहीं हो सकी । नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को अपार कष्ट हुआ और वहीं पर तय किया कि अब सैदाबाद क्षेत्र में भी स्थायी कार्य खड़ा किया जाय । श्री सिंह कसावों से आक्रान्त हुए एवं अन्ततोगत्वा पराजित हो गये किन्तु दल को पिछले चुनाव से अधिक मत प्राप्त हुए । अल्पकाल में ही श्री सिंह ने दल की सदस्यता से त्याग पत्र भी दे दिया ।

२७ अगस्त सन् १९५९ ई० को सेठ रामरिषपाल , परसराम पुरिया नेशनल इण्टर कालेज हंडिया में श्री राजाराम त्रिपाठी के परिवार के एक सदस्य की नियुक्ति अध्यापक के पद पर हुई । इस नियुक्ति से क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों में तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं में भारतीय जनसंघ के विकास की कल्पनायें पनपती हुईं । श्री राजाराम त्रिपाठी के निर्देशन में दल का कार्य तीव्र हुआ और संगठनात्मक स्वरूप एक बार पुनः खड़ा हुआ जिसके अन्तर्गत स्थानीय एवं मण्डल समितियाँ गठित हुईं ।

अक्टूबर सन् १९६० ई० से श्री चन्द्र किशोर पाण्डेय सहित ने अपना पूर्ण समय देकर तहसील संगठन मंत्री का पद ग्रहण किया तथा सैदाबाद को ही केन्द्र बनाया । सप्ताह में दो दिन श्री त्रिपाठी भी सैदाबाद जाकर कार्य को गति देते एवं समस्याओं को सुलझाते थे । जब भारतीय जनसंघ का प्रभाव उत्तरोत्तर वृद्धि करने लगा तब स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता श्री चन्द्र किशोर पाण्डेय को हत्या की धमकी देने लगे ।[३३] श्री पाण्डेय धमकियों को सुनते हुए भी अविचल , ध्येयनिष्ठ एवं निडर होकर अपनी साधना में संलग्न रहे जिसके फलस्वरूप अनेक नवयुवक छात्र दल के कार्यकर्ता बने जिनमें प्रमुख श्री जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी, श्री सुरेश चन्द्र मिश्र, श्री गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री त्रिलोकी नाथ शुक्ल, श्री रामबाबू केसरी, श्री केशव प्रसाद केसरी आदि हैं । इन कार्यकर्ताओं के परिवारों से संबंध स्थापित हो गये और सैदाबाद जन संघियों का घर हो गया । सैदाबाद को जागृत एवं कर्मरत करने के पश्चात् श्री पाण्डेय ने हंडिया विधान सभा क्षेत्र के अन्य केन्द्र बनैला, बरगढ़िया, धनकेसरा के सन्निकट ग्रामों में व्यक्तियों को अपने दल का विचार,

कार्यक्रम एवं नीति का प्रचार करते हुए सदस्य बनाना प्रारंभ किया । साथ में हैदाबाद के कार्यकर्ता भी रहने लगे ।

१६ फरवरी सन् १९६१ ई० से ही आगामी निर्वाचन में जनसाधन के निमित्त सरिज्ञा के समीप पुरेमधुरादास ग्राम से सभायें प्रारंभ हुई जिनमें प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रख्यात भौतिक शास्त्री डा० मुरली मनोहर जोशी, वाराणसी जनपद के अन्तर्गत ज्ञानपुर के भूतपूर्व मानसेवी दण्डाधिकारी (आनरेरी मजिस्ट्रेट) श्री मुरलीधर पाण्डेय एवं श्री राजाराम त्रिपाठी प्राचार्य के सारगर्भित, आलोचनात्मक तथा वस्तुनिष्ठ भाषण हुए जिससे उपस्थित जन समूह जनसंघ की विचारधारा से प्रभावित हुआ। विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर सभायें हुई और संपूर्ण क्षेत्र में जनसंघ की चर्चा प्रारंभ हो गयी जिस वातावरण का लाभ उठाने के लिए सदस्यता अभियान तीव्रगति से चलाया गया और श्री पारसनाथ ■■ पाण्डेय - मनोहरपुर, प्राचार्य राधास्वामी धाम इण्टर कालेज, वाराणसी भी संपर्क में आये तथा सभाओं को संबोधित करने लगे ।

सन् १९६१ ई० के ग्रीष्मावकाश में संपूर्ण विधान सभा क्षेत्र में चार पांच ग्रामों के मध्य बिन्दु पर एक सभा करने की योजना श्री राजाराम त्रिपाठी के निर्देशन में निश्चित हुई । घरबस हरैक रहेक एक बताना, ताहू हरत मधाका कहना के मार्मिक कथन एवं एक समाजवाद विरोधी चित्र के साथ सूचना पत्र मुद्रित हुए और कार्यकर्ताओं का एक दल निकल पड़ा जिसमें श्री राजाराम त्रिपाठी , श्री पारसनाथ पाण्डेय, श्री राज प्रजापति पाण्डेय, श्री रामसूरत पाण्डेय, श्री राजपति मिश्र, श्री चिन्तामणि यादव एवं श्री सत्य नारायण शास्त्री, श्री चन्द्र किशोर पाण्डेय, श्री कृष्ण प्रसाद पाण्डेय आदि प्रमुख रहे, इनके अलावा अनेक स्थानीय कार्यकर्ता भी संलग्न रहे । एक एक दिन में दो या तीन सभायें आयोजित की गयी जिसमें मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार, उत्कोच, सहकारी खेती, चीनी आक्रमण एवं पंचशील, गौ हत्या, अंग्रेजी भाषा के प्रति व्यामोह तथा समाजवादी नीतियों आदि के विरोध में भाषण, कवितायें एवं गीत होते तथा भारतीय जनसंघ के सिद्धान्तों, नीतियों एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डाले जाते और अन्त में उत्साहवर्धक नारे लगाकर सभा विसर्जित होती । प्रचण्ड अनल लपटों के सदृश दारुण वायु के झोंकों में भी सभायें होती रही जिसका लोकमानस पर गंभीर प्रभाव पड़ा कि जनसंघ के नेता एवं कार्यकर्ता वचनों के धनी होते हैं । संपूर्ण विधान सभा

क्षेत्र में सैकड़ों सभायें हुईं जिससे जनसंघ का प्रचार एवं प्रसार बाल, युवक, वृद्ध, कृषक मजदूर एवं व्यापारी सभी वर्गों में हुआ । क्षेत्र में जनसंघ की स्तुति तथा अन्य दलों विशेष रूप से कांग्रेस की निन्दा के स्वर फूट पड़े । इन सभाओं से जनता जनसंघ की जानकारी तथा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से परिचित हुई एवं जनसंघ के कार्यकर्ता एवं नेता व्यक्तियों, ग्रामों, मार्गों, समस्याओं एवं चुनावकर्ताओं से अवगत हुए । विधान सभा क्षेत्र में अपने दल के समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं की सूची निर्मित हुई । इन सभाओं से श्री राजाराम त्रिपाठी, श्री पारसनाथ पाण्डेय, श्री राजपति पाण्डेय एवं अन्य कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में विकास हुआ तथा कार्यकर्ताओं का परिवारों में स्वागत होने लगा जबकि इससे पूर्व इन्हें मांगकर पानी पीना पड़ता था ।

पावस पश्चात् विजय दशमी के अवसर में पुन: सभाओं का आयोजन हुआ जिससे क्षेत्र में पुन: नूतनता आयी । विजय दशमी पर स्थानीय कार्यकर्ता झण्डा, टोपी एवं बिल्ला लगाकर छोटे छोटे समूहों में मेला केन्द्रों पर पहुंचे । जनवरी सन् १९६२ ई० में तहसील सम्मेलन सेठरामकिशनदास परसराम पुरिया नेशनल इण्टर कालेज रसड़ा के सभाकक्ष में श्री पारसनाथ पाण्डेय प्राचार्य की अध्यक्षता में हुआ । इस सम्मेलन में स्थानीय संवाददाता भी उपस्थित रहे । सम्मेलन में डा० मुरली मनोहर जोशी एवं श्री राजाराम त्रिपाठी के अभिभाषण हुए और १४ सूत्री प्रस्ताव पारित हुए । प्रस्ताव संख्या ४ में [illegible], कनूपुर एवं कामेपुर में राजकीय चिकित्सालय खोलने की मांग ; प्रस्ताव संख्या ७ में गोड़री, (दुमदुमा) दुमदुमा एवं कारागृह के नालों को बांधकर भूस्खलन रोकने की मांग , प्रस्ताव संख्या ८ में रसड़ा टेक्निकल कालेज को बहु धंधी करने की मांग तथा प्रस्ताव संख्या १० में इलाहाबाद से रसड़ा तक नगरबस सेवा प्रारंभ करने की मांग आदि आज पन्द्रह वर्षों के बाद भी सरकार की दृष्टि से परे ही प्रतीत होती है ।[३४]

सन् १९६२ ई० के सामान्य निर्वाचन के लिए जनसंघ ने श्री राजाराम त्रिपाठी प्राचार्य को अपना प्रत्याशी घोषित किया । श्री त्रिपाठी कुशल संगठक, सूक्ष्म विचार द्रष्टा, ध्येयनिष्ठ, सच्चरित्र, ओजस्वी वक्ता, व्यवहार निपुण ; कार्यकर्ता निर्माणक, अटूट साधक एवं विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति रहे जिससे प्रभावित होकर आय करनेवालों ने एक एक मास का वेतन तथा यथासंभव समय निर्वाच

में दिया । उत्तर प्रदेश जनसंघ के पदाधिकारी श्री गंगाभक्त सिंह पधारे तथा समस्त कार्यकर्ताओं को संबोधित किया । डा० मुरली मनोहर जोशी ने अनेक सभाओं में भाषण दिया । इस निर्वाचन क्रम में श्री राम अभिलाष पाण्डेय- पनदेवरा, श्री दीना नाथ तिवारी- छित्वार, श्री राम अभिलाष पाण्डेय - आसेपुर , श्री राज नारायण मउैया- बनैला, श्री भोलानाथ तिवारी- घरावनपुर, श्री चन्द्रभूषण पाण्डेय-पूरेघुड़ई श्री सिद्धिनाथ त्रिवेदी- लदागृह , श्री तिलकराज सिंह - डुबकीकला, श्रीराममूर्ति मिश्र- मेळसी, श्री सन्तलाल शुक्ल - सैवा, श्री फूलचन्द्र पाण्डेय - अतरौरा, श्री बाबाराम मिश्र- बौसीपुर, श्री चिन्तामणि मिश्र- पूरेकन्ता, श्र सीताराम हरिजन-नैकीपुर, श्री राज किशोर मिश्र - वीरापुर आदि नवीन कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ । इस चुनाव में जनसंघ कार्यकर्ताओं के दल के रूप में जनता के समक्ष उभरा । सीमित साधनों निष्ठावान, कर्मठ एवं जीवट के कार्यकर्ताओं तथा आदर्शवादी सिद्धान्तों के बल पर जनसंघ चुनाव लड़ा किन्तु जातिवाद , प्रलोभन,दबाव एवं आर्थिक प्रभाव की कांग्रेसी आंधी में उसका रंग धूल धूसरित हो गया और श्री त्रिपाठी पराजित हो गये ।

सन् १९६२ के सामान्य निर्वाचन के पश्चात् श्री पारसनाथ पाण्डेय- प्राचार्य तथा श्री राजपति पाण्डेय- अध्यापक दोनों जनसंघियों को राधास्वामी धाम विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया । इससे इंडिया जनसंघ की प्रतिष्ठा एवं प्रसार को पुन: आघात लगा किन्तु बीजों के विनाश से ही पौधे का जन्म एवं विकास होता है । कालान्तर में श्री राजाराम त्रिपाठी की प्रेरणा, सहयोग एवं सहायता से बनैला में माधव माध्यमिक विद्यालय सरस्वती आश्रम बनैला की स्थापना हुई और श्री राजपति पाण्डेय को उसका प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया जो कालान्तर में इण्टर कालेज हो गया । श्री पारसनाथ पाण्डेय-प्राचार्य को पुन: एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्राचार्य पद प्रदान किया गया ।

सन् १९६४ ई० में लोक सभा के उपचुनाव में श्री सीताराम यादव जौनपुर को दल का प्रत्याशी घोषित होने पर यहां के सभी कार्यकर्ता श्री राजाराम त्रिपाठी के निर्देशन पर कार्य किये और यादव परिवारों में अपना प्रभुत्व विस्तार करने का प्रयास किये । १९ अगस्त सन् १९६५ ई० को श्री जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का एक दल 'कच्छ समझौते' के विरोध में प्रदर्शन करने दिल्ली गया । सन् १९६६ ई० के अगस्त में भयंकर सूखा पड़ने पर कृषकों का एक प्रदर्शन श्री राजाराम

त्रिपाठी के नेतृत्व में हंडिया तहसील पर हुआ जिसमें राजस्व मुक्ति, फसल आहार एवं सिंचाई साधनों की याचना की गयी । प्रयाग नगर से जिला उपाध्यक्ष श्री नाथूराम शिक्षक एवं संगठन मंत्री श्री श्रीनाथ द्विवेदी भी प्रदर्शन को सफल बनाने के निमित्त आये और स्थानीय जनसंघ के सभी कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए । तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया और उन्होंने सरकार तक प्रेषित करने का आश्वासन दिया ।
७ नवंबर गोपाष्टमी सन् १९६६ ई० पर जब अखिल भारतीय गौ हत्या निरोध समिति के आह्वान पर श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के नेतृत्व में दिल्ली संसद पर प्रदर्शन हुआ उसमें श्री जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी के ही नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों का एक दल इस क्षेत्र से सम्मिलित होने गया ।

सन् १९६७ ई० के सामान्य निर्वाचन में भारतीय जनसंघ ने श्री नरवदा प्रसाद मिश्र विधिज्ञ, निवासी सैदाबाद एवं प्रवासी प्रयाग नगर, को विधानसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया । श्री मिश्र का जनसंघ से पूर्व संबंध नहीं था किन्तु प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होने के कारण स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं नेताओं में उत्साह रहा । मण्डलों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की एक बैठक हंडिया में हुई और श्री राजाराम त्रिपाठी को चुनाव संचालक नियुक्त किया गया । इस निर्वाचन अभियान में श्री राजकरन मिश्र- सिहुंनी ; श्री विजय नारायण दूबे- अतरौरा, श्री महादेव सिंह- बौबहा, श्री प्रेमशंकर तिवारी - हरीपुर, श्री आत्माराम त्रिपाठी- धौरहरा, श्री परमानन्द कुशवाहा- धौरहरा, श्री कृष्णचन्द्र मिश्र - अर्जुनपट्टी, डा० अब्दुल खालिक हंडिया , श्री शिवधारी सिंह - सपटिहा, श्री गंगा प्रसाद मिश्र- बढ़ौली, श्री चूड़ामणि उपाध्याय- मकूदना, श्री श्रीनाथ बिन्द- बाजापुर, श्रीराम प्रताप सरोज- बिर्कीबनियां, श्री शोभानाथ पाण्डेय, बाँदा आदि नये कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ ।

हंडिया जनसंघ के इतिहास में प्रथम बार सैदाबाद, हंडिया और बरौत बाजारों में चुनाव कार्यालय खुले और नियमित अपने कार्य किये । सभाओं का क्रम प्रारंभ हुआ जिसकी प्रथम सभा हरीपुर- सिधवार- तथा उसी दिन औरा में दूसरी सभा भी हुई जिसमें श्री राजाराम त्रिपाठी एवं प्रत्याशी श्री नरवदा प्रसाद

मिश्र के भाषण हुए । हैदराबाद बाजार में अखिल भारतीय जनसंघ के मंत्री श्री सुन्दर सिंह भण्डारी का हृदयग्राही, गंभीर एवं विवेकात्मक भाषण जन सभा में हुआ । अल्पावधि में संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण द्वार द्वार मिलते तथा सभाओं को संबोधित करते हुए प्रत्याशी का हुआ । ७३ दिवसीय अनशन श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी द्वारा गो हत्या के विरोध में होने के कारण एवं मूल्य वृद्धि से उत्पन्न संकटों से संपूर्ण भारत का राजनीतिक वातावरण कांग्रेस- विरोधी हो चला । इन बाह्य कारणों के अतिरिक्त प्रत्याशी की साधन संपन्नता, कार्यकर्ताओं की निष्ठा तथा तत्परता एवं स्थानीय पुराने कांग्रेसियों के अप्रत्यक्ष समर्थन से श्री मिश्र को दल के पिछले चुनाव से लगभग दुगुने मत प्राप्त हुए किन्तु विजय पराङ्मुख रही । पराजय के अनेक कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, परिसीमन के अनुसार एक चौथाई नये क्षेत्र का योग जिसमें पिछड़ी जाति एवं मुसलमानों की बहुलता है कारण सिद्ध हुआ ।

सन् १९६९ ई० में संयुक्त विधायक दल (संविद) सरकार की विफलता के कारण प्रदेश में पुनः विधान सभा के निर्वाचन की चहल पहल प्रारंभ हुई । इस बार भारतीय जनसंघ ने पिछड़े वर्ग के श्री रामरेखा सिंह निशंक - सैयदपुर वाराणसी, जो कि सेठ रामरिखदास परसरामपुरिया नेशनल इण्टर कालेज, सिंधिया में कला अध्यापक हैं,को प्रत्याशी घोषित किया । श्री निशंक कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता एवं अपनी जाति के नेता रहे और गत चुनाव में भी जनसंघ पर आरोपों का रंग अपनी तूलिका से रंजित करते रहे । इस निर्वाचन में श्री निशंक में निजी महत्वाकांक्षा का बीज अंकुरित हुआ जिसे पोषक तत्व जनसंघ में ही सुलभ दृष्टिगत कर श्री निशंक जी इसमें प्रविष्ट हुए । जनसंघ के कार्यकर्ताओं में असंतोष उत्पन्न हुआ क्यों कि प्रत्याशी का अतीत आकर्षक नहीं था किन्तु दल के अंतरंग नेताओं ने दलीय निष्ठा के आवरण में प्रत्याशी की त्रुटियों को आवृत करने का प्रयास किया । जनसंघ समर्थकों ने भी दलीय मापदण्डों के अनुसार प्रत्याशी नहीं है की ध्वनि करने लगे और भाल पर सन्देह की रेखायें अंकित हुईं । श्री निशंक ने शोधकर्ता से चुनाव के अंतिम दिनों में स्वयं कहा कि अब मैं बैठ जाऊँगा और श्री अठईराम का समर्थन कर दूंगा, किन्तु अनवरत साथ साथ रहने के कारण संभवतः यह कलंक नहीं लग सका । दल की पराजय हो गयी और गत निर्वाचन में प्राप्त मतों के आधे से भी कम मत मिले ।

३५

पराभव ने श्री निशंक को दलीय मानदण्डों के अनुरूप होने के

लिए विवश किया और वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक बने और स्थानीय अंतरंग नेताओं के मार्ग दर्शन से संघर्षपूर्ण जीवन की आधार शिला रखी । श्री निशंक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का एक दल दिल्ली सम्मेलन में गया और कुछ समय पश्चात् बंगला देश को मान्यता दिलाने के लिए आयोजित विशाल जन प्रदर्शन में भी पुन: दिल्ली गया जिसमें श्री पटाम्बर पाण्डेय- अर्जुनपट्टी, श्री चन्द्रधर मिश्र-भीटी, श्री विजय नारायण दुबे-अतरौरा, श्री गंगाधर मिश्र - कांकट, श्री सुखिराम बिन्द - बन्दीपट्टी आदि के नाम उल्लेखनीय है । श्री निशंक जी ने हंडिया विकास खण्ड पर एक अनोखा प्रदर्शन किया । प्रदर्शनकारियों के पास सर्प, बिच्छू एवं अन्य अनेकों विषैले जीव थे उन सभी ने श्री निशंक के नेतृत्व में विकास खण्ड कार्यालय पर पहुंचकर अपने अपने जीविकोपार्जन के प्राणियों को छोड़ दिया देखते देखते वे सभी कक्षों में प्रवेश करने लगे और सभी कर्मचारी कुर्सियों एवं मेजों के ऊपर खड़े होकर प्राण बचाओं का आर्तनाद करने लगे और उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदर्शनकारियों के लिए स्वीकृत भूमि अविलम्ब निर्मित हो जायगा । पूर्ण आश्वस्त होने पर ही श्री निशंक के आदेश पर सर्पों एवं बिच्छुओं को पकड़ लिया गया ।

हंडिया विधान सभा क्षेत्र में श्री राम प्रकाश गुप्त भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश जनसंघ एवं श्री रवीन्द्र किशोर शाही- देवरिया आदि नेताओं का आगमन हुआ जिससे जनता जनसंघ की सतत् सक्रियता को अनुभव करने लगी । सन् १९७४ ई० के सामान्य निर्वाचन में विधान सभा के लिए श्री निशंक को जनसंघ ने पुन: प्रत्याशी घोषित किया । चुनाव अभियान का शुभारम्भ १६ जनवरी, १९७४ ई० को अखिल भारतीय जनसंघ के नेता जनप्रिय ओजस्वी वक्ता, विचारक एवं भारतीय संसद के सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हंडिया रेलवे स्टेशन मैदान की विशाल जनसभा के सम्बोधन से किया । श्री वाजपेयी के पदार्पण से पहले अनेक नेताओं ने भाषण किया था । श्री वाजपेयी ने हंडिया की जनता से याचना किया कि " मेरे दल के नवयुवक सिपाही निशंक को विधान सभा में अवश्य पहुंचाइये ।" हंडिया विधान सभा क्षेत्र की जनता के स्वरों में श्री अटल बिहारी वाजपेयी शब्द बस गये और कार्यकर्ताओं के लिए मंत्र बन गये । सभी कार्यकर्ता अभियान में लग गये, कार्यालय सैदाबाद हंडिया तथा बरौत में क्रियाशील हो गये एवं सभाओं के आयोजन होने लगे । कार्यकर्ताओं का एक दल श्री राजाराम त्रिपाठी के संचालन में दूसरा दल एक अन्य व्यक्ति के संचालन में तीसरा दल श्री जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी एवं श्री सुरेश चन्द्र मिश्र के संचालन में

चौथा दल श्री नरका प्रसाद मिश्र एवं श्री राजकिशोर मिश्र के संचालन में तथा पंचम दल श्री निशंक जी के संचालन में क्षेत्र विभाजन करके चुनाव जीतने की आशा एवं विश्वास लेकर निर्विवाद कार्यरत हो गया । चुनाव अभियान का आरम्भ डा० मुरली मनोहर जोशी के फैजाबाद, हंडिया, बरांव एवं जामेपुर की सभाओं से हुआ । डा० जोशी ने श्री अमरनाथ मिश्र विपिन - भुपट्टी को भारतीय जनसंघ का सदस्य बनाकर विधान सभा के पूर्वोत्तर क्षेत्र में दल की निर्बलता को सबलता में रूपान्तरित कर दिया । अथक प्रयत्नों के पश्चात भी भाग्य ने साथ नहीं दिया और पराजय के कड़ुवें घूंट दल के कार्यकर्ताओं को ग्रहण करना पड़े ।

दल की ओर से हंडिया विकास क्षेत्र समिति की सदस्यता के लिए श्री राजकिशोर मिश्र एवं श्री चिन्तामणि यादव को चुनाव लड़ाया गया, धनुपुर विकास क्षेत्र समिति की सदस्यता के लिए श्री शुभिराम बिन्द एवं श्री कैलाशनाथ तिवारी- एक युवक को चुनाव मैदान में उतारा गया तथा फैदाबाद विकास क्षेत्र समिति के लिए श्री जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी की माता जी निर्विरोध चुन ली गई । दोनों विकास क्षेत्र समितियों की सदस्यता संघर्ष में श्री त्रिपाठी, श्री रामरेखा सिंह ' निशंक ' , श्री कुंवर राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री जटाशंकर पाण्डेय एवं श्री कृष्णचन्द्र मिश्र विजय के लिए विशेष सक्रिय रहे किन्तु सफलता नहीं प्राप्त हुई । विकास खण्ड प्रमुख का चुनाव धनुपुर विकास खण्ड से श्री कुंवर राजेन्द्र प्रताप सिंह लड़े किन्तु असफल रहे । मूल्य वृद्धि , चकबन्दी में अनियमितता एवं बेकारी आदि के विरोध में प्रत्येक विकास खण्ड पर प्रदर्शन तथा तहसील पर क्रमिक भूख हड़ताल हुई ।

अप्रैल सन् १९७४ को ' चीनी घोटाला काण्ड ' की जांच के लिए जनसंघ दल के श्री श्याम बिहारी त्रिपाठी- फैदाबाद एवं श्री शुभिराम बिन्द- बन्दी पट्टी आमरण अनशन पर तहसील भवन के सामने बैठे । ' चीनी घोटाला काण्ड ' में कुछ कोटेदार हंडिया , फैदाबाद एवं धनुपुर तीनों विकास खण्डों की संपूर्ण चीनी आवश्यक पदाधिकारियों के असत्य हस्ताक्षर बनाकर उठा लिए और ऊँचे मूल्य पर बिक्री कर दिया था । अनशन प्रारंभ होने के दूसरे दिन खाद्य पूर्ति निगम के अधिकारी तहसील पर आये, तीसरे दिन जिलाधीश ने तहसीलदार के माध्यम से अनशन समाप्त करने

की याचना किया और जांच का आश्वासन दिया किन्तु अनशनकारी अपराधियों को अविलम्ब पकड़ने तथा संपूर्ण चीनी जनता को दिलाने का आश्वासन प्राप्त करने पर अडिग रहे । तहसीलदार ने आकर अनशनकारियों को जब पूर्ण आश्वासन दिया तब संतरा के रस से आमरण अनशन भंग हुआ । गेहूं उद्ग्रहण (लेवी) के विरोध में २७ मार्च सन् १९७५ को किसान संघ का प्रदर्शन तहसील पर हुआ जिसमें श्री नरवदा प्रसाद मिश्र, श्री त्रिपाठी, श्रीराम रेखा सिंह, एवं श्री राधाकान्त पाण्डेय- कृष्णपुर के भाषणों ने उसके अनौचित्य को सिद्ध कर दिया । आये हुए कृषकों ने बिना उचित मूल्य प्राप्त किये गेहूं न देने की प्रतिज्ञा की ।

अप्रैल सन् १९७५ ई० में लोक संघर्ष समिति का गठन बाबू जय प्रकाश नारायण के बिहार आन्दोलन के समर्थक दलों ने हंडिया में भी गठित किया । २६ जून सन् १९७५ ई० को आपातकालीन घोषणा के पश्चात् २२ जुलाई,७५ को श्री रामरेखा सिंह निर्भीक एवं २६ जुलाई ७५ को श्री सुधिराम बिन्द भारत रक्षा अधिनियम के अनुसार बन्दी बनाये गये । प्रतिभूति पर दोनों व्यक्ति छूटकर आये । २२ नवंबर सन् १९७५ ई० से लोक संघर्ष समिति के आह्वान पर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ जिसके प्रथम जत्थे के सत्याग्रहियों के पकड़े जाने के कुछ क्षण पश्चात् श्री निर्भीक जी भी पकड़ लिए गये और उनके निवास कक्ष की सूक्ष्म परिपृच्छा पुलिस ने किया साथ में उप जिलाधीश हंडिया भी रहे । श्री निर्भीक की आवासीय सामग्री को बहिष्कृत करके उनके कक्ष को कांग्रेस दल के कार्यकर्ता के नाम से बण्टन आदेश उप जिलाधीश ने कर दिया । उपरोक्त दृश्य को विशाल जन समूह एवं उसमें विलीन दल के अनेक कार्यकर्ता आक्रोश एवं आह के आंसू पीकर मौन देखते रहे ।

लोक संघर्ष समिति के आह्वान पर हंडिया विधान सभा क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के ही नेता एवं कार्यकर्ता सत्याग्रह में सम्मिलित हुए और कारागार में बन्दी बनाये गये । इनमें श्री राजाराम त्रिपाठी, श्री राजपति पाण्डेय, श्री रामसूरत पाण्डेय, श्री सुधिराम बिन्द, श्री शुक्लानारायण मिश्र, श्री सुरेश चन्द्र मिश्र, श्री कमलेश केसरवानी , श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री तिलेश्वर प्रसाद मिश्र, श्री विजय नारायण दुबे, श्री अमर बहादुर सिंह, श्री हिन्द नारायण शुक्ल, श्री श्याम नारायण मिश्र एवं श्री श्याम चन्द्र द्विवेदी आदि पुलिस द्वारा भारत रक्षा अधिनियम में पकड़कर नैनी

कारागार में ठूंस दिए गये । उनका दो तीन मास के पश्चात् प्रतिभूति (जमानत) पर सभी कारागार से बाहर आये किन्तु अभियोग की तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होते रहे हैं । राजनीतिक कारणों से श्री तिवारी को आन्तरिक सुरक्षा कानून का राजनीतिक बन्दी बना दिया गया ।

सलेम्पुर विधान सभा क्षेत्र में भारतीय जनसंघ के पास सच्चरित्र, ध्येयनिष्ठ, व्यवहार कुशल, जन समस्याओं के लिए संघर्षशील, उच्च आदर्श संपन्न व्यक्तित्व वाले तथा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कार्यकर्ताओं एवं नेताओं का समूह है, ऐसी परिस्थिति में भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है ।

हिन्दू महासभा

हिन्दू महासभा का उद्देश्य हिन्दू राष्ट्र की संस्कृति एवं परंपराओं के आधार पर वास्तविक लोकतांत्रिक हिन्दू राज्य की स्थापना करना है तथा वह सभी वैध उपायों द्वारा अखण्ड भारत की पुनः स्थापनार्थ संकल्पबद्ध है । सलेम्पुर विधान सभा क्षेत्र में हिन्दू महासभा ने प्रथम बार सन् १९७४ ई० के निर्वाचन में अपना प्रत्याशी खड़ा किया । श्री छोटेलाल पाण्डेय - सलेम्पुर देवरिया जिला कार्यालय पर जाकर प्रथम सदस्य बने और दल के प्रत्याशी भी घोषित हुए । चुनाव में श्री पाण्डेय को व्यक्तिगत संपर्कों के आधार पर ही मत प्राप्त हुए और स्वाभाविक पराजय भी मिली । संप्रति दल की सलेम्पुर विधान सभा क्षेत्र में कोई संगठनात्मक इकाई नहीं है । सलेम्पुर विधान सभा क्षेत्र में हिन्दू महासभा श्री छोटेलाल पाण्डेय तक सीमित है जो स्वयं दल के लिए निष्क्रिय है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह सदस्यता चुनाव रणनीति की एक कड़ी के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी श्री राजाराम पाण्डेय से पारस्परिक विरोध रहा । श्री छोटेलाल पाण्डेय का प्रत्याशी होना श्री राजाराम पाण्डेय की पराजय में सहायक सिद्ध हुआ । हिन्दू महासभा का भविष्य इस विधान सभा क्षेत्र में मृग-मरीचिका ही है ।

संगठन कांग्रेस

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं की आपसी गुटबन्दी का भारत के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी-निर्णय में विस्फोट हुआ ।

सत्तारूढ़ तथा संगठनात्मक नेताओं में अपने अपने को शक्तिशाली एवं श्रेष्ठतम सिद्ध करने का स्वर्णिम अवसर राष्ट्रपति के अगस्त सन् १९६९ के निर्वाचन में प्राप्त हुआ । प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उद्घोषित " अन्तरात्मा की पुकार " ने दलीय अनुशासन का बलिदान एवं राजनीतिक नैतिकता की हत्या करके भारतीय राजनीति में क्रान्तिकारी परिवर्तनों के लिए प्रवेश द्वारा खोल दिया । प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा समर्थित प्रत्याशी श्री वाराह व्यंकट गिरि राष्ट्रपति हुए और कांग्रेस दल द्वारा समर्थित प्रत्याशी श्री नीलम संजीव रेड्डी पराजित हुए जिससे एक ऐतिहासिक, दूरगामी एवं वैचारिक युद्ध का शुभ भात हुआ । प्रधान मंत्री को कांग्रेस दल से निष्कासित किया गया जो कि " जहां राम तह अवध निवासू " सिद्ध हुआ और वयोवृद्ध दलीय संगठन के अध्यक्ष सहित अनेक त्यागी जीवन पर्यन्त दल की सेवा के व्रती " संगठन कांग्रेस " से सम्बोधित किये जाने लगे । ऐसा प्रतीत होता है कि " संगठन कांग्रेस " को पूर्ण विश्वास था कि भारतीय जनता उनका अभिनन्दन करेगी तथा सत्ता कांग्रेस , दूध की मक्खी सिद्ध होगी किन्तु परिणाम विपरीत ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं । संगठन सत्ता प्राप्ति का सोपान है और सत्ता का शासन संगठन की पीठ पर लाता है किन्तु दोनों का संबंध विच्छेद हो गया ।

संगठन की प्रकृति ऊर्ध्वगामी तथा विघटन की अधोगामी होती है । केन्द्रीय स्रोत से प्रवाहित विघटन की " संगठन कांग्रेस " सरिता हंडिया किसान सभा क्षेत्र तक पहुंची । संगठन कांग्रेस के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन-गांधीनगर अहमदाबाद में भाग लेने के लिए श्री तिलकराज सिंह प्रवक्ता (भूगोल) - कछुरिया एवं श्री अयोध्या सिंह (प्रवक्ता, अंग्रेजी) - जराही (सी०रा०म०नै०ह०कालेज हंडिया) गये । इन दोनों प्रतिनिधियों का उद्देश्य प्रमुख रूप से देश-दर्शन था ।[३६] संगठन कांग्रेस ने सदस्यता अभियान चलाया जिसमें लगभग २५०० सदस्य बने और हंडिया तथा सैदाबाद की " ब्लाक कांग्रेस कमेटी " का गठन भी हुआ ।[३७] सन् १९७१ ई० में लोक सभा के चुनाव में महागठबन्धन (संगठन कांग्रेस, भारतीय जनसंघ तथा स०सो०पा०) के आधार पर श्री जनेश्वर मिश्र स० सो० पा० को समर्थन दिया किन्तु कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं रहा । श्री दान बहादुर सिंह राजापुर जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री निर्वाचित हुए[३८] जिसके फलस्वरूप जिला पदाधिकारी दो बार हंडिया आये ।

सन् १९७४ ई० के सामान्य निर्वाचन में विधान सभा के लिए श्री रामलखन शुक्ल - हैदाबाद (प्रांतीय कार्यालय लखनऊ में तैनात) को संगठन कांग्रेस ने निर्विरोध प्रत्याशी घोषित किया । ज्ञातव्य है कि अविकाठित कांग्रेस ने भी उन्हें सन् १९६७ ई० के सामान्य निर्वाचन में अपना प्रत्याशी बनाया था । और श्री शुक्ल अल्पतम मतों से पराजित हो चुके थे । इस बार श्री शुक्ल आशान्वित थे कि क्षेत्रीय सम्भ्रान्त जनों के सहयोग से सफलता मिल सकेगी । इस चुनाव अभियान में श्री डा० देवराज सिंह हँडिया, श्री घनश्याम सिंह हँडिया, श्री दान बहादुर सिंह - रावतपुर तथा श्री दीनानाथ शुक्ल प्राचार्य- जूडा तथा अन्य अनेक सम्भ्रान्त जनों ने श्री शुक्ल का प्राण पण से साथ दिया किन्तु परिणाम यशस्कर नहीं हुआ । विरोध से हानि कहा जाता है जिसने कि हीनताजन्य मानसिक ग्रन्थी ने संगठन कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं में सत्ता कांग्रेस की ओर झुकने के लिए बाध्यता उत्पन्न कर दिया दल की सदस्यता का नवीनीकरण आज तक पुन: नहीं हुआ ।[३९] श्री रामलखन शुक्ल तथा श्री दान बहादुर सिंह के अतिरिक्त तीसरा कोई संगठन कांग्रेस का हाथ पैर नहीं दिखलाई देता । श्री सिंह ने विधान परिषद् के स्नातक निर्वाचन में तात्कालिक लोक पक्ष (संगठन कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल) के प्रत्याशी श्री लक्ष्मी सहाय सक्सेना के लिए सक्रिय मत याचना किया है किन्तु दलीय अनुगामियों का अभाव उन्हें श्वास स्थगन का अनुभव दे रहा है । " संगठन कांग्रेस " का दो ही भविष्य है या तो सत्ता कांग्रेस में विलय या नवीन विरोधी दल के गठन पर उसमें विलय ।[४०]

मुस्लिम मजलिस

भारतीय राजनीति में इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने अपने अभिवर्धन अनुरक्षण एवं आरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किया है जिसके परिणाम में पाकिस्तान तथा बंगला देश (जो पूर्वी पाकिस्तान था) का विश्व के मानचित्र में अभ्युदय है । मुस्लिम लीग की प्रेरणाओं ने भारत को खण्डित किया । हिन्दू एवं मुसलमान अपनी अपनी सुरक्षा एवं निष्ठा के कारण नव निर्मित पाकिस्तान तथा शेष भारत के लिए स्थानान्तरित हुए जिससे शरणार्थी समस्या उत्पन्न हुई । स्थानान्तरण काल में पर्याप्त अमानुषिक अत्याचार एवं हत्यायें भी हुईं । हँडिया विधान सभा क्षेत्र के भी प्रतिष्ठित मुसलमान पाकिस्तान चले गये ।

भारत में ही निवास करनेवाले शेष मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ देना परम कर्तव्य समझा । कालान्तर में केरल प्रदेश में मुस्लिम लीग पुनः गठित हुई तथा अन्य राजनीतिक तथा अराजनीतिक संगठन भारतवर्ष भर में भी । "जमायते उलमा", "जमायते इस्लाम" तथा मुस्लिम मजलिस " आदि संगठन कार्यरत हुए । डोंड़िया विधान सभा क्षेत्र में सन् १९५७ ई० में मुस्लिम मजलिस का संगठन हुआ और श्री इफ्तिखार हुसैन उर्फ छब्बन मियां - उसका अध्यक्ष हुए ।[४१] मुस्लिम मजलिस में विभिन्न राजनीतिक विचारधारा वाले सभी मुसलमान सदस्य हो सकते हैं क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों का येन केन प्रकारेण हित करना है । यह अराजनीतिक संगठन अपने मूल्यों, विशेषकर उर्दू शिक्षा को स्वीकार करनेवाले राजनीतिक दलों को समर्थन देता रहा । अनेक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सन् १९६८ ई० में डाक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने " मुस्लिम मजलिस" के रूप में शुद्ध राजनीतिक दल संगठित किया ।

डोंड़िया विधान सभा क्षेत्र में मुस्लिम मजलिस का संगठन मुस्लिम मशव्रात की आधार शिला पर हुआ और श्री छब्बन मियां ही अध्यक्ष हुए । मुस्लिम मजलिस के लगभग चार हजार सदस्य बने । सन् १९६९ ई० के विधानसभा निर्वाचन में श्री राजाराम सिंह यादव एडवोकेट[४२] अकबरपुर रिपब्लिकन प्रत्याशी को प्रतिभाव के अनुसार मुस्लिम मजलिस ने समर्थन दिया जिससे भारतीय क्रान्तिदल एवं कांग्रेस दोनों की आशाओं पर तुषारपात हो गया । मुस्लिम मजलिस के पदाधिकारी सदैव आकर मार्ग-दर्शन करते रहते हैं ।[४३] जिला कार्य समिति के सदस्य श्री जफर इमाम एडवोकेट का स्थायी भवन डोंड़िया में ही है । डा० फजलुल रहमान रहमी, शेख मुहम्मद नकी, सैय्यद अब्दुल मजीद उर्फ मज्जा मियां, डा० मुख्तार अहमद सिद्दीकी ,निवासीगण डोंड़िया आदि इस दल के आधार स्तम्भ हैं जो कि मुसलमान समाज को संगठित,सुरक्षित उन्नतशील एवं जागृत रखकर राजनीतिक चेतना देते रहते हैं ।

सन् १९७४ ई० के निर्वाचन में त्रिदलीय मोर्चा (भाक्राद, संसोपा तथा मुस्लिम मजलिस) के प्रत्याशी श्री लठ्ठूराम यादव को समर्थन दिया और विजय का श्रेय-विभाजन किया । डा० फरीदी की मृत्यु के पश्चात् सदस्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ और न तो संगठन की प्रक्रिया हुई किन्तु पुराने पदाधिकारी दल में जीवित हैं । जमायते इस्लाम" पर प्रतिबन्ध का आघात अनुभव किया जा रहा है । मुस्लिम

मजलिस स्वयं चुनाव जीतने में असमर्थ है किन्तु अपना समर्थन देकर दूसरे दल को विजयी बनाने में सक्षम है ।

जनता पार्टी

२६ जून सन् १९७५ ई० से २३ मार्च सन् १९७७ ई० तक के आपात्-काल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अनेक विरोधी दलों के ध्रुवीकरण के फलस्वरूप जनता पार्टी का अभ्युदय है । मार्च सन् १९७७ ई० के लोक सभा निर्वाचन में सफलता प्राप्ति हेतु एवं केन्द्र में सत्ता कांग्रेस का विकल्प प्रस्तुत करने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल संगठन कांग्रेस एवं समाजवादी दल के शीर्षस्थ नेताओं ने जनाकांक्षा के अनुकूल लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण के संरक्षण में एकत्रित होकर जनता पार्टी के नाम से नामपत्रित हुए । लोक सभा के निर्वाचन की घोषणा के पश्चात् सत्ता कांग्रेस से निकलकर श्री जगजीवन राम की अध्यक्षता में उनके दल के कुछ नेताओं ने लोकतांत्रिक कांग्रेस का भी गठन किया जिसने भी जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही निर्वाचन में भाग ग्रहण किया । केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार श्री मोरार जी देसाई के नेतृत्व में बनी । १ मई सन् १९७७ ई० को जनता पार्टी के सभी पांच घटकों ने अपने नाम एवं चुनाव चिन्हों को समाप्त कर जनता पार्टी में विलीन होने की घोषणा दिल्ली में किये ।

हंडिया विधान सभा क्षेत्र में समाजवादी दल के अतिरिक्त जनता पार्टी के अन्य घटकों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं नेता न्यूनाधिक अंशों में हैं । लोकसभा एवं विधानसभा में इस क्षेत्र से जनता पार्टी का प्रतिनिधि ही जन प्रतिनिधित्व कर रहा है। विधान सभा क्षेत्र स्तर पर अभी तक जनता पार्टी का संगठन नहीं हुआ है जबकि प्रथम वर्ष गांठ पूरी हो गई है । जनता पार्टी की यह संक्रमण वेला है क्योंकि उसके मौलिक घटकों की इकाईयां एवं मूल्य अप्रभावी हो गये हैं किन्तु उनके स्थान पर नई इकाईयों का गठन तथा नये मूल्यों का प्रभावी सृजन नहीं हो सका है । जनता पार्टी के प्रत्येक घटक में परस्पर प्रतिस्पर्धा एवं ईर्ष्या के भाव यदा कदा प्रकट हो जाते हैं । क्षेत्रीय विधायक श्री बलदेवराम यादव भारतीय लोक दल घटक से सम्बद्ध होने के कारण परिवर्तित परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने का यत्न कर रहे हैं । जनता पार्टी की प्रथम वर्ष गांठ

तक श्री जनेश्वर मिश्र एवं श्री नरसिंह यादव सदस्यगण केन्द्रीय मंत्रि परिषद् तथा श्री सत्य प्रकाश मालवीय, श्री गणेशदत्त बाजपेयी। श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री काली चरण यादव, श्री सूबेदार प्रसाद, श्री रेवतीरमण सिंह एवं श्री शिवदास तिवारी, सदस्यगण उत्तर प्रदेश मंत्रि परिषद् के आगमन हंडिया विधान सभा क्षेत्र में हुए हैं। दुर्भाग्य है कि संगठन के पदाधिकारियों का आगमन जनता पार्टी की संरचना का आधार खड़ा करने हेतु बिल्कुल नहीं हुआ जिससे जनता पार्टी अपने घटकों के प्रवरों का अनियंत्रित सह मिलन है।

सामान्य निर्वाचन १९५२ कैमाई विधान सभा क्षेत्र

मतदाता - ६०८००

मत पड़े - ३००२२

महावीर प्रसाद शुक्ल (कांग्रेस)	१५७७७
गिरधर सिंह यादव (शोषित)	८१३५
देवी प्रसाद (के० एम० पी० पी०)	२५०४
वृषेश्वर प्रसाद तिवारी (निर्दलीय)	१५९८
शारदा प्रसाद त्रिपाठी (जनसंघ)	११६५
राज नारायण शुक्ल (रामराज्य परिषद्)	७४३
अस्वीकृत मत	१००

अन्तिम चार प्रत्याशियों ने अपनी ज़मानतें खो दिए ।

स्रोत : पायनियर ६ फ़रवरी बुधवार १९५२ पृष्ठ ५ ।

००००

सामान्य निर्वाचन १९५७ कैमाई विधान सभा क्षेत्र

मतदाता - ७५९९७

मत पड़े - ३६२१४

महावीर प्रसाद शुक्ल (कांग्रेस)	२३२९७
रामनाथ दूबे (पी० एस० पी०)	७९४६
बद्री नारायण (निर्दलीय)	२७१०
गुनराज सिंह (जनसंघ)	२२४४
अस्वीकृत मत	१७

बद्री नारायण तथा गुनराज सिंह ने अपनी ज़मानतें खो दी ।

स्रोत : पायनियर ६ मार्च बुधवार, १९५७ ।

०००

सामान्य निर्वाचन १९६२ कैमाई विधान सभा क्षेत्र

मतदाता - ७६००५

मत पड़े - ४१३१३

वैजनाथ पाण्डेय (कांग्रेस)	२२३८६
रूपनाथ सिंह (सोसलिस्ट)	७४११
ब्रह्मदेव (पी० एस० पी०)	३६७६
राधाराम (जनसंघ)	२८६५
चौखईराम (रिपब्लिकन)	२५०२
अस्वीकृत मत	२५७३

अन्तिम तीन प्रत्याशियों ने अपनी जमानतें खोयी ।

स्रोत : पायनियर २८ फरवरी बुधवार १९६२ पृष्ठ ७ ।

०००

सामान्य निर्वाचन १९६७ सैंड्याँ [1] विधान सभा क्षेत्र

मतदाता - १०६२०६

मत पड़े - ५६६०४

अठईराम (निर्दलीय)	१६८०६
नरवदा प्रसाद (जनसंघ)	६२९८
राजिवराम (एस० एस० पी०)	१२६४३
रामलखन शुक्ल (कांग्रेस)	१६३५२
अस्वीकृत मत	४८०५

जनसंघ ने जमानत खोयी ।

स्रोत : पायनियर २५ फरवरी रविवार १९६७ पृष्ठ ३ ।

१- भूतपूर्व कैमाई

००००

निर्वाचन १९६९ हंडिया विधान सभा क्षेत्र

मतदाता - १०६४८१

मत पड़े - ६०५५४

अठईराम यादव (निर्दलीय)	१५४६८
महादेव सिंह ,,	१२०६
राजाराम यादव	६१४३
राजाराम पाण्डेय (सं०सो०पा०)	१७०१२
राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी (कांग्रेस)	१०३७२
रामरेखा सिंह (जनसंघ)	२६६२
अस्वीकृत मत	४३४६
टेन्डर मत	१२

स्रोत : निर्वाचन कार्यालय इलाहाबाद के अभिलेख ।

oooo

सामान्य निर्वाचन १९७४ हंडिया विधान सभा क्षेत्र

मतदाता - १२३४१६

मत पड़े - ७०५३१

अठईराम यादव (भा० क्रा० द०)	१६७७७
कमलाकान्त चंचल (निर्दलीय)	३८७६
केदारनाथ मिश्र ,,	७३५६
छविनाथ पाण्डेय (रामराज्य परिषद्)	११५६
छोटेलाल पाण्डेय (हिन्दू महासभा)	११७३
जितेन्द्र नाथ मिश्र (निर्दलीय)	११६३
रघुराज सिंह ,,	१२६५
राजाराम पाण्डेय (कांग्रेस-सत्ता)	१५५४७
रामरेखा सिंह (भारतीय जनसंघ)	१२१३४
रामलखन शुक्ल (संगठन कांग्रेस)	२८४०
श्यामनारायण पाण्डेय (निर्दलीय)	१११५
सुखिराम विश्वकर्मा ,,	११३१
हरिश्चन्द्र (रिप०)	१३२५
अस्वीकृत मत	३५१६
टेन्डर मत	२१

स्रोत : निर्वाचन कार्यालय इलाहाबाद ।

निर्वाचन १९७७ हँडिया विधान सभा क्षेत्र

मतदाता - १२८६०६

मत पड़े - ६०४०५

बटईराम यादव (जनता पार्टी)	२४९९३
केदारनाथ बिन्द (निर्दलीय)	५८७५
शिवनाथ पाण्डेय (रामराज्य परिषद)	१०८१
राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी (कांग्रेस)	२२३७४
रुद्र नारायण पाण्डेय (निर्दलीय)	१७९१
विजयराम बलरामसिंह यादव (निर्दलीय)	२५०
संकट मोचन तिवारी	१४४४
हरिश्चन्द्र (रिपब्लिकन खोबरागड़े)	१३००
अस्वीकृत मत	१२९७

स्रोत : नार्दर्न इंडिया पत्रिका १९ जून, १९७७ पृष्ठ ३

०००

उपर्युक्त आँकड़ों पर आधारित रेखा चित्र आगे के पृष्ठों पर है ।

...आइ (हँडिया) विधान सभा क्षेत्र में २२ जनवरी १९५२ के सामान्य निर्वाचन राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों की संख्या एवं प्रतिशत

पैमाना — १ रेखा = ०.५%

शोषित दल ८२३५ — २६.०८%

कि० म० प्र० पार्टी २५०६ — ८.३६%

भारतीय जनसंघ ११६५ — ३.८८%

रामराज्य परिषद ७४२ — २.४८%

निर्दलीय १५९८ — ५.३३%

अस्वीकृत १०० — ०.३३%

रेखा चित्र २(१)

हि (हँडिया) विधान सभा क्षेत्र में २८ फरवरी १९५७ के सामान्य निर्वाचन
राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों की संख्या एवं प्रतिशत

पैमाना — १ रेखा = ३%

रेखा चित्र २/२१

दि (हंडिया) विधान सभा क्षेत्र में १९६२, के सामान्य निर्वाचन में
नीतिक दलों को प्राप्त मतों की संख्या एवं प्रतिशत

पैमाना – १ रेखा = ०.४%

रेखा चित्र 2(3)

हण्डिया विधान सभा क्षेत्र में १९६७ के सामान्य निर्वाचन में राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों की संख्या एवं प्रतिशत

पैमाना — १रेखा = ०.५%

रेखा चित्र २।५।

हंण्डिया विधान सभा क्षेत्र में १९६९ के सामान्य निर्वाचन में राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों की संख्या एवं प्रतिशत

पैमाना — १ इकाई = ०.५%

रेखा चित्र २(५)

हण्डिया विधान सभा क्षेत्र में १९७२, के सामान्य निर्वाचन में राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों की संख्या एवं प्रतिशत

पैमाना — १ रेखा = ०.५%

रेखा चित्र २ (ध)

हंडिया विधान सभा क्षेत्र में १९७७ के सामान्य निर्वाचन में राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों की संख्या एवं प्रतिशत

रेखा चित्र २ (6)

रेखा चित्र २(च)

सन्दर्भ संकेत:-

१- स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक (संक्षिप्त परिचय) :३: इलाहाबाद डिवीज़न ,सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, १६७२ - जिला इलाहाबाद , पृष्ठ क ।
क- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री मुंवर जी, कृष्णपुर के साक्षात्कार से ।
२- श्री मुंवर जी एवं श्री मंगरू के साक्षात्कार से दिनांक २४-६-१६७६ ।
ख- श्री उमाशंकर तिवारी- जसवां के साक्षात्कार से दिनांक १३-६-७६ ।
+- श्री अमरनाथ त्रिपाठी- लदागृह के साक्षात्कार से दिनांक ४-९-१६७८।
३- श्री मंगरू के साक्षात्कार से दिनांक २४-६-१६७६ ।
४- स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक भाग ३ इलाहाबाद डिवीज़न ,इलाहाबाद, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, १६७२ - पृष्ठ १२८ के पश्चात - च ।
५- स्वर्गीय श्री बैजनाथ पाण्डेय की धर्मपत्नी से साक्षात्कार दिनांक १६-६-७६ ।
क- श्री राजाराम त्रिपाठी - पौरहरा से साक्षात्कार (जो उस समय छात्र रहे) दिनांक ६-६-१६७६ ।
६- श्री बैजनाथ केसरवानी, सैदाबाद से साक्षात्कार दिनांक २०-६-७६
७- श्री जवय नारायण तिवारी व श्री राम नारायण तिवारी से साक्षात्कार २०-६-७६
८- श्री ठाकुर प्रसाद मिश्र - बीरापुर बसौधन के साक्षात्कार से दिनांक १२-६-७६
९- श्री दान बहादुर सिंह - रावतपुर के साक्षात्कार से दिनांक १६-६-७६
१०- श्री महानन्द पाठक- ताराचन्दपुर के साक्षात्कार से दिनांक १६-६-७६
११- श्री जगदीश नारायण पाण्डेय- बनकट के साक्षात्कार से दिनांक १२-६-७६
१२- श्री राजाराम त्रिपाठी- पौरहरा के साक्षात्कार से दिनांक ६-६-७६
१३- श्री बैजनाथ केसरवानी- सैदाबाद के साक्षात्कार से दिनांक २०-६-७६
क- एक विदेशी महिला ।
१४- श्री रामलखन जायसवाल से साक्षात्कार दिनांक २-६-७६
१५- श्री फतेह बहादुर सिंह यादव- कैथापुर से साक्षात्कार दिनांक २-६-७६
१६- वही
१७- श्री रामलखन जायसवाल से साक्षात्कार दिनांक २-६-७६

ख - श्री सुरेश कुमार पाण्डेय आत्मज श्री रामकिशोर पाण्डेय से साक्षात्कार दिनांक २-६-१६७६ ।

ग - एन० डी० पामर ' द इण्डियन पालिटिकल सिस्टम ' १६६१ पृष्ठ १६७ ।

१८ - श्री रूपनाथ सिंह यादव - से साक्षात्कार से दिनांक ३-६-१६७६।

१६ - श्री रामरतन जायसवाल से साक्षात्कार दिनांक २-६-७६ ।

२० - श्री फतेह बहादुर सिंह से साक्षात्कार दिनांक २-६-१६७६ ।

२१ - श्री रामरतन जायसवाल , तत्कालीन मंत्री संयुक्त समाजवादी दल - साक्षात्कार दिनांक २-६-७६ ।

२२ - श्री रूपनाथ सिंह यादव से साक्षात्कार दिनांक ३-६-१६७६ ।

२३ - वही ।

२४ - श्री रामरतन जायसवाल से साक्षात्कार दिनांक २-६-१६७६ ।

२५ - डा० एस०एस०शर्मा , भारतीय संविधान और नागरिक जीवन की रूपरेखा, १६७५ पृ० ३३४-३५

२६ - श्री जगनन्दन सिंह यादव- कोषाध्यक्ष, भारतीय लोकदल, सोंईयां, साक्षात्कार दिनांक १२-३-१६७५ ।

२७ - श्री मण्णू यादव - कृष्णपुर से साक्षात्कार दिनांक २४-६-१६७६।

२८ - श्री डा० अब्दुल सालिक , सोंईयां से साक्षात्कार दिनांक २४-६-१६७६ ।

२६ - श्री राज नारायण शुक्ल- बराही से साक्षात्कार दिनांक ७-७-१६७६ ।

३० - श्री हरिश्चन्द्र हरिजन - सोंईयां से साक्षात्कार दिनांक १६-७-१६७६ ।

३१ - श्री राजाराम त्रिपाठी - धौरहरा से साक्षात्कार दिनांक ६-६-१६७६ ।

३२ - श्री राजाराम त्रिपाठी धौरहरा से साक्षात्कार दिनांक ६-६-१६७६ ।

३३ - श्री चन्द्रकिशोर पाण्डेय, जिला संगठन मंत्री से साक्षात्कार दिनांक १५-३-७६ ।

३४ - कैवाई मण्डल जनसंघ द्वारा पारित प्रस्ताव, १६६२ ।

प - श्री जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी- सैदाबाद से साक्षात्कार दिनांक १४-७-१६७६ ।

३५ - श्री रामरेखा सिंह ' निशंक ' से चुनाव अभियान में वार्ता दिनांक ३०-१-१६६६ ।

क - अध्यक्षीय भाषण ५५ वां वार्षिक सम्मेलन पुण्यतीर्थ प्रयाग सन् १६७३ पृ० ३-४ ।

ख - श्री छोटेलाल पाण्डेय सोंईयां निवासी मरौं से साक्षात्कार दिनांक १४-५-७६ ।

ग - श्री महेन्द्र कुमार शर्मा - मानागुरु - प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश हिन्दू महासभा से साक्षात्कार, प्रयाग कार्यालय पर दिनांक १०-६-७६।

३६- श्री अयोध्या सिंह, प्रवक्ता, से०रा०प०नै०इ०कालेज, हँडिया से साक्षात्कार
दिनांक २८-७-७६ ।

३७- श्री डा० देवराज सिंह, हँडिया से साक्षात्कार, दिनांक २८-७-७६ ।

३८- श्री दान बहादुर सिंह, ब्लाक प्रमुख हँडिया, रावतपुर से साक्षात्कार दिनांक १६-६-७६

३९- श्री रामकरन शुक्ल- सैदाबाद से साक्षात्कार दिनांक १-८-१९७६ ।

४०- श्री डा० देवराज सिंह हँडिया से साक्षात्कार दिनांक २८-७-७६ ।

क - श्री शेख मुहम्मद नकी, हँडिया से वार्ता ।

४१- सैय्यद अब्दुल मजीद उर्फ मज्जामियां, हँडिया से साक्षात्कार दिनांक १३-७-७६ ।

४२- सैय्यद मुश्ताक अहमद काजी आत्मज श्री इफितखार हुसैन उर्फ छब्बन मियां -
अंधवा से साक्षात्कार दिनांक ६-८-७६।

४३- शेख मुहम्मद नकी, हँडिया जिला प्रतिनिधि से साक्षात्कार दिनांक ६-८-७६ ई० ।

अध्याय - ३

राजनीतिक दल का संगठन

सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दल के अतिरिक्त सरकार निर्माण का अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हुआ है । राजनीतिक दल की संख्या एक से अनेक तक संभव है किन्तु अभाव असंभव है । राजनीतिक दल राज्य-सत्ता को दलगत स्थायी एवं सर्वजनहिताय प्रयोग करने के लिए, अपनी पृथक विचारधाराओं के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन के लिए ; शासन में प्रत्येक नागरिक को योग्य भागीदार बनाने के लिए ; राजनीतिक समाजीकरण के लिए ; तथा समस्याविहीन समाज बनाने के लिए अपनी संरचना किया है । राजनीतिक दल की यह संरचना शक्तिशाली, प्रभावी एवं चिर स्थायी हो सके इसके लिए संगठन अपरिहार्य है ।" संगठन रहित लोकतंत्र अचिन्त्य है ------- संगठन सामूहिक इच्छा उत्पन्न करने का साधन है, संगठन अल्प प्रयत्न के सिद्धान्त पर आधारित है कि अधिकतम संभव शक्ति की बचत हो । संगठन सबलों के साथ संघर्ष में निर्बलों का अस्त्र है ।[१] इतना ही नहीं राबर्ट माइकिल्स ने यहाँ तक कहा है कि" जो संगठन कहता है वह अल्पतंत्र कहता है ।[२]

राजनीतिक दल के संगठन में सदस्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शासक एवं नेता श्रेणीक्रम में संघियुक्त होते हैं । संगठन में अभिग्रस्त नागरिकों की संख्या, वयस्क तथा व्यस्क नागरिकों की संख्या का न्यूनांश है । प्रत्येक राजनीतिक दल एक या अनेक वर्गों तथा गुणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही जन्म लेता है, कार्य करता है तथा जीवित रहता है । उनका संगठन नेताओं के चयन का यंत्र निर्धारित करता है तथा उनकी सत्ता का विनिश्चय करता है।[३] संगठन के आधार भूत सिद्धान्त श्रम एवं सत्ता का विभाजन, नेतृत्व दक्षता का विकास, घटकों में शान्तिपूर्ण समायोजन, दलीय निष्ठा की अनुभूति , राजनीतिक सात्मीकरण, राजनीतिक समाजीकरण तथा सैक्य है । संगठन के द्वारा राजनीतिक दल राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को आवेगित, लक्ष्यपूरक तथा नैरन्तरिक बनाते हैं । राज्य के वयस्क तथा व्यस्क नागरिकों का क्रमश:

समर्थक, सदस्य, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शासक एवं नेता के रूप में विकास राजनीतिक दल ही करते हैं । संगठन में निम्नतम इकाई से उत्तरोत्तर उच्चतम इकाई तक अधिकारों का केन्द्रीयकरण होता है । संगठन ही राजनीतिक दल की क्रमबद्ध इकाइयों में 'रेखीय' एवं प्रत्येक इकाई के अन्तर्गत कार्य करनेवाले 'सहायक' अभिकर्ताओं की उपलब्धि है । इसके स्पष्टीकरण के लिए चित्र १ का अवलोकन करें ।

चित्र १ : रेखीय एवं सहायक अभिकर्ता

राजनीतिक दल को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है प्रथम संगठन तथा द्वितीय शासन । इन दोनों भूमिकाओं की मात्रा भिन्न भिन्न संभव है । संगठन में उत्पादन तथा शासन में उपभोग की क्रिया होती है । राजनीतिक दल विशाल नागरिकों में से कुछ समर्थक, समर्थकों में से सदस्य ; सदस्यों में से पदाधिकारी, पदाधिकारियों में से कार्यकर्ता एवं कार्यकर्ताओं में नेता का निर्माण संगठन की इकाइयों के द्वारा करते हैं जो कि जन प्रतिनिधि संस्थाओं में स्थान ग्रहण करके शासक बनकर शासन कार्य संचालित करते हैं । (चित्र २ का अवलोकन करें)

चित्र २ राजनीतिक दल के संगठन में नागरिक से नेता का निर्माण और शासन में इनके द्वारा स्थान ग्रहण की संभावनायें जो कि समर्थक के लिए सब से कम तथा नेता के लिए सर्वाधिक है ।

समर्थक :

अवयस्क या वयस्क नागरिक जो तात्कालिक, प्रभावों के परिणामस्वरूप दल के हित में सहयोग प्रदान करते हुए भविष्य के लिए अवचनबद्ध रहता है उसे समर्थक कहते हैं । समर्थक दल के हितों के लिए अपने हितों का त्याग न्यूनमात्रा में ही कर सकता है । समर्थक उस लोहे की तरह है जो कि कार्यकर्ता रूपी चुम्बक के सानिध्य को प्राप्त कर आकर्षित होता है और अभाव में निष्क्रिय रहता है । समर्थक दलीय अनुशासन से सुदूर रहकर अपनी पूर्ण स्वाधीनता का परिचय दल की आलोचनाओं से देता है । राजनीतिक दृष्टि से उदासीन नागरिकों में से जब किसी में राजनीतिक चेतना जागृत होती है तब वह समर्थक ही बनता है । समर्थक निर्वाचक से कुछ अधिक तथा सदस्य से कुछ कम है ।[४]

चुनाव अभियान में राजनीतिक निपीडों (दबावों) का उदासीन मतदाताओं की अपेक्षा समर्थकों पर अधिक प्रभाव पड़ता है । समर्थकों से संबद्ध मतदाता अधिकांशत: प्लावी मतदाता होते हैं ।[५] क्योंकि उनका प्रवाह किस राजनीतिक दल की ओर होगा यह अनिश्चित सा रहता है । समर्थक विशेषकर व्यक्ति

या भावना के प्रति श्रद्धालु, स्नेही, भक्त या मित्र होता है जिसकी अनुपस्थिति में दल से संबंध नहीं रखता । समर्थक अपने तात्कालिक राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त जनमत से प्रेरित होता है इसीलिए वह अवसरवादी होता है ।

समर्थक ज्ञात और अज्ञात दो प्रकार के होते हैं । ज्ञात समर्थक वह है जिसके दल के प्रति समर्थन को जनता तथा दल दोनों मान्यता प्रदान करते हैं और अज्ञात समर्थक वह है जिसके समर्थन को जनता या दल दोनों में एक मान्यता नहीं प्रदान करता । ज्ञात समर्थक शीघ्र ही दल का सदस्य बन जाता है और अज्ञात समर्थक अपने को सामान्य जन में विलीन रखकर अपनी मानसिक शान्ति एवं तनाव शैथिल्य के निमित्त कार्य करता तथा कालान्तर में ज्ञात की श्रेणी में प्रवेश कर सकता है । राजकीय कर्मचारी एवं व्यापारी प्रवृत्ति के व्यक्ति अज्ञात समर्थक होते हैं क्योंकि जनता इनके समर्थन को नहीं भाँप पाती किन्तु राजनीतिक दल समर्थन को मान्यता प्रदान करते हैं ।

समर्थक का क्षेत्र और काल सीमित होता है क्योंकि वह अपने सामाजिक संबंधों एवं वैयक्तिक हितों को दृष्टिगत रखकर ही समर्थन देता है । अशिक्षित समर्थक को दल के सिद्धान्तों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का अल्पतम ज्ञान होता है किन्तु सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त रहती है । समर्थक दल के प्रति अपने समर्थन को एक या अनेक रूपों में व्यक्त कर सकता है जैसे शारीरिक श्रम, आर्थिक सहयोग, वार्तालाप में पक्ष, निजी संपत्ति का दान या दल हित में उपयोग, सेवाओं में स्थान प्रदान, संकटों के निवारण में सहयोग या सहानुभूति, विरोधियों के रहस्यों की जानकारी देना या उनमें कठिनाई उत्पन्न करना तथा निर्वाचन में कुछ मतों को अपने पक्ष में अधिग्रहण एवं दल के निर्दिष्टों का पालन आदि । मतदाता या अवयस्क नागरिक दल के लिए निष्क्रियता को त्यागकर समर्थन का शुभारम्भ जिस क्षण करता है उसी समय से समर्थक की श्रेणी में प्रविष्ट हो जाता है । दल के समर्थक को राजनीतिक कारणों से नहीं अपितु अन्य कारणों से ही शासन में जन प्रतिनिधि संस्थाओं के अन्तर्गत न्यून स्थान प्राप्त होते हैं ।

सदस्य :

वह अवयस्क या वयस्क नागरिक, जो राजनीतिक दल के सिद्धान्तों, नीतियों एवं कार्यक्रमों में विश्वास करके अपनी सम्मति को एक सत्र के

निमित्त प्रतिज्ञाबद्ध करता है, राजनीतिक दल का सदस्य है । सदस्य एक विशिष्ट राजनीतिक समुदाय में प्रवेश करता है जिसके अन्तर्गत सक्रियता, त्याग, निर्वाह साधन संपन्नता, शैक्षिक योग्यता, वर्गीय प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, जातीय प्रतिनिधित्व, दल के प्रति निष्ठा, सहयोगियों के समर्थन एवं अनुशासन के आधार पर विकास की क्रिया होती है । सदस्य अपने दल की विचारधारा में प्रवाहित होने के लिए दलीय कार्यक्रमों में भाग ग्रहण करता है । दलीय संगठन में पदाधिकारियों का निर्वाचन अधिकार सदस्य को प्राप्त होता है । ' सदस्यता ' युद्धक (मिलिटेन्ट) से कम तथा समर्थक की सहानुभूति से अधिक कार्यों में भाग ग्रहण अन्तर्ग्रस्त करती है ।[६]

राजनीतिक दल एक वर्गीय अवयस्क तथा वयस्क, नागरिकों से समर्थन की संजीवनी ग्रहण करने हेतु समर्थकों को अपनी सदस्यता ग्रहण कराते हैं । संडिला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संगठित राजनीति दलों के पदाधिकारियों से साक्षात्कार में पूछे प्रश्न ' क्या आपके कार्यालय में आकर लोग सदस्य बनते हैं ? ' का उत्तर नकारात्मक ही रहा । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रायः सदस्यता राजनीतिक दल के द्वारा ग्रहण करायी जाती है । सदस्यता ग्रहण में नागरिक, दल को नाम मात्र की आर्थिक सहायता देता है जिसे सदस्यता शुल्क कहते हैं तथा दलीय सदस्यता पत्र पर अपना हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह बना देता है । सदस्यता पत्र पर दल का संक्षिप्त उद्देश्य तथा क्रमांक मुद्रित रहता है । इसके अतिरिक्त नाम, पता, आयु, व्यवसाय, दिनांक, शुल्क तथा हस्ताक्षर शब्दों का मुद्रण रिक्त स्थानों के साथ रहता है । सदस्यता पत्र के निचले खण्ड में सदस्य को प्रमाण के रूप में देने के लिए एक भाग होता है जिस पर सदस्यता ग्रहण करानेवाले व्यक्ति का हस्ताक्षर, शुल्क विवरण, पत्र विवरण तथा आवश्यक पदाधिकारियों के हस्ताक्षर के लिए रिक्त स्थान रहते हैं जिसकी पूर्ति करके सदस्य को दिया जाता है ।

दल के समर्थक में स्थायित्व, वचनबद्धता, सक्रियता , राजनीतिक जागृति , राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति तथा सत्ता के निमित्त सामुदायिक भावना आदि का सूत्र पात सदस्यता ग्रहण से होता है । सदस्यता ग्रहण का कारण व्यक्तिगत परिचय, रक्त संबंध , उपकारों का बोझ, अपकारों से रक्षा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति प्रीत , सामुदायिक दृढ़ता , वर्गीय हित, जातीय स्वाभिमान, धार्मिक भावना,

राज सत्ता के प्रति आकर्षण, अत्याचारों से सुरक्षा, दमनचक्र से संरक्षण, समाज सेवा देश सेवा तथा दल के सिद्धान्तों एवं नीतियों में आस्था है।[७] सदस्यता ग्रहण के पश्चात, नागरिक दलीय राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति तथा देश-विदेश की राजनीति की सूचना, ज्ञान एवं प्रगति से परिचय प्राप्त करता है साथ ही साथ अपनी आकांक्षाओं, रुचियों, अभिरुचियों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति, रक्षा तथा अभिवर्धन का क्षेत्र भी दल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। सदस्य की न्यूनतम आयु अखिल भारतीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ तथा भारतीय लोकदल ने १८ वर्ष ही निर्धारित किया है जो कि मतदाता की न्यूनतम आयु से तीन वर्ष कम है। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीति सेवा अपनी अनुकूल विचारधारा का निर्णय १८ वर्ष की आयु में कर सकती है। यदि यह तथ्य सत्य है तो २१ वर्ष की आयु में मतदाता होने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता।

सदस्यता ग्रहण का स्वागत करने के लिए कांग्रेस, जनसंघ एवं भारतीय लोक दल का द्वार सदैव खुला रहता है किन्तु दल के कार्यकर्ताओं द्वारा निश्चित काल में अभियान चलाया जाता है जिसे "सदस्यता अभियान" कहते हैं। दल के कार्यकर्ता नागरिकों के आवासों एवं निवासों पर जाकर उन्हें वार्तालाप के माध्यम से वर्तमान परिस्थितियों के प्रति असंतोष तथा स्वर्णिम, सुखद एवं काल्पनिक भविष्य से आकर्षित कर सदस्यता ग्रहण कराते हैं। सोंढ़िया विधान सभा क्षेत्र में संगठित राजनीतिक दल की इकाइयों के पदाधिकारियों ने साक्षात्कार में पृष्ट प्रश्न "क्या सदस्यता अभियान में प्रचार या सभा करते हैं?" का उत्तर "नहीं" ही दिया। इससे स्पष्ट है कि सार्वजनिक रूप से सदस्यता ग्रहण का आह्वान नहीं किया जाता और सदस्यता का द्वार भी सभी के लिए नहीं खुला है। सदस्यता का द्वार निश्चित कालावधि के लिए पुराने तथा नये परिचितों के प्रवेश के निमित्त खुलता है और पश्चात् बन्द हो जाता है फिर उच्च इकाई का उच्च पदाधिकारी ही विशेषाधिकार से प्रवेश दे सकता है जैसा कि स्वर्गीय श्री राजित राम पाण्डेय विधायक को कांग्रेस दल में दिया गया।

सदस्यता-सत्र कांग्रेस, जनसंघ तथा भारतीय लोकदल ने दो वर्ष निर्धारित किया है। सत्र-समाप्ति पर यदि सदस्य दल में रहना चाहता है तब उसे प्रति दो वर्ष के अन्तर पर पुनर्नवीनीकरण अनिवार्य है। जिन सदस्यों को सदस्यता से संतोष एवं पुरस्कार प्राप्त होता है वे दल में "स्थिर सदस्य" के रूप में पुनर्नवीकरण

के प्रति अभीष्ट रखते हैं अन्यथा नहीं । स्थिर सदस्य ही दल में रहकर विकास करता है । सदस्यता अभियान में नये प्रवेश पर राजनीतिक दल विशेष प्रयास करते हैं और स्थिर सदस्यों में नवीन उत्साह, उमंग एवं प्रगति का चिह्न उपस्थित करते हैं । सदस्यों की संख्या सामान्य निर्वाचन के वर्ष एवं उसके पश्चात के सत्र में अधिक होती है ।[६] सामान्य निर्वाचन के पूर्व की विशेष सक्रियता का उद्देश्य कार्यकर्ताओं का संग्रह, नवीन कार्यकर्ताओं का निर्माण , पुरातन कार्यकर्ताओं का स्फुरण , दलीय गुटबन्दी में विलय तथा निर्वाचन में सफलता-प्राप्ति होता है । सामान्य निर्वाचन के पश्चात सदस्यता अभियान की विशेष सक्रियता का उद्देश्य कार्यकर्ताओं का दल में प्रवेश , निर्वाचन परिणामों की विवेचना, उपलब्धियों का संरक्षण तथा विशाल जन संपर्क का एक पुनीकरण होता है ।

हंडिया विधान सभा क्षेत्र के दलगत सदस्यों का विवरण :

राजनीतिक दल का नाम	सदस्य प्रकार	न्यूनतम वांछित आयु	विधान सभा क्षेत्र में कुल संख्या	सूची विवरण केन्द्र	सदस्यता शुल्क	काल	सदस्यता ग्रहण अवधि	निषेध
१	२	३	४	५	६	७	८	९
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	प्रारंभिक सक्रिय	१८ वर्ष २१ ,,	१८५०० ७४० (१)	जिला कांग्रेस कार्यालय तथा ब्लाक कांग्रेस कमेटी	१-०० प्रा० २४-०० स० + २५ सदस्य एवं योग्यतायें	दो वर्ष जनवरी से द्वितीय दिसंबर तक	जनवरी से मार्च तक	अन्य राजनीतिक दलों या साम्प्रदायिक संगठनों के सदस्य
भारतीय जनसंघ	सदस्य	१८ वर्ष	६८७ (१)	मंडल समिति	५० पैसे सदस्य ५० पैसे + ११ सदस्य एवं योग्यतायें	दो वर्ष वैशाख से द्वितीय चैत्र तक	वैशाख से घोषित तिथि तक	
भारतीय लोक दल	प्रारंभिक सदस्य	१८ वर्ष	४०० या १२०० (१)		१-०० रु०	दो वर्ष		

स्रोत : (१) विकास खण्ड एवं निर्वाचन क्षेत्र स्तर के दलगत पदाधिकारियों से साक्षात्कार से प्राप्त जिसमें भारतीय लोकदल के क्षेत्रीय कौंसिल के अध्यक्ष ने ४०० सदस्य बतलाये जबकि उसी दल के विधायक ने १२०० सदस्य संख्या बतलाया ।

(२) स्तम्भ २,३,५,६,७,८ एवं ९ की प्रविष्टियां संबंधित दल के संविधान एवं नियम से उद्धृत हैं ।

राजनीतिक दल के सदस्यों को कोई विशिष्ट दल मान्यता देता है जिसका सदस्यता पत्र वे भरते हैं अन्य दल सक्रियता से मान्यता देने लगते हैं । दल के प्रति सक्रियता को महत्त्व प्रदान करने के लिए कांग्रेस ने अपने संगठन में सक्रिय सदस्यों को ही पदाधिकारी रखने की संवैधानिक व्यवस्था की है[10] किन्तु प्राथमिक समिति में छूट है । कांग्रेस के प्रत्येक सक्रिय सदस्य को कुछ शर्तों को पूरी करते हुए प्रपत्र पर उद्घोषणा करनी पड़ती है जिनमें से हैं :- २१ वर्ष आयु , प्रमाणित खादी पहनने का अभ्यास ; मादक पदार्थों का परित्याग ; अस्पृश्यता में न तो विश्वास न उसका अभ्यास जाति एवं धर्म का भेद करते हुए आत्मक समाज में विश्वास ; शारीरिक श्रम करना तथा कार्य समिति द्वारा निर्धारित कार्य ; परिसीमन तक की संपत्ति का स्वामी ; तथा धर्म निरपेक्षता, समाजवाद और जनतंत्र के लिए योगदान एवं दल की गोष्ठियों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर किसी भी रूप में दल की आलोचना न करना ।

अखिल भारतीय कांग्रेस के संविधान अनुच्छेद ५(ब) के अन्तर्गत सक्रिय सदस्य होने की पात्रता का स्पष्टीकरण और भी किया गया है । वे प्राथमिक सदस्य सक्रिय सदस्य के पात्र हैं[12] जो १-कांग्रेस द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों में सक्रिय हैं या २-जिन्होंने ३६५ दिन पूर्व प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है । सक्रिय सदस्य के न्यूनतम कार्य हैं (अ) प्राथमिक एवं सक्रिय सदस्यों का क्रमांकन (ब) कांग्रेस-निधि संग्रह (स) प्रतिवर्ष एक सप्ताह का शारीरिक श्रम जैसे पदयात्रा, सड़क बनाना, नहर खोदना, वृक्षारोपण, गन्दी बस्तियों की स्वच्छता, ग्रामों की सफाई आदि (द) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ग्रहण (इ) दल के मुख पत्रों का ग्राहक बनाना (फ) सामाजिक सुधार के क्षेत्र में काम जैसे दहेज प्रथा का विरोध, बाल-विवाह का विरोध, तथा परिवार नियोजन के लिए कार्य आदि (जी) स्वदेशी सामग्रियों का प्रयोग और (एच) एक या अनेक रचनात्मक कार्य - १ शिक्षा २- निषेध ३- खादी एवं ग्रामोद्योग ४- युवक एवं विद्यार्थियों का संगठन ५- मजदूरों का संगठन, ६- किसानों का संगठन ७- अल्प बचत योजना अभियान ८- ग्रामीण सफाई एवं स्वास्थ्य ९- राष्ट्रभाषा प्रचार

१०- साक्षरता में वृद्धि ११- निर्वाचन क्षेत्र में कार्य १२ - सेवादल १३- कुष्ठ सेवा १४- अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति का कल्याण १५- अस्पृश्यता निवारण १६- राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य विशेषकर अल्पसंख्यकों में १७- प्रौढ़-शिक्षा तथा वाचनालय आन्दोलन १८- दलीय साहित्य की बिक्री तथा १९- अन्य कोई कार्य जो कार्य समिति द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाय । इसके अतिरिक्त प्रत्येक सक्रिय सदस्य को प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर अपनी शुद्ध मासिक आय की घोषणा प्रेषित करनी चाहिए ।[१३] कांग्रेस अध्यक्ष को विशेषाधिकार दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को सक्रिय सदस्यता की स्वीकृति दे सकता है ।[१४]

भारतीय जनसंघ ने सक्रियता एवं निष्क्रियता के लक्षण अपने संविधान के अनुच्छेद ७ के नियम में स्पष्ट किये हैं :[१५] (क) कोई भी सदस्य सक्रिय समझा जायेगा यदि वह (अ) समिति या सभा, जिसका वह सदस्य हो, के कम से कम ५० प्रतिशत अधिवेशनों में सम्मिलित हुआ हो तथा (आ) प्रतिदिन जनसंघ का प्रत्यक्ष अथवा जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित होकर संसद, विधान मंडल या स्थानीय निकायों का अथवा समाज सेवा का कोई ऐसा कार्य, जिसे अनुच्छेद ७(३) के अन्तर्गत नियुक्त निकाय ने मान्यता दी हो, करता हो । (ख) कोई भी सदस्य निष्क्रिय समझा जायेगा यदि वह (अ) प्रति सत्र जनसंघ के ११ सदस्य न बनावे (आ) संबंधित निकाय की तीन लगातार बैठकों में बिना अनुमति के अनुपस्थित रहे अथवा । और (इ) संविधान द्वारा निश्चित शुल्क, सदस्य बनने के तीन मास तक न दे ।

भारतीय कार्य समिति नियम का अपवाद करके किसी भी सदस्य को सक्रिय घोषित कर सकती है । प्रादेशिक प्रधान को अधिकार है कि वह किसी भी सदस्य को निष्क्रियता से उत्पन्न अक्षमता से मुक्त कर दे ।

भारतीय लोकदल के संविधान में वर्णित अनुच्छेद ४ में प्रारंभिक सदस्यता का ही विवरण किया गया है सक्रिय सदस्यता का संपूर्ण संविधान में नाम तक नहीं है ।

तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि कांग्रेस का सक्रिय सदस्य होने के लिए २४-०० रुपये अतिरिक्त शुल्क एवं साधारण सदस्यता पत्र एवं सक्रिय

सदस्यता पत्र दोनों भरना पड़ता है किन्तु भारतीय जनसंघ के सक्रिय सदस्य को सदस्यता पत्र एक ही है और शुल्क भी एक ही है। काँग्रेस के सक्रिय सदस्य को "परिचय पत्र" जिला काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायगा।[२६] हँडिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत काँग्रेस के सक्रिय सदस्यों के पास परिचय पत्र देखने के लिए नहीं मिले और दल के संगठन में जो पदाधिकारियों ने साक्षात्कार में स्वीकार किया कि परिचय पत्र जिला काँग्रेस कमेटी द्वारा निर्गत ही नहीं हुए।[२७] भारतीय जनसंघ एवं भारतीय लोकदल में "परिचय पत्र" की कोई व्यवस्था नहीं है। सक्रिय सदस्यों के लिए काँग्रेस में अनेक कार्यों की वृहद् सूची दी गयी है किन्तु भारतीय जनसंघ "समाज सेवा" शब्दों को ही अपने संविधान में स्थान देकर मौन हो गया। काँग्रेस के सक्रिय सदस्य को अपनी शुद्ध मासिक आय की घोषणा करनी पड़ती है यद्यपि इस विधान सभा क्षेत्र के अन्दर शायद ही किसी ने ऐसा किया हो किन्तु अन्य दलों में ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं दी गयी है।

काँग्रेस के सक्रिय सदस्य को प्रति दो वर्ष के पश्चात् पुनर्नवीनीकरण के लिए "प्रपत्र 'ख'" भरना पड़ता है जिसमें प्राथमिक सदस्यता क्रमांक और सक्रिय सदस्यता क्रमांक का भी उल्लेख अन्य विवरणों के साथ करना पड़ता है किन्तु महान आश्चर्य है कि हँडिया, सैदाबाद एवं धनूपुर किसी भी ब्लाक काँग्रेस कमेटी के पास सदस्यों के पूर्ण या अपूर्ण विवरण का एक भी अभिलेख नहीं है।[२८] ब्लाक काँग्रेस कमेटी के पास अभिलेख न होने का मूल कारण सदस्यता कापियों की प्राप्ति एवं वापसी में ब्लाक काँग्रेस कमेटी का एक एवं एकमेव माध्यम का न होना ही है।

भारतीय जनसंघ के मण्डल समिति में सदस्यों की वर्तमान सत्र की सूची तो उपलब्ध है किन्तु "स्थायी सदस्यता पंजी" जिससे अतीत सत्रों के सदस्यों का विवरण मिल सके, नहीं निर्मित है। भारतीय लोकदल की क्षेत्रीय "कौंसिल" के दायित्वों में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है।

भारतीय जनसंघ के एक, भारतीय लोकदल के दो तथा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (सत्ता) के "बहुत कम" सदस्यों ने सदस्यता से त्याग पत्र दिये हैं। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (सत्ता) के पाँच से लेकर पाँच सौ तक सदस्यों ने, भारतीय जनसंघ के एक सदस्य ने तथा भारतीय लोकदल के पच्चीस सदस्यों ने सन् १९७४ ई० के विधान सभा निर्वाचन में अपने अपने दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं किये।

संगठनात्मक इकाईयाँ

प्रत्येक राजनीतिक दल ने अपने प्रारंभिक एवं सक्रिय सदस्यों को, एक सूत्र में बांधने, योग्यता एवं क्षमता को प्रोत्साहित करने, विभिन्न इच्छाओं को अधीकृत करने तथा दलीय एवं लौकिक हितों के संपादन के लिए, विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक इकाईयों की संवैधानिक व्यवस्था किया है। संगठनात्मक इकाईयों का आधार प्रथम तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, द्वितीय जन समस्याओं का बोध तथा तृतीय अधिकाधिक व्यक्तियों को जनहित के प्रति सचेष्ट करना है। संगठन की सब से छोटी इकाई वही है जिसमें उपरोक्त तीनों आधारों का अंश न्यूनतम होता है। दल की सब से छोटी इकाई जनता के प्रत्यक्ष समीपतम होती है और जैसे जैसे इकाई का क्षेत्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे जनता से दूरी भी बढ़ती जाती है। संगठन में आधार से शीर्ष तक आविष्ट नागरिकों की कुल संख्या ही जनशक्ति का मूलधन है। प्रत्येक राजनीतिक दल सदैव अपने मूलधन की वृद्धि के प्रति प्रयत्नशील रहता है, यदि उदासीन हो जाय तो निश्चित ही उसका विनाश सन्निकट है। शंखिया विधान सभा क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय लोकदल एवं भारतीय जनसंघ की संवैधानिक इकाईयां गठित एवं कार्यरत हैं। अन्य राजनीतिक दल जिनके समर्थित प्रत्याशी विधान सभा के गत चुनावों में चुनाव भी लड़े किन्तु उनकी भी इकाईयां वर्तमान समय में गठित नहीं हैं। अगठित इकाइयों वाले दल हिन्दू महासभा, रामराज्य परिषद्, रिपब्लिकन पार्टी, मुसलिम मजलिस तथा संगठन कांग्रेस है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पांच इकाईयां क्रमश: शीर्ष से आधार तक निर्धारित की हैं - १ - अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी २- वर्किंग कमेटी ३- प्रदेश कांग्रेस कमेटी ४- जिला । नगर कांग्रेस कमेटी तथा ५- ब्लाक कांग्रेस । निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस कमेटी [१६], भारतीय जनसंघ ने आधार से शीर्ष तक क्रमश: १- स्थानीय समिति २- मण्डल समिति ३- ज़िला समिति ४- भाग समिति ५- प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ६- प्रादेशिक कार्य समिति ७- भारतीय प्रतिनिधि सभा ८- भारतीय कार्य समिति तथा ९- संसदीय अधिकरण [२०] इकाईयों की संवैधानिक व्यवस्था की है। भारतीय लोकदल ने भी आधार से शीर्ष तक दल की इकाईयां क्रमश: १ प्रारंभिक कौंसिल २- क्षेत्रीय कौंसिल ३- जिला कौंसिल । नगर कौंसिल ४- प्रदेश (राज्य) कौंसिल ५- राष्ट्रीय कौंसिल तथा राष्ट्रीय कौंसिल द्वारा संगठित मोर्चे [२१] निर्धारित की है।

हँडिया विधान सभा क्षेत्र में व्याक कांग्रेस ।निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस कमेटी ; भारतीय जनसंघ की स्थानीय समिति तथा मण्डल समिति एवं भारतीय लोक दल की प्रारंभिक कौंसिल तथा क्षेत्रीय कौंसिल, गठित होनी चाहिए । किन्तु जब इनके अस्तित्वों की खोज की गई तब ज्ञात हुआ कि प्रारंभिक कौंसिलों का गठन नहीं है । यहां पर मैं इन तीनों राजनीतिक दलों की इकाई निर्माण के आधार भूत सिद्धान्तों की ओर ध्यान देता हूं तो भारत संघ की प्रशासकीय इकाइयों तथा जन प्रतिनिधियों को निर्वाचित करनेवाली इकाइयों का मिश्रित अनुसरण प्रतीत होता है । संघ, राज्य एवं जिला की इकाइयों में प्रशासन का अनुगमन परिलक्षित होता है । निर्वाचन क्षेत्र, विकास खण्ड, न्याय पंचायत एवं ग्राम स्तर की इकाइयों में जनप्रतिनिधि निर्वाचित करनेवाली संस्थाओं का अनुसरण प्रतीत होता है ।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र २७१ हँडिया सन् १९७४ तथा १९७७ का विवरण[२२]

क्रम सं०	नाम	कुल संख्या
१	विकास खण्ड	३ [२३]
२	न्याय पंचायत	३२
३	मतदान केन्द्र (पोलिंग सेन्टर)	८१
४	मतदेय स्थान (पोलिंगबूथ)	१४६
५	ग्राम	३५८
६	स्त्री मतदाता	५५४८१ तथा ५७०८३ [२४]
७	पुरुष मतदाता	६७१३५ तथा ७०७४३ [२५]
८	अनुसूचित जनसंख्या	४३२७०
९	स्वर्ण जन संख्या	१६२८६६

कुल जनसंख्या - २०६१३६

कुल मतदाता संख्या- १२२४१६ तथा १२८६२६ [२६]

हँडिया विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान उपरोक्त तथ्यों के

परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ तथा भारतीय लोकदल की पहुँच का अनुमान संगठित इकाइयों तथा अन्य विवरणों से स्थिर किया जा सकता है । सर्वप्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस , फिर भारतीय जनसंघ और अन्त में भारतीय लोकदल का विवरण प्रस्तुत करेंगे ।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

हंडिया विधान सभा क्षेत्र में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीन ब्लाक कांग्रेस कमेटियाँ गठित हैं जिनके संबंध में विवरण दिया जायगा ।

क्रम संख्या	संगठित इकाई का नाम	पदाधिकारियों की संख्या	रिक्त स्थानों (पद) की सं०	कार्यसमिति के सदस्यों की संख्या	स्थायी कार्यालय	यातायात दलीय साधन
१	ब्लाक कांग्रेस कमेटी, हंडिया	६	शून्य	८, १०, १५ क ख ग	है	शून्य
२	ब्लाक कांग्रेस कमेटी, सैदाबाद	३	शून्य	१०, २५ च छ	है	शून्य
३	ब्लाक कांग्रेस कमेटी, धनूपुर	६	१		नहीं	शून्य

स्रोत : पदाधिकारियों के साक्षात्कार
क- महामंत्री, ख- संगठन मंत्री ग- अध्यक्ष द्वारा
च- महामंत्री, छ- अध्यक्ष द्वारा ।

ब्लाक कांग्रेस कमेटी :

प्रत्येक ब्लाक कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, संगठन मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के एक एक पद हैं : कार्य समिति के सदस्यों की

संख्या भिन्न भिन्न पदाधिकारियों ने परस्पर विरोधी बतायी क्योंकि एक ब्लाक कांग्रेस कमेटी में यह निश्चित होगी । कार्य समिति के सदस्यों में से जिला कांग्रेस कमेटी तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए एक एक प्रतिनिधि के पद हैं । महान आश्चर्य है कि एक ही ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, महामंत्री एवं संगठन मंत्री ने साक्षात्कार में केवल उन्हीं तीन पदों के पदाधिकारियों का नाम समान बताया शेष पदाधिकारियों के नाम एक दूसरे से भिन्न रहे । ब्लाक कांग्रेस कमेटी संडिला के महामंत्री ने श्री लालमणि मिश्र को कोषाध्यक्ष बताया और संगठन मंत्री ने श्री गोवर्द्धन हरिजन- अहिरी को कोषाध्यक्ष बताया ।[27] ब्लाक कांग्रेस कमेटी हैदराबाद के अध्यक्ष श्री कन्हैया लाल शर्मा-गुलौला ने अपने साक्षात्कार में केवल महामंत्री श्री दीनानाथ पाण्डेय चन्दनखा के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के बारे में "नहीं मालूम है" ऐसा उत्तर दिया ।[28] जबकि श्री पाण्डेय ने अपने साक्षात्कार में अध्यक्ष , उपाध्यक्ष एवं अपने को महामंत्री बताया ।

ब्लाक कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी बनने के लिए सक्रिय सदस्य की अर्हताओं का होना आवश्यक है । एक मात्र अध्यक्ष एवं कार्य समिति के सदस्यों के लिए ही दलीय संविधान में निर्वाचन की व्यवस्था है और अध्यक्ष ही कार्य समिति के सदस्यों के मध्य से ही एक सचिव (मंत्री) की नियुक्ति करता है ।[29] अध्यक्ष अन्य पदाधिकारियों का चयन करता है । चयन में १६.५ प्रतिशत जाति ; कर्मठता, विश्वास, संपर्क और चापलूसी प्रत्येक ११ प्रतिशत ; व्यवहार, नैतिकता, व्यक्तित्व , अनुभव, दक्षता एवं निष्ठा प्रत्येक ५.५ प्रतिशत प्रभावकारी तत्व है ।[30] दलीय संविधान पर दृष्टिपात करने से यह सत्य विश्वास होता है कि अध्यक्ष को समस्त पदाधिकारियों एवं कार्य समिति के सदस्यों का नाम ज्ञात होना चाहिए किन्तु अनुभव यह आया कि अध्यक्षों को इसका ज्ञान नहीं जिसका कारण यह प्रतीत होता है कि उनकी शक्ति का प्रयोग किसी अन्य द्वारा किया गया और पूर्ण विवरण उन्हें (अध्यक्ष को) सुलभ भी नहीं हुआ । पदाधिकारियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का कोई निर्धारण दल के संविधान में नहीं मिलता है । क्या यह समझा जाय कि प्रत्येक पदाधिकारी अपने अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान किसी अन्य स्रोत से करता है ?

साक्षात्कार में पूछे प्रश्न "क्या दल के संगठन में रहकर अपने नेतृत्व का विकास कर सकते हैं ? के उत्तर में सभी पदाधिकारियों ने "हाँ" कहा

किन्तु उन्होंने यह भी कहा " किन्तु देर है, यदि शीघ्रता चाहते हैं तो ऊपर के नेताओं से सम्पर्क रखा जाय । " इससे स्पष्ट होता है कि संगठन में नेतृत्व का विकास होता है । पदाधिकारियों में नेतृत्व का विकास उस पद पर रहने से तथा क्रमशः सक्रिय कार्यों में उससे अधिक दायित्वपूर्ण पद को प्राप्त करने से सम्भव होता है । दलीय संविधान के अंतर्गत पदोन्नति की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है इससे प्रतीत होता है कि नया सक्रिय सदस्य भी पुराने सक्रिय सदस्यों की अपेक्षा अधिक सम्मानित पद प्राप्त करने के लिए पूर्ण अर्हतायें रखता है । " दल में पदोन्नति किन किन आधारों पर होती है ? " के प्रश्न उत्तरों में सभी पदाधिकारियों ने " वर्गीय प्रतिनिधित्व " एवं " नेताओं के प्रति भक्ति " पर सर्वाधिक ध्यान बल दिया और " समय का दान " , " दल के प्रतिनिष्ठा " , शैक्षिक योग्यता " , साधन सम्पन्नता " एवं कार्यों के अनुभव " पर कम किन्तु ध्यान बल दिया परन्तु क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर किसी ने भी बल नहीं दिया । इन तथ्यों से स्पष्ट है कि संगठन में वर्गीय प्रतिनिधित्व के प्रति राजनीतिक दल पर्याप्त सचेष्ट रहते हैं । " नेताओं के प्रति भक्ति " को पदोन्नति का आधार निरूपित किया जाना दल की गुट बन्दी का परिचायक है साथ ही साथ नेता के व्यक्तित्व में पदाधिकारी अपना व्यक्तित्व विलीन करके ही पदोन्नति प्राप्त कर सकता है यह भी इंगित होता है ।

क्या किसी पद को प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ ? का उत्तर सभी पदाधिकारियों ने " हाँ " दिया । इससे स्पष्ट होता है कि पदों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं में प्रति स्पर्धा होती है । जब प्रतिस्पर्धा को दलीय गुटबन्दी के नेता का प्रश्रय, प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा और संकेत प्राप्त हो जाता है तब वह ईर्ष्या का रूप धारण कर लेती है । " किस पद के लिए संघर्ष हुआ ? का उत्तर सभी पदाधिकारियों ने " अध्यक्ष " पद बताया । इससे यह सिद्ध होता है कि ब्लाक कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष पद सर्वाधिक महत्व का है । डंडिया ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री रामकिशावन मिश्र, हरीपुर सिववार ने साक्षात्कार में बताया कि उन्होंने अपने महामंत्री श्री श्रीकान्त मिश्र निवासी बमैठा को पद मुक्त करके श्री सतीश चन्द्र मिश्र-सिकरहा को महामंत्री पद पर नियुक्त किया । श्री सतीश चन्द्र मिश्र ने अपने साक्षात्कार में बताया कि स्वर्गीय राधिकाराम पाण्डेय विधायक प्रत्येक पद पर अपने गुट के सक्रिय सदस्यों को रखना चाहते थे किन्तु उनके विरोधियों की आपत्ति एवं आरोपों के कारण

एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर विरोधी गुट श्रीमती कमला बहुगुणा के आसीन होने से उन्हें सफलता नहीं मिल सकी ।

प्रत्येक पदाधिकारी की पदावधि दो वर्ष के लिए की होती है ।[३१] कार्यकाल बढ़ाने की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है । ब्लाक कांग्रेस कमेटी धनूपुर के अध्यक्ष श्री शिव प्रताप सिंह निवासी मधाढ़ी दिनांक ११ नवंबर १९७५ ई० को स्वर्गस्थ हो गये[३२] किन्तु आज तक रिक्त पद पर कोई भी चुनाव नहीं किया गया, यद्यपि दलीय संविधान के अनुच्छेद २६(ब) के अनुसार उसकी पूर्ति की व्यवस्था दी गई है । पदावधि के अन्तर्गत किसी भी पदाधिकारी को पदच्युत करने की शक्ति अनुशासनात्मक नियमों के अधीन जिला कांग्रेस कमेटी एवं उसके ऊपर की ईकाइयों को प्राप्त है ।[३३] इससे स्पष्ट होता है कि ब्लाक कांग्रेस कमेटी यदि किसी भी पदाधिकारी को पदच्युत करना चाहे तो उसे अधिकार नहीं है । संभवत: प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुमति से जिला कांग्रेस कमेटी अपने अधीनस्थ ब्लाक कांग्रेस कमेटी को तीन मास के लिए निलंबित करके पुन: तीन तीन मास करके यह समय एक वर्ष तक बढ़ाकर किसी को भी अलग करने का उपाय कर सकती है ।[३४] इन पंक्तियों के लिखने तक समाचार प्राप्त हुआ है कि तदर्थ जिला कांग्रेस कमेटी की घोषणा हो चुकी है जिसका शीघ्र प्रभाव ब्लाक कांग्रेस कमेटियों पर पड़ेगा । तदर्थ समिति के उपाय के अलावा तीन लगातार बैठकों में पूर्व सूचना के बिना न सम्मिलित होनेवाले सदस्य की सदस्यता अवरुद्ध हो जाती है[३५] किन्तु इसका पालन नहीं किया जाता प्रतीत होता ।

दल के संगठन में निश्चित अवधि के लिए दलीय प्राधिकार से उत्पन्न सदस्य को पदाधिकारी कह सकते हैं । पदाधिकारी अपनी पदावधि तक दलीय हितों का न्यासी समझा जाता है ।

ब्लाक कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य निर्वाचित होता है उसे तीन मास के अन्तर्गत एक सौ रुपये संग्रह करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जमा करना होता है ।[३६] प्राथमिक सदस्यों से संग्रहीत सदस्यता शुल्क की धनराशि का चालीस प्रतिशत भाग ब्लाक कांग्रेस कमेटी को मिलना चाहिए[३७] किन्तु यह धनराशि किस पदाधिकारी के पास या नाम से कहां रक्खी जायेगी इसका

कोई भी स्पष्टीकरण नहीं किया गया है । यद्यपि ब्लाक कांग्रेस कमेटी इंडिया में कोषाध्यक्ष पद पर श्री आत्मामणि मिश्र है किन्तु ब्लाक कांग्रेस कमेटी के नाम से उनका कोई भी खाता कहीं पर भी नहीं है ।[३८]

तीन ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों से साक्षात्कार में पूछे प्रश्न " यदि संगठन के पदाधिकारियों का पद वैतनिक हो जाय तो कैसा रहेगा?" का उत्तर एक के अलावा सभी ने " बहुत अच्छा होगा " दिया । साथ ही साथ " दल का संगठन सबल होगा, पद के लिए बहुत लोग इच्छुक हो जायेंगे, पदाधिकारी व्यक्तिगत चिन्ताओं से मुक्त हो जायगा तथा संगठन एवं शासन बराबर हो जायेंगे - कहकर से अपनी सम्मति प्रकट की ।" वेतन देने के लिए धन कहाँ से आयेगा ? का उत्तर " दल के लिए संगृहीत धन " का स्रोत बताया । एक पदाधिकारी ने " पदलोलुपता बढ़ जायेगी " ऐसा उत्तर देकर वैतनिक व्यवस्था से असम्मति प्रकट की । इन उत्तरों से स्पष्ट है कि अवैतनिक कार्य प्रणाली से कार्येच्छा घट रही है । क्या यह अनुमान करने की संभावना नहीं होती कि वेतन-प्राप्ति की इच्छा अन्य साधनों से पूरी होती होगी ?

ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के ६७ प्रतिशत पदाधिकारी अपने वर्तमान मूल्यांकन से असंतुष्ट मिले ; जो ३३ प्रतिशत पदाधिकारी संतुष्ट हैं वे वर्तमान से अधिक दायित्वपूर्ण पद प्राप्त करने की कामना रखते हैं जबकि असंतुष्टों के आधे भाग ने कोई गुरुतर दायित्व लेने की अनिच्छा व्यक्त की । इससे स्पष्ट है कि जब संगठन में प्रवेश करने पर पदाधिकारी को संगठन के महत्वपूर्ण पद का ज्ञान होता है तब पदाधिकारी में उस विशिष्ट पद की अभिलाषा जागृत हो जाती है ; यदि वह अभिलाषापूर्ण न हो सकी तब वह व्यक्तिगत असमर्थता में संतुष्ट भी रह जाता है किन्तु समर्थ होने पर असंतुष्ट हो जाता है ।

एक ही पद पर एक व्यक्ति का बहुत वर्षों तक पदासीन रहना क्या संगठन के हित में है ? के उत्तर में सभी पदाधिकारियों ने " नहीं " कहा । इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक सत्र में नवीन पदाधिकारियों का निर्वाचन संगठन को सजीव, आकर्षक, संतोषप्रद बनाता है एवं अवसर की समानता प्रदान करता है जो शंका के

विकेन्द्रीकरण का पोषक है। इसके साथ ही साथ पदाधिकारी राबर्ट माइकेल्स के कथन को सत्यापित भी करते हैं कि दीर्घ पदावधि जनतंत्र के लिए भयावह है ।

जिले की ईकाई के पदाधिकारी कब आते हैं ? के प्रश्न उत्तरों में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने 'कभी कभी' कहा । जब इन्हीं पदाधिकारियों से यह पूछा कि प्रदेश या देश स्तर के पदाधिकारियों का पिछले दो वर्षों में कितनी बार आगमन हुआ ? तब १६.६ प्रतिशत चुनाव के समय १६.६ प्रतिशत दो बार १६.६ प्रतिशत छः बार १६.६ प्रतिशत बारहबार तथा शेष ने एक भी बार नहीं कहा । दल के लोकसभा के दोनों सदस्य । प्रत्याशी का आगमन बहुत आग्रह करने पर या चुनाव के समय ही इस विधान सभा क्षेत्र में होता है ऐसा भी दलों के पदाधिकारियों ने बताया । इन उत्तरों से स्पष्ट है कि उच्च इकाईयों के पदाधिकारियों का आगमन ब्लाक कांग्रेस कमेटी को तरंगित करने के लिए अनिश्चित है और आगमनों का विवरण संदेह जनक है । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि निम्नतम स्तर पर गठित इकाईयों का उचित पोषण, अवलोकन ,दिशा निर्देशन , कार्य- परीक्षण, समस्या-समाधान एवं मूल्यांकन उत्तरोत्तर उच्च इकाईयों द्वारा घटता जाता है ।

अपने दल की नीतियों की जानकारी किस माध्यम से करते हैं ? के उत्तर में पदाधिकारियों ने ४६ प्रतिशत नेता , १८ प्रतिशत आकाशवाणी १८ प्रतिशत - समाचार पत्र , १० प्रतिशत दल के साहित्य तथा १० प्रतिशत दल के पत्र बताया । इन तथ्यों से स्पष्ट है कि ६४ प्रतिशत मौखिक माध्यम है तथा ३६ प्रतिशत लिखित है । दल की नीतियों की सुस्पष्ट जानकारी लिखित माध्यमों से होने पर संदेह निवारण सरल हो जाता है और संपर्क भी बढ़ता है किन्तु ब्लाक कांग्रेस कमेटी में इसका वांछित अभाव है ।

ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने बैठकों से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों में बताया कि प्रतिमास कार्यालय पर बैठकें होती हैं जिसकी सूचना कार्यकर्ताओं, पत्रों एवं परिचित व्यक्तियों के माध्यमों से दी जाती हैं और बैठकों का विवरण एक पंजिका में लिखा जाता है । यह पंजिका कार्यालय में अथवा महामंत्री

के पास रहती है इसको निश्चित करना कठिन हो गया किन्तु महामंत्री ने कार्यालय में रखा जाना बताया। पिछले दो वर्षों में कितनी बैठकें हुईं ? के उत्तरों में बैठकों की संख्यायें असमान बतायी गई जिनसे नियमित प्रतिमाह की बैठकों पर संदेह है। इससे स्पष्ट है कि दल के पदाधिकारियों की बैठकें अनिश्चित होती हैं और बैठकों की सूचना पदाधिकारियों को एक निर्धारित माध्यम से नहीं दी जाती है। लोपकर्ता की बैठकों के विवरण से संबंधित पंजिका को सुलभ कराने में अनेक कठिनाइयों का होना पदाधिकारियों ने बताया। पिछले विधानसभा चुनाव में सहायता करनेवालों की सूची दल के पदाधिकारियों के पास या कार्यालय में नहीं मिली जो कि दल के हित में होनी चाहिए थी।

आप २४ घण्टे में औसत से कितना समय राजनीति में देते हैं, के उत्तर में दो ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों ने चार चार घण्टे, संगठन मंत्री २ घण्टे एवं महामंत्री १६ घण्टे, समय राजनीति में देना बताया किन्तु किसी ने भी निर्धारित काल (कितने बजे से कितने बजे तक) स्पष्ट नहीं किया जिससे अधिक समय देनेवालों पर आशंका होती है। यदि यह प्रदत्त समय ठीक ठीक बताये गये हों तो भी पदाधिकारियों का दलीकरण कम ही प्रतीत होता है। दलीकरण वह प्रक्रिया है जिससे दल के सदस्य में दलीय निष्ठा, चेतना एवं ज्ञान का क्रमिक विकास होता है। संभवतः प्रदेश में दल की सरकार होने के कारण दल के संगठन में अधिक समय लगाने की आवश्यकता का अनुभव पदाधिकारीगण कम ही करते हैं।

एक ब्लाक कांग्रेस कमेटी का अपने जिले के अन्तर्गत की निकटतम भौगोलिक क्षेत्र में स्थित दूसरी ब्लाक कांग्रेस कमेटियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, परिणामस्वरूप एक दूसरे कमेटियों के पदाधिकारियों की जानकारी बहुत कम होती है। ऐसी संवैधानिक व्यवस्था के अभाव में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को नेतृत्व के विकास का मार्ग अवरुद्ध मिलता है। मेरे विचार से एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में गठित होनेवाली सभी ब्लाक कांग्रेस कमेटियों की कार्य समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस कमेटी अवश्य गठित होनी चाहिए। इस प्रकार की एक और इकाई होने से ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज - दोनों प्रकार के संबंध-संचार दल के अन्तर्गत नियमित ढंग से हो सकेंगे।

भारतीय जनसंघ

संडिला विधान सभा क्षेत्र में भारतीय जनसंघ की स्थानीय समितियों एवं मण्डल समितियों का विवरण दिया जा रहा है।

स्थानीय समिति :

यह स्थानीय जनता से निकटतम संपर्क रखनेवाली किन्तु सब से कम महत्व की इकाई है। प्रत्येक स्थानीय समिति का क्षेत्र ग्राम पंचायत से लेकर न्याय पंचायत क्षेत्र तक ही सीमित है। एक स्थानीय समिति गठित होने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है किन्तु भारतीय जनसंघ के संविधान के अनुच्छेद ६ के उपबन्ध से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस स्थानीय समिति के सदस्यों की संख्या २५ से कम होगी उसकी कार्य समिति के सदस्यों को उच्च (मण्डल समिति) निर्वाचन में मतदान का अधिकार नहीं होगा।[३९] मण्डल समिति, संडिला के क्षेत्र में १३, बेहन्दर - ७ तथा मन्नूपुर - ७, स्थानीय समितियां गठित है। इस प्रकार संडिला विधान सभा क्षेत्र में इन तीनों मण्डलों से सम्बद्ध कुल २७ स्थानीय समितियां गठित है। विधान सभा क्षेत्र में कुल पदाधिकारियों की संख्या १८९ है जिनमें २७ अध्यक्ष, २७ मंत्री, २७ कोषाध्यक्ष तथा १०८ कार्य समिति के सदस्य हैं। स्थानीय समिति के सदस्य प्रत्यक्ष ढंग से अपनी कार्य समिति का चुनाव करते हैं।

दलीय संविधान के अनुसार सदस्य बनाने का कार्य स्थानीय समितियों के द्वारा होगा।[४०] जहां स्थानीय समिति न हो वहां मण्डल समिति यह कार्य करेगी किन्तु इस विधान सभा क्षेत्र में मण्डल समिति ही सदस्यता अभियान में सक्रिय दिखलाई देती है। स्थानीय समिति की बैठक दलीय संविधान के अनुसार प्रति पक्ष होनी चाहिए[४१] और कार्यवाहियों का विवरण पुस्तिका में उल्लेख होना चाहिए किन्तु किसी भी स्थानीय समिति के पास कोई भी विवरण पुस्तिका तैयार नहीं और न तो बैठकों की प्रतिपक्ष होती हैं। सामान्य जनता इन्हें नहीं जानती। दलीय संविधान में स्थानीय समितियों के पदाधिकारियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का भी कोई विवरण नहीं मिलता।

स्थानीय समितियों में पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण निर्विरोध हुआ है । मण्डल समिति द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी विशेषकर मण्डल मंत्री की उपस्थिति में साधु की बैठक में पदाधिकारियों का चुनाव होता है । निर्वाचन कार्यवाही अलिखित होती है किन्तु निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची मण्डल समिति के पास प्रेषित की जाती है ।[४३] पदावधि दो वर्ष है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही मण्डल समिति प्रादेशिक कार्य समिति की स्वीकृति से ही कर सकती है ऐसा प्राविधान है ।[४४] इससे स्पष्ट है कि स्थानीय समिति स्वयं अपने किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं कर सकती है । परन्तु स्थानीय समिति मण्डल समिति के समक्ष विवादों को प्रस्तुत कर सकती है ।[४५] स्थानीय समितियों में मंत्री पद को दल की ओर से विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि उसकी सक्रियता का अंश अधिक दिखलायी पड़ता है । अध्यक्ष की गरिमा बैठकों या सार्वजनिक स्थलों पर विशेष सम्मान से प्रकट होती है किन्तु कोषाध्यक्ष कोष विहीन ही मिले । सदस्यता शुल्क में स्थानीय समिति के अंश का कोई विवरण संविधान में कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है ।

स्थानीय समिति में स्थानीय दल के सदस्यों में से प्रभावशाली सक्रिय एवं दलभक्त की दृष्टि से उपयोगी व्यक्ति को पद देने की भरपूर कोशिश की जाती है । जिस जाति अथवा वर्ग के सदस्यों की संख्या अधिक होती है उनको स्वाभाविक ढंग से पद मिल जाता है किन्तु अल्पसंख्यकों की उपेक्षा नहीं की जाती । स्थानीय समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित कार्य समिति के पदाधिकारियों को किसी प्रकार का वेतन या भत्ता नहीं मिलता है किन्तु दलीय निष्ठा बढ़ती है । स्थानीय समिति सदस्यों के दलीकरण का प्रथम अभिकरण है । पूर्ण दलीकरण हो जाने पर सदस्य का वह दलीय प्रतीक हो जाता है ।

स्थानीय समिति के सीमान्तर्गत उत्पन्न समस्याओं, कठिनाइयों एवं विपदाओं या अन्य बातों की जानकारी मण्डल समिति के पदाधिकारीगण को विशेषकर उनके द्वारा संपर्क करने पर होती है । आकस्मिक दशाओं में स्थानीय समितियों

के पदाधिकारी स्वयं मण्डल समिति से संपर्क स्थापित करके कार्य की स्थिति समझ लेते हैं।[४६] स्थानीय समितियों के पदाधिकारियों का क्षेत्र सीमित होने के कारण उसी क्षेत्र की जनता उनके पदों से अवगत नहीं होती है। इन पदाधिकारियों के भी राजनीतिक व्यवहार विशेषकर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होते हैं। स्थानीय समितियों को सुदृढ़ करने की दल के द्वारा प्रयास बहुत कम किये जाते हैं जिसका प्रमाण उनके ऊपर बहुत कम कार्यों का बोझ होना है। एक स्थानीय समिति का दूसरी स्थानीय समिति से कोई पारस्परिक संबंध नहीं है, जो सदस्य मण्डल समिति में पद प्राप्त करना चाहते हैं वे ही स्थानीय समितियों की कार्य समिति से ही संपर्क करते हैं।

मण्डल समिति :

' भारतीय जनसंघ के संघटन की आधार भूत इकाई मण्डल होगी। मण्डल के अन्तर्गत एक विकास खण्ड का क्षेत्र आयेगा।[४७] मण्डल समिति का गठन उसी समय हो सकता है जब कम से कम ५ स्थानीय समितियां गठित हो चुकी हों।[४८] हंडिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तीन विकास खण्ड हंडिया, सैदाबाद एवं धनुपुर क्षेत्र आता है अतः तीन मण्डल समितियां गठित हुई हैं। स्थानीय समितियों की कार्य समिति के सब निर्वाचित सदस्य ही मण्डल समिति के सदस्य होते हैं। मण्डल समिति के सदस्य एक प्रधान, दो उप प्रधान, एक मंत्री, दो सहमंत्री तथा एक कोषाध्यक्ष का चुनाव करते हैं अर्थात् मण्डल समिति के सदस्यों द्वारा कुल सात पदाधिकारियों का ही चुनाव होता है। मण्डल की कार्य समिति में कुल अधिकतम इक्कीस सदस्य हो सकते हैं किन्तु उपरोक्त निर्वाचित पदाधिकारियों के अलावा शेष नियुक्तियां प्रधान द्वारा होती हैं।[४९] मण्डल समिति में दो, दो स्थान महिलाओं एवं अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित है।

हँडिया विधान सभा क्षेत्र में भारतीय जनसंघ की गठित इकाइयों की तालिका

क्रम संख्या	संगठित इकाई का नाम	पदाधिकारियों की संख्या	कार्यसमिति के सदस्यों की संख्या	रिक्त स्थानों की संख्या	अधीनस्थ स्थानीय समितियों की कुल संख्या	स्थानीय कार्य समिति के सदस्यों की संख्या	स्थायी कार्यालय	यातायात वहीय साधन
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	मंडल समिति हँडिया	७	१४	-	१३	६१	नहीं	नहीं
२	मंडल समिति सैदाबाद	७	१४	१	७	४६	नहीं	नहीं
३	मंडल समिति धनूपुर	७	१४	-	७	४६	नहीं	नहीं
योग		२१	४२	१	२७	१८६		

स्रोत : १- श्री विजय नारायण दुबे, बरौरा, उपाध्यक्ष, मण्डल समिति, हँडिया ।

२- श्री सुरेश चन्द्र मिश्र, सैदाबाद, मंत्री , मण्डल समिति, सैदाबाद ।

३-श्री कुँवर राजेन्द्र प्रताप सिंह, काशीपुर अध्यक्ष, मण्डल समिति, धनूपुर ।

प्रत्येक मण्डल समिति के पदाधिकारियों का चुनाव जिला समिति द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी के समक्ष होता है ।[50] प्रत्याशी होने की अर्हता

सक्रिय सदस्य का होना है । मण्डल समिति हंडिया के अध्यक्ष पद के लिए श्री राधेश्याम केसरवानी हंडिया एवं श्री जटाशंकर पाण्डेय- अर्जुनपट्टी के मध्य संघर्ष की कल्पना निहित थी, निर्विरोध चुनाव की दशा प्रयत्न प्रारंभ हो गया और अन्त में श्री पाण्डेय, भूतपूर्व अध्यक्ष ने अपना नाम वापस ले लिया जिससे संघर्ष के आसार मन्द पड़ गये । जब मंत्री पद के लिए प्रस्ताव मांगे गये तब श्री राज किशोर मिश्र - धीरापुर कशोधन एवं श्री चन्द्रधर मिश्र - भीटी के नाम आये जिससे संघर्ष की ज्वाला एक बार पुनः भड़क उठी और अनेक प्रयत्नों के बाद भी मतदान की स्थिति आ गई । मतदान में श्री राज किशोर मिश्र को उन्नीस तथा श्री चन्द्रधर मिश्र को सोलह मत मिले । मतदान के फलस्वरूप भूतपूर्व मण्डल मंत्री की ही विजय हुई ।[५१] श्री चन्द्रधर मिश्र जो पराजित हो गये थे निर्विरोध उपमंत्री निर्वाचित हुए ।

मण्डल समिति मऊपुर के अध्यक्ष पद के लिए श्री कुंवर राजेन्द्र प्रताप सिंह- शाहीपुर एवं श्री महादेव सिंह - मौबरा के नाम प्रस्तावित हुए किन्तु समझाने बुझाने पर श्री महादेव सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया और श्री कुंवर राजेन्द्र प्रताप सिंह निर्विरोध अध्यक्ष हो गये ।[५२] उपरोक्त घटनाओं से स्पष्ट है कि अध्यक्ष एवं मंत्री पदों के लिए ही संघर्ष इसलिए हुए कि ये दोनों पद महत्वपूर्ण हैं । अध्यक्ष सब सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा मंत्री पदेन जिला समिति का सदस्य हो जाता है । सदस्यों की नियुक्ति का आधार पदाधिकारियों ने दलभक्ति एवं कार्यक्षमता को ही बताया । मण्डल समितियों के निर्वाचित सदस्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के लिए अपने विधान सभा क्षेत्र से एक विधान सभा क्षेत्र प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं[५३] जिसके लिए प्रतिवर्ष प्रतिनिधि को पांच रुपये सदस्यता शुल्क देना पड़ता है ।[५४] हंडिया विधान सभा क्षेत्र प्रतिनिधि के रूप में श्री कमलेश केसरवानी सैदाबाद निर्वाचित हुए हैं।[५५]

साक्षात्कार में पृष्ट प्रश्न " क्या दल के संगठन में रहकर अपने नेतृत्व का विकास कर सकते हैं ?" के उत्तर में सभी पदाधिकारियों ने " हाँ कहा । इससे प्रतीत होता है कि संगठन में रहकर नेतृत्व का विकास संभव है । पदाधिकारी में नेतृत्व का विकास एक पद पर रहने तथा क्रमशः अग्रिम वर्षों में उससे अधिक दायित्वपूर्ण पदों को प्राप्त करने रहने से संभव होता है । दलीय संविधान में प्रत्येक पद के प्रत्याशी

की अर्हताओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु दलीय क्षति पूर्ति की क्षमताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है । कभी कभी नये सदस्यों को दल के प्रति तात्कालिक रुझान को स्थायी करने के निमित्त भी पदाधिकारी निर्वाचित किया जाता है जिसका प्रमाण मण्डल समिति हँडिया के अध्यक्ष पद पर श्री राधेश्याम केसरवानी का पदारूढ़ होना है ।

दलीय संविधान में पदोन्नति किन किन आधारों पर संभव है इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है । पदाधिकारियों ने अपने साक्षात्कार में दल के अन्तर्गत पदोन्नति का आधार, २७ प्रतिशत दल के प्रति निष्ठा ; २१ प्रतिशत समय का दान ; १३ प्रतिशत वर्गीय प्रतिनिधित्व ; १३ प्रतिशत साधन संपन्नता ; १३ प्रतिशत कार्यों का अनुभव ; ६.५ प्रतिशत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और ६.५ प्रतिशत शैक्षिक योग्यता बताया । महान आश्चर्य है कि नेताओं के प्रति भक्ति का नाम किसी भी पदाधिकारी ने नहीं लिया जिससे दल में गुटबन्दी कम दिखाई देती है । पद-प्राप्ति में जहाँ अन्य कारक सहायक है वहीं पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में आस्था, इससे प्रगाढ़ संबंध एवं विस्तार में सहयोग भी विशेष महत्व रखता है । तीनों मण्डल समितियों के एक तिहाई पदाधिकारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबद्ध है ।

मण्डल समिति का कार्यकाल २ वर्ष निर्धारित है जिससे प्रत्येक पदाधिकारी अपने पद पर दो वर्ष तक रह सकता है । यदि किसी पदाधिकारी या सदस्य के कार्यों एवं व्यवहारों से दलीय हित पर कुठाराघात होता है तब उसे कैसे हटाया जा सकता है इस पर संविधान मौन है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की समस्या की संभावना ही कम अनुभव की गई । "प्रादेशिक कार्य समिति को किसी भी ऐसे कारण के लिए जिसे वह माने तथा ऐसी जाँच पड़ताल के बाद जिसे वह आवश्यक समझे प्रदेशान्तर्गत किसी भी समिति अथवा सदस्य के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करने तथा किसी भी सदस्य को अथवा प्रवर समिति के पदाधिकारी को हटाने का अधिकार होगा । इस आदेश के विरुद्ध भारतीय कार्य समिति को अपील की जा सकती है जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।[५६] उपरोक्त धारा से स्पष्ट हो जाता है कि समस्याओं का समाधान-केन्द्र मण्डल या जिला समिति नहीं है और प्रादेशिक कार्य समिति भी अंतिम

नहीं है । अन्तिम निर्णय केन्द्र भारतीय कार्य समिति है जिससे सभा के केन्द्रीयकरण का परिचय मिलता है ।

मण्डल समिति प्रादेशिक कार्य समिति की स्वीकृति से पुरानी समितियों का पुनर्गठन करेगी ।[५१] प्रादेशिक कार्य समिति ही अस्थायी समितियाँ को बना सकती हैं जिनका कार्यकाल अधिकतम छः मास हो सकता है ।[५८] इन धाराओं से स्पष्ट है कि मण्डल समिति अपने अधीनस्थ एक बार गठित स्थानीय समितियों का पुनर्गठन प्रादेशिक कार्य समिति की अनुमति से ही कर सकती है, उसे अस्थायी समितियों के निर्माण का बिल्कुल अधिकार नहीं दिया गया जो कि वांछित प्रतीत होता है । यदि किसी पदाधिकारी का स्थान रिक्त हो जाय तो तत्क्षेत्रीय कार्य समिति को अधिकार होगा कि वह उस स्थान की पूर्ति अवशिष्ट काल के लिए कर ले ।[५६] नियुक्ति एवं पदच्युत करने की शक्तियों के विभाजन से दल में अनुशासन एवं एकता स्थिर रहती है । समिति की तीन लगातार बैठकों में बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर किसी भी सदस्य निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है[६०] किन्तु अभी तक किसी के प्रति ऐसी कार्यवाही नहीं हुई । अनुमति कौन देगा ? यह स्पष्ट नहीं । यदि अध्यक्ष ही बैठक में सम्मिलित न होना चाहे तो अनुमति कौन देगा ? मेरे विचार से 'अनुमति' के स्थान पर 'सूचना' ही पर्याप्त समझी जानी चाहिए ।

प्रत्येक समिति के कोषाध्यक्ष का कर्तव्य होगा कि वह ठीक प्रकार से लेखा रखे, प्रतिवर्ष उसका अंकेक्षण हो तथा समिति द्वारा स्वीकृति हो । समिति किसी भी बैंक में अपना हिसाब खोल सकती है ।[६१] किन्तु जब हम व्यवहार के धरातल पर दृष्टिपात करते हैं तो तीनों मण्डल समितियों के कोषाध्यक्षों में से किसी ने भी दल का हिसाब न तो बैंक में रखा है और न उनके पास कोई धनराशि ही जमा है ।[६२] उत्तर प्रदेश की कार्य समिति ने सदस्यता कोष का ५० प्रतिशत मण्डल समिति के पास रखने का प्राविधान किया है ।

साक्षात्कार में पृष्ट प्रश्न 'यदि संगठन के पदाधिकारियों का पद वैतनिक हो जाय तो कैसा रहेगा ? का उत्तर तीन पदाधिकारियों ने 'अच्छा' कहकर दिया और एक पदाधिकारी ने अपनी असहमति व्यक्त किया क्योंकि इससे पद

लोलुपता बढ़ जायेगी । इससे इस बात का आभास होता है कि पदाधिकारी बनने से जो सम्मान समाज में उसे प्राप्त होता है या उसकी व्यक्तिगत आकांक्षायें पुष्पित एवं पल्लवित होती हैं उससे सन्तोष नहीं है और पदाधिकारी अपना वार्षिक मूल्यांकन चाहता है । आपके दल ने जो आपका मूल्यांकन किया है उससे क्या आप संतुष्ट हैं ? के उत्तर में सभी पदाधिकारियों ने 'हाँ' कहा । इन तथ्यों से स्पष्ट है कि वार्षिक मूल्यांकन' का ज्वालामुखी किसी भी समय फूट सकता है ।

एक ही पद पर एक व्यक्ति का बहुत वर्षों तक पदासीन रहना क्या संगठन के हित में है ? का उत्तर पदाधिकारियों ने 'नहीं' कहकर दिया । इससे स्पष्ट है कि सदस्यों के पदों में परिवर्तन करते रहने से 'गुटबन्दी', 'भ्रष्टाचार' निरंकुशता' जैसी आदि संगठन की व्याधियां नहीं जन्म ले पाती हैं । एक ही पद पर बने रहने से पदाधिकारी में विकास का ऊर्ध्वमुखी प्रवाह अवरुद्ध होता है जो उदासीनता असंतोष एवं पूर्वाग्रह का कारण बनता है ।

जिला समिति के पदाधिकारियों का मण्डल समितियों में आगमन 'कभी कभी' होता है ऐसा सभी पदाधिकारियों ने बताया जबकि वैधानिक दृष्टि से मण्डल समिति की बैठक प्रति दो मास में होनी चाहिए[43] और उसमें जिला समिति के पदाधिकारियों का आगमन अपेक्षित प्रतीत होता है । जिला समिति के पदाधिकारियों का मण्डल समितियों को प्रोत्साहित, कार्य-कुशल एवं सतत सक्रिय करने के लिए भी निश्चित तिथियां होनी चाहिए । प्रदेश एवं देशस्तर के पदाधिकारियों का आगमन मण्डल समितियों में तीन चार बार हुआ है । 'अपने दल की नीतियों की जानकारी किस माध्यम से करते हैं ? के उत्तर में पदाधिकारियों ने ८० प्रतिशत नेता तथा २० प्रतिशत दलीय साहित्य का माध्यम बताया । समाचार पत्र एवं आकाशवाणी से दल की नीतियों की जानकारी होने का माध्यम नहीं बताया । इससे यह समझा जा सकता है कि समाचार पत्र एवं आकाशवाणी सत्तारूढ़ दल की नीतियों का प्रचार एवं प्रसार करती हैं क्योंकि ब्लाक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने इनको माध्यम बताया है।

मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने बैठकों से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों में बताया कि बैठकें प्रतिमास और आवश्यकता पड़ने पर मध्य में भी अनिश्चित

स्थानों पर होती है जिसकी सूचनायें पत्र द्वारा दी जाती है और बैठकों का विवरण एक पंजिका में लिखा जाता है । यह रजिस्टर कार्यालय में अथवा मंत्री के पास रहता है । हंडिया मण्डल समिति के मंत्री ने बताया कि आपातकाल में कार्यालय से सभी कागज पुलिस उठा ले गई, शेष जो मण्डल की पंजिका सम्बंधित मंत्रियों के पास मिली । पदाधिकारियों ने अनौपचारिक बैठकों का होना भी बताया । इससे स्पष्ट है कि बैठकें होती हैं । पिछले विधान सभा चुनाव में दल की सहायता करनेवाले व्यक्तियों की व्यवस्थित सूची का अभाव मिला जो कि दल के संगठन एवं कार्य के लिए आवश्यक प्रतीत होती है ।

आप २४ घण्टे में औसत से कितना समय राजनीति में देते हैं" के उत्तर में मण्डल समिति फूलपुर के अध्यक्ष ने २ घण्टा ; मण्डल समिति सैदाबाद के मंत्री ने २ घण्टा ; मण्डल समिति हंडिया के मंत्री ने २ घण्टा तथा उपाध्यक्ष ने "कुछ नहीं" कहा । इससे स्पष्ट हो जाता है कि दल हित के लिए राजनीति में प्रयुक्त समय कम है और यह आश्चर्य है कि किसी ने निर्धारित काल नहीं बताया । मेरा ऐसा अनुमान है कि यदि पद, वैतनिक हो जाय तथा कार्य निरीक्षण एवं मूल्यांकन की अलग समिति बन जाय तो संगठन में पदाधिकारी अधिक समय लगा सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप दलीकरण एवं राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जायेगी।

भारतीय लोक दल

अध्याय दो में स्पष्ट किया जा चुका है कि भारतीय लोक दल का जन्म विधान सभा निर्वाचन सन् १९७४ ई० में गठित दल त्रिदलीय मोर्चा- भारतीय क्रान्तिदल, संयुक्त समाजवादी दल एवं मुस्लिम मजलिस की सफलताओं ने दिया । हंडिया विधान सभा क्षेत्र में भारतीय क्रान्ति दल को अधिक जन समर्थन मिलने के कारण प्रायः साधारण मतदाता भारतीय लोक दल से भेद नहीं कर पाता । हंडिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भारतीय लोकदल के संविधान के अनुसार प्रारंभिक कौंसिल एवं क्षेत्रीय कौंसिल का गठन होना चाहिए ।

प्रारंभिक कौंसिल :

प्रारंभिक कौंसिल भारतीय लोक दल की सब से छोटी इकाई है जिसके गठित होने का क्षेत्र प्रत्येक चुनाव केन्द्र है जहां पर सदस्यों की संख्या कम से कम १५ सदस्य हो ।[६४] हर प्रारंभिक कौंसिल अपने अपने सदस्यों में से एक कार्य समिति का चुनाव करेगी जिसमें एक अध्यक्ष एक मंत्री एक कोषाध्यक्ष और दो सदस्य होंगे । कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी कौंसिल के भी पदाधिकारी रहेंगे ।[६५] कार्य कारिणी के सभी सदस्य और पदाधिकारी क्षेत्रीय कौंसिल के प्रतिनिधि सदस्य होंगे ।[६६]

तदर्थ क्षेत्रीय कौंसिल के अध्यक्ष श्री काशीनाथ मौर्य, बिहारी प्रधानाचार्य, जनता हायर सैकेन्ड्री स्कूल श्रीपुर (बनगांव) ने कुल सदस्यों की संख्या चार सौ बतायी[६७] और उसी विद्यालय की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक श्री बलईराम यादव ने बारह सौ बतायी[६८] किन्तु एक ने भी प्रारंभिक कौंसिल के गठन का वृत नहीं दिया । अन्य दलों की भांति भारतीय लोक दल ने भी प्रत्येक पदाधिकारी के अधिकारों एवं कर्तव्यों का विवरण संविधान में नहीं दिया है । " महामंत्री अथवा मंत्री द्वारा संबंधित अध्यक्ष की अनुमति से मीटिंग बुलायी जायेगी । --- किन्तु किसी स्तर पर संगठन के १।५ सदस्य उस संगठन की मीटिंग की मांग करते हैं तो अथवा महामंत्री जो संबंधित हो उनके लिए अनिवार्य होगा कि उस मांग के एक माह के अन्दर ही मीटिंग बुलाये[६९] का प्राविधान सदस्यों द्वारा पहल करने का अधिकार संविधान में अनोखापन प्रस्तुत करता है ।

प्रारंभिक कौंसिलों की बैठकों की कोई अवधि निर्धारित नहीं है जब कि अन्यों के लिए निश्चित है । प्रारंभिक कौंसिल की कार्य समिति में कोषाध्यक्ष का पद है किन्तु अन्य उच्च इकाईयों की भांति सदस्यता शुल्क के वितरण में उसका कोई अंश नहीं दिया गया है ।[७०] प्रारंभिक कौंसिल का कार्यकाल दो वर्ष है किन्तु किसी राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रीय कौंसिल पार्टी चुनावों को एक वर्ष तक टाल सकती है और उस दशा में मौजूदा कौंसिलें और कमेटियों का समय उतने अवधि के लिए बढ़ा दिया जायगा ।[७१] संविधान की धारा १३ के अनुसार चुनाव संबंधी विवादों को हल करने के लिए राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं जिला स्तर पर चुनाव न्यायाधिकरण

की व्यवस्था है जिसकी अपीलें तीन सदस्यीय उच्च न्यायाधिकरण के पास की जा सकती है और उसका फैसला अन्तिम होगा ।[72]

तदर्थ प्रारम्भिक कौंसिलों के गठन का अधिकार प्रदेश कार्यकारिणी की अनुमति से जिला कौंसिल की कार्यकारिणी को प्राप्त है ।[73] किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय कौंसिल अपनी तदर्थता की दशा का अनुभव करके इस पर ध्यान नहीं दिया ।

क्षेत्रीय कौंसिल :

क्षेत्रीय कौंसिल की आधार भूत इकाई प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र है । सँड़िया विधान सभा क्षेत्र में इस समय तदर्थ क्षेत्रीय कौंसिल गठित है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक मंत्री, एक उपमंत्री एवं एक कोषाध्यक्ष के पदाधिकारी हैं । उपरोक्त पाँच पदाधिकारियों के अतिरिक्त अध्यक्ष के द्वारा ८ उपाध्यक्ष के द्वारा १६ ; मंत्री के द्वारा १३ ; कोषाध्यक्ष के द्वारा १४ , की संख्यायें कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की बतायी गई । दलीय संविधान के अनुसार कार्य-कारिणी समिति के सदस्यों की संख्या ८ ही होनी चाहिए और दो उपाध्यक्ष तथा दो संयुक्त मंत्री निर्वाचित किये जाने चाहिए थे ।[74] दलीय संविधान के अनुसार एक उपाध्यक्ष एक संयुक्त मंत्री के स्थान रिक्त होने चाहिए थे किन्तु किसी भी पदा-धिकारी ने रिक्त पदों का विवरण नहीं दिया । क्या यह तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि तदर्थ क्षेत्रीय कौंसिल का स्वरूप वैध से भिन्न है ?

तदर्थ जिला कौंसिल फैजाबाद के अध्यक्ष श्री रूपनाथ सिंह यादव, एडवोकेट, भूतपूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश संविद सरकार द्वारा घोषित क्षेत्रीय कौंसिल सँड़िया में श्री फतेह बहादुर सिंह यादव जैतापुर प्रधान मंत्री थे किन्तु स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने श्री दयाशंकर दुबे दुलापुर को मंत्री बनाया जिस पर श्री फतेह बहादुर सिंह यादव को कोई आपत्ति नहीं हुई । आपत्ति न होने के अनेक कारण प्रतीत होते हैं प्रथम श्री दुबे एकमेव ब्राह्मण पदाधिकारी हैं, द्वितीय श्री फतेह बहादुर सिंह यादव मंत्री पद से अपना सम्मान घटने की आशंका करते रहे

हो, तृतीय सदर्य क्षेत्रीय कौंसिल से या उसके किसी पदाधिकारी से श्री यादव असंतुष्ट हो, चतुर्थ भारतीय लोकदल के निर्णायक घटकों में संयुक्त समाजवादी दल को भी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ऐसा परिवर्तन किया गया हो । क्षेत्रीय विधायक श्री बटेराम यादव ने क्षेत्रीय कौंसिल का कोषाध्यक्ष श्री गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, सैंथिया को बताया जबकि अन्य किसी पदाधिकारी ने उनका नाम नहीं लिया बल्कि श्री जगनन्दन सिंह लोकमनपुर मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान लोक - मन पुर का नाम लिया । श्री बटेराम यादव विधायक ने उपाध्यक्ष पद पर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया और श्री राम लखन जायसवाल- सैंथिया को सदस्य कार्य-कारिणी समिति बताया जबकि अन्य पदाधिकारियों ने श्री जायसवाल को उपाध्यक्ष बताया है । महानतम आश्चर्य है कि श्री जगनन्दन सिंह भारतीय लोकदल के सदस्य नहीं हुए हैं किन्तु कोषाध्यक्ष हैं ।[७५] इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तियों को पद देकर आकर्षित किया जाता है फिर वैधता के लिए सदस्यता ग्रहण करायी जाती है ।

क्षेत्रीय कौंसिल को अपना एक प्रतिनिधि प्रदेश कौंसिल तथा तीन प्रतिनिधि जिला कौंसिल के लिए चुनना चाहिए[७६] किन्तु किसी भी पदाधिकारी ने इनके नाम नहीं बताये । ब्लाक कांग्रेस कमेटी एवं मण्डल समिति के अध्यक्ष की भाँति क्षेत्रीय कौंसिल के अध्यक्ष को मनोनीत या अनुमोदित करने का अधिकार नहीं मिला है और सभी पदों को निर्वाचन से भरने की व्यवस्था की गई है ।

आपके दल ने जो आपका मूल्यांकन किया है उससे क्या आप संतुष्ट हैं ? का उत्तर सभी पदाधिकारियों ने " हाँ " कहकर दिया किन्तु जब उनसे वर्तमान से अधिक उत्तरदायित्व का पद आपको दिया जाय तो कौन सा पद ग्रहण करेंगे । पूछा गया तब एक मात्र अध्यक्ष ने जिला कौंसिल का अध्यक्ष या मंत्री बनने की इच्छा व्यक्त की । उपरोक्त अभिलाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्यक्ष एवं मंत्री के दोनों पद महत्वपूर्ण समझे जाते हैं । शेष पदाधिकारियों ने कोई पद नहीं चाहिए " कहा उनमें उपाध्यक्ष ,मंत्री एवं कोषाध्यक्ष रहे । ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी कार्य क्षमता के कारण तथा विवशता एवं चिन्ताओं से मुक्त होकर समाज एवं देश के प्रति दल के माध्यम से अधिक दायित्व सँभालने के लिए तत्परता नहीं है ।

संगठन में रखकर अपने नेतृत्व का विकास करने में सभी पदाधिकारियों ने विश्वास प्रकट किया । दल के अन्तर्गत विभिन्न परिस्थितियों में जब पद की नियुक्ति होती है तब उसमें समयदान, लोकप्रियता, धन व्यय करने की क्षमता, शैक्षिक योग्यता तथा पद का आधार अध्यक्ष ने बताया तथा उपाध्यक्ष ने "नियुक्त करनेवाले अधिकारी का खास आदमी[77] होना बताया ।" दल में पदोन्नति किन किन आधारों पर होती है ? के उत्तर में पदाधिकारियों ने २२ प्रतिशत समय का दान ; २२ प्रतिशत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व ; २२ प्रतिशत दल के प्रतिनिष्ठा ; २२ प्रतिशत साधन संपन्नता तथा १२ प्रतिशत नेताओं के प्रति भक्ति बताया, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, शैक्षिक योग्यता एवं कार्यों के अनुभव पर किसी ने बल नहीं दिया । "नेताओं के प्रति भक्ति" के आधार पर पदोन्नति यह इंगित करती है कि दल में व्यक्ति निष्ठा की व्याप्ति है जो गुटबन्दी के रूप में प्रकट होती है ।

क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों का कार्यकाल २ वर्ष है किंतु किसी राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रीय कौंसिल पार्टी चुनावों को एक वर्ष तक टाल सकती है किन्तु कितनी बार ; इसका स्पष्टीकरण नहीं है । किसी क्षेत्रीय कौंसिल या उसके किसी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही प्रदेश कार्यकारिणी समिति कर सकती है इसके अन्तर्गत निलम्बन, निष्कासन एवं सलाहकार कमेटियों की नियुक्ति जो भी उपयुक्त हो सब शामिल है ।[78] प्रदेश कार्यकारिणी समिति के फैसले के विरोध में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष अपील हो सकेगी और उसका फैसला अंतिम होगा।[79] इससे स्पष्ट है कि अन्तिम निर्णय केन्द्र राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति है जो कि संगठनात्मक व्यवस्था की धुरी है ।

क्षेत्रीय कौंसिल को सदस्यता शुल्क में से ४० प्रतिशत अंश मिलना चाहिए ।[80] कोषाध्यक्ष पार्टी फण्ड का संरक्षक होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि बाकायदे हिसाब रखे, हर साल उसका आडिट कराए और संबंधित कौंसिल से उसकी स्वीकृति प्राप्त करे । हर कौंसिल या कमेटी किसी बैंक में अपना एकाउण्ट खोल सकती है ।[81] यद्यपि तदर्थ क्षेत्रीय कौंसिल गठित होने पर सदस्यता अभियान चला किन्तु कोषाध्यक्ष श्री जगनन्दन सिंह यादव के पास एक भी प्रतिशत अंश न तो जमा किया गया न तो बैंक (अधिकोष) में कोई हिसाब ही खोला गया है ।[82]

यदि संगठन के पदाधिकारियों का पद वैतनिक हो जाय तो कैसा रहेगा ? के उत्तर में मंत्री ने " अच्छा नहीं होगा " कहा वहीं पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष ने " अच्छा रहेगा " कहकर अपनी सहमति प्रकट किया । " धन कहाँ से आयेगा " का उत्तर उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष ने " दल के चन्दे से " कहा और अध्यक्ष ने " सरकारी खजाने से " कहकर आश्चर्य में डाल दिया क्योंकि सरकारी कोषागार से राजनीतिक दल के संगठन में कार्य करनेवाले पदाधिकारी एवं उसी दल की कृपा पर शासन में पद प्राप्त कर लेनेवाले प्रतिनिधि, इन दोनों को धन मिलने से सरकार एवं राजनीतिक दल का भेद मिट जायगा । लोकतांत्रिक देश में जब राजनीतिक दलों के अभाव में सरकार का गठन कठिन है तब राजनीतिक दलों को सशक्त, सुसंगठित, अनुशासित, जनप्रिय एवं राजनीतिक समाजीकरण का प्रमुख साधन बनाने के लिए वेतन प्रदान करना उचित प्रतीत होता है ।

" एक ही पद पर एक व्यक्ति का बहुत वर्षों तक पदासीन रहना क्या संगठन के हित में है ? के उत्तर में सभी पदाधिकारियों ने " नहीं " कहा । अतएव पदों में परिवर्तन जब तक ऊर्ध्वगामी होगा तब तक दल में असंतोष की मात्रा शून्य के समीप होगी किन्तु जब पद परिवर्तन अधोगामी होगा तब संगठन की कड़ियाँ दुर्बल होकर टूटती जायेंगी और इतना ही नहीं अपितु अरुचि, ईर्ष्या, दमन, हत्या, अपमान एवं कूटनीतियों का प्रभाव बढ़ जायेगा ।

जिला काँग्रेस के पदाधिकारियों का आगमन क्षेत्रीय काँग्रेस कमेटी के क्षेत्र में " कभी कभी होता है " ऐसा उत्तर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष ने दिया और आनेवालों में श्री रघुनाथ सिंह यादव- का नाम लिया जिनकी जन्मभूमि जगदीशपुर इसी विधान सभा क्षेत्र में है । आश्चर्य तब हुआ जब मंत्री ने " नियमित " आगमन बताया किन्तु तिथियां नहीं बतायी यह उत्तर स्वयं अन्य पदाधिकारियों के कथन के विपरीत है इसलिए संदेह गर्भित है । " प्रदेश एवं देश स्तर के पदाधिकारियों का आगमन पिछले दो वर्षों में कितनी बार हुआ है ? के उत्तर में अध्यक्ष ने ' ४ बार " कोषाध्यक्ष ने " ३ बार " उपाध्यक्ष एवं मंत्री ने " २ बार " बताया । इन

उत्तरों से संकेत मिलता है कि आगमनों की जानकारी पद से अधिक अध्यक्ष को रही, शेष पदाधिकारियों को जान बूझकर या समयाभाव से सूचनायें सुलभ नहीं करायी गई। ज्ञातव्य है कि उपाध्यक्ष एवं मंत्री दोनों पदाधिकारी अतीत में संयुक्त समाजवादी दल से और अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष भारतीय क्रान्ति दल से संबद्ध रहे हैं।

अपने दल की नीतियों की जानकारी किस माध्यम से करते हैं ? के उत्तर में पदाधिकारियों ने ६१. ५ प्रतिशत नेता ; १९ .५ प्रतिशत समाचार पत्र तथा १९. ५ प्रतिशत दलीय साहित्य को माध्यम बताया। "आकाशवाणी" को किसी ने भी माध्यम नहीं बताया। यह वास्तविकता प्रतीत होती है कि भारतीय जनसंघ एवं भारतीय लोकदल की नीतियों के प्रचार एवं प्रसार में "आकाशवाणी" की भूमिका शून्य है क्योंकि यह भारत के लिए विचारों के संचार का सशक्त साधन है। "आकाशवाणी" पर पूर्णरूपेण सरकार का अधिकार होने से विरोधियों की नीतियों को स्थान नहीं मिल पाता।

क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने बैठकों से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों में बताया कि बैठकों का निर्धारित समय तथा स्थान नहीं है और सूचनाओं का माध्यम पत्र है। बैठकों का विवरण एक पंजिका में भी लिखा जाता है। यह पंजिका किसके पास रहती है के उत्तर में पदाधिकारियों ने अध्यक्ष के पास बताया और अध्यक्ष ने मंत्री के पास बताया जो पर्याप्त संदेह उत्पन्न करता है। बैठकों की संख्या बहुत कम रही है जिनमें असमानता भी मिली। बैठकों की पंजिका शोधकर्ता को सुलभ नहीं करायी जा सकी। इससे स्पष्ट है कि बैठकों पर ध्यान बहुत कम दिया जाता है। पिछले विधान सभा चुनाव में सहायता करनेवाले व्यक्तियों की कोई सूची दल के पदाधिकारियों के पास नहीं है। (एक पदाधिकारी) ने अपने दल के विधायक के पास होने की संभावना व्यक्त की जो यह संकेत देता है कि दल की नहीं व्यक्ति का स्वरूप सामने रखकर कार्य किया जा रहा है।

आप २४ घण्टे में औसत से कितना समय राजनीति में देते हैं ? के उत्तर में उपाध्यक्ष ने ७ घण्टा ; अध्यक्ष ने २ घण्टा ; मंत्री ने ४ घण्टा तथा कोषाध्यक्ष ने बिलकुल नहीं कहा। उपाध्यक्ष एवं मंत्री दोनों की क्रमशः कपड़े एवं

पुस्तकों की दुकान इंग्लिया बाजार में है जो कि विधान सभा क्षेत्र का केन्द्र स्थल है । केन्द्र स्थल इसलिए है क्योंकि यहीं पर तहसील ,थाना, तीन बैंक (अधिकोष),विद्युत उपकेन्द्र, नलकूप उप विभाग कार्यालय, राजकीय अस्पताल, उप डिवीजनल मजिस्ट्रेट का न्यायालय, खण्ड विकास कार्यालय, पालीटैक्निक कालेज, डिग्री कालेज, गांधी आयुर्वेद विश्वविद्यालय, दो इण्टर कालेज, जूनियर हाई स्कूल, सहकारी संघ कार्यालय एवं बीज गोदाम बीड़ी उद्योग के तीन कारखाने, रोडवेज स्टेशन तथा रेलवे स्टेशन आदि स्थित हैं जो जन समस्याओं से निरन्तर जुड़कर सेवा करते हैं । ऐसी स्थिति में जो केन्द्र स्थल पर उपस्थित रहता है वह राजनीति में अधिक समय दे सकता है और अपनी सक्रियता के कारण बाध्य भी किया जाता है ।

क्षेत्रीय कौंसिल इंग्लिया का नाम पट्टिका लगा हुआ कोई कार्यालय दिखलायी नहीं दिया और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने यह स्वीकार किया है कि स्थायी कार्यालय नहीं है परन्तु कोषाध्यक्ष एवं मंत्री ने स्थायी कार्यालय का होना स्वीकार ही नहीं किया अपितु कार्यालय का ३०।- रु० मासिक किराया दिया जाना भी बताया जिसमें श्री रमाशंकर यादव- बहुनि पट्टी , सहमंत्री का स्थायी रूप से बैठना भी बताया । जब कोषाध्यक्ष श्री जनार्दन सिंह से पूछा कि " क्या आप कभी कार्यालय गये ? तब उन्होंने कहा " कभी भी कार्यालय नहीं गये । " इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि स्थायी कार्यालय की योजना तो निश्चित हो गयी होगी किन्तु कार्यान्वित नहीं हो पायी या दल के कागजों पर कार्यान्वित भी हो गयी हो । क्षेत्रीय कौंसिल के पास यात्रा के निजी साधन नहीं हैं ।[८२]

कार्यकर्ता :

नागरिक किसी दल का समर्थक बनता है, फिर सदस्य बनता है यदि उसकी लोकप्रियता से दल को लाभ मिल सकता है या पद प्राप्त करने से उसकी लोकप्रियता बढ़ सकती है या अन्य महत्वाकांक्षायें पूरी हो सकती हैं तब पदाधिकारी बन जाता है । यही पदाधिकारी जब दल के अविरल संपर्क में रहकर, व्यक्ति-निष्ठा से ऊपर उठकर, दलीय सिद्धान्त एवं विचारों से ओतप्रोत होकर, दल हित को वरीयता प्रदान करते हुए एवं व्यक्तिगत आकांक्षायें रखते हुए भी दल के प्रत्येक क्रिया-

कलाप को करता है तब वो कार्यकर्ता (Activist) समझा जा सकता है । कार्यकर्ता में पदाधिकारी के आवश्यक गुण विराजमान रहते हैं किन्तु सभी पदाधि-कारियों में कार्यकर्ता के गुण नहीं पाये जाते हैं । कार्यकर्ता में पद से अधिक कार्यलिप्सा होती है । डूवरजर ने सक्रिय सदस्य को जो कि दल के प्रारंभिक समूहों के केन्द्र हैं और जिनके ऊपर दल के सभी नियमित क्रियाकलाप आधारित होते हैं, युवक (Militant) बताया है ।[८४] निःसन्देह यहां कार्यकर्ता समूह प्रेरक, आदर्श एवं राजनीतिक दल की पूंजी होता है । कार्यकर्ता समूह पदाधिकारियों का भाग्य विधाता होता है क्योंकि इसी की संतुष्टि और असंतुष्टि पर दल किसी सदस्य को पदयुक्त या पदच्युत करता है । कार्यकर्ता समूह दल के संगठन रूपी शरीर की कर्मेन्द्रियां है जिनके अभाव अथवा असमर्थ हो जाने पर दल की नीतियां एवं कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं हो सकते । कार्यकर्ता अपना विकास करते करते नेता की श्रेणी में पहुंच जाता है ।

दलीयहित के लिए प्रयुक्त समय के आधार पर कार्यकर्ताओं को दो वर्गों में रख सकते हैं १ अल्पकालिक २ पूर्णकालिक । अल्पकालिक कार्यकर्ता चुनावों, आन्दोलनों, प्रदर्शनों, धरना, घेराव या इसी प्रकार की अन्य राजनीतिक क्रियाओं में प्रेरणा एवं सक्रिय योगदान देते हैं और जब कार्य संपन्न हो जाता है तब पुनः अपने व्यक्तिगत कार्यों में लग जाते हैं । पूर्णकालिक कार्यकर्ता व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने संयुक्त परिवार या सहयोगियों या दल के उपर आश्रित होकर अहर्निश दल के कार्यक्रमों को पूर्ण करने में तन एवं मन दोनों से सक्रिय रहता है । हंडिया विधान सभा क्षेत्र में गठित दलों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास सब से अधिक पूर्णकालिक कार्यकर्ता सड़कों, सरकारी कार्यालयों एवं जलपान गृहों में दिखलायी देते हैं जिनमें श्री कामता प्रसाद मिश्र, वैद्य, सदस्य प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ; श्री कमला कान्त तिवारी "चंचल" सदस्य जिला परिषद ; श्री लक्ष्मीशंकर मिश्र - कसरौरा ; श्री शिवराम मिश्र - लाक्षागृह, युवक कांग्रेस आदि प्रमुख हैं । भारतीय लोकदल के पास श्री बलदेवराम यादव विधायक के अलावा दूसरा कोई नहीं है जबकि भारतीय जनसंघ के पास एक भी पूर्णकालिक कार्यकर्ता नहीं है बल्कि अल्पकालिक योग्य कार्यकर्ता अधिक हैं ।

राजनीतिक दलों के द्वारा कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया अनवरत किन्तु मन्दगति से होती है और उसका प्रतिफल भी नवनीत की भांति न्यून

एवं पुष्ट होता है । कार्यकर्ता-निर्माण-प्रक्रिया पांच चरणों में होती है १- कार्यकर्ता बनने योग्य व्यक्ति की खोज २- योग्य व्यक्ति को आकर्षित करना ३- आकर्षण को स्थिर करना ४- आकर्षित योग्य व्यक्ति की क्षमताओं में विकास करना और ५- दलीय विचारधारा के अनुसार व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करना ।

कार्यकर्ता बनने योग्य व्यक्ति की खोज राजनीतिक दलों के द्वारा सदस्यता अभियान, चुनाव अभियान, आन्दोलनों, प्रदर्शनों, सभाओं आदि के माध्यम से की जाती है । इन कार्यक्रमों में जो सक्रिय होकर नेता या कार्यकर्ता के संपर्क में आता है, अपनी घनिष्ठता दिनोंदिन उनसे बढ़ाता जाता है और दल द्वारा निर्देशित कार्यों में रुचि लेकर निजी परिस्थितियों से पीड़ित होकर भी सर्वाधिक संभव प्रसार करता है, वही कार्यकर्ता बनने योग्य व्यक्ति समझा जाता है । प्रारंभ में सक्रियता का कारण रक्त संबंध , परिचय, मित्रता, आत्म प्रदर्शन, प्रलोभन, प्रोत्साहन, यूथचारिता (समूह के साथ रहने की प्रवृत्ति) संरक्षण, सुरक्षा आदि संभाव्य है ।

जब योग्य व्यक्ति मिल जाता है तब उसे दल की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न होता है । आकर्षित करने के उपायों में संगठनात्मक इकाईयों में पद, नेता या कार्यकर्ता की सद्यात्रा, अपने द्वार पर स्वागत, योग्य व्यक्ति के द्वार पर बार बार गमन, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास, दल की विचारधारा के श्रेष्ठत्व का प्रतिपादन एवं विपत्तियों में सहानुभूति प्रदर्शन आदि प्रमुख है।

जब कार्यकर्ता बनने योग्य व्यक्ति किसी एक या अनेक उपायों से दल के प्रति अस्थायी रूप में आकर्षित हो जाता है तब उसको स्थिर करने की क्रिया की जाती है जिसे आकर्षणों का स्थिरीकरण कहा जा सकता है । जो दल आकर्षणों का स्थिरीकरण करने में असमर्थ हो जाता है या अवसर नहीं देता उसकी ओर आकर्षित योग्य व्यक्ति दूसरे दल की ओर संतोष की आशा में आकर्षित हो जाते हैं । श्री फूलचन्द्र पाण्डेय - बरारौरा, जो १९६२ एवं ६७ में भारतीय जनसंघ की ओर रहे किन्तु १९६९ के निर्वाचन में साथ छोड़कर कांग्रेस दल की ओर झुक गये ।[८५]

दल के नेता अपने दल के कार्यकर्ताओं की क्या क्या व्यक्तिगत

सहायतायें करते हैं ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने २८ प्रतिशत आर्थिक सहायता ; २६ प्रतिशत नौकरी प्रदान ; १४ प्रतिशत झगड़ों में उचित सहायता ; ७ प्रतिशत संकट निवारण ; ७ प्रतिशत पदोन्नति ; ७ प्रतिशत स्थानान्तरण तथा ७ प्रतिशत सरकारी कार्यों की पूर्ति में सहयोग जैसे बन्दूक ,पिस्तौल का लाइसेंस, चीनी, कपड़ा, सूती, तेल, डालडा का कोटा ; सीमेन्ट, रासायनिक उर्वरक का परमिट; पेंशन, सड़क , पुलियां, नाली , नलकूप , विद्यालय भवन, नहर आदि सरकारी कार्यों का ठेका ; बताया । मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने २० प्रतिशत आर्थिक सहायता, २० प्रतिशत निःशुल्क मुकदमों में सहायता ; १० प्रतिशत नौकरी-प्रदान ; १० प्रतिशत कानूनी सहायता, १० प्रति शत शु निःशुल्क दवायें ; १० प्रतिशत विद्यालयों में छात्र प्रवेश तथा १० प्रतिशत शुल्क मुक्ति में सहायतायें बताया । इससे स्पष्ट हो जाता है कि मण्डल समिति के पास स्थायीकरण के लिए झगड़ों में सहायता, सरकारी कार्यों में पूर्ति जैसे कोटा, परमिट, लाइसेंस, ठेका, पेंशन, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण की क्षमता नहीं है । नौजवान कौंसिल के पदाधिकारियों ने १२.५ प्रतिशत आर्थिक सहायता ; १२.५ प्रतिशत सामाजिक सहायता जैसे आपसी विवादों को झगड़ा सुलझाकर हल कर देना ; १२.५ प्रतिशत नौकरी प्रदान करना ; १२.५ प्रतिशत उत्पीड़न से रक्षा ; १२.५ प्रतिशत शिक्षा ग्रहण में सहायता ; १२.५ प्रतिशत लाइसेन्स, कोटा, परमिट, प्रदान कराना तथा २५ प्रतिशत संकट-निवारण में सहायता बताया । उपरोक्त उत्तरों से स्पष्ट है कि आर्थिक सहायता, नौकरी प्रदान कराना एवं संकटों के निवारण में सहायता देना कार्यकर्ता के स्थायीकरण के प्रमुख उपाय सभी राजनीतिक दलों के द्वारा किये जाते हैं । नेताओं ने भी अपने साक्षात्कार में उसकी पुष्टि की है ।

जब कार्यकर्ता बननेवाले व्यक्ति का दल के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा दल में स्थायीकरण हो जाता है और विश्वास की मात्रा संदेह से अधिक हो जाती है तब उस व्यक्ति की अर्हताओं एवं क्षमताओं का दल के सामार्थ विकास किया जाता है । अपने दल के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार अधिक योग्य बनाते हैं ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने १८.५ प्रतिशत अधिकारियों से परिचय ; १८.५ प्रतिशत प्रशिक्षण ; ६ प्रतिशत नेताओं के प्रति भक्ति ;

६ प्रतिशत नेताओं से परिचय ; ६ प्रतिशत दलीय साहित्य का अध्ययन ; ६ प्रतिशत जन संपर्क ; ६ प्रतिशत प्रोत्साहन ; ६ प्रतिशत दल के कार्यों तथा ६ प्रतिशत पद ; के माध्यमों को महत्व दिया । मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने ३३ प्रतिशत भाषण; १६.५ प्रतिशत साहित्य ; १६.५ प्रतिशत बैठकों ; १६.५ प्रतिशत शिविरों तथा १६.५ प्रतिशत सभाओं ; के माध्यमों पर बल दिया । क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने आदर्श स्थापना ; साहित्य ; सभाओं ; प्रोत्साहन ; प्रगाढ़ संबंध ; जनता के कार्यों का दायित्व एवं भाषण पर एक समान बल देकर साधन बताया । इन उत्तरों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्हताओं एवं क्षमताओं का विकास दल के सिद्धान्तों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का अधिकाधिक बोध बैठकों, सभाओं, शिविरों, दलीय साहित्य जिसमें अपने दल के मुख पत्र के रूप में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने २०-१५० प्रतियों में " नया भारत " , मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने " पान्चजन्य " ५-१० प्रति तथा " आर्गेनाइजर " २-५ प्रति और क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने ३-५० प्रतियों में " नवक्रान्ति " बताया है, के अध्ययन एवं नेताओं से प्रत्यक्ष संपर्क से होता है साथ ही साथ पद ग्रहण, जन संपर्क एवं उनकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए अधिकारियों से परिचय आदि के प्रयोगात्मक अनुभवों से ज्ञान की गंभीरता बढ़ जाती है ।

उपरोक्त माध्यमों के द्वारा एक ओर अर्हताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है दूसरी ओर कार्यकर्ता बननेवाले व्यक्ति के मस्तिष्क में दल की विचारधाराओं का प्रवेश अर्थात् सिद्धान्तीकरण भी होता है । सिद्धान्तीकरण में अनेक दलों की विचारधाराओं की व्याख्या, आलोचना एवं मूल्यांकन करते हुए अपने दल की विचारधारा का सर्व श्रेष्ठत्व तर्क, व्यवहार एवं उपयोगिता के अनुसार सिद्ध करके, कार्यकर्ता बननेवाले व्यक्ति के मस्तिष्क में, अन्तःप्रवेशन होता है । इस पाँचवें चरण में व्यक्ति को दल की ओर से दीक्षित कर दिया जाता है और उससे सदैव दल की अपेक्षाओं की पूर्ति ; व्यक्तिगत आचरण से दल की विचारधारा का आदर्श एवं दल के सजीव प्रतीक का विश्वास किया जाता है । कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया दलीकरण का महत्वपूर्ण अंग है ।

आपको एक ही पुत्र हो उसे राजनीति में जाने के लिए क्या करेंगे ? के प्रश्न उत्तरों में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों में से ३३ प्रतिशत

ने "उत्साहित" तथा ६७ प्रतिशत ने "कुछ नहीं करेंगे" कहा । मण्डल समितियों के पदाधिकारियों में २५ प्रतिशत ने "उत्साहित" तथा ७५ प्रतिशत ने "कुछ नहीं करेंगे" कहा । क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों में ५० प्रतिशत ने "उत्साहित", २५ प्रतिशत ने "अनुत्साहित" तथा २५ प्रतिशत ने "कुछ नहीं करेंगे" कहा । "उत्साहित" करनेवाले पदाधिकारियों में राजनीतिक अभिरुचि उस स्तर तक पहुंच चुकी है जिस पर व्यक्ति कार्यकर्ता बन जाता है और राजनीतिक दल में आस्था उत्पन्न प्रतीत होती है । "कुछ नहीं करेंगे" कहनेवाले पदाधिकारी पुत्र के स्वतंत्र विकास के पक्षपाती हैं जिससे स्पष्ट होता है कि दल की क्रियाओं एवं उपलब्धियों के मध्य लाभदायक परिणाम के प्रति कुछ सन्देह मस्तिष्क में भी हुए हैं । "अनुत्साहित करेंगे" उत्तर देनेवाले पदाधिकारी राजनीति को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते हैं ऐसा प्रतीत होता है ।

इन्हीं पदाधिकारियों से जब यह प्रश्न किया गया, "कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति गन्दा खेल है आप क्या अनुभव करते हैं ?" के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों में ६७ प्रतिशत ने "हाँ" तथा ३३ प्रतिशत ने "नहीं" कहा । मण्डल समिति के पदाधिकारियों में ५० प्रतिशत ने "हाँ" तथा ५० प्रतिशत "नहीं" कहा । क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों में शत प्रतिशत ने "हाँ" कहा । आश्चर्य तो यह है कि अपने इकलौते पुत्र को राजनीति में आने के लिए "उत्साहित" करनेवालों में से ७५ प्रतिशत पदाधिकारियों ने राजनीति को गन्दा खेल बताया । "कुछ नहीं करेंगे" उत्तर देनेवाले पदाधिकारियों में से ३७.५ प्रतिशत ने राजनीति को गन्दा खेल नहीं माना कुल पदाधिकारियों का ७१.५ प्रतिशत राजनीति को गन्दा ही खेल अनुभव करता है जो चिन्तनीय स्थिति का द्योतक है । यह स्थिति सिद्धान्तीकरण एवं दलीकरण के अभावों का परिणाम प्रतीत होता है ।

आप अपना आदर्श नेता किसे मानते हैं ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री गुलजारी लाल नन्दा, भूतपूर्व गृह मंत्री, भारत सरकार ; श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, क्षेत्रीय संसद सदस्य तथा उप वाणिज्य मंत्री भारत सरकार तथा श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी स्वायत्त शासन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को बताया । मण्डल समिति के पदाधिकारियों ने स्वर्गीय पं० दीनदयाल उपाध्याय, भूतपूर्व अखिल भारतीय जनसंघ अध्यक्ष ; श्री जगन्नाथ राव जोशी संसद सदस्य तथा स्थानीय नेताओं का नाम लिया । क्षेत्रीय

कौंसिल के पदाधिकारियों ने श्री चौधरी चरण सिंह, अखिल भारतीय लोकदल के अध्यक्ष तथा भूतपूर्व मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं श्री जनेश्वर प्रसाद मिश्र (जो फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सन् १९६४ ई० के मध्यावधि चुनाव में विजयी हुए थे) का नाम लिया । उपरोक्त उत्तरों से यह स्पष्ट निकलता है कि सरकार के उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति ही आकांक्षा रखने वालों का आदर्श बन जाता है किंतु मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले व्यक्तियों को ही आदर्श नेता बताया ।

यदि आपका आदर्श नेता दल से त्यागपत्र दे दे तो क्या उसके साथ के लिए आप भी त्याग पत्र दे देंगे ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों में से ३३ प्रतिशत ने ' हाँ ' कहा जो कि श्रीमती गांधी, वाजपेयी एवं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को आदर्श नेता मानते हैं ।[८७] क्षेत्रीय कौंसिल के ५० प्रतिशत पदाधिकारियों ने ' हाँ ' कहा जो कि चौधरी चरण सिंह को आदर्श नेता मानते हैं।[८८] मण्डल समिति के शत प्रतिशत पदाधिकारियों ने ' नहीं ' कहा । इन उत्तरों से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय कौंसिल में व्यक्ति निष्ठा पराकाष्ठा पर है और मण्डल समिति में व्यक्ति निष्ठा के स्थान पर सिद्धान्त निष्ठा का चरमोत्कर्ष प्रतीत होता है ।

दल के कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत चरित्र पर कितना ध्यान देना चाहिए ? के प्रश्न उत्तरों में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों, मण्डल समितियों तथा क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने ' अधिक ' कहा, जिससे दो संकेत मिलते हैं प्रथम या तो चरित्र का अभाव खटकता है और द्वितीय या तो कार्यकर्ता का अस्तित्व ही उसके चरित्र बल पर निर्भर है । ' आपके दल के कार्यकर्ता अपने दल की नीतियों एवं सिद्धांतों को अपने व्यावहारिक जीवन में किस अंश तक अपनाये हुए हैं ? के प्रश्न उत्तरों में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने ५० प्रतिशत ' बहुत कम ' , ३३.५ प्रतिशत ' आधा ' तथा १६.५ प्रतिशत ' अधिक ' शब्दों का प्रयोग किया । मण्डल समितियों के पदाधिकारियों में से ५० प्रतिशत बहुत कम ' , २५ प्रतिशत ' आधा ' तथा २५ प्रतिशत ' अधिक ' शब्दों से उत्तर दिया । क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों में से ७५ प्रतिशत ' बहुत कम ' तथा ' २५ प्रतिशत ' अधिक ' शब्दों से उत्तर दिया । इससे स्पष्ट हो जाता है कि दल के

सिद्धान्तों एवं नीतियों को दल तथा कथित कार्यकर्ता बहुत कम अंशों में अपनाये हुए हैं जिनकी संख्या भी दलों में अधिक प्रतीत होती है।

"दल की सक्रिय कार्यकर्ता कभी कभी उदास क्यों हो जाता है ?" के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने ५८ प्रतिशत कार्यकर्ता की सलाह को प्राथमिकता न मिलना, १४ प्रतिशत नेता के द्वारा उसके कार्यों के करने में टाल मटोल १४ प्रतिशत "दल की कार्य प्रणाली से क्षोभ" तथा १४ प्रतिशत "कार्यकर्ता के कार्यों के अनुसार प्रतिफल का न मिलना" कारण बताया। उदाहरण में श्री विश्राम हरिजन गर्दना १० वर्ष तक प्राथमिक पाठशाला चलाता रहा किन्तु वह सरकारी नहीं हो सका श्री बोरन प्रसाद पाण्डेय - रसीपुर के भाई श्री अवध नारायण पाण्डेय की ठीक नौकरी से वंचित करा देना ;[८६] बताया। मण्डल समिति के पदाधिकारियों ने २० प्रतिशत कार्यकर्ता की आर्थिक स्थिति का बिगड़ना ; २० प्रतिशत ऊपर के अधिकारियों के सहयोग का अभाव", २० प्रतिशत सही मार्ग-दर्शन का अभाव" ; २० प्रतिशत पदाधिकारियों के दुर्व्यवहार ; तथा २० प्रतिशत दल में सही मूल्यांकन का न होना" उदासीनता का कारण बताया और उदाहरण में श्री जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी, सैदाबाद व्यक्तिगत कठिनाईयों से, श्री जटाशंकर पाण्डेय- बकुलपट्टी, श्री रामसेवक सिंह" निठौर" के दुर्व्यवहार से उदासीन होना बताया।[८७] क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने" दल के गलत कार्यों ;" स्वार्थ का सिद्ध न होना"," उचित पद का न मिलना" , व्यक्तिगत उलझनों" ," दल में मतभेद" तथा उच्च पदाधिकारियों द्वारा अवहेलना पर ध्यान बल देकर उदासीनता के कारणों को स्पष्ट किया। उपरोक्त विवरणों से निष्कर्ष निकलता है कि सक्रिय कार्यकर्ता की उदासीनता के तीन मौलिक कारण हैं प्रथम दल की त्रुटिपूर्ण कार्य प्रणाली , द्वितीय नेता का असत्य , पक्षपातपूर्ण एवं असद्व्यवहार तथा तृतीय स्वयं कार्यकर्ता की आर्थिक दशा एवं महत्वाकांक्षाओं में अवरोहारोह (उतार-चढ़ाव)।

"दल का नेता या कार्यकर्ता दल का परिवर्तन क्यों कर देता है ?" के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने ५० प्रतिशत व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति न होना , ३४ प्रतिशत" दल के कार्यों से असंतोष" तथा १६ प्रतिशत नेता द्वारा सलाह का न माना जाना" बताया। मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने ५० प्रतिशत व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति न होना" १६.५ प्रतिशत किसी

अन्य दल द्वारा प्रलोभन का मिलना, १६.५ प्रतिशत दल का आन्तरिक कलह तथा १६.५ प्रतिशत दलीय निष्ठा का अभाव बताया। दलीय संगठन के पदाधिकारियों ने ६० प्रतिशत व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति न होना २० प्रतिशत प्रलोभन तथा २० प्रतिशत सिद्धान्त के विरुद्ध कार्य बताया। उपरोक्त उत्तरों से यह स्पष्ट होता है कि दल परिवर्तन का प्रमुख कारण परिवर्तक की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षायें ही हैं जो पद-प्राप्ति आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रतिष्ठा-वृद्धि अथवा अर्थ-विकास के रूप में प्रकट होती है। सभी दलों के पदाधिकारियों ने अपने अपने दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा किये गये दल परिवर्तन को प्रमाणित किया है। किन्तु किसी भी पदाधिकारी ने अपना दल परिवर्तन नहीं किया है।

युवक (मिलिटेन्ट - कार्यकर्ता) सदस्यों का नेतृत्व करता है सदस्य समर्थकों का नेतृत्व करता है एवं समर्थक निर्वाचकों का नेतृत्व करता है।[६१] पदाधिकारी सदस्य एवं कार्यकर्ता के बीच की कड़ी है। जो पदाधिकारी को अधिक सम्मान देते हैं मात्र इसलिए कि उसके आदेश का पालन कार्यकर्ता करते हैं उन्हें यह विचार करना चाहिए कि कार्यकर्ताओं की इच्छा ही पदाधिकारी का आदेश होता है।

आनुषांगिक संगठन एवं समितियां

राजनीतिक दल सामान्य उद्देश्यों वाले समुदाय है वे समाज के प्रति पूर्ण एवं संयुक्त विचारों के संस्थानों को प्रदान करते हैं। वे राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय जीवन को पूर्ण संगठित करने का उद्देश्य रखते हैं। उद्देश्य की इस विशालता से बहुत से लोग, जो किसी विशिष्ट उद्देश्य से सहमत हैं सम्पूर्ण से नहीं दूर चले जाते हैं। आधुनिक कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिभाशाली विचार हैं कि दल के साथ (सामान्य उद्देश्यों वाले समुदाय) साथ क्रियाओं की एक श्रेणी की व्यवस्था की जाय अर्थात् यथासंभव सीमित उद्देश्योंवाले जितने उपग्रह -समुदायों की संभावना हो।[६२] अतः राजनीतिक दल का सामान्य संगठन दो संकेन्द्रित वृत्तों से बनेगा : दल, एक बन्द और अनन्य वृत्त जो कि पूर्णतया परिवक्व, अत्यन्त उत्साहपूर्ण और परम विश्वस्त

सदस्यों से निर्मित ; पुरोभाग (मोर्चा) का बुद्बुद, दल के लिए कुता, जिसका प्रयोग दल के सदस्य, जनसमूह की भांति, एक पुरविरत सेना की टुकड़ी की भांति और प्रचार के लिए क्षेत्र की भांति चतुराई से निर्वाह करेंगे ।[६३] उपरोक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि राजनीतिक दल समाज के प्रत्येक वर्ग तथा उप वर्ग में जो आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक , क्षेत्रीय ,भाषायी एवं राजनीतिक आधारों पर संस्य है, उनमें अपने दल का विप्रवेशन कराने के लिए जिन संगठनों का सहारा लेते हैं वे ही आनुषांगिक संगठन हैं । ये संगठन साहित्यकारों, अध्यापकों, विधि पत्रकारों, विद्यार्थियों श्रमिकों, महिलाओं, युवकों, व्यापारियों, साधुओं, कर्मचारियों, किरायेदारों, उपभोक्ताओं आदि के संघ, परिषद् या समिति या मोर्चा के नाम से कार्यरत हो सकते हैं । इन आनुषांगिक संगठनों का उद्देश्य विशिष्ट वर्ग हित चिन्तन के प्रति अनभिज्ञ, सचेष्ट या संघर्षशील व्यक्तियों का एक समुदाय खड़ा करके उनका राजनीतिक समाजीकरण , साथ साथ दलीय विचारधारा से संतृप्त जन समूह का संकलन भी करना है ।

आनुषांगिक संगठनों को राजनीतिक दल के साथ सम्बद्धता एवं वैधानिकता के आधार पर दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष आनुषांगिक संगठन का विवरण दलीय संविधान में स्पष्ट रूप से दिया जाता है जैसे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में भारतीय युवक कांग्रेस, नेशनल स्टूडेन्ट्स यूनियन आफ इंडिया, महिला कांग्रेस मोर्चा और कांग्रेस सेवा दल का उल्लेख किया गया है जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मार्ग दर्शन में कार्य करेंगे ।[६४] जिला कांग्रेस कमेटी स्तर पर ६ कोष्ठकों (Cells) के निर्माण का प्रावधान है १ छात्र कोष्ठक २- युवक कोष्ठक ३- किसान कोष्ठक (कृषि क्षेत्र में) ४- औद्योगिक मजदूर कोष्ठक (औद्योगिक क्षेत्र में) ५- अध्यापक कोष्ठक ६- महिला कोष्ठक ७- हरिजन एवं जनजाति कोष्ठक ८- स्वतंत्रता संग्राम सैनिक कोष्ठक और ६- अल्प संख्यक कोष्ठक[६५] । राजनीति में कोष्ठकों का आविष्कार साम्यवादी दल ने किया ।[६६] कोष्ठक का संबंध जीव विज्ञान से है । कोष्ठक जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है जिसे जीवन कोशिका कहते हैं । अनेक कोशिकाओं से ऊतक (Tissue टिशू) अनेक ऊतकों से अंग (Organ आर्गन), अनेक अंगों से संस्थान (System -सिस्टम) और अनेक संस्थानों से शरीर की रचना होती है । विधान सभा क्षेत्र स्तर तथा खण्ड विकास क्षेत्र स्तर पर उपरोक्त कोष्ठकों को गठित करने की दल के संविधान में कोई व्यवस्था

नहीं है । इलाहाबाद जिले में युवकों के लिए युवक कांग्रेस एवं युवक कांग्रेस कमेटी नाम से दो संगठन दो विभिन्न गुटों के समर्थकों के बने हुए हैं ।[६७] गुटबन्दी का प्रमाण दिनांक ७-१०-७६ को सायंकाल ४ बजे अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के महामंत्री श्री गुफरान आजम है० रा० प० नै० इण्टर कालेज में पधारे किन्तु श्री अशोक बाजपेयी सुपुत्र श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के विशिष्ट समर्थकों के अतिरिक्त अन्य युवा कांग्रेसी सम्मिलित नहीं हुए ।[६८]

आपके दल का किन किन वर्गों (कृषक, मजदूर, विद्यार्थी अध्यापक, वकील, व्यापारी, अन्य) में किस नाम से संगठन है ? के उत्तर में क्षात्र कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने, युवक कांग्रेस, राष्ट्रीय छात्र संगठन, विद्यार्थी कांग्रेस, मजदूर कांग्रेस, मजदूर कल्याण संघ, कृषक संवर्ग समिति के नाम लिए और एक पदाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि मुझे पता नहीं । युवक कांग्रेस का नाम ५० प्रतिशत पदाधिकारियों ने लिया । इससे स्पष्ट होता है कि हंडिया विधान सभा क्षेत्र में युवक कांग्रेस ही सक्रिय है । युवक कांग्रेस की विशेष सक्रियता १६-१०-७६ को देखने के लिए मिली जब श्री संजय गांधी (सुपुत्र श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधान मंत्री , भारत सरकार) का वाराणसी से इलाहाबाद जाते समय उनके स्वागत में प्रतिस्पर्धाओं की आंधी बही ।

भारतीय जनसंघ के संविधान में किसी भी आनुषंगिक संगठन या पुरोभाग का नाम नहीं लिया गया है जबकि भारतीय प्रतिनिधि सभा के घटकों की सूची में भारतीय कार्य समिति द्वारा मनोनीत विभिन्न मोर्चों पर काम करनेवाले सदस्य यदि हों । प्रत्येक प्रदेश के किसी भी मोर्चे से दो से अधिक सदस्य मनोनीत न होंगे, संबद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि जिनकी संख्या भारतीय कार्य समिति द्वारा निश्चित होगी किन्तु किसी भी एक संस्था के ५ से अधिक प्रतिनिधि न होंगे[६६] के प्राविधान से इनका अस्तित्व प्रकट होता है । भारतीय प्रतिनिधि सभा किसी भी संगठन अथवा संस्था को जनसंघ से संबंधित कर सकती है तथा जितना आवश्यक समझे उतना प्रतिनिधित्व उसको दे सकती है[१००] से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनसंघ का प्रत्यक्ष आनुषंगिक संगठन नहीं है ।

भारतीय जनसंघ की मण्डल समितियों के पदाधिकारियों से जब साक्षात्कार में यह पूछा कि "आपके दल का किन किन वर्गों में किस नाम से संगठन है", तो उत्तर में "विद्यार्थी परिषद्", "भारतीय मजदूर संघ", "भारतीय किसान संघ", "युवक जनसंघ" के नाम लिए गये। यदि ये संगठन भारतीय जनसंघ के आनुषंगिक हैं तो दल के संविधान में इनका नाम क्यों नहीं ? क्या अपने विस्तार को छिपाने का उपाय किया गया है ? विद्यार्थी परिषद्, मजदूर संघ तथा किसान संघ में सक्रिय व्यक्ति निर्वाचनों में भारतीय जनसंघ के प्रत्याशियों की ही सहायतायें करते दिखाई देते हैं। और जब इन संगठनों के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं तब उनमें भारतीय जनसंघ के सक्रिय कार्यकर्ता तथा नेता ही सम्बोधित करते हैं। "राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तुल्य प्रदायक (Feeder -फीडर) संगठन न तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी न सोशलिस्ट पार्टी के पास है"[१०१] जो कि भारतीय जनसंघ का प्रदायक माना गया है।

सढ़िया विधान सभा क्षेत्र में भारतीय किसान संघ सढ़िया की ओर से २३ मार्च रविवार सन् १९७५ ई० को दोपहर में तहसील के समक्ष अन्न उद्ग्रहण (Levy -लैवी) के विरोध में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्ग्रहण का विरोध भारतीय जनसंघ के प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं नेताओं द्वारा किया गया जिसके संयोजक श्रीराम सेवा सिंह "किरण" (सन् १९७४ ई० के विधान सभा निर्वाचन में भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी) रहे। भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश का उद्देश्य कृषि विकास, आर्थिक स्वावलम्बन समृद्ध जीवन एवं सामाजिक सामंजस्य है।[१०२]

भारतीय लोकदल के संविधान की धारा ५, दल की इकाइयां के अन्तर्गत "ऐसे मोर्चे जो राष्ट्रीय कौंसिल या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा संगठित या स्वीकृत किए जाए"[१०३] से आनुषंगिक संगठनों एवं पुरोभाग संगठनों का संकेत मिलता है किन्तु इनके नामों की सूची किसी भी स्थान पर उल्लिखित नहीं है जो अप्रत्यक्ष आनुषंगिक संगठन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारतीय लोकदल की क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों से "आपके दल का किन किन वर्गों में किस नाम से संगठन है ?" के उत्तर में अध्यक्ष ने "युवक लोक दल", कोषाध्यक्ष ने "भारत कृषक समाज" एवं उपाध्यक्ष ने "युवक क्रान्ति दल" के नाम बताये। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय लोकदल बनने पर युवक क्रान्ति दल ही युवक लोकदल हो गया किन्तु उपाध्यक्ष

महोदय के मस्तिष्क में पुराना नाम ही विद्यमान है । इसी प्रकार किसान तथा क्षेत्र में युवक लोकदल की कोई भी गतिविधि गतिशील नहीं प्रतीत हुई ।

किसान तथा क्षेत्र स्तर पर उपरोक्त राजनीतिक दलों के आनुषंगिक संगठनों एवं पुरोभागों (Fronts) का व्यवस्थित न तो संगठन है न इनकी पृथक पृथक इकाइयाँ ही दिखायी पड़ती हैं । युवक कांग्रेस के नाम पर कुछ बेरोजगार तरुण अवश्य क्रियाशील दिखायी देते हैं जिन्हें जनता विशिष्ट नेताओं का चमचा समझती है ।

राजनीतिक दल विशिष्ट समस्याओं एवं कार्यक्रमों के समाधान एवं सुचारु संपादन के निमित्त समय समय पर अपने ही सदस्यों की समितियां गठित करते हैं । ये समितियां सहायक अभिकरण के रूप में कार्य संपादित करती हैं । ये समितियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं । स्थायी समितियों का दल के संविधान में कार्य सहित विवरण दिया होता है जबकि अस्थायी समितियां अप्रत्याशित एवं तात्कालिक अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु गठित की जाती हैं और प्रतिवेदन देने के पश्चात स्वयमेव भंग हो जाती हैं । राजनीतिक दल की स्थायी समितियों में ऊर्ध्वाधर संबंध विकसित होते हैं । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ एवं भारतीय लोकदल के संविधानों में वर्णित समितियों का संक्षिप्त विवरण ही समीचीन होगा ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में "विषय समिति"[१०४] है जो कि खुले अधिवेशन से पूर्व अधिवेशन के लिए कार्यक्रम और प्रस्तावों का निर्माण करती है, पार्लियामेण्टरी बोर्ड है[१०५] जो कि संसद में दल के नेता कांग्रेस अध्यक्ष सहित कुल आठ सदस्यों का होता है जिसका मुख्य कार्य सत्ता एवं संगठन में सामंजस्य बैठाना एवं नियंत्रित करना होता है ; "केन्द्रीय चुनाव समिति" है[१०६] जिसमें संसदीय बोर्ड के सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्वाचित सात और सदस्य अर्थात् कुल १५ सदस्य होते हैं जिसका मुख्य कार्य संसद एवं विधान मण्डलों के निर्वाचनों में दल के प्रत्याशियों का चयन और चुनाव का संचालन है । चुनाव समितियां प्रदेश स्तर तक ही हैं जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर इसके गठन की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है ; "स्वागत समिति"[१०७] है जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठकों की व्यवस्था करेगी और इसके निमित्त धन संग्रह करेगी, आय व्यय का अंकेक्षण

होगा , व्यय से शेष धनराशि प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में एक समान बंट जायेगी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी वही होगी जिसके क्षेत्र एवं तत्वावधान में यह बैठक संपन्न होगी । इस प्रकार स्पष्ट है कि अखिल भारतीय कांग्रेस में उपरोक्त स्थायी समितियां हैं किन्तु दुर्भाग्य है कि विधान सभा क्षेत्र तक उनकी इकाईयां स्थापित करने की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है । विधान सभा चुनाव के समय चुनाव संचालन समिति की औपचारिक बातें अवश्य सुनाई पड़ती हैं ।

भारतीय जनसंघ के अन्तर्गत भी समितियों की प्रणाली विद्यमान है, संसदीय अधिकरण[१०८] (क) भारतीय कार्य समिति एवं संसदीय अधिकरण जिसकी अधिकतम संख्या ७ होगी, नियुक्त करेगी और निर्वाचन उसका संगठन तथा विधायी कार्य के संचालन के लिए उसे आवश्यक अधिकार देगी । (ख) प्रदेश कार्य समिति प्रदेश के लिए संसदीय अधिकरण जिसकी अधिकतम संख्या ७ होगी नियुक्त करेगी जो केन्द्रीय संसदीय अधिकरण से प्राप्त निर्देश के अनुसार कार्य करेगी ; स्वागत समिति[१०९] जिस स्थान पर सम्मेलन करना निश्चित हो वहां की कार्य समिति स्वागत समिति का गठन करेगी और तदर्थ धनसंग्रह करेगी । अधिवेशन के उपरान्त संपूर्ण आय-व्यय का लेखा एक मास के भीतर तैयार करके स्वागत समिति द्वारा स्वीकृत होना चाहिए और उसकी एक प्रति प्रादेशिक तथा भारतीय कार्य समिति को भेजनी चाहिए । यदि कुछ धन बचा हो तो विनियोग इस प्रकार होगा कि बचे हुए धन का २० प्रतिशत केन्द्र को, ३० प्रतिशत प्रदेश को तथा शेष ५० प्रतिशत स्वागत समिति निर्मात्री समिति को मिले । संडिला विधान सभा क्षेत्र में विधान सभा के चुनाव ७४ के समय अस्थायी चुनाव संचालन समिति का गठन जिला समिति ने किया था जो प्रचारतंत्र ,सभाओं, वाहनों ,व्ययों एवं कार्यकर्ताओं से संबंधित विषयों का नियंत्रण करती रही और प्रत्याशी को आवश्यक निर्देश भी देती रही ।[११०]

भारतीय लोकदल के अन्तर्गत भी समितियों की व्यवस्था हुई है, चुनाव न्यायाधिकरण [१११] जो कि तीन सदस्यों का होता है जिसका गठन देश, प्रदेश एवं जिला स्तर पर होता है और जिसका मुख्य कार्य दलीय चुनाव के विवादों का समाधान करना है, किन्तु क्षेत्रीय कौंसिल स्तर पर इसके गठन की कोई व्यवस्था

नहीं है क्योंकि इसके अधीनस्थ प्रारंभिक कौंसिलों का चुनाव संपन्न होता है ।
पार्लियामेन्टरी बोर्ड[112]- राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ७ सदस्यों का एक पार्लियामेन्टरी बोर्ड नियुक्त करेगी जो संघीय चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों का चयन करेगा । हर प्रदेश कार्यकारिणी समिति पार्लियामेन्टरी बोर्ड ७ सदस्यों का नियुक्त करेगा जो प्रदेश विधान सभा और उसके अधीन स्थानीय संगठनों के उम्मीदवारों का चयन करेगा । राष्ट्रीय कौंसिल का अध्यक्ष तथा प्रदेशीय कौंसिल के अध्यक्ष क्रमशः अपने पार्लियामेन्टरी बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संघीय अभिकरण की व्यवस्था किसी न किसी नाम (पार्लियामेन्टरी बोर्ड) से तीनों दलों ने किया है । स्वागत समिति की व्यवस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं भारतीय जनसंघ में है वहीं पर चुनाव न्यायाधिकरण की व्यवस्था एकमेव सं०सो०पा० में ही है । आनुषंगिक, पुरोभाग (मोर्चा) एवं समितियों के निर्माण की परिपाटी का पालन न्यूनाधिक अंशों में तीनों दलों ने किया है । आनुषंगिक एवं पुरोभाग संगठनों को कुशीपद दल के हाथों में रखते हैं ।[113] राजनीतिक दल को इनसे क्या लाभ मिलते हैं यह प्रश्न विचारणीय है । मेरी दृष्टि से प्रमुखलाभ दल का शीघ्र विस्तार, नवीन उत्साही व्यक्तियों से संपर्क, कतिपय हितों का ज्ञान एवं उनका सामंजस्य के साथ पोषण, दल की संवेदनशीलता एवं आत्मीयता में वृद्धि, निर्वाचनों में सहयोग एवं साधन की प्राप्ति दल के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं की तत्संबंधी क्षमताओं के उपयोग एवं विकास के अवसरों की प्राप्ति, वर्ग संघर्षों का दमन, प्रत्येक नागरिक के दलीकरण की निश्चितता में अभिवृद्धि, राजनीतिक समाजीकरण के साधनों में संख्यावृद्धि तथा राष्ट्रीय एकात्मता का बोध एवं अभिवर्धन है । जब राजनीतिक दल विशिष्ट उद्देश्यों को एक सामान्य उद्देश्य या समाज हित का पूरक नहीं बना पाते उस समय दल में इन आनुषंगिक संगठनों एवं पुरोभागों के कारण विघटन का सूत्रपात हो जाता है जिससे परिणामस्वरूप गुटों की नींव पड़ जाती है ।" आनुषंगिक संगठनों (ट्रेड यूनियनें, मोर्चे और अन्य आदि) का उपयोग, जो कि सरकारी पदों से बाहर रहते हैं, आन्तरिक विरोध के प्रभावों की वृद्धि करता है ।[114] मेरे विचार से प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक

दल की गठित होनेवाली संगठनात्मक इकाई को सौर मण्डल की भाँति केन्द्र बनाया जाय तथा अनेक प्रकार के आनुषांगिक संगठनों को उपग्रह की भाँति स्थान प्रदान किया जाय तब लोकतंत्र सबल एवं सफल होगा । (चित्र के अवलोकन से अधिक स्पष्ट होगा ।

संगठन की विशेषताएँ

राजनीतिक दल की शक्ति उसके संगठन में निवास करती है अर्थात् जो राजनीतिक दल जितना ही संगठित है वह उतना ही शक्तिशाली सिद्ध होता है । परन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि कितना संगठित है ? इसका निर्धारण कैसे हो ? इसके उत्तर के लिए यह आवश्यक है कि संगठन की विशेषताओं तथा उनके अंशों का अध्ययन किया जाय । संगठन की नियंत्रणशीलता, गतिशीलता, संतुलनशीलता, दलीय निष्ठा, सुस्पष्टता, संवेदनशीलता एवं लोकतंत्रात्मकता की विशेषताओं का परीक्षण करने का प्रयास किया गया है जिससे घोड़िया विधान सभा क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ एवं भारतीय लोकदल की इकाईयों में उनकी उपस्थिति के अंशों की झलक मिल सकेगी ।

" नियंत्रणशीलता"

नियंत्रणशीलता के अभाव में संगठन की कल्पना ही नहीं की जा सकती । राजनीतिक दल अपने सदस्यों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, नेताओं एवं

प्रशासकों (या प्रतिनिधियों) से राजनीतिक क्रियाकलापों को कैसे करना चाहिए । इसका दिग्दर्शन कराते हैं साथ ही जिन क्रियाकलापों से दल का संगठन निर्बल हो जायेगा उन्हें प्रतिबंधित भी कर देते हैं । राजनीतिक क्रियाकलापों से राजनीतिक व्यवहार का सृजन होता है । राजनीतिक दल अपने से सम्बद्ध नागरिकों के राजनीतिक व्यवहारों का निर्देशन करते हैं जो सदस्यताग्रहण , पदग्रहण, नेतृत्व, मतदान, प्रदर्शन, हड़ताल, आलोचना, प्रचार, प्रसार के समय परिलक्षित होता है ।

नियंत्रणशीलता के दो रूप हो सकते हैं प्रथम बाह्य नियंत्रण शीलता एवं द्वितीय-आन्तरिक नियंत्रणशीलता । बाह्य नियंत्रणशीलता का प्रमुख कारक भय होता है जिसकी पूर्णता में स्वाधीनता का लोप हो जाता है और संगठन में लगा हुआ व्यक्ति दास बन जाता है जैसे सेना का सैनिक । आन्तरिक नियंत्रण-शीलता का प्रमुख कारक स्नेह, प्रेम एवं श्रद्धा है जिससे नागरिक के मन में स्वयं नियंत्रण व्यवस्था एवं आज्ञापालन की रुचि अर्थात् अनुशासन का अंकुरण होता है । लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित राजनीतिक दल सदैव अनुशासन पर बल देते हैं ।

ब्लाक कांग्रेस कमेटियों, मण्डल समितियों तथा क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने साक्षात्कार में बताया कि सभी पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के सदस्य निश्चित समय पर बैठकों में नहीं पहुंचते हैं और विलम्ब से आनेवालों में उपाध्यक्ष, सहमंत्री, कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के सदस्य ही अधिक होते हैं । इससे स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले पदाधिकारी समय-पालन का विशेष ध्यान रखते हैं शेष अपने दायित्व को तदैव (Ditto) तक सीमित रखते हैं बैठकों में अध्यक्ष की अनुमति न हो तब भी ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के ३३ प्रतिशत तथा क्षेत्रीय कौंसिल के २५ प्रतिशत पदाधिकारी अपने भाषण की स्वतंत्रता अनुभव करते हैं किन्तु मण्डल समिति का एक भी पदाधिकारी अध्यक्ष की अनुमति के अभाव में बोलने की स्वतंत्रता नहीं अनुभव करता ।

आपके दल में कौन कौन ऐसे नेता है जिनसे आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के शत प्रतिशत पदाधिकारियों ने श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा एवं श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी का नाम बताया ;

मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने श्री डा० मुरली मनोहर जोशी, श्री रवीन्द्र किशोर शाही तथा श्री रामगोपाल पंत के नाम लिये ; तथा क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने श्री रूपनाथ सिंह यादव, एडवोकेट, प्रोफेसर बी०डी०सिंह तथा श्री हरि प्रताप सिंह यादव (विधायक) का नाम बताया । इससे स्पष्ट है कि तीनों राजनीतिक दलों में ऐसे भेद व्याप्त हैं जो कि ऊपर फैलत की निम्नतम इकाइयों तक पहुंच गया है ।

यदि कोई ऐसा प्रत्याशी आ जाता है जिसे पार्टी की संस्तुति नहीं रखी तो पदाधिकारी क्या करते हैं ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के ६७ प्रतिशत तथा मण्डल समितियों के २५ प्रतिशत पदाधिकारियों ने 'सहायता न करना कभी कभी विरोध करना' 'कुछ विरोध करना' बताया । इससे स्पष्ट है कि दल की उच्च इकाइयों के द्वारा प्रत्याशी निर्णय किये जाने पर असंतोष उत्पन्न होता है । आपके दल के कितने सदस्यों ने दल के प्रत्याशी को पिछले विधान सभा चुनाव में मत नहीं दिए ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने 'पांच', 'पांच सौ' 'अधिक' तथा ६० प्रतिशत बताया ; मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने 'एक' तथा 'कोई नहीं' कहा, और क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने 'पांच', 'पचीस' तथा 'जानकारी नहीं' कहा । इन उत्तरों से स्पष्ट है कि सब से अधिक विरोध अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी का दल के सदस्यों द्वारा हुआ जो कि पराजय का प्रमुख कारण बना । सब से कम अन्तर्विरोध भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी को देखना पड़ा जो कि बंधन एवं सदस्यता की दृढ़ता निर्वाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है ।

'आपके दल के कार्यकर्ता और समर्थक दल का प्रत्याशी न होने पर क्या कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के ६७ प्रतिशत मण्डल समितियों के ५० प्रतिशत तथा क्षेत्रीय कौंसिल के भी ५० प्रतिशत पदाधिकारियों ने 'हां' कहा । इससे आभासित होता है कि दलगत प्रत्याशी न होने पर भी सदस्यों को निर्वाचन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं रहती है ।' दल के आन्तरिक मतभेदों को कार्यकर्ता या नेता किन किन रूपों में प्रकट करते हैं ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने १७ प्रतिशत 'वाद विवाद', ३३ प्रतिशत उच्च पदाधिकारियों ने

निन्दा' १७ प्रतिशत जनता में प्रचार, २५ प्रतिशत' विरोधी दलों बताकर' तथा ८ प्रतिशत' मार पीट' के रुपों पर बल दिया, मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने ३३ प्रतिशत वाद-विवाद' तथा ६७ प्रतिशत उच्च पदाधिकारियों से निन्दा के रुपों पर बल दिया और क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने ३३ प्रतिशत वाद-विवाद', ५० प्रतिशत' उच्च पदाधिकारियों से निन्दा' तथा १७ प्रतिशत जनता में प्रचार' के रुपों पर बल दिया। मत भेदों को दल की परिधि से बाहर प्रकट करने के रुपों जैसे जनता में प्रचार और विरोधी दलों को बताना दल की नियंत्रण शीलता की असफलता का पोतक है।' मार पीट' के रुप में मतभेदों का प्रस्फुटन अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा का परिचायक है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनसंघ के संगठन में नियंत्रणशीलता सब से अधिक है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन में सब से कम है।

' गतिशीलता'

संगठन को व्यापक, दीर्घायु, यशस्वी एवं प्रयोजनपूर्ण बनाने की कला का नाम गतिशीलता है। संगठन की गतिशीलता का परिचय नवीन सदस्यों के प्रवेश; निश्चित अवधि पर पदाधिकारी-परिवर्तन, सिद्धान्तों, कार्यक्रमों एवं नीतियों पर समयानुसार पुनर्विचार; दलीय संविधान में संशोधन; आनुषंगिक संगठनों के निर्माण एवं विभिन्न समितियों की रचनाओं से मिलता है।

' एक ही पद पर एक व्यक्ति का बहुत वर्षों तक पदासीन रहना क्या संगठन के हित में है। का उत्तर ब्लाक कांग्रेस कमेटियों, मण्डल समितियों तथा क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने मुक्त कण्ठ से' नहीं' कहकर दिया। इस नकारात्मक उत्तर का प्रमुख कारण गतिशीलता के लोप से उत्पन्न संकटों का अहितकर परिणाम है।

' क्या दल में संगठन का कार्य करके अपने नेतृत्व का विकास कर सकते हैं? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों, मण्डल समितियों तथा क्षेत्रीय कौंसिल के

सभी पदाधिकारियों ने पूर्ण विश्वास के पक्ष में मत दिया । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गतिशीलता के विश्वास में ही विकास के अवसरों की आशा जीवित रहती है । संगठन में गतिशीलता रहने से व्यक्तियों को विकास का अवसर, विभिन्न संस्थाओं के बीच का अवसर तथा कतिपय हितों के पोषण का अवसर मिलने की आशा रहती है । गतिशीलता को अविरल रखने के लिए संगठन में प्रयोजनीय विज्ञापन[११५] अनिवार्य रूप से होता है जिससे नवीन एवं प्राचीन दोनों अनुयायियों में प्रेरणा जागृत रहती है ।

आपकी दृष्टि से किस दल के कार्यकर्ताओं को संतोष एवं पुरस्कार प्राप्त नहीं होता है ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने ६७ प्रतिशत कांग्रेस, १६.५ प्रतिशत भारतीय जनसंघ तथा १६.५ प्रतिशत भारतीय लोकदल के नाम बताया ; मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने ७५ प्रतिशत भारतीय जनसंघ तथा २५ प्रतिशत कांग्रेस के नाम लिये और क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने ५० प्रतिशत, सोशलिस्ट, २५ प्रतिशत कांग्रेस तथा २५ प्रतिशत भारतीय लोकदल एवं भारतीय जनसंघ के नाम लिये । इससे यह संकेत मिलता है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं भारतीय जनसंघ के हंडिया विधान सभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में अपने अपने दल से गहरा असंतोष है जो कि वांछित गतिशीलता में किसी न किसी प्रकार की कमी का परिणाम है । गहरे असंतोष के अनेक संभावित कारणों में से इन दोनों दलों के विधायक प्रत्याशियों की १९७४ ई० के चुनाव में पराजय प्रमुख है । चुनावों में विजय गतिशीलता का प्रतीक है ।

" दलीय निष्ठा "

समाज का प्रत्येक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक, राजनीतिक एवं रक्त संबंधी समुदाय अपने सदस्यों में सामुदायिक भावना की विशेषता रखता है जिससे अनेक समस्यायें सरलता से हल हो जाती हैं । प्रत्येक राजनीतिक दल एक राजनीतिक समुदाय है जो अपने सदस्यों के अन्तःकरण में दलीय निष्ठा की विशेषता संगठन के माध्यम से विकसित करने का निरंतर प्रयास करता रहता है । वह संगठन सर्वोत्कृष्ट होगा जिसके प्रत्येक घटक में दलीय निष्ठा पराकाष्ठा पर होगी । दल के

प्रति श्रद्धायुक्त एकाग्रता ही दलीय निष्ठा है । समाजोत्थानकारी एवं राष्ट्रोत्कर्षकारी दल की विचारधाराओं में विश्वास करके जब नागरिक किसी दल के प्रति श्रद्धा करता है उसमें तत्परता ,दृढ़ता एवं अनुराग पैदा हो जाता है और गुरुतर त्याग की सन्नद्धता उत्पन्न हो जाती है तब वह आग्रहित हो जाता है और आलोचनाओं की चिन्ता से मुक्त भी हो जाता है । नागरिक में प्रथम चरण में व्यक्ति निष्ठा, द्वितीय में दलीय निष्ठा और तृतीय में ध्येय निष्ठा संगठन में बने रहने से उत्पन्न होती है । जिस संगठन में ध्येय निष्ठ व्यक्ति अधिक होंगे वह चिरायु होगा ।

इंडिया विज्ञान सभा क्षेत्र में तीनों राजनीतिक दलों की गठित इकाईयों के पदाधिकारियों में दलीय निष्ठा का अनुमान उनसे किये गये साक्षात्कार में प्राप्त उत्तरों से लगाया जा सकता है । जिसने आपको प्रथम बार सदस्य बनाया उसकी किस बात से आप प्रभावित हो गये ; के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने " त्याग और बलिदान " , " समाजवाद से आकर्षण ", " ईमानदारी ", " गांधी " (मोहनदास करम चन्द गांधी) की पुकार " कांग्रेस में सम्मान " एवं " कार्यकर्ताओं का सम्मान " बताया । इन उत्तरों में " समाजवाद से आकर्षण " ध्येय निष्ठा का प्रतीक है जिसको १६.५ प्रतिशत महत्व दिया गया, " कांग्रेस में सम्मान " दलीय निष्ठा का परिचायक है जिसको १६.५ प्रतिशत महत्व दिया गया और शेष ६७ प्रतिशत महत्व व्यक्ति निष्ठावाले उत्तरों को दिया गया । मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने " सिद्धान्त ", " क्षमता ", " निष्ठा ", " चरित्र ", " दायित्वपूर्णता ", " दल के प्रतिनिष्ठा तथा " बंगलादेश के लिए आन्दोलन " बताया । इन उत्तरों में " सिद्धान्त " ध्येय निष्ठा का प्रतीक है जिसे १४ प्रतिशत महत्व मिला ; " निष्ठा " दल के प्रति निष्ठा " तथा " बंगला देश के लिए आन्दोलन " दलीय निष्ठा का प्रतीक है जिसे ४३ प्रतिशत महत्व मिला और शेष ४३ प्रतिशत व्यक्ति निष्ठा के परिचायक है । क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने " श्री चरणसिंह का नेतृत्व " वर्तमान शासन की असफलता " " श्री चरण सिंह में आस्था " , " पक्ष की विरोध " तथा " दल की नीति " बताया । इन उत्तरों में ध्येय निष्ठा शून्य प्रतिशत है ; दलीय निष्ठा २० प्रतिशत तथा शेष ८० प्रतिशत व्यक्ति निष्ठा स्पष्ट होती है । इस विवरण से स्पष्ट होता है कि मण्डल समिति के

पदाधिकारियों में दलीय निष्ठा कम से अधिक तथा क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों में व्यक्ति निष्ठा कम से अधिक वर्तमान है ।

अपने दल की कौन सी बात अधिक पसन्द है ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने" समाजवाद"" निर्बलों को बढ़ावा" कांग्रेस का अतीत", कार्यक्रमों का संपादन" तथा तस्कर विरोधी अभियान बताया जिसमें तात्कालिक परिस्थितियों से उत्पन्न क्रियाकलापों का अंश" निर्बलों को बढ़ावा" कार्यक्रमों का संपादन" तस्कर विरोधी अभियान" भावात्मक निकटता की स्थापना का परिचय देता है ; मंडल समितियों के पदाधिकारियों ने" अनुशासन"" राष्ट्रीयता"" देश की अखण्डता" तथा "राष्ट्रीय विचारधारा" बताया जिसमें पूर्ण रूपेण विचारात्मक सामीप्य दिखाई देता है ; क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने" कुशल प्रशासन" गरीबों का हित", आन्दोलन" तथा" शान्तिपूर्वक विरोध" बताया जिसमें तात्कालिक परिस्थितियों से उत्पन्न भावों की संतुष्टि ही अधिक है अर्थात् भावात्मक सामीप्य स्थापित है । भावात्मक उत्तरों वाले व्यक्तियों में दलीय निष्ठा अल्पकालिक अर्थात् अस्थायी हो सकती है और विचारात्मक उत्तरों वाले व्यक्तियों में दलीय निष्ठा दीर्घकालिक अर्थात् स्थायी होती है । मण्डल समिति के पदाधिकारियों में स्थायी निष्ठा सर्वाधिक है और क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों में अस्थायी दलीय निष्ठा सर्वाधिक है ।

अपने दल की कौन सी बात बिल्कुल पसन्द नहीं है ; के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने" बहुतों को ज्यादा महत्व देना" अपने दल के नेता का पक्षपात"," सत्ता का एक के हाथ में केन्द्रित होना (श्रीमती इंदिरागांधी)" चौकीदार से राष्ट्रपति तक में भी जाना"," गुटबन्दी" एवं वंशानुगत शासन[११६] बताया जिनका संबंध मूल समस्याओं से है न कि समस्याओं के हल करने की पद्धति से । इसी प्रश्न के उत्तर में मण्डल समिति के पदाधिकारियों ने" सूचना का ढंग"" भूमि की सीमा निर्धारण"," प्रत्याशियों की चयन विधि" एवं" दलीय चुनाव पद्धति" बताया जिनका सीधा संबंध विशेष रूप से पद्धति से है । क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने" पदलोलुपता"" जातीय आधार बताया जिनका संबंध मूल समस्याओं से है । जिस दल के संगठन के पदाधिकारियों में मूल समस्या से नापसन्दगी अधिक है

उनमें दलीय निष्ठा कम प्रतीत होती है और जिनमें आस्था पर कोई मतभेद नहीं बल्कि उसको किस प्रकार हल किया जाय अर्थात् पद्धति पर मतभेद है उनमें दलीय निष्ठा अधिक प्रतीत होती है ।

अन्य किसी दल की कोई बात पसन्द है ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने ८३ प्रतिशत जनसंघ का नाम लिया और उस दल की विशेषताओं में अनुशासन, धार्मिक नीति, संगठन , कार्यकर्ता और देशोत्थान की भावना बताया, शेष १७ प्रतिशत " हिंसा रहित साम्यवाद " को बताया ; मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने ५० प्रतिशत " किसी दल की कोई बात नहीं ", २५ प्रतिशत " भारतीय लोकदल के नेता द्वारा नौकरशाही का विरोध " तथा २५ प्रतिशत कम्युनिष्ट कार्यकर्ताओं में अधिक परस्पर सौहार्द[११७] बताया और क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने ५० प्रतिशत जनसंघ का अनुशासन " २५ प्रतिशत समाजवादियों का सिद्धान्त " तथा २५ प्रतिशत " किसी दल की कोई बात नहीं " बताया । इन उत्तरों से स्पष्ट है कि जनसंघ के संगठन की दलीय निष्ठा सर्वोपरि है किन्तु वहीं पर मण्डल समिति के पदाधिकारियों ने कम्युनिस्टों में अपने से अधिक दलीय निष्ठा का संदेह भी प्रकट किया ।

" यदि आपका आदर्श नेता दल से त्याग पत्र दे दे तो उसके साथ के लिए क्या आप भी दल छोड़ देंगे ?" के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के ३३ प्रतिशत पदाधिकारियों ने " हाँ कहा ; मण्डल समितियों के सब प्रतिशत पदाधिकारियों ने " नहीं " कहा और क्षेत्रीय कौंसिल के ५० प्रतिशत पदाधिकारियों ने भी " हाँ " कहा । इससे स्पष्ट होता है कि मण्डल समितियों के पदाधिकारियों में व्यक्ति निष्ठा का अभाव है और ब्लाक कांग्रेस कमेटियों तथा क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों में क्रमश: अधिकता है । कुशल संगठन पद्धति वह है जो यथाशीघ्र अपने सदस्यों की व्यक्ति निष्ठा को दलीय निष्ठा में परिवर्तित कर दे ।

प्रत्येक राजनीतिक दल के नेता आपस में मिलते जुलते रहे तो कैसा रहेगा ?" का उत्तर तीनों दलों की इकाइयों के पदाधिकारियों ने " अच्छा होगा " कहकर दिया । इससे स्पष्ट है कि दलीय निष्ठा का देशहित में त्याग किया जा सकता है यदि वह बाधक हो । राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए व्यक्ति राजनीतिक संबंधों की

अपेक्षा सामाजिक संबंधों को अधिक वरीयता देता प्रतीत होता है । पदाधिकारियों का अनुमान है कि परस्पर मिलने से कटुता कम होगी, विचारों के आदान प्रदान के प्रत्यक्ष अवसर अधिक होंगे, समाज में संघर्ष कम होगा, सामंजस्य की वृद्धि होगी और देश-कल्याण होगा । ये लाभ राष्ट्रीय एकता में सहायक सिद्ध हो सकते हैं । अतः सभी राजनीतिक दलों से संबद्ध जनों को परस्पर नियमित ढंग से दलगत भावना से ऊपर उठकर देशहित में प्रत्यक्ष विचार विनिमय का प्रतिनिधित्व करनेवाली राजनीतिक संस्थाओं से बाहर भी करना चाहिए । इस प्रकार के वातावरण से दलीय निष्ठा देश हित की ध्येय निष्ठा में परिवर्तित हो सकेगी ।

" सुस्पष्टता "

संदेह, भ्रम तथा शंका जिससे समाप्त हो जाती है वही सुस्पष्टता है । राजनीतिक दलों के संगठन, व्यवहार, नीति, कार्यक्रम, नियम, विचारधारा एवं निर्णय प्रक्रिया में सुस्पष्टता अनिवार्य गुण है । यदि किसी भी क्षेत्र में सुस्पष्टता का अंश कम हुआ तो गोपनीयता पनपेगी जिससे सदस्यों में अविश्वास बढ़ेगा और राजनीतिक दल का लोकतांत्रिक स्वरूप बिगड़ने लग जायगा अर्थात् विघटन की विभ वैलि पल्लवित होगी । संगठन में सुस्पष्टता उत्पन्न करनेवाले तीन मुख्य कारक हैं प्रथम दल का प्रत्येक विषय बोधगम्य तथा सामान्य भाषा में लिखित होना, द्वितीय- जिज्ञासु तथा अल्पज्ञ सदस्यों के लिए ज्ञान का सुलभ होना तथा तृतीय प्रत्येक सदस्य तक नवीनतम जानकारी पहुंचाने के लिए पक्षपात रहित एवं द्रुतगामी संचार व्यवस्था होना । जिस राजनीतिक दल के संगठन में ये तीनों कारक समुपयुक्त एवं सफल होंगे उसमें सुस्पष्टता भी अधिक अंशों में होगी ।

राजनीतिक दल का उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम तथा संविधान लिखित होता है । दलीय संविधान के अनुसार संगठन किया जाता है । संविधान में सुस्पष्टता उत्पन्न करने के लिए नियम एवं उपनियम बनाये जाते हैं । संविधान की अन्तर्वस्तु में संगठनात्मक इकाइयों, इकाइयों से संबंधित पदाधिकारियों की नियुक्ति विधि, पदा- वधि, अधिकारों एवं कर्तव्यों, आनुषंगिक संगठनों, पुरो भागों एवं समितियों :

आभ्यांतर कार्यों जैसे बैठकों, सम्मेलन, प्रशिक्षण, अनुशासन आदि तथा प्रकीर्ण (विविध) विषयों के विवरण दिए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ तथा भारतीय लोकदल के संविधानों का अध्ययन करने से तथा पदाधिकारियों से साक्षात्कार लेने से अनेक अस्पष्टतायें मिलीं। इन अस्पष्टताओं का संबंध प्रत्येक इकाइयों के प्रत्येक पदाधिकारी के अधिकारों एवं शक्तियों के पृथक्करण एवं अनुचित प्रयोग पर प्रतिबन्ध, दल में प्रोन्नति के नियम, किसी निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया, बैठकों, प्रदर्शनों, जुलूसों, सत्याग्रहों, सभाओं, शिविरों, प्रशिक्षणों, सम्मेलन एवं चर्चाओं, प्रत्याशी निर्धारण तथा अभिलेख पात्रों से है।

ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के सभी पदाधिकारियों को वर्तमान समय में दल के सदस्यों की कुल संख्या का ठीक ठीक पता नहीं है और ५० प्रतिशत ने तो "जानकारी नहीं" ऐसा उत्तर दिया। मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने अपने अपने मण्डल में सदस्यों की निश्चित संख्यायें बतायी। क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने तीन सौ तथा चार सौ सदस्यों की संख्या बतायी किन्तु भारतीय लोक दल के विधायक ने बारह सौ बताया। सदस्यों की निश्चित संख्या का न बताया जाना सुस्पष्टता के अभाव को प्रतिबिम्बित करता है।

बैठक की गणपूरक संख्या (कोरम) क्या है ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों में से ५ प्रतिशत ने "१।३", १६.५ प्रतिशत ने २।३, १६.५ प्रतिशत ने "आधे से अधिक" तथा १६.५ प्रतिशत ने १।१० बताया। ये उत्तर सुस्पष्टता के अभाव का संकेत देते हैं क्योंकि दल के संविधान में इसके लिए अलग कोई अनुच्छेद नहीं है केवल "वर्किंग कमेटी" के विषय में गणपूरक संख्या -७ का विवरण है।[११७] मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने २५ प्रतिशत "४" २५ प्रतिशत "६", २५ प्रतिशत "२।३" तथा २५ प्रतिशत "निश्चित संख्या नहीं" उत्तर दिया जो कि अज्ञानता का परिचय देता है क्योंकि दल के संविधान में "कार्य समितितियों का गणपूरक उनकी संख्या का १।४ तथा प्रतिनिधि सभाओं का उनकी संख्या का १।१० होगा[११८] उल्लेख है। क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों में से ५० प्रतिशत ने "२।३"; २५ प्रतिशत ने "आधे से अधिक" तथा २५ प्रतिशत ने "२।३" बताया जो कि अस्पष्टता का परिचय

देता है क्योंकि दल के संविधान की धारा १४ में विवरण दिया गया है । क्या इन अस्पष्टताओं के ये कारण संभव नहीं है कि दल का संविधान कभी छुपा न हुआ हो, या छुपा होने पर भी उससे संबंधित समस्यायें न उत्पन्न हुई हों या इन नियमों का पालन ही न किया जाता हो आदि ।

क्या किसी सदस्य को दल की सदस्यता से वंचित करने का क्या नियम है ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के ८३.५ प्रतिशत पदाधिकारियों ने 'आरोपण' स्पष्टीकरण, निष्कासन एवं फिर से प्रस्ताव का क्रम बताया तथा १६.५ प्रतिशत ने 'अभी तक कोई प्रश्न ही नहीं आया' कहा क्योंकि उस दल के सैंया ब्लाक कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री के अनुसार तीन तथा महामंत्री के अनुसार एक सदस्य के साथ सदस्यता से वंचित करने की कार्यवाही की गई है शेष अन्य दलों की इकाईयों में किसी भी सदस्य के साथ ऐसी कार्यवाही नहीं हुई है । मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने ५० प्रतिशत आरोपण, स्पष्टीकरण एवं निष्कासन २५ प्रतिशत निलम्बन एवं फिर से सूचना' तथा २५ प्रतिशत' मालूम नहीं' कहा तथा क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने ५० प्रतिशत' मालूम नहीं' २५ प्रतिशत स्पष्टीकरण एवं निष्कासन तथा २५ प्रतिशत' चेतावनी, आरोपण, स्पष्टीकरण, निलम्बन एवं निष्कासन' बताया । इन उत्तरों से स्पष्ट है कि ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों में तद्विषयक सुस्पष्टता सर्वाधिक है क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों में सुस्पष्टतायें सब से कम है । किसी भी दल का संविधान पूर्ण प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं करता है । ब्लाक कांग्रेस कमेटियों, मण्डल समितियों तथा क्षेत्रीय कौंसिल के एक भी पदाधिकारी को अपने दल के समस्त आनुषंगिक संगठनों एवं पुरोभाग संगठनों की पूर्ण जानकारी नहीं है ।[१२०]

'आपका दल कौन कौन से उत्सव मनाता है ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों में शतप्रतिशत ने १५ अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) २ अक्टूबर (महात्मा गांधी जन्म-दिवस) तथा २६ जनवरी (गणतंत्र दिवस) बताया; ८३.५ प्रतिशत ने १४ नवम्बर (पं० जवाहर लाल नेहरू जन्म दिवस - बाल दिवस) बताया ; ३३.३ प्रतिशत ने ३० जनवरी (महात्मा गांधी शहीद दिवस) बताया और १६.५ प्रतिशत ने १९ नवम्बर (श्रीमती इंदिरा गांधी जन्म दिवस) बताया ;

मण्डल समितियों के ७५ प्रतिशत पदाधिकारियों ने जानकारी नहीं तथा तथा २५ प्रतिशत ने श्यामा प्रसाद मुकर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म दिवस बताया तथा क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों में ५० प्रतिशत कोई नहीं, २५ प्रतिशत ज्ञात नहीं एवं २५ प्रतिशत राष्ट्रीय पर्व बताया। इन उत्तरों से स्पष्ट है कि दलीय उत्सवों की सर्वाधिक स्पष्टता ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों में है और मण्डल समितियों तथा क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने दलीय उत्सवों के प्रति उपेक्षाओं को प्रमाणित किया है। इससे दल के उत्सव और राष्ट्रीय पर्व में स्पष्ट भेद की सुस्पष्टता का अभाव भी दिखलायी देता है। प्रत्येक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पर्व अवश्य मनाना चाहिए।

दल में प्रोन्नति के आधारों का विवरण किसी भी दल के संविधान में उल्लिखित नहीं है जिससे सदस्य बननेवाले नागरिक को अग्रिम सोपानों तक पहुंचने का प्रशस्तमार्ग दिखलाई नहीं देता है। इसके अभाव में प्रोन्नति का आकांक्षी सदस्य दल के अधिपुरुषों (Bosses) की भक्ति का सहारा प्राप्त करने के लिए बाध्य हो जाता है।

आपका दल अपनी आवश्यक कार्यों के संचालन के लिए धन कैसे एकत्रित करता है ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने सदस्यता शुल्क एवं दान बताया और यही उत्तर मण्डल समितियों एवं क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने भी दिया। किन्तु क्षेत्रीय कौंसिल के कोषाध्यक्ष ने व्यापारियों को अभ्यंश (Quota) प्रानुज्ञप्ति पत्र (परमिट) तथा अनुज्ञापत्र (लाइसेन्स) प्रदान करवाकर भी धन लिये जाने की बात कही। यदि दल इस प्रकार की सरकारी सुविधाओं को दिलवाकर भी दल के लिए धन संग्रह करते हैं तो अन्य सुविधाओं के मूल्य भी चुकाये जाते होंगे। दलों के संविधानों में धनसंग्रह का प्राविधान है किन्तु सदस्यता शुल्क, प्रतिनिधि शुल्क एवं वेतनांश के अतिरिक्त अन्य स्रोतों का विवरण नहीं है।

दल अपने एकत्रित धन को कहां कहां व्यय करते हैं ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों, मण्डल समितियों तथा क्षेत्रीय कौंसिल के सभी पदाधिकारियों ने चुनाव सभा, साहित्य, यात्रा साधन, संगठन, कार्यकर्ता, नेता तथा प्रत्याशी से

संबंधित व्यय बताये । किन्तु ब्लाक कांग्रेस कमेटी के एक पदाधिकारी ने "उत्कोच" (घूस) तथा "दान" में भी व्यय का संकेत दिया जिसकी पुष्टि क्षेत्रीय कौंसिल के एक पदाधिकारी ने भी की । यदि दल उत्कोच एवं दान में धन व्यय करते हैं तो उसका पता सब को कभी नहीं लग पाता । अतः दल के संगठन में सुस्पष्टता के लिए धन के आय एवं व्यय के स्रोतों का निर्धारण और कठोर पालन आवश्यक होना चाहिए ।

दल की नीतियों, कार्यक्रमों एवं विचारधाराओं की कितनी सुस्पष्टता उसके संगठन में है इसके लिए पदाधिकारियों की कितनी सुस्पष्टता उसके संगठन में है इसके लिए पदाधिकारियों से ज्वलन्त समस्याओं में से कुछ पर साक्षात्कार में प्रश्न किये गये । "राष्ट्र में एकता कैसे लायी जा सकती है ?" के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने "वसुधैव कुटुम्बकम की भावना" "सभी दलों के आपसी संबंधों की वृद्धि", "सही ढंग के कार्य" "चरित्र पर बल" ,"राजनीतिक दलों की संख्या दो होना" "साम्प्रदायिकता ,जातिवाद एवं अमीरी-गरीबी का फासला कम होना" बताया । इन उत्तरों से यह उद्घाटित होता है कि राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने के लिए त्रिपक्षीय (व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा शासन) प्रयत्न होना चाहिए । यह निर्विवाद तथ्य प्रतीत होता है कि राष्ट्र में विघटन उत्पन्न करने में राजनीतिक दलों की अधिक संख्या भी सहायक होती है । मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने राष्ट्र में एकता लाने के लिए "न्याय एवं सत्य", "समान अवसर", "समान भाषा, धर्म एवं संस्कृति" ;"राष्ट्र प्रेम" "समान कानून तथा" "उपजातियों का अन्त" इसका उपाय बताया । इन उत्तरों से समस्या के समाधान का दायित्व व्यक्ति, समाज तथा सरकार तीनों पर है । क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने भी "धर्म निरपेक्षता", "सत्ता के विरोध में एक दल" "गरीबी दूर करना" एवं "संगठन" के उपाय बताये । क्षेत्रीय कौंसिल के एक पदाधिकारी ने तो यहां तक कहा कि "राष्ट्र में एकता आ ही नहीं सकती" जो कि वैचारिक रिक्तता का द्योतक है जिसका कारण दल की स्पष्ट योजना का अभाव है । ब्लाक कांग्रेस कमेटियों, मण्डल समितियों तथा क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों के उत्तरों में समान रूपता का अभाव है जो कि वैचारिक सुस्पष्टता के अभाव का संकेत देता है । यदि संबंधित राजनीतिक दलों ने विचारों की दिशा दी होती तो समरूपता निश्चित ही रहती ।

भारत का उत्थान किस विचारधारा से संभव है ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने " धर्म सापेक्ष शासन ", समाजवाद ", " गांधीवाद ", नैतिकता का उत्थान " तथा " धन का महत्व कम होना " से संभव बताया । इन उत्तरों में कांग्रेस की समाजवादी विचारधारा का नाम आया किन्तु धर्म सापेक्ष शासन की बात इसके विपरीत भी है । नैतिकता का पतन एवं धन का विशेष महत्व पदाधिकारियों के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता प्रतीत होता है । मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने " धर्म ", " आत्ममानववाद " हिन्दूवाद " से भारत का उत्थान होना बताया जिससे भारतीय जनसंघ का आत्म मानववाद भी स्पष्ट होता है साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की हिन्दूवादी विचारधारा का भी प्रभाव परिलक्षित होता है । क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने " वैज्ञानिकता एवं अध्यात्म पर आधारित समाजवाद " गांधी विचारधारा " तथा " समाजवाद " इसका उपाय बताया जिससे समाजवाद की संशोधित रूपरेखा की आवश्यकता का संकेत मिलता है । अत्यन्त आश्चर्य है कि भारतीय लोकदल ने अपनी विचारधारा समाजवादी नहीं घोषित किया है फिर भी पदाधिकारी बतला रहे हैं जो कि दलीय विचारधारा की सुस्पष्टता के अभाव का परिचय देता है । वैचारिक दृष्टि से क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारी ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के निकट हैं जबकि ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारी मण्डल समितियों की धार्मिकता से संबंधित विचारों से प्रभावित प्रतीत होते हैं ।

" संवेदनशीलता "

संवेदनशीलता संगठन की वह विशेषता है जो कि अपने दल के हितों, अनहितों, अस्तित्व, मित्रों एवं शत्रुओं के प्रति सर्वदा तथा सर्वथा जागरूक रखती है । जिस दल के संगठन में संवेदनशीलता कम होगी वह जन आस्थाओं, जनाकांक्षाओं एवं जनमत का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा और अन्त में जनाक्रोश की ज्वालाओं से झुलसकर प्राण त्याग देगा । इंडिया विधान सभा में राजनीतिक दलों की संगठित इकाइयों में कितनी संवेदनशीलता है इसका अनुमान कुछ प्रश्नों के उत्तरों से लगाया जा सकता है ।

आपके दल को किस दल से अधिक भय लगता है ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने ५७ प्रतिशत भारतीय लोकदल तथा ४३ प्रतिशत भारतीय जनसंघ से भय बताया किन्तु साथ साथ यह भी कहा कि आपातकालीन घोषणा के पश्चात् अब किसी से भी भय नहीं लगता है । मण्डल समितियों के पदाधिकारियों में ५० प्रतिशत कांग्रेस तथा ५० प्रतिशत भारतीय लोकदल से भय का अनुभव है और क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों में ७५ प्रतिशत कांग्रेस तथा २५ प्रतिशत किसी भी दल से नहीं भय का अनुभव है । इन उत्तरों से स्पष्ट है कि भारतीय लोकदल के हितों पर भारतीय जनसंघ आघात नहीं कर रहा है जबकि भारतीय जनसंघ के पदाधिकारी भारतीय लोकदल एवं कांग्रेस दोनों से भयभीत हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी भारतीय लोकदल से अधिक भयभीत है और भारतीय लोक दल के कांग्रेस से अधिक भयभीत हैं अर्थात् कांग्रेस एवं भारतीय लोकदल के पदाधिकारी एक दूसरे के दल से अधिक भय अनुभव करते हैं ।

ऐसा अनुभव आप क्यों करते हैं ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने भारतीय लोकदल से भय का अनुभव ' उसके जातीय आधार पर संगठन एवं बिरादरीवाद को प्रोत्साहन ' से किया और भारतीय जनसंघ से भय का अनुभव ' उसके धार्मिक सिद्धान्तों एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं से किया ; मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने कांग्रेस से भय का अनुभव ' उसमें भ्रष्ट लोगों का प्रवेश तथा शासन में होने ' से किया और भारतीय लोकदल से भय का अनुभव उसके जातीय आधार एवं उपजातियों के घटकों को संगठित किये जाना ' से किया ; क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने कांग्रेस से भय का अनुभव ' उसके बहुमत तथा अब तक शासन में बने रहना ' से किया । भय का उद्दीपन कांग्रेस के शासन में बने रहने से ; भारतीय जनसंघ धार्मिक सिद्धान्तों एवं निष्ठावान् कार्यकर्ताओं से और भारतीय लोकदल के जातीय आधार पर संगठन से हो रहा प्रतीत हुआ ।

किस दल से आपको भय क्यों नहीं लगता है ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने ५७ प्रतिशत संगठन कांग्रेस क्योंकि उसका कोई संगठन और अस्तित्व नहीं , १४.३ प्रतिशत सोशलिस्ट क्योंकि इनका भी कोई संगठन नहीं, १४.३ प्रतिशत कम्युनिष्ट यह दल यहां नहीं है तथा १४.३ प्रतिशत

भारतीय जनसंघ क्योंकि इसका जातीयता का आधार नहीं" बताया ; मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने हिन्दू महासभा , रामराज्य परिषद्, संगठन कांग्रेस, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट तथा कांग्रेस से समान प्रतिशत में भय का अभाव इनके संगठनों का यहाँ पर न होना तथा कांग्रेस के प्रभावों में क्रमशः क्षीणता बताया और जनपद समिति के पदाधिकारियों ने समान रूप से भारतीय जनसंघ -" क्योंकि इस दल का संगठन ईमानदारी से काम करता है,[१२१] तथा सोशलिस्ट - क्योंकि बहुत कमज़ोर है, इन कारणों से भय का अभाव बताया । उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जिन राजनीतिक दलों की इकाइयाँ हँडिया विकास खण्ड क्षेत्र में नहीं है उनसे बिल्कुल भय नहीं लगता और जिनकी इकाइयाँ गठित है एवं प्रति स्पर्धक है उनसे ही भय का उद्दीपन हितों के लिए अहितकर समझा जाता है ।

राजनीतिक दल जनता की कठिनाइयों, इच्छाओं, समस्याओं आपत्तियों तथा विपत्तियों के प्रति सतर्क रहते हैं जो कि उनकी संवेदनशीलता का परिचायक होता है । " जनता की इच्छाओं का ज्ञान कैसे करते है ? " के उत्तर में तीनों दलों की इकाइयों के पदाधिकारियों ने " जनसंपर्क " से बताया । विचारणीय प्रश्न है कि जनसंपर्क अनवरत किया जाता है या विशेष अवसरों पर ही ? इसका वास्तविक समाधान जनता ही कर सकती है । हँडिया विकास खण्ड क्षेत्र के अवयस्क एवं वयस्क दोनों श्रेणियों के नागरिकों ने " चुनाव में मतदाताओं की बात पर अधिक ध्यान दिया जाता है और चुनाव के पश्चात नेताओं की बात पर अधिक ध्यान दिया जाता है " से सत प्रतिशत सम्मति प्रकट किया । इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि चुनाव में जनसंपर्क का सूत्रपात दल के संगठन द्वारा विशेष रूप से होता है और चुनाव व्यतीत हो जाने पर नागरिकों द्वारा राजनीतिक दलों से सम्बद्ध जनों से संपर्कों का सूत्रपात होता है । राजनीतिक दलों को जनहितों के प्रति सचेष्ट रखने के लिए प्रगाढ़ एवं अटूट जनसंपर्क अनिवार्य है ।

" आप किस उद्देश्य से जन संपर्क करने जाते हैं ? " के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने " समस्या ज्ञान तथा उसके समाधान ", " परिचय " " जनहित " एक मार्ग है , " दल की सफलता के लिए " और राजनीतिक नेता के रूप में उभरने के लिए[१२२] उद्देश्यों को स्पष्ट किया जिससे व्यक्तिगत एवं दलगत हितों के साथ

जनहित भी परिलक्षित होता है ; मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने, जनसंघ की विजय हो, दल का प्रभाव बढ़े, कार्यक्रम का प्रचार हो और सिद्धान्तों का प्रचार करने के उद्देश्यों को बताया जिनसे दलीय हितों पर विशेष ध्यान जाता प्रतीत होता है और यह भी विश्वास होता है कि ये लोग जनता को अपनी सुनाने जाते हैं जनता की सुनने नहीं और क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने अपने जनसंपर्क के उद्देश्यों को विचार एवं आपत्ति की जानकारी, दल को सबल बनाने तथा क्रान्ति से स्पष्ट किया जिससे दलहित एवं जनहित दोनों के प्रति जागरूकता मिलती है । जिस राजनीतिक दल के संगठन में दलीय हितों को शीर्ष प्राथमिकता दी जाती है उसमें आन्तरिक संवेदनशीलता अधिक है और जिसमें जनहितों को शीर्ष प्राथमिकता दी जाती है उनमें बाह्य संवेदनशीलता अधिक है । अच्छा संगठन वह है जिसमें आन्तरिक एवं बाह्य संवेदनशीलता एक समान हो किन्तु जिसका अभाव है ।

आपकी दृष्टि से किस राजनीतिक दल का भविष्य अच्छा दिखलायी दे रहा है और क्यों ?' के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के ५० प्रतिशत पदाधिकारियों ने अपने दल का नाम बताया तथा शेष ५० प्रतिशत ने भारतीय जनसंघ का नाम इसलिए बताया कि कांग्रेस की नीतियों से सवर्ण ऊब गया है और इसकी धार्मिक भावनायें हैं । मण्डल समितियों के ५० प्रतिशत पदाधिकारियों ने अपने दल का अच्छा भविष्य देखा किन्तु २५ प्रतिशत ने अनेक विरोधी दलों के होने के कारण सदा कांग्रेस का तथा २५ प्रतिशत ने राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण भारतीय लोकदल का भविष्य अच्छा देखा । क्षेत्रीय कौंसिल के ५० प्रतिशत पदाधिकारियों ने अपने दल का अच्छा भविष्य देखा तथा शेष ५० प्रतिशत ने भारतीय जनसंघ का भविष्य अच्छा देखा जिसके लिए ठोस कार्यकर्ता अच्छा संगठन और छिन्न भिन्न न होने के लक्षण बताये गये । उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रत्येक दल के पदाधिकारियों में अपने दल के शत प्रतिशत उज्ज्वल भविष्य की संवेदना की अनुभूति नहीं है । भारतीय जनसंघ के अच्छे भविष्य की संवेदना ब्लाक कांग्रेस कमेटियों एवं क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों में है । मण्डल समितियों के पदाधिकारी कांग्रेस एवं भारतीय लोकदल दोनों का अच्छा भविष्य देखते हैं किन्तु अपने दल से कम ही ।

" लोकतंत्रात्मकता "

रार्बट माइकेल के " अल्पतंत्र के लौह नियम " का उत्थापन राजनीतिक दलों की संगठनात्मक इकाइयों में भी हुआ है । लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को अपने संगठन से भी लोकतंत्र को प्रतिष्ठित करना चाहिए । राजनीतिक दलों के संगठन तथा शासन दोनों में लोकतंत्र का पोषण करनेवाली पद्धतियों का ही अनुसरण लोकतंत्रात्मकता का परिचायक है । सेना के संगठन तथा शासन में लोकतंत्रात्मकता का अभाव होता है । लोकतंत्रात्मकता दल में किसी भी समस्या के समाधान के लिए जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र तथा आर्थिक दशा के स्थान पर प्रबुद्ध, स्वस्थ तथा सजग बहुमत को आधार बनाना है।

आप अपने दल के बाहर के किन तीन व्यक्तियों की बात नहीं टाल सकते हैं के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने ८२. ३ प्रतिशत " स्वजातीय " तथा १७. ७ प्रतिशत " विजातीय " व्यक्तियों के नाम बताये, मण्डल समितियों के पदाधिकारियों में से एक ने कोई भी नाम नहीं बताया किन्तु शेष ने शत प्रतिशत स्वजातीय " व्यक्तियों के नाम बताये तथा क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने ५० प्रतिशत स्वजातीय तथा ५० प्रतिशत विजातीय " व्यक्तियों के नाम बताये । इससे स्पष्ट है कि संगठन के पदाधिकारी अपने निर्णयों को प्राप्त करने में स्वजातीय संबंधों से अधिक प्रभावित होते हैं ।

राजनीति में आपके तीन घनिष्ट मित्र कौन कौन हैं के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने ६६. ७ प्रतिशत स्वजातीय , मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने ६६. २ प्रतिशत स्वजातीय " तथा क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने १६. ७ प्रतिशत " स्वजातीय " व्यक्तियों के नाम बताये । इससे स्पष्ट है कि व्यक्ति राजनीतिक दल में प्रवेश करने पर अन्य जातियों के व्यक्तियों से से भी मैत्री भाव रखने लगता है किन्तु स्वजातीय भावना का लोप नहीं होता है । क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों में मित्र बनाने की प्रक्रिया में लोकतंत्रात्मकता अधिक प्रतीत होती है ।

क्या आपका विश्वास है कि जनता के सभी कार्य वैधानिक एवं लोकतांत्रिक ढंग से हो सकते हैं ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने ६६.७ प्रतिशत नहीं तथा ३३.३ प्रतिशत "हां" कहा, मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने ७५ प्रतिशत "नहीं" तथा २५ प्रतिशत "हां" कहा, तथा क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने ७५ प्रतिशत "नहीं" तथा २५ प्रतिशत "हां" कहा । इससे स्पष्ट होता है कि दलों के अधिकांश पदाधिकारियों में लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्यों की सिद्धि में पूर्ण विश्वास नहीं है । वैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रणाली से जनता के सभी कार्यों को पूर्ण करनेवाली पद्धतियों का राजनीतिक दलों को सृजन करना चाहिए तथा अपने संगठन में प्रविष्ठ व्यक्तियों को उसमें प्रशिक्षित करना चाहिए अन्यथा लोकतंत्र के प्रति अनास्था अविश्वास एवं असन्तोष के भाव जागृत होंगे और राजनीतिक दल सामूहिक अधिनायकों में परिवर्तित हो सकता है ।

साक्षात्कार किये हुए पदाधिकारियों का वर्गीकृत विवरण :

१- दलगत वर्गीकरण

संगठित इकाई का नाम	दल का नाम	साक्षात्कारकृत पदाधिकारी संख्या
ब्लाक कांग्रेस कमेटी	अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	६
मण्डल समिति	भारतीय जनसंघ	४
क्षेत्रीय कौंसिल	भारतीय लोकदल	४
	योग -	१४

२- जातीय वर्गीकरण

जाति का नाम	प्रतिशत
ब्राह्मण	७१.२ प्रतिशत
क्षत्रिय	७.२ ,,
जायसवाल	७.२ ,,
मौर्य	७.२ ,,
यादव	७.२ ,,
योग -	१००

३- आयु के अनुसार वर्गीकरण

आयु विस्तार	प्रतिशत
२२-३२ वर्ष	२८.५७
३३-४३ वर्ष	५०.००
४४-५४ वर्ष	१४.२९
५५-६५ वर्ष	७.१४
योग-	१००

४- राजनीतिक आयु के अनुसार वर्गीकरण

आयु विस्तार	प्रतिशत
२-१० वर्ष	४२. ८७
११-१६ ,,	३५. ७१
२०-२८ ,,	७. १४
२६-३७ ,,	--
३८-४६ ,,	१४. २८
योग -	१००

५- शैक्षिक योग्यता के अनुसार वर्गीकरण

स्तर	प्रतिशत
कक्षा ५ तक	७. १४
कक्षा ८ तक	२१. ४३
कक्षा १० तक	३५. ७२
स्नातक + विद्योपाधि + पत्रोपाधि	२१. ४३
स्नातकोत्तर + ,, + ,,	१४. २८
योग -	१००

६- पिता के सन्तान-क्रम के अनुसार वर्गीकरण

संख्या	प्रतिशत
प्रथम सन्तान	१४. २८
द्वितीय सन्तान	४२. ८७
तृतीय सन्तान	७. १४
चतुर्थ सन्तान	२८. ५७
पंचम सन्तान	७. १४
योग -	१००

७- निजी सन्तानों की संख्या के अनुसार वर्गीकरण

संख्या	प्रतिशत
शून्य	१४. २८
एक	७. १४
दो	७. १४
तीन	३५. ७२
चार	७. १४
पांच	१४. २८
छः	७. १४
सात	७. १४
योग -	१००

८- वैवाहिक जीवन के अनुसार

प्रकार	प्रतिशत
दम्पति	९२. ८६
विधुर	७. १४
योग -	१००

९- पदावधि के अनुसार वर्गीकरण

अवधि	प्रतिशत
२ माह से २ वर्ष तक	७१. ४४
३ वर्ष तक	१४. २८
४ वर्ष तक	१४. २८
योग -	१००

१० - व्यवसाय के अनुसार वर्गीकरण

नाम व्यवसाय	प्रतिशत
कृषि	७१.४४
अध्यापन	१४.२८
व्यापार	७.१४
अध्ययन	७.१४
योग -	१००

११- कृषि के क्षेत्रफल के अनुसार वर्गीकरण

कृषि क्षेत्रफल विस्तार	प्रतिशत
५ - १० बीघा	२८.५७
११- २० ,,	२८.५७
२१- ३० ,,	१४.२८
३१- ४० ,,	७.१४
४१- ५० ,,	७.१४
वभी जिनका स्वामित्व नहीं	१४.३०
योग -	१००

१२- गौण व्यवसाय के अनुसार वर्गीकरण

नाम व्यवसाय	प्रतिशत
कृषि	२१.४२
नौकरी	१४.२८
ठीका	१४.२८
व्यापार	७.१४
कोई नहीं	४२.८८
योग -	१००

१३- राजनीति में प्रवेश के समय की आयु के अनुसार वर्गीकरण

आयु	प्रतिशत
१३-१७ वर्ष	२८.५८
१८-२२ वर्ष	१४.२८
२३-२७ वर्ष	३५.७२
२८-३२ वर्ष	१४.२८
३३-३७ वर्ष	७.१४
योग -	१००

उपरोक्त वर्गीकरण से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं :-

(१) ब्राह्मण पदाधिकारियों का प्रतिशत सर्वाधिक है ।

(२) ७८.५७ प्रतिशत पदाधिकारियों की आयु २२-४३ वर्ष तक है जो कि नई पीढ़ी की राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं का संकेत है ।

(३) ७१.४३ प्रतिशत पदाधिकारी कक्षा १० या उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता वाले हैं । एक भी अशिक्षित पदाधिकारी नहीं है ।

(४) पदाधिकारियों में पिता की दूसरी सन्तान का प्रतिशत सर्वाधिक है । उसके पश्चात् चौथी सन्तान का क्रम है ।

(५) पदाधिकारियों में तीन सन्तानवालों का प्रतिशत सर्वाधिक है जिनकी आयु का विस्तार २६-३८ वर्ष तक है उन्हीं पर परिवार नियोजन का प्रभाव प्रतीत होता है । कुल ६४.२८ प्रतिशत पदाधिकारियों के पास एक से तीन ही सन्तानें मिलीं ।

(६) ९२.८६ प्रतिशत पदाधिकारी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करनेवाले मिले जो यह संकेत देता है कि विधुर जीवन पदाधिकारी बनने में बाधक है ।

(७) दो वर्ष से दस वर्ष तक जिनको राजनीति में प्रवेश किए हुए हुआ ऐसे पदाधिकारियों का प्रतिशत सर्वाधिक है । राजनीति में प्रवेश के समय की न्यूनतम आयु १३ वर्ष तथा अधिकतम ३३ वर्ष मिली ।

(८) ३५. ७२ प्रतिशत पदाधिकारियों ने २३-२७ वर्ष की आयु में राजनीति में प्रवेश किया और २८. ५८ प्रतिशत पदाधिकारियों ने १३-१७ वर्ष की आयु में राजनीति में प्रवेश किया इस प्रकार ६४. ३ प्रतिशत पदाधिकारियों ने १३-२७ वर्ष की अपनी आयु में राजनीतिक दलों से अपना संबंध जोड़ा है।

(९) ७१. ४४ प्रतिशत पदाधिकारी २ माह से २ वर्ष तक अपने एक पद पर बने रहनेवाले मिले और शेष इससे अधिक वर्षों से अपने पद पर आसीन है ।

(१०) ७१. ४४ प्रतिशत पदाधिकारियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है ।

(११) ५७. १४ प्रतिशत पदाधिकारियों के पास पाँच से बीस बीघा तक भूमि मिली । भूमिहीन कोई भी पदाधिकारी नहीं मिला । ५७. १२ प्रतिशत पदाधिकारी गौण व्यवसाय भी करनेवाले मिले । इन बातों से स्पष्ट है कि राजनीतिक दल में सक्रिय रहने या पदाधिकारी होने के लिए गौण व्यवसाय करके आर्थिक संपन्नता रखना अधिक आवश्यक है ।

सन्दर्भ- संकेत:-

१- रावर्ट माइकिल्स - आलीगार्की - द सोशियोलाजी आफ़ आर्गेनाइजेशन वैविक स्टडीज़- एडीटर्स - ऑस्कार गास्की एण्ड पी०डब्ल्यू०मिलर, १९७० पृ० २५ ।

२- रावर्ट माइकिल्स - पोलिटिकल पार्टीज़, १९५८ पृ० ४१८ ।

३- एम० डुवरजर - पोलिटिकल पार्टीज़, १९६५ , पृष्ठ ४ ।

४- एम० डुवरजर, पोलिटिकल पार्टीज़, १९६५ , पृष्ठ १०१ ।

५- डब्ल्यू० जी० रन्सीमैन, सोशल साइन्स एण्ड पोलिटिकल थ्यूरी, १९६३, पृष्ठ ८९ ।

६- एम० डुवरजर, पोलिटिकल पार्टीज़, १९६५ , पृष्ठ ९१ ।

७- साक्षात्कार के आधार पर ।

८- एम० डुवरजर- पोलिटिकल पार्टीज़, १९६५ , पृष्ठ ८७ ।

९- पूर्वोक्त, पृष्ठ ८५ ।

१०- कांस्टीच्यूशन आफ़ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, २१ जुलाई, १९७४ अनुच्छेद ८(ख)पृ०८।

११- पूर्वोक्त , अनुच्छेद ५ (ब) (२ से ३ब) पृष्ठ ५-६ ।

१२- रूल्स आफ़ इंडियन नेशनल कांग्रेस - ७ अगस्त, १९७४ पृष्ठ ६-८ ।

१३- रूल्स आफ़ इंडियन नेशनल कांग्रेस अनुच्छेद ७(२) के अधीन ३ पृ० १० ।

१४- कांस्टीच्यूशन आफ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, २१ जुलाई, १९७४, अनुच्छेद ५(ब) -५

१५- भारतीय जनसंघ संविधान एवं नियम, मई १९७२ पृष्ठ १२-१३ ।

१६- रूल्स आफ़ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस - ७ अगस्त, १९७४ अनुच्छेद ७(१) के अधीन, पृ० ६

१७- ब्लाक कांग्रेस कमेटी इंडिया, सैदाबाद एवं धनूपुर के पदाधिकारियों से साक्षात्कार ।

१८- पूर्वोक्त ।

१९- कांस्टीच्यूशन आफ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, अनुच्छेद ३, पृ० १-२ ।

२०- भारतीय जनसंघ संविधान एवं नियम अनुच्छेद ८-१६ पृष्ठ ३-९ ।

२१- भारतीय लोकदल संविधान धारा ५, पृष्ठ १-२

२२- निर्वाचन कार्यालय, इलाहाबाद के अभिलेख से ।

२३- प्रतापपुर विकास खण्ड के कुछ ग्राम हँडिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित है ।

२४- १२ जून, १६७७ ई० के निर्वाचन के समय ।

२५- वही

२६- वही

२७- श्री सतीश चन्द्र मिश्र, महामंत्री से साक्षात्कार दिनांक ५-६-७६ तथा संगठन मंत्री श्री कैलाश शुक्ल से साक्षात्कार दिनांक ६-१०-७५ ।

२८- श्री कन्हैया लाल शर्मा, अध्यक्ष से साक्षात्कार दिनांक २०-६-७६ तथा महामंत्री श्री दीनानाथ पाण्डेय से साक्षात्कार दिनांक १०-६-७६ ।

२६- कांस्टीच्यूशन आफ दी आल इंडिया कांग्रेस, अनुच्छेद ८ (ब) पृष्ठ ८ ।

३०- क्षेत्र कांग्रेस कमेटियों के साक्षात्कार के आधार पर ।

३१- २२ अनुच्छेद ६ पृष्ठ ७ ।

३२- श्री रामसिंह अध्यापक, शिव उच्चतर इण्टरमीडिएट कालेज, कटरा, साक्षात्कार दिनांक २८-६-७६ ।

३३- रूल्स आफ इंडियन नेशनल कांग्रेस १(स) पृष्ठ १६ ।

३४- पूर्वोक्त ,पृष्ठ ३०-३१ ।

३५- २२ अनुच्छेद २७ (स्प) पृष्ठ २७ ।

३६- २६ अनुच्छेद १० (ब) के अधीन पृष्ठ १३ ।

३७- २२ अनुच्छेद ५ (ब-ह) पृष्ठ ५ ।

३८- श्री लालमणि मिश्र, कोषाध्यक्ष से साक्षात्कार दिनांक १८-६-१६७६ ।

३६- भारतीय जनसंघ संविधान एवं नियम पृष्ठ ३ ।

४०- भारतीय जनसंघ संविधान एवं नियम अनुच्छेद १५(४) ब के अन्तर्गत १(क) पृ० १२ ।

४१- ,, ,, ,, ३(क) पृ० १३ ।

४२- उपरोक्त ३(ड) ।

४३- श्री राजकिशोर मिश्र, मण्डल मंत्री हँडिया से साक्षात्कार दिनांक २०-७-७६ ।

४४- ३४ अनुच्छेद ६ (ग) पृ० ४ ।

४५- ३४ अनुच्छेद २२ पृष्ठ ११ ।

४६- श्री सुरेश चन्द्र मिश्र, मंत्री, हैदाबाद मण्डल समिति ,साक्षात्कार दिनांक १-८-७५

४७- भारतीय जनसंघ संविधान एवं नियम अनुच्छेद ५(१) पृष्ठ २ ।

४८- उपरोक्त अनुच्छेद ६ (क) पृष्ठ ३ ।

४९- भारतीय जनसंघ संविधान एवं नियम, अनुच्छेद ६ (ख) पृष्ठ ३

५०- श्री राम किशोर मिश्र, बीरापुर, क्वांयन, मंत्री, मण्डल समिति, सौंड्या, साक्षात्कार १६-२-७५ ।

५१- श्री विजय नारायण दुबे, कटरौरा, उपाध्यक्ष, मण्डल समिति, सौंड्या से साक्षात्कार दिनांक १८-८-१९७६ ।

५२- श्री कुंवर राजेन्द्र प्रताप सिंह ,जगदीपुर अध्यक्ष मण्डल समिति, मनुपुर, से साक्षात्कार दिनांक १४-६-१९७६ ।

५३- भारतीय जनसंघ संविधान एवं नियम अनुच्छेद १२ (क) पृष्ठ ५

५४- उपरोक्त , १२(ख) पृष्ठ ५ ।

५५- श्री विजय नारायण दुबे, कटरौरा, उपाध्यक्ष , मण्डल समिति, सौंड्या से साक्षात्कार दिनांक १८-८-१९७६ ।

५६- भारतीय जनसंघ संविधान एवं नियम अनुच्छेद १३ (घ) पृष्ठ ६ ।

५७- उपरोक्त अनुच्छेद ६ (ग) पृष्ठ ४ ।

५८- उपरोक्त अनुच्छेद १३ (च) पृष्ठ ६-७ ।

५९- भारतीय जनसंघ संविधान एवं नियम अनुच्छेद १८ पृष्ठ १० ।

६०- उपरोक्त, अनुच्छेद १५(४) के ख के अन्तर्गत २ (१) का पृष्ठ १२ ।

६१- उपरोक्त, अनुच्छेद १५ (४) ख के अन्तर्गत ५(ख) पृष्ठ १५ ।

६२- श्री कमलेश केशरवानी, हैदाबाद मण्डल समिति कोषाध्यक्ष से साक्षात्कार दिनांक १-८-१९७६ ।

६३- भारतीय जनसंघ संविधान एवं नियम ३(क) पृष्ठ १३ (अनुच्छेद १५(४) ख के अंतर्गत ।

६४- भारतीय लोकदल संविधान धारा ६ (ख) पृष्ठ २ ।

६५- उपरोक्त ६(ब) पृष्ठ २ ।

६६- उपरोक्त ६(स) पृष्ठ २ ।

६७- श्री काशीनाथ मौर्य, विचारी, साक्षात्कार दिनांक २०-८-७५ ।

६८- श्री बठईराम यादव विधायक, साक्षात्कार दिनांक २८-८-७६ ।

६९- भारतीय लोकदल संविधान धारा १८(ब) पृष्ठ ६ ।

७०- ,, ,, १६, सदस्यता शुल्क वितरण के आधार पर ।

७१- उपरोक्त धारा ११ पार्टी चुनाव (स) पृष्ठ ६ ।

७२- उपरोक्त धारा १३ के अनुसार पृष्ठ ७ ।

७३- उपरोक्त धारा २३, पृष्ठ १०-११ ।

७४- उपरोक्त , अनुच्छेद ७ (ब) पृष्ठ २ ।

७५- श्री जगनन्दन सिंह ,कोषाध्यक्ष से साक्षात्कार दिनांक १२-३-७५ ।

७६- भारतीय लोकदल संविधान धारा ७ (स) पृष्ठ ३ ।

७७- श्री रामरतन गायकवाड़,उपाध्यक्ष, सँड़िया के साक्षात्कार से दिनांक २०-८-७६।

७८- भारतीय लोकदल संविधान धारा २२(स) (द) पृष्ठ १०।

७९- उपरोक्त (य) पृ० १० ।

८०- भारतीय लोकदल संविधान धारा १६ पृष्ठ ६६ ।

८१- उपरोक्त धारा २१(ब) पृष्ठ १०।

८२- श्री जगनन्दन सिंह यादव, कोषाध्यक्ष, क्षेत्रीय कौंसिल , सँड़िया से साक्षात्कार दिनांक १२-३-१९७५ ।

८३- क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों के साक्षात्कार के आधार पर ।

८४- स० डुवरजर, पोलिटिकल पार्टीज, १९६५ पृ० ११० ।

८५- श्री फूलचन्द पाण्डेय, अतरौरा ग्राम प्रधान से साक्षात्कार दिनांक २१-६-७५ ।

८६- राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की निम्नतम इकाई जिसमें शारीरिक एवं मानसिक विकास की शिक्षायें राष्ट्रीय हित की दृष्टि से स्वयं सेवकों को दी जाती हैं । भारत सरकार ने ३० जून,१९७५ से २४ मार्च,१९७७ तक प्रतिबन्ध लगाया (आपातकाल में)

८७- श्री लक्ष्मीशंकर मिश्र, अतरौरा एवं श्री सतीश चन्द्र मिश्र, अतरौरा से साक्षात्कार

८८- श्री काशी नाथ मौर्य, अध्यक्ष एवं श्री जगनन्दन सिंह यादव, कोषाध्यक्ष से साक्षात्कार ।

८९- श्री शेषधर शुक्ल संगठन मंत्री, ब्लाक कांग्रेस कमेटी ,सँड़िया के साक्षात्कार से दिनांक ६-१०-७५ ।

९०- श्री सुरेशचन्द्र मिश्र, फैजाबाद मण्डल मंत्री से साक्षात्कार से दिनांक १-८-७६ ।

९१- एम० डुवरजर, पौलिटिकल पार्टीज़, १९६५ ,पृष्ठ ११४।

९२- वही, पृ० १०७ ।

९३- वही, पृ० १०९ ।

९४- रूल्स आफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मिसलेनियस ८ पृष्ठ ३१ ।

९५- उपरोक्त, मिसलेनियस ९, पृष्ठ ३१ ।

९६- एम० डुवरजर, पौलिटिकल पार्टीज़, १९६५ ,पृष्ठ ३१ ।

९७- श्री सतीश चन्द्र मिश्र, महामंत्री युवक कांग्रेस-इलाहाबाद से साक्षात्कार दिनांक ७-१०-७६ ।

९८- श्री विश्वनाथ पाण्डेय, अध्यापक उक्त विद्यालय एवं प्रत्यक्षदर्शी ।

९९- भारतीय जनसंघ संविधान एवं नियम, अनुच्छेद १४(क) ४-५ पृष्ठ ७ ।

१००- उपरोक्त, अनुच्छेद १४ (घ) पृष्ठ ८ ।

१०१- रजनी कोठारी एवं सदरलैण्ड बरवर, अपोजिशन इन ए डामिनेण्ट पार्टी सिस्टम,पृ०९४

१०२- भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश, उद्देश्य व कार्यक्रम स्वदेश प्रेस, राजेन्द्र नगर (पूर्व) लखनऊ +,मुख पृष्ठ ।

१०३- भारतीय लोकदल, संविधान धारा ५ (ए) पृष्ठ २ ।

१०४- कांस्टीच्यूशन आफ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, अनुच्छेद १५, पृ० १५ ।

१०५- उपरोक्त, अनुच्छेद २५(ब) पृष्ठ २४ ।

१०६- उपरोक्त, अनुच्छेद २५(ब) पृष्ठ २४-२५ ।

१०७- रूल्स आफ इंडियन नेशनल कांग्रेस,अनुच्छेद १२(ब) उप खण्ड (द) के अधीन १-४ पृष्ठ १४ ।

१०८- भारतीय जनसंघ संविधान एवं नियम अनुच्छेद १६, पृष्ठ ९ ।

१०९- उपरोक्त, नियम ४ (ड) पृष्ठ १४ ।

११०- श्री जटाशंकर पाण्डेय अकुनपट्टी ,सदस्य चुनाव संचालन समिति, सोंड़िया, से साक्षात्कार दिनांक ७-१०-७६ ।

१११- भारतीय लोकदल संविधान धारा १३ ब, द, य, पृष्ठ ७ ।

११२- उपरोक्त, धारा १६, अ, ब , स ।

११३- एम० डुवरजर, पौलिटिकल पार्टीज़ , १९६५ पृष्ठ ५१ ।

११४- एम० डुवर्जर, पोलिटिकल पार्टीज़, १९६५ पृष्ठ ४१५ ।

११५- एस० जे० एल्डर्सवेल्ड, पोलिटिकल पार्टीज़ ए बिहेवियरल एनालिसिस, १९७१, पृष्ठ ४३२ ।

११६- श्री सतीश चन्द्र मिश्र, महामंत्री, ब्लाक कांग्रेस कमेटी, सैड़िया से साक्षात्कार

११७- श्री सुरेश चन्द्र मिश्र, मण्डल मंत्री, फैजाबाद, साक्षात्कार ।

११८- कांस्टीच्यूशन आफ़ आल इंडिया नेशनल कांग्रेस, अनुच्छेद १९(ब) पृष्ठ २० ।

११९- भारतीय जनसंघ संविधान एवं नियम, अनुच्छेद १९ पृष्ठ १० ।

१२०- साक्षात्कार के आधार पर ।

१२१- श्री जनानन्दन सिंह , कोषाध्यक्ष

१२२- श्री सतीश चन्द्र मिश्र, महामंत्री, ब्लाक कांग्रेस कमेटी, सैदि.ा ।

अध्याय - ४

नेतृत्व

राज्य की इच्छाओं की पूर्ति का वैध साधन सरकार है । सरकार का साकार रूप व्यवस्थापिका, कार्यकापालिका तथा न्याय पालिका में लगे हुए, मानव या मानव समूहों से प्रकट होता है । ऐसे मानव या मानव समूह सदा प्रत्येक राज्य में सरकार के दायित्वों का भार ग्रहण करने तथा उनका निर्वाह करने के लिए निरंतर निर्मित, विकसित एवं समर्पित होते रहते हैं ।

उपरोक्त प्रक्रिया लोकतांत्रिक राज्यों में द्रुतगति से और व्यापक स्तर पर होती है जिसका प्रणेता, परिणाम एवं बीज नेता है । नेता एक पद है जो एक या अनेक मानव समूहों द्वारा निश्चित परिस्थिति एवं क्षेत्र में किसी विशिष्ट उद्देश्य से व्यक्ति को सावधि प्रदान किया जाता है । नेता पद प्राप्त करनेवाला व्यक्ति जो भूमिका इसके बदले में निभाता है वही नेतृत्व है । नेतृत्व एक व्यक्ति और समूह के साथ कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के हित में स्थापित संबंध है[1]। नेतृत्व का क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आदि हो सकता है और विस्तार परिवार से राष्ट्र तक हो सकता है तथा साथ ही साथ न्यूनतम से अधिकतम हो सकता है । सँड़िला विधान सभा क्षेत्र के राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व की तीव्रता कितनी है ? यही विचारणीय प्रश्न है । राजनीतिक नेता वह है जो कि सत्ता का ग्राहक है, जिस समाज में उत्पन्न हुआ है उसमें सत्ता की संस्थाओं की खोज करता है और सरकार को हस्तगत एवं उसके उपयोग करने में लगा रहता है ।[2] राजनीतिक दल का सब से अधिक उपयोग राजनीतिक नेताओं में शासन सूत्र सँभालने की कला एवं क्षमता का विकास करने में होता है । जो व्यक्ति किसी भी जन समूह के हितों, मूल्यों एवं मतों की अभिव्यक्ति के निमित्त सत्ता, विचारधारा तथा मानवता के प्रति सचेष्ट, प्रयत्नशील एवं संघर्षरत दिखलायी देता है वह नेता पद का उपयुक्त पात्र है । राजनीतिक नेता को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए

कुछ अनिवार्यता है जैसे :- व्यक्तिगत आवश्यक गुण, अनुगामियों का समूह, अनुगामियों का विश्वास एवं अनुकूलता, विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित परिस्थितियां या परिवेश ; निर्धारित क्षेत्र और समय की पुकार । उपरोक्त सार अनिवार्य तत्वों में किसी एक का अभाव पद प्राप्ति में बाधक सिद्ध होगा । इन तत्वों की उपस्थिति में भी इनके अंशों की विद्यमानता में विभिन्नता होने के कारण नेतृत्व का स्थायित्व प्रभावित होता है । राजनीतिक दल का संघर्ष काल में जो नेता है वह शांति काल में भी हो यह आवश्यक नहीं, जो ग्राम स्तर का हो वह विकास खण्ड स्तर का भी हो यह आवश्यक नहीं ; जो राजनीतिक दल के अन्दर एक गुट का नेता हो वही सभी गुटों का हो यह संभव नहीं ; जो एक राजनीतिक दल का नेता हो वही दूसरे दल का भी नेता हो सके यह संभव नहीं , " एक नेता जिसकी प्रशस्ति उसके दल के बाहर तक बढ़ जाती है और जो अपने दल के ऊपर मान्यता के लिए अवलम्बित नहीं है, सरलता से दल का त्याग कर सकता है जो पूंजी पतियों का नेता हो वही श्रमिकों का भी नेता हो यह संभव नहीं ।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि नेतृत्व की भूमिका एक निश्चित स्थिति में ही निभायी जाती है जो सातों अनिवार्यताओं का सुपरिणाम होता है , जब तक निश्चित स्थिति स्थिर है तब तक ही नेतृत्व भी स्थिर है और परिवर्तन होने पर नेता का परिवर्तन अवश्यम्भावी है ।

सन् १९५२ ई० से १९६२ ई० तक जिस कांग्रेस ने श्री महावीर प्रसाद शुक्ल को विधायक प्रत्याशी बनाया था और विजयी हुए थे उन्हें ही १९६२ के सामान्य निर्वाचन में प्रत्याशिता ही नहीं सुलभ हुई । जो श्री बलदेराम यादव सन् १९६७-६९ तक इसी क्षेत्र से विधायक रहे वही सन् १९६९ में सजातीय प्रतिद्वन्दी के कारण पराजित हो गये । भारतीय जनसंघ के जिस विधायक प्रत्याशी श्री राम रेखा सिंह निर्भीक " को सन् १९६९ के निर्वाचन में २९९२ मत मिले उन्हें ही १९७४ के निर्वाचन में १२१३४ मत प्राप्त हुए ।[४]

इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि नेतृत्व की तीव्रता निश्चित स्थिति परिवर्तन से घटती एवं बढ़ती रहती है जो सिद्ध करता है कि नेतृत्व गतिशील है । राजनीतिक दल के अन्तर्गत एक ही व्यक्ति समर्थक, सदस्य,

पदाधिकारी एवं नेताकी भूमिकायें निश्चित स्थिति में करता है । अपने अनुयायियों का नेतृत्व भी वही व्यक्ति करता है । प्रस्तुत अध्याय में राजनीतिक नेता के लक्षण, आवश्यक गुण, कार्य एवं उद्देश्यों की ही मात्र मिल सकेगी क्योंकि दल के संगठन में सदस्य से पदाधिकारी तक विवरण दिया जा चुका है और इसमें नेता का संक्षिप्त विवरण मिल जाने से संगठन पूर्ण हो जायेगा ।

राजनीतिक नेता राजनीतिक दल का हृदय एवं मस्तिष्क दोनों है । हृदय के रूप में वह पोषक तत्वों को शरीर के समस्त भागों तक पहुंचाता है और मस्तिष्क इसलिए है कि समस्त क्रियाओं का उद्देश्य, ढंग, मूल्य एवं आधार इससे ही नियंत्रित होता है । समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की परिकल्पना से अनेक प्रकार के नेता गण सक्रिय दिखलायी देते हैं किन्तु वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक नेता सभी उपग्रहीय नेताओं का केन्द्रीय ग्रह है ।

राजनीतिक नेता के लक्षण :

इन लक्षणों से हम किसी भी व्यक्ति के विषय में यह निर्णय कर सकेंगे कि क्या वह राजनीतिक नेता है

(१) नेता सदैव जनसमूह से घिरा रहता है और अपने अनुयायियों के राजनीतिक विचारों का प्रवर्तक एवं निष्ठा केन्द्र होता है ।

(२) वह राजनीतिक विषयों पर अधिक भाषण, वाद-विवाद करता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य विषयों की चर्चा में वह मूक श्रोता हो, अपितु उसके सभी वार्तालापों का केन्द्र राजनीतिक समस्यायें ही होती हैं ।

(३) वह राजनीतिक दल या संस्थाओं या आनुषंगिक संगठनों में पदाधिकारी हो या रहा हो या बनने के लिए प्रयत्नशील हो ।

(४) वह व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान की परिधि से ऊपर उठकर सार्वजनिक समस्याओं के समाधान में व्यस्त हो ।

(५) वह अपने अन्तःकरण में राजनीतिक दल एवं महापुरुषों को उत्कृष्ट महत्व प्रदान कर उनके प्रति निष्ठा प्रदर्शित करता हो किन्तु समन्वयात्मक

ने कहा है कि दल के साधारण कर्मियों में नेताओं की अपेक्षा अनन्य दलीय निष्ठा होती है, परन्तु वह उनका चित्र प्रस्तुत करता है जो स्वार्थ निष्ठ होते हैं ।[५]

(६) वह आत्म प्रदर्शन के अवसरों एवं माध्यमों को अधिक खोज तथा उपयोग करता हो अर्थात् जनसमूह के समक्ष उपस्थित होने, संचार साधनों में अपने नाम एवं काम के प्रचार के प्रति निरन्तर चैतन्य बना रहे ।

(७) वह अपने दल द्वारा निर्धारित वस्त्र धारण करता हो, विशेष कर कुर्ता, धोती या पाजामा ।

उपरोक्त सभी लक्षणों की उपस्थिति में ही किसी व्यक्ति के लिए " राजनीतिक नेता " का सामाजिक पद-प्रतिष्ठा का सूचक शब्द प्रयुक्त करना चाहिए । इन्हीं लक्षणों के आधार पर " झाँसी " विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ राजनीतिक नेताओं से साक्षात्कार किया गया ।

प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना नेता है क्योंकि वह अपने हितों, मूल्यों एवं विश्वासों के प्रति सतत क्रियाशील रहकर समस्याओं को सुलझाते हुए उन्नति के प्रति सचेष्ट एवं प्रयत्नशील रहता है । जिस व्यक्ति में यह व्यक्तिगत क्षमता एवं शक्ति अधिक हो जाती है वह अन्य व्यक्तियों को भी अपने " स्व " के क्षेत्र में आकर्षित, समायोजित एवं समाविष्ट करने लगता है ।" स्व " की परिधि जितनी ही विस्तृत होती जायेगी उतना ही नेतृत्व विकसित होता जायेगा । क्या " स्व " की समाप्ति में भी नेतृत्व की भूमिका संपन्न हो सकती है ? ऐसा संभव नहीं प्रतीत होता, यह तो उसी प्रकार असंभव है जैसे व्यष्टि के अभाव में समष्टि का बोध ।

" नेता में किन- किन विशेषताओं का होना आवश्यक है ?" के उत्तर में स्वयं नेताओं ने जो उत्तर दिया उनको तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है प्रथम - व्यक्तिगत, द्वितीय सामाजिक एवं तृतीय राजनीतिक विशेषतायें हैं ।

व्यक्तिगत विशेषताओं में नेता को कुशल वक्ता, चरित्रवान, सरलचित्त, कर्मठ, कुशाग्र बुद्धि, मृदु भाषी, धैर्यवान, साहसी, निर्भीक, सत्यवादी सुशिक्षित , दूरगामी सोचने का मादा , पवित्र जीवनवाला, स्वार्थ त्यागी, गरिमा

मय व्यक्तित्व वाला बताया गया ।

सामाजिक विशेषताओं में जनता का विश्वास पात्र होना, समाज सेवा में रुचि लेना, अनुग्रही होना, सहिष्णु होना, न्यायप्रिय होना, ईमानदार होना ।

राजनीतिक गुणों में दल के प्रति निष्ठा, जनसंपर्क, विश्व बन्धुत्व की भावना, देश विदेश की घटनाओं की सही जानकारी, जन समस्याओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व, आदर्शों के प्रति अटूट निष्ठा शक्तिशाली, प्रचार संबंधी आर्थिक एवं साधन संपन्नता, लोकसंग्रह प्रवृत्ति और संगठन कुशलता बताया ।

उपरोक्त विशेषताओं में सर्वाधिक बल चरित्र पर दिया गया, फिर क्रमश: समाज सेवा एवं कुशल वक्तव्य पर और ईमानदारी, जन सम्पर्क भावना, सरल चित्तवृत्ति, कुशाग्र बुद्धिता, साहस, स्व का लोप एवं कठिनाईयों को दूर करने में सहायक पर समान बल दिया गया । उपरोक्त विशेषताओं में वंशानुगत तथा समाज द्वारा अर्जित दोनों प्रकार की विशेषतायें सम्मिलित है ।

राजनीतिक दल के नेता में दल के लक्ष्यों का ज्ञान, उसके अनुकूल विचारधारा, प्रेरणायें, भूमिकायें, राजनीतिक वातावरण एवं पूर्ति के लिए व्यूह रचना की कला का होना नितान्त आवश्यक है । स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में "वे भीषण की पूजा करते हैं और संकटों में ही जीवित रहना उन्हें प्रिय है । स्नायुओं में यौवन की जोशीली शक्ति तथा नेत्रों में आदर्शवाद की चमक लिए हुए सम्मोहनों एवं प्रतिकूलताओं के सभी तूफानों में सुस्थिर अविचल खड़े हुए और अपने चारों ओर प्रेरणा की किरणें विकीर्ण करते हुए वे विजयिष्णु भाव से आगे और आगे बढ़ते जाते हैं तथा जब तक उन्हें अपने स्वप्नों का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है एक के बाद दूसरी सफलता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते ही जाते हैं ।"[८] एक ध्येय निष्ठ नेता का चित्र प्रस्तुत होता है ।

"किन परिस्थितियों ने आपको राजनीति में ला दिया ?" के उत्तर में स्थानीय नेताओं ने जो विवरण दिये उनमें से कुछ को उन्हीं के शब्दों में प्रकट कर रहा हूं ।

सेठ रामकिशनदास परसराम पुरिया नेशनल इण्टर कालेज, रसड़ा में हाई स्कूल का छात्र था, उस समय विद्यालय में "विद्यार्थी संघ" नाम की एक संस्था थी जिसका प्रत्येक सप्ताह में कोई न कोई कार्यक्रम जैसे वाद-विवाद, गीत प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता आदि होता रहता था। मैंने वाद-विवाद में भाग लिया है और अच्छा भाषण देने के कारण अध्यापकों द्वारा मैं प्रशंसा का पात्र बना। फिर क्या था अनवरत भाग लेने लगा और उस विद्यार्थी संघ का कालान्तर में अध्यक्ष भी निर्वाचित हुआ। सन् १९५२ ई० के सामान्य निर्वाचन में श्री महावीर प्रसाद शुक्ल कांग्रेस विधायक प्रत्याशी के पक्ष में सक्रिय कार्य किया और उन्हें सफलता मिल जाने से उनकी प्रेरणा से सदैव राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने लगा, इस समय मैं एक इण्टर कालेज का प्राचार्य हूँ और जिला परिषद् का सदस्य भी हूँ।" उपरोक्त विवरण श्री दीनानाथ शुक्ल बहुआ ने दिया।

" मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में बी० काम० का छात्र रहा, उसी समय तत्कालीन राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने शिक्षा से संबंधित एक अध्यादेश निकाला। मैंने अच्छे ढंग से उस अध्यादेश के विरोध में तैयारी करके विश्वविद्यालय के यूनियन हाल में भाषण दिया। मित्रों ने मेरी काफी प्रशंसा की। श्री शालिग्राम जायसवाल विरोधी दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे मेरे मित्रों ने मुझसे उनके पक्ष में भाषण दिलाया तथा मालाओं से गला भर दिया। वहीं पर मैंने देखा कि जिलाधीश भी नेताओं को सम्मान देने के लिए खड़ा था। इससे मैं जिलाधीश बनने का उद्देश्य छोड़कर राजनीतिक नेता बनने की ओर मुड़ गया।

उपरोक्त विवरण श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी ने दिया जो कि जिला कांग्रेस कमेटी, भारतीय लोक सेवा दल तथा उत्तर प्रदेश सरकारी संघ के अनेक पदों पर रह चुके हैं और इस समय तदर्थ जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री पद पर हैं।

"मेरे बड़े भाई श्री महादेव प्रसाद शुक्ल सन् १९१८ के माघ मेला में आये थे और पिता जी के आदेशानुसार कांग्रेस के एक सम्मेलन में सम्मिलित हुए। वहाँ से स्वराज्य से संबंधित प्रस्तावों की चर्चा वाले पत्रक घर पर ले गये, उन्हें पढ़कर

में प्रभावित हुआ और १ अगस्त, १६२० को कक्षा ५ के छात्र होते हुए भी श्री लोक मान्य तिलक की शोक सभा में भाषण दिया । २८ दिसम्बर सन् १६२० ई० को मेरे कक्षाध्यापक श्री पं० ब्रह्मदीन पाठक महात्मा गांधी की सभा में सम्मिलित होने के लिए प्रयाग आये ।

२ जनवरी, १६२१ को कक्षा में श्री पाठक जी ने समस्त छात्रों से महात्मागांधी के असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रमों की चर्चा की और कार्यक्रम को अपनाने वाले छात्रों का आवाहन किया । अकेला मैं ही खड़ा हुआ । सन् १६२१ में पंडित जवाहर लाल नेहरू , श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री कपिलदेव मालवीय आदि की सभा सिरसा बाजार में हुई उसमें कक्षा छोड़कर सम्मिलित हुआ," उपरोक्त विवरण श्री महावीर प्रसाद शुक्ल ने दिया जो कि सन् १६५२-६२ ई० तक हंडिया विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस दल के विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में उपराज्य स्वमंत्री और १४ वर्षों तक कांग्रेस दल से राज्य सभा के सदस्य, पदों को सुशोभित कर चुके हैं।

मैं लाला रामलाल कालेज , सिरसा में विद्यार्थी था । मेरे साथ श्री वामनदास केसरी भी पढ़ते और रहते थे । दोनों एक दूसरे के मित्र थे । श्री केसरी को श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र से जो कि एक आदर्श अध्यापक थे प्रेरणा मिली थी । श्री केसरी के साथ साथ रहने से मैं भी प्रभावित हुआ और खद्दर पहनना प्रारंभ कर दिया । सन् १६४४ ई० में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से, हम दोनों मित्रों ने अष्टभुजी मंदिर पर भेंट की जहां पर देखा कि वह बैठे सूत भी कात रहे थे । फिर नेताओं के भाषणों को सुनने जाने लगा, कांग्रेस का सदस्य बन गया ।" उपरोक्त विवरण श्री राजाराम त्रिपाठी ने दिया जो कि इस समय एक विद्यालय में प्राचार्य पद पर हैं और १६६२ ई० में भारतीय जनसंघ की ओर से विधायक प्रत्याशी भी इस क्षेत्र से रहे ।

" मेरे पूर्वज प्रताप गढ़ से आकर करुवाडीह ग्राम में बसे थे । स्थानीय ज़मीन्दार ने मेरी पुस्तैनी बाग को हड़पने का प्रयास किया और साथ-साथ मकान पर भी आक्रमण किया । जमींदार का अत्याचार इतना बढ़ा कि परिवारवाले परेशान हो गये क्योंकि उसने उत्पीड़न के अनेक साधनों का प्रयोग करना प्रारंभ किया ।

मैं उस समय छात्र था । गांव के लोगों को संगठित करके, जमींदार का विरोध, अपनी आत्म रक्षा के भाव से किया। फलस्वरूप उसकी गतिविधियां रुकी और मेरी जायदाद भी वापस मिल गई । उसी समय से राजनीति की ओर प्रेरित हुआ,' उपरोक्त विवरण श्री श्रीनाथ द्विवेदी संगठन मंत्री, भारतीय जनसंघ ने दिया ।

सन् १९४२ ई० में मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में छात्र था । महात्मा गांधी के करो या मरो के नारे के साथ विश्वविद्यालय से एक जुलूस उठा । इस जुलूस में मैं भी सम्मिलित था । लड़कियां झण्डे लिए आगे चल रही थी और जुलूस जिला कचहरी की ओर चल रहा था । पुलिस के आतंक से लड़कियां कुछ घबरा सी रही थी कि इसका आभास करते एक सुन्दर तरुण श्री लाल पद्मधर सिंह आगे बढ़ा और लड़कियों के आगे आगे चलने लगा । ज्यों ही जुलूस जिलाधीश के बंगले पर पहुंचा, पुलिस ने गोलियां चलायी और लाल पद्मधर सिंह शहीद हो गये, इसका मेरे ऊपर अधिक प्रभाव पड़ा फिर राजनीति में सक्रिय हो गया ।' उपरोक्त विवरण श्री रूपनाथ सिंह यादव , एडवोकेट ने दिया जो कि जिला परिषद्, विधान सभा के सदस्य रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे और समाजवादी, संयुक्त समाजवादी तथा भारतीय लोकदल के संगठन में जिला के पदाधिकारी भी रह चुके हैं ।

उपरोक्त विवरणों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि नेतृत्व की भूमिका चार चरणों में पूर्ण होती है :

(१) राजनीतिक अनुस्थिति ज्ञान (Political Orientation) :

राजनीतिक अनुस्थिति ज्ञान नेतृत्व का प्रथम चरण है, इसमें व्यक्ति अपने चारों ओर के उपस्थित वातावरण में से केवल राजनीतिक आकर्षणों के प्रति चैतन्यपूर्ण ढंग से आकर्षित होता है । इस आकर्षण के कारक के रूप में प्रभुत्व, प्रतिष्ठा और सत्ता के विस्तार परिणाम होते हैं । प्रत्येक व्यक्ति जिस स्थान पर निवास, प्रवास एवं कार्य करता है उसके उस परिवेश में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक अभिक्रियायें सतत मन्थर अथवा त्वरित गति से होती रहती हैं, किन्तु उसका ध्यान उन सब की ओर एक साथ ही आकर्षित नहीं होता । जिस समय व्यक्ति उपस्थित उत्तेजकों से अपना सचेतन संबंध स्थापित करके उसकी ओर उन्मुख होता है उसी स्थिति को अनुस्थिति ज्ञान कहते हैं ।[६]

यदि यह उपेक्षक राजनीतिक प्रकृति का है तो उसको राजनीतिक अनुस्थिति ज्ञान कहेंगे । जैसा कि प्राय: दिखलायी देता है कि एक समान परिस्थिति एवं परिवेश में रहनेवाले व्यक्तियों में राजनीतिक अनुस्थिति ज्ञान असमान अंशों में होता है या बिल्कुल नहीं भी होता है । जो नागरिक राजनीतिक नेता का पद प्राप्त करना चाहता है उसके अन्दर इस से पहले राजनीतिक अनुस्थिति ज्ञान होना अनिवार्य प्रथम चरण है ।

इंडियाना विधान सभा क्षेत्र के राजनीतिक नेताओं का राजनीतिक अनुस्थिति ज्ञान स्थल एवं कारक ४ प्रतिशत परिवार, १७ प्रतिशत विद्यालय, ८ प्रतिशत मित्र, १७ प्रतिशत सभायें ; १७ प्रतिशत आन्दोलन, १२.५ प्रतिशत साहित्य, १२.५ प्रतिशत नेताओं से संपर्क एवं १२.५ प्रतिशत स्वयं पर हुए अत्याचार रहे । राजनीतिक अनुस्थिति ज्ञान जो कि राज्य के नागरिकों में प्राय: चुनाव, विशेष राजनीतिक घटना जैसे नेता का अभ्युदय, पराजय, मृत्यु, यात्रा, हत्या आदि से क्षणिक होता है और फिर सक्रियता न उत्पन्न कर सका तब व्यक्ति आगे की ओर नहीं बढ़ सकता । जो राजनीतिक अनुस्थिति ज्ञान के उपेक्षक हैं वे ही राजनीतिक समाजीकरण के अभिकर्ता हैं जैसे परिवार का सदस्य, विद्यालय का अध्यापक, मित्र, राजनीतिक नेता आदि । राजनीतिक अनुस्थिति ज्ञान के लिए राजनीतिक बल एक विशेष विरोधी क्रम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है ।[१०]

(२) राजनीतिक अन्तर्ग्रस्तता : (Political Involvement) :

राजनीतिक अनुस्थिति ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए व्यक्ति को उसके कारकों के प्रति रुचि लेकर भाग ग्रहण करना आवश्यक है । इसी भाग ग्रहण करने की दशा को राजनीतिक अन्तर्ग्रस्तता कहते हैं । राबर्ट डहल ने राजनीतिक अभिग्रस्तता के छ: कारण निरूपित किया है ।[११] १- राजनीति से प्राप्त होनेवाले पारितोषिकों का मूल्यांकन अधिकतर हो २- संभावित विकल्पों में राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो ३- राजनीतिक परिणामों में परिवर्तन कर सकने का अधिकतर विश्वास हो ४- यदि कार्य न किये गये तो अधिकतर असंतोषप्रद परिणाम के विश्वास हो ५- तत्कालीन प्रश्न पर उसके अन्दर अधिकतर ज्ञान या कुशलता हो । ६- कार्य करने के लिए अवरोधों पर विजय प्राप्त कर सकता हो । उपरोक्त कारकों

से ही कोई व्यक्ति राजनीति में अधिक स्थिर परायण, संकुचित, प्रतिबद्ध और
सक्रिय रहता है ।

संख्या विधान तथा क्षेत्र के राजनीतिक नेताओं की
राजनीतिक अन्तर्ग्रस्तता का कारक 'नेता का जिलाधीश से अधिक सम्मान' भारत को
अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने का विश्वास' 'यदि पराधीनता से मुक्ति का
प्रयास नहीं किया जाता तो अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ते जायेंगे,' 'यदि ग्राम के त्रस्त
व्यक्तियों को संगठित करके जमींदार विरोध न किया जाता तो पुश्तैनी बाग व मकान
न वापस होता', 'राजनीतिक दल से सहायता न की होती तो मेरा मकान मेरे
हाथ से निकल जाता' आदि तथ्य उपरोक्त अन्तर्ग्रस्तता के कारणों का प्रमाण प्रस्तुत
कर देते हैं ।[१२] ये कारक व्यक्तिगत और सार्वजनिक मांगों या आवश्यकताओं के पूर्ति
से संबंधित होते हैं ।

जब मैंने नेताओं से यह प्रश्न किया कि 'यदि आप कल
राजनीति करना बन्द कर दें तो आपकी कौन-कौन सी हानियाँ होंगी' के उत्तर में
४४ प्रतिशत नेताओं ने 'कोई हानि नहीं होगी' तथा शेष ५६ प्रतिशत नेताओं ने
'देश का अहित होगा', 'मानसिक अशान्ति पैदा होगी', 'मानसिक रोग उत्पन्न होगा
मेरी मानसिक दशा में उदासीनता आ जायेगी', 'बिना काम के हो जायेंगे,[१३]
'सीमित रूप का भाव प्रभावी हो जायेगा', 'जनता का अहित होगा', 'देश सेवा नहीं
हो सकेगी,' 'आत्मा को शान्ति एवं संतोष नहीं मिलेगा' आदि शब्दों से अपनी
अपनी हानियों की रूपरेखा को प्रस्तुत किया ।

इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक अन्तर्ग्रस्तता
व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति की सर्वोत्कृष्ट, शक्तिशाली, आदरणीय एवं
सुखदायक अभिक्रिया है । यह राजनीतिक अन्तर्ग्रस्तता व्यक्ति के अन्दर अधिक अंशों
में हो इस दिशा की ओर उसका ध्यान केन्द्रित होता है । यहीं से तृतीय चरण
प्रारंभ होता है ।

(३) राजनीतिक आदर्शीकरण (Political Idealization) :

राजनीतिक अनुस्थिति ज्ञान एवं अन्तर्ग्रस्तता के पश्चात्
व्यक्ति स्वयं को उस परिस्थिति में दूसरों के लिए अनुकरणीय बनाने की ओर

सचेष्ट एवं अग्रसर होता है जिसे मैं राजनीतिक आदर्शीकरण कहता हूँ इस स्थिति में व्यक्ति दल के सिद्धान्तों, नीतियों एवं मूल्यों को अपने व्यावहारिक जीवन में अंगीकार करता है तथा तत्कालीन समस्याओं के लिए उपयुक्तातम समाधानों का चिन्तन करता है । इस चरण में व्यक्ति स्थूल से सूक्ष्म की ओर अपने को तत्पर करता है । राजनीतिक दल राजनीतिक आदर्शीकरण के लिए पर्याप्त अवसर अनेक रूपों में देते हैं । समस्या का सर्वाधिक समाधान जो अन्यों के लिए सुख दायक आकर्षक एवं अनुकरणीय हो वही आदर्श है किन्तु इतने पर भी यह दिखाई देता है कि एक ही दल के समान स्तरवाले नेताओं का राजनीतिक आदर्शीकरण समान न होने पर अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करता है जिससे विषमता अधिक हो जाती है । इंडिया विधान सभा क्षेत्र के नेताओं के राजनीतिक आदर्शीकरण के कुछ पक्षों का अवलोकन समीचीन होगा ।

' राजनीतिज्ञों के लिए पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण हो तो कैसा रहेगा ? के उत्तर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, संगठन कांग्रेस, मुस्लिम मजलिस एवं भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने एक ही स्वर में " बहुत अच्छा होगा " उत्तर दिया । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक आदर्शीकरण का अभाव सभी अनुभव कर रहे हैं । यह पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कैसा हो इस पर स्वयं एक शोध लिखा जाना चाहिए । पाठ्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक , सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य लोकोपयोगी मूल्यों, संस्थाओं एवं अभिकरणों का देश की राजनीतिक प्रणाली के साथ साथ अन्य प्रणालियों का ज्ञान करानेवाला होना चाहिए ।

प्रशिक्षण में ज्ञान को कर्म रूप प्रदान करने की मनोवृत्ति एवं कुशलता और परिस्थितियों तथा समस्याओं के समाधान की युक्ति संगत कलाओं का विकास होना चाहिए । इस पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण से वांछित राजनीतिक सामाजीकरण हो सकेगा । एक ओर राजनीतिक नेता जहाँ अपने लिए आदर्शीकरण के निमित्त पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता का अनुभव करते हैं वहीं पर देश के नागरिकों के लिए भी ऐसा ही है ।

' सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों का

ज्ञान कैसे कराया जाना चाहिए ? के उत्तर में 'शिक्षण', 'प्रशिक्षण', 'अधिकारों के उपयोग पर छूट तथा कर्तव्यों की अवहेलना पर दण्ड' 'नौकरशाही की कमजोरी दूर करके', 'आदर्श प्रस्तुत करके', 'आर्थिक सुधार', 'आदर्श युक्त प्रशासन एवं प्रतिनिधित्व' आदि उपायों की ओर संकेत किया गया । इनसे भी यह तथ्य प्रकट हो जाता है कि आदर्श शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रशासन, आर्थिक स्थिति एवं प्रतिनिधित्व के अभाव में कर्तव्यों एवं अधिकारों का ज्ञान ही नहीं हो सकता । अतः राजनीतिक आदर्शीकरण में व्यक्ति को अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों से संबंधित आदर्शों का स्वयं को ज्ञान हो जाता है और इस ज्ञान की उपस्थिति का अनुभव संपर्क में आनेवाले व्यक्तियों को भी होने लगता है जो कि सम्मान, प्रशंसा, अनुमोदन अनुसरण, अनुगमन, सहयोग, भक्ति आदि माध्यमों से सन्निकट रहकर प्रकट किया जाता है ।

नेताओं ने कर्तव्यों एवं अधिकारों का ज्ञान कराने का दायित्व शिक्षण संस्थाओं, प्रशासनिक कर्मचारियों एवं राजनीतिक दल के ऊपर सौंपा और इसके निर्वाहन के लिए अनिवार्य समाज शिक्षा, ग्राम स्तर पर विचार विमर्श गोष्ठियां, छोटी छोटी जन सभाएं; दल गत भावनाओं से ऊपर उठकर लिखे गये साहित्यों का सस्ता एवं सर्व सुलभ प्रकाशन, प्रत्येक ग्राम में सार्वजनिक वाचनालय एवं पुस्तकालय, द्रुतगामी संचार साधनों की व्यवस्था की अपेक्षा की ।

इन तथ्यों से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि यदि व्यक्ति स्वयं अपना आदर्शीकरण कर ले और समाज हित, राष्ट्र हित एवं विश्वहित के लिए उसका अपने व्यवहारों से प्रकटीकरण अवश्य करें अन्यथा राजनीतिक समाजीकरण की गति शून्य की ओर मुड़ जायेगी ।

(४) राजनीतिक प्रव्यंजना (Political Manifestation) :

यह राजनीतिक नेतृत्व का अन्तिम एवं चतुर्थ चरण है । जो कि समूह के साथ स्थापित संबंध को स्वरूप प्रदान करता है । प्रायः इसी चरण को ही नेतृत्व बोधक समझा जाता है । इसमें नेता सभा में भाषणकर्ता, राजनीतिक संस्थाओं में भाषण, वाद-विवाद, आलोचना, सुझाव का भागीदार

प्रदर्शन, घेराव, सत्याग्रह में सब से दो पद आगे ; समस्याओं के समाधान का केन्द्र ; समाचार संचार साधनों के अधिकाधिक प्रयोगकर्ता, राजनीतिक दल की नीतियों, विचार धाराओं एवं कार्यक्रमों के नियोजन तथा निर्धारक;गुट, वर्ग, दल एवं जनता के हितों के प्रहरी ; जनता के प्रतिनिधि एवं राज्य के प्रतिनिधि के रूपों में अपने को प्रकाशित करता है । राजनीतिक प्रव्यंजना वह अभिक्रिया है जो अन्तर्निहित आदर्शों को प्रकाशित करती है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने को समाज का द्रष्टा, विश्वासों, मूल्यों एवं हितों का प्रतीक एवं उज्ज्वल तथा युग का द्रष्टा सिद्ध करना होता है ।

राजनीतिक दल अपने संगठन में सदस्यों को पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं नेता बनने का अवसर देते हैं । नेता को अपने नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए राजनीतिक वस्तुस्थिति ज्ञान, राजनीतिक अभिग्रस्तता, राजनीतिक आदर्शीकरण एवं राजनीतिक प्रव्यंजना के अनिवार्य चरणों पर चलना पड़ता है । यदि एक भी चरण दोष युक्त है तो नेतृत्व दोष पूर्ण हो जायेगा ।

नेतृत्व की प्रकृति

राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है प्रथम लोकतांत्रिक तथा द्वितीय प्राधिकारिवादी ।

लोकतांत्रिक नेतृत्व :

लोकतांत्रिक नेतृत्व में "अहं" भाव शून्य के समीप होता है जिसके कारण समूह या दल के उद्देश्यों एवं नीतियों आदि का निर्धारण "सामूहिक इच्छा" के अनुरूप होता है । इसमें नेता अपने दायित्वों को विकेन्द्रित करने की चेष्टा करता है । वह समूह के अभ्यान्तर व्यक्तिगत संपर्कों एवं संबंधों की स्थापना का अवसर देता है । वह समूहों के तनावों एवं संघर्षों को घटाने की चेष्टा करता है ।[१४] वह श्रम विभाजन करता है किन्तु श्रेणी क्रम में विशेषाधिकार सम्पन्न वर्ग नहीं बनने देता ।" लोकतांत्रिक नेतृत्व प्रदान करनेवाला व्यक्ति किसी दल का अधिनायक नहीं अपितु अभिकर्ता बनता है ।

प्राधिकारवादी नेतृत्व

प्राधिकारवादी नेतृत्व में अहं भाव पराकाष्ठा पर होता है जिसके कारण समूह या दल के उद्देश्यों एवं नीतियों आदि का निर्धारण स्वेच्छा के अनुरूप ही होता है। वह समूह के प्रत्येक सदस्य को अकेले पुरस्कृत एवं दंडित करता है और इसका अन्तिम न्यायकर्ता होता है। वह गुट बन्दी को प्रोत्साहित करता है और प्रत्येक गुट को आपस में विचार विनिमय का अवसर नहीं देता, यदि कभी देता भी है तो अपने पर्यवेक्षण में। वह अपने समूह का आधार शिला होता है जिसके भाव में समूह की संलग्नता धराशायी हो जाती है।[15] प्राधिकारवादी नेतृत्व में ईर्ष्या, गोपनीयता एवं नियंत्रण का भाव अधिक रहता है और शक्ति का केन्द्रीकरण होता है। आधार की इच्छाओं एवं उसके निर्णयों की चोटी में महान अन्तर होता है,[16] अर्थात् सामूहिक इच्छा के अनुकूल कुछ नहीं करता बल्कि समूह को ही अपनी इच्छा के अनुरूप बनाने की बलवती इच्छा रखता है जिसके कारण उसके द्वारा लिए गये निर्णय अनुगामियों से पर्याप्त भिन्न होते हैं।

उपरोक्त दोनों प्रवृत्तियों का परीक्षण बलिया विधान सभा क्षेत्र के राजनीतिक नेताओं के साक्षात्कार से किया। साक्षात्कार में पूछा प्रश्न मतदाताओं के अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार मिल जाये तो कैसा रहेगा ; के नेताओं के उत्तर में ८१ प्रतिशत बहुत अच्छा तथा १६ प्रतिशत बहुत बुरा बताया। आश्चर्य है कि बहुत बुरा कहनेवाले सभी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। बहुत बुरा कहनेवाले नेता अपने पद को प्राप्त करने के पश्चात् उस पर बने रहना चाहते हैं और दूसरों को अवसर देने के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं प्रतीत होते। यह मनोवृत्ति प्राधिकारवादी नेतृत्व का संकेत है। जो ८१ प्रतिशत बहुत अच्छा समझते हैं वे लोकतांत्रिक नेतृत्व का परिचय देते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्थावान प्रतीत होते हैं।

'राजनीतिक दल में गुटबन्दी क्यों पैदा हो जाती है ? के उत्तर में नेताओं ने ३ प्रतिशत व्यक्तिगत राग-द्वेष, ३ प्रतिशत जातीय स्वाभिमान ७ प्रतिशत नेताओं द्वारा पक्षपात , ७ प्रतिशत व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, ७ प्रतिशत

र्गों का प्रभाव, ६ प्रतिशत अनुशासनहीनता, १३ प्रतिशत सत्ता, १७ प्रतिशत ` पद` १७ प्रतिशत ` स्वार्थ` और १७ प्रतिशत ` आत्मगौरव` के कारणों पर जोर दिया। उपरोक्त कारणों की समीक्षा करने पर यह प्रकट हो जाता है कि सभी कारणों का केन्द्र विन्दु ` अहंभाव` की प्रधानता है।

यह अहंभाव सत्ता, पद, स्वार्थ एवं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए तत्पर हो सकता है या नेताओं द्वारा किये गये पक्षपात से राग द्वेष, आकर्षण एवं जातीय स्वाभिमान के हृदयवेग में जागृत हो सकता है। जब अहंभाव को आघात लगता है या लगने की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना प्रतीत होती है तब नेता के द्वारा नये गुट का जन्म आत्म रक्षार्थ किया जाता है। जब सन् १६७४ ई० के विधान सभा निर्वाचन में श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी को कांग्रेस की ओर से अनुमति नहीं मिली तब उनके समर्थक पदाधिकारियों ने ` क्रान्तिकारी परिषद् ` बनाकर दल के ही प्रत्याशी का विरोध खुले रूप से किया। संपूर्ण गुट बंदियों का कारण यदि सर्वत्र ` अहंभाव` ही है तो यह निर्विवाद रूप से सत्यापित हो जाता है कि प्राधिकारवादी नेतृत्व ही गुटबन्दी का पूरक करता है। प्राधिकारवादी नेतृत्व अपने सहयोगियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने का प्रयत्न करता है और समस्त साधनों को अपने हाथ में केन्द्रित करता है जिसकी चरम परिणति ` सत्ता का वैयक्तीकरण` है।[१७]
(Personalization)

` अनुशासनहीनता` को जो गुटबन्दी का कारक बताया जा रहा है उसका भी प्रधान प्रेरक अहंभाव ही है। हँडिया विधान सभा क्षेत्र में भारतीय कांग्रेस में गुटबन्दी की तीव्रता अधिक है क्योंकि अनेक वर्षों से सत्तारूढ़ रहने के कारण उसमें अहंभाव विकसित होने के अधिक अवसर मिलते रहे। भारतीय लोकदल में भी गुटबन्दी विराजमान है जिसका प्रमुख कारण कुछ दलों का सत्ता के लिए अभिनव एकात्मकता तो हुआ[5] है किन्तु स्थानीय नेताओं के ` स्व` का विलीनीकरण नहीं हुआ। ` स्व` के विलिनीकरण की प्रक्रिया जटिल, मन्द तथा बाधानुबाधकारी होती है। भारतीय जनसंघ का संगठन भी इस संक्रामक रोग के जीवाणुओं के प्रवेश से न्यून अंशों में प्रभावित है किन्तु अभी विशेष बाह्य लक्षण नहीं दिखलायी दे रहे हैं।

` दल के प्रत्याशी का अन्तिम निर्णय, निर्वाचन क्षेत्र में

दल के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचन से हो तो कैसा रहेगा ? के उत्तर में इंडिया विधान सभा क्षेत्र के राजनीतिक दलों के नेताओं ने ६७.५ प्रतिशत " उत्तम " तथा ६.५ प्रतिशत " बहुत खराब " बताकर सीमा रेखा स्पष्ट कर दी किन्तु १३ प्रतिशत " कुछ प्रतिशत " तथा १३ प्रतिशत " सुझावों पर " गम्भीरतापूर्वक विचार " कहकर अपनी समन्वयात्मक शैली का परिचय दिया । जो नेता इस पद्धति को उत्तम समझते एवं स्वीकार करते हैं उनकी प्रकृति लोकतांत्रिक सिद्ध हो जाती है क्योंकि ये लोग समस्या और उसके समाधान का केन्द्र एक ही स्थान पर रखना चाहते हैं जो कि उसी समय संभव है जबकि सत्ता-विकेन्द्रीकरण के प्रति सहानुभूति हो ।

" बहुत खराब " निरूपित करनेवाले नेता कि प्रकृति प्राधिकार-वादी प्रतीत होती है क्योंकि वे निर्णय का अधिकार स्थानीय सदस्यों को नहीं देना चाहते । " बहुत खराब " निरूपित करनेवाले नेता भारतीय जनसंघ के जिला इकाई के अध्यक्ष हैं । " कुछ प्रतिशत " तथा " सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार " करने का उत्तर देनेवाले नेताओं में दोनों प्रकृतियां उपस्थित स प्रतीत होती हैं । एक ओर ये नेता ऊपर से प्रतिप्राप्त (थोपे गये) निर्णयों को अहितकर समझते हैं तो दूसरी ओर स्थानीय निर्णय से दल की एकता को विखण्डित होने की कल्पना भी करते हैं । इस ऊहापोह में निर्णय की शक्ति का विभाजन ही एकमेव उपाय रह जाता है । क्या यह समझा जाय कि शक्ति विभाजन की व्यवस्था लोकतांत्रिक एवं प्राधिकार वादी दोनों प्रकृति के नेतृत्व , एक ही व्यक्ति के अन्दर संभव बनाती है ।

इससे पूर्ण लोकतांत्रिक अथवा प्राधिकारवादी नेतृत्व का तथ्य भी संदेहास्पद बन जाता है । जब दोनों प्रकार की प्रकृति का नेतृत्व एक ही नेता में हो तब जिसका अंश अधिक हो उसके पश्चात दूसरी प्रकृति का भी नाम अवश्य लिया जाय जैसे यदि लोकतांत्रिक नेतृत्व की मात्रा अधिक है तब प्रकृति लोकतंत्रीय प्राधिकारवादी ; जब प्राधिकारवादी प्रकृति के अंश अधिक हों तब प्राधिकृत लोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग उचित होगा ।

एक ही नेता समय, स्थान, समस्या, अनुयायी, उद्देश्य

पद पर पड़नेवाले प्रभाव तथा परिणामों को जब अपनी शर्त के अनुकूल बिना कथन के पाता है तब लोकतांत्रिक नेतृत्व का प्रदर्शन करता है जब प्रतिकूल पाता है और उसे विश्वास होता है कि उसके कथन से परिणाम उसके अनुकूल निकल सकेगा तब प्राधिकारवादी नेतृत्व का प्रदर्शन करता है।" राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे[१८] अपने को ऐसे नेतृत्व प्रदान करने की विशेष चेष्टा करें जिसका प्रचलन लोकतांत्रिक हो।

नेता की श्रेणियां

अनेक आधारों पर नेताओं की अनेक श्रेणियां संभव है। यहां पर ध्येय निष्ठा, दशा, अनुभव, लोकप्रियता, पदारूढ़ता आदि पर श्रेणी निर्धारण ही उपयुक्त प्रतीत होता है।

ध्येय निष्ठा के आधार पर नेता की दो श्रेणियां है १. आदर्शवादी-और अवसरवादी अतः जो नेता अपने दलगत आदर्शों का अनुगमन जीवन के प्रत्येक संभव चीजों में करता हुआ तथा संकटों की परीक्षा में सदैव ध्येय को महत्व प्रदान करता है वह आदर्शवादी है। आदर्शवादी नेता अपने आदर्शों के प्रतिकूल व्यवहार की स्पष्ट आलोचना करता है जिससे उत्पन्न होनेवाले कुपरिणामों को प्रेम के साथ भोगने के लिए तैयार रहता है। आदर्शवादी श्रेणी के नेता राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा के आधार स्तम्भ होते हैं। इनकी वाणी से ओज, आत्मबल एवं विश्व बंधुत्व की आभा प्रस्फुटित होती रहती है। ये परिस्थितियों को अपने अनुसार परिवर्तित करते हैं जिससे नियंत्रण पर विशेष ध्यान केन्द्रित रहता है।

2- अवसरवादी :

अवसरवादी श्रेणी के नेता अनुयायियों की इच्छा का दास होता है वह सदैव इस बात के लिए सचेष्ट रहता है कि उचित या अनुचित जैसा भी समय क्यों न हो सदैव अपने नेतृत्व को जीवित रखता है। ये परिस्थितियों के दास होकर स्वामित्व का प्रदर्शन समूह के समक्ष करना चाहते हैं। अवसरवादी नेता शाश्वत मूल्यों एवं शक्तियों का ध्यान बहुत कम रखता है। वह मृदुभाषी, लोक-संग्रही एवं समायोज्य होता है।

नेता में किन- किन विशेषताओं का होना आवश्यक है ? के उत्तर में नेतृत्व के क्षेत्र, समय , परिस्थिति के अनुसार मन प्रभावों का प्रतिनिधि स्वरूप[19] उत्तर देनेवाले नेता कि प्रवृत्ति विशुद्ध अवसरवादी प्रतीत होती है । इस श्रेणी के नेताओं पर जनता का विश्वास अस्थिर रहता है क्योंकि स्वार्थ निष्ठा किसी न किसी कैफनापात में नग्न हो जाती है ।

राजनीति करनेवालों के प्रति जनता आजकल क्या भाव रखती है , के उत्तर में ६२ . ५ प्रतिशत नेताओं ने घृणा के भाव स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया जिसके प्रमुख कारणों के रूप में अप्रभावी चरित्र एवं व्यक्तित्व , राजनीति को व्यवसाय बनाना, सत्ता, पद एवं धनोपार्जन के लिए राजनीति करना, धूर्तता आदि निरूपित किया ; ३७. ५ प्रतिशत नेताओं ने अच्छे एवं बुरे दोनों भावों का अनुभव बताया जो नेता सदाचारी है उनके प्रति आस्था, निष्ठा, नि:स्वार्थ, विश्वास, श्रद्धा एवं सम्मान के सद्भाव जनता रखती है क्योंकि निस्पृह एवं निःस्वार्थ सेवा ये लोग ही करते हैं, जो ऐसा नहीं करते उनकी संख्या अधिक है । इस कारण सभी नेताओं को जनता भ्रष्ट, धूर्त, किराये का टट्टू[20] समझती है । महान आश्चर्य इस बात का है कि अब राजनीति करनेवालों के प्रति जनता के घृणापूर्ण अनुभवों से ये नेता सुपरिचित हैं फिर भी राजनीति में क्यों अभिग्रस्त है । क्या राजनीति करना भी एक व्यसन है । जिसके स्वभाव में राजनीति समाविष्ट हो गयी है वह निश्चित ही अवसरवादी होने के लिए बाध्य है क्योंकि बिना राजनीति किये उनका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा ऐसा भय सदैव उन्हें ग्रसित किए हैं ।

सत्ता के वास्तविक प्रयोग के आधार पर नेताओं के दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है १-वास्तविक नेता २- नाम मात्र नेता ।[21]

<u>वास्तविक नेता</u> : किसी भी राजनीतिक दल या संगठन का वह व्यक्ति जिसके अभाव में कोई भी निर्णय अप्रभावी सिद्ध हो जाये, वास्तविक नेता है । वास्तविक नेता के अन्तर्गत नेता की विशेषताओं का अंश सर्वोपरि होता है और उसके सहयोगी एवं अनुयायी उसका लोहा भी मानते हैं । वास्तविक नेता में शक्ति अथवा सत्ता केन्द्रित रहती है उसके ही निर्देशन में दल की सभी क्रियायें

होती है । वह अपनी इच्छानुसार व्यक्तियों को पदासीन एवं पदच्युत करता है । वास्तविक नेता कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, सदस्यों तथा समर्थकों पर अपना वर्चस्व रखता है, जब कभी उसके अन्दर किंचित अहंभाव हो जाता है तब दल के संगठन को अपने गोद[22] (जेब) में कर लेता है ।

हंडिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी इस श्रेणी में आते हैं क्योंकि तीनों विकास खण्डों की ब्लाक कांग्रेस कमेटियों में जितने भी पदाधिकारी हैं वे सभी उनकी इच्छा के अनुकूल ही मनोनीत या निर्वाचित हुए हैं । भारतीय जनसंघ में वास्तविक नेता के उदाहरण श्री राधाराम त्रिपाठी में मिले जिनके संकेत से अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आपातकाल के विरोध में सत्याग्रह करके कारागार में गये, श्री नर्मदा प्रसाद मिश्र जिन्होंने पूर्व जिला जनसंघ की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया है, वास्तविक नेता की श्रेणी में आते हैं साथ ही साथ श्री रामरेखा सिंह निर्भीक भी इसी श्रेणी में पहुंचने के लिए प्रयत्नशील है ।

भारतीय लोकदल में श्री बर्धराम यादव वास्तविक नेता की श्रेणी में आते हैं क्योंकि दो बार विधायक हुए और दल के संगठन पर उनका आधिपत्य है । भारतीय लोक दल की क्षेत्रीय कौंसिल के अध्यक्ष श्री काशीनाथ मौर्य प्रधानाचार्य भी हैं जिसकी प्रबन्ध समिति में श्री यादव अध्यक्ष हैं । वास्तविक नेता सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, संगठन कौशल एवं दल के उद्देश्यों की पूर्ति में सफल व्यूह रचनाकार होता है ।

नाम मात्र नेता :

नाम मात्र का नेता वह है जो अपनी शक्ति का प्रयोग अपने विवेक से न करके दूसरे के परामर्श पर करता है जिसके नाम पर अन्य लोग काम करते हों और वह इस प्रक्रिया को अप्रिय न समझता हो, जिसमें पद लिप्सा तो प्रचुर हो किन्तु कार्य निष्ठा अत्यन्त सीमित हो, जो निर्णय की प्रक्रिया में निष्क्रिय भूमिका रखता हो तथा जो दूसरे की कृपा पर अपने अस्तित्व को अवलंबित

रखता है । नया नेतृत्व प्रथम सोपान में नाम मात्र का होता है किन्तु धीरे धीरे कार्यों के अनुभव एवं अनुभव के विकास के साथ वास्तविक नेता की कोटि में पहुंच जाता है ।

जब कोई नाम मात्र का नेता वास्तविक नेता की कोटि में पहुंचने का प्रयत्न करने लगता है तब उस स्तर के वास्तविक नेता में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, जब दोनों का झुकाव एक ही ओर मुड़ जाता है तब ईर्ष्या का प्रादुर्भाव होता है । जब सन् १६७४ ई० के विधान सभा का प्रत्याशी बनने के लिए अभ्यर्थियों को भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की ओर से अन्तिम क्षण तक कोई निर्णय नहीं मिल पाया तब श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, श्री कमलाकान्त तिवारी "कमल" एवं श्री राजितराम पाण्डेय ने अपने-अपने आवेदन पत्र काँग्रेस प्रत्याशी के रूप में अर्पित किये, नाम वापसी तक निर्णय श्री राजितराम पाण्डेय के पक्ष में हो गया तब श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी ने तो अपना नामांकन वापस ले लिया किन्तु श्री कमल स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में डटे रहे और श्री पाण्डेय का विरोध किया ।

इस क्रियाकलाप के अन्य जो भी कारण रहे हों किन्तु इतना तो स्पष्ट ही हो जाता है कि श्री कमल ने दलीय अनुशासन की परिधि से बाहर निकलकर काँग्रेस के वास्तविक प्रत्याशी के समक्ष ईर्ष्या भाव का अभिनय किया ।[२३]

अनुभव के आधार पर नेता दो प्रकार के होते हैं १- वंशानुगत नेता २- परिस्थिति जन्य नेता ।

१- वंशानुगत नेता :

वंशानुगत नेता वह होता है जिसके पूर्वजों के रक्त में नेतृत्व का गुण प्रविष्ट हो चुका होता है जिनके परिवार का अतीत तथा वर्तमान ~~राजनीतिक~~ वातावरण राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र होता है । वंशानुगत नेता को अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा उत्तराधिकार के रूप में उपलब्ध होती है और इसी से बहुत थोड़ा श्रम, समय एवं धन व्यय करने पर भी लोकप्रियता अधिक मिल जाती है । उदाहरण के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी वंशानुगत नेता हैं, क्योंकि इनके पिता श्री जवाहर लाल नेहरू तथा पितामह श्री मोतीलाल नेहरू स्वयं भारतीय राजनीति के धुरी थे ।

इंडिया विधान सभा क्षेत्र में वंशानुगत नेताओं का अभाव है, संभवत: भविष्य में यह रिक्तता पूर्ण हो सके ।

२- परिस्थिति जन्य नेता :

परिस्थिति जन्य नेता देश, समय, स्थान, समस्याओं, शासन प्रणाली, राजनीतिक मूल्यों, हितों, आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु तथा आत्म रक्षार्थ उत्पन्न होते हैं और परिस्थितियों की समाप्ति पर, यदि उन्होंने अपना लक्ष्य परिवर्तित नहीं किया तो, समाप्त भी हो जाते हैं । जिसने गुरुतर लक्ष्य बनाकर राजनीतिक क्षेत्र को अपनी प्रतिभा, कर्मठता, साहस, समायोजन क्षमता, चातुर्य एवं नि:स्वार्थ सेवा से सजीव बनाये रखा वह आजीवन नेता बना रहता है । इंडिया विधान सभा क्षेत्र के राजनीतिक नेताओं की राजनीतिक अनुस्थिति ज्ञान के स्थलों का अध्ययन करने से स्पष्ट हो चुका है कि सभी नेता परिस्थिति जन्य है ।

स्वतन्त्रता आन्दोलन की सर्वोत्कृष्ट परिस्थितियों ने अधिकांश नेताओं को जन्म दिया है । साक्षात्कार में ५८ वर्ष से ६६ वर्ष तक की आयु वाले सभी नेता स्वतंत्रता आन्दोलन विशेषकर सन् १९४२ की घटनाओं से प्रभावित होकर सक्रिय राजनीति में पदार्पण किये हैं । ४२ वर्ष से नीचे आयु वाले नेता विशेष रूप से शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थी संघ द्वारा आयोजित क्रियाकलाप से अभिप्रेत हुए हैं । मात्र १२.५ प्रतिशत नेताओं ने आत्म रक्षार्थ राजनीतिक दल की सक्रियता का रक्षा कवच धारण किया है ।

लोकप्रियता के आधार पर नेताओं को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है १- गुटप्रिय २- वर्ग प्रिय ३- जाति प्रिय एवं ४- सर्व प्रिय ।

१- गुट प्रिय नेता :

गुट प्रिय नेता वह है जिसकी लोकप्रियता की वाह्य परिधि उसके गुट के व्यक्तियों तक ही समाप्त हो जाती है । इस श्रेणी के नेता की नीतियां

सदैव अपने गुट को शक्तिशाली करनेवाली ही होंगी और सदस्यों के उचित तथा अनुचित सभी कार्यों का अनुमोदन करेंगी । हँडिया विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गुट प्रिय हैं जिसका कारण प्रयाग नगर के नेता श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा , श्री सालिकराम जायसवाल तथा श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के आपसी असौहार्दपूर्ण संबंध हैं । १० अक्टूबर, १९७६ ई० को प्रकाशित जिला तथा नगर तदर्थ कांग्रेस समिति के कारण श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा गुट के संपर्क नेता श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, महामंत्री में ऐसे परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं जो उनकी गुट प्रियता में पर्याप्त संदेह का सूचक कर रहे हैं । गुट प्रिय नेता के अनुगामी भिन्न भिन्न वर्गों एवं जातियों के सदस्य हो सकते हैं ।

२- वर्ग प्रिय नेता :

वर्ग प्रिय नेता वह है जिसका प्रभाव क्षेत्र उसका अपना वर्ग ही होता है । अपने वर्गीय हितों के लिए वह निरंतर संघर्षशील, विकासशील एवं आरक्षणशील रहता है । जीविकोपार्जन के साधनों एवं आर्थिक व्यापारों पर वर्ग का जन्म होता है । हँडिया विधान सभा क्षेत्र में राजनीतिक दलों के अनुषांगिक संगठन युवकों एवं विद्यार्थियों में ही आंशिक रूप से सक्रिय दिखलायी देते हैं । श्रमिकों में बीड़ी मजदूर संघ, विद्यार्थियों में राष्ट्रीय छात्र संघ तथा युवक कांग्रेस में वर्ग प्रिय नेता कार्य करते हैं । भारतीय जनसंघ के अब तक विधान सभा के प्रत्याशी अध्यापक एवं विधिवक्ता हुए हैं जिससे इन दो वर्गों के साथ साथ विद्यार्थियों में भी भारतीय जनसंघ की लोकप्रियता का प्रसार हुआ है । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा भारतीय लोकदल के विधायक प्रत्याशी पूर्णकालिक राजनीतिक नेता रहे हैं ।

३- जातिप्रिय नेता :

जातिप्रिय नेता वह है जो अपनी ही जाति के संकुचित से व्यापक हितों तक की पूर्ति में ही व्यस्त रहता है और अन्य जातियों के हितों, समस्याओं एवं उत्कर्षों के प्रति राजनीति में उदासीन या विरोधी बना रहता है । इसकी लोकप्रियता उसकी ही जाति तक सीमित रहती है । हँडिया विधान सभा क्षेत्र में ब्राह्मण एवं यादव दो जातियां प्रभुत्वकारी हैं । ऐसी परिस्थिति में

ब्राह्मण एवं यादव नेताओं की बहुलता है । श्री कठईराम यादव वर्तमान विधायक एक जातिप्रिय नेता की श्रेणी में अधिकांश प्रेक्षकों द्वारा रखे जाते हैं एवं श्री रामरेखा सिंह "निर्भीक" एक मात्र नेता लोनिया जाति के हैं किन्तु उनका प्रभाव अन्य जातियों पर भी है । श्री शेख मुहम्मद नकी - हँडिया, श्री हरिश्चन्द्र हरिजन हँडिया की लोकप्रियता अपनी जातियों की परिधि में ही है ।

४- सर्वप्रिय नेता :

वह नेता जिसकी लोकप्रियता गुट, वर्ग एवं जाति की परिधियों को पार करके सभी निवासियों के अन्त:करण तक पहुँचती है वह सर्व-प्रिय नेता है । सर्व प्रिय नेता के अनुयायी प्रत्येक वर्ग एवं जाति तथा धर्मवाले बच्चे युवक ,प्रौढ़ तथा वृद्ध , शिक्षित तथा अशिक्षित, स्त्री एवं पुरुष होते हैं । सर्व प्रिय नेता होना अत्यन्त कठिन एवं असंभव प्रतीत होता है ; इस कोटि में कोई नेता अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में प्रभावी, दूरगामी एवं सर्व सुलभ समाचार, प्रचार एवं प्रसार साधनों से प्रवेश कर सकता है । हँडिया विधान सभा क्षेत्र में सर्वप्रिय नेताओं का अभाव है ।

पदारूढ़ता के आधार पर नेताओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है १ पदारूढ़ नेता २- अपदारूढ़ नेता ।

पदारूढ़ नेता :

जो नेता संगठन या सभा दोनों में किसी न किसी पद पर दृढ़तापूर्वक आसीन होता है वह पदारूढ़ नेता है । पदारूढ़ नेता अपने पद की गरिमा को बनाये रखने के लिए नैतिक तथा अनैतिक सभी उपायों का अवलंबन करता है । उसके अनैतिक साधनों में सहायक सिद्ध होनेवाले व्यक्ति अत्यन्त महत्त्वहीन, आज्ञापालक एवं उसके लिए विश्वसनीय होते हैं । पदारूढ़ नेता अपने पद से मिलने वाले लाभों को नितान्त गोपनीय रखता है और कभी कभी तुच्छ भी कहता है । जिसका एक मेव उद्देश्य उस पद के लिए प्रतिद्वन्द्विता का अभाव उत्पन्न करना है ।

हँडिया विधान सभा क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री महावीर प्रसाद शुक्ल सन् १९५२ से १९६२ तक विधायक रहे, फिर १४ वर्ष

तक राज्य सभा के सदस्य रहे और संगठन में भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी रहे हैं।[२४] श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी भी जिला कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस सेवादल एवं उत्तर प्रदेश सरकारी संघ में पदारुढ़ रहे और आज भी तदर्थ जिला समिति के अन्तर्गत महामंत्री हैं। पदारुढ़ नेता अपने समूह या दल में ही विरोधियों को उत्पन्न करता है। यह प्रमाण, हंडिया विधान सभा क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उत्पन्न गुट प्रस्तुत करते हैं।

अपदारुढ़ नेता :

अपदारुढ़ नेता वह है जो अपना नेतृत्व पदों के अभाव में भी प्रदान करता है। ये नेता या तो पद ग्रहण के लिए किये जानेवाले समस्त उपक्रमों में अपने को अयोग्य पाते हैं या प्रतिद्वन्द्विता में विजय का विश्वास खो चुके हैं या राजनीतिक परिवेश ने पदलिप्सा को पदाक्रान्त कर दिया है। अपदारुढ़ नेता की दृष्टि पदारुढ़ नेता की त्रुटियों, अनर्हताओं, असफलताओं, अदक्षताओं, अनाचारों पर अपलक टिक जाती है तथा वाणी आलोचना, व्यंग, उपहास एवं निन्दा के बाणों से उसको मर्माहत करता है। यदि अपदारुढ़ नेता का व्यक्तित्व लोकप्रियता एवं साधन संपन्नता का यौगिक प्रभाव पदारुढ़ नेता के प्रभाव से अधिक है तब उसको सम्मान, श्रद्धा एवं अनुराग के सुमनों की मालायें अर्पित की जाती हैं।

हंडिया विधान सभा क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्तर्गत डा० देवराज सिंह संगठन के किसी भी पद पर नहीं हैं किन्तु उनका प्रभाव नेताओं को प्रभावित करता है; भारतीय जनसंघ में श्री राजाराम त्रिपाठी, पोरहरा तथा श्री राजपति पाण्डेय, बन्नाव, ये दोनों नेता अपदारुढ़ हैं किन्तु क्षेत्र पर तथा दल में इनके अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है।

राजनीतिक नेता के कार्य :

राजनीतिक नेता अपना जो भी समय राजनीति में व्यय करता है जिसके फलस्वरूप लोकप्रियता, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, पद, प्रतिष्ठा, प्रभुत्व एवं सत्ता का नवनीत प्राप्त होता है। प्रश्न यह है कि राजनीति में प्रयुक्त समय का उपयोग नेता किन किन कार्यों के संपादन में करता है? क्या ये

ही कार्य उनके कर्तव्य भी हैं ? क्या ये ही कार्य उनकी जीविका के साधन भी हैं ? भारत के प्राय: प्रत्येक क्षेत्र में वृत्तिहीनता (बेकारी) की प्रबल समस्या ने क्या राजनीति के क्षेत्र को भी प्रभावित किया है ? क्या वृत्तिहीनता ने ही राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित किया है ? बाहर से राजनीतिक दल का मुख्य दिखायी देनेवाला द्वार क्या उसमें प्रवेश करने के बाद बन्द हो जाता है या चक्रव्यूह प्रतीत होता है ? राजनीतिक नेताओं पर से जनता का विश्वास जो कम होता जा रहा है क्या उन्हीं कार्यों की ध्वंसकारी भूमिका का प्रतिफल है ?

उपरोक्त सभी प्रश्नों का उत्तर राजनीतिक नेताओं के कार्यों पद्धतियों एवं उनसे उत्पन्न होनेवाले परिणामों की मीमांसा करने से मिल सकेगा। राजनीतिक नेता निम्नलिखित कार्यों को करते हैं ।

१- अपने दल को शक्तिशाली एवं प्रभुत्व संपन्न बनाना :

प्रत्येक राजनीतिक नेता किसी न किसी छोटे या बड़े ; नवीन या प्राचीन ; क्षेत्रीय या व्यापक ; सत्तारूढ़ या विपक्षी ; वर्गीय या वर्गहीन या अन्य किसी प्रकार के राजनीतिक दल को जन्म देता है या अनुयायी बनाता है । जब नेता का दल से संबंध स्थापित हो जाता है तब वह अपने दल को शक्तिशाली एवं प्रभुत्व संपन्न करता है । ऐसा वह सत्ता के लक्ष्य-प्राप्ति के निमित्त नितान्त आवश्यक कार्य समझता है । इस कार्य के अन्तर्गत दल के संगठन का स्वरूप खड़ा करता है । संगठन को सबल, अनुशासित, लक्ष्यपूरक, संवेदनशील, अमेय , गतिशील, धन्तुलनकारी, समय सापेक्ष परिस्थिति निरपेक्ष आदि बनाना नेता का कार्य है । संगठन की पुष्प मालिका में जितने ही सुन्दर तथा सुरभित सुमन सदस्य होंगे वह उसी अनुपात में विजयदायक होगा ।

दल को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या-क्या करते हैं ? के उत्तर में नेताओं ने २४ प्रतिशत ' संगठन' २४ प्रतिशत' अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार' १२ प्रतिशत जनता की समस्याओं का समाधान , ७ . ५ प्रतिशत' धन संग्रह ५ प्रतिशत' कार्यकर्ताओं को प्रत्येक मोर्चे पर लगाना' तथा दैरह अन्य उपायों-दल के प्रतिनिष्ठा जागृति' सरकारी संस्थाओं से कार्य कराकर , कार्यों की जांच, शासक वर्ग

से कार्यकर्ताओं का संबंध स्थापित करना, कमजोर वर्ग के अभावों को दूर करके मधुक्त मिताय का उदय बनाना, सेवा केन्द्रों की स्थापना, परिवर्तन के लिए संघर्ष, अन्याय का विरोध, कांग्रेस की आलोचना, बुद्धि जीवी एवं सक्रिय लोगों को अपनी ओर मिलाना तथा निःस्वार्थ समाज सेवा को उत्साहित करना, प्रत्येक पर २५ प्रतिशत बल प्रदान किया गया।

उपरोक्त उपायों में दल का संगठन, दल की नीतियों का प्रचार एवं प्रसार, जनता की समस्याओं का समाधान, धन संग्रह तथा कार्यकर्ताओं के प्रयोग महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं किन्तु इन सब का केन्द्र दल का संगठन ही है। यदि संगठन पूर्णरूपेण स्वस्थ है तब अन्य उपाय भी हो सकेंगे अन्यथा न तो नीतियों का प्रचार-प्रसार, न जन समस्याओं का समाधान, न धन संग्रह और न कार्यकर्ताओं का निर्माण ही होगा। अतः नेता का प्रथम कार्य दल को शक्तिशाली बनाने के लिए उसके संगठन की जड़ों को सर्व साधारण तक जन समर्थन के पोषण तत्वों के लिए पहुंचाना आवश्यक है।

राजनीतिक दल का नेता देश की वर्तमान जन समस्याओं के ऊपर गंभीरतापूर्वक एवं तर्क पूर्ण ढंग से अपनी अंतरंगों के परामर्शों को ग्रहण करते हुए हल निकालता है या उसका प्रयास करता है। जन समस्याओं की घटोत्तरी विकास की बढ़ोत्तरी का परिचायक है। नेता इन्हीं समस्याओं को हल करने की नीति बनाता है और नीति के अनुसार कार्यक्रमों का निर्धारण भी करता है। स्थायी समस्याओं के समाधान तो दल के सिद्धान्तों एवं नीतियों तथा कार्यक्रमों में मिल जाता है किन्तु अस्थायी, तात्कालिक, स्थानीय एवं विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए आकस्मिक बैठकें, गोष्ठियां एवं अन्य कार्यवाही भी नेतागण करते हैं। इस उपक्रम एवं सक्रियता से दल के संगठन एवं नेता - दोनों की संवेदनशीलता एवं जनता से आत्मीय भावना का संकेत मिलता है जिस दल एवं नेता में जनता की कठिनाइयों, आपत्तियों, विपत्तियों एवं आकांक्षाओं को ध्यानपूर्वक तथा सहानुभूति से सुनकर उनके समाधान प्रदान करने की क्षमता नहीं होगी, वह जन समर्थन से वंचित रह जायेगा क्योंकि जनता उसके संगठन में भागीदार नहीं बनेगी। अतः नेता का प्रमुख कार्य पूर्ण प्रभावशाली संगठन, आन्तरिक संचरण में प्रगति एवं अधिकाधिक जनता का दल की राजनीति में भाग ग्रहण की अभिवृद्धि करना है।[२५]

दल को शक्तिशाली बनाने के लिए राजनीतिक नेता धन संग्रह एवं कार्यकर्ता संग्रह भी करते हैं । धन संग्रह अनेक उपायों से किया जाता है जैसे सदस्य बनाकर , चन्दा लगाकर, दान मांगकर एवं सुविधाओं की सुलभता प्रदान कर , मुकदमों में प्राण भरकर, निर्णयों में पक्षपात करके आदि से पारिश्रमिक के रूप में भी धन का पारितोषिक प्राप्त करके । दल के संगठन के पदाधिकारियों से किये गये साक्षात्कारों से यह ज्ञात हुआ कि कहां से , किन किन रूपों में और कितना धन, नेता और दल संग्रह करता है इसकी जानकारी बहुत कम ही विकास खण्ड या विधान सभा क्षेत्र तक पहुंचती है । धन संग्रह की प्रत्यक्ष विधि सदस्य बनाकर ही पदाधिकारियों को ज्ञात है । भारतीय कांग्रेस एवं भारतीय लोकदल के पदाधिकारियों ने चन्दा तथा दान की विधि भी बताया । अतः धन संग्रह की अप्रत्यक्ष विधियों का अन्वेषण जो राजनीतिक नेताओं ने अपने तक सीमित रखा है यह कार्यकर्ताओं तक के मस्तिष्क में भ्रम, अनास्था एवं उसी का अवलंबन (यदि वही प्रवृत्ति है तब) उत्पन्न करता है ।

सैंड़िया विधान सभा क्षेत्र के मतदाताओं की धारणा यह प्रश्न पूछने पर प्रकट हो जाती है कि " जो व्यक्ति राजनीति में बहुत सक्रिय दिखलायी देता है उसका क्या उद्देश्य है ? के उत्तर में ३६ प्रतिशत प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक सुधार , ३० प्रतिशत " धनोपार्जन ", १५ प्रतिशत स्वार्थ सिद्धि ", ९ प्रतिशत सामाजिक प्रतिष्ठा तथा ७ प्रतिशत " देश सेवा " बताया । इसमें ८४ प्रतिशत उद्देश्य आमजन जनता में राजनीतिकरने वालों के प्रति अश्रद्धा एवं घृणा उत्पन्न करनेवाले हैं । क्या यह माना जाय कि सम्मान प्राप्त करनेवाले नेता १६ प्रतिशत ही हैं क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा एवं देश सेवा का योग यही होता है ।

राजनीतिक नेता अपने कार्यकर्ताओं की संख्या वृद्धि एवं उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, करके अपना स्थायी अनुमोदक, अनुयायी, अनुगामी, सहयोगी एवं लाभ दायक उपकरण जिसे आजकल " चम्मच " कहा जा रहा है, बनाता है । कार्यकर्ता, जनता तथा नेता के मध्य सम्बन्धयोजक होता है किन्तु उस पर नियंत्रण नेता का ही होता है जबकि जनता का होना चाहिए था ।

दल के कार्यकर्ताओं का व्यक्तिगत हित किन किन रूपों में करते हैं ? के उत्तर में नेताओं ने १७.५ प्रतिशत नौकरी, १५ प्रतिशत संकटों में सहायता, १२.५ प्रतिशत आर्थिक सहायता, १० प्रतिशत शिक्षा-दीक्षा में सहायता - जैसे प्रवेश शुल्क मुक्ति, छात्र वृत्ति एवं श्रेणी निर्धारण आदि १७.५ प्रतिशत दुख दुख में भाग ग्रहण, सेवा तथा सुश्रुषा रुग्णोपचार, ५ प्रतिशत उनके द्वारा संस्तुत कार्यों की पूर्ति, ५ प्रतिशत व्यवसाय का आधार जैसे कोटा, परमिट, लाइसेंस, ठेका आदि ५ प्रतिशत सरकार से सहायता ५ प्रतिशत सरकारी यंत्रों द्वारा उत्पीड़न से रक्षा तथा ७.५ प्रतिशत परामर्श सद्भावना एवं स्तरोन्नयन बताया ।

उपरोक्त उत्तरों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक नेता अपने कार्यकर्ताओं की उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल हर संभव सहायता प्रदान करता है जिससे उनकी व्यक्तिगत चिन्तायें एवं समस्यायें दल के कार्य में कम से कम बाधा उत्पन्न कर पाये । दल की संरचना में कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का समाधान ही राजनीतिक दल की अतिजीविता के लिए निर्णायक है ।[२६] संडिया विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कन्याओं के विवाह में श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने आर्थिक सहायता की ।[२७] जो दल सत्ता में रहता है वह कार्यकर्ताओं की सहायता अनेक रूपों एवं अधिक अंशों में कर पाता है, विरोधी दल की सहायता में विशेष रूप से शारीरिक एवं मानसिक श्रेणियों की होती है जैसा कि पिछले अध्ययन में स्पष्ट हो चुका है ।

कार्यकर्ताओं की विभिन्न पदों पर नियुक्त करने में किन किन बातों पर ध्यान देते हैं ? के उत्तर में नेताओं ने १२ प्रतिशत कार्य क्षमता, १० प्रतिशत संगठन शक्ति, १० प्रतिशत वर्ग, ७ प्रतिशत दल के प्रतिनिष्ठा ७ प्रतिशत ईमानदारी, ७ प्रतिशत योग्यता, ५ प्रतिशत दयानतदारी ५ प्रतिशत चुनाव में अनुभव ५ प्रतिशत कर्मठता, ५ प्रतिशत लोकप्रियता तथा शेष २७ प्रतिशत में समान रूप से, जन विश्वास, विवेकशीलता, दूरदर्शिता, ज्ञान, विचारधारा, अल्पसंख्यक वर्ग, दल के लिए दिया जानेवाला समय, प्रतिभा, व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता, समाज सेवा भाव, सामाजिक प्रभाव, गुट साहस, संघर्षशील व्यक्तित्व,

साधन जुटाने की पटुता, दल का विश्वास आर्थिक दशा तथा चरित्र पर जड़ दिया ।

उपरोक्त सभी कारकों का सामान्यीकरण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नेतृत्व की योग्यता, क्षमता, प्रभाव क्षेत्र, अनुभव एवं दल तथा जनता द्वारा प्राप्त विश्वास के आधार पर ही विभिन्न पदों पर नियुक्तियां होती हैं ।" दरबार गीरी" को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं भारतीय जनसंघ दोनों दलों के नेताओं ने बताया । पदों पर नियुक्त कार्यकर्ता के लिए उसकी सेवाओं का पुरस्कार है और यदि उसे पदच्युत या पदावनत किया जाता है तब दण्ड है ।[२८] दल में कार्यकर्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन करके उसके अनुरुप ही नियुक्ति अथवा पदावनति या पदमुक्ति नेता द्वारा की जाती है ।

राजनीतिक दल का नेता अपने दल के सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं में एकात्मता, सुस्पष्टता, ध्येय निष्ठा, त्याग मनोवृत्ति, आदर्शात्मक जीवन, लोकाकर्षक व्यवहार तथा चुम्बकीय व्यक्तित्व उत्पन्न करने एवं क्षमता अभिवृद्धि के निमित्त सिद्धान्त बोधन (Indoctrination) का कार्य करता है । सिद्धान्त बोधन दल के मत, वाद अथवा सिद्धान्त का विशिष्ट एवं प्रगाढ़ प्रदान करना है । सिद्धान्त बोध करना तथा स्वयं निविष्ट होना दोनों सिद्धान्त बोधन है ।[२९] शत्रु सिद्धान्त अथवा वाद में रंजन सिद्धान्त बोधन है ।[३०]

दल द्वारा निर्धारित मत, सिद्धान्त अथवा" वाद" के अनुरुप उसमें अभिग्रस्त दूसरे व्यक्तियों की मनोवृत्तीय संरचना की रचना करना साथ ही साथ स्वयं भी तदनुरुप होना सिद्धान्त बोधन है । सिद्धान्त बोधन का कार्य प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मौखिक, लिखित, आंशिक, पूर्ण, अल्प स्थायी , चिर स्थायी आदि प्रकार का संभव है । सिद्धान्त बोधन द्वारा दल से आबद्ध समस्त जनों में वैचारिक समानता आती है और संगठन अभेद्य दुर्ग बन जाता है क्योंकि इसमें समान चित्त चिन्तनकारी श्रृंखला की आधार शिला रखी जाती है । सफल सिद्धान्त बोधन वह है जिसमें निविष्ट व्यक्ति पराधीनता का अनुभव भी रंच मात्र न करे । सिद्धान्त बोधन के फलस्वरूप नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं सदस्य तथा शासक में इतना तादात्म्य स्थापित हो जाता है कि क्षेत्रीय अथवा देशीय ;

छोटी अथवा बड़ी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान के लिए इनके द्वारा एक समान ही नीति एवं उपाय बतलाये जाते हैं। राजनीतिक दल के अंदर नेतृत्व के लिए सिद्धान्त बोधन संगठनात्मक कल्याण का निर्धारक है।[२१]

सँड़िला विधान सभा में स्थित कुछ राजनीतिक नेताओं का किस अंश तक सिद्धान्त बोधन हुआ है इसके एक पहलू का अनुमान लगाया जा सकता है। इन नेताओं से साक्षात्कार में पूछे गये प्रश्न "दल परिवर्तन पर आपका क्या विचार है ?" के उत्तरों से एक झलक मिलती है। दल परिवर्तन को नेताओं ने ६.२५ प्रतिशत "अच्छा", ६२.५ प्रतिशत "बुरा" तथा ३१.२५ प्रतिशत "मिश्रित" विचार व्यक्त किया। अतः यह स्पष्ट है कि दल परिवर्तन को बुरा निन्दनीय, जन भावनाघाती एवं महापाप समझनेवाले नेताओं की संख्या सँड़िला विधान सभा क्षेत्र में अधिक है, संभवतः इसी का परिणाम रहा कि स्वर्गीय श्री राधिकाराम पाण्डेय संयुक्त समाजवादी दल के प्रत्याशी के रूप में विधायक चुने गये, किन्तु जब दल परिवर्तन करके सत्तारूढ़ कांग्रेस के सन् १९७४ ई० में प्रत्याशी हुए तब पराजित हो गये।[३२]

दल परिवर्तन को अच्छा माननेवाले नेता ने "आत्मबोध" का प्रतिबन्ध किया। "मिश्रित" अर्थात् अच्छा और बुरा दोनों बतानेवाले नेताओं ने भी सप्रतिबन्ध उत्तर दिया कि स्वार्थवश पद एवं प्रतिष्ठा के लिए किया गया दल परिवर्तन "बुरा" है और सिद्धान्त, नीतियों, कार्यक्रमों एवं जनहित के कारण होनेवाला दल परिवर्तन "अच्छा" है। "मिश्रित" उत्तर देनेवाले नेताओं में ८० प्रतिशत सत्तारूढ़ कांग्रेस तथा २० प्रतिशत "संगठन" कांग्रेस के नेता रहे। क्या यह समझा जाय कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव दल परिवर्तन ऐसे राजनीतिक रोग पर भी पड़ा है ?

जिन नेताओं का सिद्धान्त बोधन पूर्ण रूपेण हो जाता है और पूर्ण दलीकरण भी हो जाता है, वे दल परिवर्तन को "बुरा" मानते हैं। क्योंकि उनमें आत्म विश्वास उत्पन्न हो जाता है। दोनों के अभाव में स्वार्थ

भावना ही प्रधान भूमिका निभाती है और नेता भी दल परिवर्तन का सहारा लेता है, इस प्रकृति के व्यक्तियों के लिए दल स्वार्थ पूर्ति का प्रभावकारी क्षेत्र ही समझ में आता है। लोकतंत्र में मतदाताओं को स्वेच्छा से अपने अनुकूल दल के प्रत्याशी को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है किन्तु वे एक निर्वाचन से दूसरे निर्वाचन में एक ही दल को विजयी सदैव नहीं बनाते।

मतदाताओं से किये गये साक्षात्कार से ज्ञात हुआ कि एक ही मतदाता एक चुनाव में कांग्रेस, दूसरे में संयुक्त समाजवादी दल तथा तीसरे में भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया जो कि बुरा नहीं प्रतीत हुआ क्योंकि यह मत परिवर्तन है। मतदाता मत परिवर्तन करता है और सदस्य, पदाधिकारी, कार्यकर्ता नेता एवं शासक दल परिवर्तन करते हैं। दल की विचारधारा, नीति, कार्यक्रम आदि में अनास्था का भाव जागरण दल परिवर्तन का प्रथम सोपान है। दल परिवर्तन सिद्धान्त बोधन के अभाव का दुष्परिणाम है। अतः नेता का प्रथम एवं पावन कार्य दल से संबंध जनों का सिद्धान्त बोधन है। सिद्धान्त बोधन से नेता एवं उसके अनुयायियों के मध्य का अंतर इतना घट जाता है कि एकात्मता का बोध होने लगता है और दोनों एकाकार हो जाते हैं।

<u>२- नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा देना :</u>

राजनीतिक दल के नेता का कार्य है कि वह राज्य के समस्त नागरिकों - बाल, युवक, प्रौढ़ एवं वृद्ध, स्त्री एवं पुरुष, को राजनीतिक शिक्षा दे। इस राजनीतिक शिक्षा के अन्तर्गत राजनीति के उद्देश्यों एवं उनकी पूर्ति के वैध साधनों, सरकार के रूपों एवं प्रकारों; नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों, राष्ट्रीय हितों एवं समस्याओं, मानवता के विकास-माध्यमों, राजनीतिक व्यवहार के प्रतिमानों, आदि का ज्ञान दिया जाना चाहिए। जब नागरिकों को देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों का सही सही ज्ञान उपलब्ध हो जायेगा तब वे वास्तविक राजनीतिक निर्णय लेने में समर्थ हो सकेंगे। राजनीतिक दल का नेता जो सभाओं, विचार गोष्ठियों आदि में भाषण देता है उस समय वह राजनीतिक शिक्षक का कार्य करता है जिसके निम्न उद्देश्य संभव हैं :

तनाव शिथिल :

राजनीतिक दल का नेता नागरिक एवं नागरिक ; नागरिक एवं वर्ग ; वर्ग एवं वर्ग ; वर्ग एवं समुदाय ; समुदाय एवं समुदाय ; समुदाय एवं राज्य ; के पारस्परिक व्यवहारों में जब कभी तनाव उत्पन्न हो जाता है तब उसको यथोचित या शिथिल करता है जिससे पुन: सामान्य दशा उत्पन्न हो सके। राजनीतिक नेता समाज को विकृत करनेवाले तनावों का अन्वेषण करता है और उनको दूर करके शांति स्थापित करता है। ये तनाव प्राय: अस्थायी होते हैं जो कि रुपान्तरित होकर ग्रंथि बन जाते हैं अखिल भारतीय स्तर पर हैं।[२३] यदि इन्हें शिथिल कर दिया तब व्यवहारों की सरलता एवं सरलता स्थिर रह जाती है। नेता अपने दल के आभ्यांतर तनावों को भी दूर या शिथिल करता है जैसे सत्ता एवं संगठन पक्ष में जिससे दल की प्रत्येक गतिविधि लक्ष्यपूरक बनी रहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्दर के तनाव अखिल भारतीय स्तर पर हैं।

जब कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि नेता के प्रति अनुयायियों में आकर्षण घटने लगता है और उसके अपने नेतृत्व का लोप प्रतीत होता है तब नेता स्वयं तनावों को जन्म देता है जो कि एक घृणित कार्य है। सन् १९६७ ई० के विधान सभा निर्वाचन में जब श्री राजितराम पाण्डेय पराजित हो गये तब उन्होंने ही सन् १९६९ ई० के निर्वाचन में यादवों के विरोध में ब्राह्मणों इकट्ठा हो जाओ[२४] का नारा केवल ब्राह्मण मतदाताओं को देकर विजय प्राप्त कर लिया और श्री बलदेवराम यादव पदासीन विधायक पराजित हो गये। आज भी हँडिया विधान सभा क्षेत्र में ब्राह्मण एवं यादव जातियों के मतदाताओं में परस्पर विरोधी-भावना ग्रंथि बन गई है। तनाव शैथिल्य के लिए नेता मध्यस्थ, उत्प्रेरक, निदेशक, गतिरोधकर्ता आदि के रुप में कार्य करता है। तनाव शैथिल्य के लिए अनेक उपायों का सहारा लेता है किंतु सब में प्रत्यक्ष विचार विमर्श को अधिक महत्व मिलता है क्योंकि ऐसा होने से उसके नेतृत्व की छाप एवं मान्यता का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। युद्ध भी तनाव शैथिल्य का एक साधन है जिसका भी उपयोग कभी कभी किया है।

वर्गों में सामन्जस्य स्थापन :

राजनीतिक दल का नेता मानव की प्रगति के लिए सहायक सिद्ध

होनेवाले वर्गों जैसे शारीरिक और मानसिक ; भौतिक एवं आध्यात्मिक , आर्थिक एवं वैचारिक , प्राकृतिक एवं कृत्रिम , मानवीय एवं यांत्रिक आदि में जब परस्पर विरोध की दिशायें दिखलायी देती है तब नेता उन सब के मध्य समन्वय स्थापन करता है । समन्वय स्थापन की प्रक्रिया निरंतरवाद, प्रतिवाद के पश्चात् समन्वयवाद के रूपों में चलती रहती है । राजनीतिक दल का नेता अपने दल को सान्त्विक रूप प्रदान करने की सदैव चेष्टा करता है जिसके लिए परस्पर विरोधी नीतियों, कार्यक्रमों एवं सिद्धान्तों पर गंभीरतापूर्वक चिन्तन करके देश की परिस्थितियों के अनुकूल जो कुछ होता है उसको " प्रबन्धीय भूमिका " समझकर करता है । परस्पर विरोधी वर्गों में समन्वय स्थापित करना संतुलन की एक पद्धति है । जनतंत्र में मतैक्य एवं संघर्ष के वर्गों में संतुलन होता है ।[३५]

संडिला विधान सभा क्षेत्र के नेताओं से साक्षात्कार के समय पूछे गए प्रश्न " सभी दलों के नेता आपस में मिलते जुलते रहे तो देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? के उत्तर में ८७. ५ प्रतिशत " अच्छा " तथा १२. ५ प्रतिशत " बुरा " परिणाम बताया । " अच्छा प्रभाव " का अनुमान करनेवाले नेताओं ने इससे " देश हित " एक दूसरे की विचारधाराओं की जानकारी एवं ग्राह्यता का ज्ञान ", " विचारों की खाई पटेगी " तथा " देशहित के विचारों का आदान-प्रदान होगा " की यथार्थ कल्पना किया और " एकराष्ट्रीय मंच "[३६] की आवश्यकता पर बल दिया । " अच्छा प्रभाव " बताने वाले नेताओं में १८. ७५ प्रतिशत ने " देश के बड़े प्रश्नों पर " , " दलीय अनुशासन में रहकर " तथा " नेक नियत से मिलना अच्छा होगा ", " ऐसे प्रतिबन्ध भी लगाया । " बुरे प्रभाव " का अनुमान करनेवाले नेता इससे अनुशासनहीनता, दलीय कार्यक्रमों की उपेक्षा तथा जनहित की अपूर्ण अभिव्यक्ति की कल्पना किया ।

ये नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं भारतीय लोकदल के ही रहे जनसंघ का कोई नहीं । ऐसा प्रतीत होता है कि बुरे प्रभाव का अनुमान करने वाले नेता दल हित को जनहित से अधिक महत्त्व प्रदान करते हैं तथा दलहित के साथ जनहित का समन्वय स्थापन उनकी प्रकृति के प्रतिकूल है । ८७. ५ प्रतिशत नेता समन्वय वादी है जो कि परस्पर विरोधी दलों को भी देश हित के लिए एकजुट होकर कार्य

करने की कामना रखते हैं । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ तथा भारतीय लोकदल के संगठन के पदाधिकारियों ने शत प्रतिशत 'अच्छा' बताया ।[37]

जब अपने दल के अन्तर्गत अपने अपने हितों को लेकर वर्ग बन जाते हैं और इन वर्गों के हित आपस में टकराते हैं जिससे दलीय विघटन की संभावना प्रतीत होती है । तब राजनीतिक दल का नेता इनमें समन्वय स्थापन का प्रयत्न करता है । यदि समन्वय स्थापना में वह विभिन्न पक्षों को संतुष्ट रख सका तब दल पर गुटबन्दी का कुप्रभाव नहीं पड़ता । 'दल के अन्दर भिन्न भिन्न वर्गों में सामंजस्य कैसे बैठाते हैं ? के उत्तर में सभी नेताओं ने कुछ न कुछ उपाय अवश्य बताया जिससे स्पष्ट है कि नेता वर्गीय हितों एवं जनहितों के मध्य समन्वय स्थापित करता है । सामंजस्य बैठाने के उपाय में ५० प्रतिशत सभी वर्गों के हितों का दल की नीतियों एवं कार्यक्रमों में ध्यान रखकर सुन्दरतम् प्रतिपादन अर्थात् सर्वजनहित में सभी को अंश प्रदान करनेवाले साध्य पर बल दिया' २५ प्रतिशत कार्य संपादन , परिस्थितियों के अनुसार आगे-पीछे करके, सभी का सहयोग प्राप्त कर तथा समाजवादी विचारधारा से अर्थात् सामंजस्य उत्पन्न करनेवाले साधनों पर अवलम्बित उपाय बताया तथा २५ प्रतिशत जातिगत आधार पर कार्यकर्ताओं का पूजन कार्यकर्ताओं पर विश्वास, चरित्रवान निःस्वार्थ कार्यकर्ता एवं नेता द्वारा आदर्श स्थापना' के उपाय बताया जो कि साधक से संबंधित है ।

अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्गीय सामंजस्य बैठाने में सब से अधिक साध्य पर ध्यान दिया जाता है फिर उसके बाद साधक एवं साधन दोनों को समान महत्व प्रदान किया जाता है । नेता समन्वय स्थापना करने में इन तीनों का ध्यान रखता है, केवल एक पक्ष का पोषण होने में समन्वय स्थापना असंभव हो जाती है । साध्यों के मध्य, साधनों के मध्य एवं साधकों के मध्य फिर इन तीनों के मध्य समन्वय स्थापित करना नेता का कार्य है जिससे दल विरोधी भावों का वातावरण न बन सके ।

जनता एवं सरकार के मध्य संतुलन :

राजनीतिक नेता का कार्य है कि वह समस्त देश में

विस्तीर्ण जनता एवं राजधानियों में केन्द्रित सरकार के मध्य की दूरी को कम करे और उसकी मांगों एवं आपूर्तियों के मध्य संतुलन स्थापित करे । जनता एवं सरकार के मध्य की दूरी कम करने के लिए वह दोनों पक्षों को एक दूसरे की कठिनाइयों से स्वयं अवगत कराता है और उनके संभावित समाधानों को प्रस्तुत करके सरकार से स्वीकार कराने का अभियत्न करता है । सरकार अथवा दल की योजनाओं में जनता से भाग लेने का आवाह्न करता है और उसके मार्ग में आनेवाली बाधाओं को यथा-शक्ति दूर करता है किन्तु माइरोन वेनर के अनुसार नेता एवं जनता के मध्य ही भारत में अन्तराल है ।[38]

जनता अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने का अथक प्रयास करती है किन्तु सीमित साधनों एवं उपादानों से जब आवश्यकतायें पूरी न हो पाती तब अपेक्षा पूर्ण दृष्टि से सरकार की ओर निरखती है तथा संपर्क माध्यमों को ढूंढती है । स्थिति में उसके निर्वाचित प्रतिनिधि या अनिर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में नेता, जनता की स्थायी अथवा अस्थायी मांगों जिनसे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता मिल सकती है को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करता है, जनमत का दबाव डालता है और उसका प्रयास करता है कि सुविधायें नागरिक के अधिकार के रूप में परिवर्तित होकर सरकार द्वारा पूरी की जाय ।

जनता की मांगें जब समाज द्वारा स्वीकृत तथा राज्य द्वारा मान्य हो जाती हैं तब अधिकार के रूप में उनकी आपूर्ति होती है । जो नेता सरकार एवं जनता के मध्य स्थापित होनेवाले संतुलन को जनता के पक्ष में धनात्मक रखता है वह जनता में अपनी लोकप्रियता बढ़ाता जाता है और इसकी विपरीत स्थिति में उसकी लोकप्रियता घटती जाती है और अन्त में वह अपने नेतृत्व को जीवित रखने के लिए पृष्ठद्वारों से प्रवेश करता है । जब जनता एवं सरकार के मध्य की दूरी बढ़ती है नेता एवं जनता के मध्य अन्तराल बढ़ता है और मांगों की आपूर्ति शून्य की ओर गतिशील होती है तब निश्चित ही विद्रोह, हिंसा, क्रान्ति एवं गृह युद्ध होता है । भारत में राजनीतिक नेता जनता के समीप प्राय: चुनाव काल में ही स्वत: आते हैं इसके पश्चात् के काल को संभवत: विश्रामकाल समझते हैं, यह अवांछनीय है। 39

अत: जो नेता सरकार का अंग बन जाता है उसे संतुलन

स्थापित करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं तथा तत्सम्बन्धी उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। नेता का जन्म समस्याओं में, विकास समस्याओं से और मृत्यु समाधानों द्वारा होती है। अत: जिस समय जनता स्वत: अपनी समस्याओं का समाधान कर लेगी उस समय न तो नेता होंगे न सरकार होगी और न राज्य की आवश्यकता ही रह जायेगी।

जनस्वरोच्चारण, मापन एवं निर्देशन :

जब देश की साक्षरता कम होती है, नागरिकों को अवकाश नहीं मिलता तथा सरकार की भाषा सामान्य जनभाषा नहीं होती तब जनता के मूक असंतोषों, व्यथाओं, विपदाओं, वेदनाओं, व्याकुलताओं, अभिलाषाओं आकांक्षाओं, रुचियों, अभिरुचियों एवं हितों को नेता स्वर प्रदान कर, उसका बार बार उच्चारण करता है, उसे भाषा बद्ध करता है तथा लिपिबद्ध भी करता है। नेता जो कुछ बोलता और लिखता है, उसमें उसका निजी कुछ नहीं है और सब जनता का ही या उसके किसी अंश का होता है। नेता सुषुप्त भावों को जागृत, क्रियाशील एवं आवेगित करता है।

उपरोक्त स्थितियों में जब जनता के स्वर में विसंगतियाँ होती है तब उन्हें नेता दूर करके एक स्वर की स्थापना करता है। एक स्वर में समुद्रीय गहराई एवं नभीय ऊँचाई उत्पन्न करना नेता का कार्य है। जनता के एक स्वर में कितना वेग है। इसका मापन, आवश्यकतानुसार विपुल तथा श्रोता के कर्ण कुहरों में गुंजित करना नेता का ही कार्य है। सरकार नेता की भाषा में जनता को समझती एवं सुनती है। जनता के स्वर को सर्जनात्मक अथवा विध्वंसात्मक दिशा में प्रवाहित करना नेता के अपने लक्ष्यों पर आधारित है। वह चाहे तो आक्रोश की ज्वाला में तथाकथित जन प्रतिनिधियों को झुलसाये, मरणासन्न एवं भस्मसात् करा दे या लोक श्रद्धा की मन्दाकिनी से शीतल करा दे यह उसके दिशा निर्देशन पर निर्भर करता है। नेता राष्ट्र में युद्ध की तत्परता एवं शान्ति की सिद्धान्त का स्वरोच्चारण , मापन एवं निर्देशन के कार्य से संभव करता है।

३. प्रशासन का सेवोन्मुखीकरण :

राजनीतिक नेता का कार्य है कि सरकार के प्रशासन को जो कि प्राय: सत्ता की ओर उन्मुख रहता है उसे अधिकाधिक अर्थों में सेवोन्मुख करे। प्रशासन का अधिकारी या कर्मचारी, जनता की समस्याओं एवं कठिनाइयों का प्रत्यक्ष अवलोकन करने के पश्चात् भी, उसके निर्णय सत्ता- संरक्षण के पक्ष में ही होते हैं। जब उसके निर्णयों के विपरीत प्रतिक्रियायें प्रबल होती हैं तब अपनी वैध सीमाओं या सरकारी आदेशों की विवशताओं का रक्षा कवच धारण करता है।

विरोधी दल का नेता ऐसे प्रशासन का उग्र विरोध करता है जो जनता पर सत्ता का वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। प्रशासन का सत्ता की ओर देखना स्वाभाविक है क्योंकि उसी के आदेशों को कार्यान्वित करना उसका प्रथम कर्तव्य है, परन्तु इस बात का ध्यान सदैव रहे कि जनता की सेवा करना ही उसका लक्ष्य है न कि उसकी सामान्य इच्छाओं का दमन करना। राजनीतिक नेता का कार्य है कि प्रशासन को सेवोन्मुख रखे, इससे विमुख न हो इसके लिए उस पर नियंत्रण का अंकुश रखे और इस मार्ग में आनेवाली बाधाओं को यथा संभव निर्मूल करे सत्ता में मदान्ध प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह बोध कराना राजनीतिक नेता का कार्य है कि उसका अस्तित्व जनता की सेवा से ही सुरक्षित रह सकता है न कि उसे डरवाने, धमकाने, कुचलने, दबाने, बहकाने, फुसलाने अथवा धोखा देने, उलझाने आदि से। जब प्रशासन जनता की सेवा से विमुख होने लगता है तब जनता का परित्राण करना और प्रशासन के सेवोन्मुख करना नेता का कार्य है।

इस विधान सभा क्षेत्र में तहसील केन्द्र, विकास केन्द्र, थाना, अस्पताल, विद्युत उपकेन्द्र तथा नलकूप उप खण्ड आदि अवस्थित होने से राजनीतिक नेताओं को प्रशासन को सेवोन्मुख करने का अधिक अवसर मिलता है। उपरोक्त केन्द्रों के अधिकारी या कर्मचारी जब सेवा पथ से विचलित होते हैं तब नेता गण उनके विरोध में जनता तथा सरकार में वातावरण बनाकर स्थानान्तरित, निलम्बित अथवा पदच्युत करते हैं। श्री डा० देवराज सिंह ने श्री गंगा प्रसाद निगम तहसीलदार सँडिला

को जून सन् १९६४ में निलम्बन कराया, एवं सरकारी अस्पताल के डाक्टर एस० नाथ का सितम्बर, ७४ में स्थानान्तरण कराया ।[४०] श्री कमलाकान्त तिवारी 'कंज' ने इंडियन मलकूप उपखण्ड के उपखण्डाधिकारी अभियन्ता के भ्रष्टाचार को सिद्ध करके उसे निलम्बित कराया और स्टेट बैंक इंडिया के अभिकर्ता श्री सिंह की पदावनति करायी ।

४- राजनीतिक मूल्यों का विचार एवं प्रचार :

राजनीतिक दल के नेता का कार्य है कि वह राजनीतिक पुरातन मूल्यों का वर्तमान परिस्थितियों में विश्लेषण करके नवीनता के संशोधनों से परिमार्जित एवं सुसज्जित करे और समय की पुकार के अनुसार नये मूल्यों का सृजन भी करे । मूल्य से तात्पर्य 'अच्छा', 'बुरा', 'गलत', 'सही' जैसे मान्यताओं से संबद्ध कथन से है जिसका उद्देश्य इच्छित या इच्छा योग्य वस्तुओं पर बल देना है।[४१] मूल्य अत्यन्त सामान्यीकृत उद्देश्य है अथवा उद्देश्यपूर्ण व्यवहारों की अन्तिम वैधतायें हैं ।[४२] दुर्खीम ने सामाजिक मूल्यों की विवेचना में स्पष्ट किया है कि मूल्य सामाजिक तथ्य है जिनमें बाह्यता एवं बाध्यता- दोनों विशेषतायें होती हैं । राजनीतिक मूल्य वे मानदण्ड, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके आधार पर राजनीतिक परिस्थितियों, व्यवहारों एवं विषयों का मूल्यांकन किया जाता है । ये राजनीतिक मूल्य देश, काल, पर्यावरण, शासन प्रणाली तथा प्रगति के क्षेत्र एवं अर्थ के अनुसार परिवर्तित तथा परिवर्धित होते रहते हैं या उनका स्वरूप रूपान्तरित होता रहता है।

स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय , जन कल्याण, धर्म निरपेक्षता , अहिंसा, राष्ट्रीयता, अन्तर्राष्ट्रीयता, शान्ति, सुरक्षा, सम्मान प्रतिनिधित्व, सत्ता, मुक्त व्यापार, सत्ता का केन्द्रीकरण या विकेन्द्रीकरण, ऊँचनीच की भावना आदि प्रमुख राजनीतिक मूल्य हैं । राजनीतिक दल की विचार धारायें इन्हीं मूल्यों का प्रतिपादन करती हैं । जब कभी एक मूल्य एक दूसरे मूल्य से विरोध होने लगता है - जैसे ऊँच नीच की भावना समानता की विरोधी है, ऐसी स्थिति में नेता दोनों के अन्तः संबंधों एवं क्षेत्रों का निर्धारण करके फिर सामंजस्य स्थापित करता है ।

राजनीतिक दल का नेता इन्हीं राजनीतिक मूल्यों का देश के नागरिकों तथा आवश्यकता अनुभव करने पर विदेश में भी प्रचार एवं प्रसार करता है । प्रत्येक नागरिक के मस्तिष्क में यदि समान मूल्य स्थापित हो जाय तब उनके दृष्टिकोण भी एक ही प्रकार के हो जायेंगे जिससे संघर्ष की संभावनायें क्षीण हो जायेंगी । राजनीतिक मूल्यों के प्रचार एवं प्रसार से स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है किन्तु दुःख है कि सत्ता प्राप्ति या उसके संरक्षण के लिए भाई-भतीजावाद, गुटवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सम्प्रदायवाद, वर्गवाद के समान राजनीतिक मूल्यों की स्थापना हो रही है ।

यदि मतदाताओं को वरीयता मत देने का अधिकार मिल जाये तब विधान सभा निर्वाचन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? के उत्तर में नेताओं ने ५० प्रतिशत अच्छा, ४४ प्रतिशत 'बुरा' तथा ६ प्रतिशत 'कोई लाभ नहीं' बताया । अच्छा प्रभाव बतानेवालों ने 'अल्पमत के लोग भी प्रतिनिधि भेज सकेंगे' और 'विषमता रुकेगी' ऐसे लाभों को स्पष्ट किया जो कि स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व एवं समानता के मूल्यों पर आधारित है । कुछ नेताओं ने सप्रतिबन्ध अच्छा बताया जब कि मतदाता शिक्षित एवं प्रशिक्षित हो । 'बुरा प्रभाव बतानेवाले नेताओं ने 'भ्रम की उत्पत्ति', 'देश की विशालता', 'प्रत्यक्ष निर्वाचन', 'गरीब प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सकेंगे तथा 'देश हित में न होगा' ऐसे परिणामों एवं कारणों के आधार स्पष्ट किये जिनमें क्रमशः 'स्पर्द्धा', 'साध्यता', 'वर्गीय प्रतिनिधित्व' और 'राष्ट्रीयता' के मूल्यों की छाप प्रकट होती है ।

सन् १९७४ ई० के विधान सभा निर्वाचन में आपके दल की जीत या हार किन स्थितियों में हुई ? के उत्तर में सत्ता कांग्रेस के नेता अपने दल की पराजय के कारणों में ४४ प्रतिशत 'प्रत्याशी का त्रुटि चयन' ३० प्रतिशत 'आपसी गुटबन्दी', १२ प्रतिशत 'अनुशासन का अभाव', ६ प्रतिशत 'जाति सत्ता', ६ प्रतिशत 'कार्यकर्ताओं का अभाव' तथा ६ प्रतिशत 'हरिजनों एवं मुसलमानों का समर्थन न मिलना' बताया जिससे दल के आन्तरिक कारणों का प्रतिशत ८८ और बाह्य कारणों का प्रतिशत १२ रहा । भारतीय जनसंघ के नेताओं ने अपने दल के पराजय के लिए ३५ प्रतिशत 'प्रत्याशी की दुर्बलता' ११ प्रतिशत 'संगठन का अभाव', ११ प्रतिशत

अनुकूल वातावरण को स्थिर न रख सकना', ११ प्रतिशत साधनों का अभाव', ११ प्रतिशत वैकटों का समर्थन न मिलना', ११ प्रतिशत मतदाताओं में शिक्षा का अभाव' तथा ११ प्रतिशत सत्ता कांग्रेस द्वारा प्रलोभन एवं दबाव' बताया जिसमें ६७ प्रतिशत आन्तरिक तथा ३३ प्रतिशत बाह्य कारण है ।

संगठन कांग्रेस की पराजय के कारण उसके प्रत्याशी का लखनऊ में ही निवास, आर्थिक अभाव तथा हरिजनों एवं मुसलमानों द्वारा समर्थन न देना बताया गया । ज्ञातव्य है कि संगठन कांग्रेस के प्रत्याशी श्री रामलखन शुक्ल-हैदाबाद सन् १९६७ ई० में अविभाजित कांग्रेस के प्रत्याशी रहे जो कुछ ही मतों से ही पराजित हो गये थे और सन् १९७४ ई० के निर्वाचन में २८४० मत ही प्राप्त कर सके ।[४४] भारतीय लोकदल जिसका प्रत्याशी विजयी हुआ उसकी विजय के कारणों में ५० प्रतिशत प्रत्याशी की सेवायें तथा पिछड़े वर्ग में उसका प्रभाव' १६ प्रतिशत कार्यकर्ताओं का नि:स्वार्थ सहयोग, १७ प्रतिशत जनता द्वारा समर्थन तथा १७ प्रतिशत उच्चवर्ग के प्रत्याशी तथा अनेक राजनीतिक दल' बताया गया जिसमें ६६ प्रतिशत आन्तरिक तथा ३४ प्रतिशत बाह्य कारण है ।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनसंघ एवं भारतीय लोकदल के पराजय एवं विजय के लिए महत्वपूर्ण आन्तरिक कारकों का औसत प्रतिशत ७३.७ तथा बाह्य कारकों का २६.३ है अत: यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी दल की निर्वाचन में विजय उसके आन्तरिक कारकों पर विशेष अवलम्बित है । इस प्रकार जब राजनीतिक नेता चुनाव जीतनेवाले मूल्यों का सम्यक रूप से विचार न करके निर्वाचन क्षेत्र में अपने दल को उतारते हैं तब उन्हें पराजय ही मिलती है ।

५- राजनीतिक नैतिकता का निर्धारण, प्रतिपालन एवं अभिरक्षण :

राजनीतिक नेता की समस्यायें उसकी राजनीतिक नैतिकता का स्तर उच्च होने पर सरलता से हल हो जाती है । नेता सदैव अपने अनुगामियों, सहयोगियों एवं समर्थकों को जिसका वर्ग, समूह या दल बनाता है उनके नैतिक स्तर को उच्च रखने का कार्य करता है । उच्च नैतिक स्तर के चिन्हों की सूची

निम्नलिखित है[४५] - १- समूह के लिए बाह्य दबावों से नहीं अपितु आन्तरिक संलाग्निता से साथ-साथ रहने की एक प्रवृत्ति २- विभाजनशील संघर्ष का एक न्यूनतम स्तर ३- समूह की अनुकूलता जो कि परिस्थितियों के परिवर्तन से आन्तरिक समायोजन में संघर्ष को नियंत्रित करे । ४- समूह के सदस्यों में पर्याप्त समानतायें ५- प्रत्येक सदस्य के लक्ष्य में सामुदायिकता ६- समूह के उद्देश्यों तथा नेतृत्व के प्रति सदस्य में धनात्मक मनोवृत्ति ७- समूह के सदस्यों में समूह को बनाये रखने तथा उसके निर्धारित मूल्यों को सम्मानित करने की चाह ।

अतः उपरोक्त चिन्हों अर्थात् आन्तरिक संलाग्निता, न्यूनतम विभाजनशीलता, उपयुक्ततम् अनुकूलता, पर्याप्त समानता, विशाल सामुदायिकता, उद्देश्यों एवं नेताओं के प्रति निष्ठा तथा समूह में रहने की उत्कृष्ट आकांक्षा, का निर्धारक , प्रतिपालक एवं अभिरक्षक नेता होता है । राजनीतिक दल की नैतिकता का स्तर ऊँचा रखने के लिए नेता आकर्षक लक्ष्यों को निर्धारित करता है, सहायक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, लक्ष्य की ओर प्रगति प्रदान करता है, आकांक्षाओं एवं उपलब्धियों में संतुलन रखता है, समय पर होनेवाले कार्यों को औचित्य प्रदान करता है, स्वार्थत्याग एवं लाभ में समानता लाता है, समैक्य, अभिमान एवं अन्तर्निर्भरता के भाव भरता है और दल की पहिचान को उत्साहित करता है ।

यदि राजनीतिक नेता का निम्न राजनीतिक नैतिक स्तर निम्न हो जाय तब उसके गुट, दल अथवा वर्ग में विघटन, छिद्रान्वेषण, अपमान, बहिष्कार, अवज्ञा, आत्म विश्वासहीनता, आत्मघात, अनुशासनहीनता, प्रबल स्वार्थ परता एवं असफलता की दरारे पड़ जायेंगी । राजनीतिक नैतिकता के अभिरक्षण के लिए दल के संविधान बनाये जाते हैं और उसके आधार पर अनुशासन का मानदण्ड बनता है । दल का अनुशासन दल की राजनीतिक नैतिकता का महत्वपूर्ण मापदण्ड है ।

संगठन में अनुशासन बनाये रखने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं ? प्रश्न से प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि ५५ प्रतिशत आत्मबोधात्मक उपाय - जैसे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर, शिविरों, गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि का आयोजन, कार्यकर्ता के सुख-दुःख में भाग ग्रहण

कार्यकर्ताओं पर विश्वास एवं उनका प्रशिक्षण, कार्यकर्ता के मन में पद की अनिच्छा जागृति तथा सुरक्षा का विश्वास, कार्य विभाजन तथा दल की नीतियों एवं सिद्धान्तों का प्रतिपादन आदि ; २५ प्रतिशत पुरस्कारात्मक उपाय - जैसे आगे बढ़ने का अवसर एवं सम्मान, नेतृत्व प्रोत्साहन , योग्यता के अनुसार पद तथा योग्य को पदाधिकारी बनाना आदि १० प्रतिशत निर्देशात्मक उपाय - जैसे उच्च पदाधिकारियों के निर्देशन, नेता या वाङ्मय श्रद्धा का पूजन, प्रत्याशी समर्थन का आदेश तथा नेताओं के द्वारा संबोधन आदि ; ७.५ प्रतिशत दण्डात्मक उपाय - जैसे निष्कासन , निलम्बन, पुन: सदस्य न बनाना, या पद न देना आदि तथा २.५ प्रतिशत परामर्शात्मक उपाय - जैसे किसी भी निर्णय में परामर्श लेना, अनुशासन बनाये रखने के लिए नेताओं द्वारा अपनाये जाते हैं । आत्मबोधात्मक उपाय के अतिरिक्त अन्य उपाय बाह्य हैं जो कभी बाध्यता उत्पन्न कर सकते हैं अत: अनुशासन उत्पन्न करने या बनाये रखने के लिए नेता का कार्य है कि वह आत्मबोधात्मक उपायों का सहारा ले इससे नैतिक स्तर उच्च होगा ।

६- दल का प्रतीकीकरण :

मानव मस्तिष्क संस्कृति एवं सभ्यता दोनों का जन्मदाता है । संस्कृति ~~अमूर्त~~ दुरुह तथा विचार प्रधान होती है इसलिए उसको सुसाध्य,सौगम्य एवं उपयोगी करने का साधन सभ्यता है । सभ्यता व्यावहारिक एवं साकार होती है जिसे ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अनुभूत किया जाता है । विश्व के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित समस्त वस्तुएं, उपादान, उपकरण आदि प्रकृति पर मानव की विजय के प्रतीक हैं । भावों, विचारों, कार्यों एवं आदर्शों का प्रत्यक्ष स्वरूप प्रकट करनेवाले माध्यम अथवा साधन प्रतीक हैं । प्रतीक मिथकों को व्यक्त करने का एक अत्यन्त सरल माध्यम है । ये विचारधारायें , मूल्य तथा विश्वास भी व्यक्त करते हैं । राजनीतिक नेता अपने जीवन में दल के मूल्यों, विचारधाराओं एवं विशेषताओं को आत्मसात करके जब उन्हें अपने व्यवहारों एवं कार्यों के माध्यम से प्रकट करने लगता है तथा जनसमूह उसकी उपस्थिति को दल की उपस्थिति मानता है

तब यह समझना चाहिए कि उस नेता का पूर्ण प्रतीकीकरण हो गया है । इसी प्रतीकीकरण के कारण ही नेता का सम्मान, अपमान, यश, अपयश, विजय,पराजय, उत्थान, पतन आदि उसके साथ साथ दल का भी माना जाता है । राजनीतिक नेता दल के प्रतीकीकरण के लिए पूर्ण सिद्धान्ती बनकर सभी क्रियाओं में अन्तर्ग्रस्त होता है, अधिकाधिक काल तक उत्तरोत्तर दायित्व पूर्ण पदों पर आसीन रहता है और दल की लोकप्रियता का अभिवर्धन करता है ।

आदर्श राजनीतिक नेता अपने संपर्क में आनेवाले व्यक्तियों पर दल की विशेषताओं का सन्निवेशन करता है जिससे दल की अनुयायियों की संख्या वृद्धि होती है । यदि नेता मिथ्याभाषी, पूर्वाग्रही, जातिवादी, विखण्डनकारी, धूर्त पाखंडी , दम्भी तथा अनैतिक मनोवृत्ति का हुआ तो जनता उसके दल को उन्हीं मनोवृत्तियों का प्रतीक समझने लगता है और अपना समर्थन देना बन्द कर देती है । इंडिया स्थानीय विधान सभा क्षेत्र में समाजवादी दल के प्रमुख स्थानीय नेता के अवगुणों के कारण उसे चोरों, डकैतों एवं गुण्डों का दल समझा जाता रहा और वर्तमान समय में भी बी० के० डी० को यादवों का प्रतीक समझा जाता है । एक नेता समर्थन प्राप्त करने के लिए अनेक संगठनों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है।

७- नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन :

राजनीतिक नेता निजी तथा दल अथवा समूह के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, आदर्श स्थापना के लिए एवं दीर्घकालिक शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था के लिए, गंभीरतापूर्वक चिन्तन, मनन, अध्ययन एवं विचार विनिमय के पश्चात्, व्यापक तथा अति सूक्ष्म जन हितों को प्रतिबिम्बित करनेवाली आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक , सांस्कृतिक वैदेशिक एवं इसी प्रकार की अन्य नीतियों का निर्माण करता है या उसमें परामर्श, संमति, संस्तुति, अनुमोदन के रूपों में निर्णय देता है । राजनीतिक दलों में नीति-निर्णय देता है । राजनीतिक दलों में नीति-निर्णय प्रक्रिया ' अल्पतंत्र के लौह-नियम ' का पालन करती है ।

' दल की नीतियों का निर्धारण कितने लोग करते हैं ? के उत्तर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने ' चन्द लोग - जो कि गलत ढंग है,

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ' कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ' कांग्रेस वर्किंग[४८] कमेटी, ' हाई कमाण्ड बताया जिससे वास्तविक तथा नाम-मात्र दोनों प्रकार कि नीति निर्धारण पद्धति का आभास हो जाता है । ' हाई कमाण्ड ' तथा ' चन्द्रलोग ' शब्दों से अल्पतंत्र का चित्र आवरणहीन हो जाता है जिनमें लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या के कारण ही एक नेता ने उसको ' गलत ढंग ' घोषित करके अपनी असहमति प्रकट किया ।

भारतीय जनसंघ के नेताओं ने ' कुछ बुद्धिजीवी ', केन्द्रीय कार्य समिति ' तथा ' पाँच-सात लोग ' बताया । भारतीय जनसंघ के नेताओं के उत्तर भी अल्पतंत्र के लौह-नियम ' की सम्पुष्टि करते हैं । भारतीय लोक दल के नेताओं ने प्रतिभावान तीन चार लोग ' , ' कमठ बुद्धिजीवी पन्द्रह-बीस लोग ', ' अनुभवी नेताओं की कमेटी ' बताया । इन नेताओं के उत्तर भी अल्प तंत्र की अभिपुष्टि करते हैं । अत: यह निर्विवाद सत्य प्रतीत होता है कि दल का संपूर्ण क्रियाकलाप नर पुंगवों या प्रवर वर्ग की नीतियों के पोषण, प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा के हेतु समाविष्ट किया जाता है । क्या इससे यह प्रश्न नहीं उत्पन्न होता कि संपूर्ण दल, अंगुलियों पर गणना किये जानेवाले प्रबुद्ध तथा प्रतिभावान नेताओं की लीला मात्र है ? क्या नीति निर्धारण में अपनायी जानेवाली पद्धति लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रतिकूल नहीं है ? स्पष्ट रूप में यह पद्धति निर्णयात्मक स्वतंत्रता का हनन करती है । निर्णयात्मक स्वतन्त्रता का केन्द्रण ही शक्ति का केन्द्रियकरण है । राजनीतिक दल के नेताओं को यह चाहिए कि समस्याओं का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण करके संगठन के घटकों को उनसे संबंधित निर्णयों को करने की स्वतंत्रता प्रदान करें जिससे दल के अन्तर्गत लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा बढ़े ।

' भारत की सर्वांगीण प्रगति वर्तमान परिस्थितियों में कैसे हो सकती है? के उत्तर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने ' दलों में सामंजस्य तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण ' योजनाओं का ठीक कार्यान्वयन तथा आध्यात्मिक प्रगति ' जनता कर्तव्यों के प्रति जागरूक ' आत्म संयमी एवं अच्छा व्यवहार करे तथा सरकार भाषा, क्षेत्र और जाति पर नहीं बल्कि आर्थिक दशा पर विचार करे, ' मौलिक

अधिकारों में ढिलाई, प्रशिक्षित तथा प्रामाणित नेता हों,[४६] " जनता को कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करके," गरीबी दूर हो , ऊँच नीच का भेद मिटे, प्रेम भावना पैदा की जाय", " सभी राजनीतिक दल एक सर्वमान्य सिद्धान्त पर रचनात्मक कार्य करे तथा भारत का समाजीकरण हो[५०] , तथा जिससे नीति एवं नीति निर्देशक सिद्धान्तों का परिचय मिलता है ।

उपरोक्त उत्तरों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि नीति निर्माण में त्रिध्रुवीय (साध्य, साधन एवं साधक) दृष्टि अनिवार्य है । साध्य के रूप में राष्ट्रीयता, अध्यात्मिकता, गरीबी उन्मूलन तथा ऊँच-नीच के भावों का समापन, साधन के रूप में योजनाओं का ठीक कार्यान्वयन, अन्तर्दलीय सामंजस्य, प्रशिक्षण , कर्तव्य निष्ठा एवं समाजीकरण , तथा साधक के रूप में राजनीतिक, नेता सरकार तथा जनता का बताया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि नीतियों के निर्माण में त्रिध्रुवीय दृष्टि अनिवार्य है । क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागणों के उत्तरों से यह तथ्य स्पष्ट नहीं हो जाता कि भारत की वर्तमान अवस्था में वांछित प्रगति के लिए ये सभी अपरिहार्य अपेक्षायें हैं ?

भारतीय जनसंघ के नेताओं ने भी सर्वांगीण प्रगति के लिए उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में " प्रामाणिक कर्मचारी- चौकीदार से राष्ट्रपति तक, शोषण विहीन समाज में संपत्ति का विकेन्द्रीकरण[५१] " भारत अपने ही स्त्रोतों पर कार्य करें", " राजनीतिक सामाजिक, धार्मिक, औद्योगिक एवं जातीय संगठन के प्रधानों की एक संयुक्त परिषद् हो तथा वे सभी न्यूनतम आधार पर कार्य करें[५२] बताया । इन उत्तरों में भी त्रिध्रुवीय दृष्टि की झलक मिलती है । साध्य के रूप में शोषणविहीन समाज तथा भारत की आत्म निर्भरता है, साधन के रूप में सम्पत्ति का विकेन्द्रीकरण एवं न्यूनतम कार्यक्रम पर सहमति है तथा साधक के रूप में प्रामाणिक कर्मचारी, विभिन्न संगठनों के प्रधान तथा संयुक्त परिषद् है । इन नेताओं के उत्तरों से प्रामाणिक कर्मचारियों, संपत्ति के विकेन्द्रीकरण तथा सभी दिशाओं में कार्यरत नेताओं की संयुक्त परिषद् के कार्यों पर प्रकाश पड़ता है ।

भारतीय लोकदल के नेताओं ने सर्वांगीण प्रगति के लिए उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में " लघु उद्योग बढ़े, परतीभूमि कृषि योग्य बनाकर बांटी ,

नि:शुल्क शिक्षा, शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन, अपव्यय पर प्रतिबन्ध,`एकता परिश्रम छोटे छोटे उद्योग खुले, कृषि पर विशेष ध्यान, अनिवार्य शिक्षा`,६० प्रतिशत गरीबों को शिक्षा, उद्योग , रोज़गार और नौकरी में विशेष अवसर का सिद्धान्त अपनाकर` बताया । इन उत्तरों में, एकता तथा दरिद्रता विनाश साध्य है, उद्योग धंधे [५३], कृषि, शिक्षा , परिश्रम तथा अपव्यय पर रोक साधन है, तथा साधक के एकत्व का अभाव है जो कि संभवत: सरकार ही हो । इन नेताओं के उत्तरों में भी अपेक्षाओं का दर्शन होता है ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ तथा भारतीय लोकदल के नेताओं की नीति निर्धारण क्षमता का आकलन किया जाय तो कांग्रेस का प्रथम, जनसंघ का द्वितीय तथा भारतीय लोकदल का तृतीय स्थान प्रतीत होता है। किन्तु` सर्वांगीण` प्रगति के सभी क्षेत्रों एवं पक्षों पर किसी भी दल के नेता ने सुझाव नहीं दिया फिर भी प्राप्त सुझाव सुचिन्त्य है । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक , व्यापारिक, व्यावहारिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रों में नवीन मूल्यों का हो तथा उनको प्राप्त करानेवाले सिद्ध साधन हो और इन मूल्यों तथा साधनों में ऐक्यता स्थापित करनेवाले साधक के रूप में समस्त नागरिक नेता, कर्मचारी एवं शासक अर्थात् जन जन दत्तचित्त होंगे उसी समय भारत की सर्वांगीण प्रगति होगी । प्रगति का अर्थ देश, काल, परिस्थिति एवं विद्वानों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है किन्तु शान्ति ,सुरक्षा एवं उत्कर्ष के वांछित अवसरों का स्तरोन्नयन इसकी निकष है । नेता प्रगति के लिए नीतियां निर्धारित करता है तथा उनको क्रियान्वित करता है ; सफलताओं एवं असफलताओं के द्वारा उनका परीक्षण करता है तथा संशोधनों के द्वारा उनका सुन्दर से शृंगार करता है ।

चुनावों में धन के कुप्रभाव को कैसे रोका जाय, के उत्तर में कांग्रेस के नेताओं ने` जनता द्वारा वर्ग बहिष्कार , चुनाव आयोग द्वारा व्यय` जनता में कर्तव्य पालन का अन्वेषण, अपव्ययी के कुत्सित लक्ष्यों का प्रकाशन`,` शिक्षा राजनीतिक सिद्धान्तों का पूर्ण प्रचार, समाज सेवी उम्मीदवार`, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यय सीमा बढ़ायी जाय[५४] मतदाता अपने कर्तव्यों के प्रति सचेष्ट हो,` दल का कार्यक्रम जनता को समझाया जाय संगठन मजबूत हो,ईमानदार जन सेवक उम्मीदवार

हों राज्य एवं राजनीतिक दल मिलकर कोई एक फार्मूला निकालें और कुछ खर्च राज्य व्यय करे [५५], ऐसे उपायों को बताया।

उपरोक्त उपायों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह एक जटिल समस्या है जो कि निर्णय को अपने पक्ष में आकर्षित, गतिशील तथा हस्तगत करने के लिए उत्पन्न की जाती है। यह भी प्रकट होता है कि इस समस्या में सात साझीदार हैं, २५ प्रतिशत मतदाता, २५ प्रतिशत राजनीतिक दल, १६ प्रतिशत धन (स्वयं) १३ प्रतिशत प्रत्याशी, ६ प्रतिशत चुनाव, ६ प्रतिशत चुनाव आयोग तथा ६ प्रतिशत राज्य। अत: इन सातों के अंदर उपरोक्त वांछित सुधार हो जाय तो निश्चित ही यह समस्या हल हो सकती है।

चुनाव में धन के कुप्रभाव को रोकने के लिए भारतीय जनसंघ के नेताओं ने सरकार सर्वदलीय प्रचार करे और एक सप्ताह व्यक्तिगत प्रचार के लिए हो, विधान बनाकर जिसका अनुपालन सत्तादल स्वयं करे, [५६] दल के संगठन तथा नेताओं को दृढ़ करके बताया। संगठन कांग्रेस के नेता ने मतदाता चरित्रवान एवं इमानदार हों बताया। भारतीय लोकदल के नेताओं ने ६ माह पूर्व लोक सभा, विधान सभा भंग हो [५७], सत्तारूढ़ दल सरकारी साधनों का उपयोग न करे तथा चुनाव प्रचार के सभी साधन सरकार स्वयं दे जनता के मनोभावों को बदला जाय तथा एक मंच पर सब का प्रचार हो, सरकार व्यवस्था करे तथा मतदान अनिवार्य हो बताया।

इन दलों के नेताओं के उत्तरों का विश्लेषण करने से इस समस्या का आयाम छ: साझीदारों तक ही पहुंचता है जिनमें २५ प्रतिशत राज्य २५ प्रतिशत राजनीतिक दल (विशेषकर सत्तारूढ़) १६. ५ प्रतिशत मतदाता १६. ५ प्रतिशत चुनाव (विशेषकर प्रचार पद्धति) ८. ५ प्रतिशत प्रत्याशी तथा ८. ५ प्रतिशत चुनाव आयोग से संबंधित बताते हैं। अत: ये विरोधी दल, सरकार तथा सत्तारूढ़ दल पर इस समस्या का अधिकांश विशेष अंशों में लगा रहे हैं जबकि सत्तारूढ़ दल के नेता मतदाता तथा सभी राजनीतिक दलों पर लगा रहे हैं। परन्तु सभी के सम्मिलित उपायों में सुधार की अपेक्षायें २५ प्रतिशत राजनीतिक दल, २०. ७५ प्रतिशत मतदाता, १५. ७५ प्रतिशत राज्य, ११. २५ प्रतिशत चुनाव, १०. ७५ प्रतिशत प्रत्याशी

६.२५ धन (इसकी सीमा एवं महत्व) तथा ७.२५ प्रतिशत चुनाव आयोग से है । इस भयंकर समस्या का अन्त उसी समय संभव है जब धनाभाव भयंकर मृत्यु हो अथवा इतनी संपन्नता हो कि धन लिप्सा किसी भी व्यक्ति में न उत्पन्न हो या गुणों का आर्थिक मूल्यांकन न हो ।

<u>८- राजनीतिक शैली का विकास :</u>

वर्तमान युग में राजनीतिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किये जा रहे हैं, उनके संपादन की कला अथवा चातुर्य ही राजनीतिक शैली है । प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है जो कि वार्तालाप लेखन, आलोचना, अधिमूल्यन, दण्ड, पुरस्कार, सत्ता-हस्तान्तरण, समस्या समाधान आदि के अवसरों पर विशेष रूप से अनुभव की जाती है । किसी भी व्यक्ति से विचार विनिमय करने में नेता दासत्व-दास भाव को प्रदर्शित करने के लिए "प्रियदर्शी" शैली अपनाता है जिससे वार्ताकार तत्काल असंतुष्ट न हो और उसे कार्य सिद्धि का विश्वास रहे । नेता का कार्य है कि अपनी प्रियवाणी से लोगों के हृदय में व्रण तथा मन पर आघात न करे ।

सत्यं ब्रूयात । प्रियं ब्रूयात । न ब्रूयात, सत्यं अप्रियम्" में लोक तांत्रिक प्रकृति का नेता "सत्यं ब्रूयात" अर्थात् सत्य बोलना" इस शैली का विकास कम से कम कर रहा है । नेता के निजी प्रस्तावों में स्वार्थ एवं वास्तविकता का पता जनसाधारण साधारण की बुद्धि से परे हैं क्योंकि सरल शब्दों के रहस्यमय अर्थ होते हैं । "आपका काम नहीं होगा फिर किसका काम होगा", "मैं आपके लिए सदा तैयार हूँ", "मैं आपसे बाहर कहाँ हूँ", "मेरे लायक कोई सेवा हो तो बतावें, "आपसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी," "आप परेशान न हों सब ठीक हो जायगा", "यदि आपका काम न हुआ तो मेरी राजनीति बेकार है", "जो आप कह रहे हैं वही सही है, आदि वाक्य प्रियदर्शी शैली के उदाहरण वाक्य हैं । दूसरी शैली न्यायिक शैली है जिसमें सत्य और न्याय का पूर्ण ध्यान रक्खा जाता है चाहे श्रोताओं को अप्रिय ही क्यों न लगे । "इसमें आपकी गलती है", "आपका रास्ता अन्याय पूर्ण है", "मुझे अनैतिकता से घृणा है," वाक्य न्यायिक शैली के उदाहरण है ।

नेता लेखन के क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तब भी ऐसी वाक्य

रचना करता है जिसका अर्थ पाठक का अपना अर्थ ग्रहण करने की पूर्ण संभावना रखता है किन्तु भ्रमात्मक नहीं होता अपितु परिभाषा हीन होता है । जैसे " कांग्रेस लोकतांत्रिक समाजवाद चाहती है" जनसंघ साम्प्रदायिक दल है", प्रतिक्रियावादियों से देश को खतरा है"," श्रीमती इंदिरागांधी गरीबी मिटाना चाहती है," दक्षिण पंथी दलों का ध्रुवीकरण आवश्यक है," आदि वाक्यों में लोकतांत्रिक समाजवाद, साम्प्रदायिकता, प्रतिक्रियावाद, गरीबी, दक्षिण पंथी, ध्रुवीकरण शब्दों के सर्व-मान्य , एक अर्थ की मान्यता जन साधारण तथा नेता में नहीं है क्योंकि इनमें मानदण्ड पूर्ण निश्चित नहीं । इन शब्दों के मानदण्ड एवं परिभाषा यदि लेखों में अनिवार्य रूप से दी जाय तब एक अर्थ विकसित होगा ।

नेता आलोचना में अपनी शैली तथ्यगत, काल्पनिक, मृदुल, कठोर, व्यंगात्मक, सुधारात्मक तथा द्वयार्थक , प्रदर्शित करता है जिसमें से तथ्यगत मृदुल तथा सुधारात्मक शैली के विकास में ही नेतृत्व की प्रगति चिरस्मरणीय होती है क्योंकि इसका दृष्टिकोण रचनात्मक होता है । काल्पनिक, कठोर , व्यंगात्मक तथा द्वयार्थक शैली के विकास से क्रोध, घृणा, असहिष्णुता, विभेद, अविश्वास तथा दुर्भावना का संचार होता है और व्यक्ति की मनोवृत्ति विध्वंसात्मक हो जाती है । तथ्यगत शैली में सामाजिक तथा राजनीतिक या अन्य क्षेत्रों से उपलब्ध ठोस प्रमाणों पर आलोचना प्रस्तुत की जाती है जब की काल्पनिक शैली में कल्पनाओं पर आधारित आलोचना होती है । आलोचना में प्रयुक्त शब्द सरस है तब मृदुल यदि इसके विपरीत है तब कठोर शैली है । यदि आलोचना का लक्ष्य व्यंग है अर्थात् दुर्गुणों को प्रकाश में लाकर अपमानित करना तब व्यंगात्मक शैली और यदि सुधार के उपायों के साथ आलोचना है तब सुधारात्मक शैली है । आलोचना की वह शैली जो शब्दों या वाक्यों के त्रुटि पूर्ण अर्थ पर आधारित होती है वह द्वयार्थक है ।

अधिमूल्यन के क्षेत्र में नेता की शैली यथार्थ तथा अयथार्थ हो सकती है । यथार्थ अधिमूल्यन शैली में वास्तविकता को कम या अधिक नहीं किया जाता अपितु सत्यांश तक का वर्णन रहता है और अयथार्थ अधि मूल्यन में या तो सत्यता के अंशों को घटाया जाता है या उसमें अतिशयोक्तिका दोष होता है ।

सत्तारूढ़ दल का नेता अपने द्वारा किये गये कार्यों का अतिशय अधिमूल्यन करता है और विरोधी दल का नेता सत्तारूढ़ की त्रुटियों का अतिरंजन तथा सफलताओं का अवमूल्यन करता है जिसका लक्ष्य श्रेय से वंचित करना होता है ।

राजनीतिक नेता किसी व्यक्ति या समूह को दण्ड देने के लिए जो राजनीतिक शैली अपनाते हैं उनमें सार्वजनिक ढंग से अपमान, पदावनति, पदच्युति निष्कासन, आश्वासन की उपेक्षा, बातों की अनसुनी, समस्याओं की संख्या वृद्धि, समाधानों में विलम्ब या अस्थिरता , सुविधाओं का स्थगन, सम्मति या परामर्श न देना, गंभीर प्रश्नों को हल्के से ग्रहण करना मिलने या बात करने का अवसर न देना, उपहास, आलोचना, हितों तथा महत्वाकांक्षाओं पर मर्माघात या उनकी हत्या आदि प्रमुख हैं । झूठे आरोप, लान्छन, अविश्वास, चरित्र हत्या के द्वारा भी दण्ड दिये जाते हैं । उपरोक्त क्रियाओं की विपरीत क्रियाओं से पुरस्कार भी प्रदान किये जाते हैं । नेता द्वारा दण्ड एवं पुरस्कार प्रदान करने की शैली का लोकप्रियता के अर्जन में प्रभावकारी भूमिका है । सान्त्वना, प्रसन्न मुद्रा से मिलन, वक्तव्य का प्रशंसा, याचना के पूर्व सम्भरण, प्रोत्साहन, अभावों को दूर करना, पूर्ण दक्षता के अभाव में भी पदासीनता का अवसर प्रदान करना आदि पुरस्कार की शैली प्रकट करते हैं ।

राजनीतिक नेता सत्ता का हस्तान्तरण , जनमत, मृत्यु, उद्घोषणा, बीतभिक्षा, षड्यंत्र की शैलियों से करता है । जनतांत्रिक प्रणाली में सत्ता का हस्तान्तरण जनमत की शैली से किया जाता है किन्तु प्राय: शीघ्रता के लिए षड्यंत्र या संघर्ष के परिहार के लिए मृत्यु, उद्घोषणा एवं बीतभिक्षा की शैली अपनायी जाती है । यदि सत्ता हस्तांतरण को राजनीतिक खेल समझा जाय तभी जनतांत्रिक मूल्यों में आस्था उत्पन्न हो सकती है । यदि शासन प्रणाली, शक्ति के शान्तिपूर्ण खेल के मूल्यों से विभूषित न हुई तब जनतंत्र अव्यवस्थित हो जायगा ।[५८]

समस्याओं के समाधान में राजनीतिक नेता अनेक शैलियों का सहारा लेता है जैसे प्रशमन, परिपक्वता के हेतु प्रतीक्षा, तीव्र एवं अंशों में वृद्धि अथवा ह्रास, गुरुत्व केन्द्र का विवर्तन, रूप परिवर्तन, अक्षमता या अयोग्यता का

दिखाना, विखण्डन एवं पदक्रम, समय निर्धारण, कारणों एवं माध्यमों का मूलोच्छेदन आदि । प्रशमन में समस्या को दबाने का अवसर देकर उसकी पराकाष्ठा देखी जाती है, क्षेत्र एवं अंशों ह्रास में समस्या के क्षेत्र को एवं उसके अंशों को सीमित किया जाता है, गुरुत्व केन्द्र विवर्तन में समस्या पर से ध्यान हटा दिया जाता है ; रूप परिवर्तन में समस्या के स्वरूप में तार्किक ढंग से परिवर्तन कर दिया जाता है, भद्रता या क्षमायाचना में नेता स्वयं अपनी दुर्बलताओं को प्रकट करके शान्ति प्रदान करता है ; विखण्डन एवं पदक्रम में समस्या को विखण्डन करके उसके समाधानों में चरण निर्धारित कर दिये जाते हैं , समय निर्धारण में वांछित समाधान की पूर्ति के लिए एक समय निर्धारित कर दिया जाता है ; तथा कारणों के मूलोच्छेदन में समस्या को उत्पन्न करनेवाले कारकों को ही सदा सर्वदा के लिए नष्ट कर दिया जाता है जैसे अपराधी को प्राण दण्ड ।

समस्याओं के समाधान की शैली में समस्याओं से संबंधित निम्नलिखित पक्षों के ह्रास (कमी) का प्रयास किया जाता है ।

१- कारण अंश २- प्रभाव क्षेत्र ३- उद्दीपन तीव्रता
४- सक्रियता ५- प्रचार ६- संचयन
७- पुनरावृत्ति ८- सहसम्बन्ध

(समस्या के पक्ष)

किसी भी समस्या का समाधान उपरोक्त पक्षों में से एक या अनेक के ह्रास करने की ओर प्रवर्तित करनेवाली शैली पर निर्भर करता है । यदि उपरोक्त पक्षों का अभिवर्धन किया जाय तो समस्यायें जटिल, प्रज्वलनशील, असाध्य एवं अजेय हो जाती हैं ।

साक्षात्कार किये हुए नेताओं का विवरण

१- दलगत

दल	संख्या
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	७
भारतीय जनसंघ	३

दल	संख्या
पीछे से	१०
भारतीय लोक दल	३
संगठन कांग्रेस	१
भारतीय रिपब्लिकन	१
मुस्लिम मजलिस	१
योग	१६

२- जाति गत

जाति	प्रतिशत
ब्राह्मण	५६.२५
क्षत्रिय	१२.५०
यादव	१२.५०
जायसवाल	६.२५
परिगणित	६.२५
मुसलमान	६.२५
योग -	१००

३- आयुगत

आयु विस्तार	प्रतिशत
२७-३७ वर्ष	१९.००
३८-४८ ,,	३१.००
४९-५९ ,,	२५.००
६०-७० ,,	२५.००
योग -	१००

४- राजनीतिक आयुगत

आयु विस्तार	प्रतिशत
७ - १६ वर्ष	२५. ००
२० - ३२ वर्ष	२५. ००
३३ - ४५ वर्ष	३१. ००
४६ - ५८ वर्ष	१६. ००
कुल योग -	१००

५- शैक्षिक योग्यतागत

स्तर	प्रतिशत
कक्षा १० तक	२५. ००
कक्षा १२ तक	१२. ५
स्नातक + अन्य विद्योपाधि + पत्रोपाधि	३७. ५
स्नातकोत्तर + ,, + ,,	२५. ००
कुल योग -	१००

६ - व्यवसायगत

व्यवसाय	प्रतिशत
कृषि	३१ २५
विधि	२५. ००
अध्यापन	१२. ५
राजनीति	६. २५
समाज सेवा	६. २५
चिकित्सा	६. २५
व्यापार	६. २५
नौकरी	६. २५
कुल योग -	१००

० इनमें ८८. ७५ प्रतिशत पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ हैं।

७- गौण व्यवसायगत

व्यवसाय	प्रतिशत
कृषि	८७.५
व्यापार	६.२५
कुल योग -	९३.७५

८- धर्मगत

धर्म	प्रतिशत
हिन्दू	८७.५
बौद्ध	६.२५
इस्लाम	६.२५
कुल योग -	१००

९- भाषागत

भाषा	प्रतिशत ज्ञान
हिन्दी	१००
अंग्रेजी	८७.५
संस्कृत	३१.००
उर्दू	५०.००
बंगला	१२.५
गुजराती	६.२५
अरबी + फारसी	६.२५

भाषी	प्रतिशत
एक भाषी	०
दो भाषी	३७.५

भाग्णी	प्रतिशत
पीढ़ी से	
तीन भाग्णी	३७.५
चार भाग्णी	१२.५
पाँच भाग्णी	६.२५
छः भाग्णी	६.२५
कुल योग -	१००

१०- पारिवारिक व्यवस्थागत

व्यवस्था	प्रतिशत
संयुक्त	६२.५
विभक्त	३७.५
कुल योग -	१००

११- परिवार सदस्य संख्यागत

सदस्य विस्तार	प्रतिशत
५ - १०	५०.००
११ - १६	३१.२५
१७ - २३	१२.५
इसके ऊपर	६.२५
कुल -	१००

१२- परिवार में भूमिका गत

भूमिका	प्रतिशत
सदस्य	६.२५
निर्देशक	६.२५
परामर्शदाता	१८.७५
स्वामी	६८.७५
कुल योग -	१००

१३- राजनीति में प्रयुक्त समयगत

प्रयुक्त समय	प्रतिशत
आधा घण्टों से दो घण्टा तक	३१.२५ क
तीन से पांच घण्टा तक	२५.००
अठारह से चौबीस घण्टा	४३.७५ ख
कुल योग -	१००

क :- १८.७५ प्रतिशत कांग्रेसी तथा १२.५ प्रतिशत जनसंघी

ख :- २५ प्रतिशत कांग्रेसी , १२.५ प्रतिशत भारतीय लोकदल तथा ६.२५ प्रतिशत जनसंघी ।

१४ - पदों के अनुभवगत

पदों की संख्या	प्रतिशत
१	३१.२५
२	१८.७५
३	६.२५
४	१२.५
५	१८.७५
६	१२.५
कुल योग -	१००

उपरोक्त तालिकाओं से निम्नलिखित तथ्य प्रस्फुटित होते हैं :-

(१) उच्च वर्ण के नेताओं का प्रतिशत अधिक है ।

(२) ५६.२५ प्रतिशत नेता देश की स्वतंत्रता से पूर्व के हैं तथा ८१ प्रतिशत नेताओं की आयु ३७ वर्ष से ऊपर है ।

(३) ७५ प्रतिशत नेताओं की राजनीतिक आयु २० वर्ष से अधिक है ।

(४) स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधियों तथा अन्य विद्योपाधियों या पत्रोपाधियों की योग्यतावाले, नेताओं का प्रतिशत ६२.५ है । शैक्षिक योग्यता के अभाव वाला कोई नेता नहीं मिला ।

(५) कृषि का मुख्य व्यवसाय करनेवाले नेता १२.५ प्रतिशत ही मिले और कृषि का गौण व्यवसाय करनेवाले ८७.५ प्रतिशत हैं । पूर्ण रूपेण कृषि पर आधारित व्यक्तियों में नेतृत्व क्षमता का अभाव मिला ।

(६) नेताओं में शत प्रतिशत हिन्दी भाषा का ज्ञान मिला, इसके पश्चात् अंग्रेजी भाषा का ; ७५ प्रतिशत नेताओं को दो या तीन भाषाओं का ज्ञान है तथा मात्र एक भाषा जाननेवाला कोई भी नेता नहीं मिला ।

(७) ५० प्रतिशत नेताओं के परिवार में सदस्यों की संख्या ५-१० तक मिली तथा ६२.५ प्रतिशत नेताओं के परिवार संयुक्त मिले । संयुक्त परिवारवाले नेताओं की राजनीतिक आयु एवं शैक्षिक योग्यता अधिक मिली और ये राजनीति में अधिक समय प्रयुक्त करते हैं ।

(८) ६२.७५ प्रतिशत नेता अपने परिवार में परामर्शदाता, निर्देशक या स्वामी की भूमिका निभाते हैं ।

(९) तीन घण्टे से अधिक समय राजनीति में प्रयुक्त करनेवाले नेताओं को दो या दो से अधिक पदों का अनुभव है ।

अतः उपरोक्त तथ्य मेरी इस परिकल्पना को प्रमाणित करते हैं कि संयुक्त परिवार नेता के लिए सर्वोत्तम जलवायु प्रदान करता है क्योंकि उच्च शिक्षा, अधिक अवकाश तथा अपने विचारों को मूर्त रूप देने का अवसर संयुक्त परिवार प्रणाली में विशेष सुलभ होता है ।

सन्दर्भ- संकेत:-

१- ई० जी० बैरिंग, एच० एस० लांगफेल्ड : एच० पी० वैल्ड : द्वारा संकलित फाउण्डेशन्स आफ साइकोलाजी, १९६३ , पृष्ठ ६०० ।

२- लेस्टर जी० सेलिगमैन, द स्टडी आफ़ पोलिटिकल लीडरशिप : संकलित पोलिटिकल बिहेवियर, एस० एल० एस० जे० एल्डर्सवेल्ड तथा मौरिस जैनोविट्स, १९७२ , पृष्ठ १८० ।

३- एम० वाइनर, पार्टी पालिटिक्स इन इंडिया, १९५७ पृष्ठ २५० ।

४- निर्वाचन कार्यालय इलाहाबाद के अभिलेख के आधार पर ।

५- एम० वाइनर, पार्टी पालिटिक्स इन इंडिया, १९५७ पृष्ठ २५१ ।

६- २ पृष्ठ १७८ ।

७- एस०जे० एल्डर्सवेल्स, पोलिटिकल पार्टीज : ए बिहेवीरियल एनालीसिस, १९७१, पृष्ठ १७९-८१ के आधार पर ।

८- म०स० गोलवलकर, विचार नवनीत, पृष्ठ ४१० में उद्धृत ।

९- वेब डिक्शनरी ,पृष्ठ ३६६ : चैम्बर्स डिक्शनरी ,पृष्ठ ७५५ ।

१०- एच० डाउनन, पोलिटिकल सोशलाइजेशन, १९५९,पृष्ठ २७ ।

११- आर० ए० डहल, माडर्न पोलिटिकल एनालिसिस, पृष्ठ ८५ ।

१२- श्री हरिश्चन्द्र हरिजन, इंडिया - रिपब्लिकन दल से सम्बंद्ध से ।

१३- श्री शालिग्राम जायसवाल, उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य, यू०पी० मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार से साक्षात्कार ।

१४- डेविड क्रेच एण्ड रिचर्ड एस० क्रचफिल्ड, थ्यूरी एण्ड प्राबलेम्स आफ़ सोशल साइकोलाजी, पृष्ठ ४२६-२७ ।

१५- उपरोक्त, पृष्ठ ४२७-४२८ ।

१६- एम० डुवरजर, पोलिटिकल पार्टीज़, पृष्ठ १४२ ।

१७- १६ पृष्ठ १७७ ।

१८- एम० डुवरजर, पोलिटिकल पार्टीज़, १९६५, पृष्ठ १३४ ।

१९- श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी के साक्षात्कार से दिनांक २८-९-७६ ।

२०- श्री शेख मुहम्मद नकी, जिला प्रतिनिधि, मुस्लिम मजलिस, इलाहाबाद से साक्षात्कार दिनांक ५-९-७६ ॥

२१- एम० डुवरजर, पोलिटिकल पार्टीज़, पृष्ठ १४६ ।

२२- डा० रघुवीर, इंगलिश हिन्दी डिक्शनरी ।

२३- श्री अमरनाथ त्रिपाठी, उदयापुर से साक्षात्कार दिनांक १५-११-७६ ए० जो श्री पाण्डेय जी के अनन्य सहयोगी रहे ।

२४- श्री महावीर प्रसाद शुक्ल से साक्षात्कार दिनांक १८-६-७६ ।

२५- एस० जे० एल्डर्सवेल्ड, पोलिटिकल पार्टीज़, ए बिहेवीरियल एनालीसिस, पृष्ठ २४६ ।

२६- पूर्वोक्त, पृष्ठ २७२ ।

२७- श्री लालमणि त्रिपाठी- जिला परिषद् सदस्य एवं महामंत्री नगर्द जिला कांग्रेस कमेटी, इलाहाबाद के साक्षात्कार से दिनांक १-८-७६ ।

२८- डेविड क्रेच एण्ड रिचर्ड एस० क्रचफील्ड, थ्यूरी एण्ड प्राब्लेम्स आफ़ सोशल साइकोलाजी, १९५६, पृष्ठ ४१९-२० ।

२९- मार्की स्टाफेल, एडिटेड, द पिलकीन डिक्शनरी वाल्यूम २, १९६३, पृष्ठ १५६ ।

३०- द वर्ल्डस कम्पलीट रिफरेन्स डिक्शनरी एण्ड इन साइक्लोपीडिया, १९४६, पृष्ठ २६८।

३१- एस० जे० एल्डर्सवेल्ड, पोलिटिकल पार्टीज़ : ए बिहेवीरियल एनालीसिस पृष्ठ २३८ ।

३२- श्री राधाकान्त पाण्डेय कृष्णपुर (लोहिया समर्थक समाजवादी तथा वर्तमान भारतीय लोकदल) से साक्षात्कार दिनांक २७-३-७६ ।

३३ - मार्केल ब्रेचर , पोलिटिकल लीडरशिप इन इंडिया, ऐन आलोचिस आफ़ इलाक्ट, स्टीच्यूड्स, १९६६ पृष्ठ ३३ ।

३४- श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी (सन् १९६९ ई० में संगठन कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी) से साक्षात्कार दिनांक २९-६-१९७६ ई० ।

३५- एस० एम० लिपसेट, पोलिटिकल मैन, पृष्ठ २६ ।

३६- श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, संगठन कांग्रेस ।

३७- साक्षात्कार के आधार पर ।

३८- मार्केल ब्रेचर, पोलिटिकल लीडरशिप इन इंडिया, ऐन आलोचिस आफ़ इलाक्ट स्टीच्यूड्स, १९६६, पृष्ठ ४२ ।

३९- मतदाताओं से साक्षात्कार के आधार पर ।

४०- डा० देवराज सिंह से साक्षात्कार दिनांक १६-१२-७६ ।

४१- डा० हरिद्वार राय एवं डा० भोला प्रसाद सिंह, आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण, १९७४, पृष्ठ १७२ ।

४२- फ्रैंसिस बी० कैस्टल्स, प्रेशर ग्रुप्स एण्ड पोलिटिकल कल्चर, १९६४, पृ० १३ ।

४३- श्री बटईराम यादव वर्तमान क्षेत्रीय विधायक ।

४४- निर्वाचन कार्यालय, इलाहाबाद के अभिलेख से

४५- २८, पृष्ठ ४०४-५ ।

४६- डा० हरिद्वार राय एवं श्री भोला प्रसाद सिंह, आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण, पृष्ठ १६२ ।

४७- एस० एम० लिपसेट, पोलिटिकल मैन, पृष्ठ ३१ ।

४८- श्री कमलाकान्त तिवारी 'चंचल' के साक्षात्कार से दिनांक ८-१२-७५ ।

४९- डा० देवराज सिंह से साक्षात्कार (दिनांक २८-८-७६ (आपातकालीन घोषणा कालावधि में) ।

५०- श्री महावीर प्रसाद शुक्ल , भूतपूर्व संसद सदस्य ।

५१- श्री राजाराम त्रिपाठी के साक्षात्कार से

५२- श्री श्रीनाथ त्रिवेदी के साक्षात्कार से

५३- श्री रामाकान्त पाण्डेय के साक्षात्कार से

५४- डा० देवराज सिंह

५५- श्री महावीर प्रसाद शुक्ल, भूतपूर्व क्षेत्रीय विधायक एवं भूतपूर्व संसद सदस्य (राज्य सभा)

५६- श्री नर्मदा प्रसाद मिश्र भूतपूर्व विधायक प्रत्याशी तथा जिला जनसंघ अध्यक्ष ।

५७- श्री दान बहादुर सिंह, ब्लाक प्रमुख, सैंड्या, जिला मंत्री ।

५८- एस० एम० लिपसेट, पोलिटिकल मैन, पृष्ठ ४५ ।

अध्याय - ५

राजनीतिक दल की भूमिकायें एवं कार्य

विषय प्रतिपादन के पूर्व भूमिका एवं कार्य शब्दों में अन्तर्निहित भावों का स्पष्टीकरण आवश्यक प्रतीत होता है। हिन्दी भाषा में भूमिका के अनेक अर्थ हैं, जैसे धरती, वक्तव्य विषय की पूर्व सूचना, ग्रंथादि की प्रस्तावना, अभिनेता की भूमि (भाग); आदि। किन्तु यहाँ पर भूमिका का अर्थ परिवेश (घेरनेवाली वस्तु) से संबंध स्थापना है। जब परिवेश में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तब भूमिका में भी परिवर्तन हो जाता है और परिणामस्वरूप भूमिका स्थापक में भी परिवर्तन हो जाता है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत- स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात् की भूमिकाओं में स्पष्ट अंतर इसका प्रमाण है। एक ही परिवेश में अनेक भूमिकायें संभव है। एक ही व्यक्ति की भूमिका निजी एवं पराये पुत्रों के साथ भिन्न भिन्न होती है जिससे उसी का निजी पुत्र ही पिता से संबोधित करता है अन्य बालक नहीं।

एक ही नेता जब विद्यार्थियों, श्रमिकों, कृषकों, व्यापारियों एवं सरकारी कर्मचारियों में जाकर वर्ग विशेष की सभा को संबोधित करता है तब वर्गीय हित चिंतक की श्रेष्ठ भूमिका निभाता है और जब सभी वर्ग एक ही सभा में उपस्थित होते हैं तब समन्वय एवं सामंजस्यकारी की भूमिका के लिए वही बाध्य हो जाता है। भूमिका स्थापक जब प्रथमबार परिवेश के संपर्क में आता है उस समय उसके मस्तिष्क में अनुभवों, मूल्यों एवं संभावित परिणामों का आलोक होता है जिसके परिप्रेक्ष्य में हितकारी निर्णय लिये जाने के पश्चात् ही संबंध स्थापना की क्रिया होती है। यदि निर्णय हितकारी नहीं होते तब पार्थक्य, उदासीनता, तटस्थता एवं विरोध के स्वरूपों में क्रियायें होती हैं। भूमिका का आकलन परिवेश, स्थान कर्ता, समय एवं अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है जिससे वह सम्यक अथवा असम्यक सिद्ध की जाती है। सम्यक भूमिका

में उद्देश्य एवं पद्धति दोनों की पर्याप्त स्पष्टता, व्यापकता, एवं व्यावहारिकता दिखलाई देती है जब कि असम्यक भूमिका में इनके आंशिक अभाव होते हैं यदि सम्यक भूमिका में अनुपयुक्तता होने के कारण उसकी चेष्टा अधिक समय तक की जाय और जीवन का भाग बना लिया तो वह कार्य का स्वरूप धारण कर लेती है । इसी प्रकार राजनीतिक दल की सम्यक भूमिकायें कालान्तर में कार्य हो जाती है ।

जनतांत्रिक प्रणाली को अंगीकृत करनेवाले राज्यों में राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के मध्य ऐसे सेतु हैं जिसका निर्माण संगठन एवं सत्ता इन्हीं दो स्तम्भों पर हुआ है । संगठन का स्तम्भ जनता की ओर तथा सत्ता का स्तम्भ सरकार की ओर स्थित होता है । दलीय संगठन से संबंधित भूमिकाओं एवं कार्यों जैसे नागरिकों का प्रवेश, प्रशिक्षण, सेवा, प्रतिनिधित्व एवं उनमें मतैक्यता का निर्माण आदि का समुचित विवरण पिछले अध्याय में दिया जा चुका है । सत्ता या शासन से संबंधित भूमिकाओं एवं कार्यों का विवरण ही इस अध्याय का विशेष पाथेय है जिसमें चुनाव लड़ना, राजनीतिक निर्णय-प्रभावन, राजनीति का आधुनिकीकरण , हित संधि योजन एवं समूहन प्रमुख है ।

चित्र एक में राजनीतिक दल के परिवेश के मुख्य अंग जनता, अन्य राजनीतिक दल, अराजनीतिक समुदाय, सरकार, प्रशासन , विश्व के अन्य राष्ट्र, राज्य की प्राकृतिक संरचना तथा सांस्कृतिक संरचना हैं जिनसे निर्दिष्ट होने वाली भूमिकाओं एवं कार्यवाहियों का विवरण यथासम्भव दिया गया है ।

चित्र १ : राजनीतिक दल के परिवेश के मुख्य अंग ।

१ - निर्वाचन लड़ना

राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए निर्वाचन लड़ते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचन सत्ता हस्तान्तरण का शांतिपूर्ण साधन है। निर्वाचन राजनीतिक दल एवं सरकार दोनों के प्रति उनकी सेवाओं का जनता द्वारा मापन है। निर्वाचकों को अपनी इच्छा के अनुसार सरकारी नीतियों के निर्धारकों को वरण करने का निर्वाचन एक सुअवसर है। निर्वाचन जनतांत्रिक वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति है[1]। निर्वाचन सुविधा की एक प्रणाली तथा निर्वाचकों से प्राप्त निर्देशों का प्रतिनिधियों द्वारा पालन करने की सीमा की एक रीति है।[2] निर्वाचन राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा का आकलन करनेवाली लोकतांत्रिक संस्था है। निर्वाचन जनता की संप्रभुता का परिचायक तथा प्राधिकारियों के वैधीकरण की प्रक्रिया है। निर्वाचकों का सरकार की नीतियों पर नियंत्रण रखने का निर्वाचन एक साधन है। एक या अनेक प्रश्नों पर निर्वाचकों की सम्मति प्राप्त करने की जनतांत्रिक कार्यवाही निर्वाचन है। उपरोक्त अभिमतों का अवलोकन करने से निर्वाचन के आधारभूत सात तत्व मिलते हैं :-

(१) एक पद के लिए दो या दो से अधिक प्रतिद्वन्दी हों।

(२) प्रति द्वन्द्वियों की विजय का निर्णय करने के लिए एक सनाम जन समूह हो।

(३) जन समूह एवं प्रति द्वन्द्वियों के मध्य स्वतंत्र विचार-विनिमय के लिए उचित कालावधि हो।

(४) निर्णय का माध्यम स्वस्थ जनमत हो।

(५) निर्णय-संग्रह, गणना एवं घोषणा की विश्वसनीय सुव्यवस्था हो।

(६) प्रति द्वन्द्वियों एवं जन समूह में परस्पर आस्था विकसित हो।

(७) हिंसा का किसी भी स्थिति में अवलम्ब न लिया जाय।

अत: जिस किसी भी कार्यवाही में उपरोक्त सात तत्व उपस्थित

हो वह निश्चित ही " निर्वाचन " है ।

इँख्या विधान सभा क्षेत्र में राजनीतिक दल विधान सभा का निर्वाचन लड़ते हैं किन्तु संसदीय , विधान परिषदीय तथा अन्य निर्वाचनों में भी भाग लेते हैं । विधान सभा एवं लोक सभा के निर्वाचन में जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन है उसमें राजनीतिक दल प्रत्यक्ष भाग लेते हैं अन्य निर्वाचन जैसे ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकास खण्ड समिति, टाउन एरिया समिति, जिला परिषद् आदि में अप्रत्यक्ष भाग लेते हैं क्योंकि इनके चुनाव दलगत आधार पर संपन्न होते नहीं दिखलायी देते हैं यद्यपि दलों द्वारा प्रत्याशी निर्णय या निर्वाचन अभियान, या निर्वाचन पर व्यय या प्रत्याशी समर्थन किया जाता है । यहाँ पर विधान सभा निर्वाचन के अतिरिक्त अन्य निर्वाचनों में राजनीतिक दल की भूमिकाओं का विवरण प्रतिपाद्य नहीं है। राजनीतिक दल प्रत्याशी निर्णय, चुनाव अभियान संचालन, मतदाताओं का वश प्रयोग, मतदान में सहयोग, मतगणना का अवलोकन, इन सब की व्यवस्थाओं में आर्थिक व्यय करके युद्धाभिनय करते हैं । राजनीतिक दल का प्रत्याशी प्रधान सेनापति, कार्यकर्तागण सेना, प्रचार अभियान प्रयाण, समायोग (नारे) अस्त्र-शस्त्र, मतदाता का मस्तिष्क रण क्षेत्र की भूमिका निभाते हैं और मतदान युद्ध का परिणाम प्रदान करता है । संभवत: इसीलिए निर्वाचन को युद्ध समझा जाता है । राजनीतिक दल इन सब में अपनी भूमिका निभाता है जिसे हम निर्वाचन लड़ना मानते हैं ।

विधान सभा का निर्वाचन लड़ने के लिए सर्वप्रथम राजनीतिक दल अपनी प्रतिद्वन्द्विता का प्रदर्शन करने के निमित्त अपनी ओर " एक प्रत्याशी " को इसका निर्णय करते हैं । " एक प्रत्याशी " घोषित करने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर सशुल्क अभ्यार्थियों के आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । सशुल्क आवेदन पत्र की व्यवस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ एवं भारतीय लोकदल तीनों में है किन्तु शुल्क की मात्राओं में अंतर अवश्य है ।

आवेदन-पत्र दल की केन्द्रीय समिति को सम्प्रेषित किये जाते हैं । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रादेशिक एवं केन्द्रीय निर्वाचन समिति भारतीय जनसंघ

में प्रान्तीय संसदीय अधिकरण तथा केन्द्रीय संसदीय अधिकरण[४] और भारतीय लोकदल में पार्लियामेण्टरी बोर्ड[५] प्रत्याशी का निर्णय करता है।

आपका दल विधान सभा के लिए प्रत्याशी का निर्णय कैसे करता है ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने "विकास खण्ड स्तर पर नाम का प्रस्ताव पारित करके ऊपर भेजते हैं," "क्षत्रम, जीतने की आशा वाले व्यक्ति का नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास भेजा जाता है, बड़े नेताओं की सिफारिश पर ही उम्मीदवार का चयन होता है, जिला कांग्रेस कमेटी के सुझावों का ज्यादा महत्व नहीं है" जिले की कमेटी नामों की सिफारिश प्रान्त को, प्रान्त आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पार्लियामेण्टरी बोर्ड में भेजती है; पार्लियामेन्टरी बोर्ड में जिसकी पहुंच होती है उसे ही प्रत्याशी घोषित किया जाता है, " जिले से प्रान्त, प्रान्त से आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास जाता है, १९६२ ई० के निर्वाचन के लिए यहां से राय ली गयी थी", 'श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा'।[६]

उपरोक्त उत्तरों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्लाक कांग्रेस कमेटी का प्रत्याशी निर्णय में प्रस्ताव अथवा संस्तुति की भूमिका है जो कि उपेक्षित प्रतीत होती है क्योंकि अन्तिम निर्णय एक व्यक्ति या प्रमण्डल या समिति के द्वारा ही होता है। इसी प्रश्न के उत्तर में भारतीय जनसंघ के पदाधिकारियों ने "मंडल से दो या तीन व्यक्तियों के नाम भेजते हैं, वरीयता क्रम रहता है, निर्णय जिले से होता है", "मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है" कभी तक प्रत्याशी खोये जाते थे[६], " जिला स्तर के लोग करते हैं और ये ही प्रान्त को नाम भेजते हैं," "जिला समिति के माध्यम से प्रादेशिक सम्मेलन में कहा।"

इन उत्तरों से भी स्पष्ट है कि मण्डल समिति की भूमिका नगण्य है। इसी प्रश्न के उत्तर में भारतीय लोकदल के पदाधिकारियों ने, तहसील से प्रस्ताव, फिर जिला प्रान्त से राष्ट्रीय स्तर से निर्णय," "जिला एवं प्रदेश समिति करती है," "यहां से प्रस्तावित किया जाता है"," तहसील की संस्तुति जिला को, जिला की संस्तुति प्रान्त को फिर प्रान्त द्वारा निर्णय करना।[८] इन उत्तरों से भी स्पष्ट है कि क्षेत्रीय कौंसिल को प्रत्याशी निर्णय में उपेक्षित

किया जाता है । उपरोक्त तीनों दलों से यह तथ्य निकलता है कि विधान सभा के प्रत्याशी निर्णय में विधान सभा स्तर तक की संगठनात्मक इकाइयों की भूमिका नगण्य, उपेक्षणीय एवं सोचनीय है तथा उनकी निर्णयात्मक स्वतंत्रता का वंचन है ।

उपरोक्त प्रश्न के क्रम में संगठन की एक से छोटी इकाई से क्या पिछले विधान सभा चुनाव में परामर्श किया गया ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटी[६] के पदाधिकारियों ने ५० प्रतिशत "हां" तथा ५० प्रतिशत "नहीं" कहा । "हां" कहनेवाले एक पदाधिकारी ने वेदना गर्भित "मान्य नहीं"[१०] और दूसरे ने "नाम मात्र" शब्दों का प्रयोग किया । मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने भी ५० प्रतिशत "हां" तथा ५० प्रतिशत "नहीं" कहा जब कि क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने ७५ प्रतिशत "हां" तथा २५ प्रतिशत "यह दल ही नहीं था"[११] बताया । ये तथ्य भी प्रत्याशी निर्णय की परामर्श की भूमिका में भी सन्देहों का आधार प्रस्तुत करते हैं ।

उपरोक्त प्रश्न के क्रम में ही "यदि कोई ऐसा प्रत्याशी आ जाता है जिसे इकाई की संस्तुति नहीं रहती तब पदाधिकारी क्या करते हैं ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ५० प्रतिशत "कुछ विरोध", १६.७ प्रतिशत "सहायता नहीं करते" १६.७ प्रतिशत "बाध्यता से सहायता" तथा १६.७ प्रतिशत "कार्य करते हैं" कहा । इससे स्पष्ट है कि विरोध की संभावना ६६.७ प्रतिशत तक पहुंच जाती है । वांछित प्रत्याशी के अभाव में संगठन की इकाइयों के अधिकतर पदाधिकारी स्वयं विरोधी की भूमिका निभाने लगते हैं जो कि ऊपर से थोपे गये निर्णयों का दुष्परिणाम प्रतीत होता है । इसी प्रश्न के उत्तर में मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने ५० प्रतिशत सहायता करते हैं, २५ प्रतिशत "विरोध नहीं करते" तथा २५ प्रतिशत "कभी कभी विरोध करते हैं"[१२] कहा ।

इन उत्तरों से स्पष्ट है कि ऊपर से थोपे गये प्रत्याशी की स्थिति में भी भारतीय जनसंघ में सहायता करनेवाले पदाधिकारी ७५ प्रतिशत

है। क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने ५० प्रतिशत 'स्वीकार कर मदद करते हैं' तथा ५० प्रतिशत 'ऐसी स्थिति आयी ही नहीं' कहा। ऐसी स्थिति आयी ही नहीं, कहनेवाले पदाधिकारी असमंजस का परिचय देते हैं किन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि दल के निर्णय का स्वागत नहीं भी कर सकते हैं।

प्रत्याशी निर्णय के संबंध में नेताओं से किये गये साक्षात्कार में विकल्प के रूप में पूछे गए प्रश्न 'दल के प्रत्याशी का अन्तिम निर्णय निर्वाचन क्षेत्र दल के सदस्यों के द्वारा ही निर्वाचन से हो तो कैसा रहेगा ?' के उत्तर में ६७.५ प्रतिशत नेताओं ने 'उत्तम' बताया, १३ प्रतिशत 'सुझावों को माना जाय', १३ प्रतिशत 'कुछ प्रतिशत माना जाय' तथा शेष ६.५ प्रतिशत ने 'बहुत खराब होगा' ऐसा बताया। कुछ भी हो फिर भी विधान सभा क्षेत्र की संगठनात्मक इकाइयों को प्रत्याशी निर्णय की प्रक्रिया में उचित भूमिका का अवसर अवश्य मिलना चाहिए।

प्रत्याशी निर्णय केन्द्र का विचार करने के पश्चात् दूसरा प्रश्न यह उठता है कि प्रत्याशी में दल की दृष्टि से कौन कौन अर्हतायें वांछनीय है ? इसका समाधान हमें विभिन्न पदों पर नियुक्ति या पदोन्नति करने में व्यक्ति की विशेषताओं का जो निरूपण नेताओं एवं पदाधिकारियों ने किया है उससे मिल सकता है। ये विशेषतायें, दल के प्रति निष्ठा, कार्य क्षमता, समय का दान, संगठन शक्ति, वर्गीय एवं जातीय प्रतिनिधित्व समाज सेवा भाव, शैक्षिक योग्यता, लोक प्रियता, दल का विश्वास , साधन संपन्नता, कार्यों का अनुभव, ईमानदारी, साहस , चरित्र संपन्नता गुट, नेता की दरबार गिरी, ऊँचे नेताओं तक पहुँच, विजय प्राप्ति की आशा एवं व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता आदि प्रमुख है।

इन विशेषताओं का अंश भी निर्णय का दिशा-निर्देश करता है। सन् १९७४ ई० के विधान सभा निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से श्री राजितराम पाण्डेय की प्रत्याशिता का निर्णायक 'गुट'[१३] रहा, भारतीय जनसंघ में श्री रामरैता सिंह के अलावा दूसरा कोई आवेदक ही नहीं था[१४] और संभवत: भारतीय लोकदल में भी श्री कठईराम के अलावा दूसरे किसी ने आवेदन पत्र ही नहीं दिया।

राजनीतिक दल की ओर से प्रत्याशी निर्णय हो जाने के पश्चात् प्रत्याशी अपने पद के अनुसार प्रति भूति राजकीय कोषागार में जमा करते हैं। विधायक के लिए २५० रु० प्रतिभूति[१५] निर्धारित है। प्रतिभूति के प्रमाण के साथ नामांकन पत्र एक निर्धारित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जिसकी प्रविष्टियों का परीक्षण होता है, नाम वापसी का अवसर दिया जाता है फिर अन्तिम रुप से पद के लिए वैध प्रतिद्वन्दियों के नामों की घोषणा की जाती है। सावधानी के रूप में राजनीतिक दल द्वितीय- प्रत्याशी (डमी) की भी व्यवस्था करते हैं जिसके नाम की वापसी कर ली जाती है। सरकार के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा की तिथि से लगभग तीन सप्ताह के पश्चात् मतदान की तिथि होती है।

राजनीतिक दल द्वारा निर्णीत प्रत्याशी जब पद के प्रति द्वन्दियों की सूची में सरकार द्वारा घोषित हो जाता है, तब निर्वाचन का द्वितीय चरण प्रचार अभियान प्रारंभ होता है। राजनीतिक दल प्रचार अभियान में अधिक से अधिक दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, सदस्यों, समर्थकों तथा जन प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित, कार्य मुक्त, सतर्क, प्रचार सिद्ध, गतिमान, निजी चिन्ताओं से मुक्त तथा विजयाकांक्षित करते हैं। दल के अभिकर्तागण पैदल, साइकिल इक्का, रिक्शा, जीप, कार, टैक्सी और ट्रक आदि से ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर अपनी पहुंच और संपर्क का क्षेत्र- वर्धन करते हैं। मतदाताओं को निर्वाचन से संबंधित प्रत्याशी, चिन्ह, कार्यक्रम, मतभेद स्थान और समय तथा मतदान-विधि की जानकारी दल के लोगों द्वारा दी जाती है। इसके साथ ही साथ अपने दल के प्रत्याशी के पक्ष की ओर उन्हें आकर्षित करने के लिए उसकी प्रशस्तियों का सेतु तथा दल की नीतियों, कार्यक्रमों एवं सिद्धान्तों का सेतु, मतदाता के मानसगगन में ऊंचा किया जाता है।

चुनाव प्रचारक अपने साथ दल की टोपी, झण्डा, बिल्ले चुनाव घोषणा पत्र, विवरणिका (बुलेटिन) विज्ञापन पत्र (पोस्टर) फलक पत्र, समाचार पत्र तथा अन्य साहित्य लेकर छोटे तथा बड़े ग्रामों, बाजारों में जाते हैं और वहां के बच्चों, युवकों, प्रौढ़ों तथा वृद्धों से (विशेषकर पुरुष वर्ग में ही)

विचार-विनिमय करते हैं और पढ़ने के लिए सामग्री देते हैं। विचार-विनिमय में कहीं तो प्रचारकों का स्वागत किया जाता है और कहीं कहीं "चुनाव आ गया क्या"[१६] के समान व्यंग्य बाण भी सहन करने पड़ते हैं। राजनीतिक दल अपने प्रचार अभियान का उद्घाटन सभा या प्रचारकों की बैठक में प्रभाव पूर्ण क्षेत्र या चुनाव कार्यालय पर करते हैं। सन् १६७४ ई० के सामान्य निर्वाचन में भारतीय जनसंघ के चुनाव अभियान का श्री गणेश श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने १६ जनवरी सन् १६७४ ई० को विशाल जन सभा को सम्बोधित करके किया था।[१७] सभाओं, जुलूसों, प्रदर्शनों, रैलियों, से राजनीतिक दल दो लाभ उठाते हैं प्रथम अपनी शक्ति संग्रह का प्रदर्शन तथा दूसरा अन्य दल के प्रत्याशियों की असफलता की मतदाताओं में प्रवृत्ति संचार है।[१८]

इंडिया विधान सभा निर्वाचन सन् १६७४ ई० में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार अभियान में प्रयुक्त प्रचार सामग्रियों के कुछ अंशों का अवलोकन समीचीन होगा।

(१) प्रिय मतदाता,

गरीबी, असमानता और आर्थिक पिछड़े पन को हटाने के लिए जबरदस्त संघर्ष करना होता है। ---- लेकिन देश की मुश्किलों से नाजायज फायदा उठाने के लिए, विरोधी राजनीतिक दल अजब गठ-बन्धन बनाकर अशान्ति और अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। ----- राष्ट्रीय धारा और नीतियों के साथ चलनेवाली मजबूत सरकार बनाना आवश्यक है। मजबूत और खुशहाल देश और प्रदेश बनाने में मेरा साथ दें। इसी लिए आप अपने क्षेत्र के कांग्रेसी उम्मीदवार को अपना मत देकर सफल बनायें।

जय हिन्द

(हस्ताक्षर) इन्दिरा गांधी

कांग्रेस जितायें - उत्तर प्रदेश उठायें, गाय बछड़े पर मोहर लगायें।[१६]

(न्यू टैक फोटोलिथोग्राफर्स, दिल्ली)

(२) भाइयों एवं बहनों,

हमारा शहर और जिला इस समय आगामी २४ और २६ फरवरी को होनेवाले चुनाव की सरगर्मियों से विभिन्न पार्टियों के रंग-बिरंगे झण्डों, नारों, भाषणों और तरह तरह के झूठ-सच प्रचारों से आन्दोलित हो रहा है। ----- हमारे सामने सब से बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या यह है कि हमारे प्रदेश में स्थायी और सशक्त, प्रगतिशील शासन कायम हो या अनेक परस्पर विरोधी पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा बनायी गयी अस्थायी, कमजोर और प्रतिक्रियावादी सरकार बने।----- इलाहाबाद जिला और शहर को मिलाकर कुल चौदह क्षेत्रों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव संघर्ष में भाग ले रहे हैं। वे कांग्रेस के सारे आदर्शों और उद्देश्यों के प्रतीक हैं। ---- आपका मत उन्हें सहज ही प्राप्त होगा, गरीबी हटाओ" के क्रांतिकारी नारे को साकार बनाने में सहयोग प्रदान करें ----

आपका,

श्री शालिगराम जायसवाल

मुद्रक- श्याम आर्ट प्रेस, इलाहाबाद

(३) " प्रदेश की जनता से उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अपील "

उत्तर प्रदेश में विधान सभा का चुनाव फरवरी, १९७४ में होने जा रहा है। इस चुनाव पर न केवल देश की बल्कि, दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। यह चुनाव प्रजातंत्र की कसौटी है। पिछले सन् ७१ के ग्रैन्ड एलायन्स से मुंह की खाने के बाद आज पुनः प्रतिक्रियावादी दक्षिण पंथी ताकतें अपनी सामन्तवादी, पूंजीवादी मन्सूबों के साथ चुनाव के मैदान में उतर रही हैं। ------ कन्या कुमारी से कश्मीर तक, कच्छ से लेकर अरुणाचल तक केवल कांग्रेस पार्टी का संगठन है। ------ वास्तव में वर्तमान महंगाई न केवल हमारे देश में है अपितु विश्वव्यापी है। ------ राशन की मात्रा बढ़कर प्रति व्यक्ति प्रति माह ८ किलो ग्राम

कर दी गयी है। ------- इन्दिरा जी के सफल नेतृत्व के अन्तर्गत कांग्रेस दृढ़ संकल्पहै कि सामन्तवादी परम्परायें समाप्त होंगी, गरीबी दूर होगी, असमानता मिटेगी और इस राज्य की आर्थिक प्रगति तेज होगी। इस कार्य की सफलता के लिए कांग्रेस इन चुनावों में आपके पूर्ण सहयोग का आवाहन करती है।

जय हिन्द

भवदीय

बैजनाथ कुरील

अध्यक्ष, हेमवती नन्दन बहुगुणा, नेता कां०वि०मण्डल तथा
(१७ अन्य प्रमुख नेताओं के नाम हैं)

नेशनल हेराल्ड प्रेस, लखनऊ

(४) " दल बदलू हराओ देश बचाओ "

जिला क्रांतिकारी परिषद् के कार्यकर्ताओं की अपील

कांग्रेस छोड़ने के बाद प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं का आवाहन

आम सभा स्थान हंडिया बाजार मिडिलस्कूल

दिनांक ६ फरवरी समय ३ बजे

प्रिय बन्धुओं एवं बहनों,

गरीबी हटाओ देश बचाओ के नारे से जनता को गुमराह करने वाली, जमाखोरों एवं चोर बाजारी करानेवालों को चुनाव प्रत्याशी घोषित करनेवाली, दल बदलूओं के सहारे सरकार बनाकर जनता को पीड़ित करनेवाली कांग्रेस से २८ जनवरी,१९७४ से संबंध विच्छेद कर हम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने " जिला क्रान्तिकारी परिषद्,इलाहाबाद का गठन कर श्री कामता प्रसाद वैद्य, वैद्याचार्य, भिषगाचार्य, आयुर्वेद रत्न के नेतृत्व में " दल बदलू हराओ देश बचाओ " का आवाहन कर

प्रजातंत्र विरोधी तत्वों को सबक सिखाने का संकल्प लिया है।-------

क्रांतिकारी अभिवादन सहित हम हैं

कामता प्रसाद वैद्य भूतपूर्व सदस्य प्रदेश कांग्रेस, लखनऊ	रामनाथ यादव ब्लाक प्रमुख मधुपुर एवं भूतपूर्व सदस्य कार्य- कारिणी जिला कांग्रेस, इलाहाबाद	दीनानाथ पाण्डेय भूतपूर्व महामंत्री ब्लाक कांग्रेस फैजाबाद
श्रीकान्त मिश्र भूतपूर्व मंत्री जिला कांग्रेस फैजाबाद	सतीश चन्द्र मिश्र भूतपूर्व महामंत्री ब्लाक कांग्रेस, रौंदवा	बलराम सिंह कोषाध्यक्ष जिला क्रांतिकारी परिषद्

(शेष १२ अन्य प्रमुख व्यक्तियों के नाम हैं)

प्रेस का नाम नहीं है।

(५) उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से चन्द्रभानु गुप्त की अपील

------ लेकिन देश के नये कर्णधारों ने थोथे नारों से जनता को गुमराह करके देश को ऐसी जगह लाकर खड़ाकर दिया है कि जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति जिसमें देश प्रेम हो और जीवनभर कर्मठ रहा हो अपने कर्तव्य से विमुख होकर आराम करने की सोच भी नहीं सकता। देश को ऐसे रास्ते पर आगे जाने से बचाना है। जिस पर यह बड़ी तेजी से विदेशी विचारधाराओं के प्रभाव से ले जाया जा रहा है।--- ऐसी दशा में देश और उसकी संस्कृति को बचाना है। संगठन कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है -------- संगठन कांग्रेस को सफल बनाइये।

विनीत

चन्द्रभानु गुप्त

(सी०बी०गुप्ता)

यल आर्टो प्रेस, लखनऊ द्वारा मुद्रित

(६) कितनी दयनीय दशा है - अपने देश की !

जहाँ देखो । भूख से तड़पते लोग । बिलखते बालक, अभावों की चोट पर चोट, असहाय ललनाओं की आर्त पुकार । क्या हम यह सब केवल मूक-दर्शक बने देखते रहेंगे ?

मैरे जवान बैटों !

मैरी होनहार बैटियों !!

उठो ! यह हमारी परीक्षा की घड़ी है । स्वाभिमान की मांग है - आत्म विश्वास और साहस की कसौटी है । बलिदानी परंपरा की पुकार है,

इन सब परेशानियों की जड़ है कांग्रेस । उसे उखाड़ फेंकना ही हमारा धर्म है । भारत का भाग्योदय जनसंघ का लक्ष्य है । इसे हर कीमत पर प्राप्त करना हमारा संकल्प है । यही मां की पुकार है ! अब निकल पड़ो अभियान पर ! विजय हमारी है !!

विजयराजे सिंधिया

(इंडिया आफसेट प्रेस, देहली)

(७) सुशासन की ओर

- ० प्रशासन में दलगत दखलन्दाजी बन्द
- ० भ्रष्टाचार निरोध आयोग की स्थापना
- ० अफसर एवं जनता के बीच समन्वय
- ० कर्मचारियों में जनता के प्रति सेवा भाव

प्रशासन और जनसंघ

पृष्ठ १

रग रग में रमी है रिश्वत, हटाओ कांग्रेस तो मिटे रिश्वत

शुद्ध और चुस्त प्रशासन के लिए एक मात्र विकल्प - जनसंघ

- पृष्ठ ४ -

(कैक्सटन प्रेस, नई दिल्ली में मुद्रित)

(८) सब को आप देख चुके

एक मौका हमें दीजिए

- अटल बिहारी वाजपेयी

जनसंघ के हर उम्मीदवार को जिताइये

(इंडिया आफ सेट प्रेस, देहली)

(९) गांधी जी के रास्ते पर चलकर ही देश की समस्याओं का समाधान संभव है - चौधरी चरण सिंह

- भारतीय क्रान्तिदल का कार्यक्रम -

१- प्रशासन को ईमानदार व कुशल बनाया जायगा । भ्रष्ट राजनीतिज्ञों व सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच करके कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

४- जाति प्रथा को खत्म करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जायेंगे ।

८- सरकार अनाज व्यापार अपने हाथ में नहीं लेगी ।

१५- (अंतिम) ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया जायगा ताकि शहरों एवं गांवों के बीच की विषमता कम हो । गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की विशेष चेष्टा की जायगी ।

उपरोक्त कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए छप्पर पर निशान लगाकर भारतीय क्रान्तिदल के उम्मीदवारों को विजयी बनावें ।

भारतीय क्रांतिदल उ०प्र० द्वारा प्रकाशित एवं कृष्णा प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ से मुद्रित ।

(१०) इंडिया विधान सभा से

बलई राम

को

अपना अमूल्य मत हल लिये किसान पर ठप्पा लगाकर विजयी बनावें ।

श्री विष्णु आर्ट प्रेस, इलाहाबाद

उपरोक्त प्रचार सामग्री के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं कि चुनाव अभियान में राजनीतिक दल अपने सामर्थ्य के अनुसार निम्नलिखित पर प्रकाश डालते हैं :-

(१) विरोधियों के सिद्धान्तों, नीतियों एवं कार्यक्रमों के दुष्परिणामों
(२) शासन की योजनाओं के कार्यान्वयन में सफलताओं एवं असफलताओं
(३) विरोधियों के गर्हित मंतव्यों
(४) विरोधियों की कूटनीतिक चालों
(५) विरोधी प्रत्याशियों की चारित्रिक या अन्य दुर्बलताओं
(६) वर्तमान दुर्गतियों, अव्यवस्थाओं, अभावों एवं आवश्यकताओं
(७) अपने दल के आकर्षक पक्षों
(८) अपने दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान से संभावित लाभों
(९) क्षेत्रीय समस्याओं के समाधानों की मन मोहक शृंखलाओं

उपरोक्त तथ्यों पर प्रकाश डालकर ही राजनीतिक दल यह आशा नहीं करते कि मतदाता उनके दल के पक्ष में ही मतदान का निर्णय करेगा या निर्णय कर लेने पर भी अन्तिम क्षण तक अटूट रहेगा । राजनीतिक दलों के मतयाचक मतदाताओं के द्वार-द्वार पहुँचने का यथासंभव प्रयास करते हैं और व्यक्तिशः संपर्क भी करते हैं । व्यक्तिशः संपर्क से ग्राम एवं क्षेत्र के सम्मानित, प्रभावशील, आतंककारी, दल के सहायक तथा दल के विरोधी श्रेणियों के व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित करते हैं । इस प्रकार के व्यक्तियों के सुझावों, आदेशों एवं नाम मात्र के संकेतों पर अनेक मतदाताओं के मत-निर्णय प्रभावित हो जाते हैं - इन्हें "मत अधिकोष"[20], "मत नेता"[21], "ग्राम देवता", "मतदाता", "निर्वाचक मस्तिष्क कुंजी"[20], "दलाल", "गांव के धुरी", "ग्राम नेता" आदि के रूपों में विशेषाभिधान किया जाता है ।

ऊपर निर्दिष्ट प्रकार के व्यक्तियों से राजनीतिक दल विशेष

संपर्क करते हैं जिसका आधार जैसे जातीय संबंध, रक्त संबंध, उनकी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति संबंध हित एवं दबाव, गुट, संबंध धार्मिक संबंध एवं आर्थिक संबंध आदि होते हैं। इन संबंधों के पाश में विशेषाभिधान वाले व्यक्तियों को राजनीतिक दल आबद्ध करते हैं और सदैव इस बात के लिए पहरा देते हैं कि किसी प्रकार संबंध पाश से वे निकलने न पाये और यदि कोई बाहर निकलने लगता है तब उसके सम्मुख उपहारों या प्रहारों के प्रस्तुतीकरण से पाश को दृढ़तर किया जाता है। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि फिर उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। अच्छे विकल्पों की खोज में या उसके आश्वासनों की विश्वस्त दशाओं में मतदान के क्षण तक पाश-परिवर्तन की क्रिया होती रहती है। "निर्वाचक मस्तिष्क" (अर्थात् ऐसा व्यक्ति जो मतदाताओं के एक समूह पर उसी प्रकार नियंत्रण रखता है जैसे शरीर पर मस्तिष्क) के संपर्कों के पश्चात् अन्य साधारण, सरल, अबोध, अप्रभावी, राजनीति से दूर तथा स्वकर्म में लीन, ग्राम की ही दुनिया तक सीमित, तथा स्वतंत्रता की पूर्ण अनुभूति से वंचित मतदाताओं से संपर्क किये जाते हैं। मात्र मतदाता ही जो होता है उससे एक दल एक बार से अधिक संपर्क नहीं कर पाते या नहीं भी करते हैं।

मतदाता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, चुनाव में नीतियों, कार्यक्रमों एवं सिद्धान्तों का लिखित या सार्वजनिक ढंग से मौखिक (सभाओं आदि में) उपाय जो अपनाये जाते हैं वे सब प्रत्यक्ष साधन है और जो मौखिक रूप से आश्वासन, प्रलोभन, दबाव, संघर्ष उद्दीपन, उत्कोच, सौदेबाजी आदि के उपाय किये जाते हैं वे सब अप्रत्यक्ष साधन हैं। मतदाता किससे और कब प्रभावित होता है ? इसका विवरण अग्रिम अध्याय में दिया जायगा। चुनाव अभियान में दल का कम और प्रत्याशी का अधिक प्रचार किया जाता दिखलायी देता है (प्रचार सामग्री क्रमांक १०)

चुनाव अभियान के समय आपके दल द्वारा कौन-कौन सार्वजनिक कार्य किये गये ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने "बिजली नलकूप लगवाये गये, विद्युत सुविधा दिलाये गये, पेय जल व्यवस्था में सुधार किये गये नलकूप की नालियों की मरम्मत करायी गयी," चुनाव में वादे किये जाते हैं काम बहुत कम "२२" बड़ेरा, बबना में नलकूप लगवाये गये और दुमदुमा के लिए नलकूप

का आश्वासन दिया गया" बताया और कुछ नहीं," बकाया नहीं" भी कहा । मण्डल समिति के पदाधिकारियों ने एक स्वर से" कोई नहीं" कहा तथा क्षेत्रीय कौंसिल के एक पदाधिकारी ने" बीस पारस्परिक विवादों को हल किया" बताया शेष ने कोई नहीं" ही कहा । उपरोक्त साक्षात्कार से स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ दल जनता की राजकीय सुविधाओं को तत्काल सुलभ करा देता है और कभी कभी वादे भी कर देता है क्योंकि विरोधी दल ऐसा नहीं कर पाते ।

आप मतदाताओं को अपनी ओर लाने के लिए किन किन चीजों का सहारा लेते हैं ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने १६ प्रतिशत" सिद्धान्त" १४. ५ प्रतिशत" आश्वासन", ६. ५ प्रतिशत" जातिवाद" ६. ५ प्रतिशत" आपसी वैरभाव का उद्दीपन" , ६. ५ प्रतिशत" अन्य दलों की आलोचना" ६. ५ प्रतिशत" नेताओं द्वारा सम्बोधन" ६. ५ प्रतिशत उनके मतदाताओं कार्य करके" ४. ७५ प्रतिशत" प्रलोभन" ४ . ७५ प्रतिशत " आतंक " तथा ४. ७५ प्रतिशत" अपने दल के अतीत का विवरण" बताया । मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने ४४. ५ प्रतिशत " सिद्धान्त" , २२. २५ प्रतिशत" अन्य दलों की आलोचना " २२. २५ प्रतिशत नेताओं द्वारा संबोधन" ११ प्रतिशत" आश्वासन" ११ प्रतिशत आपसी वैर भाव का उद्दीपन" तथा ११ प्रतिशत बाधा साधनों का सहारा बताया । इसी प्रश्न के उत्तर में क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियोंने ३० प्रतिशत" सिद्धान्त" २० प्रतिशत" आश्वासन , २० प्रतिशत" अन्य दलों की आलोचना" १० प्रतिशत जातिवाद" १० प्रतिशत नेताओं द्वारा सम्बोधन" तथा १० प्रतिशत उम्मीदवार के व्यक्तित्व एवं कार्य का सहारा बताया । उपरोक्त सहारों का महत्व प्रथम पांच तक क्रमशः" सिद्धान्त"" अन्य दलों की आलोचना"" आश्वासन"" नेताओं द्वारा सम्बोधन" तथा" आपसी वैर भाव का उद्दीपन" है ।

मतदाता सब से अधिक किस उपाय से प्रभावित होता है ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने ३४ प्रतिशत" तात्कालिक लाभ" २२ प्रतिशत आश्वासन" ११ प्रतिशत सिद्धान्त", ११ प्रतिशत" जातिवाद" ११ प्रतिशत नेताओं द्वारा संबोधन" तथा ११ प्रतिशत" सार्वजनिक हित" पर बल दिया । इससे

स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की दृष्टि में मतदाता को प्रभावित करने में तात्कालिक लाभ एवं आश्वासन की प्रमुख भूमिका है। मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने ५७. २५ प्रतिशत 'जातिवाद' २८. ५ प्रतिशत 'प्रलोभन' तथा १४. २५ प्रतिशत 'आतंक' पर बल दिया। इससे स्पष्ट होता है कि जनसंघ की दृष्टि में जातिवाद एवं प्रलोभन की मतदान निर्णय में प्रमुख भूमिका है। क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने ३३. २ प्रतिशत 'जातिवाद' १६. ७ प्रतिशत 'सुविधाओं' १६. ७ प्रतिशत सिद्धान्त १६. ७ प्रतिशत 'आश्वासन' एवं १६. ७ प्रतिशत 'प्रलोभन' पर बल दिया। इससे स्पष्ट है कि जातिवाद, आश्वासनों, सुविधाओं एवं प्रलोभनों की भूमिका भारतीय लोकदल की दृष्टि में महत्वपूर्ण है।

यदि उपरोक्त सभी दलों के द्वारा अनुभूत उपायों को तीन वर्गों तात्कालिक लाभ, लाभों का संरक्षण तथा भविष्य में लाभ के उपायों के रूप में वर्गीकृत किया जाय तो अच्छे संकेत मिलते हैं। 'तात्कालिक लाभ' के अन्तर्गत 'सार्वजनिक लाभ' एवं सुविधाओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है। लाभों के संरक्षण के उपायों में 'जातिवाद' एवं 'आतंक' को रखा जा सकता है और भविष्य में लाभ के उपायों में 'आश्वासन', 'सिद्धान्त' 'नेताओं द्वारा संबोधन एवं प्रलोभन को सम्मिलित करते हैं। तात्कालिक लाभ के उपायों से २०. ५६ प्रतिशत लाभों के संरक्षणवाले उपायों से ३८. ५७ प्रतिशत तथा भविष्य में लाभ के उपायों से ४०. ८६ प्रतिशत प्रभाव पड़ता है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि मतदान निर्णय का प्रमुख आधार मतदाता के लाभों में निवास करता है। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए 'सिद्धान्त एवं अन्य दलों की आलोचना' की भूमिका यहां पर नगण्य दिखलायी दे रही है। इसके अनुसार अब प्रथम पांच उपायों का क्रम 'जातिवाद' 'प्रलोभन', 'आश्वासन', 'तात्कालिक लाभ' तथा 'सिद्धान्त' सिद्ध होता है।

मतदान करने में किसी की सलाह को सर्वाधिक लोग मानते हैं ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने 'दल के नेता', 'लाभदाता' 'जाति के नेता' जिसने उनका कार्य किया हो, 'श्रेष्ठ, बुद्धिजीवि तथा मुखिया' की सलाह को बताया' मण्डल समिति के पदाधिकारियों ने 'प्रभावशाली व्यक्ति' अपने मित्रों तथा जातीय नेता' की सलाह बताया। इन उत्तरों से यह तथ्य और

स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि जातीय नेता की सलाह का अंश सर्वाधिक है अत: जातिवाद की भूमिका सर्वश्रेष्ठ है और मतदाता की वरीयता निर्धारण में 'राजनीतिक दल' की भूमिका सीमान्त अधिमान की है ।[२४]

आपके क्षेत्र में अन्य अराजनीतिक संगठन कौन-कौन हैं जो चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करते हैं ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने बीड़ी मजदूर संघ, युवक मंगलदल, सरकारी कर्मचारी संघ तथा जातिगत संगठन जैसे निषाद सभा, तेली सभा, बढ़ई सभा आदि का नाम बताया मण्डल समिति के पदाधिकारियों ने 'कुशवाहा संघ', 'अंसारी संघ' राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ' तथा अन्य जातीय आधारों पर गठित संघ का नाम बताया व : और क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने 'यादव सभा', 'विन्द सभा', 'कुशवाहा सभा', 'बीड़ी मजदूर यूनियन', 'विद्यालयों की प्रबन्ध समितियां', 'अध्यापक संघ' एवं जातीय संगठन आदि का नाम बताया । अत: इससे यह तथ्य पुष्ट होता है कि जातीय संगठनों की चुनावों में उल्लेखनीय भूमिका है साथ ही अन्य अराजनीतिक संगठन भी चुनावों में राजनीतिक भूमिका कुछ न कुछ अंशों में अवश्य निभाते हैं । नेताओं ने भी अपने साक्षात्कार में इसकी पुष्टि की है ।

जैसे जैसे मतदान की तिथि निकट होने लगती है वैसे वैसे प्रचार अभियान तीव्र होता जाता है और विजय पराजय के कारण स्पष्ट होने लगते हैं । विजयाकांक्षी दल अपने को सबल करने के लिए संमैत्रियों (Alliances की संभावनाओं का चिन्तन करते हैं और आशा की किरणों का सूक्ष्मता से अवलोकन करके उसकी ओर अग्रसर होते हैं । संभावित संमैत्रियां - १- मतदाता और दूसरे मतदाताओं के मध्य २- प्रत्याशी एवं दूसरे प्रत्याशियों के मध्य ३- एकदल और दूसरे दलों के मध्य ४- मतदाताओं एवं प्रत्याशी के मध्य ५- मतदाताओं एवं दल के मध्य ६- एक दल के प्रत्याशी का दूसरे दल के साथ है । ज्ञातव्य है कि ये संमैत्रियां निर्वाचन के पूर्व, निर्वाचन काल में तथा निर्वाचन के पश्चात् भी संभव है जो कि प्रकट या गुप्त ; अस्थायी या स्थायी , अंश पूर्ण या निहित हो सकती हैं । संमैत्री विरोध पक्ष को अपने उद्देश्य पूर्ति का एक माध्यम बनाना है । एक दल और दूसरे

दल के मध्य संमैत्री का उदाहरण संगठन कांग्रेस, भारतीय जनसंघ तथा स्वतंत्र पार्टी का सन् १९७१ ई० का " महागठ बन्धन " है ।

इंडिया विधान सभा क्षेत्र में सन् १९७४ के निर्वाचन में भारतीय क्रान्ति दल, संयुक्त समाजवादी दल तथा मुस्लिम मजलिस का त्रिदलीय मोर्चा संमैत्री का एक उदाहरण है जिसके प्रत्याशी के रूप में श्री ठंडीराम यादव खड़े हुए थे । संमैत्रियों के अन्तर्गत अपने दल के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए " संमिश्रित प्रत्याशी " किसी दल या निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव रणक्षेत्र में उतारे जाते हैं । ऐसा कहा जाता है कि सन् १९७४ ई० के विधान सभा निर्वाचन में श्री केदार नाथ बिन्द निर्दलीय प्रत्याशी को सत्ता कांग्रेस ने संमिश्रित प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया था जो कि " बिन्द " (केवट) जाति के मतदाताओं को अपनी ओर खींच कर ले । ज्ञातव्य है कि इन बिन्दों के मत विशेष रूप से भारतीय क्रान्ति दल के पक्ष में जाने की आशा थी ।[२५]

यदि आपका विरोधी प्रत्याशी विजय की स्थिति में आ जाय तो उसके साथ क्या करेंगे ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने " प्रचार तीव्र ", " मुख्य व्यक्तियों को धन देंगे ", " मित्रों एवं रिश्तेदारों का दबाव डालेंगे और खास लोगों को मिलायेंगे[२६] " प्रत्याशी के सहायकों को तोड़ते हैं और बैठा देते हैं , अफवाहें फैलायी जाती हैं ।[२७] तीसरे स्थानवाले प्रत्याशी से सांठ-गांठ "[२८] की भूमिकाओं को बताया । ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें उत्कोच (घूस) दबाव, प्रचार तीव्रता एवं अफवाहों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक अभिवृद्धि की जाती है । इसी प्रश्न के उत्तर में मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने " तीव्र प्रयत्न " , " झूठा प्रचार "[२९] अपना प्रचार तंत्र तीव्र " तथा " तीव्रतम संपर्क " की भूमिकाओं को बताया जिससे स्पष्ट है कि " मात्र प्रचार तंत्र " के अलावा दूसरा कोई उपाय इन सब के मस्तिष्क में नहीं आता प्रतीत होता जबकि अफवाहों की शरण लेना स्वीकार करते हैं । क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने संभावित विजयी की स्थिति खराब करेंगे, प्रचार तेज करेंगे , अनैतिक कार्य नहीं करेंगे दो विरोधी मिल जाते हैं जैसे संगठन कांग्रेस के लोग भारतीय क्रान्तिदल से मिल गये।[३०]

(सन् १९७४ ई० के विधान सभा निर्वाचन में भारतीय जनसंघ या सभा कांग्रेस न हो इसके निमित्त संगठन कांग्रेस के प्रबल समर्थकों ने भारतीय क्रान्ति दल का अन्तिम क्षणों में समर्थन किया)

"मतदाताओं पर दबाव बढ़ायेंगे" की भूमिकाओं का विवरण दिया । सन् १९७४ ई० के विधान सभा निर्वाचन के अन्तिम दिनों में यह अफवाह फैलायी कि श्री हरिश्चन्द्र हरिजन (रिपब्लिकन पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी) तथा कांग्रेस के पक्ष में बैठ गया ।[31] सन् १९७४ ई० के विधान सभा निर्वाचन में मतदान की पूर्व रात्रि में मुसलमानों में यह प्रचार किया गया कि" यदि आप लोग भारतीय क्रान्तिदल का समर्थन नहीं करते तो जनसंघ का प्रत्याशी निश्चित ही विजयी हो जायगा ।[32] उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि विजय की स्थिति वाले प्रत्याशी के विरोध में राजनीतिक दल उनसे सम्बद्ध मतदाताओं समर्थकों, प्रचारकों, प्रत्याशी आदि के ऊपर दबावों, उत्कोचों, धमकियों, प्रचारों के द्वारा नैतिक तथा अनैतिक प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं ।

निर्वाचन अभियान में किये गये प्रयासों से आकृष्ट जनमत शान्तिपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त हो इसके लिए निश्चित मतभेद केन्द्रों की अस्थायी व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की जाती है । राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी ओर से एक परिचय पत्र देते हैं जिसके अन्तर्गत निर्वाचक क्रमांक नाम पता, आयु लिंग मतदान केन्द्र, मतदेय स्थल, मतदान तिथि तथा काल आदि का विवरण किया जाता है । सन् १९७४ ई० के निर्वाचन के पूर्व के परिचय पत्रों में दल के प्रत्याशी का नाम तथा चुनाव चिन्ह भी दिया जाता रहा । जब से चुनाव आयोग ने इसका निषेध करके मात्र सफेद रंग के परिचय पत्र की स्वीकृति दी तब से राजनीतिक दल परिचय पत्रों पर ध्यान कम कर दिये । इन परिचय पत्रों को मतदाता मतदान का निमंत्रण समझते हैं ।

मतदान की तिथि के लिए राजनीतिक दल निर्वाचन अभिकर्ताओं की नियुक्ति करते हैं जो कि प्राय: स्थानीय, सुपरिचित, सक्रिय एवं ईमानदार दल के समर्थक, सदस्य या कार्य कर्ता होते हैं । मतदान केन्द्र का प्रभारी

बनाते हैं और उसे मतदान के समय अपने दल का शिविर लगाने के लिए तथा मतदान से संबंधित सामग्रियां जैसे रिक्त परिचय पत्र, निर्वाचक नामावली, लिफाफा पत्र, फण्डे , टोपियां, बिल्ले, लेखन सामग्री, नाम मुद्रा (सील) लाख(लाख) मोमबत्ती आदि देकर सुव्यवस्था का दायित्व सौंपते हैं। अपने दल के निर्वाचक अभिकर्ताओं के लिए आवश्यक व्यय तथा अवैध मतों को चुनौती देने के लिए उपयुक्त मत शुल्क भी प्रदान करते हैं।

मतदान तिथि के पूर्व की रात्रि में राजनीतिक दलों की अप्रत्यक्ष उपाय से जनमत को अपने पक्ष में करने की गतिविधियां पराकाष्ठा पर पहुंच जाती हैं और प्रत्याशी, नेता, कार्यकर्ता आदि जागते रह जाते हैं। मतदान तिथि के उषा काल से ही " चुनाव-शिविरों " की सजावट प्रारंभ हो जाती है। दल के शिविरों की सजावट, उसमें बैठे जन समूह एवं मतदान केन्द्र पर जानेवाले नेताओं के अभिवादन से मतदाताओं में उत्साह, उत्सुकता तथा पक्ष में मतदान का उद्दीपन किया जाता है। अपने पक्ष के मतदाताओं को यथासंभव मतदान केन्द्र तक ले जाने एवं उनके निवास तक वापस पहुंचाने के लिए इक्का, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रक , टैक्सी एवं कार की राजनीतिक दल की ओर से वित्तीय शक्ति एवं विषय की मात्रा के अनुसार किया जाता दिखलायी देता है। विपक्षी मतों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से उनको हतोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय अपनाये जाते हैं जैसे उन्हें घर ही से न जाने देना, जाने पर दीर्घ काल तक प्रतीक्षा पंक्ति में खड़े रखना या संघर्ष का उपक्रम करना आदि।

चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त मतदान केन्द्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रभावित करके पक्ष में कूट मत (जाली मत) डलवाने का भी भूमिकायें यदा कदा सुनी जाती हैं क्योंकि हंडिया मतदान केन्द्र पर ऐसे कुछ व्यक्तियों की भारतीय जनसंघ की ओर से नियुक्त मतदान अभिकर्ता ने विधान सभा निर्वाचन सन् १९७४ ई० में पकड़ा था।[२३]

हंडिया विधान सभा निर्वाचन फरवरी सन् १९७४ में मतदान का समय प्रातः ८ बजे से सायं ५ बजे तक और जून १९७७ में प्रातः ७ बजे से सायं ४ बजे तक रहा। मतदान समाप्त हो जाने पर राजनीतिक दलों के द्वारा नियुक्त

मतदान अधिकर्ता मतपेटिकाओं में डाले गये मतों की संख्या की पूर्ण संतोष प्रद जानकारी करके मतपेटिकाओं पर नाम मुद्रा अंकित कर देते हैं । मत पेटिकाओं की सुरक्षा का भी ध्यान करके कभी कभी उनके संग्रह स्थान पर पहरा भी देते हैं ।

मतगणना के लिए राजनीतिक दल अपने अपने अभिकर्ताओं को नियुक्त करते हैं जो कि वैध एवं अवैध मतों के निर्णयों पर दृष्टि रखते हैं और वैध मतों की गणना का निरीक्षण भी करते हैं । मत गणना के समय की अनियमितताओं पर अंकुश रखकर यथार्थ निर्णय प्राप्त करने की भर पूर चेष्टा की जाती है । जिस दल की पराजय होने लगते हैं उसके अभिकर्ता या तो मतगणना स्थल से पलायन कर जाते हैं या जिसकी विजय में सहानुभूति होती है उसकी सफलताओं में दलगत भावनाओं का बन्धन अभिकर्ताओं के व्यवहारों को बहुत कम नियंत्रित कर पाता है ।[३४]

निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पूर्व पराजित प्रत्याशी विजयी प्रत्याशी को बधाई देकर वहाँ से चल देते हैं । सन् १९७४ ई० के निर्वाचन परिणाम पर श्री राजित राम पाण्डेय ने कहा " विधायक तो हुआ एक " राम " ही न राजित राम सही । बटई राम सही ।"[३५] निर्वाचन परिणाम की साधिकारिक एवं औपचारिक उद्घोषणा के पश्चात् विजयी दल अपना जुलूस निकालकर निर्वाचन की अन्तिम प्रक्रिया पूर्ण करता है । जिस दल के प्रत्याशी को वैध मतों की कुल संख्या का छठा अंश नहीं मिल पाता उसकी जमा की गयी प्रतिभूति (जमानत) चुनाव आयोग द्वारा हरण कर ली जाती है । प्रत्याशियों की यथा कांग्रेस, भारतीय लोकदल एवं भारतीय जनसंघ को छोड़कर अन्य दस प्रत्याशियों की प्रतिभूतियां सन् १९७४ ई० के निर्वाचन में ली गयी ।

राजनीतिक दल निर्वाचन में अपने लक्ष्य पूर्ति के हेतु अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार धन व्यय करते हैं । निर्वाचन के पश्चात् एक निश्चित तिथि ३० दिन के अन्दर प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय वृत्त निर्दिष्ट निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख चुनाव आयोग के निमित्त सौंपना पड़ता है । जिसकी व्यय सीमा उत्तर प्रदेश के लिए विधान सभा निर्वाचन में ६ हजार रुपये तक निश्चित है ।[३६] जो प्रत्याशी निश्चित अवधि के भीतर व्यय वृत्त नहीं सौंपता उसको तीन वर्ष के लिए सदस्यता के अयोग्य

घोषित कर दिया जाता है।[37] हंडिया विधान सभा निर्वाचन सन् १९७४ ई० में राजनीतिक दलों ने चुनाव में कितना व्यय किया इसके आकड़े उपलब्ध नहीं हो सके किन्तु दल के पदाधिकारियों की जानकारी एवं अनुमान के आधार पर इसका विवरण दिया जा रहा है।

" विधान सभा के पिछले निर्वाचन (सन् ७४) में अनुमानत: आपके दल का कितना धन व्यय हुआ होगा ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटी के एक तिहाई पदाधिकारियों ने " पता नहीं ", एक तिहाई ने १० हजार रुपये तथा शेष एक तिहाई ने " २० हजार से २५ हजार रुपये तक " बताया।[38] इसी प्रश्न के उत्तर में मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने २५०० रु०, " ५ हजार रुपये " " ६ हजार रुपये " तथा ९ हजार रुपये " बताया।[39] क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने ५ हजार रुपये " " ६ हजार रुपये " ८ हजार रुपये " तथा १० हजार रुपये "[40] बताया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कांग्रेस के पदाधिकारियों में अनुमानित राशि का अंतर सर्वाधिक है और कांग्रेस प्रत्याशी का व्यय भी सर्वाधिक है। सब से न्यूनतम व्यय भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी का रहा। कांग्रेस एवं भारतीय लोकदल के प्रत्याशियों का सर्वोपरि अनुमान निर्वाचन आयोग की व्यय सीमा से बाहर है जिसमें कांग्रेस का तो लगभग तीन गुना अधिक है।

यह धनराशि किन किन साधनों से और कितनी प्राप्त हुई होगी ? के उत्तर में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने ५० प्रतिशत से शत प्रतिशत तक दल एवं दल के नेताओं से प्राप्त बताया। श्री लक्ष्मीशंकर मिश्र ने जो कि २०-२५ हजार रुपये व्यय का अनुमान किये उन्होंने पूर्ण रूपेण दल से ही बताया। मण्डल समिति के पदाधिकारियों ने ३३ प्रतिशत - ४४ प्रतिशत तक दल से शेष प्रत्याशी उसके रिश्तेदार, कृषक, व्यापारी आदि से प्राप्त बताया। क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने ४०-५० प्रतिशत दल तथा शेष अध्यापकों, कृषकों, व्यापारियों एवं प्रत्याशी से प्राप्त बताया। इस विवरण से स्पष्ट है कि कांग्रेस अन्य दोनों राजनीतिक दलों की अपेक्षा अपने प्रत्याशी को अधिक धनराशि प्रदान करती है। कुछ प्रत्याशी कांग्रेस दल द्वारा चुनाव के लिए दी गयी धनराशि में से व्यय करने पर भी कुछ धन बचा लेते हैं।[41] यह कथन उस स्थिति में सत्य सम्भव होता है जब

कि प्रत्याशी को यह दृढ़ विश्वास हो जाय कि कितना भी व्यय करे किन्तु निर्वाचन में सफलता नहीं मिलेगी ।

विरोधी दल ने कितना व्यय किया ? नाम और धनराशि का अनुमान दीजिए ? के उत्तर में क्षात्र कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने भारतीय क्रान्ति दल ८ हजार से २० हजार रुपये तक बताया जिसका औसत १४ हजार दो सौ रुपये है, भारतीय जनसंघ ५ हजार से १५ हजार रुपये तक बताया जिसका औसत १० हजार रुपये है और संगठन कांग्रेस : १० हजार से २० हजार रुपये तक बताया जिसका औसत १३ हजार सात सौ पचास रुपये है । एक पदाधिकारी ने बताया कि विरोधी दल सत्ता से कम पैसा व्यय करते हैं ।[४२]

मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने सत्ता कांग्रेस - २० - ४० हजार रुपये जिसका औसत २६हजार सात सौ रुपये है, भारतीय क्रांतिदल ५-१५ हजार रुपये जिसका औसत १० हजार सात सौ रुपये है तथा संगठन कांग्रेस १०-१५ हजार रुपये , जिसका औसत १७ हजार पांच सौ रुपये है बताया । क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने, सत्ता कांग्रेस : १७ -२५ हजार रुपये, जिसका औसत २७ हजार तीन सौ रुपये है । भारतीय जनसंघ : ६-१२ हजार रुपये जिसका औसत ६ हजार रुपये है तथा संगठन कांग्रेस : १६-२५ हजार रुपये जिसका औसत १६ हजार पांच सौ रुपये है, बताया ।

पदाधिकारियों द्वारा अपने दल तथा विरोधी दल के विषय में निर्वाचन के निमित्त व्यय की गई धनराशि का प्रस्तुत विवरण का अवलोकन करने से सत्ता कांग्रेस का अनुमानित व्यय २३.४२ हजार रुपये, संगठन कांग्रेस का १५.६ हजार रुपये ; भारतीय क्रान्ति दल का १०.७२ हजार रुपये तथा भारतीय जनसंघ का ८.२ हजार रुपये आता है । अत: यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता कांग्रेस ने सब से अधिक तथा भारतीय जनसंघ ने सब से कम धन उ०प्र० विधान सभा निर्वाचन १९७४ ई० में व्यय किया । यह धनराशि किन-किन साधनों से और कितना प्राप्त हुई होगी ? के उत्तर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (सत्ता) के लिए एक मैवदल भारतीय जनसंघ के लिए दल, चन्दा, धन क्षेत्र तथा प्रत्याशी , भारतीय क्रान्तिदल

के लिए दल, जातीय चन्दा, प्रत्याशी तथा चौधरी श्री चरण सिंह तथा संगठन कांग्रेस के लिए तथा श्री चन्द्रभानु गुप्त के साधन बताये गये। इससे स्पष्ट है कि सत्ता कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को निर्वाचन के लिए पर्याप्त धन दिया जिसके कारण प्रत्याशी ने स्वयं अपनापन नहीं लगाया और न किसी से धन की याचना की आवश्यकता हुई।

दलों का संडिया विधान सभा निर्वाचन १९७४ में अनुमानित व्यय

दल के पदाधिकारियों की दृष्टि में	दलों का व्यय		मध्यमान (हजार रुपये में)
	दल का नाम	व्यय विस्तार (हजार रुपये में)	
ब्लाक कांग्रेस कमेटी (सत्ता कांग्रेस)	भारतीय क्रांतिदल(क)[४३]	८ - २०	१४.२
	भारतीय जनसंघ	५ - १५	१०.०
	संगठन कांग्रेस	१० - २०	१३.७
	सत्ता कांग्रेस	१० - २५	१६.२५
मण्डल समिति (भा०जनसंघ)	सत्ता कांग्रेस	२० - ४०	२६.७
	भारतीय क्रांतिदल	५ - १५	१०.७
	संगठन कांग्रेस	१० - २५	१७.५
	भारतीय जनसंघ	२.५- ९	५.६२५
क्षेत्रीय कौंसिल (भारतीय लोकदल)	सत्ता कांग्रेस	१७ - ३५	२७.३
	भारतीय जनसंघ	६ - १२	९.००
	संगठन कांग्रेस	१६ - २५	१६.५
	भारतीय क्रांतिदल	५ - १०	७.२५

दल का नाम	मध्यमानों का योग (हजार रुपये में)	मध्यमान (हजार रुपये)
सत्ता कांग्रेस	१६ ' २५+२६. ७+२७. ३ = ७०. २५	२३. ४२०
संगठन कांग्रेस ४३	१३. ७ +१७. ५+१६. ५ = ४७. ७	१५. ६००
भारतीय क्रांति दल	१४. २ +१०. ७+७ २५ = ३२. १५	१०. ७२०
भारतीय जनसंघ	१०. ००+५. ६२५+ ६. ००=२४. ६२५	८. २०८

राजनीतिक दल अनेक प्रकार मुद्रायें जो कि निर्वाचन युद्ध में विजयी होने के लिए व्यय करते हैं उसे दस स्तम्भों में विभाजित किया जा सकता है। १- चुनाव प्रचारकों - इसमें दल के नेता से लेकर समर्थक तक जो कि निर्वाचन में योगदान करते हैं। २- कार्यालयों - अस्थायी तथा स्थायी सूचना, सामग्री एवं प्रचारकों का मिलन केन्द्र जहां से निर्वाचन क्षेत्र को सम्भवतः विभाजित करके नियंत्रित एवं पारितोषित करते हैं ३-यात्रा साधनों - जैसे बैलगाड़ी से वाहन (कार) तक जिससे कम समय एवं श्रम में कार्यकर्ता संभव होता है। ४- लिखित प्रचार सामग्री - इसमें चुनाव घोषणा पत्र, विज्ञापन पत्र, विवरणिका फलक आदि। ५- ध्वनि विस्तारक यंत्र - जिससे प्राकृतिक ध्वनि को अनेक गुना बढ़ाकर प्रसारित किया जाता है ६- प्रतीकों - जैसे झण्डा, टोपी, बिल्ले तथा चुनाव चिन्ह आदि। ७- अभिकर्ताओं - में अभिकर्ता मतदान एवं मतगणना के समय कार्य करते हैं ८- साज-सज्जा - इसमें कार्यालय, सभा स्थल निर्वाचन - शिविर आदि को आकर्षक बनाने के लिए तोरण द्वार, वस्त्र द्वार, मंच शोभा पर होनेवाला व्यय सम्मिलित किया जा सकता है ९- मतदाता - इसके अन्तर्गत " प्रतिष्ठित - मतदाता " या साधारण मतदाताओं को विभिन्न रूपों में दी जाने वाली धनराशि सम्मिलित है। १०- अन्य - इसमें राजनीतिक तथा अराजनीतिक संस्थाओं को अपने पक्ष में करने के निमित्त, दान, पुरस्कार , पारितोषिक ,उपहार आदि में किया जानेवाला व्यय सम्मिलित किया जा सकता है। ११- प्रतिभूति - जो प्रत्याशी बनने के लिए जमा करनी पड़ती है। उपरोक्त स्तम्भों के सूक्ष्म

निरीक्षण से स्पष्ट होता है कि निर्वाचन में होनेवाले व्यय का अधिकांश व्यापारियों एवं पूंजी पतियों के हाथों में पहुंचता है जो कि स्वस्थ जनतंत्र के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है।

विधान सभा की निर्वाचन प्रणाली में कौन-कौन कमियां है ? के उत्तर में क्रमक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने, " मतदाता पर दबाव" रुपये का प्रभाव", " प्रजातंत्र ठीक नहीं क्योंकि मूर्खों की अधिकता"[५४] " जाली मतदान" चुनावों में अधिक धन व्यय"[५५] तथा १८ वर्ष की आयु के मतदाता नहीं , की कमियां बताया। मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने , १८ वर्ष मतदाता आयु नहीं" " एक ही व्यक्ति अनेक मतदान" " बहुमत द्वारा निर्णय नहीं," समान प्रचार नहीं", शैक्षिक योग्यता के बन्धन नहीं" द्वार-द्वार प्रचार होना" तथा" विरोधियों को सरकारी सुविधाओं का न मिलना की कमियां बताया। प्रदेशीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने" सत्ता दुरुपयोग दबाव तथा मार पीट" " अलग अलग चुनाव प्रचार मतपेटिकायें प्रत्याशियों के संरक्षण में नहीं[५६] व्यय अधिक तथा १८ वर्ष के नागरिक मतदाता नहीं, दल नहीं, प्रत्याशी[५७] चुनाव लड़ते हैं, अपव्यय तथा विलम्ब से मतगणना की कमियां बताया। उपरोक्त कमियों में[५८] मैं से मतदाता पर दबाव जाली मतदान, अधिक धन व्यय, १८ वर्ष मतदाता आयु का न होना, समान प्रचार का न होना, सत्ता का दुरुपयोग मतपेटिकाओं से सम्बंधित अविश्वास तथा विलम्ब से मतगणना एवं बहुमत के आधार पर निर्णय का न होना, विचारणीय एवं महत्वपूर्ण है।

" यदि मतदाताओं को वरीयता मत देने का अधिकार मिल जाये और निर्णय बहुमत से हो तो क्या बहुत से दोष समाप्त हो जायेंगे ? के उत्तर में सभी दलों के पदाधिकारियों ने ६४ प्रतिशत" हां", २२ प्रतिशत " नहीं" ७ प्रतिशत" कम होंगे" एवं ७ प्रतिशत (निर्वाचन) कठिन हो जायेगा , कहा। अत: निर्वाचन पद्धति में प्रत्याशी के लिए शैक्षिक एवं जन सेवा की योग्यता, एक प्रचार मंच, मतदाताओं के लिए वरीयता मत, १८ वर्ष आयु और प्रमाणित भाचित्र (Photo) सहित मतदान पुस्तिका तथा मतदान केन्द्र पर ही मतदान के तत्काल पश्चात् मतगणना की व्यवस्था में कर दी जाय तो सभी प्रकार की कमियां दूर हो जायेंगी ऐसा प्रतीत होता है।

२ - राजनीतिक निर्णय - प्रभावन

निर्वाचन युद्ध में विजय अथवा पराजय का सार धारण करने के पश्चात् एवं पूर्व राजनीतिक दल संस्थाओं द्वारा लिये जानेवाले सार्वजनिक निर्णयों को अपने दलीय नीतियों के अनुसार ढालने के लिए प्रभाव डालते हैं।" वस्तुत: निर्णय-निर्माण मानवीय जीवन का सार तत्व है ; हम हर क्षण किसी न किसी प्रकार का निर्णय लेते रहते हैं, राजनीतिक निर्णय-निर्माण हमारी संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का एक भाग है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन में आनेवाली समस्याओं, उलझनों तथा परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रियाशील होना।"[४८]------- अत: निर्माण का अर्थ विकल्पों में से एक का चुनाव करना है, ग्राम स्तर से लेकर देश स्तर तक की समस्याओं पर राजनीतिक निर्णय लेनेवाली संस्थाओं (ग्राम पंचायत से संसद तक) में होनेवाले निर्णयों को राजनीतिक दल प्रभावित करते हैं।

निर्णय सत्ता के कृत्य हैं जो कि सामूहिक लक्ष्यों के साफल्य तथा सामूहिक वांछकों के अधिकतम करण के लिए गुरुत्व रखते हैं।[४९] ऐसी स्थिति में वर्तमान युग में जब कि राज्य कल्याणकारी दायित्वों का अधिकतम वहन करने की ओर अग्रसर हो रहा है उस समय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, वैज्ञानिक एवं राजनीतिक आदि निर्णयों के समग्र संसार में राजनीतिक निर्णय प्रमुख प्रकाश केन्द्र पूर्ण है। निर्णय- निर्माण एक प्रक्रिया है जो कि सामाजिक रूप से परिभाषित तथा समस्या प्रधान विकल्पित अभिकार्यों (उद्देश्यों) की संख्या को सीमित करके एक अभिकार्य से अभिप्रेत होकर भविष्य के लिए विशिष्ट लोक कार्यों के चयन में निर्णय निर्माताओं के सामने उत्पन्न होती है। राजनीतिक निर्णय सत्ता के द्वारा समस्याओं के विकल्पित समाधानों[५०] में से सर्वश्रेष्ठ, लोक हितकारी, उपयुक्त तथा भविष्य निर्माणक समाधान है। राजनीतिक निर्णयों की प्राप्ति में समस्या के संभावित पक्षों एवं समाधानों का अन्वेषण तथा किसी एक समाधान में आस्था और विश्वास का प्रकटन होता है।

राजनीतिक निर्णय की रंगभूमि - वे विधि सम्मत संस्थायें जहाँ पर राजनीतिक निर्णय होते हैं उन्हें राजनीतिक निर्णय की रंगभूमि कहेंगे। मतदान,

कानून, न्याय, प्रशासन तथा संगठन की संस्थायें प्रमुख रंगभूमि है । मतदान को राजनीतिक दल विधायिका के सदस्यों के निर्वाचन में प्रभावित करते हैं जबकि इसके अन्य प्रभावक जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक स्तर, शिक्षा एवं राजनीतिक ज्ञान तथा अन्य संगठन भी है ।

राजनीतिक दल विधायिका द्वारा लिये जानेवाले निर्णयों को प्रभावित करने के निमित्त ही प्रमुख रूप से निर्वाचन में प्रत्याशी प्रदान करते हैं । संसद और विधान मण्डलों के निर्वाचनों में निर्दलीय प्रत्याशी के विजयी होने की आशा बहुत कम होती है । संसदात्मक सरकार की प्रणाली में दल के विजयी सदस्यों में से ही वह दल अपना " संसदीय नेता " का चयन करता है । संसदीय नेता अपने दल के प्रतीक पर निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करता है । अपने दल के जन प्रतिनिधियों के विधायी व्यवहारों में एकरूपता या साम्यता बनाये रखने के लिए उपनेताओं तथा सचेतकों का चयन राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है । राजनीतिक दल अपने संसदीय प्रतिनिधियों को संतुष्ट रखने की भरपूर कोशिश करते हैं जिसके लिए पद प्रदान की सार भूत भूमिका प्रस्तुत करनी पड़ती है । पद से असंतुष्ट संसदीय प्रतिनिधि दल का त्याग करता है और देता है जैसा कि श्री चौधरी चरण सिंह ने सन् १९६७ ई० में उत्तर प्रदेश विधान सभा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को त्याग कर नया दल बनाया ।

जब व्यवस्थापिका किसी राजनीतिक निर्णय को प्राप्त करना चाहती है तब उसके सदस्य अपने अपने दल की निर्धारित नीतियों के अनुकूल समाधानों को प्रस्तुत करते हैं जिनमें पर्याप्त सादृश्य झलकता है।[५१] एक ही राजनीतिक दल के अन्तर्गत राजनीतिक निर्णय के पूर्व या पश्चात् मतभेद संभव है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण सत्तारूढ़ कांग्रेस के श्री शांतिराम गायकवाड़ स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सन् १९७४ का सवा छ: लाख के भूस्वामियों को भूराजस्व से मुक्ति प्रदान के लिए पद से त्याग पत्र है ।[५२] राजनीतिक दल का चुनाव घोषणा पत्र विधायिका में प्रस्तुत की जानेवाली भूमिकाओं का प्रथम संक्षिप्त तथा सर्वांगीण पूर्व परिचय प्रदान करता है ।

जब विधायिका किसी विषय पर विधि-निर्माण करने लगती है तब राजनीतिक दलों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सदस्य एवं समर्थक, विधायिका को अपनी घोषित नीतियों के अनुसार उसको वाद-विवाद लेख, प्रस्ताव, संशोधन, लताड़ना (धमकी) आदि उपायों से लाभ हानि का विवरण प्रस्तुत करते हुए अपने अनुकूल राजनीतिक- निर्णय प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करते हैं। जिस दल का विधायिका में बहुमत होता है निर्णय उसी के पक्ष में होता है, यदि बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी अन्य दल से मैत्री की गयी है तो मैत्री को दीर्घ जीवी रखने के लक्ष्य को रखकर निर्णय होता।

विधायिका में बहुमत स्थापित करने के लिए परस्पर विरोधी विचार धारावाले दल भी आपस में कुन्दक उलूखल संधि (Ball and Socket joint) कर लेते हैं जिसका प्रमाण उत्तर प्रदेश की विधायिका में सन् १९६७ ई० में भारतीय जनसंघ एवं भारतीय साम्यवादी दल का संयुक्त विधायक दल का घटक बनना है। जिस दल को विधायिका में बहुमत नहीं मिल पाता वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है किन्तु अपनी आवश्यकतानुसार सहयोगी एवं समर्थक भी बन जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा विधायिका में बहुमत - स्थापना का प्राण- पण से प्रयास राजनीतिक निर्णय प्रभावन का निर्णायक उपाय होता है।

संसदात्मक प्रणाली में विधायिका के अन्तर्गत बहुमत स्थापना से राजनीतिक दल निर्णयों को कार्यान्वित करने का साधन कार्यपालिका पर सहज नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं जिसके सहायक के रूप में मंत्रि परिषद् के अनेक विभागों से सम्बद्ध उप नेताओं की एक नियुक्त[१३] (टोली) होती है। कार्यपालिका की नियुक्त में राजनीतिक दल के अंतरंग , प्रवर एवं उच्च संवर्गवाले व्यक्ति होते हैं जिसके कारण उसके प्रभाव क्षेत्र , वंश, प्रकार आदि में अभिवृद्धि होती है। राजनीतिक दल विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सेतु होता है। कार्यपालिका में प्रविष्ट नियुक्त पर राजनीतिक दल विशेष रूप से आधारित रहता है क्योंकि ये ही राजनीतिक निर्णयों के सूत्रधार होते हैं और इनका प्रशासन पर पूर्ण अधिकार होता है। ऐसा दिखलायी देता है कि राजनीतिक दल का संगठन इन राजनीतिक निर्णायकों अर्थात् सत्ताधीशों का पुजारी बन जाता है।

दल के संगठन में कार्य करनेवाला जब शासन के पद को प्राप्त कर लेता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने "पद-गर्व", "अधिकार-वृद्धि", संगठन से अच्छा निजी लाभ का ध्यान[५४], "शासक सा व्यवहार", "सरकार पर ध्यान" कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं, "कम सेवा संगठन में रुचि", गुट बन्दी तथा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा,[५५] संगठन में कम समय, कार्यकर्ताओं का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग" बताया।[५५] इन उत्तरों से स्पष्ट है कि सत्ता में आने के पश्चात् अर्थात् राजनीतिक निर्णायक बनने के पश्चात् दल के संगठन का प्रयोग निजी लाभों के लिए अधिक होता है। क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि ये सत्ताधीश दल को प्रभावित करने लगते हैं जब कि इन्हें दल से प्रभावित होना चाहिए।

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने "संख्या में अनुभव नहीं", "कार्यक्षमता कम, छोटे बड़े का भाव", "स्वार्थ भावना आ जाती है"[५६] ऐसी घटना नहीं, बताया जिनसे निजी दल के अनुभव के अवसर का अभाव तथा दूसरे के अनुभवों का प्रभाव झलकता है। क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने उसी प्रश्न के उत्तर में" जन संपर्क कम, दलीय सीमा से बाहर तथा समर्थकों को दूर करना[५७], "स्वार्थ जागृति", "दल के अनुसार कार्य नहीं", "स्वाभिमान बढ़ जाता है, पहचान कम करते हैं तथा वादे पूरे नहीं करते हैं,[५८] बताया। इन उत्तरों से भी यह बात निर्विवाद हो जाती है कि दल के संगठन प्रभावहीन हो जाता है और दल स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम ही बन जाता है। यह विचारणीय प्रश्न है कि दल इन सत्ता धीशों के द्वारा ही लिये जानेवाले राजनीतिक निर्णयों को किस अंश तक प्रभावित करता है। क्या राजनीतिक निर्णय कर्तागण अपने दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर राज्य के हित पर ध्यान केन्द्रित कर लेते हैं ?

राजनीतिक निर्णयों के अनुरूप निर्णय प्रशासन के द्वारा लिये जाते हैं जैसे मान लीजिए वर्ष १९७७-७८ में उत्तर प्रदेश में दो हजार सार्वजनिक नलकूप लगाने का राजनीतिक निर्णय हुआ, ये नलकूप किस जनपद में। कितने ?

और कहाँ ? किस क्रम से ? लोगें ये अनुपूरक निर्णय प्रशासन करेगा । प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी राजनीतिक निर्णयकों क्रियान्वित करने के अन्तिम क्षण तक अनुपूरक निर्णयों के निमित्त राजनीतिक दलों से प्रभावित होते रहते हैं। अनुज्ञापत्र (लाइसेन्स), अनुमति पत्र (परमिट) नियतांश (कोटा) अनुदान, ऋण, विद्युत-संयुजन, नलकूप विन्दु, नलकूप की नालियाँ, चक, चक रोड, अभ्याग्रहण (कुर्की) पकड़ना, दण्ड देना आदि विषयों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुपूरक निर्णयों को राजनीतिक दल प्रभावित करते हैं।

" राजनीतिक दल के नेता सरकारी कर्मचारियों से क्या आतंकित करके काम करा लेते हैं ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने शत प्रतिशत, मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने भी शत प्रतिशत और क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने भी शत प्रतिशत " हाँ" कहा जिसमें सत्तारूढ़ दल का ही नाम लिया । इन उत्तरों से स्पष्ट है कि प्रशासन द्वारा किये जानेवाले राजनीतिक निर्णयों को सत्ता रूढ़ दल आतंक से प्रभावित करता है। ये निर्णय कितने अंशों में अन्यायपूर्ण होते हैं यह गवेषणा का पाथेय बन सकता है।

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राजनीतिक दलों के कारण अपराध करके छूटनेवालों की संख्या बढ़ती जा रही है ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों, मण्डल समितियों तथा क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने शत प्रतिशत हाँ" कहा । इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक दल अपराधियों के रक्षा कवच की भूमिका निभाता है । न्यायपालिका एवं प्रशासन जिसका मुख्य कार्य राज्य में अपराधियों को दंडित करना तथा अपराधों की संख्या को वैध साधनों से कम करना है , इन दोनों पर राजनीतिक दल अनेक उपायों से प्रभाव डालकर अपराधियों को बिना दण्ड के मुक्त करा देते हैं तभी तो अपराध करके छूटने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या राजनीतिक दल अपराधियों को दण्ड से वंचित कराके जन सेवा करते हैं ? नहीं अपनी सत्ता की स्थापना के लिए सहायकों के हित में राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं ।

यदि राजनीतिक नेताओं के हाथ न हो तो अपराध कम होंगे ? के उत्तर में भी व्यापक कांग्रेस कमेटियों, मण्डल समितियों तथा क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने इस प्रतिशत " हां " कहा । इन पदाधिकारी ने " आर्थिक अपराधों " की संख्या में कमी की आशा व्यक्त की । ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक दल " श्वेत वस्त्रधारी अपराधों " में लगे हुए व्यक्तियों की रक्षा करते एवं उन्हें प्रश्रय देते हैं । " सदर लैण्ड के विचार में, श्वेत वस्त्रधारी अपराध वह अपराध है जो व्यापार, उद्योग और पेशों में लगे व्यक्तियों द्वारा व्यापार करने के समय या पेशा चलाने के दरम्यान किया जाता है यह सामान्यतः प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जो वर्ग पक्षपात , अदालतों में उच्च वर्गों के प्रति दिखाई जाने वाली रियायत और कानून के प्रभाव हीन होने के कारण शायद ही कभी पकड़ में आते हो और इसलिए अपराधी कहे जाने से बच जाते हैं ।[५६]

श्वेत वसना अपराध में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, विधि-वक्ता एवं चिकित्सक वर्ग के व्यक्ति ही अधिकतर होते हैं ।[६०] समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त व्यक्तियों की अवैध इच्छाओं की पूर्ति में राजनीतिक निर्णयों को सहायक बनाने में राजनीतिक नेताओं की भूमिका निर्वाचनों में अधिक सिद्धि दायक दिखलायी देती है । " जनता उसी नेता का एहसान मानती है जो उसके गैर कानूनी कार्यों में मदद देता है या उसे पूरा करा देता है, शब्दों में एक नेता ने अपनी विवशताओं का विवरण किया । अतः स्पष्ट है कि जहां पर निरपराध व्यक्तियों को दण्ड से बचाने के लिए राजनीतिक दल " अन्याय, घोर अन्याय हो रहा है " के नारे से जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वहीं पर अपने दल से संबद्ध श्वेत वस्त्र धारी अपराधियों को दण्ड से मुक्ति दिलाकर तथा असंबद्ध अपराधी के दण्डित होने में सहायक बनकर अपनी राजनीतिक पूंजी की वृद्धि भी करते हैं ।

राजनीतिक दल व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा प्रशासन के द्वारा लिये जानेवाले राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं इसका संकेत मात्र ही संभव एवं समीचीन रहा ।

३- राजनीति का आधुनिकीकरण

वैज्ञानिक उपलब्धियों ने दुनियां के मनुष्यों को राष्ट्रीयता के बंधनों से पर्याप्त मुक्ति दिलाने में प्रशंसनीय योगदान किया है । एक राष्ट्र संसार के समस्त राष्ट्रों से अपने को अलग रखकर सम्मानित जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है । दीनता, हीनता, अभाव, आपदा, शोषण, घृणा, अत्याचार, दमन, पराधीनता तथा युद्ध के विरुद्ध दो चार राष्ट्र नहीं अपितु संपूर्ण विश्व न्यूनाधिक अंशों में जूझ रहा है जिसका उद्देश्य संपन्नता, सम्मान, सम्पदा, स्नेह, समानता, सहअस्तित्व संरक्षण, स्वतंत्रता तथा शान्ति का साम्राज्य स्थापित करना है । परन्तु स्थापना कौन कौन साधनों से संभव है, इसका विचार करने पर सर्वप्रथम ध्यान राजनीतिक दलों पर ही जाता है फिर साहित्यकारों एवं समाज सुधारकों द्वारा प्रतिष्ठापित संस्थाओं की ओर राजनीतिक दल आधुनिकीकरण के अभिकरण हैं जिनका स्थानापन्न स्थायित्व को प्राप्त करना कठिन हो रहा है ।[१]

आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सर्वोत्कृष्ट तथा अभिनव दृष्टियों का अभिग्रहण किया जाता है । आधुनिकीकरण की प्रक्रिया , आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रौद्योगिक , साहित्यिक वैज्ञानिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में न्यूनाधिक अंशों में होती रहती है जिसका प्रभाव एक दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ता है । यहां पर राजनीति के क्षेत्र में होनेवाले आधुनिकीकरण में राजनीतिक दलों की भूमिका पर ही विचार करना वांछित है। सर्वोत्कृष्ट तथा अभिनव राजनीतिक दृष्टियों का अभिग्रहण राजनीति का आधुनिकीकरण है । वर्तमान युग में राजनीतिक निर्णयों को अधिकाधिक प्रभावित करने की क्षमता जनता में उत्पन्न करना, सार्वजनिक हितों पर अधिक बल प्रदान करना, संपत्ति एवं सत्ता के विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन देना , धर्म निरपेक्षता को स्वीकार करना, जनमत के आधार पर सत्ता का ग्रहण या त्याग करना, नवीनतम उपलब्धियों से जनसाधारण को लाभान्वित करना आदि जनतांत्रिक मूल्यों को प्राप्त करनेवाला दृष्टिकोण जन मन में उत्पन्न करने में राजनीतिक दलों की प्रमुख भूमिका है ।

ग्रामवासी यह देखते हैं कि राजनीतिक दलों के अन्तर्गत प्रविष्ट हो जाता है वह सब के साथ मिल जुलकर उठना, बैठना, खान, पान, विचार विमर्श, समस्याओं का समाधान, सार्वजनिक हित की प्रेरणा देने लगता है। भारत में व्याप्त अस्पृश्यों के प्रति घृणा भाव, भाषाओं के प्रति विरोध, प्रांतीयता के प्रति व्यामोह, धर्म के प्रति कट्टरता एवं राजनीति के प्रति उदासीनता को राजनीतिक दलों ने विशेष रूप से कम करने में योग दिया है।

राजनीति के आधुनिकीकरण से ही राजनीतिक विकास होता है, यदि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया मन्दगति से हो तो राजनीतिक विकास भी मन्द ही होगा। राजनीतिक विकास आधुनिकीकरण का सहगामी है। ल्युसियन डब्ल्यू० पाई ने राजनीतिक विकास में समानता की मनोवृत्ति, राजनीतिक प्रणाली की क्षमता, तथा विभेदीकरण और विशेषीकरण की विशेषताओं का उल्लेख किया है।[६२] राजनीतिक दल अपनी नीतियों, कार्यक्रमों, संगठनों, शासनों आदि में समानता पर बल देते हैं तथा कल्याण कारी राज्य की क्षमता उत्पन्न करते हैं और आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक कार्य की पूर्ति के लिए नवीन संस्थाओं को जन्म भी देते हैं।

एस० पी० हन्टिंगटन[६३] के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं १- प्राधिकार को युक्तिपूर्ण बनाना - इसमें परंपरागत धार्मिक, पारिवारिक, और जातीय राजनीतिक प्राधिकारियों का प्रतिस्थापन एक अधार्मिक राष्ट्रीय राजनीतिक प्राधिकारी के द्वारा होता है। २- विभेदीकरण और विशेषीकरण - इसके अन्तर्गत नये राजनीतिक कार्यों में विभेद किया जाता है तथा विशिष्ट संस्थाओं का उन कार्यों को पूरा करने के लिए विकास किया जाता है। ३- राजनीतिक भाग ग्रहण में अभिवृद्धि - इसमें समाज का प्रत्येक वर्ग राजनीति में भाग लेता है।

राजनीतिक दल उपरोक्त तीनों पक्षों पर अपने ध्यान, श्रम, शक्ति एवं बुद्धि को केन्द्रित करते हैं जिसके अनुसार उनकी प्रतिष्ठा, जीवन-विस्तार तथा सक्रियता में वृद्धि होती है। जो भी राजनीतिक दल राजनीति के आधुनिकीकरण पर बहुत कम अंशों पर बल देता है वह नवीन पीढ़ी को आकर्षित नहीं कर पाता और अन्त में विनष्ट हो जाता है।

४- हित संधियोजना एवं समूह

सृष्टि का प्रत्येक जीवधारी वनस्पति हो या प्राणी ~~न्यूनाधिक~~ न्यूनाधिक अंशों में अपने अपने हितों के संरक्षण, अनुरक्षण, अभिरक्षण एवं अभिवृद्धि में व्यस्त दिखायी पड़ता है। वृक्षों की जड़ें जल एवं खाद्य पदार्थों के निमित्त धरती के अंतस्तल में आजीवन प्रवेश करती जाती है और उन्हें गहन अंधकार ही सुखद प्रतीत होता है किन्तु तना आकाश की ओर प्रकाश के लिए बढ़ता जाता है। जड़ को प्रकाश नहीं चाहिए और तना को अन्धकार नहीं चाहिए परन्तु वृक्ष को दोनों की आवश्यकता पड़ती है।

मनुष्य प्राणि संसार का सर्वोत्कृष्ट प्राणी है उसने अपने हितों के लिए कृत्रिम वस्तुओं को जन्म दिया है आत्म रक्षा के लिए अस्त्रशस्त्रों, सुदृढ़ भवनों, चिकित्सा साधनों राजनीतिक समुदायों एवं संस्थाओं का उद्भव एवं विकास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मनुष्य द्वारा निर्मित उपकरणों का लक्ष्य उसके हितों की सुरक्षा है। सुई से स्पुतनिक तक का आविष्कार मनुष्य के हितों की प्रगति का विस्तार है। कल्याणकारी राज्य की उदात्त भावना ने जनतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों के दायित्व में आशातीत वृद्धि किया है। राजनीतिक दल का यह कार्य है कि वह प्रत्येक नागरिक के असंख्य हितों में से सार्वजनिक हितों का अन्वेषण करे और उसे संधायित करने हेतु राजनीतिक निर्णायकों के सम्मुख प्रस्तुत करे।

सार्वजनिक हित को अधिकार के रूप में परिवर्तित कराना राजनीतिक दल की कठिन किन्तु यशस्वी भूमिका है। व्यक्तियों तथा समूहों के द्वारा राजनीतिक निर्णय निर्माताओं के ऊपर जिस विधा से मांगें की जाती हैं उन्हें हित संधियोजन कहते हैं।[६४] राजनीतिक निर्णय निर्माताओं के पास तक या उनके आँख कान तक अपनी मांगों को पहुंचाने के अनेक माध्यम: जैसे स्वयमेव प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अपनी मांग प्रस्तुत

करवाना, जन संचार माध्यमों से प्रचार या प्रकाशन तथा राजनीतिक दल से । राजनीतिक दल की संगठनात्मक कार्यशैली आधार से शीर्ष तक व्यक्तिगत हित, वर्गीय हित या राष्ट्रीय हित या अन्य प्रकार के हितों को जोड़ती है ।

हित संधि योजन का कार्य समाज के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से गठित, हित समूह करते हैं जैसे माध्यमिक शिक्षक संघ, भारतीय मजदूर संघ, बीड़ी उद्योग कर्मचारी संघ, विद्यार्थी संघ, व्यापारी संघ या अन्य व्यवसाय पर आधारित संगठन आदि, किन्तु राजनीतिक दल इन सब से निकटता रखते हुए भी भिन्न हैं । आल मोन्ड के अनुसार राजनीतिक दलें संस्था हित समूहें हैं क्योंकि[६५] हित संधियोजन के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक कार्य भी उनके लिए निर्दिष्ट हैं । राजनीतिक दल हित संधि योजना के कार्य को विभिन्न रूपों में करते हैं जिनमें से प्रमुख प्रस्ताव पारित करना, राजनीतिक निर्णय कर्ता के पास प्रति नियुक्त भेजना, सभा करना, विरोध या पक्ष में प्रदर्शन करना, घेराव करना, धरना देना, सत्याग्रह करना आदि हैं किन्तु बहिष्कार, उपद्रव तथा अशान्तता भी सहारा कभी कभी लिया जाता है ।

७ मार्च, १९७७ को बघाड़िया बाजार में वहां के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने एक सभा के माध्यम से जिला परिषद् इलाहाबाद की अध्यक्षा श्रीमती कमला बहुगुणा से मांग किया कि सिरसा कुकुना घाट पर पीपे का पुल लगाया जाय जिसके लिए अध्यक्षा ने आश्वासन दिया ।[६६]

राजनीतिक दल द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली मांगें तात्कालिक या दीर्घकालिक, क्षेत्रीय या व्यापक, वर्गीय या सार्वजनिक आदि प्रकार की संभव है । ये मांगें एक दूसरे की सहायक अथवा विरोधी भी होती है जैसे अनाजों के मूल्यों में वृद्धि, विक्रय करनेवाले कृषकों के हित में है तथा क्रय करनेवाले मजदूरों के हितों का विरोधी है । परस्पर विरोधी हितों के मध्य में सामंजस्य बैठाकर ही राजनीतिक दल अपनी नीतियों की घोषणा करते हैं । राजनीतिक दल द्वारा निर्धारित नीति अनेक विकल्पों में से एक होती है । इन नीतियों में अधिकाधिक हितों का समावेश कराने का प्रयास किया जाता है जिससे सम्बद्ध जनों में असंतोष,

उदासीनता, विद्रोह या प्रतिकार की चिनगारी प्रज्ज्वलित न हो पावे।

अत: नीति निर्धारण का कार्य अत्यन्त विवेकी, अनुभवी, विषय पंडितों तथा विख्यात प्राप्त नेताओं के द्वारा किया जाता है। इसी नीति निर्धारण को "हित समूहन" की संज्ञा भी जी० ए० आलमोन्ड ने किया है जिनके अनुसार मांगों को सामान्य नीति विकल्पों में परिवर्तित करने की क्रिया को हित समूहन कहते हैं।[६७] जैसा कि गत पृष्ठों में दिए गये विवरणों से स्पष्ट है कि हित समूहन की क्रिया विधान सभा निर्वाचन स्तर पर नहीं होती है न तो यहां की क्षेत्रीय कौंसिल, मण्डल समिति या ब्लाक कांग्रेस कमेटियों को अधिकार ही है जबकि स्थानीय विषयों के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए।

सार्वजनिक हित के कौन कौन से कार्य आपके द्वारा हुए हैं? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने "सड़कों का निर्माण", "विद्यालयों की स्थापन एवं मान्यता" एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को उचित वेतन दिलाना[६८], "राजकीय नल कूपों को लगवाना", "पेय जल सुविधा का विस्तार" ४० एकड़ भूमि हरिजनों में आवंटित कराना[६९] तथा "श्रमदान से सड़कों का निर्माण करना" बताया। मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने इसी प्रश्न के उत्तर में", विद्यालयों[७०] की स्थापना," मन्दिर का पुन निर्माण", राजकीय नलकूपों का लगवाना"," कोई नहीं"[७१]" मानस सम्मेलन" तथा" भूमि वितरण में भूमिहीनों की सहायता" बताया।[७१]

क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने "जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना"[७२], अनेक विद्यालयों को ईंट तथा कोयला, खादी ग्रामोद्योग की स्थापना, नल कूपों का लगवाना", सरकारी अस्पताल के डाक्टर का स्थानान्तरण रोकने[७३] के लिए अनशन, नलकूप विभाग की अनियमितताओं को दूर करने के लिए अनशन, तथा ४२ अध्यापकों की जिला परिषद्[७४] में नियुक्ति तथा ग्राम सभा ईंडिया की पक्की सड़क का निर्माण बताया।

उपरोक्त उत्तरों से स्पष्ट है कि ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने सार्वजनिक हित अभिव्यक्ति अधिक किया है जिसका निर्णय

केन्द्र प्रशासन रहा । मण्डल समितियों के पदाधिकारियों ने ऐसे कार्य अधिक किये हैं । जिनका निर्णय स्वयं या दल ने देश हित में लिया है अपेक्षा से हित संधि योजन कम लिया है । क्षेत्रीय कौंसिल के पदाधिकारियों ने स्वयं निर्णय के द्वारा अधिक कार्य किये हैं जैसे छूट देना या अनशन करना किन्तु अध्यापकों की नियुक्ति का हित संधियोजन का उदाहरण प्रस्तुत करता है ।

दल को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या अनैतिक एवं अवैध कार्य करना ही पड़ता है ? के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के ८३.५ प्रतिशत पदाधिकारियों ने "हाँ" कहा, मण्डल समितियों के ७५ प्रतिशत, पदाधिकारियों ने "हाँ" कहा और क्षेत्रीय कौंसिल के ७५ प्रतिशत पदाधिकारियों ने भी "हाँ" कहा । इन उत्तरों से स्पष्ट है कि अपने दल या स्वयं को सत्तारूढ़ करने के लिए राजनीतिक दल के पदाधिकारी शक्तिशाली बनने की स्पर्धा में अवैध एवं अनैतिक कार्य करते हैं। क्या हित संधि योजन में प्रस्तुत की जानेवाली मांगें अवैध एवं अनैतिक नहीं होती होंगी ? ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति द्वारा होनेवाले हित संधियोजन में अवैधता तथा अनैतिकता की मात्रा अधिक होगी किन्तु राजनीतिक दल द्वारा होनेवाले हितसंधियोजन में कम होगी ।

५- राजनीतिक समाजीकरण

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जनतांत्रिक प्रणाली वाले राज्यों में राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक सामाजीकरण है । 'राजनीतिक सामाजीकरण एक प्रक्रिया (क्रिया) है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियां संधृत (बनाये रखी) तथा परिवर्तित की जाती है ।[75] राजनीतिक सामाजीकरण के कार्य पर विशेष अध्ययन किया गया है जिसका विवरण अग्रिम अध्यायों में दिया गया है ।

सन्दर्भ- संकेतः-

१- डा० एस० लिपसेट, पोलिटिकल मैन, पृष्ठ २२० ।

२- मौरिस जैनोविट्स एण्ड ड्वेन मारविक कम्पटीटिव प्रेशर एण्ड डिमोक्रेटिक कन्सेन्ट, एंलाउ पोलिटिकल बिहेवियर, पृष्ठ २७५ ।

३- कान्स्टीच्यूशन आफ द इण्डियन नेशनल कांग्रेस, अनुच्छेद २५ व पृष्ठ २४-२५ ।

४- भारतीय जनसंघ संविधान एवं नियम, पृष्ठ ६, अनुच्छेद १६।

५- भारतीय लोकदल संविधान पृष्ठ ८ अनुच्छेद १६।

६- श्री सतीश चन्द्र मिश्र, ब्लाक कांग्रेस कमेटी हंडिया के मंत्री, साक्षात्कार दिनांक ५-६-७६ ।

७- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, मण्डल अध्यक्ष, मनूपुर, साक्षात्कार १४-६-७५ ।

८- श्री रामलखन जायसवाल, उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय कौंसिल हंडिया, साक्षात्कार दिनांक २०-८-७६ ।

९- सन् १९७४ ई० ।

१०- श्री शेषधर शुक्ल, संगठन मंत्री, ब्लाक कांग्रेस कमेटी, हंडिया, साक्षात्कार दिनांक ६-१०-७५ ।

११- श्री काशीनाथ मौर्य, अध्यक्ष, क्षेत्रीय कौंसिल हंडिया, साक्षात्कार दिनांक २०-८-७५ ।

१२- श्री सुरेश चन्द्र मिश्र मण्डल मंत्री फैजाबाद, साक्षात्कार दिनांक १-८-७६ ।

१३- श्री अम्बिका प्रसाद तिवारी कार्या श्री पाण्डेय के अभिन्न मित्र साक्षात्कार दिनांक २१-१२७६ ई० ।

१५- श्री पुरुषोत्तम साहू - जिला जनसंघ कार्यालय प्रमुख प्रयाग, साक्षात्कार दिनांक २५-१२-१९७६ ई० ।

१५- श्री रामरेखा सिंह निर्दल, विधायक प्रत्याशी जनसंघ सन् १९७४ ई० से वार्तालाप ।

१६- श्री कृष्णचन्द मिश्र, अर्जुन पट्टी, भारतीय जनसंघ, दिनांक २८-१२-७६ वार्तालाप से ।

१७- श्री बरखा प्रसाद मिश्र, कुनाव संचालक श्री राम रेला सिंह निर्दल, भारतीय कनर्ष, दिनांक २०-१२-७६ ।

१८- एस० के० मुकर्जी, इलेक्शन टू दि लाकहा पार्लियामेन्टरी कान्स्टीच्यून्सी १९७१, प्रकाशित १९७५, पृष्ठ ७० ।

१९- भा० रा० का० द्वारा वितरित पत्र है ।

२०- एस०पी० वर्मा, इकबाल नारायण और सहयोगी, वोटिंग बिहेवियर इन चेन्जिंग सोसायटी, १९७३, पृष्ठ २७५ ।

२१- एस० एम० लिपसेट, पोलिटिकल मैन, पृष्ठ १९६ ।

२२- श्री यश नारायण मिश्र फैजाबाद सदस्य जिला कांग्रेस कमेटी, प्रयाग, साक्षात्कार दिनांक २०-४-७५ ।

२३- श्री कन्हैयालाल शर्मा, अध्यक्ष, ब्लाक कांग्रेस कमेटी फैजाबाद साक्षात्कार दिनांक २०-६-७६ ।

२४- एस०पी० वर्मा, इकबाल नारायण और सहयोगी, वोटिंग बिहेवियर इन चेंजिंग सोसायटी, १९७३, पृष्ठ ३०० ।

२५- श्री अठई राम यादव विधायक की वार्ता से प्रत्याशी भारतीय क्रान्तिदल सन् १९७४ ई० ।

२६- श्री देवधर शुक्ल, संगठन मंत्री, ब्लाक कांग्रेस कमेटी, सोहिया

२७- श्री कन्हैया लाल शर्मा, अध्यक्ष, ब्लाक कांग्रेस कमेटी, फैजाबाद ।

२८- श्री सतीश चन्द्र मिश्र, महामंत्री, ब्लाक कांग्रेस कमेटी, सोहिया ।

२९- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष, मण्डल समिति, कनुपुर ।

३०- श्री दयाशंकर दुबे, महामंत्री, क्षेत्रीय कौंसिल, सोहिया ।

३१- श्री हरिश्चन्द्र हरिजन के साक्षात्कार से ।

३२- सैयद अशफाक अहमद काजमी, अध्वां से साक्षात्कार ।

३३- श्री साशंकर तिवारी, बलिया से साक्षात्कार दिनांक २-१-७७ ।

३४- मतगणना अभिकर्ता फैठन कांग्रेस, विधान सभा निर्वाचन सन् १९७४ ई० ।

३५- श्री लल्ईराम यादव विधायक द्वारा प्रकट ।

३६- एस० के० मुखर्जी , इलेक्शन टु लाकड़ा पार्लियामेन्टरी कान्स्टीच्युएन्सी, १९७१, पृ०७७।

३७- उपरोक्त , पृष्ठ ७८ ।

३८- श्री लक्ष्मीशंकर मिश्र, फकरौरा, कांग्रेस प्रत्याशी के निकटतम सहयोगी ।

३९- श्री सुरेश चन्द्र मिश्र, फैजाबाद मण्डल समिति मंत्री, जनसंघ प्रत्याशी के निकटस्थ ।

४०- श्री रघुनन्दन सिंह कोषाध्यक्ष, प्रत्याशी के निकटतर ।

४१- एक कांग्रेसी का कथन ।

४२- श्री यज्ञ नारायण मिश्र, फैजाबाद उपाध्यक्ष, का०का०प०, सदस्य जिला का० क०, इलाहाबाद ।

४३- निर्वाचन के समय भारतीय लोक दल का प्रधान घटक ।

४४- श्री यज्ञ नारायण मिश्र, फैजाबाद, ब्लाक कांग्रेस कमेटी ।

४५- श्री कन्हैयालाल शर्मा, ब्लाक कांग्रेस कमेटी, फैजाबाद, अध्यक्ष

४६- श्री काशीनाथ मौर्य, अध्यक्ष, क्षेत्रीय कौंसिल बलिया ।

४७- श्री रामलखन जायसवाल, उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय कौंसिल ।

४८- डा० हरिद्वार राय एवं डा० भोला प्रसाद सिंह - आधुनिक राजनीति विश्लेषण १९७४ पृष्ठ १४०-४४ ।

४९- एस० जे० इल्डर्सवेल्ड, पोलिटिकल पार्टीज़, ए बिहेवियरल एनालिसिस, १९७२, पृ०२७६।

५०- रिचर्ड सी० स्नाइडर , एच० डब्ल्यू० ब्रुक एण्ड बर्टन सेपिन द डिसीजन मेकिंग एप्रोच, संकलन, पोलिटिकल बिहेवियर, १९७२, पृष्ठ ३५३ ।

५१- विलियम जे० कीफ, कम्प्रेटिव स्टडी आफ द रोल आफ पोलिटिकल पार्टीज़ इन स्टेट लेजिस्लेचर, संकलन, पोलिटिकल बिहेवियर, पृष्ठ ३१३ ।

५२- श्री शान्तिराम जायसवाल,प्रयाग से साक्षात्कार दिनांक १०-६-७६ ।

५३- डा० रघुवीर, शब्दकोष ,पृष्ठ १४३१ ।

५४- श्री रेवधर शुक्ल, संगठन मंत्री, ब्लाक कांग्रेस कमेटी, सैंठिया ।

५५- श्री कन्हैया लाल शर्मा, अध्यक्ष, ब्लाक कांग्रेस कमेटी, हैदराबाद ।

५६- श्री सुरेश चन्द्र मिश्र, मण्डल मंत्री, हैदराबाद ।

५७- श्री काशीनाथ मौर्य अध्यक्ष, क्षेत्रीय कौंसिल , सैंठिया ।

५८- श्री रामरतन जायसवाल, उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय कौंसिल सैंठिया ।

५९- मदनमोहन सक्सेना,अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, डी०ए०वी० कालेज, कानपुर सामाजिक विघटन , हिन्दुस्थान बुक हाउस,कानपुर,१९६३,पृष्ठ २८७ ।

६०- पूर्वोक्त के आधार पर पृष्ठ २९३-२९८ ।

६१- राबर्ट ए०० डैस एण्ड जैराल्ड लौवेनवर्ग, द क्योपियन नो पार्टी स्टेट, अमेरिकन पोलिटिकल साइन्स रिव्यू दिसम्बर,१९६४,पृष्ठ ९४७-९५० , उद्धृत जी०ए० आलमोन्ड, कम्प्रेटिव पालिटिक्स,१९७५,पृष्ठ ११७ ।

६२- ल्यूसियन डब्ल्यू० पाई, आसपेक्ट्स आफ पोलिटिकल डेवलपमेण्ट,१९७२ पृ०४५-४७ ।

६३- एस०पी० हन्टिंगटन, पोलिटिकल आर्डर इन चैंजिंग सोसायटी,१९७५ पृ० ३२ ।

६४- जी०ए०आलमोण्ड, कम्प्रेटिव पालिटिक्स १९७५,पृष्ठ ७३ ।

६५- पूर्वोक्त,७७

६६- श्री रामकृष्ण त्रिपाठी, बराकपुर से साक्षात्कार दिनांक ८-३-७७।

६७- जी० ए० आलमोन्ड, कम्प्रेटिव पालिटिक्स १९७५ पृष्ठ ९८ ।

६८- श्री सतीशचन्द्र मिश्र, मंत्री, ब्लाक कांग्रेस कमेटी , सैंठिया से साक्षात्कार दिनांक ५-६-७६ ।

६९- श्री रेवधर शुक्ल, संगठन मंत्री, ब्लाक कांग्रेस कमेटी, सैंठिया, साक्षात्कार दिनांक ९-१०-७५ ।

७०- श्री कन्हैया लाल शर्मा, अध्यक्ष, ब्लाक कांग्रेस कमेटी, बलिया, साक्षात्कार दिनांक २०-५-७६ ।

७१- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष, मण्डल समिति मनुपुर, साक्षात्कार दिनांक १३-६-७५ ।

७२- श्री रघुनन्दन सिंह कोषाध्यक्ष, दिनांक १२-३-१९७५ ।

७३- श्री दयाशंकर दुबे, महामंत्री से साक्षात्कार दिनांक १७-२-७५ ।

७४- श्री रामलखन जायसवाल उपाध्यक्ष, साक्षात्कार दिनांक २८-८-७६ ।

७५- जी० ए० आलमोन्ड, कम्पेरेटिव पालिटिक्स, १९७५, पृष्ठ ६४ ।

अध्याय - ६

राजनीतिक समाजीकरण

प्रस्तुत अध्याय में प्रतिपाद्य विषय के आधार पर प्रकाश डालने का प्रयत्न है । कार्यालय व्यवसायों, वर्गों, धर्मों, क्षेत्रों एवं बिखरे हुए नागरिकों (विशेषकर मतदाताओं) से किये गये साक्षात्कारों के विश्लेषण हेतु तथा परवर्ती अध्यायों की आधार भूमि है । राजनीतिक समाजीकरण को हृदयंगम करने के पूर्व समाजीकरण को समझना आवश्यक प्रतीत होता है । संसार में जितने प्रकार के जन्तु हैं सभी का अपना अपना समाज है किन्तु सब में गुणात्मक अंतर अवश्य है । चीटियों, मधुमक्खियों, पक्षियों, वन्य पशुओं, पालतू पशुओं तथा मनुष्यों आदि में समाज की उपस्थिति सर्वमान्य तथ्य है । जहां समाज है वहां पर उसके सदस्यों में उसके अनुकूल बनने और बनाने की क्रिया जाने अनजाने होती रहती है । यहां पर मानव समाज ही अभीष्ट है । समाज सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है । समाज अमूर्त है क्योंकि पारस्परिक संबंध स्थूल नहीं होते साथ ही साथ मूर्त भी समझा जाता है क्योंकि सदस्य दिखलायी देते हैं ।

संसार में सन्तानोत्पत्ति का एक श्रेष्ठ उद्देश्य समाज को चिरंजीविता प्रदान करना है । शिशु जब जन्म लेता है तब उसके पास कर्मेन्द्रियों एवं ज्ञानेन्द्रियों से युक्त शरीर एवं आनुवंशिक गुण (जो कि विरासत के रूप में प्राप्त हुए) ही होते हैं । धीरे धीरे आयु में ही नहीं बल्कि क्रियाकलापों में भी वृद्धि होती जाती है और शारीरिक तथा मानसिक विकास प्रारंभ होता है जिसके अनुसार दायित्वों का भार वहन करने की शक्ति अर्जित होती है । समाज के एक सदस्य रूप में अपने व्यवहारों को सफल करने के लिए उसे समाज से सीखना पड़ता है । श्रेष्ठ जन के व्यवहारों का अनुकरण अपनी क्षमता के अनुसार करते हुए व्यक्ति आदर्श बनने की चेष्टा करता है । समाज में उपस्थित प्रतिमानों, विचारों, मूल्यों एवं विश्वासों से युक्त संस्कृति को धारण करता हुआ तथा अपने से नयी पीढ़ी के लिए सुपरिवर्तनों

का संकेत देता हुआ व्यक्ति अन्त में दैहिक मृत्यु को प्राप्त करता है । जन्म से लेकर मृत्यु के काल तक व्यक्ति अपने जीवन में सामाजिक जीवन के साथ तादात्म्य-स्थापना का प्रयास करता है । समाज के साथ तादात्म्य- स्थापना का शुभारंभ व्यक्ति में सामाजिक चेतना का आविर्भाव करता है ।

अनेक विद्वानों ने समाजीकरण की परिभाषा किया है । "समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं, अपनत्व तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है ।[१] समाजीकरण एक प्रकार की सीख है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं को करने योग्य बनाती है ।[२] समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य दूसरे मनुष्यों और समूहों से अन्त: क्रिया कर सामाजिक परिपाटियों और संस्कृति के अनुकूल व्यवहार करता हुआ एक सामाजिक मनुष्य बन जाता है । समाजीकरण से व्यक्ति में आत्म चेतना, आत्म निर्णय, सम-भावना, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक उत्तरदायित्व के गुण आ जाते हैं जो उसके व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाते हैं ।"[३]

यह प्राय: प्रस्तावित किया जाता है (कि) समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति समाज के अन्य सदस्यों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को, स्थितियों की विभिन्नता में सफलताओं की न्यूनाधिक मात्रा के साथ, पूरा करनेवाले अपने व्यवहार के हेतु निर्मित होता है ।"[४] समाजीकरण इसलिए एक यंत्र रचना का निरूपण करता है जिसके माध्यम से व्यक्तिगत दक्षताओं, प्रेरकों, ज्ञान तथा मूल्यांकनों को, जो कि एक विशिष्ट सामाजिक संरचना में भागीदार की भांति उनके जीवनों की विभिन्न दशाओं में आवश्यक समझी गयी भूमिकाओं को निभाने के लिए आमंत्रित किये जायेंगे, सीखते हैं ।[५] समाजीकरण की उपरलिखित परिभाषाओं से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं ।

(१) यह एक प्रक्रिया है जिसमें निरंतरता तथा सुपरिवर्तनशीलता दोनों है ।

(२) इसके अन्तर्गत संस्कृति (जिसमें दक्षता, विश्वास, मूल्य, ज्ञान आदि निहित है सीखी जाती है)।

(३) इससे व्यक्ति या समूह में सामाजिक चेतना विकसित होती है ।

(४) इससे व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल अथवा युक्ति युक्त परिवर्तित होता है ।

(५) इसमें समाज की परिस्थितियों के समाधान में साधक मूल्यों का अनुसरण होता है तथा आवश्यक मूल्यों का अभाव नवीन मूल्यों के सृजन से दूर किया जाता है ।

'समाजीकरण' शब्द के निहित अर्थों का स्पष्टीकरण होने के पश्चात् 'राजनीतिक समाजीकरण' का समझना पर्याप्त सरल हो जाता है । समाज में निवास करनेवाला मनुष्य एक दूसरे के साथ या समूह के साथ अनेक प्रकार के संबंध स्थापित करता है जैसे व्यापारी से आर्थिक संबंध, देवी देवताओं से धार्मिक संबंध, परिवार एवं वंश से रक्त संबंध तथा राज्य के साथ राजनीतिक संबंध आदि । राजनीतिक संबंध राज्य ही नहीं अनेक प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं जैसे राजनीतिक दल, संसद, न्यायालय आदि के साथ स्थापित किये जाते हैं ।

'राजनीतिक तथा अन्य संस्थाओं के मध्य संबंध ही राजनीति के समाजशास्त्र का विशेष विषय क्षेत्र है । जी० सारटोरी ने कहा है' राजनीतिक समाजशास्त्र इनमें से एक जोड़ने वाला सेतु है - प्रतिबन्धित दशा में, किसी भी प्रकार से राजनीतिक समाजशास्त्र को राजनीति के समाजशास्त्र का पर्याय नहीं समझा गया है । मैं वास्तव में इन दोनों के लिए दो परस्पर विरोधी नाम-पदों का प्रयोग प्रस्तावित करता हूं । राजनीतिक समाजशास्त्र एक अन्तर्विषयक संकर है, सामाजिक एवं राजनीतिक व्याख्यात्मक परिवर्तियों को सम्मिलित करने का यत्न है जो समाजशास्त्रियों द्वारा सुझाये गये आदानों के साथ राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा सुझाये गये (Inputs) आदानों से है ।[७] उपरोक्त वाक्यांशों से स्पष्ट है कि 'राजनीतिक समाजीकरण' एक नवोदित विषय 'राजनीतिक समाजशास्त्र' की परिधि-क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित है ।

राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा

(१) हम राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा को ऐसे उन विकासी प्रक्रियाओं (क्रियाओं) तक प्रतिबंधित करेंगे जिनके द्वारा व्यक्तिगण राजनीतिक अनुस्थितिज्ञानों तथा व्यवहार के प्रति रूपों को अर्जित करते हैं।[८]

> We shall define political socialization restrictively as those developmental processes through which persons acquire political orientations and patterns of behavior.
>
> David Easton, Jack Dennis, Children in Political System, 1969, page 7.

(२) राजनीतिक समाजीकरण - नयी पीढ़ी के अन्तर्गत परिवार, विद्यालय एवं वीय (Peer Groups) समूहों के द्वारा राजनीतिक मूल्यों का अन्तर्निवेश ; अधिकतर विशेष रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को राजनीतिक मनोवृत्तियों तथा वरीयताओं का संप्रेषण (पारेषण) (Transmission) (है)[९]

> <u>Political Socialization</u>. The inculcation of political values into younger generations by family, school and peer groups, more specifically The transmission of political attitudes and preferences from one generation to the next.
>
> Stephen L. Wasby - Political Science - The Discipline and its Dimenssions - and Introduction -1972, page 46.

(३) "राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियाँ संधृत (Maintained) तथा परिवर्तित की जाती है ।[१०]

> **Political Socialization is the process by which political cultures are maintained and changed.**
>
> **G.A.Almond- Comparative Politics,page 64.**

(४) (राजनीतिक समाजीकरण) एक प्रक्रिया(है) जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से सुसंगत मनोवृत्तियों, विश्वासों, संज्ञानों एवं मूल्यों को आभ्यान्तरित करता है ।"[११]

> **Political Socialization a process through which the individual internalizes politically relevent attitudes beliefs, cognitions and values -Bender Gerald "Political Socialization and political changes". Western Political Quart (1967) 20 page 392.**
>
> **(Quoted Public Opinion 419 and Political attitude page 419.)**

(५) राजनीतिक समाजीकरण सीखने की एक विधा (प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिससे एक प्रचलित राजनीतिक प्रणाली को स्वीकार्य राजनीतिक प्रतिमानों एवं व्यवहारों को पीढ़ी दर पीढ़ी तक परिगमित किया जाता है ।"[१२]

> **Political Socialization refers to the learning process by which the political norms and behaviour acceptable to an ongoing political system are transmitted from generation to generation.**
>
> **(Sigel Roberta "Assumes about the learning of**

Political Values " Annals American Academy Politics and Social Sciences-1965, page 1.

(६) राजनीतिक समाजीकरण - राजनीतिक ज्ञान, मूल्यों एवं विश्वासों की अर्जन क्रिया है। प्रारंभिक उम्र में, यहां तक कि मत के पूर्व ही दल के अभिज्ञान को विकसित करने का कारण बनता है। बाद में, मतों का निर्धारण समाजीकरण तथा दल-अभिज्ञान के द्वारा होता है। १३

Political Socialization - the process of acquiring political knowledge, values and beliefs - causes party identification to develop at an early age, even before opinion. Later opinions are determined by socialization and party identification.

Allen R. Wilcox - Public opinion and political attitudes , page 656.

राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषाओं से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं -

(१) राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें निरन्तरता तथा परिवर्तनशीलता है।

(२) इसके अन्तर्गत राजनीतिक संस्कृतियां सीखी जाती हैं।

(३) इससे वर्तमान एवं भावी व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवहार राजनीतिक मान्यताओं के अनुकूल अथवा युक्ति युक्त परिवर्तित होता है।

(४) इसमें राजनीतिक समस्याओं के समाधान में सहायक ज्ञानों, मूल्यों एवं विश्वासों का अनुसरण होता है और जिसमें से नवीनों का सृजन भी होता है।

(५) इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति, समूह और राष्ट्र में राजनीतिक चेतना विकसित होती है ।

अतः राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति के द्वारा व्यक्ति, समूह एवं राष्ट्र में राजनीतिक चेतना को विकसित करने की प्रक्रिया है जिससे वर्तमान या भावी राजनीतिक समाज में उनकी भूमिकायें पुनर्निरचना एवं धारण या परिमार्जित की जाती है ।

सर्वेक्षण विधान तथा क्षेत्र में राजनीतिक दल और राजनीतिक समाजीकरण के अध्ययन के निमित्त अग्रवर्णित विशेषताओं से युक्त ७६ नागरिकों से साक्षात्कार किया । प्रश्नोत्तरों के माध्यम से नागरिकों में राजनीतिक भाग ग्रहण, राजनीतिक विचारधाराओं एवं क्रियाकलापों का सामाजिक व्यवस्थाओं पर प्रभाव एवं राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित संज्ञान के अध्ययन का प्रयास किया है । राजनीतिक दल राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण के रूप में प्रतिपादित है ।

साक्षात्कृत नागरिकों का विवरण

१- जातिगत

जाति का नाम	प्रतिशत	संख्या
ब्राह्मण	२१.१०	१६
क्षत्रिय	१३.१५	१०
वैश्य	१३.१५	१०
पिछड़ी जाति	२६.३०	२०
अनुसूचित जाति	१३.१५	१०
मुसलमान	१३.१५	१०
योग	१००-००	७६

२ - आयु गत

आयु विस्तार	प्रतिशत्	संख्या
१६ - २० वर्ष	१०.५४	८
२१ - २५ वर्ष	१९.७३	१५
२६ - ३५ वर्ष	१९.७३	१५
३६ - ४५ वर्ष	१९.[illegible]	१५
४६ - ५५ वर्ष	१९.७३	१५
५६ - ७० वर्ष	१०.५४	८
योग	१००-००	७६

३- शिक्षा गत

शैक्षिक स्तर	प्रतिशत्	संख्या
निरक्षर	१०.५	८
साक्षर	१५.८	१२
प्राथमिक	२३.७	१८
हाई स्कूल	१९.७	१५
स्नातक से नीचे	१४.५	११
स्नातक एवं स्नातकोत्तर	१५.८	१२
योग	१००-००	७६

४ - मुख्य व्यवसाय गत

कार्य का नाम	प्रतिशत्	संख्या
अध्ययन	१७.१	१३
अध्यापन	५.३	४

कृषि	४४. ७	३४
मजदूरी	९. २	७
नौकरी	२. ६	२
व्यापार	१४. ५	११
अन्य	६. ६	५
योग	१००-००	७६

५- गौण व्यवसायगत

कार्य का नाम	प्रतिशत्	संख्या
कृषि	४४. २	३४
अन्य	२६. ३	२०
कोई नहीं	२९. ५	२२
योग -	१००-००	७६

६- भूमि क्षेत्रफल गत

क्षेत्रफल विस्तार	प्रतिशत्	संख्या
एक बीघा तक	१०. ५	८
तीन बीघा तक	१८. ५	१४
पाँच बीघा तक	९. २	७
दस बीघा तक	१९. ७	१५
बीस बीघा तक	१७. १	१३
इक्कीस बीघा से ऊपर	१५. ८	१२
भूमिहीन	९. २	७
योग-	१००-००	७६

७- परिवार सदस्य संख्या वर्ग

परिवार सदस्य संख्या	प्रतिशत	संख्या
पांच	१४. ५	११
सात	१०. ५	८
दस	२६. ३	२०
पन्द्रह	२२. ४	१७
पन्द्रह से ऊपर	२६. ३	२०
योग -	१००-००	७६

राजनीतिक भाग ग्रहण

(क) राजनीतिक दल से सम्पर्क

आप किस राजनीतिक दल के सदस्य है ?" के उत्तर में नागरिकों मे ६५. ६ प्रतिशत किसी दल का नहीं, २५ प्रतिशत कांग्रेस, ७. ८ प्रतिशत" जनसंघ" तथा १. ३५प्रतिशत " भारतीय क्रान्तिदल" बताया । कांग्रेस के अधिकांश सदस्यों की उम्र ४६-७० वर्ष के बीच है तथा जनसंघ के अधिकांश सदस्यों की उम्र २६ से ३५ वर्ष है के मध्य है । कांग्रेस के सदस्य सभी जातियों में से किन्तु उच्च जाति में अधिक है किन्तु जनसंघ का अनुसूचित जातियों एवं मुसलमानों में एक भी सदस्य नहीं मिला । कांग्रेस के ४७. ३ प्रतिशत सदस्य साक्षर से प्राथमिक शिक्षा, ५२. ७ प्रतिशत हाई स्कूल से स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता के मिले और जनसंघ के ३३. ३ प्रतिशत सदस्य प्राथमिक शिक्षा तथा ६६. ७ प्रतिशत हाई स्कूल से स्नातकोत्तर शैक्षिक

योग्यता के मिले ।

काँग्रेस के सदस्य अध्यापन, कृषि, मजदूरी, नौकरी, व्यापार आदि व्यवसायों में मिले जब कि मजदूरी एवं नौकरी के व्यवसाय में जनसंघ का एक भी सदस्य नहीं मिला । काँग्रेस के ५२.७ प्रतिशत तथा जनसंघ के ५० प्रतिशत अपने को सदस्य स्वीकार करनेवाले नागरिकों के साक्षात्कार आपातु कालीन घोषणा की कालावधि में किये गये हैं । इन उत्तरों से स्पष्ट है कि काँग्रेस की सदस्यता अभियान में सर्वोपरि सक्रियता है ।

आपका कोई रिश्तेदार अथवा मित्र क्या किसी दल का सदस्य या नेता है ?' के उत्तर में नागरिकों ने ४६.१ प्रतिशत 'नहीं' तथा '५३.६ प्रतिशत 'हाँ' कहा । हाँ कहनेवाले नागरिकों में स्वयं किसी न किसी दल के सदस्य वालों का २१.१ प्रतिशत है तथा शेष ३२.८ प्रतिशत ऐसे नागरिकों का है जो स्वयं किसी दल के सदस्य नहीं है । 'नहीं' कहनेवाले नागरिकों में पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के नागरिकों का प्रतिशत अधिक है । इससे स्पष्ट होता है कि पर्याप्त नागरिक राजनीतिक दलों के संबंध जाल से बाहर पड़े हुए हैं । सामाजिक संबंध के रूप में मित्र तथा रक्त संबंध के रूप में रिश्तेदार जो कि संबंधों को व्यापक बनाते हैं, इन दोनों में से किसी का भी न मिलना राजनीतिक दलों की आवश्यकता एवं इस दिशा में निष्क्रियता का प्रमाण है ।

' कितने राजनीतिक दलों के नेताओं के आपने भाषण सुने हैं' के उत्तर में ८८.२ प्रतिशत नागरिकों ने विभिन्न दलों के नाम लिये जिनमें से १४.५ प्रतिशत एक दल ; २१.१ प्रतिशत दो दल, २५ प्रतिशत तीन दल, १६.७ प्रतिशत चार दल, २.६ प्रतिशत पाँच दल तथा ५.३ प्रतिशत छः दलों के नाम बताये । इन राजनीतिक दलों में सर्वाधिक प्रतिशत काँग्रेस, फिर भारतीय जनसंघ तब भारतीय लोक दल का है । आपातुकालीन घोषणा की समाप्ति के पश्चात् साक्षात्कृत २२.४ प्रतिशत नागरिकों में से १८.५ प्रतिशत ने जनता पार्टी का भी नाम बताया ।

शेष ११. ८ प्रतिशत नागरिकों ने आज तक किसी भी दल के नेता का भाषण नहीं सुना है जिनमें से उच्च वर्ण के १.२ प्रतिशत पिछड़ी जाति के ५. ३ प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के ५. ३ प्रतिशत नागरिक हैं। इनमें निरक्षर एवं साक्षर ही विशेष रूप से है और जिनकी आयु ३६ से ४५ वर्ष के मध्य ही अधिकतर है। इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों के भाषणों में ८८. २ प्रतिशत नागरिकों ने भाग लिया है जिनमें से तीन दलों को सुननेवालों का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है जो प्रमाणित करता है कि तीन दल ही इसमें अधिक सक्रिय हैं।

आपने किसी प्रदर्शन, जुलूस, सत्याग्रह, घेराव आदि राजनीतिक आन्दोलनों में कभी भाग लिया है?" के उत्तर में १६. ७ प्रतिशत नागरिकों ने "हाँ" कहा जिसमें ११. ८ प्रतिशत कांग्रेस के, २. ६ प्रतिशत भारतीय जनसंघ के सदस्य हैं तथा ५. ३ प्रतिशत किसी भी दल के सदस्य नहीं हैं। हाँ कहनेवाले नागरिकों में १३. २ प्रतिशत की आयु ३६ से ५५ वर्ष के मध्य है, ३. ६ प्रतिशत की आयु ५६ से ७० वर्ष के मध्य है और मात्र २. ६ प्रतिशत की आयु २१ वर्ष से ३५ वर्ष के मध्य रही। उपरोक्त राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेनेवालों में से १०. ६ प्रतिशत उच्चजाति, ३. ६ प्रतिशत पिछड़ी जाति, ३. ६ प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा १. ३ प्रतिशत मुसलमान है, १०. ६ प्रतिशत हाई स्कूल से स्नातकोत्तर, ३. ६ प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा २. ६ प्रतिशत साक्षर तथा २. ६ प्रतिशत निरक्षर, शैक्षिक योग्यता के हैं तथा १०. ६ प्रतिशत कृषि, ३. ६ प्रतिशत अध्यापन तथा शेष मजदूरी, व्यापार या अन्य व्यवसायों में संलग्न है।

इससे स्पष्ट है कि उच्च जाति के शिक्षित तथा प्रौढ़ा वस्था वाले, कृषि एवं अध्यापन कार्य करनेवाले, नागरिक विशेष रूप से प्रदर्शन, जुलूस, सत्याग्रह, घेराव आदि में भाग लेते हैं। जहाँ पर राजनीतिक दलों की सदस्यता ग्रहण करनेवालों का प्रतिशत ३४. १ और उपरोक्त क्रियाकलापों में भाग लेनेवालों का प्रतिशत १६. ७ है वहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि सभी सदस्य इन क्रियाओं में भाग नहीं लेते और भाग लेनेवाले सभी सदस्य भी नहीं होते हैं क्योंकि ५. ३ प्रतिशत नागरिकों ने

किसी भी दल से अपना सदस्यता- संबंध नहीं बताया । ८०. ३ प्रतिशत नागरिकों ने प्रश्न के उत्तर में " नहीं " कहा जिससे स्पष्ट है कि बहुत बड़ा भाग इन क्रियाओं से अलग रहना चाहता है ।

क्या आपके पास चुनाव अभियान में कोई राजनीतिक दल धन भी मांगने आया ? यदि दिया तो कितना ?" के उत्तर में १०. ५ प्रतिशत नागरिकों ने" हां" कहा जिनमें से ५. ३ प्रतिशत पिछड़ी जाति, ३. ६ प्रतिशत उच्च जाति तथा शेष मुसलमान हैं, धन देनेवालों में ६. ६ प्रतिशत कृषि, १. ३ प्रतिशत अध्यापन तथा २. ६ प्रतिशत अन्य व्यवसाय करते हैं । धन देनेवालों ने ६. ६ प्रतिशत कांग्रेस तथा ३. ६ प्रतिशत अन्य दल के नाम लिए । दी जानेवाली वाली धनराशि ५।- रु० से १००।- रु० तक रही है । इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस ग्रामीण नागरिकों से भी धनसंग्रह करती है ।

(ख) राजनीतिक दलों के प्रति अवधारणा

क्या कांग्रेस , हरिजनों एवं मुसलमानों पर विशेष ध्यान देती है" इस कथन से ६३. ४ प्रतिशत नागरिकों ने सम्मति प्रकट की जिसमें २. ६ प्रतिशत मुसलमानों ने मात्र हरिजन के लिए ही कथन को सत्यमाना । ६. ६ प्रतिशत नागरिकों ने असम्मति प्रकट किया जिसमें से १. ३ प्रतिशत कांग्रेस तथा १. ३ प्रतिशत भारतीय जनसंघ के सदस्य हैं शेष ४ प्रतिशत किसी भी दल के सदस्य नहीं हैं । कथन से असम्मत नागरिकों में से ४ प्रतिशत उच्च जातियों, १. ३ प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा १. ३ मुसलमान जातियों के हैं तथा शैक्षिक योग्यता की दृष्टि से निरक्षर, साक्षर एवं स्नातकोत्तर तक की योग्यतावाले हैं । इससे स्पष्ट है कि कथन से सभी जातियों उम्रों, योग्यताओं, व्यवसायों तथा धर्मोंवाले ६३. ४ प्रतिशत नागरिक सम्मत है जोकि- अधिक सत्यांश का परिचायक है ।

जनसंघ में व्यापारी और उच्च वर्ग के लोग अधिक हैं ? इस कथन से ७५ प्रतिशत नागरिकों ने सम्मति प्रकट की, १५. ८ प्रतिशत ने असम्मति

और ६.२ प्रतिशत ने उत्तर ही नहीं दिया जो राजनीतिक दल के संपर्क का अभाव बताता है। १५.८ प्रतिशत असहमति प्रकट करनेवालों में से ७.६ प्रतिशत कांग्रेस के सदस्य १.३ प्रतिशत जनसंघ के सदस्य तथा ६.६ प्रतिशत किसी भी दल के सदस्य नहीं हैं, १०.३ प्रतिशत उच्च जाति के ३.६ प्रतिशत पिछड़ी जाति के तथा शेष मुसलमान हैं जिनमें से ११.८ प्रतिशत, कृषि २.६ प्रतिशत अध्यापन तथा शेष व्यापार करनेवाले हैं और शैक्षिक योग्यता के अनुसार ५.३ प्रतिशत स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि, ३.६ प्रतिशत हाईस्कूल, ३.६ प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा तथा शेष साक्षर है। उत्तर न देनेवालों में से ६.६ प्रतिशत पिछड़ी जाति १.३ प्रतिशत उच्च जाति तथा १.३ प्रतिशत अनुसूचित जाति के नागरिक हैं। ७५ प्रतिशत सहमति प्रकट करनेवाले नागरिकों में सभी जाति, आयु, शिक्षा एवं व्यवसाय करनेवाले नागरिक सम्मिलित हैं जिससे स्पष्ट है कि कथन में सत्यांश अधिक है।

संगठन कांग्रेस में अब बूढ़े लोग बचे हैं, इस कथन से ७२.४ प्रतिशत नागरिकों ने अपनी सहमति प्रकट की, १६.७ प्रतिशत अनुत्तर रहे तथा ७.६ प्रतिशत ने असहमति प्रकट किया। अनुत्तर रहनेवाले नागरिकों में से ६.२ प्रतिशत वे ही हैं जो जनसंघ के विषय में भी अनुत्तर रहे और शेष १०.५ प्रतिशत नये हैं जिनमें से ३.६ प्रतिशत अनुसूचित जाति २.६ प्रतिशत पिछड़ी जाति २.६ प्रतिशत उच्च जाति (वैश्य) शेष मुसलमान हैं। असहमति प्रकट करने वालों में से ६.६ प्रतिशत वे हैं जो जनसंघ के विषय में किये गये कथन से असहमत हैं शेष १.३ प्रतिशत नये हैं। सहमति प्रकट करनेवाले सभी जातियों, आयु वर्गों, शिक्षा वर्गों एवं व्यवसायों के हैं इससे स्पष्ट है कि संगठन कांग्रेस में बूढ़ों की संख्या ही अधिक है।

भारतीय लोकतंत्र में छोटी जातियों का बोलबाला है, कथन से ७८.६ प्रतिशत नागरिकों ने सहमति प्रकट की जिसमें सभी जातियों, व्यवसायों आयु वर्गों एवं शिक्षा वर्गों के हैं। १४.५ प्रतिशत नागरिक असहमत है जिसमें से ६.६ प्रतिशत उच्च जाति, ५.३ प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा २.६ प्रतिशत पिछड़ी जाति के हैं, ६.६ प्रतिशत की आयु २१ से २५ वर्ष २.६ प्रतिशत की आयु

३६ से ४५ वर्ग तथा शेष ५. ३ प्रतिशत सभी आयु वर्गों के एक समान है और ६. ६ प्रतिशत विद्यार्थी, ६. ६ प्रतिशत कृषक तथा १. ३ प्रतिशत मजदूर है । ६. ६ प्रतिशत नागरिक कथन के पक्ष-विपक्ष का निर्णय करने में असमर्थ होने के कारण उत्तर नहीं दे सके जिसमें से २. ६ प्रतिशत पिछड़ी जाति २. ६ प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा शेष उच्च जाति (वैश्य) है । इससे स्पष्ट है कि भारतीय लोकदल में छोटी जातियों का बोलबाला अधिक है ।

हिन्दू महासभा एवं रामराज्य परिषद् की अब कोई आवश्यकता नहीं है कथन से नागरिकों का ३४. २ प्रतिशत सहमत तथा ४६.१ प्रतिशत अनुत्तर रहा । इससे स्पष्ट है कि इन दोनों राजनीतिक दलों के विषय में ५३. ६ प्रतिशत नागरिकों को ही जानकारी है जो इन दोनों दलों की घटिया किसान सभा में निष्क्रियता एवं अभाव का परिचय देता है । पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति तथा उच्च जाति में वैश्य वर्ग का एक भी नागरिक हिन्दू महा सभा तथा राम राज्य की आवश्यकता का अनुभव नहीं करता है जबकि २. ६ प्रतिशत मुसलमान असहमतों में सम्मिलित हैं ।

मुस्लिम मजलिस मुसलमानों को विशेष दर्जा दिलाना चाहती है से नागरिकों का ४६ प्रतिशत सहमत, ६. ६ प्रतिशत असहमत तथा ४७. ४ प्रतिशत अनुत्तरित रहा । मुसलमान नागरिकों का ६० प्रतिशत सहमत तथा ३० प्रतिशत असहमत शेष अनुत्तरित रहा । इससे स्पष्ट है कि मुस्लिम मजलिस के क्रियाकलापों से पर्याप्त नागरिक अपरिचित हैं क्योंकि इस दल ने कभी अपने दल का प्रत्याशी विधान सभा चुनावों में खड़ा नहीं किया । कथन में सत्यांश अधिक प्रतीत होता है।

आप किस दल से प्रभावित हैं और क्यों ? के उत्तर में नागरिकों ने ४४. ३ प्रतिशत कांग्रेस , २६. ३ प्रतिशत " जनसंघ ", १३. १ प्रतिशत जनता पार्टी, २. ६ प्रतिशत " भारतीय लोकदल " ६. ६ प्रतिशत " किसी से नहीं " १. ३ प्रतिशत कांग्रेस और जनसंघ दोनों से तथा ५. ३ प्रतिशत अनुत्तर रहे । किसी दल का नाम न बतानेवाले दो दलों का नाम लेनेवाले एवं अनुत्तर रहनेवाले इस प्रकार कुल १३. २ प्रतिशत नागरिकों का साक्षात्कार आपात् काल में किया गया है । कांग्रेस से प्रभावित होनेवाले नागरिकों ने १६. ३ प्रतिशत दल के सदस्य हैं तथा

२५ प्रतिशत दल के सदस्य नहीं हैं किन्तु इसमें १. ३ प्रतिशत भारतीय लोकदल के सदस्य भी सम्मिलित हैं। जनसंघ से प्रभावित नागरिकों में ७. ८ प्रतिशत दल के सदस्य हैं और १८. ५ प्रतिशत दल के सदस्य नहीं हैं जिसमें २. ६ प्रतिशत कांग्रेस के सदस्य भी हैं किन्तु एक भी मुसलमान नागरिक नहीं है।

जनता पार्टी से प्रभावित नागरिकों में १. ३ प्रतिशत कांग्रेस के सदस्य भी हैं। २. ६ प्रतिशत भारतीय लोकदल से प्रभावित नागरिकों में मात्र पिछड़ी जाति के हैं। कांग्रेस से प्रभावित होनेवाले कारणों में क्रमशः "गरीबों को राहत मिली", "स्वराज्य दिलाया", "अच्छा काम किया", शासन है", सुविधायें दिया", "न्याय करती है" पर बल दिया तथा "विचार सुन्दर", "अच्छे भविष्य की आशा" मजहब में दखल नहीं एवं पिता जी सत्याग्रही थे, कारणों पर एक समान बल दिया। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस से प्रभावित होनेवाले कारणों में उसका अतीत तथा वर्तमान काल के कार्यक्रम एवं अच्छे भविष्य की आशा है। जनसंघ से प्रभावित होनेवाले कारणों में सर्वाधिक बल, हिन्दू-धर्म-रक्षा, पर दिया गया फिर "किसी का बिगाड़ेंगे नहीं" जनता की अधिक भलाई", "प्राचीन भारतीय विचारधारा" अच्छे नियम" सेवा की आशा", "काम अच्छे", "हमारी बातें सुनते हैं", "मुसलमानों का विरोधी है[१४]", "आभ्यान्तर विकास पर बल" इस दल में न्याय है," नीतियां अच्छी हैं" उच्च अनुशासन एवं राष्ट्र प्रेम है" तथा" इसमें खुराफाती लोग नहीं हैं[१५] आदि को बताया।

इससे स्पष्ट है कि जनसंघ विचारधारा, नीतियां और उसके कार्यकर्ताओं का व्यवहार ही नागरिकों को प्रभावित कर रहा है। जनता पार्टी से प्रभावित होनेवाले कारणों में, "कांग्रेस को हटाया", "मौलिक अधिकारों को वापस कराया" "इंदिरा गांधी के और जुल्म के खिलाफ़ बगावत किया"[१६] इसका राज्य है तथा" आपात्काल खत्म कराया[१७] को बताया। किसी भी दल से प्रभावित न होनेवाले नागरिकों ने" सभी चोर हैं," कोई सुनता नहीं", और सत्ता में आने पर सभी गलत कार्य करते हैं[१८] के कारणों को बताया। कांग्रेस एवं जनसंघ दोनों से प्रभावित नागरिक ने" कांग्रेस ने स्वतन्त्रता दिलायी तथा

जनसंघ भारतीय संस्कृति का पोषक है[१९] बताया ।

आप किस दल को सब से बुरा समझते हैं और क्यों ? के उत्तर में नागरिकों ने १७. १ प्रतिशत ` कांग्रेस, ` ७. ९ प्रतिशत जनसंघ , ९. २ प्रतिशत भारतीय लोकदल`, १३. १ प्रतिशत कम्युनिस्ट ` ७. ९ प्रतिशत सोशलिस्ट ` १.३ प्रतिशत` सोशलिस्ट कम्युनिस्ट दोनों` १. ३ प्रतिशत ` हिन्दू महासभा और मुसलिम लीग दोनों`;[२०]१. ३ प्रतिशत नक्सलपंथी` , १. ३ प्रतिशत द्रविड़ मुन्नेत्रकड़गम `, १. ३ प्रतिशत` शोषित दल` १. ३ प्रतिशत` रामराज्य परिषद् १. ३ प्रतिशत संगठन कांग्रेस तथा १. ३ प्रतिशत ` जनसंघ के अलावा सभी दलों, के नाम बतायें और २३. ७ प्रतिशत` किसी को नहीं` एवं ७. ९ प्रतिशत ने उत्तर ही नहीं दिया । कांग्रेस को बुरा समझने वालों में ९. २ प्रतिशत जनसंघ ३. ९ प्रतिशत` जनता`, १. ३ प्रतिशत भारतीय लोकदल से प्रभावित नागरिक हैं और शेष किसी से नहीं । अनुसूचित जाति का एक भी नागरिक कांग्रेस को बुरा नहीं समझता ।

जनसंघ को बुरा समझनेवालों में ६. ६ प्रतिशत कांग्रेस तथा १. ३ प्रतिशत किसी भी दल से नहीं, प्रभावित नागरिक हैं जिनमें उच्च जाति का एक भी नागरिक नहीं है । भारतीय लोकदल को बुरा समझनेवालों में ६. ६ प्रतिशत कांग्रेस, १. ३ प्रतिशत जनसंघ तथा १. ३ प्रतिशत मिश्रित दलों से प्रभावित नागरिक हैं जिनमें पिछड़ी जाति का एक भी नागरिक नहीं है । कम्युनिस्ट को बुरा समझने वालों में ६. ६ प्रतिशत जनसंघ , ३. ९ प्रतिशत कांग्रेस, १. ३ प्रतिशत भारतीय लोकदल तथा १. ३ प्रतिशत जनता पार्टी से प्रभावित नागरिक हैं जिनमें एक भी मुसलमान नागरिक नहीं है । सोशलिस्ट को बुरा समझनेवालों में ५. ३ प्रतिशत जनसंघ तथा २. ६ प्रतिशत कांग्रेस से प्रभावित नागरिक है जिनमें एक भी मुसलमान नागरिक नहीं है ।

जनता पार्टी को बुरा समझने वालों में पूर्ण रूपेण कांग्रेस से प्रभावित उच्च जाति एवं अनुसूचित जाति के नागरिक हैं । किसी भी दल को बुरा न समझने वालों में १४. ५ प्रतिशत कांग्रेस, ७. ९ प्रतिशत जनता पार्टी तथा

१. ३ प्रतिशत किसी भी दल से नहीं प्रभावित सभी जातियों के नागरिक हैं । नक्सलपंथी, द्र० मु० क०, शोषित दल, रामराज्य परिषद् एवं संगठन कांग्रेस को बुरा समझनेवाले सभी कांग्रेस से प्रभावित हैं जिनमें सभी उच्च जाति एवं पिछड़ी जाति के नागरिक हैं ।

कांग्रेस को बुरा समझने के प्रमुख कारण, कार्य न होना, कुछ मंत्रियों का भ्रष्ट होना , जनता पर ध्यान न देना, कार्यकर्ताओं का ईमानदारी से कार्य न करना,[21] महंगाई का बढ़ना, उच्च वर्ग की सुविधायें न देना, मौलिक अधिकारों का छीनना[22] संविधान का उल्लंघन तथा जुल्म करना, बताये गये ।

जनसंघ को बुरा समझने के प्रमुख कारण, जमींदारी भावना, जातीय भेदभाव, धर्म को महत्व, पुरानी राज्य कल्पना[23] ,अमीरों का पक्ष लेना[24] तथा मुसलमानों का विरोधी[25] बताये गये । भारतीय लोकदल को बुरा समझने के प्रमुख कारण जातीय प्रधानता, जातिवाद एवं मुस्लिम के मजलिस के साथ धोखा[26] बताये गये । कम्युनिष्ट पार्टी को बुरा समझने के प्रमुख कारण, भारतीयता एवं राष्ट्रीयता का अभाव, सब की सम्पत्ति छीनना, मानव की पशु के समान मान्यता, संस्कृति का विनाशक, वर्ग संघर्ष को बढ़ावा, धर्म एवं धन का अपहरण, क्रान्ति की भावना, तथा प्रजातंत्र के विरोधी[27] होना बताये गये । सोशलिस्टों को बुरा समझने के, कारण अयोग्य एवं आचरणहीन व्यक्तियों का इस दल में होना, बीतकर कांग्रेस में मिल जाना, फगड़ालू स्वभाव तथा समाजवाद[28] लाना बताये गये ।

द्रविण मुन्नेत्रकड़गम की पृथक राज्य की मांग एवं नक्सल पंथियों की खूनी क्रान्ति इनको बुरा समझने के कारण बताये गये । जनता पार्टी को बुरा समझने के कारण चोरी, महंगाई , डकैती आदि में वृद्धि होना बताया गया।[29] उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शासन में रहनेवाले दल से प्रभावित नागरिक अपने दल को छोड़कर शेष अन्य दलों को बुरा समझते हैं और विरोधी दल अपने प्रमुख प्रति द्वन्द्वियों को बुरा समझते हैं ।

कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में आये अथवा बना रहे तो

आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी ? के उत्तर में नागरिकों ने ३५. ६ प्रतिशत "कांग्रेस" ३४.२ प्रतिशत" जनसंघ" ११. ६ प्रतिशत" जनता पार्टी" , ५. ३ प्रतिशत भारतीय लोकदल , ३. ६ प्रतिशत" सोशलिस्ट" ३. ६ प्रतिशत परिवर्तन होता रहे" २. ६ प्रतिशत सभी बुरे हैं", तथा २. ६ प्रतिशत" अनिश्चित" बताया । कांग्रेस की सत्ता के कुल पक्ष-धरों में १४. ५ प्रतिशत उच्च जाति, ६. ६ प्रतिशत पिछड़ी जाति, ६. २ प्रतिशत अनुसूचित जाति" तथा ५. ३ प्रतिशत मुसलमान है जिनमें सर्वाधिक संख्या २१ से २५ वर्ष की आयु वालों की है । जनसंघ को सत्ता में लाने के कुल पक्ष धरों में १६. ७ प्रतिशत उच्चजाति , ११. ६ प्रतिशत पिछड़ी जाति, १. ३ प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा १. ३ प्रतिशत मुसलमान है जिनमें सर्वाधिक संख्या २६ से ३५ वर्ष की आयु वालों की है ।

भारतीय लोकदल की सत्ता के पक्षधरों में ब्राह्मण ,वैश्य तथा अनुसूचित जातियों का एक भी नागरिक नहीं मिला । आपातकाल से पूर्व के सादातु कृत नागरिकों के कुल १६. ७ प्रतिशत में १३. २ प्रतिशत" जनसंघ" ३. ६ प्रतिशत कांग्रेस तथा २. ६ प्रतिशत भारतीय लोकदल" के पक्षधर रहे । आपातकाल के समय सादातु कृत नागरिकों के कुल ५७. ६ प्रतिशत में २३. ७ प्रतिशत कांग्रेस, २१. १ प्रतिशत जनसंघ २. ६ प्रतिशत भारतीय लोकदल" तथा शेष अन्य दलों के पक्षधर रहे हैं । आपातकाल के पश्चात् सादातु कृत नागरिकों के कुल २२. ४ प्रतिशत में ११. ६ प्रतिशत जनता पार्टी ७. ६ प्रतिशत कांग्रेस तथा शेष अनिश्चित मत के रहे हैं । इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस से प्रभावित नागरिकों का प्रतिशत ४४. ३ था परन्तु कांग्रेस सत्ता में रहे इसके पक्ष में वह प्रतिशत मात्र ३५. ६ रह गया और जनसंघ को सत्ता में लाने के पक्ष में झुक गया जिससे जनसंघ से प्रभावित मतदाताओं का प्रतिशत २६.३ से बढ़कर जनसंघ सत्ता में आये इसके पक्ष में ३४. २ प्रतिशत पहुंच गया । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जो नागरिक एक दल से प्रभावित है वे उसी दल की सत्ता के पक्षधर नहीं भी हो सकते हैं ।

(ग) राजनीतिक दलों के सम्पर्क से नागरिकों की प्रवृत्तियों पर प्रभाव

क्या व्यक्तिगत सम्पत्ति सब के पास होनी चाहिए ? के उत्तर

में नागरिकों ने ६६. १ प्रतिशत " हाँ " तथा ३. ६ प्रतिशत " नहीं " , कहा । " हाँ " कहनेवाले नागरिक सभी जातियों, आयुवर्गों, शिक्षा क्रमों, व्यवसायों , धर्मों एवं भाषाओं से है तथा " नहीं " कहनेवाले १. ३ प्रतिशत पिछड़ी जाति के छात्र , १. ३ प्रतिशत भूमिहीन, वृद्धवैश्य (जो कांग्रेस का सदस्य है) तथा १. ३ प्रतिशत एक बीघे की सीमा स्तर का वयोवृद्ध अनुसूचित जाति का कांग्रेस का सदस्य है । इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के २५ प्रतिशत सदस्य में से २. ६ प्रतिशत ही व्यक्तिगत सम्पत्ति के विरोधी हैं और शेष २२. ४ प्रतिशत पक्षधर हैं । भारतीय जनसंघ एवं भारतीय लोकदल से प्रभावित नागरिक व्यक्तिगत सम्पत्ति के पूर्ण समर्थन पक्ष में है ।

अपना मकान , भूमि और व्यवसाय सब सरकार के हाथों में सौंप देना कैसा होगा ? के उत्तर में नागरिकों ने ६. २ प्रतिशत " बहुत अच्छा " , ५. ३ प्रतिशत " अच्छा " , ६. २ प्रतिशत " कम अच्छा ", १३. १ प्रतिशत " खराब " तथा ६३. २ प्रतिशत " बहुत खराब " कहा । इस प्रकार २३. ७ प्रतिशत नागरिक इसको अच्छे दृष्टिकोण से और ७६. ३ प्रतिशत नागरिक इसको खराब दृष्टिकोण से देखते हुए प्रतीत हो रहे हैं । सरकार के हाथों में सब कुछ सौंपने को अच्छे दृष्टिकोण से देखनेवाले कुछ नागरिकों में ६. २ प्रतिशत उच्च जाति " ५. ३ प्रतिशत पिछड़ी जाति " ७. ६ प्रतिशत " अनुसूचित जाति " तथा १. ३ प्रतिशत " मुसलमान हैं, १०. ५ प्रतिशत की आयु १६ से २५ वर्ष, ६ प्रतिशत की आयु २६ से ४५ वर्ष और ६. २ प्रतिशत की आयु ४६ से ७० वर्ष के मध्य है, ७. ६ प्रतिशत " विद्यार्थी " १०. ५ प्रतिशत " कृषक " ३. ६ प्रतिशत मजदूर " तथा ६. ३ प्रतिशत व्यापारी हैं, ३. ६ प्रतिशत " भूमिहीन " तथा ५. ३ प्रतिशत " एक बीघे भूमिवाले " परिवारों के सदस्य हैं ।

१०. ५ प्रतिशत कृषक जो अच्छे दृष्टिकोण से देख रहे हैं उनमें १. ३ प्रतिशत उस बड़े व्यापारी का भी है जिसने आपातु काल में अपना मुख्य व्यवसाय कृषि बताया जबकि यह उसके लिए गौण व्यवसाय होना चाहिए, शेष ६. २ प्रतिशत कृषक उन परिवारों के सदस्य हैं जिनके परिवार में प्रति सदस्य भूमि १०. ५ प्रतिशत

विरुद्ध ही है । उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कम आयवाले भी सभी लोग अपनी सम्पत्ति सरकार को सौंपना अच्छा नहीं समझते हैं । २३.७ प्रतिशत जो नागरिक इसे अच्छे दृष्टिकोण से देखते हैं उनमें १४.६ प्रतिशत कांग्रेस २.६ प्रतिशत जनसंघ २.६ प्रतिशत "जनतापार्टी" १.३ प्रतिशत भारतीय लोकदल से प्रभावित तथा २.६ प्रतिशत "अनुसरवाले हैं" इसमें दल के अनुसार कुल प्रभावित सदस्यों का १।३ कांग्रेस १।१० जनसंघ, १।५ जनता पार्टी के है । इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस, जनसंघ, जनता पार्टी से प्रभावित सदस्यों का बहुमत सब कुछ सरकार के हाथों में सौंपने के पक्ष में नहीं है । क्या समाजवादी प्रवृत्ति मात्र २३.७ प्रतिशत नागरिकों में ही विद्यमान है ?

अपना विवाह कर लेने के लिए क्या लड़की और लड़का को स्वतन्त्र कर देना चाहिए ? के उत्तर में नागरिकों ने ७६.६ प्रतिशत नहीं तथा २३.७ प्रतिशत हाँ कहा । विवाह के लिए स्वतंत्रता के इच्छुकों में से १३.३ प्रतिशत उच्चजाति ३.६ प्रतिशत पिछड़ी जाति ३.६ प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा २.६ प्रतिशत मुसलमान है जिनमें १३.४ प्रतिशत की आयु सोलह से पच्चीस वर्ष, ६.५ प्रतिशत की आयु छब्बीस से पैंतालिस वर्ष तथा ३.६ प्रतिशत की आयु छियालिस से सत्तर वर्ष तक की है । विवाह में स्वतन्त्रता की कामना रखनेवाले ६.२ प्रतिशत विद्यार्थी ५.३ प्रतिशत "कृषक", ५.३ प्रतिशत "व्यापारी" २.६ प्रतिशत "मजदूर" तथा १.३ प्रतिशत अध्यापक है जिनमें हाई स्कूल से स्नातकोत्तर शिक्षा वालों का प्रतिशत १५.६ प्रतिशत प्राथमिक से हाई स्कूल तक वालों का प्रतिशत ३.६ प्रतिशत तथा शेष ३.६ प्रतिशत निरक्षर एवं साक्षर हैं ।

साक्षात् कुल १७.१ प्रतिशत विद्यार्थियों में से ६.२ प्रतिशत स्वतंत्रता चाहते हैं शेष ७.६ प्रतिशत स्वतंत्रता नहीं चाहते । स्नातक से नीचे तथा स्नातकोत्तर उपाधिवाले साक्षात् कुल ३०.३ प्रतिशत नागरिकों में से १५.६ प्रतिशत विवाह में स्वतन्त्रता के समर्थक हैं तथा १४.४ प्रतिशत विरोधी है । इन तथ्यों से स्पष्ट है कि शिक्षित नवयुवकों में विवाह के प्रति लोकतांत्रिक भावना बढ़ रही है और वृद्धों में प्राधिकारवादी प्रवृत्ति कुछ घट रही है किन्तु मुसलमान जाति का नागरिक पूर्णरूपेण प्राधिकारवादी ही मिला । क्योंकि विवाह में स्वतंत्रता का विरोधी रहा ।

आप अपनी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने को कैसा समझते हैं ? के उत्तर में नागरिकों ने ६. २ प्रतिशत बहुत अच्छा", १३. १ प्रतिशत साधारण से नीचे" तथा ७७. ७ प्रतिशत" साधारण" बताया । " बहुत अच्छा" अनुभव करनेवाले नागरिकों में से २. ६ प्रतिशत" उच्च जाति" २. ६ प्रतिशत " पिछड़ी जाति" २. ६ प्रतिशत " अनुसूचित जाति" तथा १. ३ प्रतिशत मुसलमान हैं जो सभी आयु वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अपने को बहुत अच्छा अनुभव करनेवाले अनुसूचित जाति के छात्र एवं मजदूर ; पिछड़ी जाति के कृषक ; उच्च जाति के कृषक एवं व्यापारी तथा मुसलमान जाति के भी कृषक, वर्गों के हैं ।

इससे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के साधारण कुल १३. १ प्रतिशत नागरिकों में से २. ६ प्रतिशत अपने को बहुत अच्छा समझने लगा है ।" साधारण" से नीचे" अनुभव करनेवाले नागरिकों में से ३. ६ प्रतिशत " उच्च जाति" २. ६ प्रतिशत पिछड़ी जाति" १. ३ प्रतिशत" मुसलमान" तथा ५. ३ प्रतिशत अनुसूचित जाति" के हैं जिनमें से आधे लोगों की आयु २१ से २५ वर्ष तक है और शेष में सभी अन्य आयु वर्गों का प्रतिनिधित्व मात्र है । अपने को" साधारण से नीचे" अनुभव करनेवाले उच्च जाति के छात्र, कृषक एवं व्यापारी, पिछड़ी जाति के कृषक एवं मछली पकड़ने का कार्य करनेवाला, मुसलमान जाति का धान काटनेवाला तथा अनुसूचित जाति के अधिकांश मजदूर तथा अल्पांश छात्र हैं । इससे स्पष्ट है कि सामान्य जीवन स्तर से नीचे का जीवन व्यतीत करनेवाले सभी जातियों एवं व्यवसायों के लोग हैं किन्तु उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक ऐसे नहीं मिले परन्तु अनुसूचित जाति के नागरिकों में इनका प्रतिशत अधिक है ।

" समाज में सब से सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए आप कौन सा कार्य पसन्द करेंगे ? के उत्तर में नागरिकों ने ५१. ४ प्रतिशत " कृषि" १७. १ प्रतिशत व्यापार , ६. २ प्रतिशत" अध्यापन" ६. २ प्रतिशत" राजनीति ५. ३ प्रतिशत डाक्टरी , १. ३ प्रतिशत " कारखाने में मजदूरी , १. ३ प्रतिशत कार्यालय की बाबूगिरी", १. ३ प्रतिशत" वकालत" १. ३ प्रतिशत" सिनेमा कलाकारी[30] , १. ३ प्रतिशत" साहित्य सेवा"[31] तथा १. ३ प्रतिशत जनसेवा" के कार्यों को बताया ।

कृषक के जीवन को सब से सुखी समझनेवाले नागरिकों में से वर्तमान काल में अपने अपने कार्य में लगे हुए २२. ४ प्रतिशत , कृषक ६. ३ प्रतिशत व्यापारी , ७. ६ प्रतिशत विद्यार्थी , ५. ३ प्रतिशत अन्य (कार्यों में लगे हुए) ३. ६ प्रतिशत मजदूर तथा २. ६ प्रतिशत अध्यापक हैं । आश्चर्य यह है कि कृषकों में से ७. ६ प्रतिशत व्यापार, ६. ५ प्रतिशत राजनीति, २. ६ प्रतिशत, अध्यापन, १. ३ प्रतिशत सिनेमा कलाकारी, १. ३ प्रतिशत डाक्टरी , १. ३ प्रतिशत कारखाने में मजदूरी तथा १. ३ प्रतिशत साहित्य सेवा पसन्दकर रहे हैं । १४. ५ प्रतिशत व्यापार में लगे हुए नागरिकों में से ३. ६ प्रतिशत व्यापार में, ६. ३ प्रतिशत कृषि में तथा १. ३ प्रतिशत जनसेवा में सुखी जीवन देखते हैं और डाक्टरी , राजनीति एवं अध्यापन को किसी ने भी पसन्द नहीं किया ।

अध्यापन कार्य करनेवाले ५. ३ प्रतिशत नागरिकों में से २. ६ प्रतिशत अध्यापक तथा शेष कृषक का जीवन पसन्द कर रहे हैं । अध्यापन कार्य को पसन्द करनेवालों में वैश्यों एवं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं है इससे स्पष्ट होता है कि इस कार्य में इनकी रुचि बहुत कम है । राजनीति में लगे व्यक्तियों को सुखी अनुभव करने वालों में ४ प्रतिशत उच्चजाति के ४३ वर्ष से ऊपर की आयु के २. ६ प्रतिशत पिछड़ी जाति के १८ से ३६ वर्ष की आयु के तथा २. ६ प्रतिशत अनुसूचित जाति के ४३ वर्ष से ५३ वर्ष की आयु के नागरिक हैं किन्तु मुसलमान कोई नहीं है । अनुसूचित जाति की एक महिला भी राजनीति में सुख का अनुभव करती है । डाक्टरों के जीवन को सब से सुखी समझनेवालों में पिछड़ी जाति एवं मुसलमान एक समान है अन्य जातियों का प्रतिनिधित्व ही नहीं है ।

कारखाने में मजदूरी एवं वकालत अनुसूचित जाति, कार्यालय की बाबू गिरी पिछड़ी जाति, जनसेवा, वैश्य जाति, सिनेमा कलाकार क्षत्रिय जाति तथा साहित्य सेवा ब्राह्मण जाति के नागरिकों ने पसन्द किया है । १७. १ प्रतिशत विद्यार्थियों में से ७. ६ प्रतिशत कृषि १. ३ प्रतिशत राजनीति २. ६ प्रतिशत अध्यापन , २. ६ प्रतिशत व्यापार १. ३ प्रतिशत वकालत तथा

१. ३ प्रतिशत " डाक्टरी " पसन्द कर रहे हैं । इन तथ्यों से स्पष्ट है कि राजनीतिक व्यक्तियों को सुखी अनुभव करनेवाले मात्र ६. २ प्रतिशत नागरिक हैं । क्या राजनीति कष्ट साध्य एवं असम्मानजनक है ?

किस नेता की और कौन सी बात आपको अधिक प्रिय लगी ? का उत्तर ८१. ६ प्रतिशत नागरिकों ने दिया और १८. ४ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । इससे स्पष्ट है कि अधिकांश जनता नेताओं के विचारों को जानने की इच्छुक रहती है । ४२. २ प्रतिशत नागरिकों को कांग्रेस के नेताओं की बातें प्रिय लगी जिनमें १३. १ प्रतिशत नागरिकों को स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू की " देश की स्वतन्त्रता ", जमींदारी उन्मूलन , सब को बराबर करना, जनता की खुशहाली, गरीबों का सहारा कृषि की उन्नति एवं देश की एकता, से संबंधित बातें हैं , १३. १ प्रतिशत नागरिकों को श्रीमती इंदिरा गांधी की, गरीबी दूर करने आन्दोलन करने, तस्करी का विरोध, नया परिवर्तन तथा देश के विकास से संबंधित बातें हैं तथा शेष १६ प्रतिशत नागरिकों को श्री जगजीवनराम का हरिजनोत्थान तथा श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्रीमती कमला बहुगुणा, श्री हरीराम गोयल, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री महावीर प्रसाद शुक्ल, स्वर्गीय राजितराम पाण्डेय एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी का अपने नेताओं की ही बातों का प्रचार प्रिय है ।

२५ प्रतिशत नागरिकों को जनसंघ के नेताओं की बातें प्रिय लगीं जिनमें १८.३ प्रतिशत नागरिकों को श्री अटल बिहारी वाजपेयी (वर्तमान पद राष्ट्र मंत्री) की " गरीबी मिटाने के ढंग, राष्ट्र प्रेम, मुक्त व्यापार, उद्योगों के विकेन्द्रीकरण, " कुर्सी नहीं कमेगा " अखण्ड भारत, पाक युद्ध एवं आर्थिक नीति, से संबंधित बातें हैं और शेष ६. ७ प्रतिशत नागरिकों को स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय का आध्यात्मिक विकास, डा० मुरली मनोहर जोशी का हिन्दी भाषा प्रेम तथा श्री कमलाशंकर त्रिपाठी, श्री नरवदा प्रसाद मिश्र एवं रामनरेश सिंह निशंक का स्थानीय संस्थाओं पर झुकाव । की बातें प्रिय लगी ।

१४. ४ प्रतिशत नागरिकों को भारतीय लोकदल के नेताओं की बातें प्रिय लगीं जिनमें ७. ६ प्रतिशत नागरिकों को श्री जनेश्वर प्रसाद मिश्र

(वर्तमान केन्द्रीय राज्य मंत्री पैट्रोलियम) की " श्रीमती इंदिरा गांधी की आलोचना सरकार की आलोचना एवं आपात काल में हुए अत्याचारों का विवरण से संबंधित ३. ६ प्रतिशत नागरिकों को श्री चौधरी चरण सिंह (वर्तमान स्वराष्ट्र मंत्री) की " कठोर शासन एवं कृषि विकास " से संबंधित बातें हैं और शेष २. ६ प्रतिशत नागरिकों को स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया की " मजदूर को ४ पैसे और मालिक को ४ रु० एवं श्री राज नारायण सिंह (वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार) की पुलिस अत्याचार के विरोध " से संबंधित बातें प्रिय लगी ।

कांग्रेस के नेताओं की बातों को प्रिय कहनेवाले नागरिक ४१. ८ प्रतिशत उच्च ३५ प्रतिशत , पिछड़ी ५० प्रतिशत अनुसूचित तथा ५० प्रतिशत मुसलमान जातियों में से जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर २१-२५ वर्ष एवं ५६-७० वर्ष) शैक्षिक स्तरों (विशेषकर साक्षर एवं प्राथमिक) एवं व्यवसाय वर्गों (अध्यापन एवं नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की नेताओं की बात अनुसूचित एवं मुसलमान जाति के प्राथमिक शैक्षिक योग्यता वाले नागरिकों को अधिक प्रिय लगती है ।

जनसंघ के नेताओं की बातों को प्रिय कहनेवाले नागरिक २७. ८ प्रतिशत उच्च, ३० प्रतिशत पिछड़ी, १० प्रतिशत अनुसूचित तथा २० प्रतिशत मुसलमान जातियों में से जो सभी आयु वर्गों (अवयस्क को छोड़कर एवं विशेषकर २६-३५ वर्ष) शैक्षिक स्तरों (विशेषकर हाई स्कूल एवं स्नातक तथा स्नातकोत्तर) एवं व्यवसाय वर्गों (मजदूरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । इससे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति एवं मजदूरी करनेवाले नागरिकों को जनसंघ के नेताओं की बात बहुत कम प्रिय लगती है ।

भारतीय लोकदल के नेताओं की बातों को प्रिय कहनेवाले नागरिक १६. ४ प्रतिशत उच्च, २० प्रतिशत पिछड़ी तथा २० प्रतिशत मुसलमान जातियों में से जो सभी आयु वर्गों (५६-७० वर्ष छोड़कर विशेषकर ३६ से ४५ वर्ष)

शैक्षिक स्तरों (हाई स्कूल छोड़कर) एवं व्यवसाय वर्गों (मजदूरी एवं नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनसंघ के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी सब से अधिक प्रिय नेता है । मुसलमान तथा अनुसूचित जाति के नागरिकों में कांग्रेस के नेताओं की बातें सब से अधिक प्रिय है और भारतीय लोकदल के नेताओं की बातें उच्च जाति में सब से कम प्रिय है । प्रिय लगनेवाली बातों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि नागरिकों को ३४. ६ प्रतिशत योजना, २०. ६ प्रतिशत उद्देश्य, २०. ६ प्रतिशत ' झुकाव ', ११. ६ प्रतिशत ' आलोचना ' ४. ६ प्रतिशत ' व्याख्या ' ४. ६ प्रतिशत ' व्यक्तिगत गुण ' तथा २. ७३ प्रतिशत विवरण की बातें प्रिय लगी । इससे स्पष्ट है कि ७६. ७ प्रतिशत राजनीतिक दल की नीतियों का मूल्यांकन किया जाता है और इससे संबंधित बातें नागरिकों को प्रिय लगती हैं और आलोचना का महत्व बहुत कम है । प्रिय बातों का केन्द्र बिन्दु आर्थिक संपन्नता ही है ।

बाजारों में जो भी समान बिकते हैं उनका मूल्य कैसा हो ? (स्थिर या घटता या बढ़ता) के उत्तर में नागरिकों ने ८१. ७ प्रतिशत ' स्थिर ' १३. १ प्रतिशत घटता ' तथा ३. ६ प्रतिशत ' बढ़ता ' १. ३ प्रतिशत अस्थिर ' रहे बताया । ' स्थिर ' चाहने वालों में सभी जातियों, आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों, व्यवसायों तथा वर्गों के नागरिक हैं । घटता रहे कहनेवालों में ३. ६ प्रतिशत उच्च जाति, १. ३ प्रतिशत पिछड़ी जाति ' २. ६ प्रतिशत ' अनुसूचित जाति ' तथा ५. ३ प्रतिशत ' मुसलमान ' नागरिक हैं जिनमें ५. ३ प्रतिशत महिलायें तथा ७. ८ प्रतिशत पुरुष हैं जो कि बाजारों में या उसके अत्यन्त निकट निवास करनेवाले या नौकरी में लगे हुए हैं जिन्हें प्राय: प्रति दिन होनेवाले मूल्य परिवर्तनों का कटु अनुभव है एवं व्यय नियमन कठिनाई में डालता है ।

बढ़ता ' रहे कहनेवाले नागरिकों में सभी उच्च जाति एवं संपन्न परिवारों के सदस्य हैं जो प्राय: अपनी उपज बाजारों में बेचते हैं । उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि १३. १ प्रतिशत नागरिक वर्तमान मूल्यों को कम कराना चाहते हैं

तथा ८१. ७ प्रतिशत भावी मूल्य वृद्धि को रोकना चाहते हैं अत: कुल ६४. ८ प्रतिशत नागरिक मूल्य वृद्धि से व्याकुल प्रतीत होते हैं । स्थिरता के पक्ष में साक्षात् कुल १४. ५ प्रतिशत व्यापारियों में से १३. २ प्रतिशत है और १. ३ प्रतिशत घटाने के पक्ष में है ।

स्वतंत्रता के पश्चात् जातीय भेदभाव में कैसा परिवर्तन हुआ है ? (बढ़ा : घटा : समान :) के उत्तर में नागरिकों ने ६०. ५ प्रतिशत " घटा " २१. ६ प्रतिशत " बढ़ा " तथा ७. ९ प्रतिशत " समान " बताया । जातीय भेदभाव के घटने का अनुभव प्रत्येक जाति, आयु, शिक्षास्तर एवं व्यवसाय के नागरिकों ने किया । जातीय भेदभाव में वृद्धि का अनुभव १८. ४ प्रतिशत " उच्च जाति " ७. ९ प्रतिशत " पिछड़ी जाति " तथा ५. ३ प्रतिशत " मुसलमान " जाति के नागरिक करते हैं जिनमें से ११ ८ प्रतिशत का जन्म स्वतंत्रता के पश्चात तथा १६. ८ प्रतिशत का जन्म स्वतंत्रता के पूर्व हुआ है । शिक्षणता एवं राजनीतिक पर्यावरण का स्पष्ट प्रभाव यह है कि अनुसूचित जाति का एक भी नागरिक जिसका जन्म स्वतंत्रता के पूर्व या पश्चात् हुआ है जातीय भेदभाव में वृद्धि का अनुभव नहीं करता ।

अनुसूचित जाति के साक्षात् कुल १३. १ प्रतिशत नागरिकों में से ११. ८ प्रतिशत " घटने " तथा १. ३ प्रतिशत " समान " होने का अनुभव करते हैं ।[32] जातीय भेदभाव में समानता का अनुभव करनेवालों में प्रत्येक जाति एवं व्यवसाय के नागरिक हैं जिनमें आधे निरक्षर एवं साक्षर स्वतंत्रता के पूर्व जन्म लेनेवाले तथा आधे हाई स्कूल के ऊपर स्नातक से नीचे की शैक्षिक योग्यता एवं स्वतंत्रता के पश्चात् जन्म लेनेवाले हैं) इससे स्पष्ट है कि जातीय भेदभाव घटने का सब से अधिक अनुभव अनुसूचित जाति, फिर पिछड़ी जाति के नागरिकों को हुआ है । क्या इसका श्रेय राजनीतिक दलों एवं सरकार द्वारा किये गये संवैधानिक प्रयासों को देना उचित न होगा ?

क्या वर्तमान युग में पूजा, पाठ, यज्ञ और दान करना व्यर्थ है ? के उत्तर में नागरिकों ने ८८. २ प्रतिशत " नहीं " तथा ११ . ८ प्रतिशत " हाँ " कहा ।

इन धार्मिक क्रियाओं को व्यर्थ समझनेवालों में ७. ६ प्रतिशत, अनुसूचित जाति २. ६ प्रतिशत उच्चजाति तथा १. ३ प्रतिशत पिछड़ी जाति के नागरिक हैं। एक भी ब्राह्मण एवं मुसलमान जाति के नागरिक ने इन क्रियाओं को व्यर्थ नहीं कहा। व्यर्थ समझनेवालों में बीस वर्ष तक आयु एवं छब्बीस से पैंतीस वर्ष तक की आयु का एक भी नागरिक नहीं है और शेष सभी आयु वर्गों के साथ सब से अधिक इक्कीस से पच्चीस वर्ष की आयु वालों का प्रतिशत ५. ३ प्रतिशत है।

धार्मिक क्रियाओं को व्यर्थ समझनेवालों में विशेष रूप से अनुसूचित जाति के नागरिक हैं जो कि अध्ययन, मजदूरी एवं कृषि कार्यों में लगे सभी शिक्षा स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के नागरिकों में धार्मिक भावना कम से कम है जिसे राजनीति का प्रभाव समझा जा सकता है। क्या राजनीति, धर्म को प्रभावित करने में अभी समर्थ नहीं हो सकी है ?

यदि राजनीतिक नेता और धार्मिक महापुरुष दोनों एक ही समय आपके दरवाजे पर आवें तो पहले आप किससे मिलेंगे ? के उत्तर में नागरिकों ने ८२. ६ प्रतिशत धार्मिक महापुरुष १५. ८ प्रतिशत राजनीतिक नेता तथा १. ३ प्रतिशत दोनों से, पहले मिलना स्वीकार किया। राजनीतिक नेता का पहले स्वागत करनेवाले कुल नागरिकों में ६. ७ प्रतिशत अनुसूचित जाति, ३. ६ प्रतिशत ब्राह्मण जाति ३. ६ प्रतिशत पिछड़ी जाति तथा १. ३ प्रतिशत मुसलमान जाति के हैं जिनमें ६. ७ प्रतिशत कृषक ३. ६ प्रतिशत मजदूर ३. ६ प्रतिशत विद्यार्थी तथा १. ३ प्रतिशत माला निर्माता हैं जो सभी आयु वर्गों तथा शिक्षा स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं।[३३]

ऊपर लिखित दोनों प्रश्नों के उत्तरों में धर्म को निर्णायक माननेवाले नागरिक ७६. ४ प्रतिशत हैं तथा राजनीति को निर्णायक माननेवाले मात्र ३. ६ प्रतिशत हैं जो कि अनुसूचित जाति के ही हैं। शेष १६. ७ प्रतिशत नागरिक मिश्रित भावना के हैं जिनमें ७. ६ प्रतिशत राजनीति से धर्म की ओर तथा ११. ८ प्रतिशत धर्म से राजनीति की ओर झुके हैं। राजनीति से धर्म की ओर शरण लेने वालों में आधे अनुसूचित जाति तथा आधे में उच्च एवं पिछड़ी जाति के नागरिक हैं।

धर्म से राजनीति की ओर प्रवाहित होनेवालों में ३. ६ प्रतिशत ब्राह्मण , ३. ६ प्रतिशत पिछड़ी जाति २. ६ प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा १. ३ प्रतिशत मुसलमान नागरिक हैं । इन तथ्यों से स्पष्ट है कि नागरिकों की धार्मिक भावना ह्रासोन्मुख है जिसका प्रमुख कारण राजनीतिक दलों का जन संपर्क है ।

हिन्दू समाज की वर्ण व्यवस्था को क्या समाप्त कर दिया जाय ? के उत्तर में नागरिकों ने ७५ प्रतिशत नहीं तथा २५ प्रतिशत " हाँ " कहा । वर्ण व्यवस्था को बनाये रखने के पक्ष में सभी जातियों, आयु वर्गों, शिक्षा स्तरों तथा व्यवसायों के नागरिक हैं । वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के पक्ष में ६. ३ प्रतिशत अनुसूचित जाति ६. ६ प्रतिशत " पिछड़ी जाति " ५. २ प्रतिशत उच्च जाति तथा ३. ६ प्रतिशत मुसलमान जाति के नागरिक हैं जिनमें ६. ३ प्रतिशत , विद्यार्थी , ५. २ प्रतिशत मजदूर , ५. २ प्रतिशत कृषक " २. ६ प्रतिशत व्यापारी १. ३ प्रतिशत अध्यापन तथा १. ३ प्रतिशत " अन्य कार्य करनेवाले हैं । इन तथ्यों से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, उच्च जाति एवं मुसलमान क्रमशः वर्ण व्यवस्था में समाप्त करने के पक्ष में है और उल्लेखनीय है कि इनमें ब्राह्मण एवं क्षत्रिय नागरिकों का प्रतिशत २. ६ ही है । राजनीतिक दलों के १५. ४ प्रतिशत सदस्य वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के पक्ष में है ।

चुनाव के समय मतदाताओं की बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है और बाद में नेताओं की बातों पर क्या यह सच है ? के उत्तर में शत प्रतिशत नागरिकों ने हाँ कहा । इससे स्पष्ट होता है कि इस तथ्य के प्रति किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है कि चुनाव काल में मतदाताओं के प्रति राजनीतिक नेता अधिक संवेदनशील रहते हैं । मतदाताओं के प्रति इनकी जागरूकता क्या चुनाव में येन केन प्रकारेण विजय प्राप्त करने के निमित्त होती है ? चुनाव के पश्चात मतदाताओं को नेताओं के पास बार-बार दौड़ना पड़ता है इस बात की पुष्टि भी हो रही है । चुनाव काल के पश्चात मतदाताओं के साथ राजनीतिक नेताओं के व्यवहारों से मतदाताओं के मन में इनके प्रति अच्छे एवं बुरे भाव बनते हैं । इससे यह भी स्पष्ट है कि चुनाव के पश्चात् राजनीतिक दल जनता के पास जाकर बहुत कम संपर्क करते हैं जो कि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में पठार सिद्ध हो रहा है ।

आप राजनीतिक नेताओं की बातों पर कितना विश्वास करते हैं ? के उत्तर में नागरिकों ने १३. १ प्रतिशत बिल्कुल नहीं", ३८. २ प्रतिशत" बहुत कम" ५. ३ प्रतिशत " कम" २२. ४ प्रतिशत " आधा" ५. ३ प्रतिशत " अधिक " तथा ३. ९ प्रतिशत" पूर्ण " कहा और शेष ११. ८ प्रतिशत ने विशिष्ट उत्तर दिये । इन उत्तरों को तीन वर्गों में विभाजित करना ठीक प्रतीत होता है प्रथम जिसमें" बिल्कुल नहीं"," बहुत कम" तथा" कम" विश्वास करनेवाले नागरिक, द्वितीय" आधा" विश्वास करनेवाले नागरिक तथा तृतीय वर्ग में" अधिक" तथा" पूर्ण" विश्वास करने वाले नागरिक सम्मिलित हैं। इस विभाजन के अनुसार प्रथम वर्ग में ५६. ६ प्रतिशत द्वितीय वर्ग में २२. ४ प्रतिशत तथा तृतीय वर्ग में ९. २ प्रतिशत शेष ११. ८ प्रतिशत विशिष्ट वर्ग में समाविष्ट होते हैं।" कम से लेकर बिल्कुल नहीं" विश्वास करनेवाले ५६ प्रतिशत नागरिकों में २६. ३ प्रतिशत" उच्च जाति" १४. ५ प्रतिशत पिछड़ी जाति" ९. २ प्रतिशत" मुसलमान" तथा ६. ६ प्रतिशत" अनुसूचित जाति" के हैं जिसमें सभी व्यवसायों, आयु वर्गों एवं शिक्षा स्तरों का प्रतिनिधित्व है किन्तु सभी अध्यापन में लगे हुए अधिकांश अध्ययन" मजदूरी एवं व्यापार में लगे हुए नागरिक हैं। इन नागरिकों में हाई स्कूल की योग्यता से ऊपर साक्षर तक ३०. ३ प्रतिशत नागरिकों में से २३. ७ प्रतिशत समाविष्ट हैं।

" आधा विश्वास" करनेवाले २२. ४ प्रतिशत नागरिकों में १०. ६ प्रतिशत उच्च जाति" ५. ३ प्रतिशत पिछड़ी जाति" ३. ९ प्रतिशत अनुसूचित जाति" तथा २. ६ प्रतिशत" मुसलमान" जाति के हैं जिसमें अध्यापन के अतिरिक्त शेष व्यवसायों तथा सभी आयु वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। इन नागरिकों में स्नातक से नीचे एवं स्नातकोत्तर उपाधि के ५. ३ प्रतिशत प्रतिनिधि हैं। शेष अन्य शिक्षा स्तरों का भी प्रतिनिधित्व है।" अधिक तथा पूर्ण" विश्वास करने वाले ९. २ प्रतिशत नागरिकों में ३. ९ प्रतिशत " उच्च जाति" (जिसमें एक भी वैश्य नहीं), २. ६ प्रतिशत पिछड़ी जाति" १. ३ प्रतिशत" अनुसूचित जाति" तथा" १. ३ प्रतिशत" मुसलमान" जाति के हैं जिसमें ७. ९ प्रतिशत" कृषि" तथा १. ३ प्रतिशत" अन्य व्यवसाय " करनेवाले हैं। इन नागरिकों की आयु ३६ वर्ष से ऊपर है और योग्यता निरक्षर से हाईस्कूल तक है किन्तु निरक्षरों एवं साक्षरों की संख्या सर्वाधिक है।

विशिष्ट उत्तरों वाले ११.८ प्रतिशत नागरिक हैं जिन्होंने अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की बातों पर अपना विश्वास अलग अलग प्रकट किया है । इन नागरिकों में ७.९ प्रतिशत उच्च जाति २.६ प्रतिशत पिछड़ी जाति तथा १.३ प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं और सभी आयु वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें निरक्षर एवं स्नातकोत्तर उपाधि के शिक्षा स्तर का कोई नहीं है । इन ११.८ प्रतिशत नागरिकों में से कांग्रेस के नेताओं की बातों पर ३.९ प्रतिशत ने शून्य प्रतिशत २.६ प्रतिशत ने दस प्रतिशत १.३ प्रतिशत ने पचीस प्रतिशत १.३ प्रतिशत ने पचास प्रतिशत, १.३ प्रतिशत ने पचहत्तर प्रतिशत तथा १.३ प्रतिशत ने शत प्रतिशत विश्वास प्रकट किया है । इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के नेताओं की बातों पर ११.८ प्रतिशत नागरिकों में से ७.८ प्रतिशत नागरिकों ने आधा से कम, बहुत कम तथा बिल्कुल नहीं विश्वास प्रकट किया ।

इन्हीं ११.८ प्रतिशत नागरिकों में से भारतीय जनसंघ के नेताओं की बातों पर १.३ प्रतिशत ने पच्चीस प्रतिशत ९.६ प्रतिशत ने पचास प्रतिशत विश्वास प्रकट किया । इससे स्पष्ट है कि १०.५ प्रतिशत नागरिकों ने आधा आधे से अधिक एवं पूर्ण विश्वास भारतीय जनसंघ के नेताओं की बातों पर किया जो कि दल के प्रति सद्भावना का आधार स्तम्भ सिद्ध हो सकता है । इन्हीं विशिष्ट उत्तरोंवाले नागरिकों में से ७.८ प्रतिशत ने भारतीय लोकदल के नेताओं की बातों पर अपने अपने विश्वास को, २.६ प्रतिशत ने शून्य प्रतिशत १.३ प्रतिशत ने दस प्रतिशत १.३ प्रतिशत ने पचीस प्रतिशत १.३ प्रतिशत ने पचास प्रतिशत १.३ प्रतिशत ने पचहत्तर प्रतिशत से प्रकट किया ।

इससे स्पष्ट है कि ५.२ प्रतिशत नागरिकों ने बिल्कुल नहीं, बहुत कम एवं कम विश्वास भारतीय लोक दल के नेताओं की बातों पर किया । इन विशिष्ट ११.८ प्रतिशत नागरिकों के सूक्ष्म विवेचन से स्पष्ट होता है कि इनमें ५.३ प्रतिशत बिल्कुल नहीं, बहुत कम एवं कम के वर्ग में तथा शेष ६.५ प्रतिशत आधा आधे से अधिक एवं पूर्ण की श्रेणी में आते हैं ।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ६१. ६ प्रतिशत नागरिक राजनीतिक नेताओं की बातों पर बहुत कम विश्वास करते हैं और जैसे जैसे नागरिकों का शिक्षा का स्तर बढ़ता गया है उनका विश्वास घटता गया है । नेताओं की बातों पर जनता का विश्वास घटना राजनीतिक समाजीकरण के लिए राजनीतिक दलों के समक्ष एक चुनौती है । क्या यह नेताओं के आश्वासनों, आकांक्षाओं एवं अस्थिर विचारों का दुष्परिणाम है ?

जो राजनीति में बहुत सक्रिय रहता है उसका क्या उद्देश्य है ? के प्रश्न उत्तरमें नागरिकों ने ३७ प्रतिशत " धनोपार्जन " ३१. ६ प्रतिशत प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक सुधार " १३. १ प्रतिशत सामाजिक प्रतिष्ठा , १०.५ प्रतिशत " देश सेवा " तथा ७. ८ प्रतिशत " स्वार्थ सिद्धि " का उद्देश्य बताया । (सारणियों का अवलोकन करें)

सारिणी -१

जाति	धनोपार्जन (क)	प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक सुधार (ख)	सामाजिक प्रतिष्ठा (ग)	देश सेवा (घ)	स्वार्थसिद्धि (ङ०)
उच्च	१५. ४%	१४. ६%	३. ६%	६. ६%	६. ५%
पिछड़ी	१०. ६%	६. २%	३. ९%	२. ६%	-
अनुसूचित	६. ६%	३. ९%	२. ६%	-	-
मुसलमान	३. ४%	३. ७%	२. ७%	१. ६%	१. ३%
योग	३७%	३१. ६%	१३%	१०. ५%	७. ८%

सारिणी - २

आयु विस्तार	क	ख	ग	घ	ङ०
१६-२० वर्ष	१.३%	१.३%	२.६%	३.९%	१.३%
२१-२५ वर्ष	१०.६%	-	३.९%	३.९%	१.३%
२६-३५ वर्ष	७.९%	६.६%	३.९%	१.३%	३.९%
३६-४५ वर्ष	६.६%	९.२%	२.६%	-	-
४६-५५ वर्ष	६.६%	७.९%	-	१.३%	१.३%
५६-७० वर्ष	३.९%	६.६%	-	-	-
योग	३६.९%	३१.६%	१३%	१०.४%	७.८%

सारिणी - ३

शैक्षिक स्तर	क	ख	ग	घ	ङ०
निरक्षर	७.९%	-	२.६%	-	-
साक्षर	२.६%	९.२%	२.६%	-	१.३%
प्राथमिक	१२.१%	७.९%	१.३%	२.६%	-
हाईस्कूल	७.९%	९.२%	१.३%	-	१.३%
स्नातक से नीचे	२.६%	२.६%	२.६%	३.९%	२.६%
स्नातक एवं स्नातकोत्तर	३.९%	२.६%	२.६%	३.९%	२.६%
योग	३७%	३१.५%	१३%	१०.४%	७.८%

सारिणी - ४

मुख्य व्यवसाय	क	ख	ग	घ	ङ०
अध्ययन	२. ६%	१. ३%	२. ६%	७. ९%	२. ६%
अध्यापन	-	२. ६%	१. ३%	-	१. ३%
कृषि	१८. ७%	१७. ३%	५. ३%	१. ३%	२. ६%
मजदूरी	५. ३%	२. ६%	१. ३%	-	-
नौकरी	२. ६%	-	-	-	-
व्यापार	३. ९%	५. ३%	२. ६%	१. ३%	१. ३%
अन्य	३. ९%	२. ६%	-	-	-

सारिणी - ५

दल से प्रभावित	धनोपार्जन (क)	प्रतिष्ठा के वार्षिक सुधार (ख)	सामाजिक प्रतिष्ठा (ग)	देश सेवा (घ)	स्वार्थसिद्धि (ङ०)	योग
कांग्रेस	१४. ६%	१५. ९%	९. ३%	३. ९%	१. ३%	४४. ९%
जनसंघ	११. ९%	६. २%	-	२. ६%	२. ६%	२६. ३%
जनता पार्टी	२. ६%	१. ३%	३. ९%	२. ६%	२. ६%	१३%
भारतीय लोकदल	१. ३%	१. ३%	-	-	-	२. ६%
अन्य	६. ६%	३. ९%	-	१. ३%	१. ३%	१३. ९%

उपरोक्त सारिणी १ से स्पष्ट है कि राजनीतिक व्यक्तियों की सक्रियता में धनोपार्जन का उद्देश्य समझनेवाले नागरिकों में प्रथम स्थान अनुसूचित जाति एवं द्वितीय पिछड़ी जाति के नागरिकों का है क्योंकि इन दोनों जातियों के साक्षात्कृत नागरिकों का क्रमश: पचास एवं चालीस प्रतिशत धनोपार्जन के उद्देश्य से सहमत है । " प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक सुधार " के उद्देश्य का समर्थन करनेवाले नागरिकों में अनुसूचित जाति तथा मुसलमानों का प्रथम, उच्च जाति का द्वितीय तथा पिछड़ी जाति का तृतीय स्थान है ।

" सामाजिक प्रतिष्ठा " के उद्देश्य का समर्थन करनेवाले नागरिकों में अनुसूचित जाति एवं मुसलमानों का प्रथम, पिछड़ी जाति का द्वितीय तथा उच्च जाति का तृतीय स्थान है । इससे स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के नागरिकों को सामाजिक प्रतिष्ठा के अभावों की पूर्ति के लिए राजनीतिक महत्वपूर्ण साधन है । " देश सेवा " के उद्देश्य से राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों को ~~समझ~~ समझने वाले नागरिकों में सर्वोपरि स्थान " उच्च जाति " का है पिछड़ी जाति एवं मुसलमान एक समान है किन्तु आश्चर्य है कि अनुसूचित जाति के नागरिक " देश सेवा " के उद्देश्य का समर्थन नहीं करते हैं । " स्वार्थ सिद्धि " के उद्देश्य में विश्वास करनेवालों ने उच्च जाति एवं मुसलमान नागरिकों को क्रमश: प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त है ।

सारिणी - २ के अवलोकन से स्पष्ट है कि " धनोपार्जन " के उद्देश्य का समर्थन करनेवाले नागरिकों में २१ से २५ वर्ष वालों का प्रथम, २६ से ३५ वर्ष वालों का द्वितीय और १६-२० वर्ष वालों का तृतीय स्थान है । " प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक सुधार " के उद्देश्य का समर्थन करनेवालों में ५६ से ७० वर्ष के नागरिकों का प्रथम तथा ३६ से ५५ वर्ष के नागरिकों का द्वितीय स्थान है । आश्चर्य है कि २१ से २५ वर्ष की आयु का एक भी नागरिक प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक सुधार " के उद्देश्य का समर्थन नहीं करता है ।

सारिणी ३ के अवलोकन से स्पष्ट है कि निरक्षर नागरिकों ने राजनीति में सक्रियता के लिए " धनकमाने " को सर्वाधिक महत्व दिया और " प्रतिष्ठा

के साथ आर्थिक सुधार" सामाजिक प्रतिष्ठा" एवं देश सेवा" के उद्देश्यों का समर्थन बिल्कुल नहीं किया । स्नातक से नीचे, स्नातक एवं स्नातकोत्तर योग्यता के नागरिक " देश सेवा" के उद्देश्य का सर्वाधिक समर्थन किये । इससे स्पष्ट है कि शैक्षिक योग्यता के साथ उद्देश्यों में व्यापकता बढ़ती है ।

सारिणी ४ के अवलोकन से स्पष्ट है कि सब से अधिक विद्यार्थी नागरिकों ने" देश सेवा" के उद्देश्य में अपनी सम्मति प्रकट की है । मजदूरों के पचास प्रतिशत ने" धन कमाने" के उद्देश्य को इंगित किया है । व्यापारियों के चालीस प्रतिशत ने" प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक सुधार" के उद्देश्य से सम्मति व्यक्त की है । इससे स्पष्ट है कि विद्यार्थी जीवन में देश सेवा के उद्देश्य से राजनीति में सक्रियता अधिक रहती है ।

सारिणी ५ के अवलोकन से स्पष्ट है कि कांग्रेस से प्रभावित नागरिकों में" प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक सुधार " तथा जनसंघ से प्रभावित नागरिकों में धनोपार्जन के उद्देश्य का प्रथम महत्व है ।

उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि ७६. ४ प्रतिशत नागरिकों की दृष्टि से राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों में स्वार्थ एवं धनोपार्जन के साथ प्रतिष्ठा का उद्देश्य दिखलायी देता है । राजनीतिक दल में व्यक्ति की अभिग्रस्तता जन कल्याण की भावना से बहुत कम अभिप्रेत सिद्ध हो रही है । यह स्थिति राजनीति करनेवालों के प्रति घृणा एवं अविश्वास को जन्म दे रही है । यदि आपको कल राजनीतिक कार्य छोड़ना पड़े तो कौन सी हानि होगी" के उत्तर में ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों ने" सार्वजनिक स्नेह का अभाव" जनसंपर्क कम होगा" सामाजिक प्रतिष्ठा घटेगी तथा मानसिक पीड़ा होगी" हानियां बतायी, मण्डल समिति के एक पदाधिकारी ने प्रतिष्ठा कम हो जायगी" बताया और क्षेत्रीय कौंसिल के एक पदाधिकारी ने जनसंपर्क कम हो जायगा" बताया । साक्षात्कृत ५० प्रतिशत पदाधिकारियों ने" कोई हानि नहीं होगी" भी कहा । संभावित हानियों के विवरण से स्पष्ट है कि पदाधिकारियों का राजनीतिक दलों में प्रवेश का उद्देश्य " प्रतिष्ठा" की प्राप्ति या रक्षा है किन्तु नागरिकों द्वारा अन्य उद्देश्यों का भी अनुभव किया जाना उनके वास्तविक व्यवहारों का परिणाम प्रतीत होता है ।

चुनाव जीत जाने के बाद क्या किसी को दल बदलना चाहिए ? के उत्तर में ९८.७ प्रतिशत नागरिकों ने" नहीं" तथा १.३ प्रतिशत ने" हाँ" कहा। इन उत्तरों से स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों में जो दल परिवर्तन की व्याधि है उसको ९८.७ प्रतिशत नागरिक अनुचित समझते हैं। दल परिवर्तन के पक्ष में कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं जो" सैद्धान्तिक[३४] मतभेद की स्थिति" में औचित्य सिद्ध करते हैं।
" जो चुना हुआ व्यक्ति दल बदले क्या उसका पद समाप्त कर दिया जाय ? के उत्तर में ९७.४ प्रतिशत नागरिकों ने" हाँ" तथा २.६ प्रतिशत ने" नहीं" कहा। इससे स्पष्ट है कि ९७.४ प्रतिशत जनमानस इस पक्ष में है कि निर्वाचित प्रतिनिधि यदि दल परिवर्तन करे तो उसे पुन: जनता के समक्ष जाकर जनादेश प्राप्त करना चाहिए। दोनों प्रश्नों के उत्तरों से स्पष्ट है कि जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने साथ की गयी प्रवंचना समझती है और उन्हें ऐसा दण्ड देना चाहती है कि जिससे निर्णय का अधिकार पुन: जनता के ही हाथों में आये। ये उत्तर" जनता की सम्प्रभुता" की अनुभूति के परिचायक है जो कि राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक समाजीकरण का सुपरिणाम है।

क्या अल्प बचत योजना या जीवन बीमा में आपने भाग लिया है ? के उत्तर में नागरिकों ने ६८.४ प्रतिशत " नहीं" तथा ३१.६ प्रतिशत " हाँ " कहा। इससे स्पष्ट है कि सरकार की इन योजनाओं से ६८.४ प्रतिशत नागरिक अछूते हैं। इन योजनाओं से अप्रभावित होने के अनेक कारण संभव है जैसे निर्धनता, प्रचार का अभाव, अन्धकार पूर्ण भविष्य, अज्ञानता, सरकार के मन्तव्य अविश्वास आदि। यदि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया व्यापक स्तर पर हो तो जनता देश की आर्थिक उन्नति में प्रत्यक्ष आर्थिक भाग ग्रहण कर सकती है। आर्थिक भाग ग्रहण करनेवाले ३१.६ प्रतिशत नागरिकों में १४.६ प्रतिशत उच्च जाति" ६.२ प्रतिशत पिछड़ी जाति, २.६ प्रतिशत अनुसूचित जाति" तथा ५.२ प्रतिशत मुसलमान" जाति के हैं जिनमें १५.८ प्रतिशत प्राथमिक से हाई स्कूल, १०.६ प्रतिशत स्नातक से नीचे स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा ५.२ प्रतिशत निरक्षर एवं साक्षर

योग्यता के हैं और जो अध्यापकों के शत प्रतिशत के साथ साथ सभी व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन योजनाओं में भाग ग्रहण करनेवाले नागरिकों में ६७.२ प्रतिशत "कांग्रेस" ६.२ प्रतिशत "जनसंघ", २.६ प्रतिशत "जनता" १.३ प्रतिशत "भारतीय लोकदल" तथा १.३ प्रतिशत "अन्य" दलों से प्रभावित है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दल से प्रभावित(३८ प्रतिशत कांग्रेस, ३५ प्रतिशत जनसंघ तथा २० प्रतिशत जनता पार्टी) नागरिक इन योजनाओं में भाग लिये हैं।

"सरकार के किस कानून से आपका कौन सा लाभ हुआ है ?

के उत्तर में ५७.६ प्रतिशत नागरिकों ने "लाभ" तथा ३६.६ प्रतिशत ने कोई लाभ नहीं बताया तथा ५.२ प्रतिशत अनुत्तर रहे। सरकार के किसी न किसी कानून से लाभान्वित होनेवाले नागरिकों ने ३०.४ प्रतिशत "चकबन्दी" तथा शेष २७.५ प्रतिशत ने ने भिन्न भिन्न कानूनों के नाम लिए जिनमें अनुसूचित जाति के नागरिकों ने "हरिजन आबादी" "भूमि आबंटन", "नि:शुल्क शिक्षा", "हरिजन छात्रों को छात्र वृत्ति", "बेगारबन्दी", "अस्पृश्यता उन्मूलन" "ऋणमुक्ति" तथा "मतदान का अधिकार" बताया। लाभान्वित होनेवाले नागरिकों में २६.२ प्रतिशत "उच्च जाति" १५.८ प्रतिशत "पिछड़ी जाति" ७.६ प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा ७.६ प्रतिशत मुसलमान जाति के नागरिक है जिनमें कुल एक जातीय नागरिकों में उच्च जाति का प्रतिशत सब से कम है। लाभान्वित होनेवाले नागरिकों में ३०.४ प्रतिशत कृषक १०.५ प्रतिशत विद्यार्थी ६.६ प्रतिशत व्यापारी ३.६ प्रतिशत अध्यापक ३.६ प्रतिशत मजदूर तथा २.६ प्रतिशत नौकर है। इससे स्पष्ट है कि सभी व्यवसाय के नागरिकों को कानून ने प्रभावित किया है। किसी कानून से कोई लाभ न अनुभव करनेवाले ३६.६ प्रतिशत नागरिकों में १८.४ प्रतिशत उच्च जाति, ६.३ प्रतिशत "पिछड़ी जाति" ५.२ प्रतिशत मुसलमान तथा ३.६ प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जिनमें ११.६ प्रतिशत कृषक, ७.६ प्रतिशत व्यापारी ५.२ प्रतिशत मजदूर ३.६ प्रतिशत विद्यार्थी १.३ प्रतिशत अध्यापक तथा ६.७ प्रतिशत "अन्य व्यवसायी" हैं। सरकार का कानून राजनीतिक समाजीकरण का एक सफल माध्यम है जिससे नागरिक सत्ता में स्थायित्व या परिवर्तन के लिए अपनी मनोवृत्ति बनाता है और इसी हेतु राजनीतिक दलों में भाग ग्रहण करता है।

सरकार के किस कानून से आपको कौन सी हानि हुई ? के उत्तर में ५५, ३ प्रतिशत नागरिकों ने कोई हानि नहीं तथा ३६, ६ प्रतिशत ने हानि हुई बताया शेष ७, ८ प्रतिशत अनुत्तर रहे । सरकार के किसी कानून से हानि का अनुभव करनेवाले नागरिकों में २६, ४ प्रतिशत उच्च जाति, ७, ६ प्रतिशत पिछड़ी जाति तथा २, ६ प्रतिशत मुसलमान जाति के हैं जिसमें सभी व्यवसायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व है किन्तु कृषकों का सर्वाधिक प्रतिशत है । हानि का अनुभव करनेवाले नागरिकों में कृषकों ने सर्वाधिक हानि विकास कर से अनुभव किया फिर क्रमश: भूमि सीमा नियंत्रण, चकबन्दी, १५।- रु० प्रति हार्स पावर विद्युतभार, सिंचाई कर तथा अधिवासी अधिनियम से । व्यापार पर प्रतिबन्ध तथा जिला परिषद कर का व्यापारी वर्ग ने कटु अनुभव किया । अनुसूचित जाति ने ऋण मुक्ति से अपनी हानि इसलिए अनुभव किया कि उन्हें अब गाँवों में ऋण नहीं मिल पाता ।[३५] सरकार के किसी कानून से हानि का न अनुभव करनेवालों में शत प्रतिशत मुसलमान ६० प्रतिशत अनुसूचित तथा ५५ प्रतिशत पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व है जिसमें सभी व्यवसायों के नागरिक हैं ।

उपरोक्त दोनों प्रश्नों के उत्तरों से स्पष्ट है कि २५ प्रतिशत नागरिकों को सरकार के कानूनों से लाभ-हानि दोनों का अनुभव है, ३२, ६ प्रतिशत नागरिकों को मात्र लाभों का अनुभव है, ११, ६ प्रतिशत नागरिकों को मात्र हानियों का अनुभव है, २७, ६ प्रतिशत नागरिकों को लाभ-हानि में से एक ने भी प्रभावित नहीं किया है तथा २, ६ प्रतिशत दोनों में अनुत्तर रहे हैं । राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम के रूप में कानून ३०, २ प्रतिशत नागरिकों के लिए अप्रभावी सिद्ध हो रहा है ।

क्या वर्तमान सरकार से जीवन, धन और प्रतिष्ठा की सुरक्षा अनुभव करते हैं ? के उत्तर में नागरिकों ने ६८, ४ प्रतिशत नहीं तथा ३१, ६ प्रतिशत हाँ कहा । इन तीनों पर संकट का अनुभव करने वाले नागरिकों में ३१, ६ प्रतिशत उच्च जाति २१, १ प्रतिशत पिछड़ी जाति ७, ६ प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा

७.६ प्रतिशत मुसलमान जाति के हैं जिनमें सभी शैक्षिक स्तरों के साथ सब प्रतिशत हाई स्कूल की योग्यता वाले हैं जो सभी व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं किन्तु नौकरी, मजदूरी, अध्यापन, व्यापार, तथा कृषि वाले क्रमशः भयभीत हैं। वर्तमान सरकार से सुरक्षा का अनुभव करनेवाले नागरिकों में १६ प्रतिशत उच्च उच्च जाति ५.२ प्रतिशत पिछड़ी जाति, ५.३ प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा ५.२ प्रतिशत मुसलमान जाति के हैं जिनमें हाई स्कूल स्तर के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक स्तरों वाले हैं और सभी व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आपातकालीन घोषणा के पूर्व सादात कुल १६.७ प्रतिशत नागरिकों में १७.१ प्रतिशत सुरक्षा का अनुभव नहीं करते, आपातकाल में सादात कुल ५७.६ प्रतिशत नागरिक को में से ३६.५ प्रतिशत सुरक्षा का अनुभव नहीं करते तथा आपात् काल समाप्त होने के पश्चात सादात् कुल २२.४ प्रतिशत नागरिकों में ११.६ प्रतिशत सुरक्षा का अनुभव नहीं करते हैं। आपातकाल के पूर्व सुरक्षा का अनुभव न करनेवाले नागरिकों में १०.५ प्रतिशत जनसंघ ३.६ प्रतिशत कांग्रेस, १.३ प्रतिशत भारतीय लोकदल तथा १.३ प्रतिशत अन्य दल से प्रभावित है। आपातकाल में भी सुरक्षा का न अनुभव करनेवाले नागरिकों में १७.१ प्रतिशत कांग्रेस, ११.६ प्रतिशत जनसंघ, १.३ प्रतिशत भारतीय लोकदल तथा २.६ प्रतिशत अन्य दल से प्रभावित है। आपातकाल के पश्चात भी सुरक्षा का न अनुभव करनेवाले नागरिकों में ७.६ प्रतिशत कांग्रेस तथा ३.६ जनता पार्टी से प्रभावित हैं। आपातकाल में सादात कुल ४२ प्रतिशत कांग्रेस से प्रभावित व नागरिक में में २८.८ प्रतिशत ने सुरक्षा अनुभव नहीं किया वहीं पर जनसंघ से प्रभावित २५ प्रतिशत नागरिकों में से २२.४ प्रतिशत ने सुरक्षा का अनुभव नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि जनसंघ से प्रभावित नागरिकों में असुरक्षा का संकट आपातकाल के पूर्व एवं आपातकाल में सब से अधिक रहा।

वर्तमान काल में जीवन, धन एवं प्रतिष्ठा की असुरक्षा अनुभव करने के कारणों को जिन्हें नागरिकों ने बताया उनको यदि प्रतिशत में मद्धत्व किया जाय तो ३५.६ प्रतिशत डकैती ६.७ प्रतिशत चोरी ८ प्रतिशत सरकार की नीतियां एवं उनके कानून ८ प्रतिशत शासन की कमजोरी ४.८ प्रतिशत भ्रष्टाचार ३.२ प्रतिशत मीसा ३.२ प्रतिशत

हत्या" ३.२ प्रतिशत" सरकारी संरक्षण का अभाव" ३.२ प्रतिशत " अपराधियों को दण्डित न किया जाना का है[36] तथा शेष २०.८ प्रतिशत में स्थान क्रम से" पुलिस जन नियंत्रण से बाहर " सम्पत्ति का बचना कठिन" " छापे पड़ना"," सरकार के उच्च - पदाधिकारी चरित्रहीन"," सरकारी आतंक"," अत्याचार", सुनते हैं सब सरकारी भ्रष्ट सरकार" " विदेशी आक्रमण की संभावना"[37] जनता पार्टी के लोगों की फाकी[38] अनेक दलों की सरकार"[39] का है।

जीवन , धन एवं प्रतिष्ठा की सुरक्षा अनुभव करनेवालों ने ३८.८ प्रतिशत शासन का ठीक होना , २२.७ प्रतिशत संकटकालीन घोषणा तथा शेष ३८.५ प्रतिशत में दूसरे देशों से मित्रता" पुलिस अत्याचार का अब न होना " प्रतिबन्धों का हटना" ," सरकार पर गौर डाल सकना संभव है", " गरीब सुरक्षित"[40] तथा २० सूत्री कार्यक्रम" को कारण बताया है।

जीवन, धन एवं प्रतिष्ठा की सुरक्षा प्रदान करना किसी भी सरकार का अनिवार्य" कार्य है। जो सरकार इस कार्य में असहाय हो जाती है उस पर से जनता का विश्वास हटने लगता है और एक समय ऐसा लगता है कि सरकार बनाये हुए दल को जनता सत्ता से हटा देती है। ६८.४ प्रतिशत नागरिकों ने असुरक्षा का अनुभव किया जो गिरे हुए राजनीतिक विश्वास का प्रमाण प्रस्तुत करता है। राजनीतिक समाजीकरण से राजनीतिक विश्वास का प्रतिशत ऊपर उठता है।

" समाज या राज्य का विकास एक वर्ग दूसरे से संघर्ष करता है तो क्या इससे होगा " के उत्तर में ९३.४ प्रतिशत नागरिकों ने" नहीं" तथा ६.६ प्रतिशत ने " हाँ " कहा। संघर्ष से विकास के सिद्धान्त में इतना अधिक अविश्वास यह स्पष्ट करता है कि जनता का प्रत्येक वर्ग अन्त:करण से संघर्ष नहीं चाहता। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विकास के लिए शान्तिपूर्ण प्रयत्नों में जनता की आस्था है। क्या भारत में वर्ग संघर्ष उत्पन्न करानेवाली विचारधाराओं के लिए यह प्रतिकूल राजनीतिक जलवायु नहीं सिद्ध होगी ? प्रत्येक जाति, आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों, व्यवसायों एवं धर्मों के नागरिकों ने संघर्ष से विकास के दर्शन में अनास्था प्रकट किया है।" संघर्ष से विकास " में आस्था प्रकट करनेवाले

नागरिकों में उच्च, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि है किन्तु एक भी मुसलमान नहीं है । राजनीतिक दलों के ६६.२ प्रतिशत सदस्य संघर्ष से विकास में विश्वास नहीं प्रकट किये ।

(घ) मतदान :

आपने अब तक विधान सभा के कितने चुनावों में अपना बहुमूल्य मत दिया है ? के उत्तर में नागरिकों ने १७.१ प्रतिशत मतदाता नहीं ६.२ प्रतिशत एक बार २२.४ प्रतिशत दोबार ६.२ प्रतिशत तीन बार, ११.६ प्रतिशत चार बार ३.६ प्रतिशत पांच बार २२.४ प्रतिशत छ: बार तथा ३.६ प्रतिशत सातबार मतदान करना बताया । उपर्युक्त कुल नागरिकों में जो १७.१ प्रतिशत मतदाता नहीं है उनमें से १०.५ प्रतिशत को वास्तव में मतदाता होना ही नहीं चाहिए किन्तु ६.६ प्रतिशत की आयु २१ से २३ वर्ष है किन्तु उनका नाम ही मतदाता सूची में नहीं है । १.३ प्रतिशत ऐसे नागरिक है जो अवयस्क होते हुए भी मतदाता सूची में सम्मिलित है और मतदान में भी भाग लिया । ८२.६ प्रतिशत नागरिक जो मतदान में भाग ग्रहण किये हैं उनमें से ५६.४ प्रतिशत ने वांछित सभी मत दानों में भाग लिया है तथा शेष ६.२ प्रतिशत ने एक बार ७.८ प्रतिशत ने दोबार ३.६ प्रतिशत ने तीन बार तथा १.३ प्रतिशत ने पांच बार । वांछित होनी वाली संख्या में भाग नहीं लिया । इस प्रकार स्पष्ट है कि २२.२ प्रतिशत मतदाता मतदान को अन्य कार्यों की अपेक्षा प्रथम वरीयता नहीं प्रदान किये । राजनीतिक दलों के ८०.२ प्रतिशत सदस्यों ने वांछित पूर्ण मतदान किया है । इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दलों के सदस्य सामान्य नागरिकों की अपेक्षा मतदान में अधिक भाग लेतेहैं जो राजनीतिक समाजीकरण का परिणाम है ।

मतदान के पहले जितने भी लोग मत मांगने आवें क्या उन्हें आश्वासन देना चाहिए ? के उत्तर में ६३.१ प्रतिशत नागरिकों ने हां तथा ३६.६ प्रतिशत ने नहीं कहा । इससे स्पष्ट है कि बहुमत सभी मत याचकों को आश्वासन देने के पक्ष में है । आश्वासन देनेवाले २.६ प्रतिशत नागरिकों ने कहा कि

केवल एक को ही आश्वासन देना चाहिए । प्रत्येक दल के मतयाचकों को आश्वासन देने के पक्ष में २८. ६ प्रतिशत उच्च जाति १८. ४ प्रतिशत पिछड़ी जाति ६. २ प्रतिशत मुसलमान तथा ६. ६ प्रतिशत अनुसूचित जाति के नागरिक है जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों तथा व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं । सभी मत याचकों को आश्वासन न देने के पक्ष में १८. ४ प्रतिशत उच्च जाति ७. ६ प्रतिशत पिछड़ी जाति, ६. ६ प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा ३. ६ प्रतिशत मुसलमान जाति के नागरिक हैं । राजनीतिक दलों के ५७. ७ प्रतिशत सदस्यों ने सभी मतयाचकों के पक्ष में मतदान का आश्वासन देने की प्रवृत्ति का परिचय प्रस्तुत किया है । राजनीतिक दलों के ४२. ३ प्रतिशत सदस्यों ने सभी को आश्वासन देने का विरोध प्रकट करके दल के प्रति वचनबद्धता प्रकाशित किया है जो कि सामान्य नागरिकों की अपेक्षा अधिक है ।

सारिणी -६

आयु वर्ग	आश्वासन के पक्ष में	आश्वासन के विपक्ष में
१६-२० वर्ष	८७. ५%	१२. ५%
२१-२५ वर्ष	६८ %	३२ %
२६-३५ वर्ष	७६ %	२४ %
३६-४५ ,,	६१ %	३६ %
४६-५५ ,,	५३ %	४७ %
५६-७० ,,	३७. ५ %	६२. ५ %

सारिणी - ७

शैक्षिक स्तर	आश्वासन के पक्ष	आश्वासन के विपक्ष
निरक्षर	६२. ५%	३७. ५%
साक्षर	५८. ३ %	४१. ७ %
प्राथमिक	५० %	५० %
हाईस्कूल	७३. ६ %	२६. ४ %
स्नातक से नीचे	६०. ६ %	६. १ %
स्नातक एवं उसके ऊपर	५० %	५० %

सारिणी - ८

व्यवसाय	आश्वासन के पक्ष	आश्वासन के विपक्ष
अध्ययन	६९. ३%	३०. ७%
अध्यापन	२५ %	७५ %
कृषि	६५. ८ %	३४. २ %
मज़दूरी	७१. ५ %	२८. ५ %
नौकरी	१०० %	-
व्यापार	६३. ६ %	३४. ४ %
अन्य	४० %	६० %

सारिणी - ९

मतदान में भाग ग्रहण	आश्वासन के पक्ष	आश्वासन के विपक्ष
पूर्ण	६३ %	३७ %
अपूर्ण	५८. ८ %	४१. २ %
बिल्कुल नहीं	६९. ३ %	३०. ७ %

सारिणी ६ से स्पष्ट है कि (२६-३५ वर्ष की आयु वाले नागरिकों के अपवाद के साथ) जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती है नागरिक मतयाचकों को आश्वासन कम करते जाते हैं। सारिणी ७ से स्पष्ट है कि स्नातक से नीचे की शैक्षिक योग्यता वाले नवयुवक नागरिक आश्वासन देने के पक्ष में सब से अधिक है जिसका प्रमुख कारण मतदाता की मानसिक कठिनाईयों के अनुभव का अभाव प्रतीत होता है। सारिणी ८ से स्पष्ट है कि नौकरी में लगे हुए नागरिक इस प्रतिशत आश्वासन के देने के पक्ष में है इसके पश्चात मजदूरी एवं अध्यापन करनेवाले नागरिक हैं। अध्यापन में लगे हुए नागरिक आश्वासन देने के विपक्ष में सब से अधिक है। सारिणी ६ से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि जो नागरिक एक भी बार मतदान में भाग नहीं लिए हैं वे सब से अधिक आश्वासन देने के पक्ष में है और इनके पश्चात उन नागरिकों का ही स्थान है जो प्रत्येक बार मतदान किये हैं। क्या प्रत्येक निर्वाचन में मतदान करनेवाला नागरिक सभी मतयाचकों को आश्वासन देने के लिए विवश या अभ्यस्त हो जाता है ?

मतदान में आप किसकी सलाह को सब से अधिक महत्व देते हैं ? के प्रश्न उत्तरों में नागरिकों ने ४८. ८ प्रतिशत 'स्वयं' २१. २ प्रतिशत 'परिवार' ६. २ प्रतिशत 'मित्र' ५. २ प्रतिशत 'ग्राम प्रधान' ३. ६ प्रतिशत 'पड़ोसी' ३. ६ प्रतिशत 'राजनीतिक नेता' २. ६ प्रतिशत 'जातीय नेता', २. ६ प्रतिशत नौकरी दाता, १. ३ प्रतिशत रिश्तेदार तथा १. ३ प्रतिशत 'अन्य' को बताया। इन उत्तरों से स्पष्ट है कि मतदान में 'स्वयं' निर्णय करने का प्रतिशत अन्यों की अपेक्षा अधिक है किन्तु ५१. २ प्रतिशत नागरिक दूसरों के निर्णयों पर आधारित है। आश्चर्य यह है कि ३. ६ प्रतिशत नागरिक जो उच्च जाति, पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के हैं, राजनीतिक नेताओं की सलाह को सर्वाधिक महत्व देते हैं। इन उत्तरों से स्पष्ट है कि मतदान जो कि राजनीतिक व्यवहार का एक अंश है वह ४२. ८ प्रतिशत अराजनीतिक संस्थाओं जैसे परिवार, मित्र, पड़ोसी, जातीय नेता, नौकरी दाता, रिश्तेदार आदि से प्रभावित होता है।

'स्वयं' एवं 'परिवार' को मतदान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण परामर्शदाता

माननेवाले सभी जातियों, आयु वर्गों, शिक्षा स्तरों, व्यवसायों (नौकरी के अतिरिक्त) एवं धर्मों के नागरिक है ।" मित्र" की सलाह को सर्वाधिक महत्व देनेवाले, सभी जातियों के २१-५५ वर्ष की आयु के , सभी शैक्षिक स्तरों के विद्यार्थी, कृषक एवं अध्यापक नागरिक है ।" ग्राम प्रधान" की सलाह को मतदान में सर्वाधिक महत्व प्रदान करनेवाले, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के २१-५५ वर्ष की आयु के, साक्षर एवं प्राथमिक शिक्षा स्तर के तथा कृषक, मजदूर एवं व्यापारी नागरिक हैं ।" पड़ोसी" की सलाह को सर्वाधिक महत्व देनेवाले उच्च एवं मुसलमान जाति के, २१-२५ वर्ष एवं ४६ से ५५ वर्ष की आयु के निरक्षर , साक्षर एवं प्राथमिक शिक्षा स्तर के कृषक एवं व्यापारी नागरिक है ।" राजनीतिक नेता" की परामर्श को सर्वाधिक महत्व देनेवाले उच्च, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के २६ से ४५ वर्ष की आयु के, निरक्षर , प्राथमिक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा स्तर के, कृषक एवं अध्यापन नागरिक है ।" जातीय नेता" की सलाह को मतदान में सर्वाधिक महत्व देने वाले, पिछड़ी जाति के ३६ से ५५ वर्ष की आयु के निरक्षर तथा साक्षर शिक्षा स्तर के नाविक एवं कृषक नागरिक है ।" नौकरीदाता" के परामर्श से प्रभावित होने वालों में, पिछड़ी जाति के , २१ से ३० वर्ष की आयु के हाई स्कूल शिक्षा स्तर के, नौकरी करनेवाले नागरिक है ।" रिश्तेदार" की सलाह को मतदान में सर्वाधिक महत्व देनेवाले मुसलमान नागरिक है जो हाईस्कूल शिक्षा स्तर एवं ३५ वर्ष की आयु का व्यापारी है । इन विवरणों से स्पष्ट है कि मतदान का व्यवहार राजनीतिक दलों के अतिरिक्त अन्य अभिकरणों द्वारा भी निर्देशित होता है ।

पिछले विधान सभा चुनाव में किस किस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता आपसे नहीं मिले ? के उत्तर में ४०. ७ प्रतिशत नागरिकों ने कहा कि" सभी मिले" इसमें ५. २ प्रतिशत ऐसे नागरिक सम्मिलित हैं जो मतदाता नहीं हैं, २१. २ प्रतिशत ने कहा कि" कोई नहीं मिला" इसमें ७. ८ प्रतिशत ऐसे नागरिक हैं जो मतदाता नहीं अर्थात् १३. ३ प्रतिशत मतदाताओं से किसी भी दल के कार्यकर्ताओं ने चुनाव में संपर्क नहीं किया ; ६. २ प्रतिशत ने" अन्य दलों"

(कांग्रेस, जनसंघ एवं भारतीय लोकदल के अतिरिक्त) के नाम न मिलनेवालों में लिये इनमें भी १.३ प्रतिशत मतदाता नहीं हैं, ६.३ प्रतिशत ने भारतीय लोकदल का नाम न मिलनेवालों में लिए, ३.६ प्रतिशत ने न मिलनेवालों में कांग्रेस का नाम लिया इनमें १.३ प्रतिशत मतदाता नहीं अर्थात् २.६ प्रतिशत से कांग्रेसवाले नहीं मिले ; ३.६ प्रतिशत से कांग्रेस एवं भारतीय लोकदल दोनों से नहीं मिले २.६ प्रतिशत ने जनसंघ एवं भारतीय लोकदल दोनों के नहीं मिले बताया ; १.३ प्रतिशत ने कांग्रेस एवं जनसंघ दोनों के नहीं मिले बताया और शेष ५.२ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे। कुल १६.७ प्रतिशत मतदाताओं से कांग्रेस, २६.७ प्रतिशत से जनसंघ तथा २६.२ प्रतिशत से भारतीय लोकदल के कार्यकर्ता पिछले विधान सभा निर्वाचन में नहीं मिले। इससे स्पष्ट है कि भारतीय लोकदल के कार्यकर्ता सब दलों से कम जन संपर्क किये। भारतीय लोकदल के कार्यकर्ता विशेष कर उच्च जाति के मतदाताओं से संपर्क नहीं किये।

किस दल का प्रत्याशी आपके दरवाजे पर आया ? के उत्तरों से स्पष्ट हुआ कि ५२.६ प्रतिशत नागरिकों के दरवाजों पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव के समय पहुंचा जिसमें सभी जातियों, आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों के नागरिक हैं। ३४.२ प्रतिशत नागरिकों के पास जनसंघ का प्रत्याशी पहुंचा जिसमें सभी जातियों, आयुवर्गों, शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों के प्रतिनिधि हैं। २५ प्रतिशत नागरिकों के दरवाजों पर भारतीय लोकदल का प्रत्याशी पहुंचा जिसमें सभी जातियों, आयु वर्गों शैक्षिक स्तरों (विशेषकर १७.१ प्रतिशत साक्षर एवं प्राथमिक) व्यवसाय वर्गों (मजदूरों को छोड़कर) के प्रतिनिधि हैं। १५.८ प्रतिशत नागरिकों के द्वार पर तीनों दलों के, २५ प्रतिशत के द्वार पर कांग्रेस एवं जनसंघ के, २१.१ प्रतिशत के द्वार पर कांग्रेस एवं भारतीय लोकदल के १८.४ प्रतिशत के द्वार पर जनसंघ एवं भारतीय लोकदल के तथा ७.८ प्रतिशत के द्वार पर कांग्रेस जनता के, प्रत्याशी चुनावों में पहुंचे। १०.५ प्रतिशत नागरिकों के द्वारों पर केवल कांग्रेस ५.२ प्रतिशत के दरवाजे पर केवल जनसंघ तथा १.३ प्रतिशत के दरवाजे पर केवल भारतीय लोकदल के प्रत्याशी पहुंचे। १०.५ प्रतिशत नागरिकों के दरवाजों पर इन दलों के अलावा अन्य दलों ने भी संपर्क किया। कांग्रेस का प्रत्याशी ५५ प्रतिशत और जनसंघ का प्रत्याशी ४३.८ प्रतिशत अपने अपने दल से प्रभावित नागरिकों के

दरवाजों पर गये । इन विवरणों से स्पष्ट है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने सब से अधिक नागरिकों के द्वारों पर जाकर चुनावों में संपर्क किया जिसमें ५५ प्रतिशत उस दल से प्रभावित भी रहे । क्या राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने समर्थकों से ही चुनावों में अधिक संपर्क करते हैं ? कुल ६५. ८ प्रतिशत नागरिकों के दरवाजों पर किसी न किसी दल का प्रत्याशी पहुँचा तथा शेष ३४. २ प्रतिशत के यहाँ कोई नहीं पहुँचा जिनमें से २१. १ प्रतिशत से किसी भी दल के कार्यकर्ता भी नहीं मिले । क्या यह राजनीतिक दलों के लिए जनसंपर्क के निमित्त एक चुनौती नहीं है ? ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मतदाताओं के दरवाजों पर शेष जातियों की अपेक्षा प्रत्याशी सब से अधिक गये । ६० प्रतिशत " अनुसूचित जाति " के नागरिकों के दरवाजों पर किसी भी दल का प्रत्याशी नहीं गया जो कि उपेक्षा का परिचायक है ।

राजनीतिक दलों के अलावा क्या अन्य कोई व्यक्ति आपसे चुनाव के संबंध में मिला ? के उत्तर में नागरिकों ने ५६. ६ प्रतिशत " नहीं " तथा ३६. ९ प्रतिशत " हाँ " कहा तथा शेष ६. ५ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । इससे स्पष्ट है कि मतदान के निर्णय को प्रभावित करने के निमित्त राजनीतिक दलों के प्रत्यक्ष व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्ति भी प्रयास करते हैं । चुनावकाल में अन्य व्यक्तियों के राजनीति प्रेरित संपर्कों को स्वीकार करनेवाले नागरिकों में कुल मुसलमान जाति के ६० प्रतिशत पिछड़ी जाति के ५० प्रतिशत , उच्च जाति के २६. ७ प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के १० प्रतिशत प्रतिनिधि हैं । इससे स्पष्ट है कि मुसलमान एवं पिछड़ी जाति के नागरिक अप्रत्यक्ष राजनीतिक संपर्कों से अधिक प्रभावित होते हैं । क्या यह तथ्य जातीय संकीर्णता को उद्घाटित नहीं करता ? अन्य व्यक्तियों के संपर्क को न स्वीकार करनेवालों में क्रमशः उच्च जाति , अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं मुसलमान नागरिक हैं ।

कौन से अन्य संगठनों से आपका संबंध है ? के उत्तर में स्पष्ट हुआ कि ५६. ६ प्रतिशत नागरिकों के अन्य संगठनों से संबंध है । कुल संगठनों से संबद्ध नागरिकों में १६-२० वर्ष की आयु वाले सब से कम हैं और ३६-४५ वर्ष की आयु वाले सब से अधिक हैं । इसमें अध्यापकों का शत प्रतिशत , कृषकों का ६५ प्रतिशत एवं व्यापारियों का ५५ प्रतिशत संबद्ध है और सब से कम ३८ प्रतिशत विद्यार्थी हैं । ये संगठन, ग्राम पंचायत, सहकारी समिति, विद्यालय प्रबंध समिति, भूमि विकास

बैंक समिति , न्याय पंचायत , राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, नवयुवक मंगल दल , आदर्श जन कल्याण संघ, युवक कांग्रेस, विद्यार्थी हरिजन कल्याण संघ, गलीचा मजदूर यूनियन माध्यमिक शिक्षक संघ, कल्वार संघ, निषाद संघ, मोमिन कानफ्रेन्स तथा केसरवानी वैश्य सभा और शेष जातीय संगठन हैं। नागरिकों की अन्य संगठनों से संबद्धता जन हित में भाग ग्रहण का प्रमाण प्रस्तुत करती है। राजनीतिक दलों के ७६. ६ प्रतिशत सदस्यों ने अन्य संगठनों से भी अपना संबंध बताया जो कि सामान्य नागरिकों की अपेक्षा २०. ३ प्रतिशत अधिक है। क्या यह राजनीतिक दलों के द्वारा होनेवाले राजनीतिक समाजीकरण का प्रभाव है ?

क्या अन्य संगठन भी चुनावों में अपना विचार सदस्यों से बताते हैं ? के उत्तर में नागरिकों ने ६७. १ प्रतिशत " हाँ " तथा १८. ४ प्रतिशत " नहीं " कहा तथा शेष १४. ५ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे। इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों के अतिरिक्त अन्य संगठन भी चुनावों में मतदान को प्रभावित करने का यत्न करते हैं । चुनाव में इन संगठनों की भूमिका स्वीकार करनेवालों में संगठन से सम्बद्ध कुल नागरिकों का ७५ प्रतिशत तथा असम्बद्ध कुल नागरिकों का ५६. २५ प्रतिशत है। इससे यह तथ्य और भी पुष्ट हो जाता है कि इन संगठनों की चुनाव कालीन गतिविधियों से वे भी परिचित हैं जो इनके सदस्य भी नहीं हैं। क्या निर्वाचन के युद्ध में राजनीतिक दलों के साथ अन्य संगठन भी अपने हितों के संरक्षण एवं परिवर्धन के लिए मतदान को प्रभावित करते नहीं प्रतीत होते ?

मतदाता अपने वास्तविक निर्णय को इसलिए नहीं बताता कि न मालूम कौन अपनी बात मनवाने के लिए मेरे पास अन्तिम क्षण तक आ जायगा" क्या यह कथन सत्य है ? के उत्तर में ६२. २ प्रतिशत नागरिकों ने " हाँ " कहा : ५. २ प्रतिशत ने " शत्रुता का भय " १. ३ प्रतिशत " से संघर्ष का भय " तथा १. ३ प्रतिशत ने " दबाव में वृद्धि " भी बताया। इससे स्पष्ट है कि मतदाता अपने मतदान संबंधी वास्तविक निर्णय को, दबावों में वृद्धि होने की आशंका, परस्पर विरोधी दबावों की प्रति स्पर्धा में अभिवृद्धि की संभावना, स्पष्टवादिता के दुष्परिणामों के भय तथा " बचो किन्तु दक्षता " की प्रवृत्ति के कारणों से प्रकाशित करना नहीं चाहता।

है । क्या मतदाताओं में अनेक दबावों को सहन करने की क्षमता का विकास निर्वाचन को खेल समझने की मनोवृत्ति का द्योतक है ? क्या मतयाचकों को आश्वासन देने का यह प्रधान कारण है ?

मत मांगनेवाले की किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए ? के प्रश्न उत्तरों में नागरिकों ने २६. ४ प्रतिशत " ईमानदारी " १६. ७ प्रतिशत चरित्र १०. ६ प्रतिशत " सेवा " ७. ६ प्रतिशत " व्यवहार " ५. २ प्रतिशत " सिद्धान्त " २. ६ प्रतिशत " जीतने की आशा " १. ३ प्रतिशत " शिक्षा " १. ३ प्रतिशत पहुँच तथा २५ प्रतिशत " मिश्रित " विशेषताओं पर विशेष ध्यान देना बताया । मिश्रित उत्तरों में ६. ६ प्रतिशत ईमानदारी तथा सेवा " ३. ६ प्रतिशत " ईमानदारी तथा चरित्र " ३. ६ प्रतिशत " सिद्धान्त तथा चरित्र १. ३ प्रतिशत " सिद्धान्त तथा सेवा " १. ३ प्रतिशत " सिद्धान्त तथा ईमानदारी १. ३ प्रतिशत " व्यवहार तथा ईमानदारी " १. ३ प्रतिशत चरित्र, सिद्धान्त तथा पहुँच १. ३ प्रतिशत चरित्र, शिक्षा तथा व्यवहार , १. ३ प्रतिशत चरित्र ईमानदारी तथा सेवा १. ३ प्रतिशत " चरित्र " ईमानदारी तथा निर्वाचन क्षेत्र का निवासी " तथा १. ३ प्रतिशत ईमानदारी , सेवा, शिक्षा तथा व्यवहार " बताये गये । प्रश्न उत्तरों में आर्थिक दशा, प्रचार एवं जाति पर एक भी नागरिक ने ध्यान नहीं दिया जो आश्चर्यजनक प्रतीत होता है।

ईमानदारी पर अधिक ध्यान देनेवाले नागरिकों में कुल प्रतिशत का ५० प्रतिशत " उच्चजाति " २० प्रतिशत " पिछड़ी जाति " १५ प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा १५ प्रतिशत " मुसलमान जाति " का है, जो सभी आयु वर्गों (सर्वाधिक ४६-५५ वर्ष) सभी शैक्षिक स्तरों एवं सभी व्यवसाय वर्गों (अध्यापन एवं नौकरी को छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । " चरित्र " पर अधिक ध्यान देनेवाले नागरिकों में कुल प्रतिशत का ८० प्रतिशत " उच्च जाति " १३. ३ प्रतिशत पिछड़ी जाति " तथा ६. ७ प्रतिशत " अनुसूचित जाति का है जो सभी आयुवर्गों (सर्वाधिक २१-२५ वर्ष) साक्षर एवं उसके ऊपर के शैक्षिक स्तरों तथा सभी व्यवसाय वर्गों (अध्यापन एवं नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । "सेवा" पर अधिक ध्यान देनेवाले नागरिकों में कुल का ५० प्रतिशत उच्च जाति " २५ प्रतिशत

पिछड़ी जाति" तथा २५ प्रतिशत मुसलमान जाति" के हैं जो सभी ५० वर्ष की आयु, सभी शैक्षिक स्तरों एवं विद्यार्थी, अध्यापक, व्यापारी तथा कृषक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। "व्यवहार" पर अधिक ध्यान देनेवाले नागरिकों में कुल प्रतिशत का ६६.७ प्रतिशत पिछड़ी जाति" तथा ३३.३ प्रतिशत मुसलमान जाति" के हैं जो प्रथम चार आयु वर्गों (विशेषकर २६-४५ वर्ष) का सभी शैक्षिक स्तरों (प्राथमिक को छोड़कर) तथा विद्यार्थी, नौकर मजदूर, कृषक एवं अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेष पर ध्यान देनेवालों में विशेष उल्लेखनीय है कि जीतने की आशा" पर शत प्रतिशत अनुसूचित जाति, "पहुंच" पर उच्च जाति तथा "शिक्षा" पर पिछड़ी जाति के शिक्षित नागरिकों का विशेष ध्यान है।

ईमानदारी" पर विशेष ध्यान देनेवाले नागरिकों में से ६० प्रतिशत कांग्रेस तथा ४० प्रतिशत जनसंघ तथा जनता पार्टी से प्रभावित नागरिक हैं। "चरित्र" पर विशेष ध्यान देनेवाले नागरिकों में से ५३.६ प्रतिशत जनसंघ एवं जनता पार्टी तथा ४६.४ प्रतिशत कांग्रेस से प्रभावित नागरिक हैं। "सेवा" पर विशेष ध्यान देनेवालों में ६२.५ प्रतिशत जनसंघ एवं जनता पार्टी, २५ प्रतिशत कांग्रेस से प्रभावित तथा २५ प्रतिशत किसी भी दल से नहीं" प्रभावित नागरिक हैं।

यदि इन सभी आवश्यक तत्वों का कुल उत्तरों से प्रतिशत में मूल्यांकन किया जाय तो ३२.५ प्रतिशत ईमानदारी, २४.७ प्रतिशत "चरित्र", १५.८ प्रतिशत "सेवा" ६ प्रतिशत "व्यवहार" १० प्रतिशत "सिद्धान्त", ३ प्रतिशत शिक्षा" २ प्रतिशत जीतने की आशा" २ प्रतिशत पहुंच तथा १ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र के निवासी" को महत्व मिलता है। इन विश्लेषणों से स्पष्ट है कि मतदाताओं का ८५ प्रतिशत ध्यान मतयाचक की ईमानदारी, चरित्र, सेवा, शिक्षा एवं व्यवहार पर जाता है जो कि प्रत्याशी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। राजनीतिक दलों से संबंधित मात्र १४ प्रतिशत ध्यान सिद्धान्त, जीतने की आशा एवं पहुंच पर दिया जाता प्रतीत हो रहा है। क्या राजनीतिक दल अपने प्रभाव क्षेत्र में आनेवाले नागरिकों पर भी इसी क्रम में ध्यान देते हैं? क्या मत याचकों में इन गुणों का अभाव मतदाताओं को ध्यान देने के लिए बाध्य कर रहा है? राजनीतिक दलों द्वारा प्रयत्

करने पर निश्चित ध्यान का प्रतिशत बढ़ सकता है जो कि राजनीतिक जागरूकता के लिए आवश्यक है।

आप अपना मत निर्णय कब करते हैं ? के प्रश्न उत्तरों में नागरिकों ने ४४.७ प्रतिशत चुनाव के पूर्व ६.२ प्रतिशत चुनाव के मध्य २२.४ प्रतिशत चुनाव के अन्त तथा २३.७ प्रतिशत ठीक मतदान के पूर्व अपने मत निर्णय का समय बताया। इससे स्पष्ट होता है कि ५५.३ प्रतिशत नागरिक जिसको अपना मत देना है इसका निर्णय चुनाव प्रारंभ होने से लेकर ठीक मत डालने के समय तक करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्लावित मतदाता राजनीतिक दलों की गतिविधियों, सेवकों की अभिलाषाओं, आकांक्षाओं की पूर्तियों, तनावों में संतुलन, लाभ हानि के लब्धांकों तथा तात्कालिक पुरस्कारों के प्रति विशेष सचेष्ट रहते हैं जिससे मत निर्णय में विलम्ब होता है।

चुनाव के पूर्व मत निर्णय करनेवालों में ११.८ प्रतिशत वयस्क नागरिक सम्मिलित हैं और मतदाताओं का भाग ३२.६ प्रतिशत ही है। अनुसूचित जाति के नागरिकों का ५० प्रतिशत उच्च जाति के ४६.५ प्रतिशत पिछड़ी जाति के ४० प्रतिशत तथा मुसलमान जाति के ४० प्रतिशत नागरिकों ने चुनाव के पूर्व अपना मत निर्णय काल बताया। ये नागरिक सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों (स्नातक एवं स्नातकोत्तरों का ८३.४ प्रतिशत) एवं व्यवसाय वर्गों (७५ प्रतिशत अध्यापकों तथा ४७.८ प्रतिशत कृषकों) का प्रतिनिधित्व करते हैं।

चुनाव के मध्य में मत निर्णय करनेवालों में १.३ प्रतिशत वयस्क नागरिक हैं और मतदाता ७.६ प्रतिशत ही हैं। इस समूह में उच्च जाति (वैश्य छोड़कर) तथा शेष जातियों के, सभी आयु वर्गों (१६-२० वर्ष और ३६ से ४५ वर्ष को छोड़कर) सभी शैक्षिक स्तरों (हाईस्कूल से ऊपर स्नातक से नीचे छोड़कर) तथा विद्यार्थियों, कृषकों एवं मजदूरों का प्रतिनिधित्व है।

" चुनाव के अन्त " में मत निर्णय करनेवालों में २.६३ प्रतिशत वयस्क हैं और १६.८ प्रतिशत ही मतदाता हैं। इस समूह में सभी जातियों

(विशेषकर वैश्य, पिछड़ी एवं अनुसूचित) के सभी आयु वर्गों के सभी शैक्षिक स्तरों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर को छोड़कर) के तथा सभी व्यवसाय वर्गों (अध्यापन छोड़कर) के नागरिकों का प्रतिनिधित्व है ।

ठीक मतदान के पूर्व " मत निर्णय करनेवाले नागरिकों में १. ३ प्रतिशत अवयस्क तथा २२. ४ प्रतिशत वयस्क हैं । इस समूह में कुल मुसलमान जाति के नागरिकों का ४० प्रतिशत उच्च जाति के २५ प्रतिशत पिछड़ी जाति के २० प्रतिशत अनुसूचित जाति के १० प्रतिशत ; का प्रतिनिधित्व है । इस समूह में सभी, आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों तथा व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व है ।

राजनीतिक दलों के सदस्य जो सदस्यता ग्रहण करते समय दल के प्रति पूर्ण निष्ठा की शपथ लेते हैं वे मतदान का निर्णय कब करते हैं इसको जानने की स्वाभाविक उत्कंठा जागृत हुई । साक्षात्‌ कुल नागरिकों में से अपने को कांग्रेस का सदस्य बतानेवालों ने ४२ प्रतिशत" चुनाव के पूर्व" १६ प्रतिशत" चुनाव के मध्य" १०.५ प्रतिशत" चुनाव के अन्त" तथा ३१. ५ प्रतिशत ठीक मतदान के पूर्व " मत निर्णय काल स्वीकार किया । भारतीय जनसंघ के सदस्यों ने ६७ प्रतिशत" चुनाव के पूर्व" १६. ५ प्रतिशत " चुनाव के मध्य" तथा १६. ५ प्रतिशत" चुनाव के अन्त में" मत निर्णय काल स्वीकार किया । इस तथ्य से स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों के सदस्य भी मत निर्णय करने में उहापोह की स्थिति का अनुभव करते हैं । क्या यह राजनीतिक दलों द्वारा किये जानेवाले राजनीतिक समाजीकरण की असफलताओं का परिचायक नहीं है ?

जब से आप मतदाता हुए तब से आज तक विधान सभा और संसदीय चुनावों में कितने दलों को मत दिया है ? के उत्तर में नागरिकों ने ४०. ८ प्रतिशत " एक दल" २४. २ प्रतिशत" दो दलों, ६. ६ प्रतिशत तीन दलों तथा १. ३ प्रतिशत" चार दलों" के पक्षों में मतदान किया बताया और २७. १ प्रतिशत के लिए प्रश्न ही नहीं बनता । इससे स्पष्ट है कि ४२. १ प्रतिशत व्यस्क नागरिक मतदान में दल परिवर्तन किये जो कि "प्लावित मतदाता" (फलोटिंग वोटर) समझे जा सकते हैं ।" एक दल" के पक्ष में मतदान करनेवाले मतदाताओं में अनुसूचित जाति के ८०. ५ प्रतिशत उच्च जाति के ४६. ३ प्रतिशत पिछड़ी जाति के ४१. ८ प्रतिशत

तथा मुसलमान जाति के ३७.५ मतदाता हैं जो सभी आयु वर्गों ,शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।" दो दलों" के पक्ष में मतदान करने वाले मतदाताओं में पिछड़ी जाति के ५२ प्रतिशत, उच्च जाति के ४२.६ प्रतिशत मुसलमान, ३७.५ प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति १२.५ मतदाता हैं जो वयस्क नागरिकों के सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों, व्यवसाय वर्गों (विधायक छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । तीन दलों के पक्ष में मतदान करनेवाले मतदाताओं में मुसलमाना जाति के २५ प्रतिशत उच्च जाति के १०.८ प्रतिशत (सभी ब्राह्मण) तथा पिछड़ी जाति के ६.२ प्रतिशत मतदाता हैं जो सभी २७ वर्ष से ७० वर्ष के मध्य के आयु वर्गों , सभी शैक्षिक स्तरों, कृषक, अध्यापक एवं चिकित्सक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं ।" चार दलों" के पक्ष में मतदान करनेवाले नागरिक ने कुल[४१] चार बार मतदान किया है और प्रत्येक बार दल परिवर्तन किया है ।

यदि जातिगत आधार पर मतदाताओं द्वारा किये गये दल परिवर्तन का अवलोकन किया जाय तो क्रम मुसलमान ,पिछड़ी उच्च एवं अनुसूचित जाति का होता है किन्तु आश्चर्य यह है कि उच्च जाति में क्षत्रियों का प्रतिशत दल परिवर्तन में सब से अधिक है । कांग्रेस के ५६ प्रतिशत तथा जनसंघ के ३३ प्रतिशत सदस्यों ने दल परिवर्तन किया है । इससे संकेत मिलता है कि जनसंघ के सदस्यों ने कम दल परिवर्तन किया है । क्या राजनीतिक दलों के संगठन के लिए उनके सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन गंभीर प्रश्न है ? क्या मतदान में मतदाताओं द्वारा दल परिवर्तन करना उसके प्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय है ? क्या दल परिवर्तन राजनीतिक विकास का एक पक्ष है ?

आपकी दृष्टि में किस जाति के कितने प्रतिशत मतदाता मतदान में भाग लेते हैं ? के प्रश्न जातियों में मतदान का प्रतिशत प्रत्येक जाति के नागरिकों ने जो बताया उसका औसत प्रतिशत निकाला गया जिसका अवलोकन सारिणी में करने से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं -

सारिणी - १०

जाति के नागरिकों की दृष्टि में	जातिगत मतदान में प्रतिशत						
	अनुसूचित	मुसलमान	यादव	बिन्द या केवट	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य
अनुसूचित	८७.८	७७	८३.३	८२	६१.७	६०	५२
मुसलमान	८२	७३.५	८५	८५	५२	६९	४९
पिछड़ी	८५.७	८२.४	७८.५	६४.	६०	६०	६६
ब्राह्मण	८४.२	८२	८४.७	७१.	५४	५६	५८
क्षत्रिय	८३	७८	८७	७१	६२	५६.५	४९.५
वैश्य	६९.५	६९.४	७७	७४	६०	५३	५१

१- अनुसूचित जाति के नागरिकों की दृष्टि में उनकी जाति के मतदाता ही सब से अधिक मतदान में भाग लेते हैं जिसकी पुष्टि अन्य जातियों के नागरिकों ने भी किया है ।

२- ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य जाति के नागरिकों की दृष्टि में यादव जाति के मतदाताओं का मतदान में सर्वाधिक प्रतिशत है जिसकी पुष्टि मुसलमान नागरिकों ने भी किया है और अनुसूचित जाति के नागरिकों ने भी अपने पश्चात उन्हीं को स्थान दिया है ।

३- मुसलमान नागरिकों ने भी स्वीकार किया है कि उनकी जाति के मतदाताओं का मतदान में भाग ग्रहण करने में तीसरा स्थान है जिसकी पुष्टि ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य नागरिकों ने भी की है ।

४- पिछड़ी जाति के नागरिकों ने बिन्द या केवट मतदाताओं का चतुर्थ स्थान स्वीकार किया है जिसकी पुष्टि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय नागरिकों ने भी की है ।

५- औसत प्रतिशतों के योग से स्पष्ट है कि मतदान के भाग ग्रहण में क्रम यादव, अनुसूचित जाति, मुसलमान, बिन्द या केवट, क्षत्रिय, ब्राह्मण एवं वैश्य मतदाताओं का है ।

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं मुसलमान मतदान में अधिक भाग ग्रहण करते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि ये राजनीति के लाभों के अधिक हिस्सेदार हैं और उसके प्रति सचेष्ट भी रहते हैं ।

जो मतदाता मत देने नहीं जाते हैं उनका प्रमुख कारण क्या है ? के प्रश्न उत्तरों में नागरिकों ने ३६.४ प्रतिशत 'राजनीति में रुचि नहीं', १७.२ प्रतिशत लोग नाराज हो जायेंगे' १४.६ प्रतिशत 'निर्वाचन पर विश्वास नहीं' ११.६ प्रतिशत 'जाने में काम का नुकसान' २.६ प्रतिशत उस दिन भोजन की व्यवस्था नहीं, २.६ प्रतिशत सरकार से नाराज' ३.६ प्रतिशत कोई लाभ नहीं, १.३ प्रतिशत आकस्मिक घटनायें' तथा ९.२ प्रतिशत मिश्रित कारणों से मतदान में भाग ग्रहण न करना बतायें तथा १.३ प्रतिशत अनुत्तर रहे । मिश्रित कारण में १.३ प्रतिशत जाने में काम का नुकसान एवं उस दिन भोजन[४२] की व्यवस्था नहीं । १.३ प्रतिशत उस दिन भोजन की व्यवस्था नहीं व लोग नाराज हो जायेंगे[४३] १.३ प्रतिशत' राजनीति में रुचि नहीं, जाने में काम का नुकसान तथा लोग नाराज हो जायेंगे तथा १.३ प्रतिशत ' राजनीति में रुचि नहीं, जाने में काम का नुकसान तथा उस दिन भोजन की व्यवस्था नहीं सम्मिलित है ।[४४]

राजनीति में रुचि नहीं, होने को मतदान में न सम्मिलित होने का प्रमुख कारण बतानेवाले नागरिकों में ६३.४ प्रतिशत उच्च जाति' २३.२ प्रतिशत पिछड़ी जाति' ६.७ प्रतिशत अनुसूचित जाति' तथा ६.७ प्रतिशत

'मुसलमान' जाति के हैं जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों (निरक्षर को छोड़कर) एवं व्यवसाय वर्गों (नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

लोग नाराज हो जायेंगे' को मतदान न करने का कारण बतानेवाले नागरिकों में ५३. ८ प्रतिशत' उच्च जाति' ३८. ५ प्रतिशत पिछड़ी जाति' तथा ७. ७ प्रतिशत' मुसलमान जाति' के हैं जो सभी आयुवर्गों, शैक्षिक स्तरों (निरक्षर छोड़कर) एवं व्यवसाय वर्गों (अध्यापन छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुसूचित जाति के नागरिक लोगों की नाराजगी पर ध्यान नहीं देते प्रतीत हो रहे हैं जो कि उनकी राजनीतिक ग्रस्तता का प्रमुख कारण है ।

' निर्वाचन पर विश्वास नहीं' को प्रमुख कारण बतानेवाले नागरिकों में ३६. ६ प्रतिशत' उच्च जाति '(वैश्य छोड़कर) ३६. ६ प्रतिशत मुसलमानजाति १६. ८ प्रतिशत' पिछड़ी जाति' तथा ६. ६ प्रतिशत अनुसूचित जाति' के हैं जो प्रथम से पांच आयु वर्गों, सभी शैक्षिक स्तरों (निरक्षर को छोड़कर) तथा सभी व्यवसाय वर्गों (व्यापारी एवं मजदूर छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । इससे स्पष्ट है कि व्यापारी वर्ग पूर्णरूपेण निर्वाचन पर विश्वास करता है ।

जाने में काम का नुकसान ,होगा को प्रमुख कारण बतानेवाले नागरिकों में २२. २ प्रतिशत' उच्च जाति (सभी वैश्य) ४४. ५ प्रतिशत पिछड़ी जाति' २२. २ प्रतिशत' मुसलमान जाति' तथा ११. १ प्रतिशत' अनुसूचित जाति के हैं जो पचीस से पचास वर्ष आयु , सभी शैक्षिक स्तरों (स्नातक से नीचे छोड़कर) तथा सभी व्यवसाय वर्गों (विद्यार्थी एवं अध्यापक छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

उस दिन भोजन की व्यवस्था नहीं' को प्रमुख कारण बतानेवाले अनुसूचित जाति के बाईस से चालीस वर्ष के साक्षर एवं प्राथमिक शिक्षा स्तर से ऊपर की शैक्षिक योग्यता के कृषक एवं मजदूर नागरिक हैं । आश्चर्य है कि भोजन का अभाव मतदान को प्रभावित करता है ।

सरकार से नाराज' अर्थात् सरकार से नाराजगी प्रकट करने का एक साधन मतदान में भाग न लेना को बतानेवाले वैश्य एवं अनुसूचित जाति के प्राथमिक

एवं साक्षर शिक्षा से ऊपर की शैक्षिक योग्यता के व्यापारी एवं मजदूर हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मतदान में भाग न लेने के ७२. ८ प्रतिशत राजनीतिक तथा २३. ६ प्रतिशत आर्थिक कारण हैं। निर्वाचकों में राजनीतिक अभिरुचि की कमी, संघर्ष का भय तथा निर्वाचन के महत्व को न समझ सकना आदि का दायित्व राजनीतिक दलों पर है। मतदान को अनिवार्य कर्तव्य घोषित होने से राजनीतिक समाजीकरण को बल मिलेगा।

(ड०) ईमानदारी -

" धन कमाने की होड़ में व्यक्ति उचित और अनुचित का कितना ध्यान रख रहा है ? के प्रश्न उत्तरों में नागरिकों ने १५. ८ प्रतिशत " बिल्कुल नहीं " ६८. ६ प्रतिशत " बहुत कम " ३. ८ प्रतिशत " कम " ५. २ प्रतिशत " आधा " ५. २ प्रतिशत " आधे से अधिक " तथा १. ३ प्रतिशत " पूर्ण "[45] ध्यान रखना बताया। इन उत्तरों से स्पष्ट है कि ८८. ३ प्रतिशत नागरिक धन कमाने की राह में उचित और अनुचित का ध्यान नगण्य अंशों में रखते हैं और ११. ७ प्रतिशत नागरिक ही आधा या इससे अधिक ध्यान रखते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आर्थिक संपन्नता के लिए व्यक्तिगत नैतिकता को तिलांजलि दे रहे हैं। " बिल्कुल नहीं " ध्यान बतानेवाले नागरिक उच्च जाति में १६. ७ प्रतिशत पिछड़ी जाति में १० प्रतिशत अनुसूचित जाति में ३० प्रतिशत तथा मुसलमानों में १० प्रतिशत हैं जो सभी आयु वर्गों (२६ से ३५ वर्ष छोड़कर) शैक्षिक स्तरों। निरक्षर को छोड़कर) एवं व्यवसाय वर्गों (नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं। " बहुत कम " ध्यान बतानेवाले नागरिक उच्च जाति में ६६. ४ प्रतिशत पिछड़ी जाति में ६५ प्रतिशत अनुसूचित जाति में ६० प्रतिशत ~~६०-प्रतिशत~~ तथा मुसलमानों में ८० प्रतिशत हैं जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे स्पष्ट है कि सभी जातियों के नागरिकों को धन कमाने के क्षेत्र में उचित और अनुचित का बहुत कम ध्यान रखने का अनुभव हुआ है। " कम " ध्यान बतानेवाले नागरिक वैश्यों में २० प्रतिशत पिछड़ी जाति में ५ प्रतिशत हैं जो २१ से ३५ वर्ष एवं ४६-५५ वर्ष के आयु वर्गों, प्राथमिक से ऊपर के शैक्षिक स्तरों एवं विद्यार्थी तथा व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बाधा एवं उससे अधिक " ध्यान बतानेवाले नागरिक उच्च जाति (वैश्य छोड़कर) में ५. ५ प्रतिशत , पिछड़ी जाति में २० प्रतिशत अनुसूचित जाति में १० प्रतिशत तथा मुसलमानों में १० प्रतिशत हैं जो १६ से २५ वर्ष एवं ३६ से ५५ वर्ष के आयु वर्गों, स्नातक से नीचे के सभी शैक्षिक स्तरों एवं सभी व्यवसाय वर्गों (अध्यापन छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । " पूर्ण " ध्यान बतानेवाले नागरिक ५० वर्षीय, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त क्षत्रिय कृषक हैं ।

वर्तमान समय में सब से कम ईमानदार कौन है ? के प्रश्न उत्तरों में नागरिकों ने ३५. ७ प्रतिशत " पुलिस " २२. ४ प्रतिशत " वकील " १६. ७ प्रतिशत राजनीतिक नेता " १०. ५ प्रतिशत " कार्यालय का बाबू " ३. ६ प्रतिशत " मंत्रीगण " १. ३ प्रतिशत इंजीनियर १. ३ प्रतिशत " राजनीतिक नेता और वकील " तथा १. ३ प्रतिशत सभी लोग " को सब से कम ईमानदार बताया शेष ३. ६ प्रतिशत नागरिकों ने उत्तर ही नहीं दिया । इससे स्पष्ट है कि नागरिकों की दृष्टि में " पुलिस " सब से कम ईमानदार है इसके बाद " वकील " राजनीतिक नेता " एवं " कार्यालय के बाबू " का क्रम आता है । " पुलिस " को सब से कम ईमानदार बतानेवाले नागरिक उच्च जाति में ३६. २ प्रतिशत , पिछड़ी जाति में ३५ प्रतिशत , अनुसूचित जाति में , ४० प्रतिशत तथा मुसलमानों में ३० प्रतिशत हैं जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों, एवं व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं । " वकील " को सब से कम ईमानदार बताने वाले नागरिक उच्च जाति में २२. ४ प्रतिशत (इनमें क्षत्रियों का भाग ७५ प्रतिशत है) पिछड़ी जाति में ३० प्रतिशत मुसलमानों में २० प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति में १० प्रतिशत है जो सभी आयु वर्गों एवं शैक्षिक स्तरों तथा विद्यार्थी और कृषक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । एक भी अध्यापक, मजदूर, नौकर एवं व्यापारी ने " वकील " को सब से कम ईमानदार नहीं बताया , क्या वकीलों का संपर्क इनसे बहुत कम होना इसका कारण है । " राजनीतिक नेता " को सब से कम ईमानदार बताने वाले नागरिक २२. ४ प्रतिशत उच्च जाति में ३० प्रतिशत अनुसूचित जाति में , २० प्रतिशत मुसलमानों में तथा १० प्रतिशत पिछड़ी जाति में हैं जो सभी आयु वर्गों (विशेष कर २१-२५ वर्ष) एवं शैक्षिक स्तरों और विद्यार्थी, कृषक, व्यापारी

एवं मजदूर वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । क्या यह तथ्य राजनीतिक दलों के भाल में कलंक का टीका नहीं है ? क्या यह झूठे आश्वासनों एवं प्रलोभनों का परिणाम है ?

"कार्यालय के बाबू" को सब से कम ईमानदार बतानेवाले नागरिक ८. ४ प्रतिशत" उच्च जाति में, १५ प्रतिशत पिछड़ी जाति में १० प्रतिशत अनुसूचित जाति में तथा १० प्रतिशत मुसलमानों में हैं जो २६ वर्ष से ऊपर के आयु वर्गों सभी शैक्षिक स्तरों (निरक्षर को छोड़कर) एवं व्यवसाय वर्गों (अध्यापक छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यापकों का कार्यालयों से संपर्क सम्मानित रूप में है ।"मंत्रीगण" को सब से कम ईमानदार बतानेवाले नागरिक स्नातक एवं स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता के, अध्यापक एवं विद्यार्थी हैं जो ५. ६ प्रतिशत उच्च जाति (सभी ब्राह्मण) में तथा ५ प्रतिशत पिछड़ी जाति में हैं । अब तक हँड़िया विधान सभा क्षेत्र से ब्राह्मण एवं पिछड़ी जाति के प्रतिनिधि ही विधायक चुने गये हैं क्या इसीलिए इन दोनों जातियों को मंत्रियों से संपर्क का अनुभव है ?[४६] "इंजिनियर" को सब से कम ईमानदार मुसलमान जाति के प्रतिनिधि ने बताया है ।

किस के लिए मरना सब से अच्छा होगा ? के प्रश्न उत्तरों में नागरिकों ने ५७. ६ प्रतिशत" देश " १४. ५ प्रतिशत" धर्म", १४. ५ प्रतिशत " बच्चों" १०. ५ प्रतिशत" प्रतिष्ठा" तथा २. ६ प्रतिशत" जाति" के लिए मरना सब से अच्छा बताया । इससे स्पष्ट है कि देश के लिए प्राणोत्सर्ग करने की कामना सर्वोपरि है जो कि देश भक्ति का प्रमाण है ।" धन के लिए मरना सब से अच्छा होगा" ऐसा एक भी नागरिक ने नहीं बताया । क्या यह संकेत मिलता है कि नागरिकों का दृष्टिकोण १७. १ प्रतिशत ही पूर्ण भौतिकतावादी है ?

"देश" के लिए मरने को सब से अच्छा समझनेवाले नागरिक ६६. ४ प्रतिशत उच्च जाति में (किन्तु क्षत्रियों में ८० प्रतिशत) ५० प्रतिशत पिछड़ी जाति में, ५० प्रतिशत मुसलमानों में तथा ४० प्रतिशत अनुसूचित जाति में हैं जो सभी आयु वर्गों (२६ से ३५ वर्ष के सब से अधिक) सभी शैक्षिक स्तरों (निरक्षर वर्ग छोड़कर) एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।" धर्म" के लिए मरने को सब

से अच्छा समझनेवाले नागरिक ५० प्रतिशत मुसलमानों में १० प्रतिशत पिछड़ी जाति में, १० प्रतिशत अनुसूचित जाति में तथा ८. ८ प्रतिशत उच्च जाति में (वैश्य छोड़कर) है जो २६ वर्ष से ऊपर के आयु वर्गों, सभी शैक्षिक स्तरों (स्नातक से नीचे छोड़कर) तथा कृषक एवं मजदूर वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । " बच्चों " के लिए मरना सब से अच्छा समझनेवाले नागरिक २५ प्रतिशत पिछड़ी जाति में, १५ प्रतिशत उच्च जाति में (वैश्यों में सब से अधिक) तथा १० प्रतिशत अनुसूचित जाति में है जो सभी आयु वर्गों , निरक्षर से हाईस्कूल स्तर के शैक्षिक वर्गों (निरक्षरों में ६२. ५ प्रतिशत) कृषक मजदूर एवं व्यापारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । " प्रतिष्ठा " के लिए मरना सब से अच्छा समझनेवाले नागरिक ३० प्रतिशत अनुसूचित जाति में १५ प्रतिशत पिछड़ी जाति में तथा ५. ६ प्रतिशत उच्च जाति में (सभी वैश्य) है जो सभी आयु वर्गों (१६ से २० वर्ष छोड़कर) सभी शैक्षिक स्तरों (स्नातक से नीचे एवं ऊपर छोड़कर) एवं कृषक, मजदूर एवं व्यापारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । " जाति " के लिए मरनेवाले नागरिक १० प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा २. ८ प्रतिशत उच्च जाति (ब्राह्मण) में है जो २१ से २५ वर्ष के आयु वर्ग, स्नातक से नीचे एवं स्नातकोत्तर शैक्षिक स्तरों, एवं विद्यार्थी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

लोकसभा विधान सभा निर्वाचनों के मतदान में भाग ग्रहण करनेवाले एवं उसके प्रति उदासीन मतदाताओं को क्रमशः ६ (१) तथा ६ (२) के रेखा चित्रों में स्पष्ट किया गया है । अब तक संपन्न हुए निर्वाचनों में सब से अधिक मतदान १९६२ ई० में ५८. ३० प्रतिशत हुआ तथा सब से अधिक उदासीन मतदाता १९५७ ई० में ५३. ६७ प्रतिशत रहे हैं ।

विधान सभा चुनावों में मतदान प्रतिशत

रेखा चित्र ६ (१)

विधान सभा निर्वाचनों में मतदान के प्रति उदासीन मतदाताओं का प्रतिशत

पैमाना — १ रेखा = ०.५%

रेखा चित्र ६ (२)

सन्दर्भ-संकेत :-

१- ए० डब्ल्यू० ग्रीन ' सोशियोलाजी ' पृष्ठ १२७, उद्धृत उदयवीर सक्सेना समाजशास्त्र की परेखा, पृष्ठ ३१।

२- जान्सन, सोशियोलाजी, पृष्ठ ११०, पूर्वोक्त में उद्धृत ।

३- प्रो० रामपाल सिंह, समाजशास्त्र परिचय, १९६०, पृष्ठ ५८० ।

४- इस्को एण्ड एच० स्टीवेन्सन, पर्सनालिटी डिवलपमेण्ट इन चिल्ड्रेन (आस्टिन, टेक्स युनिवर्सिटी आफ टेक्सास प्रेस, पृष्ठ १२८, उद्धृत द्वारा डेविड इस्टन जैक डेनिस ' चिल्ड्रेन इन पोलिटिकल सिस्टम ', १९६९ , पृष्ठ १० ।

५- टी० पार्सन्स, दी सोशल सिस्टम, पूर्वोक्त में उद्धृत, पृष्ठ १४ ।

६- एस० एम० लिपसेट, पोलिटिकल मैन, १९७२, पृष्ठ २३ ।

७- जी० सारटोरी, सोशियोलाजी आफ पालिटिक्स एण्ड पोलिटिकल सोशियोलाजी संकलित , एस०एम० लिपसेट, पालिटिक्स एण्ड सोशल साइन्सेज, पृष्ठ ६९ ।

८- डेविड इस्टन, जैक डेनिस, चिल्ड्रेन इन पोलिटिकल सिस्टम, १९६९, पृष्ठ ७ ।

९- स्टीफेन एल० वास्वी, एण्ड वादर्श, पोलिटिकल साइन्स- दी डिसिप्लिन एण्ड इट्स डाइमेन्शन्स, ऐन इन्ट्रोडक्शन, १९७२, पृष्ठ ४६ ।

१०- जी०ए०आमण्ड, कम्प्रेटिव पालिटिक्स , १९७५, पृष्ठ ६४ ।

११- बेन्डर बेराल्ड, ' पोलिटिकल सोशलाइजेशन एण्ड पोलिटिकलचेन्ज वेस्टर्न पोलिटिकल क्वार्टर (१९६७) २० पृष्ठ ३९२- उद्धृत पब्लिक ओपीनियन एण्ड पोलिटिकल एटीच्यूड, पृष्ठ ४१९ ।

१२- एलेन आर विल्काक्स, पब्लिक ओपीनियन एण्ड पोलिटिकल एटीच्यूड , पृष्ठ ४१९ पर उद्धृत (सी०जे० राबर्ट, ' एज्यूम्स एबाउट दी लर्निंग आफ पोलिटिकल वेल्यूज , फोल्स अमेरिकन सोसैटी, पालिटिक्स एण्ड सोशल साइन्सेज, १९६५ पृष्ठ १ से लिया गया)।

१३- पूर्वोक्त पृष्ठ ४५३ ।

१४- श्री अब्दुल सत्तार टेठा ।

१५- श्री मुन्नीलाल छत्वाई प्रधान, वरौत ग्राम पंचायत से साक्षात्कार

१६- श्री शीतला प्रसाद , दुमदुमा ।

१७- श्री गालिब हुसैन अन्सारी, अजनां ।

१८- मु० सईद आलम, हंडिया ।

१९- श्री फूलचन्द्र पाण्डेय, प्रधान, ग्राम पंचायत असरौरा ।

२०- मु० सईद आलम, हंडिया ।

२१- श्री मक्खु यादव, कलनां , १९-१०-७५ ।

२२- श्री रत्नेश सिंह - गिर्द कोट , ३१-१०-७७ ।

२३- श्री रामप्रसाद वैनवंशी, सदरेपुर, १२-१०-७५ ।

२४- श्रीमती शकुन्तला देवी, पुरे मथुरादास ।

२५- श्री अब्दुल सत्तार , टेला , २३-१०-७७ ।

२६- मु० हासन , श्रीपुर, १९-७-७६ ।

२७- श्री शिवधारी सिंह, चौसानपुर, ८-३-७५ ।

२८- श्री तेज बहादुर सिंह , बाहिरी, १७-१०-७५ ।

२९- श्री प्रेमशंकर बढ़ौली १८-१०-७७ ।

३०- श्री तेज बहादुर सिंह बाहिरी ।

३१- श्री उमाशंकर तिवारी, जसवां ।

३२- श्री सोमनाथ , चौरवरा ।

३३- श्री रामनिठुर माली - जसवां ।

३४- श्री शेषमणि शुक्ल, सिववार, अध्यापक सी०रा०प० नेशनल इण्टर कालेज, हंडिया,इलाहाबाद ।

३५- शिवनन्दन, सरैया ।

३६- श्री मुहम्मद युसुफ, हैदाबाद — क- आंतरिक सुरक्षा अधिनियम

३७- श्री पुरुषोत्तमपति तिवारी, बिगहिया ।

३८- श्री रामलाल, जाधपुर ।

३६- श्री मु० वकरीदी अन्सारी , गोपालीपुर ।

४०- श्री अजीमुल्ला, अंसारी, रिठुआ ।

४१- श्री रामराज सिंह, गनेशीपुर ।

४२- श्री शोभनाथ (अनुसूचित जाति) घौरहरा ।

४३- श्री अब्दुल सत्तार अन्सारी , टैला ।

४४- श्री गाजीराम (अनुसूचित जाति) घौरहरा ।

४५- श्री देव नारायण सिंह , घौरहरा ।

४६- मु० सईद आलम, रौंडिया ।

अध्याय - ७

राजनीतिक संज्ञान (Political Cognition)

प्रस्तुत अध्याय में इंडिया विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों की राजनीतिक संस्थाओं, प्राधिकारियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित ज्ञान की अन्तर्ग्राह्यता का विवरण दिया गया है।

राजनीतिक जानकारी के लिए आप क्या पढ़ते हैं ? के प्रश्न उत्तरों में से नागरिकों ने ३६.५ प्रतिशत "कुछ नहीं" तथा ६०.५ प्रतिशत "समाचार पत्र, पत्रिकायें एवं पुस्तकें" पढ़ना बताया। "कुछ नहीं" पढ़नेवाले नागरिक ८० प्रतिशत अनुसूचित जाति में ४५ प्रतिशत पिछड़ी जाति में, ३० प्रतिशत मुसलमानों में तथा २७.८ प्रतिशत उच्च जाति में हैं जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर २६ वर्ष से ऊपर के) सभी शैक्षिक स्तरों (विशेषकर निरक्षर एवं साक्षर) तथा विद्यार्थी, कृषक (विशेषकर) मजदूर एवं व्यापारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। "समाचार पत्र, पत्रिकायें एवं पुस्तकें पढ़नेवाले सभी जातियों, आयुवर्गों, शैक्षिक स्तरों (निरक्षरों को छोड़कर) एवं व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक जानकारी के लिए अध्ययन करनेवालों में से ३१.६ प्रतिशत "एक" २७.१ प्रतिशत "दो" ५.२ प्रतिशत "तीन" तथा १.३ प्रतिशत "चार" समाचार पत्रों का अध्ययन करते हैं। "एक" समाचार पत्र पढ़नेवाले नागरिक सभी जातियों एवं आयु वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। "दो" समाचार पत्र पढ़नेवालों में एक भी मुसलमान नहीं मिला। तीन" समाचार पत्रों का अध्ययन करनेवालों में सभी उच्च जाति (वैश्य छोड़कर) के ११.१ प्रतिशत नागरिक हैं, जो प्राथमिक स्नातक से नीचे तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर शैक्षिक स्तरों के विद्यार्थी कृषक एवं अध्यापक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। "आज" "भारत" "देशदूत" "दैनिक जागरण" ; नवभारत टाइम्स", "मादर्न इंडिया पत्रिका" २०वीं सदी का पैगाम" , "दिनमान" "पान्चजन्य" "ब्लिट्ज" "रेडियन्स वीकली" तथा" राष्ट्रधर्म" समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के नाम लिए गये। पत्रिकाओं का अध्ययन करनेवाले नागरिक २२.३ प्रतिशत उच्च (विशेषकर ब्राह्मण) १० प्रतिशत अनुसूचित , १० प्रतिशत मुसलमान

तथा ५ प्रतिशत पिछड़ी जातियों में है जो विद्यार्थी, अध्यापक, कृषक एवं व्यापारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजनीतिक जानकारी के लिए सब से अधिक उच्च जाति के नागरिक प्रयास करते हैं । राजनीतिक दलों की सदस्यता ग्रहण करनेवालों में से ८४.५ प्रतिशत सदस्य समाचार पत्र, पत्रिकायें एवं पुस्तकों का अध्ययन करते हैं जिससे स्पष्ट है कि सदस्यता ग्रहण करने से राजनीतिक अभिरुचि जागृत होती है ।

क्या आपके परिवार में रेडियो या ट्रांजिस्टर है ? के उत्तर में नागरिकों ने ५२.६ प्रतिशत "नहीं" तथा ४७.४ प्रतिशत हाँ कहा । रेडियो अथवा ट्रांजिस्टर रखने वाले नागरिक ५८.४ प्रतिशत उच्च, ५० प्रतिशत मुसलमान, ४० प्रतिशत पिछड़ी तथा २० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में हैं जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । १४.५ प्रतिशत नागरिक जिनके पास रेडियो या ट्रांजिस्टर तो है किन्तु समाचार पत्र आदि नहीं पढ़ते हैं । ये नागरिक २० प्रतिशत अनुसूचित १६.५ प्रतिशत उच्च, १० प्रतिशत पिछड़ी तथा १० प्रतिशत मुसलमान, जातियों में हैं जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों (स्नातक से नीचे एवं ऊपर नहीं) एवं कृषकों मजदूरों तथा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं । ३२.६ प्रतिशत नागरिक रेडियो या ट्रांजिस्टर रखते हुए भी समाचार पत्र एवं पत्रिकायें पढ़ते हैं । ये नागरिक ४१.७ प्रतिशत उच्च, ४० प्रतिशत मुसलमान तथा ३० प्रतिशत पिछड़ी जातियों में हैं जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों (निरक्षरों को छोड़कर विशेषकर हाई स्कूल के ऊपर) एवं विद्यार्थियों, कृषकों, अध्यापकों, नौकरों तथा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं । २५ प्रतिशत नागरिकों के पास न तो रेडियो या ट्रांजिस्टर है न वे समाचार पत्र आदि ही पढ़ते हैं । ये नागरिक ६० प्रतिशत अनुसूचित, ३५ प्रतिशत पिछड़ी, २० प्रतिशत मुसलमान तथा ११.१ प्रतिशत उच्च जातियों में हैं जिनमें से ६८.५ प्रतिशत की आयु ३८-से ७० वर्ष के मध्य है । इन नागरिकों में ५८ प्रतिशत निरक्षर एवं साक्षर ३७ प्रतिशत प्राथमिक एवं हाईस्कूल तथा ५ प्रतिशत स्नातक, शैक्षिक स्तरों के कृषक, मजदूर, व्यापारी तथा विद्यार्थी हैं । राजनीतिक दलों के सदस्यों में से ९२ प्रतिशत के पास रेडियो या ट्रांजिस्टर है । इस विवरण से स्पष्ट है कि रेडियो या ट्रांजिस्टर जैसे द्रुतगामी संदेश वाहकों का

उपयोग सब से अधिक उच्च जाति एवं सब से कम अनुसूचित जाति के नागरिक करते हैं। क्या इसके अभाव का प्रमुख कारण आर्थिक विपन्नता, राजनीतिक शिक्षा का अभाव एवं संचार के साधनों की कमी है ? शैक्षिक योग्यता के अभाव में भी राजनीतिक जानकारी प्रदान करनेवाले रेडियो या ट्रांजिस्टर के माध्यमों का उपयोग इंडिया किसान क्या गाँव के आधे से भी कम परिवारों में हो रहा है जो कि राजनीतिक समाजीकरण में अभावों का संकेत देता है।

आपके परिवार के कितने सदस्य समाचार पत्र पढ़ते हैं या समाचार सुनते हैं ? के प्राप्त उत्तरों से कुछ तथ्य प्रकाशित होते हैं। परिवार के सदस्यों का २७ प्रतिशत उच्च १६ प्रतिशत पिछड़ी १५ प्रतिशत मुसलमान तथा ६ प्रतिशत अनुसूचित जातियों में समाचार पत्र पढ़ते हैं या समाचार सुनते हैं। परिवार में मतदाता ६२ प्रतिशत उच्च ; ५० प्रतिशत पिछड़ी ; ३३ प्रतिशत मुसलमान तथा २० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में, समाचार सुनते हैं या समाचार पत्र पढ़ते हैं। समाचार पत्र पढ़नेवाले या सुननेवाले सभी पुरुष सदस्य या मतदाता हैं क्योंकि स्त्री शिक्षा के नितान्त अभाव से तथा हिन्दू समाज की व्यवस्थाओं से नारियों में राजनीतिक उत्सुकता न्यूनतम स्तर पर है। आश्चर्य तब हुआ जब पुरुष नागरिकों ने कहा सुनते हैं पर समझते नहीं"[१]। समाचार को सुनकर भी न समझनेवाले नागरिक निरक्षर या साक्षर की शैक्षिक योग्यता रखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक अभिरुचि उत्पन्न होने के लिए शैक्षिक योग्यता आवश्यक है। अनुसूचित जाति के नागरिकों में समाचार पत्र पढ़ने एवं सुननेवालों की संख्या सब से कम है।

किस समय समाचार पत्र पढ़ने या सुनने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है ? के उत्तर में नागरिकों ने ७२. ४ प्रतिशत" युद्ध" ५५. २ प्रतिशत" चुनाव" १०. ५ प्रतिशत" खेल" ६. ५ प्रतिशत राजनीतिक परिवर्तन", ६. ५ प्रतिशत " संकट" ६. ५ प्रतिशत" समाचार के समय", ५. २ प्रतिशत" बाढ़" २. ६ प्रतिशत दुर्घटना २. ६ प्रतिशत" विवाद" १. ३ प्रतिशत दंगा, व १. ३ प्रतिशत" सूखा " १. ३ प्रतिशत अधिवेशन १. ३ प्रतिशत आन्दोलन" १. ३ प्रतिशत " बाजार भाव" तथा १. ३ प्रतिशत खाली समय" के समय में समाचार सुनने या पढ़ने की प्रबल इच्छा व्यक्त की।[२] इन

उत्तरों से स्पष्ट है कि जिस समय असामान्य स्थिति उत्पन्न होती है उस समय समाचार के प्रति उत्सुकता जागृत हो जाती है । युद्ध, चुनाव एवं आकस्मिक घटनायें राजनीतिक समाजीकरण में पर्याप्त सहायक है क्योंकि नागरिकों का ध्यान ऐसी परिस्थितियों में विशेष एकाग्र हो जाता है और राष्ट्रीयता का भाव प्रबल होता है । आकाशवाणी से प्रसारित समाचारों के समय पर सुनने की प्रबल इच्छा करनेवाले नागरिक बहुत कम हैं । अवकाश के क्षणों में प्रबल इच्छा का उत्पन्न होना इस तथ्य को प्रकट करता है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में नागरिक व्यस्त हैं उसे देश के विषय में जानकारी करने का समय नहीं है । क्या वर्तमान काल में जीवन निर्वाह कठिन होता जा रहा है ?

' चुनाव और राजनीतिक सूचना के लिए आप किस पर अधिक विश्वास करते हैं ? के प्रश्न उत्तरों में नागरिकों ने ३८. ३ प्रतिशत' रेडियो' २७. ६ प्रतिशत समाचार पत्र' १४. ५ प्रतिशत राजनीतिक सभा' ७. ६ प्रतिशत ' पत्रिका' तथा १. ३ प्रतिशत सब पर अधिक विश्वास प्रकट किया किन्तु ६. ५ प्रतिशत किसी पर नहीं विश्वास करते हैं । और शेष ३. ६ प्रतिशत अनुत्तर रहे । रेडियो पर अधिक विश्वास प्रकट करनेवाले नागरिक ३६. २ प्रतिशत उच्च ५० प्रतिशत पिछड़ी , ३० प्रतिशत मुसलमान एवं ३० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में हैं जिसमें से १३. ५ प्रतिशत ने कहा कि आपातकाल में विश्वास नहीं । इससे स्पष्ट है कि नागरिकों ने आपातकाल में रेडियोपर से विश्वास खो दिया था । रेडियो पर विश्वास करनेवाले नागरिक सभी आयुवर्गों ,शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । समाचार पत्रों पर अधिक विश्वास करनेवाले नागरिक ४० प्रतिशत अनुसूचित, ३६. २ प्रतिशत उच्च, १५ प्रतिशत पिछड़ी तथा १० प्रतिशत मुसलमान जातियों में है जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक सभा पर अधिक विश्वास प्रकट करनेवाले नागरिक २५ प्रतिशत पिछड़ी ,२० प्रतिशत मुसलमान तथा ११ प्रतिशत उच्च जातियों में है । इससे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के नागरिक राजनीतिक सभा पर' अधिक विश्वास' बिल्कुल नहीं करते हैं जिसका एक कारण यह भी है कि ४० प्रतिशत नागरिकों ने कभी भाषण सुना ही नहीं है । राजनीतिक सभा पर अधिक विश्वास करनेवाले नागरिक सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों (निरक्षर

एवं साक्षर छोड़कर) व्यवसाय वर्गों (अध्यापन छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं। पत्रिका पर अधिक विश्वास करनेवाले नागरिक १३.८ प्रतिशत उच्च तथा १० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में हैं जिनमें पचास प्रतिशत राजनीतिक दलों के सदस्य हैं जो हाई स्कूल या इससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता रखते हैं और विद्यार्थी कृषक एवं व्यापारी हैं। किसी पर भी अधिक विश्वास न करनेवाले नागरिक ४० प्रतिशत मुसलमान तथा २.८ प्रतिशत उच्च जातियों में हैं। इससे स्पष्ट है कि चालीस प्रतिशत मुसलमान भारतीय रेडियो, समाचार पत्र, सभा एवं पत्रिकाओं पर विश्वास नहीं करते हैं। क्या यह राजनीतिक अविश्वास सरकार एवं राजनीतिक दलों के लिए गंभीर चुनौती है ? सब पर विश्वास करनेवाले पिछड़ी जाति के साक्षर कृषक हैं। अनुत्तर रहनेवाले नागरिक २० प्रतिशत अनुसूचित तथा ५ प्रतिशत पिछड़ी जाति में हैं जो मजदूरी करते हैं। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक सूचना प्रदान करनेवाले किसी भी साधन पर नागरिकों का पूर्णरूपेण विश्वास नहीं है और राजनीतिक सभा का तीसरा स्थान है।

भारत के कौन कौन प्रमुख राजनीतिक दल हैं ? के उत्तर में नागरिकों ने शत प्रतिशत " कांग्रेस ", ७६.३ प्रतिशत , जनसंघ ५५.२ प्रतिशत , भारतीय लोकदल " ५३.६ प्रतिशत, सोशलिस्ट " ३२.८ प्रतिशत , कम्युनिस्ट २१.१ प्रतिशत जनता पार्टी, १०.५ प्रतिशत संगठन कांग्रेस , ५.२ प्रतिशत हिन्दू महासभा " ३.६ प्रतिशत " रामराज्य परिषद् " ३.६ प्रतिशत मुस्लिम लीग , १.३ प्रतिशत मुत्तहिदा मुस्लिम मजलिस तथा १.३ प्रतिशत द्रविड मुन्नेत्र कड़गम " आदि राजनीतिक दलों के नाम लिए। इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक[2] दलों में कांग्रेस की जानकारी सभी नागरिकों को है, जनसंघ के वैधानिक अस्तित्व के समय में ९७.४ प्रतिशत नागरिकों ने इसका नाम लिया और भारतीय लोकदल के वैधानिक अस्तित्व के समय में ७६.३ प्रतिशत नागरिकों ने इसका नाम लिया। जनसंघ को न जाननेवाले नागरिक १.३ प्रतिशत वैश्य तथा १.३ प्रतिशत पिछड़ी जाति के हैं। भारतीय लोकदल का नाम न बतानेवाले नागरिक ५० प्रतिशत अनुसूचित २५ प्रतिशत उच्च , १५ प्रतिशत पिछड़ी तथा १० प्रतिशत मुसलमान जातियों में हैं जिससे स्पष्ट होता है

कि अनुसूचित तथा उच्च जाति में भारतीय लोकदल की पहुंच प्रचार एवं प्रभाव बहुत कम है । कांग्रेस के नाम की इस प्रतिशत नागरिकों की जानकारी के प्रमुख कारण उसका अतीत, शासन, प्रचार, प्रभाव एवं पहुंच है । मुस्लिम लीग एवं मुस्लिम मजलिस का नाम बतानेवाले सभी नागरिक मुसलमान ही हैं क्योंकि एक भी हिन्दू नागरिक ने इन दोनों राजनीतिक दलों का नाम नहीं लिया ।

इंडिया विधान सभा क्षेत्र से किस दल का प्रत्याशी पिछले विधान सभा चुनाव में विजयी हुआ ? के उत्तर में ७३.७ प्रतिशत नागरिकों ने शुद्ध तथा १८.४ प्रतिशत ने अशुद्ध दल का नाम बताया शेष ७.९ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । विजयी प्रत्याशी (विधायक) के दल का शुद्ध नाम बतानेवाले नागरिक ६० प्रतिशत मुसलमान ८०.४ प्रतिशत उच्च, ७० प्रतिशत पिछड़ी तथा ४० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । विधायक के अशुद्ध दल का नाम बतानेवाले नागरिक ३० प्रतिशत अनुसूचित २० प्रतिशत पिछड़ी तथा ११.६ प्रतिशत उच्च जातियों में (विशेषकर क्षत्रिय) हैं जो सभी आयु वर्गों (६४ प्रतिशत चालीस वर्ष से ऊपर) शैक्षिक स्तरों (५७ प्रतिशत निरक्षर एवं साक्षर) एवं व्यवसाय वर्गों (विद्यार्थी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ३० प्रतिशत अनुसूचित १० प्रतिशत पिछड़ी तथा १० प्रतिशत मुसलमान जातियों में है जो १६ से ४५ वर्ष के आयु वर्गों, ६६.६ प्रतिशत निरक्षर एवं साक्षर शेष अन्य शैक्षिक स्तरों तथा विद्यार्थी कृषक, मजदूर एवं अन्य व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के ८०.८ प्रतिशत सदस्यों ने अपने क्षेत्र के विधायक के दल का नाम शुद्ध बताया जो राजनीतिक समाजीकरण का परिणाम है ।

विधान सभा के पिछले चुनाव में द्वितीय स्थान किस दल के प्रत्याशी का रहा ? का उत्तर ७५ प्रतिशत नागरिकों ने शुद्ध तथा ७.९ प्रतिशत ने अशुद्ध दिया और १७.१ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । शुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ८०.४ प्रतिशत उच्च, ८० प्रतिशत मुसलमान, ७० प्रतिशत पिछड़ी तथा ६० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों एवं

व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ,२० प्रतिशत अनुसूचित १० प्रतिशत पिछड़ी तथा ५.६ प्रतिशत उच्च जातियों में है जो तेईस से चौवन वर्ष (छब्बीस से पैंतीस वर्ष छोड़कर) के आयु वर्गों, निरक्षर, साक्षर प्राथमिक एवं हाई स्कूल शैक्षिक स्तरों तथा कृषि, मजदूरी एवं नौकरी के व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक २० प्रतिशत पिछड़ी २० प्रतिशत अनुसूचित तथा १४ प्रतिशत उच्च जातियों में है जो सभी आयुवर्गों शैक्षिक स्तरों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर छोड़क र) तथा विद्यार्थी ,कृषक, मजदूर एवं व्यापारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के ८४.६ प्रतिशत सदस्यों ने निर्वाचन में द्वितीय स्थान प्राप्त करनेवाले प्रत्याशी के दल का शुद्ध नाम बताया ।

विधान सभा के पिछले चुनाव में तृतीय स्थान किस दल के प्रत्याशी का रहा ? का उत्तर ६०.६ प्रतिशत नागरिकों ने शुद्ध तथा ५.२ प्रतिशत ने अशुद्ध दिया और ३४.२ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । शुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ७० प्रतिशत मुसलमान , ६६.५ प्रतिशत उच्च (विशेषकर ब्राह्मण) ६० प्रतिशत पिछड़ी तथा २० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय-वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक २० प्रतिशत अनुसूचित तथा १० प्रतिशत पिछड़ी जाति में है जो बाईस से पचीस एवं पैंतालिस से पचपन वर्ष के आयु वर्गों, निरक्षर , साक्षर। प्राथमिक एवं स्नातक शैक्षिक स्तरों तथा विद्यार्थी, मजदूर, कृषक एवं अन्य व्यावसायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ६० प्रतिशत अनुसूचित , ३०.५ प्रतिशत उच्च, ३० प्रतिशत पिछड़ी तथा ३० प्रतिशत मुसलमान जातियों में है जो सभी आयुवर्गों (विशेषकर छत्तीस वर्ष से ऊपर) शैक्षिक स्तरों (स्नातक एवं उसके ऊपर को छोड़कर) तथा व्यवसाय वर्गों (अध्यापन एवं नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के ७३ प्रतिशत सदस्यों ने निर्वाचन में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्याशी के दल का नाम शुद्ध बताया ।

उपरोक्त तीनों प्रश्नों के उत्तरों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिकों में प्रथम स्थान उच्च जाति, द्वितीय मुसलमान ,तृतीय

पिछड़ी जाति तथा चतुर्थ अनुसूचित जाति का है। राजनीतिक दलों के ७६. ५ प्रतिशत सदस्यों ने शुद्ध उत्तर दिया है जिसका प्रतिशत सभी जातियों से भी सर्वोपरि है। इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों के सदस्यों में राजनीतिक जागरूकता अधिक होती है।

"प्रत्येक राजनीतिक दल के एक एक महान जीवित नेता का नाम बताइये" के उत्तर में नागरिकों ने ६२. १ प्रतिशत कांग्रेस, ५१. ३ प्रतिशत भारतीय लोकदल ५० प्रतिशत जनसंघ, ६. २ प्रतिशत संगठन कांग्रेस, २२. ४ प्रतिशत जनता पार्टी, ६. २ प्रतिशत सोशलिस्ट, ५. २ प्रतिशत कम्युनिस्ट तथा २. ६ प्रतिशत मुस्लिम लीग के नेताओं के नाम बतायें। कांग्रेस के नेताओं में ७७ प्रतिशत श्रीमती इंदिरा गांधी तथा २३ प्रतिशत श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री जगजीवन राम, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री देवकान्त बरुआ, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी, श्री बंसीलाल, श्री शालिग्राम जायसवाल एवं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम लिए गये। भारतीय लोकदल के नेताओं में ८४ प्रतिशत चौधरी चरण सिंह तथा १६ प्रतिशत श्री राज नारायण सिंह एवं श्री जनेश्वर मिश्र के नाम बताये गये। जनसंघ के नेताओं में ८४ प्रतिशत श्री अटल बिहारी बाजपेयी तथा १६ प्रतिशत नानाजी देशमुख एवं डाक्टर मुरली मनोहर जोशी के नाम बताये। संगठन कांग्रेस के नेताओं में श्री मोरारजी देसाई, श्री श्यामनन्दन मिश्र एवं श्री श्यामधर मिश्र के नाम बताये गये। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं में श्री अमृत पाद डांगे, श्री भूपेश गुप्त, श्री ई०एम०एस० नम्बूदरीपाद एवं श्री ज्योति बसु के नाम बताये गये। सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं में जार्ज फर्नांडीज़ का नाम बताया गया। जनता पार्टी के नेताओं में श्री जयप्रकाश नारायण, श्री मोरारजी देसाई, श्री अटल बिहारी बाजपेयी, चौधरी चरणसिंह, श्री आचार्य जे० बी० कृपलानी एवं श्री चन्द्रशेखर के नाम लिये गये। अन्य दलों के श्री रामचन्द्रन, द्र० मु० क०, श्री इस्माइल - मुस्लिम लीग तथा श्री जुल्फिकार उल्ला - मुस्लिम मजलिस नेताओं के नाम बताये गये।

राजनीतिक दलों के जीवित नेताओं का नाम ६४. ८ प्रतिशत नागरिकों ने बताया शेष ५. २ प्रतिशत अनुत्तर रहे। कांग्रेस के नेताओं का

नाम सभी जातियों, आयु वर्गों , शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों के नागरिकों ने बताया । जनसंघ के नेताओं का नाम ४० प्रतिशत अनुसूचित ३० प्रतिशत पिछड़ी, ३० प्रतिशत मुसलमानों एवं ११. १ प्रतिशत उच्च (ब्राह्मण नहीं) जातियों के नागरिकों ने नहीं बताया । भारतीय लोकदल के नेताओं का नाम ५० प्रतिशत अनुसूचित , २० प्रतिशत मुसलमान , २० प्रतिशत पिछड़ी तथा १६. ६ प्रतिशत उच्च, जातियों के नागरिकों ने नहीं बताया । इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों के नेताओं के नामों का ज्ञान सब से अधिक उच्च जाति एवं सब से कम अनुसूचित जाति के नागरिकों को है । राजनीतिक दलों के ६६. २ प्रतिशत सदस्यों ने अपने दलों के जीवित महान नेताओं के नाम बताये ।

प्रत्येक राजनीतिक दल कौन सा प्रमुख कार्य करते हैं ? के उत्तर में नागरिकों ने ३८. १ प्रतिशत 'चुनाव लड़ना' ३२. ८ प्रतिशत सत्ता-ग्रहण, २१. १ प्रतिशत 'जन समस्या समाधान' १५. ८ प्रतिशत मतदाता-आकर्षण , ११. ८ प्रतिशत आलोचना' १. ३ प्रतिशत 'नीति नियोजन' १. ३ प्रतिशत ' स्वार्थ सिद्धि ' १. ३ प्रतिशत धनोपार्जन' १. ३ प्रतिशत नेता गिरी, १. ३ प्रतिशत सिद्धान्त प्रचार तथा १. ३ प्रतिशत जन-चेतना-वृद्धि' के कार्यों को बताया । इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक दल के द्वारा संपादित होनेवाले प्रमुख कार्य चुनाव लड़ना, सत्ता ग्रहण (राजनीतिक निर्णय प्रभावन), जन समस्या, समाधान तथा नीति नियोजन (हित संघ योजन एवं समूहन) तथा सिद्धान्त प्रचार एवं जन चेतना वृद्धि (राजनीतिक समाजीकरण) है जिसका अनुभव सभी जातियों आयु वर्गों , शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसायों के नागरिक करते हैं ।

राजनीतिक दलों से और क्या आशायें करनी चाहिए ? के उत्तर में नागरिकों ने १४. ५ प्रतिशत 'जनता की सेवा' १३. २ प्रतिशत मांगों की पूर्ति' ११. ६ प्रतिशत देश की प्रगति ६. ३ प्रतिशत समाज सुधार' ६. ६ प्रतिशत अपने वायदों (वचनों) की पूर्ति, ३. ६ प्रतिशत 'गरीबी निवारण' ३. ६ प्रतिशत चुनाव पश्चात भी जनसंपर्क , २. ६ प्रतिशत भ्रष्टाचार निवारण' तथा १. ३ प्रतिशत संस्कृति रक्षा' की आशायें व्यक्त किये तथा ३२. ८ प्रतिशत नागरिकों ने अपनी

आशाओं का विवरण नहीं किया । इन तथ्यों से स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों से जनता की अपेक्षा में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी की जा रही हैं जो कि इनकी सफलताओं एवं उपयोगिताओं का धनात्मक मूल्यांकन का परिचय है । अपने वायदों की पूर्ति एवं चुनाव के पश्चात भी जन संपर्क की अपेक्षायें राजनीतिक दलों में उत्पन्न दोषों का संकेत देती है । `भ्रष्टाचार निवारण` की आशा की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों को व्यापक स्तर पर अभियान चलाना चाहिए और उसके लिए सभी राजनीतिक दलों को दायित्व प्रदान करना चाहिए । आशा के प्रति अस्पष्ट रखनेवाले नागरिक ६० प्रतिशत अनुसूचित ३५ प्रतिशत पिछड़ी, २८ प्रतिशत उच्च तथा २० प्रतिशत मुसलमान, जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर २५ वर्ष के नीचे) शैक्षिक स्तरों तथा व्यवसायों वर्गों का (अध्यापन छोड़कर) प्रतिनिधित्व करते हैं । आश्चर्य यह है कि ६.३ प्रतिशत नागरिकों ने कहा कोई आशा नहीं । इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों को नागरिकों की अपेक्षाओं को पूर्ण करनेवाली को अपनी क्षमता में विकास करना चाहिए ।

राजनीतिक दल चुनावों में धन किन किन रूपों में व्यय करते हैं ? के उत्तर में नागरिकों ने ८२.२ प्रतिशत प्रचार साधन एवं सामग्री, ५२.६ प्रतिशत कार्यकर्ता ५२.६ प्रतिशत `उत्कोच` तथा ६.५ प्रतिशत दान एवं अन्य` रूपों में व्यय के स्रोतों को बताया । प्रचार साधन एवं सामग्री` पर होनेवाले व्यय का अनुभव ८२.२ प्रतिशत नागरिकों ने किया जो सभी जातियों, आयुवर्गों शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय-वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।` कार्यकर्ताओं पर किये जानेवाले व्यय का अनुभव ५२.६ प्रतिशत नागरिक करते हैं । जो ६६.६ प्रतिशत उच्च, ६० प्रतिशत अनुसूचित, ४० प्रतिशत मुसलमान तथा ४० प्रतिशत पिछड़ी जातियों में है और सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय-वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।` उत्कोच` के रूप में किये जानेवाले व्यय की जानकारी ६१.२ प्रतिशत उच्च, ५० प्रतिशत पिछड़ी, ५० प्रतिशत अनुसूचित तथा २० प्रतिशत मुसलमान, जातियों के नागरिकों को है ।` श्री केशवदेव मालवीय के फूलपुर संसदीय उप निर्वाचन १९६४,

में कार्यकर्ताओं पर अधिक धन व्यय किया गया, अधिकतर पिछड़ी या हरिजन जातियों के चौधरी लोगों को धन दिया गया ; श्री रामअवतार पाण्डेय, एम०एल०ए० के चुनाव १९७४ में ५६ हजार रुपये व्यय हुए जिनमें मुख्य अंग थे मतदाता ग्राम प्रधान थे जिन्हें रुपये देने का सन्देह है[4] ज्ञातव्य है कि उपरोक्त दोनों प्रत्याशी कांग्रेस के रहे हैं। दबाव डालनेवालों एवं दलालों को नकद धन दिये जाने की जानकारी भी नागरिकों को है।[5] कम्बल, कपड़े, साइकिल एवं अनाज के रूपों में उत्कोच दिये जाने का नागरिकों ने विवरण दिए जो कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के प्रत्याशियों द्वारा दिया जाना ही पुष्ट हुआ।[6] रुपये देकर अपने हित में प्रत्याशी खड़ा करना एवं बैठाना[7] भी उत्कोच की श्रेणी में सम्मिलित है। ९० रुपये रुपये का एक घण्टा श्री नरवदा प्रसाद मिश्र (जनसंघ प्रत्याशी) ने विधान सभा निर्वाचन १९६७ ई० में माधव उच्चतर विद्यालय सरस्वती आश्रम कमोला को दान दिया ; २० रु० स्वर्गीय राजाराम पाण्डेय (कांग्रेस प्रत्याशी) ने विधान सभा निर्वाचन १९७४ ई० में, कैलाश शिक्षा सदन, हैदराबाद को कुर्सी के लिए दान किया।[8] यह भी व्यय का रूप बताया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दल यथाशक्ति निर्वाचन में जय-सिद्धि के लिए धन को पानी की तरह बहाते हैं। यदि यही धन चुनावों के मध्यान्तर काल में व्यय किया जाय तो नागरिकों का प्रशिक्षण अधिक एवं स्थायी हो सकता है और राजनीतिक समाजीकरण में वेग-वृद्धि हो सकती है।

कांग्रेस चुनाव किन कारणों से जीत जाती है[9] के प्राप्त उत्तरों की तालिका प्रस्तुत है :-

विजय के कारण		नागरिकों की दृष्टि में प्रतिशत			
क्र०सं०	नाम	उच्च जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति	मुसलमान
१	हरिजनों एवं मुसलमानों का समर्थन	४१.६	५०	६०	४०
२	पैसा	३८.६	४०	४०	४०
३	उत्कोच	३६.१	३५	१०	२०
४	अनेक विरोधी दल	५०.००	१५	-	२०
५	अधिक धन-व्यय	२५.००	१५	१०	६०
६	प्रलोभन	१४.००	३०	-	-
७	बतीच	१४.००	१५	१०	१०
८	निर्धन सहाय्य	८.४	१५	२०	१०
९	समाजवादी नारा	११.१	५	-	-
१०	आतंक	५.६	१०	-	-
११	विरोधी दल सरकार बनाने में असमर्थ	५.६	-	-	-
१२	चमत्कार	२.८	-	-	-

उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं :-

(१) उच्च जाति के नागरिकों की दृष्टि में चुनावों में कांग्रेस की विजय के प्रथम पांच कारणों का क्रम अनेक विरोधी दल, हरिजनों एवं मुसलमानों का समर्थन, सत्ता , उत्कोच एवं अधिक धन व्यय है ।

(२) पिछड़ी जाति के नागरिकों की दृष्टि में चुनावों में कांग्रेस की विजय के प्रथम पांच कारणों का क्रम हरिजनों एवं मुसलमानों का समर्थन, सत्ता, उत्कोच, प्रलोभन और (सभी समान महत्व के) अनेक विरोधी दल, अधिक धन व्यय, अतीत एवं निर्धन-साधाख्य है ।

(३) अनुसूचित जाति के नागरिकों की दृष्टि में चुनावों में कांग्रेस की विजय के कारणों में प्रथम हरिजनों एवं मुसलमानों का समर्थन, द्वितीय, सत्ता, तृतीय निर्धन साधाख्य एवं चतुर्थ उत्कोच, अधिक धन -व्यय और अतीत को स्थान प्राप्त है ।

(४) मुसलमान नागरिकों की दृष्टि में चुनावों में कांग्रेस की विजय के कारणों में प्रथम अधिक धन-व्यय, द्वितीय- हरिजनों एवं मुसलमानों का समर्थन और सत्ता ; तृतीय - उत्कोच और अनेक विरोधी दल एवं चतुर्थ - अतीत तथा निर्धन साधाख्य , को स्थान प्राप्त है ।

कांग्रेसी सत्ता के द्वारा किये गये उत्पीड़न, अत्याचार, दमन और क्रूरता ने तथा विरोधी दलों की गत असफलताओं ने एकीकरण अथवा ध्रुवीकरण के लिए प्रमुख विरोधी दलों को बाध्य किया जिसके परिणाम स्वरूप " जनता पार्टी" का अभ्युदय हुआ और कांग्रेस की सत्ता केन्द्र एवं अनेक राज्यों में समाप्त हो गई , इससे सिद्ध हो जाता है कि अनेक विरोधी दलों के कारण ही कांग्रेस चुनावों में विजय प्राप्त करती रही । हरिजनों एवं मुसलमानों ने संसदीय चुनाव मार्च ७७ में कांग्रेस को अपना समर्थन बहुत कम दिया जिससे परिणामस्वरूप कांग्रेस की पराजय हुई इससे भी सिद्ध हो जाता है कि इन जातियों के समर्थन से कांग्रेस को विजय मिलती रही । इन दोनों वास्तविकताओं ने यह प्रमाणित

कर दिया कि उच्च जाति के नागरिकों का कांग्रेस की विजय के कारणों का मूल्यांकन शुद्ध रहा ।

" चुनावों के कारण जनता में क्या पड़ा है ? के प्रश्न उत्तरों में नागरिकों ने ८४.२ प्रतिशत " संघर्ष " तथा १५.८ प्रतिशत " सहयोग " की वृद्धि बताया । इससे स्पष्ट है कि चुनावों से " संघर्ष " में वृद्धि हुई है जिसका अनुभव शत प्रतिशत अनुसूचित ८५ प्रतिशत पिछड़ी, ८१.४ प्रतिशत उच्च (क्षत्रिय ६० प्रतिशत) तथा ८० प्रतिशत मुसलमान जातियों के नागरिक करते हैं जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों तथा व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । चुनावों से " सहयोग " में वृद्धि का अनुभव अनुसूचित जाति के नागरिक बिल्कुल नहीं करते जो यह प्रमाणित करता है कि चुनावों के दुष्परिणामों का प्रभाव सब से अधिक इसी जाति पर पड़ा है । " सहयोग " में वृद्धि का अनुभव करनेवाले उच्च, पिछड़ी एवं मुसलमान जातियों के नागरिक हैं जो सभी आयु वर्गों (३६ से ४५ वर्ष को छोड़कर) शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों (मजदूरी एवं नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

पिछले विधान सभा चुनाव में आपके मतदान से कौन लोग बहुत अप्रसन्न हुए के उत्तरों से स्पष्ट हुआ कि ६४ प्रतिशत मतदाताओं को किसी की भी अप्रसन्नता का अनुभव नहीं हुआ जो सभी जातियों , वयस्क मतदाताओं के आयुवर्गों, शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । ३६ प्रतिशत मतदाताओं ने दूसरों की अप्रसन्नता का अनुभव किया । कांग्रेस के सहयोगियों से अप्रसन्नता का अनुभव १६.२ प्रतिशत भारतीय लोकदल के ३.२ प्रतिशत तथा जनसंघ के १.६ प्रतिशत मतदाताओं को हुआ । कांग्रेस के सहयोगियों की अप्रसन्नता का अनुभव करनेवाले मतदाता ३३.३ प्रतिशत उच्च जाति में तथा ११.८ प्रतिशत पिछड़ी जाति में है । इससे यह स्पष्ट होता है कि पिछले विधान सभा चुनाव १९७४ ई० में उच्च जातियों के मतदाताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी स्वर्गीय श्री राजाराम पाण्डेय को समर्थन बहुत कम दिया जो कि उनकी पराजय का प्रमुख कारण बना और उच्च जाति

के मतों के बिखरने से श्री अठईराम यादव विजयी हुए जिसने अप्रसन्नता का सृजन किया । भारतीय लोकदल के सहयोगियों की अप्रसन्नता का अनुभव करनेवाले ११.८ प्रतिशत मतदाता हैं जो कि सभी पिछड़ी जाति के हैं । इससे स्पष्ट होता है कि ११.८ प्रतिशत पिछड़ी जाति के मतदाताओं ने भारतीय लोकदल के प्रत्याशी के विपक्ष में मतदान किया अर्थात् ८८.२ प्रतिशत पिछड़ी जाति के मतदाताओं ने स्वजातीय प्रत्याशियों को मतदान किया । जनसंघ के सहयोगियों की अप्रसन्नता का अनुभव मुसलमान मतदाता ने किया । उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पराजित दल एवं विजयी दल दोनों के सहयोगी चुनावों के पश्चात मतदाताओं से अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं जो कि राजनीतिक असहिष्णुता का परिचायक है । राजनीतिक दलों के ६१.५ प्रतिशत सदस्यों ने अपने मतदान से लोगों की अप्रसन्नता का अनुभव किया जो कि उनकी राजनीतिक सक्रियता, जागरूकता एवं प्रेरकता का परिचायक है ।

"विधान सभा या लोक सभा के चुनाव आपकी जानकारी में क्या निष्पक्ष होते हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? के उत्तर में नागरिकों ने २८.६ प्रतिशत 'हाँ' तथा ६४.६ प्रतिशत 'नहीं' कहा और ६.५ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । इससे स्पष्ट है कि अधिकांश नागरिकों का निर्वाचनों की निष्पक्षता पर विश्वास नहीं है जो कि निर्वाचन आयोग के लिए अपमानजनक संकेत है । चुनावों में निष्पक्षता का विश्वास करनेवाले नागरिक ४० प्रतिशत मुसलमान, ३०.८ प्रतिशत उच्च २५ प्रतिशत पिछड़ी तथा २० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों (नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । चुनावों में पक्षपात पर विश्वास करनेवाले नागरिक ६६.२ प्रतिशत उच्च, ६५ प्रतिशत पिछड़ी ६० प्रतिशत अनुसूचित तथा ५० प्रतिशत मुसलमान जातियों में है जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । चुनावों में निष्पक्षता पर अविश्वास करनेवाले नागरिकों ने ७.५ प्रतिशत जातीयता का प्रचार १० प्रतिशत 'प्रभावी व्यक्तियों का दबाव' १२.५ प्रतिशत 'उत्कोच' २७.५ प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों द्वारा धांधली (अनियमितता) २२.५ प्रतिशत 'जाली मतदान' (वास्तविक मतदाता द्वारा मतदान का न किया जाना) १० प्रतिशत

मत पत्रों में चोरी (वास्तविक मत पत्रों को निकालना या अप्रयुक्त मत पत्रों का मत पेटिका में रखा जाना) तथा १० प्रतिशत मतगणना में अशुद्धता के कारणों को अविश्वास का आधार बताया । इन कारणों के दायित्व पर ध्यान दिया जाय तो स्पष्ट होता है कि ५२. ५ प्रतिशत राजनीतिक दलों तथा ४७. ५ प्रतिशत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दोष है ।

" विधान सभा की वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में कौन सा परिवर्तन चाहते हैं ? के उत्तर में ४८. ७ प्रतिशत नागरिकों ने परिवर्तन का सुझाव दिया, ३२. ८ प्रतिशत नागरिक कोई परिवर्तन नहीं चाहते तथा १८. ५ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । इससे स्पष्ट है कि परिवर्तन की इच्छा रखनेवाले नागरिकों का प्रतिशत सब से अधिक है । निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन के इच्छुक नागरिक ७० प्रतिशत अनुसूचित ५० प्रतिशत उच्च , ४० प्रतिशत पिछड़ी तथा ४० प्रतिशत मुसलमान, जातियों में से जो सभी आयुवर्गों, शैक्षिक स्तरों तथा व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । परिवर्तन के लिए अनिच्छुक नागरिक ६० प्रतिशत मुसलमान, ३५ प्रतिशत पिछड़ी तथा ३३. ३ प्रतिशत उच्च जातियों में से जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर २१ से ३५ वर्ष के मध्य) शैक्षिक स्तरों (निरक्षर एवं साक्षर छोड़कर) एवं व्यवसाय वर्गों (अध्यापन एवं नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । ज्ञातव्य है कि १७. १ प्रतिशत नागरिक निर्वाचन की निष्पक्षता पर विश्वास करते हुए भी प्रणाली में परिवर्तन के इच्छुक है और २१. १ प्रतिशत नागरिक निर्वाचन प्रणाली पर अविश्वास करते हुए भी प्रणाली में परिवर्तन के लिए अनिच्छुक है । ३१. ६ प्रतिशत नागरिक निर्वाचन की निष्पक्षता पर अविश्वास करते हुए परिवर्तन के लिए इच्छुक है । निर्वाचन प्रणाली के लिए सब से अधिक अनुसूचित जाति के नागरिकों का इच्छुक होना इस बात का परिचायक है कि ये ही सब से अधिक कठिनाईयों का अनुभव करते हैं । परिवर्तन के लिए इच्छुक नागरिकों ने जो सुझाव दिए हैं उनमें से १८ वर्ष मतदाता आयु, सीमित प्रचार एवं एक प्रचार मंच, अल्प धन का व्यय, स्नातक प्रत्याशी, प्रशिक्षित एवं मुक्त मतदाता, निर्विघ्न मतदान वरीयता मत ,दो राजनीतिक दल , मत पत्र पर मतदाता के हस्ताक्षर, तत्काल मत गणना और निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाने की व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण है । मुक्त मतदाता , एक प्रचार

मंच तथा तत्काल मतगणना पर विशेष बल दिया गया है । अतः राजनीतिक दलों से स्वाभाविक अपेक्षा की जाती है कि वे मतदाताओं को प्रशिक्षित, जागरूक एवं मुक्त करें ; निर्वाचनों में निर्धारित धनराशि का व्यय एक प्रचार मंच से करें तथा अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार मतदाताओं को प्रदान करें । राजनीतिक दलों के ५७.७ प्रतिशत सदस्य वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन के लिए इच्छुक हैं ।

यदि विधान सभा चुनाव में वरीयता मत देने का अधिकार आपको मिल जाय तो कैसा रहेगा" के प्राप्त उत्तरों से स्पष्ट हुआ कि ७१.१ प्रतिशत नागरिक वरीयता मत के पक्ष में तथा २८.६ प्रतिशत नागरिक विपक्ष में हैं । वरीयता मत के पक्ष में ८० प्रतिशत पिछड़ी, ७० प्रतिशत मुसलमान, ६६.४ प्रतिशत उच्च तथा ६० प्रतिशत अनुसूचित जातियों के नागरिक हैं जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर २६ से ३५ वर्ष की आयु) शैक्षिक स्तरों (विशेषकर स्नातक एवं स्नातकोत्तर) एवं व्यवसाय वर्गों (विशेषकर अध्यापन, मजदूरी, नौकरी एवं व्यापार) का प्रतिनिधित्व करते हैं । इससे स्पष्ट है कि यदि मतदाताओं को वरीयता मत देने का अधिकार मिल जाय और उन्हें प्रशिक्षित कर दिया जाय तो बहुत अच्छा हो जायगा क्योंकि मतदाताओं पर दबाव कम हो जायगा, संघर्ष भी कम हो जायगा राजनीतिक पूर्ण दक्षता में वृद्धि होगी तथा राजनीतिक भाग ग्रहण में वृद्धि हो जायगी जो कि राजनीतिक समाजीकरण में त्वरण (वेग वृद्धि) उत्पन्न करेगा ।

इस समय भारत में कौन कौन आन्दोलन चल रहे हैं ? के उत्तर में ४३.४ प्रतिशत नागरिकों ने किसी न किसी आन्दोलन का नाम बताया और ५६.६ प्रतिशत नागरिकों को जानकारी नहीं है । किसी न किसी आन्दोलन की जानकारी रखनेवाले नागरिक ६० प्रतिशत मुसलमान ५० प्रतिशत पिछड़ी, ४१.६ प्रतिशत उच्च (सब से कम दायित्व) तथा २० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय-वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । इससे स्पष्ट है कि मुसलमान नागरिकों को राजनीतिक आन्दोलनों की जानकारी सब से अधिक है । राजनीतिक दलों में ६६.२ प्रतिशत सदस्यों को वर्तमान काल में चलनेवाले किसी न किसी आन्दोलन की जानकारी है जो कि मुसलमान जाति के नागरिकों से ६.२ प्रतिशत अधिक है ।

जिस व्यक्ति को अगले चुनाव में अपने क्षेत्र का विधायक चुनना अच्छा होगा" के उत्तर में ५८. १ प्रतिशत नागरिकों ने दल एवं व्यक्ति का नाम बताया, १९. ८ प्रतिशत नागरिकों ने कहा कि" चुनाव के समय निर्णय करेंगे" तथा २१. १ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे। तालिका द्वारा विवरण स्पष्ट किया गया है।

क्रम सं०	जाति का नाम	पक्ष में निर्णय					
		जनसंघ	कांग्रेस	मा०क०पा०	जनता पार्टी	चुनाव के समय	अनुत्तर
१	उच्च जाति	३८. ६%	२२. २%	५. ६%	२. ८%	१९. ४%	११. १%
२	पिछड़ी जाति	३५%	१०%	५%	५%	१०%	३५%
३	अनुसूचित जाति	२०%	२०%	१०%	-	१०%	४०%
४	मुसलमान	१०%	३०%	-	-	५०%	१०%

उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं :

(१) जनसंघ के व्यक्तियों का नाम सभी जाति के नागरिकों ने बताया जिसमें श्री कमलाशंकर त्रिपाठी, श्री नर्मदा प्रसाद मिश्र, श्री रामरेखा सिंह "निशंक" तथा श्री श्याम चन्द्र द्विवेदी के नाम लिये गये।

(२) कांग्रेस के व्यक्तियों का नाम जनसंघ से कम नागरिकों ने बताया जिसमें श्री उमाशंकर तिवारी, श्री कमलाकान्त तिवारी "चंचल" (सम्प्रति जनता पार्टी) श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (भूतपूर्व क्षेत्रीय विधायक एवं संसद सदस्य) श्री यमुना प्रसाद पाण्डेय, श्री यज्ञनारायण मिश्र एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी के नाम लिए गये।

(३) भारतीय लोकदल के पक्ष में जनसंघ एवं कांग्रेस दोनों से कम नागरिक हैं और इन्होंने एक मात्र श्री बटईराम यादव (क्षेत्रीय विधायक) का नाम बताया । क्या भारतीय लोकदल में अन्य नेताओं का विकास अवरुद्ध है ?

(४) `चुनाव के समय निर्णय` का उत्तर सब से अधिक मुसलमान नागरिकों ने दिया जो यह स्पष्ट करता है कि `अवसर` के अनुकूल परिवर्तन या निर्णय` करने की मनोवृत्ति सब से अधिक मुसलमानों में है और हंडिया विधान सभा क्षेत्र में इस जाति का प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व नहीं है ।

(५) अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के नागरिक सब से अधिक अनुत्तर रहे जिससे स्पष्ट है कि इनमें `स्व निर्णय` की क्षमता अन्यों की तुलना में कम है ।

` हंडिया विधान सभा क्षेत्र की कौन कौन प्रमुख समस्यायें हैं` के उत्तर में नागरिकों ने ३६.८ प्रतिशत `सिंचाई साधनों का अभाव` ३०.२ प्रतिशत बेकारी २८.९ प्रतिशत सड़कों की कमी एवं दुर्दशा` २५ प्रतिशत` पेय जल संकट `, ११.८ प्रतिशत अस्पतालों का अभाव एवं उनकी सुविधाओं में अल्पता`, ७.९ प्रतिशत यातायात के साधनों का अभाव` ७.९ प्रतिशत` विद्युत का अभाव` ६.५ प्रतिशत `मूल्य वृद्धि` ६.५ प्रतिशत` रासायनिक उर्वरकों का अभाव`, ६.५ प्रतिशत शिक्षण संस्थाओं का अभाव ( विशेषकर नारी शिक्षा ) ३.९ प्रतिशत जातिवाद` ३.९ प्रतिशत भ्रष्टाचार , २.६ प्रतिशत सुरक्षा व्यवस्था का अभाव` २.६ प्रतिशत बहुसंख्यकों द्वारा उत्पीड़न[९] २.६ प्रतिशत` हरिजन आबादी का आवंटित न होना` तथा २.६ प्रतिशत` भूमिहीनता` बताया और एक समान प्रतिशत में, क्रीड़ा व्यवस्था रही, अनुशासन हीनता` , अन्न भण्डार गृह का अभाव`, कृषि यंत्रों का अभाव ,` हरिजनों की छात्रवृत्ति का उचित वितरण न होना[१०], `विद्यालय प्रबन्ध समिति का स्थापित न होना`, `व्यापार नियंत्रण `; भोजन समस्या`, `उर्दू शिक्षा `, `बांधों का न बनना`, `भूमि की शुद्ध नाप न होना` तथा` नियंत्रित वस्तुओं का

अनुचित वितरण (विशेषकर चीनी)" की समस्याओं को भी प्रकाशित किया । सिचाई के साधनों का अभाव" सब से अधिक कृषकों ने एवं" बेकारी" का अनुभव सब से अधिक शिक्षित तरुणों ने किया । सड़कों के लिए सभी नागरिकों ने कहा जिनमें" टेला सिठोली" श्रीपुर (श्यामगंज)- मुनिपुर" भीटी-कन्हापुर"," भीटी-लौसानपुर", भीटी-रामनगर", रामनगर-छतागृह " छतागृह- हँडिया", छतागृह-पूरे कुईं, डुबकी दुर्ई)" हँडिया- गौन्दौरा"," हँडिया - कुठापुर , अगाढ़िया (दुमदुमा) हँडिया- दमगढ़ा" लाला बाजार - फूलपुर" कटहरा - भीपतपुर ," फैज़ाबाद-अगाढ़िया"," फैज़ाबाद- कौला"," कौला - अगाढ़िया," फैज़ाबाद-उत्तराँव", " फैज़ाबाद-फूलपुर" ," बींदा - मौरिला" ," बींदा- करामपट्टी"," बन्दीपट्टी-पिपरी"," सिपाडीह - दमगढा"," बरौत - अनूपुर"" कन्हापुर - सदरपुर -हाशीपुर" अनूपुर-कटहरा", हरीपुर-मडवा", अनूपुर-मरों," बरौत-रामनगर" आदि प्रमुख सड़कें हैं । पेय जल संकट" का अनुभव जी०टी० रोड के उत्तरी क्षेत्र के निवासियों को विशेष रूप से हुआ है ।

विकास खण्ड का सब से बड़ा अधिकारी कौन होता है - के उत्तर , नागरिकों ने ८०. ३ प्रतिशत बी०डी०ओ० (खण्ड विकास अधिकारी) ६. ६ प्रतिशत ब्लाक प्रमुख तथा २. ६ प्रतिशत ए०डी०ओ० (सहायक विकास अधिकारी) बताया तथा १०. ५ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे ।" खण्ड विकास अधिकारी" बतानेवाले नागरिक १०० प्रतिशत मुसलमान ,८० प्रतिशत पिछड़ी ७७. ७ प्रतिशत उच्च (सब से कम वैश्य) तथा ७० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । ब्लाक प्रमुख" को सब से बड़ा अधिकारी बतानेवाले नागरिक ११. १ प्रतिशत उच्च १० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (४६ से ७० वर्ष छोड़कर) शैक्षिक स्तरों (निरक्षर एवं प्राथमिक छोड़कर) एवं विद्यार्थी कृषक तथा व्यापारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । सहायक खण्ड विकास अधिकारी बतानेवाले नागरिक २. ८ प्रतिशत उच्च (ब्राह्मण) तथा ५ प्रतिशत पिछड़ी जातियों में है जो दो आयु वर्गों (१६-२० वर्ष एवं २६-३५ वर्ष) प्राथमिक एवं स्नातक से नीचे के

शैक्षिक स्तरों एवं विद्यार्थी और व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ८.४ प्रतिशत उच्च (सभी वैश्य) १५ प्रतिशत पिछड़ी तथा २० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (१६ से २०वर्ष छोड़कर) शैक्षिक स्तरों (स्नातक से नीचे एवं ऊपर छोड़कर) एवं व्यवसाय वर्गों (विद्यार्थी तथा अध्यापक छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न का अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिकों में १४.१ प्रतिशत और अनुत्तर रहनेवालों में १२.५ प्रतिशत राजनीतिक दल (कांग्रेस) के सदस्य हैं। इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों के ८५.६ प्रतिशत सदस्यों के उत्तर ' शुद्ध ' हैं जो कि सामान्य से अधिक है जो यह संकेत देता है कि राजनीतिक दलों की सदस्यता राजनीतिक समाजीकरण का वर्धन करती है।

आपके विकास खण्ड के खण्ड प्रमुख (ब्लाक प्रमुख) का क्या नाम है ? का उत्तर ५६.२ प्रतिशत नागरिकों ने ' शुद्ध ' तथा ३.६ प्रतिशत नागरिकों ने ' अशुद्ध ' दिया और शेष ' ३६.६ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे। ' शुद्ध ' उत्तर देनेवाले नागरिक ७२.४ प्रतिशत उच्च (सब से कम वैश्य) ६० प्रतिशत पिछड़ी, ४० प्रतिशत अनुसूचित तथा ४० प्रतिशत मुसलमान, जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (सब से कम १६-२० वर्ष तथा सब से अधिक ४६-७० वर्ष) शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों (सब से अधिक कृषि एवं सब से कम मजदूरी) का प्रतिनिधित्व करते हैं। ' अशुद्ध ' उत्तर देनेवाले नागरिक २० प्रतिशत मुसलमान तथा १० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो तीन आयु वर्गों (२१ से ४५ वर्ष) साधार हाई स्कूल तथा स्नातक शैक्षिक स्तरों एवं विद्यार्थी, कृषक एवं व्यापारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुत्तर रहने वाले नागरिक ५० प्रतिशत अनुसूचित ४० प्रतिशत मुसलमान ४० प्रतिशत पिछड़ी तथा २७.६ प्रतिशत उच्च जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (सब से अधिक १६-२० वर्ष) शैक्षिक स्तरों, एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अशुद्ध एवं अनुत्तर रहनेवाले नागरिकों में १२.६ प्रतिशत राजनीतिक दल (सभी कांग्रेस) के सदस्य है जो उच्च जाति (ब्राह्मण छोड़कर) एवं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उच्च जाति के नागरिकों को ब्लाक प्रमुख के नाम की जानकारी सब से अधिक है और अनुसूचित

शैक्षिक स्तरों एवं विद्यार्थी और व्यापारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ८.४ प्रतिशत उच्च (सभी वैश्य) १५ प्रतिशत पिछड़ी तथा २० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में हैं जो सभी आयु वर्गों (१६ से २०वर्ष छोड़कर) शैक्षिक स्तरों (स्नातक से नीचे एवं ऊपर छोड़कर) एवं व्यवसाय वर्गों (विद्यार्थी तथा अध्यापक छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न का अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिकों में १४.१ प्रतिशत और अनुत्तर रहनेवालों में १२.५ प्रतिशत राजनीतिक दल (कांग्रेस) के सदस्य हैं। इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों के ८५.६ प्रतिशत सदस्यों के उत्तर 'शुद्ध' हैं जो कि सामान्य से अधिक है जो यह संकेत देता है कि राजनीतिक दलों की सदस्यता राजनीतिक समाजीकरण का वर्धन करती है।

आपके विकास खण्ड के खण्ड प्रमुख (ब्लाक प्रमुख) का क्या नाम है ? का उत्तर ५६.२ प्रतिशत नागरिकों ने 'शुद्ध' तथा ३.६ प्रतिशत नागरिकों ने 'अशुद्ध' दिया और शेष ३६.६ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे। 'शुद्ध' उत्तर देनेवाले नागरिक ७२.४ प्रतिशत उच्च (सब से कम वैश्य) ६० प्रतिशत पिछड़ी, ४० प्रतिशत अनुसूचित तथा ४० प्रतिशत मुसलमान, जातियों में हैं जो सभी आयु वर्गों (सब से कम १६-२० वर्ष तथा सब से अधिक ४६-७० वर्ष) शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों (सब से अधिक कृषि एवं सब से कम मजदूरी) का प्रतिनिधित्व करते हैं। 'अशुद्ध' उत्तर देनेवाले नागरिक २० प्रतिशत मुसलमान तथा १० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में हैं जो तीन आयु वर्गों (२१ से ४५ वर्ष) साक्षर हाई स्कूल तथा स्नातक शैक्षिक स्तरों एवं विद्यार्थी, कृषक एवं व्यापारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुत्तर रहने वाले नागरिक ५० प्रतिशत अनुसूचित ४० प्रतिशत मुसलमान ४० प्रतिशत पिछड़ी तथा २७.६ प्रतिशत उच्च जातियों में हैं जो सभी आयु वर्गों (सब से अधिक १६-२० वर्ष) शैक्षिक स्तरों, एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अशुद्ध एवं अनुत्तर रहनेवाले नागरिकों में १२.६ प्रतिशत राजनीतिक दल (सभी कांग्रेस) के सदस्य हैं जो उच्च जाति (ब्राह्मण छोड़कर) एवं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उच्च जाति के नागरिकों को ब्लाक प्रमुख के नाम की जानकारी सब से अधिक है और अनुसूचित

जाति के नागरिक सब से अधिक अनुत्तर रहे क्या यह विकास की किरणों की पहुंच का परिणाम है ? कृषकों ने सब से अधिक शुद्ध उत्तर दिए जो यह संकेत देता है कि खण्ड विकास ने अपना ध्यान कृषि का केन्द्रित रखा जबकि अन्य क्षेत्रों में भी ध्यान वांछित है। राजनीतिक दलों के ८७.१ प्रतिशत सदस्यों ने शुद्ध उत्तर दिए जो राजनीतिक समाजीकरण का परिणाम प्रतीत होता है।

विकास खण्ड समिति का क्या कार्य है ? का उत्तर पूर्ण या आंशिक रूप से ३६.६ प्रतिशत नागरिकों ने 'शुद्ध' दिया। ३.६ प्रतिशत नागरिकों के उत्तर 'अशुद्ध' रहे तथा ५६.२ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे। 'शुद्ध' उत्तर देनेवाले नागरिक ४४.४ प्रतिशत उच्च ३५ प्रतिशत पिछड़ी ,३० प्रतिशत मुसलमान तथा २० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (१६-२० वर्ष छोड़कर तथा विशेषकर ५६-७० वर्ष) शैक्षिक स्तरों (सब से कम निरक्षर एवं स्नातक से नीचे) एवं व्यवसाय वर्गों (सब से अधिक अध्यापन एवं कृषि और सब से कम विद्याध्ययन) का प्रतिनिधित्व करते हैं। 'अशुद्ध' उत्तर देनेवाले नागरिक ५.६ प्रतिशत उच्च तथा ५ प्रतिशत पिछड़ी जातियों में है जो तीन आयु वर्गों (१६-२० ; २१-२५ तथा ३६-४५ वर्ष) निरक्षर, स्नातक से नीचे एवं स्नातक शैक्षिक स्तरों तथा विद्यार्थी, कृषक एवं व्यापारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ५० प्रतिशत (सब से अधिक वैश्य) ६० प्रतिशत पिछड़ी , ७० प्रतिशत मुसलमान तथा ८० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (सब से अधिक १६-२० वर्ष) शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दलों के ६६.२ प्रतिशत सदस्यों ने पूर्ण या आंशिक रूप से शुद्ध उत्तर दिए जो कि राजनीतिक दलों द्वारा किये गये राजनीतिक समाजीकरण का प्रमाण प्रस्तुत करता है।

तहसीलदार के क्या प्रमुख कार्य है ? का उत्तर ८१.६ प्रतिशत नागरिकों ने पूर्ण या आंशिक रूप से शुद्ध तथा १.३ प्रतिशत ने अशुद्ध दिया और १७.१ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे। शुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ६१.६ प्रतिशत उच्च , ८० प्रतिशत मुसलमान ,७५ प्रतिशत पिछड़ी तथा ६० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (५६-७० वर्ष के शत प्रतिशत) शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय

वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक अनुसूचित जाति के १६-२० वर्ष के आयु वर्ग, स्नातक से नीचे के शैक्षिक स्तर तथा विद्यार्थी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ८. ४ प्रतिशत उच्च ,२० प्रतिशत मुसलमान, २५ प्रतिशत पिछड़ी जाति ३० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में से जो सभी आयु वर्गों (५६-७० वर्ष छोड़कर) शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों (अध्यापन एवं व्यापार छोड़कर विशेषकर विद्याध्ययन एवं मजदूरी) का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के ६२. ३ प्रतिशत सदस्यों ने शुद्ध उत्तर दिए जो कि उच्च जातियों के नागरिकों से भी अधिक है । अनुसूचित जाति के नागरिकों की तहसीलदार के प्रमुख कार्यों का अज्ञानता का प्रमुख कारण उनकी भूमिहीनता प्रतीत होती है क्योंकि इस जाति के अनुत्तर रहनेवाले ६६. ६ प्रतिशत भूमिहीन हैं । विकास खण्ड की अपेक्षा तहसील के संबंध में अधिक नागरिकों की जानकारी का प्रतिशत यह प्रमाणित करता है कि संस्थाओं के स्थायित्व एवं आयु के साथ उसके प्रति ज्ञान का धनात्मक संबंध है जिसका प्रमुख कारण ग्रामीणों के जीवन में भौमिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है ।

थानाध्यक्ष का क्या कार्य है ? का उत्तर शत प्रतिशत नागरिकों ने पूर्ण अथवा आंशिक रूप से शुद्ध दिया । इससे स्पष्ट है कि थानाध्यक्ष के कार्यों से सभी जातियों, आयुवर्गों, शैक्षिक स्तरों, व्यवसाय-वर्गों एवं क्षेत्रों के नागरिक परिचित हैं । पुलिस की शत प्रति नागरिकों में जानकारी होने के मुख्य कारण, अपराधों में वृद्धि, नागरिकों से प्रत्यक्ष संपर्क, पुलिस का अधिक भ्रमण एवं निर्धारित वेशभूषा तथा सुरक्षा की अनिवार्यता का अनुभव है ।

जिले का सब से बड़ा अधिकारी कौन होता है ? का उत्तर नागरिकों ने ८४. ३ प्रतिशत शुद्ध तथा ३. ६ प्रतिशत अशुद्ध दिया और ११. ८ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे शुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ६० प्रतिशत पिछड़ी ६० प्रतिशत मुसलमान, ८३. ४ प्रतिशत उच्च तथा ७० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में से जो सभी आयु वर्गों ,शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ८. ३ प्रतिशत उच्च जाति (ब्राह्मण छोड़कर) में से

जिन्होंने जिलाधिकारी , हाकिम परगना[११] एवं जिलेदार[१२] बताया है । ये नागरिक द्वितीय, तृतीय एवं अष्टम् आयु वर्गों, प्राथमिक हाई स्कूल एवं स्नातक शैक्षिक स्तरों और व्यापारी तथा कृषक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ३० प्रतिशत अनुसूचित १० प्रतिशत मुसलमान, १० प्रतिशत पिछड़ी तथा ८. ३ प्रतिशत उच्च जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (५६-७० वर्ष छोड़कर) निरक्षर (सब से अधिक) साक्षर एवं प्राथमिक शैक्षिक स्तरों और कृषक मजदूर एवं व्यापारी (ग्राम में स्थित बाजार में नहीं) वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के ६२. ३ प्रतिशत सदस्यों ने शुद्ध उत्तर दिया । आश्चर्य यह है कि २४. २ प्रतिशत शुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिकों (विशेषकर पिछड़ी जाति) ने अंग्रेजी नाम " डी० एम० " अथवा " कलेक्टर " लिया । इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों के सदस्यों को जिले के सब से बड़े अधिकारी के पद-नाम की जानकारी सब से अधिक है ।

जिला परिषद् का क्या अर्थ है ? का उत्तर नागरिकों ने ४३. ५ प्रतिशत पूर्ण या आंशिक रूप से " शुद्ध " तथा ३. ६ प्रतिशत " अशुद्ध " बताया और शेष ५२. ६ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । इससे स्पष्ट है कि जिला परिषद् के क्रियाकलापों से आधे से अधिक नागरिक अपरिचित हैं । शुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ६१. १ प्रतिशत उच्च , ५० प्रतिशत मुसलमान, ३० प्रतिशत पिछड़ी तथा शून्य प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है । महान आश्चर्य है कि अनुसूचित जाति के स्नातक शैक्षिक स्तर के नागरिकों को भी जिला परिषद् के कार्यों की जानकारी नहीं है । जिला परिषद् के कार्यों की जानकारी सभी आयु वर्गों (सब से अधिक ५६-७० वर्ष तथा सब से कम १६-२० वर्ष) शैक्षिक स्तरों ((निरक्षर छोड़कर) एवं व्यवसाय वर्गों (नौकरी छोड़कर) के नागरिकों को है । अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक १० प्रतिशत मुसलमान १० प्रतिशत अनुसूचित तथा २. ८ प्रतिशत उच्च, जातियों में है जो १६-२५ वर्ष के आयु वर्गों, हाई स्कूल स्कूल एवं स्नातक से नीचे के शैक्षिक स्तरों तथा विद्यार्थी एवं मजदूर वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ६० प्रतिशत अनुसूचित, ७० प्रतिशत पिछड़ी, ४० प्रतिशत मुसलमान तथा ३६. १ प्रतिशत

उच्च जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (सब से अधिक २१-२५ वर्ग) शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय-वर्गों (अध्यापन छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के ६६.२ प्रतिशत सदस्यों ने जिला परिषद् के कार्यों को शुद्ध बताया जिससे राजनीतिक दलों द्वारा किये जानेवाले राजनीतिक समाजीकरण का स्पष्टीकरण होता है ।

जिले के न्यायालयों का सब से बड़ा अधिकारी कौन होता है ? का उत्तर ७.८ प्रतिशत नागरिकों ने शुद्ध तथा ६०.५ प्रतिशत ने अशुद्ध दिया और ६०.५ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । इससे स्पष्ट है कि डिस्ट्रिक्ट सेशन एण्ड सिविल जज (दण्ड एवं दीवानी न्यायधीश) का ज्ञान बहुत कम नागरिकों को है । क्या अज्ञानता का प्रमुख कारण न्यायालय के इस स्तर तक बहुत कम नागरिकों की पहुंच है । शुद्ध नाम बतानेवाले नागरिक १६.६ प्रतिशत उच्च जाति में है (अन्य जातियों के एक भी नागरिक ने शुद्ध नाम नहीं बताया) जो कि प्रथम, चतुर्थ, पंचम एवं अष्टम् आयुवर्गों, साक्षर, प्राथमिक , हाई स्कूल, स्नातक से नीचे एवं स्नातक शैक्षिक स्तरों और विद्यार्थी, अध्यापक, कृषक एवं व्यापारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अशुद्ध नाम बतानेवाले नागरिक ७० प्रतिशत पिछड़ी, ६० प्रतिशत अनुसूचित ५८.४ प्रतिशत उच्च तथा ५० प्रतिशत मुसलमान जातियों में है जो सभी आयु वर्गों शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ५० प्रतिशत मुसलमान, ४० प्रतिशत अनुसूचित , ३० प्रतिशत पिछड़ी तथा २५ प्रतिशत उच्च जातियों में है जो सभी सभी आयुवर्गों, शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के १६.२ प्रतिशत ने जिले न्यायालय के सब से बड़े अधिकारी का शुद्ध नाम बताया जो कि नागरिकों के दूने से भी अधिक है, किन्तु असंतोषजनक है । क्या राजनीतिक दलों का ध्यान न्यायपालिका की ओर बहुत कम जाता है या स्थानीय समस्यायें के समक्ष इस न्यायालयों का नगण्य महत्व है ।" अशुद्ध" उत्तर देनेवाले अधिकांश नागरिकों ने" जिलाधीश" का नाम बताया ।

" पुलिस विभाग का जिले में सब से बड़ा अधिकारी कौन होता है ? का उत्तर ७२.७ प्रतिशत ने शुद्ध तथा ६.२ प्रतिशत ने अशुद्ध दिया और १७.१ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । शुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ८० प्रतिशत मुसलमान

७७. ८ प्रतिशत उच्च , ७० प्रतिशत अनुसूचित तथा ६५ प्रतिशत पिछड़ी जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (सब से अधिक ५६-७० वर्ष) शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक २० प्रतिशत पिछड़ी ११. १ प्रतिशत उच्च तथा १० प्रतिशत मुसलमान, जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (५६-७० वर्ष छोड़कर) शैक्षिक स्तरों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर छोड़कर) एवं व्यवसाय वर्गों (अध्यापन, मजदूरी एवं व्यापार छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ३० प्रतिशत अनुसूचित २५ प्रतिशत पिछड़ी ११. १ प्रतिशत उच्च तथा १० प्रतिशत मुसलमान, जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (५६-७० वर्ष छोड़कर) शैक्षिक स्तरों व्यवसाय वर्गों (अध्यापन एवं नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दलों के ६२. ३ प्रतिशत सदस्यों ने शुद्ध उत्तर दिया जो कि नागरिकों से अधिक है। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि नागरिक की अपेक्षा राजनीतिक दल के सदस्य की भूमिका निभानेवालों में राजनीतिक जागरुकता अधिक होती है। क्या पुलिस विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों का गंभीर घटनाओं के हो जाने के पश्चात घटना स्थलों पर पहुंचना इनकी जानकारी का प्रमुख स्रोत है ?

इलाहाबाद जिले में विधायकों की कुल संख्या कितनी है , का उत्तर ६. ३ प्रतिशत नागरिकों ने शुद्ध तथा ३८. ८ प्रतिशत ने अशुद्ध दिया और ६१. ६ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे। विधायकों की इलाहाबाद जिले में कुल संख्या १४ शुद्ध बतानेवाले नागरिक ११. १ प्रतिशत उच्च (वैश्य छोड़कर) १० प्रतिशत पिछड़ी तथा १० प्रतिशत मुसलमान जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (१६-२० वर्ष छोड़कर) साक्षर, प्राथमिक तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर (विशेषकर) शैक्षिक स्तरों और विद्यार्थी, अध्यापक, कृषक, मजदूर एवं व्यापारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक जिनमें से अधिकांश ने आठ की संख्या बतायी (जिले में तहसीलों की कुल संख्या ८ है। ऐसे ३८. ६ प्रतिशत उच्च २० प्रतिशत पिछड़ी २० प्रतिशत अनुसूचित तथा २० प्रतिशत मुसलमान जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर २१-२५ वर्ष) शैक्षिक स्तरों (निरक्षर छोड़कर) एवं व्यवसाय वर्गों

(अध्यापन छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ८० प्रतिशत अनुसूचित , ७० प्रतिशत मुसलमान ७० प्रतिशत पिछड़ी तथा ५० प्रतिशत उच्च जातियों में है जो सभी आयु वर्गों ,शैक्षिक स्तरों (निरक्षर शत प्रतिशत) एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के १५. ४ प्रतिशत सदस्यों ने शुद्ध संख्या बताई जिसका प्रमुख कारण राजनीतिक सानिध्य है किन्तु यह प्रतिशत यद्यपि नागरिकों एवं उच्च जाति के प्रतिशत से अधिक किन्तु चिन्ताजनक है । क्या राजनीतिक दलों के सदस्य अपने क्षेत्र की जानकारी ही प्रमुख उद्देश्य मान बैठा हैं ? जिसका यह परिणाम है ।

" संख्या विधान सभा क्षेत्र का वर्तमान विधायक कौन है" का उत्तर ८८. २ प्रतिशत नागरिकों ने शुद्ध दिया तथा ११. ८ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । अपने क्षेत्र के विधायक का नाम बतानेवाले नागरिक ६४. ४ प्रतिशत उच्च, ६० प्रतिशत अनुसूचित ८० प्रतिशत पिछड़ी तथा ८० प्रतिशत मुसलमान जातियों में है जो सभी आयु वर्गों ,शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय-वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक २० प्रतिशत मुसलमान, २० प्रतिशत पिछड़ी १० प्रतिशत अनुसूचित तथा ५. ६ प्रतिशत उच्च जातियों में है जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर को छोड़कर) एवं व्यवसाय वर्गों (अध्यापन एवं व्यापार छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के ६२. ३ प्रतिशत सदस्यों ने शुद्ध उत्तर दिया और शेष अनुत्तर रहे । राजनीतिक दलों के सदस्यों का शुद्ध प्रतिशत यद्यपि नागरिकों के शुद्ध प्रतिशत से अधिक है किन्तु उच्च जाति के नागरिकों के प्रतिशत से २. १ प्रतिशत कम है जो यह संकेत देता है कि राजनीतिक दल सभी राजनीतिक परिवर्तनों की जानकारी अपने सभी सदस्यों तक संप्रेषित नहीं करते हैं । क्या विधान सभा चुनावों के पश्चात् अपने दल के सभी सदस्यों को एकत्रित करके विश्लेषण विजय - पराजय के कारणों की समीक्षा राजनीतिक दल विधान सभा क्षेत्र स्तर पर नहीं करते ?

" आपके क्षेत्र का वर्तमान संसद सदस्य कौन है" का उत्तर ६२ प्रतिशत नागरिकों ने शुद्ध तथा ७. ८ प्रतिशत ने अशुद्ध दिया शेष ३०. २ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । शुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिकों में कुछ ने संसद सदस्य का

जन्म स्थान, जाति एवं उपाधि ही बताये जिनसे उनका अभिज्ञान सिद्ध हो जाता है (मांडा के राजा, ठाकुर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भूतपूर्व वाणिज्य राज्य मंत्री, भारत सरकार जो कि मार्च, ७७ में जनता पार्टी के श्रीमती कमला बहुगुणा से पराजित हो गये)। शुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ८० प्रतिशत मुसलमान, ७५ प्रतिशतउच्च, ४० प्रतिशत पिछड़ी तथा ४० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों शैक्षिक स्तरों (एवं से कम निरक्षर) एवं व्यवसाय-वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ३० प्रतिशत पिछड़ी, १० प्रतिशत अनुसूचित तथा ५.६ प्रतिशत उच्च जातियों में है जो २१ से ४५ वर्ष के आयु वर्गों, निरक्षर, प्राथमिक हाईस्कूल एवं स्नातक से नीचे के शैक्षिक स्तरों और विद्यार्थी, कृषक, नौकर एवं व्यापारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ५० प्रतिशत अनुसूचित ४५ प्रतिशत पिछड़ी, २० प्रतिशत मुसलमान तथा १६.४ प्रतिशत उच्च जातियों में है जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर छोड़कर) एवं व्यवसाय वर्गों (अध्यापन एवं नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दलों के ८४.६ प्रतिशत ने शुद्ध उत्तर दिये जो कि सभी जातियों के नागरिकों के प्रतिशत से अधिक है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय विधायक के नाम की जानकारी संसद सदस्य की अपेक्षाकृत अधिक नागरिकों एवं राजनीतिक दलों के सदस्यों को है। इसका प्रमुख कारण क्षेत्रीय विधायक का सघन प्रत्यक्ष जनसंपर्क तथा उसकी तात्कालिक प्राप्यता है। क्या इससे यह स्पष्ट होता है कि दायित्वों में वृद्धि प्रत्यक्ष जन संपर्क के अवसरों में बाधक है।

आप किस प्रदेश के निवासी हैं ? का उत्तर ८६.५ प्रतिशत नागरिकों ने शुद्ध (उत्तर प्रदेश) दिया तथा १.३ प्रतिशत ने अशुद्ध (इलाहाबाद) दिया और ६.२ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे। अपने प्रदेश का शुद्ध नाम बतानेवाले नागरिक शत प्रतिशत मुसलमान ६७.२ प्रतिशत उच्च ८० प्रतिशत पिछड़ी तथा ७० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में हैजो सभी आयु वर्गों शैक्षिक स्तरों (सब से कम निरक्षर) एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रदेश के स्थान पर जिले का नाम बताने

वाला नागरिक[१३] अनुसूचित जाति का निरक्षर ४५ वर्षीय प्रौढ़ है जो बांस के सामानों को हाथ से बनाने का कार्य करता है। अनुत्तर रहनेवाले नागरिक २० प्रतिशत अनुसूचित, २० प्रतिशत पिछड़ी तथा २.८ प्रतिशत उच्च (क्षत्रिय) जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (२१-२५ वर्ग छोड़कर) निरक्षर तथा साक्षर शैक्षिक स्तरों तथा कृषक एवं मजदूर वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दलों के ६६.२ प्रतिशत सदस्यों ने अपने प्रदेश का नाम शुद्ध बताया और शेष अनुत्तर रहे। राजनीतिक दलों के सदस्यों की शुद्धता का प्रतिशत यद्यपि नागरिकों से अधिक है किन्तु मुसलमान एवं उच्च जातियों के नागरिकों से कम है। राजनीतिक दलों के सदस्यों को अपने प्रदेश के नाम की जानकारी न होना यह संकेत देता है कि राजनीतिक दल भौगोलिक राजनीति का ज्ञान अपने सभी सदस्यों तक नहीं पहुंचाते हैं। क्या किसी नागरिकको राजनीतिक दल अधिक एवं मत संबंधी सहयोग प्राप्त करने के लिए ही अपना सदस्य बनाते हैं या आदर्श नागरिकता की शिक्षा भी प्रदान करते हैं ?

आपके प्रदेश का वर्तमान मुख्य मंत्री कौन है ? का उत्तर ६५.८ प्रतिशत नागरिकों ने पूर्ण अथवा आंशिक रूप से शुद्ध दिया तथा १४.५ प्रतिशत ने अशुद्ध दिया और १६.७ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे। शुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ८३.४ प्रतिशत उच्च, ६० प्रतिशत पिछड़ी, ५० प्रतिशत मुसलमान तथा ३० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर २१-३५ वर्ष) शैक्षिक स्तरों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर शत प्रतिशत) तथा व्यवसाय वर्गों (अध्यापन शत प्रतिशत) का प्रतिनिधित्व करते हैं। अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक (जिनमें से अधिकांश ने श्रीमती इन्दिरागांधी बताया अर्थात् प्रधान मंत्री एवं मुख्यमंत्री का अंतर समझने में असमर्थ रहे) ३० प्रतिशत अनुसूचित २० प्रतिशत मुसलमान, १५ प्रतिशत पिछड़ी तथा ८.३ प्रतिशत उच्च जातियों में है जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर छोड़कर) एवं व्यवसाय-वर्गों (अध्यापन एवं नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ४० प्रतिशत अनुसूचित ,३० प्रतिशत मुसलमान ,२५ प्रतिशत पिछड़ी तथा ८.३ प्रतिशत उच्च जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर ३६-५५ वर्ष) शैक्षिक स्तरों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर छोड़कर तथा विशेषकर निरक्षर) तथा विद्यार्थी ,कृषक एवं मजदूर वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दलों के ६६.२ प्रतिशत सदस्यों ने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का

नाम बताया जो सामान्य नागरिकों से यद्यपि कुछ अधिक प्रतिशत है तथापि उच्च जाति के नागरिकों से १४. २ प्रतिशत कम है । क्या वर्तमान मुख्यमंत्री के नाम की जानकारी में कमी का प्रमुख कारण अल्प कालावधि है जिसमें श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री नारायण दत्त तिवारी एवं श्री रामनरेश यादव ने पदभार ग्रहण किया ? क्या परिवर्तनों का प्रकाश ग्रामीणों के अंधकार को बहुत कम दूर कर पाया है ? राजनीतिक दलों का प्रमुख दायित्व है कि वे राजनीतिक ज्ञान के स्तरों में उत्तरोत्तर वृद्धि करें ।

आपके प्रदेश की राजधानी कहां है ? का उत्तर नागरिकों ने ७८. ६ प्रतिशत शुद्ध (लखनऊ) तथा १५. ६ प्रतिशत अशुद्ध दिया और ५. २ नागरिक अनुत्तर रहे । शुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक शत प्रतिशत मुसलमान, ६१ ७ प्रतिशत उच्च (ब्राह्मण शत प्रतिशत) ६० प्रतिशत पिछड़ी तथा ५० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में से जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिकों ने शत प्रतिशत " दिल्ली " बताया जिससे स्पष्ट होता है कि १५. ६ प्रतिशत नागरिक प्रदेश एवं देश की राजधानी में अंतर समझने में असमर्थ है । अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ३० प्रतिशत अनुसूचित ३० प्रतिशत पिछड़ी तथा ८. ३ प्रतिशत उच्च (ब्राह्मण छोड़कर) जातियों में से जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर छोड़कर) एवं व्यवसाय वर्गों (अध्यापन छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक २० प्रतिशत अनुसूचित तथा १० प्रतिशत पिछड़ी जातियों में से जो २१-३५ वर्ष के आयु वर्गों, निरक्षर तथा साक्षर शैक्षिक स्तरों और कृषक तथा मजदूर वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के ६२. ३ प्रतिशत सदस्यों ने शुद्ध तथा ७. ७ प्रतिशत ने अशुद्ध उत्तर दिए जो राजनीतिक समाजीकरण के प्रभाव को प्रदर्शित करता है ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों के नाम बताइये ? के उत्तर में नागरिकों ने ३१. ६ प्रतिशत विधान सभा तथा १७. १ प्रतिशत विधान परिषद् का नाम बताया ; ३. ६ प्रतिशत नागरिकों ने दोनों सदनों के अशुद्ध नाम बताये तथा ६३. २ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे ।" विधान सभा" शुद्ध नाम बतानेवाले नागरिक ५० प्रतिशत उच्च, २० प्रतिशत पिछड़ी तथा २० प्रतिशत अनुसूचित

जातियों में है जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों (निरक्षर छोड़कर, विशेषकर स्नातक से नीचे एवं ऊपर) तथा विद्यार्थी , अध्यापक , कृषक एवं व्यापारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।" विधान परिषद्" का शुद्ध नाम बतानेवाले नागरिक ३३. ३ प्रतिशत उच्च तथा ५० प्रतिशत पिछड़ी जातियों में है जो सभी आयु वर्गों शैक्षिक स्तरों (निरक्षर छोड़कर, विशेषकर स्नातक से नीचे एवं ऊपर) एवं व्यवसाय वर्गों (मजदूरी एवं नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । इससे स्पष्ट है कि पिछड़ी, अनुसूचित तथा मुसलमान जातियों के नागरिकों को" विधान परिषद्" की जानकारी बहुत कम है जिसका प्रमुख कारण इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन है । दोनों सदनों के अशुद्ध नाम बतानेवाले नागरिक १० प्रतिशत अनुसूचित, ५ प्रतिशत पिछड़ी तथा २. ८ प्रतिशत उच्च जातियों में है जो प्रथम ,तृतीय एवं चतुर्थ आयु वर्गों, निरक्षर ,हाई स्कूल एवं स्नातक से नीचे शैक्षिक स्तरों तथा विद्यार्थी एवं कृषक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक शत प्रतिशत मुसलमान, ७० प्रतिशत अनुसूचित, ७० प्रतिशत पिछड़ी जाति तथा ४७. २ प्रतिशत उच्च जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर २६-३५ वर्ष और ४६-७० वर्ष) शैक्षिक स्तरों (विशेषकर निरक्षर, साक्षर , प्राथमिक एवं हाई स्कूल) तथा व्यवसाय वर्गों (अध्यापक छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के ३८. ५ प्रतिशत सदस्यों ने विधान सभा" तथा ३०. ८ प्रतिशत ने" विधान परिषद्" का नाम बताया जो कि उच्च जाति के नागरिकों की अपेक्षा कम है किन्तु सामान्य स्तर से अधिक है । यद्यपि राजनीतिक दलों की सदस्यता ग्रहण का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है किन्तु असंतोषजनक प्रतीत होता है ।

उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है ? का उत्तर नागरिकों ने ६३. ५ प्रतिशत शुद्ध (इलाहाबाद) तथा ३. ६ प्रतिशत अशुद्ध दिया और २. ६ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । शुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक शत प्रतिशत मुसलमान, ६७. २ प्रतिशत उच्च , ६० प्रतिशत पिछड़ी तथा ८० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों तथा व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिकों ने प्रायः दिल्ली बताया जिससे स्पष्ट होता है कि ये नागरिक सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के मध्य विभेद करने की क्षमता नहीं

रखते हैं । अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक २० प्रतिशत अनुसूचित तथा ५० प्रतिशत पिछड़ी जातियों में है जो १६-२५ वर्ष के आयु वर्गों, हाईस्कूल तथा स्नातक से नीचे शैक्षिक स्तरों तथा विद्यार्थी एवं मजदूर वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । उल्लेखनीय है कि अनुत्तर रहनेवाले सभी महिला नागरिक हैं[१४] और अपने अपने खण्ड विकास में गठित विकास खण्ड समिति की सदस्या भी हैं । महिला वर्ग की उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय संबंधी ज्ञान की शून्यता का प्रमुख कारण अभियोगों में महिला वर्ग की न्यूनतम अभिग्रस्तता ही प्रतीत होती है । राजनीतिक दलों के ९२. ३ प्रतिशत सदस्यों ने शुद्ध तथा ७. ७ प्रतिशत ने अशुद्ध स्थानों पर उच्च न्यायालय का स्थित होना बताया । उच्च न्यायालय के स्थल का ज्ञान ९३. ५ प्रतिशत नागरिकों में होने के प्रमुख कारणों में हंडिया विधान सभा क्षेत्र का इलाहाबाद जनपद में होना, उच्च न्यायालय का इलाहाबाद में स्थित होना तथा दीर्घकाल से इसकी स्थापना है ।

उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश का नाम बताइये " का उत्तर २. ६ प्रतिशत नागरिकों ने पूर्ण अथवा आंशिक रूप से शुद्ध तथा ५. २ प्रतिशत ने अशुद्ध दिया और ९२. २ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश का शुद्ध नाम जाननेवाले सभी नागरिक[१५] हैं ५. ६ प्रतिशत उच्च जाति में है जो २१-२५ वर्ष तथा ३६-४५ वर्ष के आयु वर्गों , स्नातक शैक्षिक स्तरों तथा अध्यापन एवं व्यापारी वर्गों का का प्रतिनिधित्व करते हैं । अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ८. ४ प्रतिशत उच्च तथा ५ प्रतिशत पिछड़ी जातियों में है जो २१-२५ वर्ष, ३६-४५ वर्ष तथा ५६-७० वर्ष के आयु वर्गों, साक्षर ,हाई स्कूल तथा स्नातक से नीचे के शैक्षिक स्तरों तथा विद्यार्थी एवं कृषक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक शत प्रतिशत मुसलमान, शत प्रतिशत अनुसूचित , ९५ प्रतिशत पिछड़ी तथा ८६ प्रतिशत उच्च जातियों में है जो सभी आयु वर्गों , शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के ३. ८ प्रतिशत सदस्यों ने शुद्ध उत्तर दिए जो कि राजनीतिक समाजीकरण के क्षेत्र में राजनीतिक दलों के पद तक के अभ्यासों में सब से कम है । अपने प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के

नाम की ६७. ४ प्रतिशत नागरिकों को जानकारी न होना अत्यन्त चिन्ता एवं दु:ख का तथ्य है । प्रदेश के वर्तमान मुख्य मंत्री का नाम बताने में ३४. २ प्रतिशत नागरिक असमर्थ रहे किन्तु प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के नाम पर नागरिकों की असमर्थता ६७. ४ प्रतिशत पहुंच गई, ऐसा क्यों ? इसका विचार करने से स्पष्ट होता है कि प्रदेश के रेडियो स्टेशनों, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं जैसे महत्वपूर्ण जन संपर्क माध्यमों से मुख्य मंत्री के नाम का प्रसार एवं प्रचार प्रतिदिन किया जाता है किन्तु मुख्य न्यायाधीश का नाम अनेक महीनों में एक बार नागरिकों को सुनायी अथवा मुद्रित दिखायी पड़ता है ; प्रदेश का मुख्य मंत्री स्वयं प्रदेश का भ्रमण करके, प्रत्यक्ष जन संपर्क करके तथा अधिकांश नागरिकों के हितों का ध्यान करके प्रकाश का स्थायी केन्द्र ही जाता है किन्तु मुख्य न्यायधीश स्थिर रहकर, सीमित संपर्क रखकर तथा अभियोगों (उच्च न्यायालय स्तर) से सम्बद्ध नागरिकों की परिधि में रहकर ही प्रकाशित हो पाता है । आकाशवाणी के घरेलू सेवा कार्यक्रमों की रचना " (१९७४) का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि समाचार को २. २ प्रतिशत समय निर्धारित है[१६] जबकि शास्त्री गान को ८. ७ प्रतिशत फिल्म संगीत को ५. ६ प्रतिशत तथा पाश्चात्य संगीत को २. २ प्रतिशत समय निर्धारित किया गया है । आश्चर्य है कि समाचार रचना के स्थायी स्तम्भों की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है । समाचार में न्यायपालिका का स्थायी स्तम्भ होना चाहिए जिससे नागरिकों का न्याय संबंधी ज्ञान विकसित हो सके ।

" उच्च न्यायालय के न्यायधीशों पर आप कितना विश्वास करते हैं ? के उत्तर में नागरिकों ने ७३. ७ प्रतिशत " पूर्ण " १३. २ प्रतिशत " कुछ कम ७. ६ प्रतिशत " कम " ३. ६ प्रतिशत " आधा " तथा १. ३ प्रतिशत बिल्कुल नहीं " विश्वास प्रकट किया । इससे स्पष्ट है कि २६. ३ प्रतिशत नागरिकों को उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की न्याय भावना पर अपूर्ण विश्वास है जो कि न्यायपालिका के लिए कलंक प्रतीत हो रहा है । उच्च न्यायालय के न्यायधीशों पर " पूर्ण " विश्वास प्रकट करनेवाले नागरिक ६० प्रतिशत मुसलमान ७५ प्रतिशत उच्च, ७५ प्रतिशत पिछड़ी तथा ५० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (सब से अधिक १६-२० वर्ष और सब से कम ४६-५५ वर्ष) शैक्षिक स्तरों (सब से अधिक स्नातक से नीचे

एवं ऊपर तथा सब से कम निरक्षर एवं साक्षर) और व्यवसाय वर्गों (मजदूरी सब से कम) का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपूर्ण विश्वास प्रकट करनेवाले नागरिक ५० प्रतिशत अनुसूचित , २५ प्रतिशत पिछड़ी, २५ प्रतिशत उच्च तथा १० प्रतिशत मुसलमान जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (सब से अधिक ४६-५५ वर्ष) शैक्षिक स्तरों (सब से अधिक निरक्षर) तथा व्यवसाय वर्गों (सब से अधिक मजदूरी एवं कृषि) का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दलों के ७७ प्रतिशत सदस्यों ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर पूर्ण विश्वास प्रकट किया। उच्च न्यायालय के न्यायधीशों पर आपातकाल के पूर्व साक्षात कृत ४६. ४ प्रतिशत आपातकाल में साक्षातकृत २५ प्रतिशत तथा आपातकाल समाप्त होने पर साक्षात कृत ११. ८ प्रतिशत नागरिकों ने अपूर्ण विश्वास प्रकट किया है। इससे स्पष्ट है कि जनता पार्टी के अभ्युदय से न्यायापालिका पर विश्वास बढ़ा है फिर भी न्यायपालिका के गौरव के अनुकूल नहीं है। स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के विकास में राजनीतिक दलों की भूमिका का अध्ययन गवेषणा का विषय प्रतीत होता है।

" मुख्य मंत्री को पद से कौन हटा सकता है ? का उत्तर नागरिकों ने २७. ६ प्रतिशत पूर्ण अथवा आंशिक रूप से शुद्ध तथा ५१. ३ प्रतिशत अशुद्ध दिया और २१. १ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे। पूर्ण अथवा आंशिक रूप से मुख्य मंत्री को पदच्युत करने की शक्ति का विवरण देनेवाले नागरिक ३६. २ प्रतिशत ३० प्रतिशत पिछड़ी तथा २० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों शैक्षिक स्तरों (निरक्षर छोड़कर) तथा व्यवसाय-वर्गों (मजदूरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं। अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक १९. ८ प्रतिशत जनता, १७. १ प्रतिशत प्रधानमंत्री, ५. २ प्रतिशत राष्ट्रपति तथा ६. २ प्रतिशत अन्य में मुख्यमंत्री को पदच्युत करने की शक्ति का निवास समझते हैं। अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ६० प्रतिशत मुसलमान ,५० प्रतिशत पिछड़ी, ४४. ४ प्रतिशत उच्च तथा ४० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों , शैक्षिक स्तरों तथा व्यवसाय वर्गों (अध्यापन छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ४० प्रतिशत अनुसूचित ,२० प्रतिशत पिछड़ी , १९. ४ प्रतिशत उच्च तथा १० प्रतिशत मुसलमान,

जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर २१-२५ वर्ष) शैक्षिक स्तरों (विशेषकर निरक्षर साक्षर तथा प्राथमिक) तथा व्यवसाय वर्गों अध्ययन, अध्यापन एवं नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के ३४. ६ प्रतिशत सदस्यों ने पूर्ण अथवा आंशिक रूप से शुद्ध मुख्य मंत्री को पदच्युत करनेवाली शक्तियों को बताया थी कि इन राजनीतिक दलों के द्वारा राजनीतिक समाजीकरण के क्षेत्र में किये जानेवाले प्रयत्नों का परिणाम प्रतीत होता है ।

उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है ? का उत्तर नागरिकों ने १९. ७ प्रतिशत शुद्ध तथा २२. ४ प्रतिशत अशुद्ध दिया और ५७. ६ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वर्तमान राज्यपाल का शुद्ध नाम बताने वाले नागरिक २५ प्रतिशत उच्च, २० प्रतिशत मुसलमान, १५ प्रतिशत पिछड़ी तथा १० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (१६-२० वर्ष छोड़कर) शैक्षिक स्तरों (निरक्षर छोड़कर) तथा व्यवसाय वर्गों (मजदूरी एवं नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । वर्तमान राज्यपाल के स्थान पर अतीत के राज्यपालों अथवा अन्य प्रसिद्ध राजनेताओं जैसे श्रीमती इंदिरागांधी, डा० कर्णसिंह आदि का नाम बतानेवाले अर्थात् अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ३० प्रतिशत मुसलमान ,२५ प्रतिशत उच्च, २० प्रतिशत पिछड़ी तथा १० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (४६-५५ वर्ष छोड़कर तथा विशेषकर १६-२० वर्ष एवं ३६-४५ वर्ष) शैक्षिक स्तरों (विशेषकर स्नातक से नीचे एवं ऊपर) तथा व्यवसाय वर्गों (अध्यापन एवं नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ८० प्रतिशत अनुसूचित ६५ प्रतिशत पिछड़ी ,५० प्रतिशत मुसलमान तथा ५० प्रतिशत उच्च जातियों में हैं जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों (अध्यापन छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के ३०. ८ प्रतिशत सदस्यों ने वर्तमान राज्यपाल का शुद्ध नाम बताया जो कि राजनीतिक समाजीकरण के प्रभाव को प्रदर्शित करता है क्योंकि किसी भी जाति के नागरिकों में इतनी जानकारी नहीं है किन्तु यह प्रतिशत असंतोषप्रद है ।

' भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है ? का उत्तर नागरिकों ने ५२. ६ प्रतिशत पूर्ण या आंशिक रूप से शुद्ध तथा १०. ५ प्रतिशत

अशुद्ध दिया और ३६. ६ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । पूर्ण या आंशिक रूप से वर्तमान राष्ट्रपति का शुद्ध नाम बतानेवाले नागरिक ७० प्रतिशत मुसलमान, ६६. ४ प्रतिशत उच्च, ३५ प्रतिशत पिछड़ी तथा २० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों (विशेषकर हाई स्कूल एवं इसके ऊपर के) तथा व्यवसाय-वर्गों (अध्यापन शत प्रतिशत तथा अध्ययन ८४. ६ प्रतिशत) का प्रतिनिधित्व करते हैं । अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिकों ने विशेषकर तत्कालीन प्रधानमंत्री और अतीत कालीन राष्ट्रपति के नाम बताये जो संकेत देता है कि प्रधान मंत्री एवं राष्ट्रपति के मध्य विभेद करने की क्षमता तथा नवीन परिवर्तनों के प्रति उत्सुकता का अभाव नागरिकों में है । वर्तमान राष्ट्रपति का अशुद्ध नाम बतानेवाले नागरिक २५ प्रतिशत पिछड़ी ,२० प्रतिशत अनुसूचित तथा २. ८ प्रतिशत उच्च जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (१६-२० वर्ष छोड़कर) शैक्षिक स्तरों (स्नातक से नीचे एवं उपर छोड़कर) एवं व्यवसाय वर्गों (अध्ययन, अध्यापन एवं मज़दूरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ६० प्रतिशत अनुसूचित ४० प्रतिशत पिछड़ी , ३० प्रतिशत मुसलमान तथा २७. ८ प्रतिशत उच्च, जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर ४६-७० वर्ष) शैक्षिक स्तरों (विशेषकर निरक्षर एवं साक्षर) तथा व्यवसाय वर्गों (अध्यापन छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के ६१. ५ प्रतिशत सदस्यों ने वर्तमान राष्ट्रपति का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से शुद्ध नाम बताया जो उच्च एवं मुसलमान जातियों के नागरिकों से कम है । आश्चर्य तो यह है कि प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की अपेक्षा वर्तमान राष्ट्रपति के नाम की जानकारी १३. २ प्रतिशत नागरिकों को कम है । इस कमी के प्रमुख कारक राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन, संसदात्मक शासन प्रणाली, राज्य की राजनीति में नगण्य भूमिका, अल्प प्रत्यक्ष जनसंपर्क तथा न्यूनतम भाषण एवं प्रचार प्रतीत होते हैं ।

भारत की राजधानी क्या है ?" के उत्तर में ६४. ८ प्रतिशत नागरिकों ने" दिल्ली" शुद्ध बताया और ५. २ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । भारत की राजधानी" दिल्ली" है इसका ज्ञान रखनेवाले नागरिक शत प्रतिशत, उच्च शत प्रतिशत मुसलमान ६० प्रतिशत अनुसूचित तथा ८५ प्रतिशत पिछड़ी जातियों में है जो

सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों तथा व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुत्तर रहनेवाले नागरिक १५ प्रतिशत पिछड़ी तथा १० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (१६-२० वर्ष एवं ५६-७० वर्ष छोड़कर) निरक्षर एवं जूनियर हाई स्कूल के शैक्षिक स्तरों तथा कृषि ,मजदूरी, नौकरी एवं मात्स्य रचना के कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दलों के शत प्रतिशत सदस्यों ने भारत की राजधानी का दिल्ली स्थित होना बताया।

" भारत का वर्तमान प्रधान मंत्री कौन है ?" का उत्तर ६४.८ प्रतिशत नागरिकों ने शुद्ध तथा १.३ प्रतिशत ने अशुद्ध दिया और ३.६ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे। भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री का शुद्ध नाम बतानेवाले नागरिक शत प्रतिशत मुसलमान ६५ प्रतिशत पिछड़ी , ६४.४ प्रतिशत उच्च तथा ६० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों तथा व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अशुद्ध उत्तर देनेवाले तथा २.६ प्रतिशत अनुत्तर रहनेवाले नागरिकों को नाम की जानकारी रही क्योंकि इससे पूर्ववर्ती प्रश्नों के उत्तरों में प्रधान मंत्री का ही नाम बताया किन्तु जब प्रधान मंत्री का नाम पूछा गया तब पहले इस नाम को बता देने के कारण अशुद्ध नाम बताया अथवा मौन रह गये। इससे स्पष्ट होता है कि ये नागरिक व्यक्ति के पद एवं नाम में संबंध स्थापना करने में असमर्थ रहे जो कि राजनीतिक समाजीकरण के अभाव का परिचायक है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है ?" का उत्तर नागरिकों ने ७६.३ प्रतिशत शुद्ध (दिल्ली) तथा १०.५ प्रतिशत अशुद्ध दिया तथा शेष १३.२ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे। शुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ६० प्रतिशत पिछड़ी ७७.८ प्रतिशत उच्च , ६० प्रतिशत अनुसूचित तथा ६० प्रतिशत मुसलमान जातियों में हैं जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर २६-३५ वर्ष) शैक्षिक स्तरों (विशेषकर हाई स्कूल , स्नातक से नीचे तथा ऊपर) और व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अशुद्ध उत्तर (प्रायः इलाहाबाद) देनेवाले नागरिक २० प्रतिशत मुसलमान , २० प्रतिशत अनुसूचित , ८.३ प्रतिशत उच्च तथा ५ प्रतिशत पिछड़ी जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (२१-२५ वर्ष तथा ५६-७० वर्ष छोड़कर) शैक्षिक स्तरों

(साक्षर तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर छोड़कर) तथा व्यवसाय वर्गों (अध्यापन तथा नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक २० प्रतिशत मुसलमान , २० प्रतिशत अनुसूचित , १३. ६ प्रतिशत उच्च तथा ५० प्रतिशत पिछड़ी जातियों में से जो सभी आयु वर्गों (३६-४५ वर्ष छोड़कर) शैक्षिक स्तरों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर छोड़कर) तथा व्यवसाय वर्गों (अध्यापन एवं नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के ८८. ५ प्रतिशत सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के शुद्ध स्थान बताया जो राजनीतिक करणीकरण के प्रभाव का संकेत देता है ।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायधीश का नाम बताइये " के उत्तर में नागरिकों ने १०. ५ प्रतिशत शुद्ध तथा १. ३ प्रतिशत अशुद्ध नाम बताये और शेष ८८. २ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायधीश का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से शुद्ध नाम बताने वाले नागरिक १३. ६ प्रतिशत उच्च १० प्रतिशत अनुसूचित , १० प्रतिशत मुसलमान तथा ५ प्रतिशत पिछड़ी जातियों में से जो सभी आयु वर्गों (१६-२० वर्ष छोड़कर , विशेषकर ३६ से ४५ वर्ष) साक्षर हाई स्कूल तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर शैक्षिक स्तरों और व्यवसाय वर्गों (मजदूरी एवं नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । अशुद्ध उत्तर देनेवाले १० प्रतिशत मुसलमान नागरिक हैं जो २६-३५ वर्ष के आयु वर्ग, हाई स्कूल शैक्षिक स्तर तथा व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ९५ प्रतिशत पिछड़ी ९० प्रतिशत अनुसूचित, ८६. १ प्रतिशत उच्च तथा ८० प्रतिशत मुसलमान, जातियों में से जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों तथा व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के ११. ५ प्रतिशत सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश का नाम पूर्ण अथवा आंशिक रूप से शुद्ध बताया । यद्यपि शुद्ध उत्तर देने में राजनीतिक दलों के सदस्यों का प्रतिशत अधिक है किन्तु असंतोषजनक है । सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायधीश के नाम की इतनी कम जानकारी का प्रधान कारण जन संपर्क साधनों में न्यायपालिका को उचित स्थान न मिलना ही है ।

भारत के राष्ट्रपति का सब से बड़ा अधिकार क्या है ?" का उत्तर नागरिकों ने १७. २ प्रतिशत शुद्ध (आपातकालीन घोषणा) तथा ३५. ५ प्रतिशत अशुद्ध (अन्य अधिकारों) दिया और ४७. ३ प्रतिशत नागरिक

अनुत्तर रहे । भारत के राष्ट्रपति के सब से बड़े अधिकार के रूप में आपातकालीन घोषणा को बतानेवाले नागरिक २२. २ प्रतिशत उच्च २० प्रतिशत मुसलमान १० प्रतिशत अनुसूचित तथा १० प्रतिशत पिछड़ी जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर १६-२० वर्ष) शैक्षिक स्तरों (विशेषकर स्नातक से नीचे एवं ऊपर , निरक्षर छोड़कर) तथा व्यवसाय वर्गों (मजदूरी एवं नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । राष्ट्रपति के संकट कालीन अधिकार के अलावा अन्य अधिकारों जैसे संसद भंग करना, राज्यपालों की नियुक्ति, क्षमादान, अध्यादेश , न्यायधीशों की नियुक्ति आदि बतानेवाले नागरिक ४१. ७ प्रतिशत उच्च, ४० प्रतिशत मुसलमान, २० प्रतिशत पिछड़ी तथा २० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (सब से कम ४६-५५ वर्ष और सब से अधिक ५६-७० वर्ष) शैक्षिक स्तरों (विशेषकर स्नातक से नीचे एवं ऊपर) तथा व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ७० प्रतिशत अनुसूचित ६० प्रतिशत पिछड़ी , ४० प्रतिशत मुसलमान तथा ३६. १ प्रतिशत उच्च जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर ४६-५५ वर्ष) शैक्षिक स्तरों (विशेषकर निरक्षर एवं साक्षर) तथा व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के ९५. ४ प्रतिशत सदस्यों ने प्रश्न का शुद्ध उत्तर दिया जो कि शुद्ध उत्तर देनेवाले व्यस्क नागरिकों का ४४. ५ प्रतिशत है फिर भी असंतोषजनक प्रतीत होता है ।

भारत के राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है" के उत्तर में १८. ४ प्रतिशत नागरिकों ने" महाभियोग" (शुद्ध) तथा ४८. ७ प्रतिशत ने अशुद्ध बताया और ३२. ८ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । शुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक २७. ८ प्रतिशत उच्च, २० प्रतिशत अनुसूचित तथा १० प्रतिशत पिछड़ी जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर १६-२५ वर्ष) शैक्षिक स्तरों, (विशेषकर स्नातक से नीचे एवं ऊपर और निरक्षर छोड़कर) तथा व्यवसाय वर्गों (मजदूरी एवं नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिकों ने विशेषकर चुनाव एवं अविश्वास" के उपायों का सहारा लिया जिससे यह स्पष्ट होता है कि नागरिक पदासीन अधिकारियों को पदच्युत करने के लिए चुनाव को एक सबल साधन मानते हैं । कार्यकाल के मध्य में पदच्युत करने के लिए ग्राम

प्रधान के लिए प्रयुक्त होनेवाले " अविश्वास प्रस्ताव " की प्रक्रिया को राष्ट्रपति के लिए भी कार्यान्वित करने की समान धारणा प्रतीत होती है । अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ८० प्रतिशत मुसलमान , ५५ प्रतिशत पिछड़ी ,५० प्रतिशत अनुसूचित तथा ३६. १ प्रतिशत उच्च जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर २६ वर्ष से ऊपर के) शैक्षिक स्तरों एवं व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ३६. १ प्रतिशत उच्च, ३५ प्रतिशत पिछड़ी, ३० प्रतिशत अनुसूचित तथा २० प्रतिशत मुसलमान जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर २१-२६ वर्ष) शैक्षिक स्तरों । विशेषकर निरक्षर एवं साक्षर) तथा व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के २३. १ प्रतिशत सदस्यों ने शुद्ध उत्तर दिये जो राजनीतिक समाजीकरण का संकेत देता है ।

" भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम बताइये " के उत्तर में ४२. २ प्रतिशत नागरिकों ने " लोक सभा " तथा १६. ७ प्रतिशत ने " राज्यसभा " को बताया , २. ६ प्रतिशत नागरिकों ने अशुद्ध उत्तर दिया और ५३. ८ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । " लोक सभा " बताने वाले नागरिक ५५. ६ प्रतिशत, उच्च , ३५ प्रतिशत पिछड़ी , ३० प्रतिशत अनुसूचित तथा २० प्रतिशत मुसलमान जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर २६-३५ वर्ष) शैक्षिक स्तरों (निरक्षर एवं साक्षर बहुत कम) तथा व्यवसाय वर्गों (मजदूरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । " राज्य सभा " बताने वाले नागरिक ३०. ६ प्रतिशत उच्च १५ प्रतिशत पिछड़ी १० प्रतिशत अनुसूचित तथा शून्य प्रतिशत मुसलमान जातियों में है जो सभी आयु वर्गों , शैक्षिक स्तरों (निरक्षर छोड़कर) तथा व्यवसाय वर्गों (मजदूरी एवं नौकरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक १० प्रतिशत अनुसूचित तथा १० प्रतिशत मुसलमान जातियों में है जो २१-२५ वर्ष तथा २६-३५ वर्ष के आयु वर्गों , हाई स्कूल शैक्षिक स्तर तथा मजदूरी तथा व्यापार के व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ७० प्रतिशत मुसलमान ६५ प्रतिशत पिछड़ी, ६० प्रतिशत अनुसूचित तथा ४४. ४ प्रतिशत ,उच्च जातियों में है जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों (विशेषकर निरक्षर तथा साक्षर)

तथा व्यवसाय वर्गों (अध्यापन छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के सदस्यों ने ५७. ७ प्रतिशत " लोक सभा " तथा ४२. ३ प्रतिशत " राज्यसभा " को बताया जो कि राजनीतिक समाजीकरण का संकेत देता है क्योंकि ये प्रतिशत सभी जातियों के नागरिकों से अधिक है । लोक सभा की अपेक्षा राज्य सभा के नाम की अल्प जानकारी का प्रमुख कारण इसके सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन है । " लोक सभा " के नाम की संपूर्ण नागरिकों में ज्ञान की कमी का प्रमुख कारण नेताओं का जनता के मध्य " दिल्ली " के लिए " चुनाव लड़ना बताना है जिससे न तो नागरिक " संसद " समझ पाते हैं और न संसद के दोनों सदनों का स्पष्ट नाम ही ।

" भारत का प्रधान मंत्री किस सदन का नेता होता है ? " के उत्तर में ३७ प्रतिशत नागरिकों ने " लोक सभा " (शुद्ध) तथा १४. ५ प्रतिशत ने अशुद्ध बताया और ४८. ५ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे । शुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ४७. २ प्रतिशत उच्च, ३० प्रतिशत पिछड़ी , ३० प्रतिशत मुसलमान तथा २० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों शैक्षिक स्तरों तथा व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिकों ने प्राय: कांग्रेस[१७] , " मंत्रि परिषद्[१८] " विधान सभा " , राज्य सभा "[१९] बड़ी सभा "[२०] , दिल्ली सभा "[२१] आदि नाम बताये । अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ४० प्रतिशत मुसलमान, १५ प्रतिशत पिछड़ी जाति । १० प्रतिशत अनुसूचित तथा ८. ३ प्रतिशत उच्च जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (१८-२५ वर्ष कम) शैक्षिक स्तरों (निरक्षर छोड़कर) तथा व्यवसाय वर्गों (अध्यापन एवं मजदूरी छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ७० प्रतिशत अनुसूचित ५५ प्रतिशत पिछड़ी ४४. ५ प्रतिशत उच्च तथा ३० प्रतिशत मुसलमान, जातियों में है जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों (विशेषकर निरक्षर एवं साक्षर) तथा व्यवसाय वर्गों (अध्यापन छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं । आश्चर्य यह है कि ७. ८ प्रतिशत नागरिक जो " लोकसभा " जानते हैं परन्तु प्रधानमंत्री इस सदन का नेता होता है इससे अनभिज्ञ हैं । इन नागरिकों की अनभिज्ञता का आभास इससे मिलता है कि ३. ६ प्रतिशत अनुत्तर रहे और ३. ६ प्रतिशत अशुद्ध उत्तर दिये । राजनीतिक दलों के ४२. ३ प्रतिशत सदस्यों

ने प्रश्न का शुद्ध उत्तर दिया जो कि नागरिकों की अपेक्षा अधिक तथा उच्च जाति से कम है।

" सर्वोच्च न्यायालय, संसद और राष्ट्रपति - ये तीनों किससे नियंत्रित रहते हैं" के उत्तर में ७.८ प्रतिशत नागरिकों ने "संविधान" (शुद्ध) तथा ४७.४ प्रतिशत ने अशुद्ध नियंत्रक का नाम बताया और ३४.८ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे। "संविधान" को न्यायपालिका, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का नियंत्रक समझने वाले नागरिक १६.७ प्रतिशत उच्च जाति (वैश्य छोड़कर) में हैं अन्य किसी भी जाति के एक भी नागरिक ने ऐसा नहीं समझा। शुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक २६-७० वर्ष के मध्य के आयु वर्गों, साक्षर, हाई स्कूल तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर शैक्षिक स्तरों और अध्यापन एवं कृषि व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिकों ने विशेषकर "प्रधान मंत्री[२२] श्रीमती इंदिरा गांधी" को तीनों का नियंत्रक निरूपित किया जो कि इस पद के प्रभावों का परिचायक है। अशुद्ध उत्तर देनेवाले नागरिक ६० प्रतिशत मुसलमान, ५० प्रतिशत उच्च, ४५ प्रतिशत पिछड़ी तथा ३० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों तथा व्यवसाय वर्गों (अध्यापन छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुत्तर रहनेवाले नागरिक ७० प्रतिशत अनुसूचित ५५ प्रतिशत पिछड़ी, ४० प्रतिशत मुसलमान तथा ३३.३ प्रतिशत उच्च जातियों में हैं जो सभी आयु वर्गों (विशेषकर ४६-७० वर्ष के मध्य) शैक्षिक स्तरों (विशेषकर निरक्षर एवं साक्षर) तथा व्यवसाय वर्गों (अध्यापन छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दलों के १६.२ प्रतिशत सदस्यों ने शुद्ध उत्तर दिया जो सब से अधिक है और राजनीतिक समाजीकरण के परिणाम का परिचायक है। संविधान के महत्व को ६२.२ प्रतिशत नागरिक नहीं समझते यह अत्यन्त निराशाजनक तथ्य है।

सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है " के प्रश्न उत्तरों में नागरिकों ने ८४.३ प्रतिशत "जनता" ११.८ प्रतिशत "सरकार" तथा २.६ प्रतिशत "संविधान" में सर्वोच्च शक्ति का निवास बताया और १.३ प्रतिशत नागरिक अनुत्तर रहे। "जनता" में सर्वोच्च शक्ति के निवास पर विश्वास प्रकट करनेवाले नागरिक ६१.७ प्रतिशत

उच्च , ६० प्रतिशत मुसलमान ८० प्रतिशत पिछड़ी तथा ६० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (२१-२५ वर्ष शत प्रतिशत) शैक्षिक स्तरों (हाईस्कूल तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर शत प्रतिशत) तथा व्यवसाय वर्गों (अध्यापन एवं नौकरी शत प्रतिशत) का प्रतिनिधित्व करते हैं ।" सरकार" में सर्वोच्च शक्ति का अनुभव करनेवाले नागरिक ३० प्रतिशत अनुसूचित १० प्रतिशत मुसलमान, १० प्रतिशत पिछड़ी तथा ८.३ प्रतिशत उच्च जातियों में है जो सभी आयु वर्गों (२१-२५ वर्ष छोड़कर) शैक्षिक स्तरों (हाई स्कूल ,स्नातक से नीचे स्नातक एवं स्नातकोत्तर छोड़कर) तथा व्यवसाय वर्गों (अध्ययन एवं अध्यापन छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करते हैं इससे स्पष्ट है कि विशेषकर निरक्षर एवं साक्षर शैक्षिक स्तरों के नागरिक अपने देश में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के महान मूल्य से अवगत नहीं हैं ।" संविधान" में सर्वोच्च शक्ति समझनेवाले नागरिक १० प्रतिशत अनुसूचित तथा ५ प्रतिशत पिछड़ी जातियों में है जो स्नातक से नीचे की शैक्षिक योग्यता रखनेवाले अवयस्क छात्र हैं । अनुत्तर रहनेवाले ५ प्रतिशत पिछड़ी जाति के नागरिक हैं जो ३६-४५ वर्ष के आयु वर्ग, निरक्षर शैक्षिक स्तर तथा कृषि के व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दलों के ६२.२ प्रतिशत सदस्य सर्वोच्च शक्ति का निवास" जनता" में स्वीकार करते हैं जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था का सब से श्रेष्ठ प्रमाण है और लोकतंत्र की चिरंजीविता का रक्षक है । अत्यन्त प्रसन्नता है कि हंडिया विधान सभा क्षेत्र के ८४.३ प्रतिशत नागरिक अपने में अर्थात् जनता में सर्वोच्च शक्ति (प्रभु सत्ता) के निवास पर विश्वास करते हैं जो कि जनतंत्र का लक्ष्य है ।

हंडिया विधान सभा निर्वाचनों में मतदान पद्धति का ठीक ज्ञान न रखने के कारण अस्वीकृत मतों को रेखा चित्र ७ (१) में स्पष्ट किया गया है जिससे ज्ञात होता है कि सन् १९६७ ई० के निर्वाचन में कम से अधिक ८.४४ प्रतिशत मत अस्वीकृत हुए हैं ।

विधानसभा निर्वाचनों में अस्वीकृत मतों की संख्या एवं प्रतिशत

रेखा चित्र ८ (१)

सन्दर्भ-संकेत:-

१- श्री विजय बहादुर सिंह, किरांव, श्री बसंतलाल, पूरे बुधई (हुलसी खुर्द)

२- श्री जगन्नाथ कुशवाहा, सहायपीथा ।

३- १ मई, १९७७ के पूर्व, क्योंकि इस तिथि को विधिवत् "जनता पार्टी" की स्थापना हुई ।

४- श्री रेवमणि शुक्ल, सिखवार, सक्रिय सदस्य कांग्रेस ।

५- श्री सत्य नारायण सिंह (यादव) घराऊनपुर ; श्री मक्खू यादव, ऊना ; श्री पुरुषोत्तमपति त्रिपाठी बिगहिया ; श्री लालमणि मिश्र, कुड़वा ; श्री राज नारायण यादव - बाला, श्री हरगेंद (अनुसूचित जाति) रिठुवा ।

६- श्री महादेव प्रसाद मिश्र- कमैला ; श्री बैनीराम यादव - मेरकी ; श्री फूलचन्द पाण्डेय - जरौरा ; श्री सरजू प्रसाद यादव, बढ़िनी ;

७- श्री शिवधारी सिंह प्रवक्ता, चौहानपुर

८- श्री परमानन्द कुशवाहा, प्रधानाध्यापक शैशव शिक्षा सदन, सैदाबाद ।

९- श्री राम प्रसाद, बैनवंशी, सदरैपुर एवं श्री रामजियावन, ऋषिपुर ।

१०- श्री हरगेंद, अध्यक्ष, विद्यार्थी हरिजन कल्याण संघ, रिठुवा ।

११- श्री राज बहादुर सिंह, मदारपुर ।

१२- श्री रामजियावन गुप्त, ऋषिपुर ।

१३- श्री राम प्रसाद, बैनवंश, सदरैपुर ।

१४- (क) श्रीमती कुन्ती देवी मौर्य - विलाशी, सदस्या खण्ड विकास समिति हंडिया
(ख) श्रीमती नौरंगी देवी त्रिपाठी, सैदाबाद, सदस्या खण्ड विकास समिति, सैदाबाद ।

१५- (क) श्री रामचन्द्र गुप्त, हंडिया ।
(ख) श्री रेवमणि शुक्ल, सिखवार, अध्यापक बी०रा०प० मे० इण्टर कालेज, हंडिया

१६- भारत वार्षिक संदर्भ ग्रंथ, १९७६, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ १२६ ।

१७- श्री जगन्नाथ प्रसाद कुशवाहा, सरायपीसा ।

१८- श्री रानेश सिंह, गिर्दकोट ; श्री मु० बकरीदी अन्सारी, गोपालीपुर

१९- श्री राम कुशवाहा, सहरा ।

२०- श्री मु० सफी अन्सारी, चचा उर्फ चकपुरन्दर ।

२१- श्री मु० हारुन अन्सारी, श्रीपुर (ज्ञानगंज)

२२- श्री लाल प्रताप सिंह, रसूलपुर ; श्री लालमणि मिश्र- कुकढ़ा ; श्री मानिक चन्द्र-
केशरवानी-बरोत ; कुमारी कुरसुम हन्फी- हंडिया ; श्री अब्दुल रज्जाक -
दैवपखना आदि ।

उ प सं हा र

संसार के राजनीतिक इतिहास में 20वीं शताब्दी "लोक शताब्दी" के रूप में स्मरण की जायेगी। लोकतन्त्र की उपयोगिता एवं सफलताओं के प्रभाव से अन्य तन्त्र सीमित राष्ट्रों की परिधि में सिकुड़ते जा रहे हैं। लोकतंत्र की सर्वोत्कृष्टता में सब से अधिक श्रेयस्कर सहयोग राजनीतिक दलों का है जिसके कारण राजनीतिक लोकतंत्र के प्राणाधार के रूप में स्वीकार किये जाते हैं। भारतवर्ष ने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के पश्चात् अपने को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया जिसके सुपरिणाम दिखलाई पड़ रहे हैं। स्वाधीनता के पूर्व एवं पश्चात् जो भी राजनीतिक दल भारतीय राजनीति में अवतरित हुए तथा अपनी अपनी भूमिकाओं से लोकतन्त्र को साकार, सबल, सफल, व्यावहारिक तथा चिरायु सिद्ध किया उनके प्रति वर्तमान एवं भावी पीढ़ी सदैव ऋणी रहेगी। राजनीतिक दलों के द्वारा नागरिकों का राजनीतिक व्यवहार कितना प्रभावित होता है तथा स्वयं राजनीतिक दल अपने को शक्तिशाली, लक्ष्यपूरक एवं दीर्घ जीवी बनाने के निमित्त जो संगठन तथा नेतृत्व करते हैं उसे प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है। यह प्रयास सामान्य निष्कर्ष प्राप्त करने की दिशा में एक प्रयत्न है क्योंकि एक हंडिया - विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजनीतिक दलों की संरचना तथा क्रियाकलाप का अध्ययन किया गया है। निष्कर्ष राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं नेताओं से साक्षात्कार और नागरिकों से साक्षात्कार पर अवलम्बित है।

हंडिया विधान सभा क्षेत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रचार एवं प्रसार स्वतंत्रता प्राप्ति के हेतु आन्दोलन के माध्यम से हुआ जिसमें अनेक व्यक्तियों ने अपने साहस, पौरुष, त्याग, बलिदान, उत्कट देश प्रेम आदि का ज्वलन्त उदाहरण जनता के समक्ष प्रदर्शित किया जिससे इसकी जड़ें पर्याप्त गहराई तक पहुंच गई किन्तु जब जन सेवा से दृष्टि हटकर सत्ता के उपभोग पर केन्द्रित हो गई उसी समय से उसे पराजय के दुर्दिन भी देखने पड़े। भारतीय जनसंघ शोषित दल, रामराज्य परिषद्, किसान मजदूर प्रजापार्टी, प्रजा समाजवादी दल,

समाजवादी दल, संयुक्त समाजवादी दल, रिपब्लिकन पार्टी, मुस्लिम मजलिस, भारतीय क्रान्तिदल, भारतीय लोकदल, संगठन कांग्रेस , हिन्दू महासभा तथा जनता पार्टी आदि को पहुंच विधान सभा क्षेत्र के गणमान्य, प्रतिष्ठित, जाति एवं धर्म प्रिय राजनीतिक प्रवरों के वैयक्तिक मतभेदों एवं ज्वलन्त समस्याओं को प्रगट करनेवाले रंगमंच के रूप में काल क्रमानुसार हुई । राजनीतिक एवं आर्थिक सिद्धान्तों के प्रतिनिधित्व के हेतु अभी तक राजनीतिक दलों का स्वरूप निखर नहीं सका है क्योंकि क्षेत्रीयता, जातीयता एवं धार्मिकता अपना रंग अवश्य दिखा देती है ।

राजनीतिक दल समान सिद्धान्तों के आधार पर संगठित नेतृत्व प्रदान करनेवाला गतिशील मानव समुदाय है जो जन समर्थन के माध्यम से शासनेच्छा की पूर्ति चाहता है । इससे स्पष्ट है कि पंचतत्व-सिद्धान्त, संगठन, नेतृत्व, जन समर्थन एवं शासनेच्छा, राजनीतिक दल के निर्माता हैं । राजनीतिक दल अपने सिद्धान्तों को किसी न किसी `वाद` के देवता की पूजा का प्रसून बनाते हैं । जिसके अपवाद भी कुछ राजनीतिक दल हो सकते हैं । राजनीतिक दल अपना संगठन अपने अलग अलग दलीय संविधानों के अनुसार करते हैं जिसके प्रत्येक इकाईयों में ऊर्ध्वाधिर संबंध हो स्थापित है जो कि शक्ति के केन्द्रीयकरण का परिचायक है । राजनीतिक दल अपनी संगठनात्मक इकाईयों के माध्यम से सत्ता का क्रम और श्रम का अधिक विभाजन, नेतृत्व दक्षता का विकास, घटकों में शान्तिपूर्ण समायोजन दलीय निष्ठा का जागरण, राजनीतिक सात्मीकरण (Assimilation) तथा राजनीतिक समाजीकरण करते हैं । नागरिकों को क्रमशः समर्थक, सदस्य, पदाधिकारी , कार्यकर्ता, नेता एवं शासक की भूमिकाओं का सफल निर्वाह करने का प्रशिक्षण राजनीतिक दल के संगठन में मिलता है । विधान सभा क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्लाक कांग्रेस कमेटियां, भारतीय जनसंघ की मण्डल समितियां तथा भारतीय लोकदल की क्षेत्रीय कौंसिल इकाईयों का गठन हुआ है । दल के सदस्यों की संख्या इन दलों को विधान सभा निर्वाचनों में प्राप्त मतों की संख्या का अत्यन्त अल्पांश है । पदाधिकारियों का चुनाव या चयन या मनोनयन उच्च इकाईयों के पदाधिकारियों या कार्यकर्ताओं या नेताओं अथवा शासकों की इच्छाओं के अनुकूल तथा उपस्थित `गुटों` के अनुरूप किया जाता है । पदाधिकारी

दल हित में अपने समय को लगाने के बदले आर्थिक मूल्यांकन हेतु विशेष इच्छुक हैं। प्रत्येक पदाधिकारी की शक्ति एवं कार्यों में स्पष्ट विभाजन नहीं है जिससे उत्तरदायित्व की अनुभूति अपेक्षित मात्रा में नहीं होती है। कोषाध्यक्ष का पद शोभार्थ प्रतीत होता है क्योंकि किसी भी दल की इकाई के कोषाध्यक्ष के पास दल का वैधानिक निर्धारित अंश भी नहीं मिला। इन इकाईयों में नियंत्रणशीलता, गतिशीलता, संतुलनशीलता, दलीय निष्ठा, सुस्पष्टता, संवेदनशीलता एवं लोकतंत्रात्मकता के वांछित अंशों का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक दलों के आनुषंगिक संगठनों की इकाईयों का यों तो गठन नहीं हुआ है यदि गठित भी है तो क्रियाशीलता के निरीक्षण के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। ब्लाक कांग्रेस कमेटियां, मण्डल समितियां तथा क्षेत्रीय कौंसिल विशेष रूप से मत पकड़ने वाले यंत्र का कार्य करती है। इन इकाईयों का गठन सुचारु प्रभावी एवं उपयोगी सिद्ध न होने का प्रधान कारण इनका शक्तिहीन एवं उपेक्षित होना है जो कि दल के संगठन में लोकतांत्रिक भावना की कमी का द्योतक है।

राजनीतिक दल के तृतीय तत्व नेतृत्व का अध्ययन करने से स्पष्ट हुआ कि राजनीतिक दल संगठित नेतृत्व का विकास करते हैं। नेतृत्व परिस्थिति सापेक्ष होता है और राजनीतिक प्रवरों के " अहं " को विकसित करता है। वर्तमान समय में राजनीतिक दल के नेताओं के प्रति जनता में विशेष घृणा भाव एवं अविश्वास उत्पन्न हुआ है जिसके प्रमुख कारण हैं - नेताओं के अप्रभावी चरित्र एवं व्यक्तित्व, राजनीति को व्यवसाय बनाना, सत्ता, पद एवं धनोपार्जन के लिए राजनीतिक करना तथा धूर्तता आदि। नेताओं की व्यक्तिगत प्रकृति लोकतांत्रिक की अपेक्षा प्राधिकारवादी अधिक मिली जो कि दल के अन्दर अनुशासनहीनता एवं विघटन का मूलाधार है। नेताओं द्वारा दल से सम्बद्ध जनों का सिद्धान्त बोधन बहुत कम होता है जिससे दल में एकात्मकता सुस्पष्टता, ध्येयनिष्ठा, त्यागवृत्ति, आदर्श जीवन, लोकार्थिक व्यवहार, सुम्यकीय व्यक्तित्व एवं क्षमता की अभिवृद्धि आदि के संस्कार दल में प्रविष्ट नागरिकों का वांछित अंशों में नहीं हो पाता है। अपने दल को शक्तिशाली एवं प्रभुत्व संपन्न करना (कुछ परिस्थितियों में स्वयं को ही) राजनीतिक शिक्षा देना, राजनीतिक मूल्यों का विचार एवं प्रचार, राजनीतिक नैतिकता का निर्धारण प्रतिपालन एवं अभिरक्षण

दल का प्रतीकीकरण, नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन तथा राजनीतिक शैली का विकास राजनीतिक नेताओं के प्रमुख कार्य हैं। नेताओं ने स्वयं नेतृत्व के विकास के लिए पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता का अनुभव किया है।

राजनीतिक दल शासनेच्छा की पूर्ति के लिए जन समर्थन प्राप्त करने का निरन्तर न्यूनाधिक अंशों में प्रयास करते हैं जिसका फल उन्हें निर्वाचनों में अपने दल के प्रतिनिधियों को जन प्रतिनिधि निर्वाचित होने पर मिलता है। निर्वाचन में दल के प्रत्याशी का निर्णय विधान सभा में अपनी गठित इकाईयों के सदस्यों के बहुमत या सर्वसम्मत से न होकर उच्च इकाईयों के पदाधिकारियों के द्वारा होता है जो कि आत्म निर्णय के विपरीत है। जन प्रतिनिधि होने के लिए प्रत्याशियों के चयन में शैक्षिक योग्यता को बहुत कम तथा जातिगत संख्या, साधन संपन्नता, ऊपर तक पहुंच, जीतने की आशा एवं नेता के प्रति अटूट भक्ति-भाव आदि का विशेष ध्यान रक्खा जाता है। प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए क्रमशः जातिवाद, प्रलोभन आश्वासन, तात्कालिक लाभ तथा सिद्धान्त का सहारा लिया जाता है और निर्धारित व्यय सीमा से अधिक धन सत्तारूढ़ या संभावित विजयी दल द्वारा व्यय किये जाने का अनुमान है। जनसमर्थन प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को आंतकित भी किया जाता है तथा अपराधियों को सहयोग भी दिया जाता है। जनसमर्थन प्राप्त करने के हेतु राजनीतिक दलों के द्वारा राजनीति का आधुनिकीकरण हित संधियोजन एवं समूहन किया जाता है।

राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति के द्वारा व्यक्ति, समूह एवं राष्ट्र में राजनीतिक चेतना को विकसित करने की प्रक्रिया है जिससे वर्तमान या भावी राजनीतिक समाज में उनकी भूमिकायें सुनिश्चित एवं धारण या परिवर्तित की जाती है। राजनीतिक समाजीकरण के तीन पक्ष- राजनीतिक अनुस्थिति ज्ञान, राजनीतिक भाग ग्रहण एवं राजनीतिक संज्ञान हैं। राजनीतिक भाग ग्रहण अपने तन, समय, धन, साधन एवं शक्ति का राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में प्रयोग करना है अर्थात् राजनीतिक व्यवहार है। राजनीतिक दल नागरिकों को राजनीतिक भाग ग्रहण के अवसर, स्थान, परिवेश एवं कौशल प्रदान करते हैं। सत्ता

कांग्रेस मे हरिजन एवं मुसलमान , भारतीय जनसंघ में उच्च वर्ण और भारतीय लोकदल में निम्नवर्ण के नागरिक विशेष भाग लेते हैं । नागरिकों की दृष्टि से विशेष राजनीतिक सक्रियता के उद्देश्य क्रमशः धनोपार्जन, प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक सुधार, सामाजिक, प्रतिष्ठा एवं देश सेवा है अर्थात् देश सेवा के उद्देश्य से राजनीति में भाग लेनेवाले व्यक्तियों को संख्या बहुत कम है । राजनीतिक भाग ग्रहण को जाति, शिक्षा, आयु, व्यवसाय, धर्म, लिंग, पारिवारिक जीवन राजनीतिक दल की सदस्यता एवं आर्थिक दशा विशेष रूप से प्रभावित करनेवाले कारक है । अनुसूचित जाति के मतदाता का मतदान में भाग लेने में प्रथम और पिछड़ी जातियों के मतदाताओं का द्वितीय स्थान है । मतदाताओं को मतदान के प्रति उदासीनता राजनीति में रुचि के अभाव एवं शत्रुता में वृद्धि के भय के कारण होती है ।

राजनीतिक समाजीकरण का सब से महत्वपूर्ण तृतीय पक्ष राजनीतिक संज्ञान है । राजनीतिक संज्ञान का तात्पर्य राजनीतिक संस्थाओं, प्राधिकारियों ,शक्तियों एवं समस्याओं से संबंधित ज्ञान को नागरिक में अन्तर ग्राह्यता है अर्थात् राजनीतिक संस्कृति है । विकास खण्ड स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक की प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं, उनके प्राधिकारियों तथा उनकी शक्तियों के विषय में ज्ञान की अन्तर ग्राह्यता को समझने के लिए साक्षात्कार लिये गये जिससे ज्ञात हुआ कि जिनका जनता से प्रत्यक्ष संपर्क है जिनको आयु अधिक हो गई है जिनके विषय में विशेष प्रचार होते हैं तथा जो जन समस्याओं का क्षेत्र स्तर पर समाधान देते हैं उनके विषय में सभी जातियों, व्यवसायों, आयु वर्गों एवं शैक्षिक स्तरों के नागरिकों को जानकारी है । राजनीतिक सूचना के लिए सब से अधिक विश्वास रेडियो पर किया जाता है (आपातकाल में बहुत कम) । चालीस प्रतिशत मुसलमान भारतीय सूचना प्राप्ति के माध्यमों पर विश्वास नहीं करते हैं । नागरिकों को सब से अधिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं उसके नेताओं का ज्ञान है । नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह है । नागरिकों को अपने विधान सभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं जैसे सिंचाई साधनों का अभाव, बेकारी, सड़कों की कमी एवं दुर्दशा, पेय जल संकट, अस्पतालों का अभाव एवं उनकी सुविधाओं में अल्पता , यातायात के साधनों का अभाव, विद्युत शक्ति का अभाव , मूल्य वृद्धि , नारी शिक्षण संस्थाओं

का अभाव , जातिवाद, भ्रष्टाचार, सुरक्षा व्यवस्था का अभाव, बहुसंख्यकों द्वारा उत्पीड़न तथा हरिजन आबादी का आवंटित न होना आदि का ज्ञान है । उच्चजाति एवं मुसलमान नागरिकों के राजनीतिक समाजीकरण का स्तर ऊंचा है किन्तु सभी जातियों से राजनीतिक दलों के सदस्यों का राजनीतिक संज्ञान अधिक है जो यह सिद्ध करता है कि राजनीतिक दल राजनीतिक समाजीकरण के सर्वश्रेष्ठ सबल एवं सफल अभिकरण है ।

सु झा व

(1) राजनीतिक दल का एक वर्ग शासन में प्रवेश कर लोक प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा वर्ग संगठन में कार्य करके दल प्रतिनिधित्व करता है । लोक प्रतिनिधि और दल प्रतिनिधि में अपने वर्चस्व के लिए अनेक रूपों में कलह होता है । लोक प्रतिनिधि सत्ता के कारण सबल पड़ता है एवं दल प्रतिनिधि का अपमान करता है । लोक प्रतिनिधि की अनुशासनहीनता दल के द्वारा कड़वे घूँट की तरह पान की जाती है जो दल के विघटन में सहायक है । राजनीतिक दल लोक प्रतिनिधियों के नामों की घोषणा करते है किन्तु स्वयं निर्वाचन नहीं कर सकते । दूसरी ओर जनता निर्वाचन करती है किन्तु अपने ही प्रतिनिधियों को प्रत्याहूत नहीं कर सकती ऐसी स्थिति में लोक प्रतिनिधि अपने दल तथा मतदाताओं दोनों के नियंत्रण से आगामी निर्वाचन तक स्वच्छन्द रहता है । अत: दल को अपने लोक प्रतिनिधि को प्रत्याहूत करने का अधिकार होना चाहिए और उसकी प्रक्रिया राज्य द्वारा मान्य हो ।

(2) प्रत्येक राजनीतिक दल विभिन्न नीतियों से संबंधित प्रस्तावों को बड़े धूमधाम से पारित करते हैं । ये प्रस्ताव बहुत आकर्षक, मनोरंजक, प्रोत्साहक तथा दार्शनिक प्रतीत होते हैं । यदि उस दल विशेष की सरकार न बनी तो प्रस्ताव व्यर्थ हो जाते हैं । सरकार बनने पर भी समय एवं रूपरेखा का बंधन नहीं रहता । अत: सरकारी दल विरोध पक्ष से नैतिक समर्थन

की याचना करें और समर्थन प्राप्त होने पर सम्मानित करें। विरोध पक्ष रचनात्मक सम्मतियाँ दें तथा दल के अस्तित्व से अधिक राष्ट्र के अस्तित्व को महत्व दें। संपूर्ण राष्ट्र में विभिन्न स्तरों पर सर्वदलीय राष्ट्रीय विकास परामर्शदात्री संस्थायें बनें।

(3) राज्य की जनता का एक प्रबुद्ध एवं निष्ठावान वर्ग सरकारी सेवा में संलग्न है। निर्वाचन में राज्य के भाग्य का जब निर्णय होता है तब सरकारी सेवक वर्ग की जिह्वा पर ताले लटकते हैं। समाजवादी व्यवस्था में इनकी संख्या बढ़[1] रही है, १९६७ मार्च तक १ करोड़ २४ लाख ८५ हजार थी। जब इन सरकारी कर्मचारियों को मतदान का अधिकार प्राप्त है तब किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण का अधिकार भी मिलना चाहिए क्योंकि विभिन्न संगठनों के द्वारा राजनीतिक दल से सम्बद्ध रहते ही हैं। राजकीय कर्मचारियों की सदस्यता से राजनीतिक दलों की नीतियों में व्यावहारिकता अधिक होगी।

(४) देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक के लिए राजनीतिक दल की सदस्यता अनिवार्य नहीं है परिणामस्वरूप राजनीतिक बोध, सूचना एवं ज्ञान उन्हें नहीं होता। चुनावों में मतदान करने का प्रतिशत सामान्य रूप से 50 से कम ही रहता है। राजनीतिक औदासीन्य पनपता है। निर्वाचनों में अभ्यर्थी बनने के लिए शिक्षा, देश सेवा तथा उज्ज्वल चरित्र की योग्यता अनिवार्य हो जिससे जनतंत्र के दोष दूर हो सकें।

(५) कोई भी राजनीतिक दल सरकार के समक्ष आय-व्ययक की आलोचना के अतिरिक्त अपनी ओर से दूसरा आय-व्ययक प्रस्तुत करने की चेष्टा नहीं करता। प्रत्येक दल का लोक प्रतिनिधि अपने दल द्वारा निर्मित आय व्ययक सदन के पटल पर रखे तो सरकारी आय व्ययक के लिए दिशा निर्देश प्राप्त हो और त्रुटियों पर अंकुश लग सके। दल के नेताओं में शासन की प्रमुख समस्या से संबंधित ज्ञान का विकास हो सके अन्यथा वे प्रशासनिक कर्मचारियों की बैसाखी पर ही यात्रा करने के लिए बाध्य होंगे।

(६) प्रत्येक राजनीतिक दल संगठनात्मक इकाइयाँ बनाता है। विशिष्ट कार्यों के लिए संसदीय, निर्वाचन, अनुशासन और कार्यान्वयन समितियाँ परिषद् एवं मण्डल भी बनाता है। इन समितियों, परिषदों एवं मण्डलों में तथा संगठनात्मक इकाइयों में जो सदस्य होते हैं वे उच्च संवर्ग व्यक्तित्व रखते हैं किन्तु जब इन्हें सरकार के विभिन्न विभागों में मंत्रीय दायित्व संभालना पड़ता है तब अपनी अयोग्यता से अपार आत्मवेदना अनुभव होती है। इनकी अकुशलता सचिवों की दया से दूर होती है। यदि राजनीतिक दल के अन्दर विभिन्न विभागों से संबंधित योग्यताओं का सृजन करनेवाली विशिष्ट शक्ति संतुलनकारी एवं एकात्मक समितियाँ हों तो नेताओं में सरकार संचालन योग्यता उत्पन्न हो जायेगी।

(७) राजनीतिक दलों का संरक्षक, नियंत्रण, प्रेरक, प्राण एवं अभीष्ट जनमत ही है इसीलिए सर्वदा तथा सर्वथा इसे प्रसन्न करने में ये आतुर रहते हैं। जनमतार्जन की प्रमुख क्रिया के कारण इन्हें मतग्राही यंत्र, चुनाव मंत्र और मत जीतने में पटु व्यक्तियों की टोली समझा गया।[2] जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक दल अनेक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष वैध अथवा अवैध और तात्कालिक अथवा दीर्घ-कालिकउपाय करते हैं। जनमत में दल सक्रिय तथा जन निष्क्रिय होता है। मतदान के पश्चात जन निश्चित हो जाता है और राजनीतिक दल संपर्क बहुत कम कर देते हैं। जनमत के अतिरिक्त जनेच्छा का नियंत्रण दल एवं सरकार दोनों पर होना अनिवार्य है। जनेच्छा में लोक सक्रिय होकर राजनीतिक दल को अपने अनुसार व्यवहार करने हेतु बाध्य करेगा। जनमत में राजनीतिक दल को घोषित नीतियों में ही चयन करने के लिए लोक स्वयं बाधित होता है। जनेच्छा की जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग की भाँति स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सक्षम संस्थायें स्थापित की जांय। जनमत एवं जनेच्छा दोनों के नियंत्रण से राजनीतिक दल के बहुत से दोष दूर हो जायेंगे।

(८) प्रत्येक राजनीतिक दल जनता के विभिन्न वर्गों से आर्थिक समर्थन प्राप्त करता है। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में वित्त का अतुलित बल प्रयुक्त हो रहा है। यद्यपि सभी दल वित्तीय अभाव की प्रतीति करते हैं किन्तु मोहपाश से मुक्त नहीं हो पा रहे है। अर्थ संग्रह की अनेक शैली विकसित हो गयी है जिसमें उत्कोच भी एक है। सम्पन्न वर्ग के उचित और अनुचित कार्यों को येनकेन प्रकारेण करवाकर दल को सबल बनाने के निमित्त धन लेते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक राजनीतिक दल को आर्थिक स्थिति लोक सेवा परीक्षण द्वारा निश्चित एवं आकस्मिक काल क्रमों में परीक्षित होनी चाहिए और विवरण जनता तक पहुंचना चाहिए। लोक प्रतिनिधियों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन वर्ष में दो बार अवश्य होना चाहिए।

(९) राजनीतिक दल के अन्तर्गत रहकर संयमित, देशसेवीय एवं समर्पित जीवन व्यतीत करनेवाले नागरिकों को जनता लोक प्रतिनिधि का पुरस्कार देती है जिसे सरकार भी मान्य करती है। लोक प्रतिनिधि होने का स्वर्णिम अवसर राज्य सभा में २४४ तथा लोकसभा में ५४२ एवं विधान परिषदों में ५३४ तथा विधान सभा में ३५४१ नागरिकों को भारत में मिलता है।[3] दल का प्रतिनिधित्व करनेवाले नागरिकों को दल पदोन्नति का पुरस्कार ही दे पाता है और सरकार की ओर से उनकी सेवाओं का कोई भी मूल्यांकन नहीं होता। दल प्रतिनिधि को आर्थिक दशा दयनीय होने पर या तो वह आर्थिक लक्ष्य बना लेता है या उदासीन हो जाता है क्योंकि भविष्य अन्धकारमय दिखलाई देता है। अतः राजनीतिक सेवा और आयु के आधार पर राज्य द्वारा राजनीतिक निवृत्ति वेतन व्यवस्था अनिवार्य रूप से प्रत्येक दल के लिए होनी चाहिए।

(१०) राजनीतिक दल अपने दल से सम्बद्ध नागरिकों की राजनीतिक चेतना को उत्तरोत्तर ऊर्ध्वगामी रखते हैं। अपने वैचारिक तथ्यों को संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के मानस भवन में क्रमबद्ध ढंग से प्रवेश करवाता है। किन्तु

यह अनुभव जन्य तथ्य है कि वैचारिक सुस्पष्टता का प्रतिशत बहुत कम है। दल के एक ही विचार का भाष्य एक समान नहीं होता। इसका प्रमुख कारण कार्यकर्ताओं को वैचारिक सिद्धता का अभाव ही है।* अधिकेन्द्रित नेता अपने अनुगामियों को सभा में उपस्थित, राजनीतिक साहित्य अध्ययन- प्रसारण-श्रवण और इसी प्रकार की क्रियाओं में व्यस्त रखकर उन तक पहुंचता है और उनको अपने विचारों से सिद्धान्त बोधन करता है। रूस को स्थायी लाल सेना दल के सिद्धान्तों से स्वयं ओत प्रोत है। अतः प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने से संबंधित व्यक्तियों का सिद्धान्त बोधन विशिष्ट कार्यक्रमों एवं साधनों से करना चाहिए तब वैचारिक जीवन तथा व्यावहारिक जीवन में अन्तर नहीं पड़ेगा। ऐसे सिद्धान्त बोधित व्यक्तियों पर जनता विश्वास कर सकेगी अन्यथा राजनीतिज्ञों का विश्वास जो द्रुतगति से गिर रहा है वह रुक न पायेगा। लगभग 97 प्रतिशत ब्रिटिश नागरिक यह समझते हैं कि राजनीतिज्ञ झूठे होते हैं[6]।

(११) प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना अलग नैतिक ,सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य है जिसकोदृष्टिगत कर राजनीतिक व्यवहार स्वयं करता है और अन्यों का मूल्यांकन करता है। किसी विरोधी नेता को सभा के प्रति, कोई दल नैतिक समर्थन ,कोई दल उदासीनता , कोई दल मर्यादित विरोध, कोई दल हो हल्ला, कोई दल तोड़फोड़ और कोई दल मार पीट का व्यवहार करना उचित समझता है किन्तु वास्तव में उचित क्या है इसका निर्धारण कौन करे ? संभ्रम व्यावहारिक परिस्थिति के समापन के लिए राजनीतिक दलों की एक आचार संहिता अनिवार्य है। एक आचार संहिता होने पर उसकी धाराओं एवं उपधाराओं के उल्लंघन करने पर दण्ड का प्राविधान हो। निर्वाचन आयोग के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा न्याय प्रदान किया जाय।

उपरोक्त समीचीन सुझावों से मुक्त हो जाने पर राजनीतिक

दल राजनीतिक समाजीकरण के सम्यक एवं समग्र अभिकर्ता का श्रेयस्कर पद प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक चेतना तथा राजनीतिक संस्कृति का त्वरित विकास होगा और राष्ट्रीय चरित्र तेजस्वित होगा। जनतंत्र पुनीत, विश्वबंधुत्व प्रणादित एवं मानवता प्रमुदित हो जायेगी तथा भारत राजनीतिक मंत्र द्रष्टा बन सकेगा।

सन्दर्भ - संकेत :-

१- भारत १९७६ ' सन्दर्भ ग्रन्थ भारत सरकार, पृष्ठ १६१ ।

२- स० डुवरजर , पौलिटिकल पार्टीज, १९६५ , पृष्ठ २१-२२ ।

३- ~~भारत १९७४ , सन्दर्भ ग्रन्थ भारत सरकार, पृष्ठ संख्या ३०-३९~~ । राज्यसभा तथा ~~विधान परिषदों के सदस्यों व~~

४- एस० एम० लिपसेट, पौलिटिकल मैन, १९७३ , पृष्ठ १७६ ।

५- ई० वार्कर , रिफ्लैक्शन्स आन गवर्नमेण्ट १९४८ , पृष्ठ २८५ ।

६- देशदूत (दैनिक समाचार पत्र वर्ष ५ अंक १२२) १९ मार्च, १९७६, पृष्ठ ४ ।

*: विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या डा० दुर्गादास बसु की पुस्तक 'Introduction to The Constitution of India' के १९७८ संस्करण से ली गयी है। लोकसभा तथा विधान सभा के सदस्यों की उसमें नवीनतम संख्या नहीं मिली और न 'भारत-१९७७' अथवा 'भारत-१९७८' ही कहीं उपलब्ध हो सके। अतः वे संख्यायें श्री पुखराज जैन की पुस्तक 'भारतीय संविधान और नागरिकता' के अंतिम संस्करण से ली गयी हैं।

परिशिष्ट ' क '

(संगठन की इकाईयों के पदाधिकारियों से साक्षात्कार में प्रयुक्त प्रश्नावली)

विकास खण्ड : न्याय पंचायत : ग्राम : राजनीतिक दल का नाम :
पद : नाम : जाति : आयु : शैक्षिक योग्यता : मुख्य व्यवसाय :
गौण व्यवसाय : कृषि क्षेत्रफल : वेतन स्तर : पिता की संतान संख्या :
निजी सन्तानों की संख्या : विधुर। विधवा। दम्पति : राजनीतिक आयु :
पदावधि ।

१- आप अपने दल का चुनाव चिन्ह और झण्डा बताइये ।

२- दल के संगठन की कौन कौन इकाईयां नीचे से ऊपर तक है ।

३- विकास खण्ड स्तर के सभी पदाधिकारियों का विवरण दीजिए ।

४- सदस्यों की कौन कौन श्रेणियां हैं ।

५- आपके दल के सदस्यों की आपके विकास क्षेत्र में वर्तमान समय में कितनी संख्या है ।

६- विकास खण्ड स्तर पर क्या दल का स्थायी कार्यालय है ? यदि हां तो कितने घण्टे खुला रहता है और स्थायी रूप से कौन उसका कार्य देखता है ।

७- दल के पास विकास क्षेत्र स्तर पर यात्रा के कौन कौन और कितने साधन हैं ?

८- दल के पदाधिकारियों का चुनाव विकास खण्ड स्तर पर कैसे होता है ?

९- क्या किसी पद को प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ ? यदि हां तो किस पद के लिये ?

१०- पदाधिकारियों की बैठकें कब कब और कहां होती है ?

११- सूचनायें बैठक के संबंध में पदाधिकारियों के पास कैसे पहुंचती हैं ?

१२- क्या सभी पदाधिकारी निश्चित समय पर बैठक में पहुंच जाते हैं ? विलम्ब से कौन आता है ?

१३- बैठकों का विवरण क्या किसी पंजिका (रजिस्टर) में लिखा जाता है ? पंजिका कहां रहती है ?

१४- पिछले वर्ष कुल कितनी बैठकें हुईं ?

१५- बैठक की गणपूरक संख्या (कोरम) क्या है ?

१६- बैठकों में यदि अध्यक्ष अनुमति न दे तो भी क्या सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता है ?

१७- आपके दल में कौन कौन ऐसे नेता है, जिनके आपसी संबंध अच्छे नहीं है

१८- दल के संगठन में कार्य करनेवाला जब शासन के पद को प्राप्त कर लेता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं ?

१९- दल के किसी सदस्य को दल की सदस्यता से वंचित करने का क्या नियम है ?

२०- आज तक कितने सदस्यों पर ऐसी कार्यवाही हुई है ?

२१- कितने सदस्यों ने त्याग पत्र दिया है और क्यों ?

२२- दल के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार अधिक योग्य बनाते हैं ?

२३- आपके दल के मुख पत्र कौन कौन है ? उनकी कितनी प्रतियां इस विकास खण्ड में आती हैं ?

२४- दल का सदस्य बनने की क्या निश्चित अवधि होती है ?

२५- क्या सदस्यता अभियान में कोई प्रचार या सभा करते हैं ?

२६- क्या आपके कार्यालय में आकर लोग सदस्य बनते है ?

२७- दूसरे दल के सदस्यों, कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपनी ओर किन विधियों से आकर्षित करते हैं ।

२८- आप इस दल के सदस्य प्रथम बार किस सन् में बने और किसने बनाया ?

२९- क्या तब से अब तक के मध्य किसी और दल के सदस्य बने ?

३०- आप राजनीतिक में 24 घण्टे में कितना समय औसत दे देते हैं ?

३१- जिसने आपको प्रथम बार सदस्य बनाया उसको किस बात से आप अधिक प्रभावित हो गये।

३२- आपने राजनीतिक दल की सदस्यता क्यों ग्रहण की ?

३३- दल के नेता अपने कार्यकर्ताओं की क्या क्या व्यक्तिगत सहायतायें करते हैं ?

३४- सार्वजनिक हित के कौन कौन से कार्य आपके द्वारा हुए हैं ?

३५- आपका दल विधान सभा निर्वाचन के लिए प्रत्याशी का निर्णय कैसे करता है ?

३६- संगठन की सब से छोटी इकाई से क्या पिछले चुनाव में परामर्श लिया गया ?

३७- यदि कोई ऐसा प्रत्याशी आ जाता है जिसे इकाई की संस्तुति नहीं रहती तब पदाधिकारी क्या करते है ?

३८- विधान सभा के पिछले निर्वाचन में आपके दल का अनुमानतः कितना धन व्यय हुआ होगा ?

३९- यह धनराशि किन किन साधनों से और कितनी प्राप्त हुई होगी ?

४०- विरोधी दलों ने कितना व्यय किया ? नाम और धनराशि का अनुमान दीजिए

४१- इन्हें किन किन साधनों से और कितनी प्राप्त हुई होगी ?

४२- यदि आपका विरोधी प्रत्याशी विजय की स्थिति में आ जाय तो उसके साथ क्या करेंगे ?

४३- आपके दल को किस दल से अधिक भय है ?

४४- ऐसा अनुभव आप क्यों करते है ?

४५- आप मतदाताओं को अपनी ओर लाने के लिए किन किन चीजों का सहारा लेते हैं ?

(क) सिद्धान्त (ख) जातिवाद (ग) आश्वासन (घ) प्रलोभन (ङ) धन (च) आतंक (छ) दबाव (ज) आपसी वैरभाव का उद्दीपन (झ) अन्य दलों की आलोचना (ञ) नेताओं द्वारा सम्बोधन (ट) अन्य।

४६- मतदाता सब से अधिक किस उपाय से प्रभावित होता है।

४७- आपके दल के विधायक। विधायक प्रत्याशी ने कार्यकर्ताओं के कौन कौन से कार्य किये है ?

४८- क्या आप प्रत्येक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से संपर्क रखते हैं ? ऐसा क्यों करते है ?

४६- किस दल से आपको भय नहीं लगता है ? ऐसा क्यों ?

५०- आपके दल का किन किन वर्गों में और किस नाम से संगठन है। कृषक मजदूर : विद्यार्थी : अध्यापक : वकील : व्यापारी : अन्य

५१- क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राजनीतिक दलों के कारण अपराध करके छूटनेवालों की संख्या बढ़ती जा रही है ?

५२- यदि राजनीतिक नेताओं के हाथ न हो तो क्या अपराध कम होंगे ?

५३- राजनीतिक दल के नेता सरकारी कर्मचारियों को क्या आतंकित करके काम करा लेते हैं ?

५४- आप किस उद्देश्य से जन संपर्क करने जाते हैं ?

५५- क्या दल के संगठन का कार्य करके अपने नेतृत्व का विकास कर सकते हैं ?

५६- राष्ट्र में एकता कैसे लायी जा सकती है ?

५७- भारत का उत्थान किस विचारधारा से संभव है ?

५८- जनता की इच्छाओं का ज्ञान कैसे करते हैं ?

५६- आपका दल कौन कौन से उत्सव मनाता है ?

६०- अपने दल की नीतियों की जानकारी किस माध्यम से करते हैं (क) रेडियो (ख) अखबार (ग)

६१- आपको एक ही पुत्र हो, उसे राजनीति में जाने के लिए क्या करेंगे ? (क) उत्साहित (ख) अनुत्साहित (ग) कुछ नहीं।

६२- पिछले विधान सभा चुनाव में आपके दल की जो लोग सहायता किये हैं क्या उसकी सूची है ?

६३- चुनाव अभियान के समय आपके दल द्वारा कौन कौन से सार्वजनिक कार्य किये गये ?

६४- आपके दल के कितने सदस्य, दल के प्रत्याशी को विधान सभा निर्वाचन में मत नहीं दिये

६५- यदि वर्तमान से अधिक उत्तरदायित्व का पद दिया जाये तो कौन सा पद आप ग्रहण करेंगे।

६६- आप अपने दल के बाहर के किन तीन व्यक्तियों की बात नहीं टाल सकते हैं।

६७- क्या आपका विश्वास है कि जनता के सभी कार्य वैधानिक और लोकतान्त्रिक ढंग से हो सकते हैं।

६८- आपके दल ने जो आपका मूल्यांकन किया है उससे क्या आप संतुष्ट हैं ?

६९- यदि आपको कल राजनीतिक कार्य छोड़ना पड़े तो आपको कौन सी हानि होगी ?

७०- आपकी दृष्टि से किस दल के कार्यकर्ताओं को संतोष एवं पुरस्कार प्राप्त नहीं होते हैं

७१- मतदान में किसकी सलाह को सर्वाधिक लोग मानते हैं ?

७२- आपके क्षेत्र में अराजनीतिक संगठन कौन कौन हैं जो चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करते हैं ?

७३- राजनीति में आपके तीन घनिष्ट मित्र कौन कौन हैं ?

७४- आपके दल के कार्यकर्ता और समर्थक दल के प्रत्याशी न होने पर क्या कुछ भी करने को स्वतन्त्र हैं ?

७५- आपको अपने दल की कौन सी बात अधिक पसन्द है ?

७६- अपने दल की कौन सी बात बिल्कुल पसन्द नहीं है ?

७७- अन्य किसी दल की कोई बात क्या पसन्द है ?

७८- कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति गन्दा खेल है आप क्या अनुभव करते हैं ?

७९- दल को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या अनैतिक और अवैध कार्य करने ही पड़ते हैं ?

८०- विधान सभा की निर्वाचन प्रणाली में कौन कौन सी कमियां हैं ?

८१- यदि मतदाताओं को वरीयता देने का अधिकार मिल जाय और निर्णय बहुमत से हो तो क्या निर्वाचन के बहुत से दोष समाप्त हो जायेंगे ?

८२- आपके दल के सभी पदाधिकारियों का क्या निर्वाचन या चयन होता है और किस मुख्य आधार पर होता है ?

८३- एक ही पद पर एक व्यक्ति का बहुत वर्षों तक पदासीन रहना क्या संगठन के हित में है ?

८४- जिले की इकाईयों के पदाधिकारी कब आते हैं (क) नियमित (ख) कभी कभी (ग) वर्ष में एक बार (घ) केवल चुनाव के समय (ङ) किसी संकट के समय (च) कभी नहीं ।

८५- प्रदेश या देश स्तर के पदाधिकारियों का पिछले दो वर्षों में कितनी बार आगमन हुआ ?

८६- दल का सक्रिय कार्यकर्ता कभी कभी उदास क्यों हो जाता है ? उदाहरण दीजिए

८७- दल का नेता या कार्यकर्ता दल का परिवर्तन क्यों कर देता है ?

८८- आपके दल के कितने कार्यकर्ताओं ने पिछले दो वर्षों में दल परिवर्तन किया है।

८९- आप अपना आदर्श नेता किसे मानते है ?

९०- यदि आपका आदर्श नेता दल से त्याग पत्र दे दे तो उसके साथ के लिए क्या आप भी दल छोड़ देंगे ?

९१- आपके दल के लोक सभा सदस्य। प्रत्याशी का क्या विधान सभा क्षेत्र में आगमन होता है

९२- यदि संगठन के पदाधिकारियों का पद वैतनिक हो जाय तो कैसा रहेगा

(क) दल का संगठन सबल होगा (ख) पद के लिए बहुत से लोग इच्छुक हो जायेंगे (ग) पदाधिकारी अपनी व्यक्तिगत चिन्ताओं से मुक्त हो जायगा (घ) संगठन और शासन बराबर होंगे।

क्या आप इससे सहमत है ? यदि हाँ तो धन कैसे प्राप्त होगा ?

९३- दल के कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत चरित्र पर कितना ध्यान देना चाहिए

(क) अधिक (ख) कम (ग) बिल्कुल नहीं

९४- आपके दल के कार्यकर्ता अपने दल के सिद्धान्तों और नीतियों को अपने व्यावहारिक जीवन में किस अंश तक अपनाये हुए हैं ?

(क) बहुत कम (ख) कम (ग) आधा (घ) अधिक (ङ) पूर्णरूपेण

(च) बिल्कुल नहीं

९५- आपकी दृष्टि से किस राजनीतिक दल का भविष्य अच्छा दिखलाई पड़ रहा है और क्यों ?

९६- आपका दल अपने आवश्यक कार्यों के संचालन के लिए धन कैसे इकट्ठा करता है

(क) सदस्यता शुल्क (ख) व्यापारियों को सुविधा प्रदान कर - जैसे कोटा, परमिट, लाइसेन्स (ग) दान।

९७- दल इस धन को कहां कहां व्यय करते हैं ? चुनाव में किन किन रूपों मे व्यय करते है ?

९८- दल के आन्तरिक मतभेदों को कार्यकर्ता या नेता किन किन रूपों में प्रकट करते हैं ?

(क) वाद विवाद (ख) उच्च पदाधिकारियों से निन्दा (ग) जनता में प्रचार (घ) विरोधी दलों को बताकर (ङ) मारपीट (च) गाली गलौज (छ) अन्य।

९९- दल के पदोन्नति किन किन आधारों पर होती है ?

(क) समय का दान (ख) वर्गीय प्रतिनिधित्व (ग) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

(घ) दल के प्रति निष्ठा (ङ) शैक्षिक योग्यता (च) साधन संपन्नता

(छ) कार्यों के अनुभव (ज) नेताओं के प्रति भक्ति (झ) अन्य ।

१००- प्रत्येक राजनीतिक दल के नेता आपस में मिलते रहें तो कैसा रहेगा ?

हस्ताक्षर पदाधिकारी

दिनांक

परिशिष्ट ' ख '

(राजनीतिक दलों के नेताओं से साक्षात्कार में प्रयुक्त प्रश्नावली)

राजनीतिक दल का नाम : नाम : जाति : पद : आयु :
राजनीतिक आयु : शैक्षिक योग्यता : मुख्य व्यवसाय : गौण व्यवसाय :
पुरुष । स्त्री : धर्म : भाषाओं का ज्ञान संयुक्त। विभक्त परिवार :
परिवार सदस्य संख्या ? परिवार में स्थान : राजनीति में प्रयुक्त समय :
पदों का अनुभव :

१- किन परिस्थितियों ने आपको राजनीति में ला दिया ?
२- संगठन में अनुशासन बनाये रखने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं ?
३- दल को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या क्या करते हैं ?
४- सन् 1974 ई० के विधान सभा चुनाव में जीत। हार किन स्थितियों में हुई ?
५- सभी नागरिकों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान कैसे कराया जाना चाहिए ।
६- नेता में किन किन विशेषताओं का होना आवश्यक है ।
७- दल परिवर्तन पर आपका क्या विचार है ?
८- सभी दलों के नेता आपस में मिलते जुलते रहे तो देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा
९- भारत की सर्वांगीण प्रगति, वर्तमान परिस्थितियों में कैसे हो सकती है ?
१०- चुनावों में धन के कुप्रभाव को कैसे रोका जाय ।
११- यदि मतदाताओं को वरीयता मत देने का अधिकार मिल जाये तो विधान सभा निर्वाचन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?
१२- राजनीतिक दलों में गुट बन्दी क्यों पैदा हो जाती है ?

१३- आप राजनीति करना बन्द कर दें तो आपकी क्या क्या हानियां होंगी ?

१४- राजनीति करनेवालों के प्रति जनता आजकल कैसा भाव रखती है ?

१५- राजनीतिज्ञों के लिए पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण हो तो कैसा रहेगा ?

१६- दल के अन्दर भिन्न भिन्न वर्गों में सामंजस्य कैसे बढ़ाते हैं ?

१७- कार्यकर्ताओं का व्यक्तिगत हित किन किन रूपों में करते हैं ?

१८- दल की नीतियों का निर्धारण कितने लोग करते हैं ?

१९- मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार मिल जाय
तो कैसा रहेगा ?

२०- कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त करने में किन किन बातों पर ध्यान देते हैं

२१- दल के प्रत्याशी का अन्तिम निर्णय निर्वाचन क्षेत्र में दल के सदस्यों के द्वारा ही
निर्वाचन हो तो कैसा रहेगा ?

हस्ताक्षर

दिनांक

परिशिष्ट ' ग '

(नागरिकों से साक्षात्कार में प्रयुक्त प्रश्नावली)

विधान सभा क्षेत्र : विकास खण्ड : न्याय पंचायत : ग्राम :
नाम : जाति : आयु : शिक्षा :
मुख्य व्यवसाय : गौण व्यवसाय : कृषि का क्षेत्रफल ?
वेतन स्तर ? परिवार सदस्य संख्या : परिवार में मतदाता संख्या :
अनुपस्थित मतदाता संख्या : भाषा : धर्म : नगर से संबंधित
सदस्य संख्या : स्वचालित यंत्र :

१- विकास खण्ड का सब से बड़ा अधिकारी कौन होता है।
२- आपके विकास खण्ड के प्रमुख (ब्लाक प्रमुख) का क्या नाम है
३- विकास खण्ड समिति का क्या अर्थ है ?
४- तहसीलदार का क्या प्रमुख कार्य है ?
५- थानाध्यक्ष (थानेदार) का क्या कार्य है ?
६- जिले का सब से बड़ा अधिकारी कौन होता है ?
७- जिला परिषद् का क्या काम है ?
८- जिले के न्यायालयों का सब से बड़ा अधिकारी कौन होता है ?
९- पुलिस विभाग का जिले में सब से बड़ा अधिकारी कौन होता है ?
१०- इलाहाबाद जिले में विधायकों की कुल संख्या कितनी है ?
११- हंडिया विधान सभा क्षेत्र का वर्तमान विधायक कौन है ?
१२- इस क्षेत्र का वर्तमान संसद सदस्य कौन है ?
१३- आप किस प्रदेश के निवासी हैं ?
१४- आपके प्रदेश का वर्तमान मुख्य मंत्री कौन है ?
१५- आपके प्रदेश की राजधानी कहाँ है ?
१६- उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों के नाम बताइये ?

१७- उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है ?

१८- उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के वर्तमान प्रधान न्यायधीश का नाम बताइये ?

१९- उच्च न्यायालय के न्यायधीशों पर आप कितना विश्वास करते हैं ?

२०- मुख्य मंत्री को पद से कौन हटा सकता है ?

२१- उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है ?

२२- भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है ?

२३- भारत की राजधानी कहां है ?

२४- भारत का वर्तमान प्रधान मंत्री कौन है ?

२५- भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है ?

२६- सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश का नाम बताइये ?

२७- भारत के राष्ट्रपति का सब से बड़ा अधिकार क्या है ?

२८- भारत के राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है ?

२९- भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम बताइये।

३०- भारत के प्रधान मंत्री किस सदन का नेता होता है ?

३१- सर्वोच्च न्यायालय, संसद और राष्ट्रपति ये तीनों किससे नियंत्रित रहते हैं ?

३२- भारत के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन है ?

३३- इंडिया विधान सभा क्षेत्र से किस दल का प्रत्याशी पिछले विधान सभा चुनाव में विजयी हुआ ?

३४- पिछले विधान सभा चुनाव में द्वितीय स्थान किस दल के प्रत्याशी का रहा ?

३५- तीसरे स्थान पर किस दल का प्रत्याशी रहा है ?

३६- प्रत्येक राजनीतिक दल के एक एक महान् जीवित नेता का नाम बताइये।

३७- प्रत्येक राजनीतिक दल कौन सा प्रमुख कार्य करते हैं ?

३८- इन राजनीतिक दलों से और क्या क्या आशायें करनी चाहिए ?

३९- आप किस दल से प्रभावित हैं और क्यों ?

४०- आप किस दल को सब से बुरा समझते हैं और क्यों ?

४१- विधान सभा की वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में कौन सा परिवर्तन चाहते हैं ?

४२- विधान सभा या लोक सभा के चुनाव आपकी जानकारी में क्या निष्पक्ष होते हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

४३- आपने अब तक विधान सभा के कितने निर्वाचनों में अपना बहुमूल्य मत दिया है

४४- मतदान में आप किसकी सलाह को सब से अधिक महत्व देते हैं

(क) परिवार (ख) ग्राम प्रधान (ग) इष्ट मित्र (घ) रिश्तेदार

(ङ) जातीय नेता (च) नौकरी प्रदानकर्ता (छ) अन्य (ज) किसी की नहीं

४५- मतदान के पहले जितने भी लोग मत मांगने आये क्या उन्हें आश्वासन देना चाहिए ?

४६- मत मांगनेवाले की किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए ?

(क) चरित्र (ख) ईमानदारी (ग) व्यवहार (घ) आर्थिक दशा

(ङ) जाति (च) सेवा में (छ) पहुंच (ज) सिद्धान्त (झ) शिक्षा

(ञ) प्रचार (ट) जीतने की आशा (ठ) धर्म (ड) निर्वाचन क्षेत्र का निवासी ।

४७- वर्तमान समय में सब से कम ईमानदार कौन है ?

(क) कृषक (ख) मजदूर (ग) वकील (घ) इंजीनियर (ङ) राजनितिक नेता

(च) कार्यालय का बाबू (छ) न्यायधीश (ज) पुलिस (झ) मंत्रीगण

४८- आप किस राजनीतिक दल के सदस्य हैं ? और क्यों ?

४९- आपका कोई रिश्तेदार या मित्र किस दल का सदस्य या नेता है ?

५०- आपने किसी प्रदर्शन, जुलूस, सत्याग्रह, घेराव आदि राजनीतिक आन्दोलन में कभी भाग लिया है ?

५१- आपने कितने राजनीतिक दलों के नेताओं के भाषण सुने हैं ?

५२- किस नेता की बात आपको प्रिय लगी ।

५३- कौन सी बात वह रही है ?

५४- राजनीति जानकारी के लिए आप क्या पढ़ते हैं ?

५५- क्या आपके परिवार में रेडियो या ट्रांजिस्टर है ?

५६- परिवार के कितने सदस्य समाचार सुनते हैं या अखबार पढ़ते हैं ?

५७- किस समय समाचार पत्र पढ़ने या समाचार सुनने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है

५८- क्या वर्तमान सरकार से जीवन, धन और प्रतिष्ठा की सुरक्षा अनुभव करते हैं ?

५९- ऐसा अनुभव क्यों हुआ?

६०- हिन्दू समाज की वर्ण व्यवस्था को क्या समाप्त कर देना चाहिए ?

६१- बाजारों में जो भी सामान बिकते है क्या उनका मूल्य स्थिर । बढ़ते। घटते
रहना चाहिए?

६२- अपना विवाह कर लेने के लिए लड़का और लड़की दोनों को क्या स्वतन्त्र
कर देना चाहिए ?

६३- क्या व्यक्तिगत सम्पत्ति सब के पास होनी चाहिए ?

६४- समाज या राज्य का विकास हेतु यदि एक वर्ग दूसरे से संघर्ष करता रहे तो
इससे क्या होगा ?

६५- इस समय भारत में कौन कौन आन्दोलन चल रहे है ?

६६- चुनाव जीत जाने के बाद क्या किसी को अपना दल बदलना चाहिए ?

६७- जो चुना हुआ व्यक्ति यदि दल बदले तो क्या उसका पद समाप्त कर दिया जाय ?

६८- चुनावों के कारण जनता में क्या बढ़ा है (क) सहयोग (ख) संघर्ष

६९- सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है (क) सरकार (ख) संविधान (ग) जनता

७०- चुनाव और राजनीतिक सूचना के लिए आप किस पर अधिक विश्वास करते है
(क) समाचार पत्र (ख) रेडियो (ग) राजनीतिक सभा (घ) पत्रिका

७१- कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में आये या बना रहे तो आपकी स्थिति बहुत
अच्छी रहेगी ।

७२- आप अपना मत निर्णय कब करते हैं (क) चुनाव के पूर्व (ख) चुनाव के मध्य
(ग) चुनाव के अन्त (घ) ठीक मत डालने के पहले

७३- क्या आपके पास चुनाव अभियान में कोई दल धन भी मांगने आया ?
यदि दिया तो कितना ?

७४- क्या अल्प बचत योजना या जीवन बीमा में आपने भाग लिया है ?

७५- सरकार के किस कानून से आपका कौन सा लाभ हुआ है ?

७६- किस कानून से कौन सी हानि हुई है

७७- जब से आप मतदाता हुए है तब से आज तक विधान सभा और संसदीय
चुनावों में कितने दलों को मत दिया है

७८- पिछले विधान सभा चुनाव में किस किस दल के कार्यकर्ता आपसे नहीं मिले ?

७९- किस दल का प्रत्याशी आपके दरवाजे पर आया ?

८० राजनीतिक दलों के अलावा क्या अन्य कोई व्यक्ति आपसे चुनाव के संबंध में मिला

८१- कौन से अन्य संगठनों से आपका सम्बन्ध है

८२- क्या अन्य संगठन भी चुनावों में अपना विचार सदस्यों से बतलाते हैं ?

८३- यदि राजनीतिक नेता और धार्मिक महापुरुष दोनों एक ही समय आपके दरवाजे पर आवें तो पहले किससे मिलेंगे ?

८४- आप राजनीतिक नेताओं की बातों पर कितना विश्वास करते है ?

(क) बहुत कम (ख) कम (ग) आधा (घ) अधिक (ङ) बिल्कुल नहीं ।

८५- क्या वर्तमान युग में पूजा, पाठ, यज्ञ और दान करना व्यर्थ है ?

८६- व्यक्ति धन कमाने की होड़ में उचित और अनुचित का कितना ध्यान रख रहा है -

(क) बहुत कम (ख) कम (ग) आधा (घ) आधे से अधिक (ङ) पूरा पूरा
(च) बिल्कुल नहीं ।

८७- स्वतंत्रता के पश्चात् जातीय भेदभाव में कैसा परिवर्तन हुआ है -

(क) बढ़ा (ख) घटा (ग) समान

८८- अपना मकान, भूमि और व्यवसाय सब सरकार के हाथों में सौंप देना कैसा होगा ?

(क) बहुत अच्छा (ख) अच्छा (ग) कम अच्छा (घ) खराब (ङ) बहुत खराब

८९- किसके लिए मरना सब से अच्छा होगा ?

(क) बच्चों (ख) जाति (ग) धर्म (ङ) धन (ङ) प्रतिष्ठा (च) देश

९०- पिछले विधान सभा चुनाव में आपके मतदान से कौन लोग बहुत अप्रसन्न हुए

९१- कुछ राजनीतिक दलों के विषय में टीकायें हैं क्या आप इससे सहमत हैं ?

(क) सदा कांग्रेस हरिजनों एवं मुसलमानों पर विशेष ध्यान देती है

(ख) जनसंघ में व्यापारी और उच्चवर्ग के लोग अधिक हैं ।

(ग) संगठन कांग्रेस में अब बूढ़े लोग बचे हैं ।

(घ) भारतीय लोक दल में छोटी जातियों के लोगों का ही बोलबाला है ।

(ङ) हिन्दू महासभा और रामराज्य परिषद की अब कोई आवश्यकता नहीं है ।

(च) मुस्लिम मजलिस मुसलमानों को विशेष दर्जा दिलाना चाहती है

९२- चुनाव के समय मतदाताओं की बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है और बाद में नेताओं की` क्या यह सच है ?

९३- मतदाता अपने वास्तविक निर्णय को इसलिए नहीं बताता कि मालुम कौन अपनी बात मनवाने के लिए मेरे पास अन्तिम क्षण तक आ जायगा` क्या यह कथन सत्य है ?

९४- जो मतदाता मत देने नहीं जाते है उसका प्रमुख कारण क्या है ?

(क) राजनीति में रुचि नहीं (ख) समय का अभाव (ग) जाने में काम का नुकशान (घ) उस दिन के भोजन की व्यवस्था नहीं (ङ) निर्वाचन पर विश्वास नहीं (च) कोई आग्रह नहीं करता (छ) लोग नाराज हो जायेंगे (ज) अन्य ।

९५- जो राजनीति में बहुत सक्रिय रहता है उसका क्या उद्देश्य है ?

(क) धन कमाना (ख) स्वार्थ साधना (ग) जातीय सम्मान (घ) सामाजिक प्रतिष्ठा (ङ) प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक सुधार (च) देश सेवा (छ) अन्य

९६- अपनी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने को कैसा समझते है ?

(क) बहुत अच्छा (ख) साधारण (ग) साधारण से नीचे

९७- समाज में सब से सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए आप कौन सा कार्य पसन्द करेंगे ??

(क) कृषि (ख) खेतों में मजदूरी (ग) कारखाने में मजदूरी (घ) अध्यापन (ङ) व्यापार (च) राजनीति (छ) डाक्टरी (ज) कार्यालय में बाबूगीरी (झ) साहित्य सेवा (ञ) सिनेमा में कलाकारी (ट) अन्य

९८- यदि विधान सभा चुनाव में वरीयता का मत देने का अधिकार आपको मिल जाय तो कैसा रहेगा ?

(क) बहुत अच्छा (ख) अच्छा (ग) खराब (घ) बहुत खराब (ङ) कुछ नहीं

९९- आपकी दृष्टि में किस जाति के मतदाता मतदान में कितने प्रतिशत भाग लेते है ?

(क) हरिजन (ख) मुसलमान (ग) यादव (घ) बिन्द या केवट (ङ) ब्राह्मण (च) क्षत्रिय (छ) बनियां (ज) अन्य ।

१००- किस व्यक्ति को अगले चुनाव में अपने क्षेत्र का विधायक बनाना अच्छा होगा ?

१०१- कांग्रेस चुनाव किन कारणों से जीत जाती है ?

१०२- राजनीतिक दल चुनावों में धन किन किन रूपों में व्यय करते है ?

१०३- हंडिया विधान सभा क्षेत्र की कौन कौन प्रमुख समस्यायें है ?

हस्ताक्षर

दिनांक

Bibiliography

Books

1. Adair,John ,Training for Leadership (London 1974).

2. Alatas.Syed Hussein. Intellectuals in developing Society (London 1977)

3. Almond Gabriel A. and Coleman James S.(Eds). The Politics of Developing Areas (Princeton 1960).

4. Almond Gabriel A. Powell G.Bingham. Comparative Politics (Amerind , second Indian reperint,1975)

5. Almond Gabriel A. and Verba Sidney, The Civic Culture (Princeton, 1963).

6. Apter David, The Politics of Modernization (Chicago,1965)

7. Banfield Edward C., Political Influence (New York,1961)

8. Barnes Harry Elmer, Sociology and Political Theory - A Consideration of the Sociological Basis of Politics (New York 1925).

9. Baxter G., The JanSangh , A Biography of an Indian Political Party (Philadalphia, 1969).

10. Blondel.J. Voters. Parties and Leaders (Penguin Book 1963)

11. Boring Edwin Garrignes, Longfeld Herbert Sidney and Weld Harry Parter, Eds. Foundations of Psychology (Asia Publishing House, 1963).

12. Brass Paul R., Functional Politics In An Indian State. The Congress Party In Uttar Pradesh (Bombay 1966)

13. Brecher Michael, Political Leadership in India. An Analysis of Elite Attitudes (Vikash Publication 1969).

14. Brecht Arnold, Political Theory, The Foundations of Twentieth Century Political Thought (Bombay 1965).

15. Burger Angela Sutherland, Opposition in a Dominant Party system (Berkley and Los Angeles, 1969)

16. Burns Edward Mc Nall, Ideas in conflict - The Political Theories of the Contemporary World (New York 1960).

17. Campbell Angus. Gurin Gerald and Miller Warren. E., The Voters Decides (Evanston Peterson and Company 1954).

18. Castles F.G., Pressure Group and Political Culture (London 1967)

19. Coker Francis W., Recent Political Thought (New York 1934)

20. Conn.Paul H., Conflict and Decision Making - An Introduction to Political Science (New York 1971).

21. Dahl Robert A., Modern Political Analysis (New York 1972).

22. Dennis Easton, Children In Political System (New York 1969)

23. Deutsch Karl W., T he Nerves of Government Models of Political Communication and Control (New York,Glenco 1963).

24. Duverger Maurice, Political Parties- translated by Barbara and Robert North (London 1965).

25. Eckstein Harry, Pressure Group Politics (Stanford 1960).

26. Eldersveld Samuel J., Political Parties - A Behavioral Analysis (Vora & Co.,Bombay First Indian Reprint 1971).

27. Eulau Heinz, Eldersveld Samuel J. Janowitz Marris., Political Behavior (Amerind Publishing Co.,New Delhi, Indian edition 1972).

28. Field .John Osgood , Electoral Politics in the Indian States. The Impact of Moderanization (Delhi 1977 Vol.3)

29. Friedrich C.J., Man and his Government - An Empirical Theory of Politics (New York 1963).

30. Ghosh Sankar, Socialism and Communism in India (Allied Publishers 1971).

31. Goel, Madanlal, Political Participation in a developing nation-India (Bombay 1974).

32. Goldthore John H., Lockwood David , Bechhofer Frank, Platt Jennifer- The Affluent Worker, Political Attitudes and Behaviour (Cambridge 1968).

33. Groennings Sven Kelley E.W., Leiserson Michael Eds. The Study of Coalition Behavior (New York 1970)

33(A) Grusky OSCAR, Miller Gearge A. eds. The Sociology of Organization Basic Studies (New York 1970)

34. Hardgrave Robert L. jr., India Government and Politics in developing Nations 2nd Ed. (New York 1975).

35. Hartmann Harst, Political Parties in India (Meenakshi Prakashan, Meerut, 1971).

36. Huntington Samuel P., Political Order in Charging Society (Bombay May 1975).

37. Hyman Herbert H. Political Socialization (Amerind Publishing Co., New York Delhi, 1972).

38. Johnson Harry M., Sociology A systemic Introduction (Allied Publishers, 4th Indian Reprint,1973).

39. Jennings Sir Ivor ,Party Politics. Volume I,II (Cambridge 1960, 1961).

40. Jupp J., Political Parties (London 1968).

41. Kamal K.L. and Meyer Ralph C., Democratic Politics In India (New Delhi, 1977).

42. Katz Elihu and Lazardsfeld Paul, Personal Influence (Glenco 1955)

43. Key.V.O., Politics , Parties and Pressure Groups (New York 1958).

44. Kothari Rajani, Politics in India (Orient Longman,1970).

45. Key V.O. Jr. Public Opinion and American Democracy (New York 1961).

46. Krech David and Crutchfiald Richard S., Theory and Problems of Social Psychology (Tokyo 1946).

47. Laski Harold J., A Grammer of Politics (London 1950).

48. Lazarsfeld Paul F., Bereleson Bernard and Gaudet Hazel. The People's Choice (New York 1944).

49. Lasswell Harold, T he Decision Process (College Park 1956)

50. Lenski Gerhard, Power and Privilege (New York,1966)

51. Lindzey Gardner, eds., T he Hand Book of Social Psychology (Reading Mass : Addison Wesley Co. Inc., 1954).

52. Lipset S.M.,Political Man (First Indian edition 1973).

53. Lipset S.M.,eds. Politics and Social Sciences (New Delhi 1972).

54. Mackenzie R.T., British Political Parties, 1954.

55. Martindala Don, The Nature and Types of Sociological Theory (Boston 1970).

56. Marvick Dwaine, Political Decision Makers (Glenco 1961)

57. Mehta Prayag. Election Compaign. Anatomy of Mass Influence (Delhi 1975).

58. Metcalfe H.C. and Wrivick L. eds. Dynamic Administration (New York 1940).

59. Michel Robert. Political Parties (Glenco Illinois 1958)

60. Milbrath Lester W.,Political Participation (Chicago 1965)

61. Misra B.B., The Indian Political Parties : An Historical Analysis of Political Behaviour upto 1947 (Delhi 1976).

62. Mukherji S.K., Election to the Howrah Parliamentary Constituency 1971 (The World Press 1975).

63. Narayan Jaya Prakash and others . Towards Fair and Free elections (New Delhi, 1975).

64. Neumann Sigmund (eds), Modern Political Parties (Chicago 1958).

65. Palmer Narman D., The Indian Political System (Boston 1961).

66. Palombara Joseph La and Weiner M. eds.Political Parties and Political Development (Princeton New Jersey 1969).

67. Pantham Thomas . Political Parties and Democratic Consensus A Study of Party Organizations in an Indian City(Delhi 1976).

68. Park Lichard L and Tinker Irene,eds. Leadership and Political Institution in India (Princeton 1959).

69. Parsons Talcott, The Social System (Glenco 1951).

70. Perry Ralph B.,Realms of Values (Cambridge 1954)

71. Pye Lucian W., Politics ,Personality and Nation Building (New Haven 1962).

72. Pye Lucian W., Aspects of Political Developments (Indian edition 1972).

73. Pye Lucian W., eds. Communications and Political Devel opment (First Indian Reprint 1972).

74. Pye Lucian W and Verba Sidney,eds. Political Culture and Political Development (Princeton New Jersey 1965).

75. Rokeach Milton., The Open and closed Mind (New York 1960).

76. Roucek Joseph S. eds. Contemporary Sociology Weterowen- London.

77. Rubinstein Alvin Z. eds. Communist Political Systems (Prentice Hall, New Jersey 1966)

78. Ruch Floyd L. Psychology and Life, 7th edition ~~Runciman~~

78(A) W.G., Social Science and Political Theory (Cambridge 1963). Runciman

79. Sartori Giovanni, Parties and Party Systems. A frame Wark for Analysis Volume I (Cambridge 1976).

80. Seliger Martin. Ideology and Politics (London 1976).

81. Shah Giri Raj. India Rediscovered (New Delhi 1975).

82. Sirsikar, V.M., Rural Elite in a developing Society . A study in Political Sociology (New Delhi 1970).

83. Smelser Neil J. (ed.) Sociology (New Delhi 1970).

84. Snyder Richard C., Bruck H.W. and Burton Sapin - Decision Making as an Approach to the Study of International Politics (Princeton 1954)

85. Stern Robert W., The Process of Opposition In India two case studies of How Policy shapes Politics (Chicago 1970).

86. Strickland D.A. Wade L.L. and Johnston R.E. - A Primer of Political Analysis (Chicago 1968).

87. Varma S.P., Modern Political Theory(New Delhi 1975)

88. Varma S.P. Iqbal Narain and Associates, Voting Behaviour In A Changing Society (Delhi 1973).

89. Walch James, Faction and Front : Party Systems in South India (New Delhi 1976).

90. Wasby Stephen L. eds. Political Science- The Discipline and it's Dimensions. An Introduction (Calcutta 1972).

91. Weiner M., The Politics of Scarcity (Chicago 1962).

92.-Political Parties and Political Development (Princeton 1966).

93. - Party Building in a New Nation - The Indian National Congress (Chicago 1967).

94. - Party Politics in India (Princeton New Jersey 1957).

95. Wilcox Allen R .eds., Public Opinion and Political Attitudes (New York 1974).

96. Young Pavline V., Scientific Social Serveys and Research (Prentice Hall ,London).

97. Zetterberg H. eds. Sociology in the United States of America (Paris UNESCO 1956).

98. Zoidi A Moin eds . The Annual Register of Indian Political Parties Proceedings and Fundamental Texts 1973-74 (New Delhi 1974).

Articles.

1. Ahmed Bashiruddin. The Electorate, Seminar 212 April,1977, page 19-24.

2. Catherine C.Currie, Political Sociology of Barrington Moore, Political Science Review 15 (2-4) 1976 page 1-25.

3. Chatterjee Partha, Stability and change in the Indian Political system , Political Science Review 16 (1) 1977 page 1-38.

4. Das B.C., The Dynamics of factional Conflict. Indian Political Science Review January, 1977 page 60-66.

5. Frank P.Belloni and Dennis C.Bellers- The Study of Party factions as competitive PoliticalOrganization. The Western Political Quarterly 29 (4) 1976.

6. Friedrich Carl J. Political Pathology. The Political Quarterly 37(1) 1966 page 70-85.

7. Irvings Foladare , Effect of Neighbourhood on Voting Behavior, Political Science Quarterly 83, 1968 page 516-29.

8. Jennings M.Kant and Niem Richard G., Transmission of Political Values from parent to child. American Political Science Review Volume 64 (4) 1970 page 169-184.

9. Krishnan P., T oward a mathematical representation of growth of political parties in India. Indian Political Science Review 7(1) Jan. 1978. page 1-7.

10. Marvin E.Olsen- Three Routes to Political Party Participation The Western Political Quarterly 29 (4) Dec., 1976 page 550-62.

11. Palma Giuseppe Di and Clusky Herbert Mc. Personality and Confarmity : The Learning of Political Attitudes, American Political Science Review64 (4) Dec.,1970 page 1054-1073.

12. Pamper Gerald M. Decline of Parties in American Elections. Political Science Quarterly Vol.92 Spring 1977 page 21-241.

13. Rathore L.S. The Congress for Democracy in Indian Politics, Cenesis and Contribution , Indian Journal of Political Studies 2 (1) Jan 1978 page 43-57.

14. Seth Pravin N., The Electoral Behaviour : Patterns of continuity and change . The Indian Journal of Political Science, volume 34 (2) April-June,1973.

15. Srivastava S. Patterns of Political Leadership in emerging areas : A case study of U.P., Political Science Review 9 (3-4) July-Dec., 1972 page 356-377.

16. Talwar Sadanand, Janata Party- An Attempt towards Polarisation of Political Farces, Indian Political Science Review II(2) July 1977 page 157-168.

17. Thopar Romila - T he Academic Professional , Seminar 222 Feb 1978 page 18-23.

18. Vajpayi Dhirend K. -The Role of Mass Communication in Modernization and Social change in Uttar Pradesh . The Indian journal of Political Science volume 34(2) April-June 1973.

19. Wiater Jerry J. Political Parties. Interest Representation and Economic Development in Poland, American Political Science Review volume 64(4) Dec.1970 page 1239-1245.

20. William H.Riker and Peter C.Ordershook, A Theory of Calculus Voting .American Political Science Review 62,March 1968, page 28-42.

21. William P.Browne .Benefits and Membership. A Reappraisal of interest group activity. The Western Political Quarterly, volume 29(2) June 1976.

22. William R.Schonfeld. The Focus of Political Socialization Research World Politics Volume 23,1971 page 544-578.